प्रमुख देशों
की
बैंकिंग प्रणालियां

(संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलैंड, प० जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणालियां)

कैलाश बहादुर सक्सेना
व्यावहारिक अर्थशास्त्र एवं वित्त विभाग,
श्री जैन पोस्ट-ग्रेजुएट कॉलेज, बीकानेर

कॉलेज बुक डिपो, जयपुर

By The Same Author

1 केन्द्रीय बैकिंग—सिद्धात एव व्यवहार
2 विश्व की प्रमुख वित्तीय सस्थाए

भूमिका

प्रस्तुत पुस्तक 'प्रमुख देशो की बैंकिंग प्रणालियाँ' कला एवं वाणिज्य के स्नातकोत्तर विद्यार्थियो बैंक अधिकारियो एव इस विषय मे रुचि रखने वाले अन्य पाठको के लाभार्थ लिखी गई है। हमारी गौरवमय राष्ट्र भाषा हिन्दी मे इस विषय पर सम्भवत यह प्रथम प्रयास है।

इस पुस्तक म क्रमश सयुक्त राज्य अमेरिका, इगलैंड, जापान, जमन गणतन्त्र, आस्ट्रेलिया एव पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणालियो का विवेचन किया गया है। बोर्ड आफ द फैडरल रिजव सिस्टम वाशिंगटन बैंक आफ इग्लड, लदन, बैंक ऑफ जापान, टोकियो, जमन-गणतन्त्र के केन्द्रीय बैंक, फ्रैंकफट के प्रमुख अधिकारियों का लेखक आभारी है जिन्होंने अपने अपने देशो की बैंकिंग प्रणालियो से सम्बन्धित अधिकृत सामग्री प्रेषित की है और साथ ही उस सामग्री का स्वतन्त्रतापूवक उपयोग एव अनुवाद करने की अनुमति भी प्रदान की है। इस पुस्तक की रचना में अनेक मान्य पाठ्य-पुस्तकों की भी सहायता स्वतन्त्रतापूवक ली गई है। मूल-स्रोतो से सामग्री उपलब्ध होने व उसका उपयोग करने के कारण पुस्तक प्रामाणिक बन सकी है।

पुस्तक को और अधिक उपादेय बनाने हेतु विज्ञ जनों के सुझाव आमन्त्रित हैं।

—के बी सक्सेना

विषय–सूची

S संयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिका
की
बैंकिंग प्रणाली

(Banking System in U.S A.)

प० जर्मनी की बैंकिंग प्रणाली

जापान की बैंकिंग संस्थाएं

आस्ट्रेलिया की बैंकिंग प्रणाली

पाकिस्तान की बैंकिंग प्रणाली

संयुक्त राज्य अमेरिका
की
बैंकिंग प्रणाली

(Banking System in U.S A.)

1

सयुक्त राज्य अमेरिका मे व्यापारिक बैंकिग विकास

व्यापारिक-बक को प्राय वित्त का विभागीय भडार (the department store of finance) कहा जाता है। सयुक्त राज्य अमेरिका के वतमान व्यापारिक ढाचे को समझने के लिए देश के क्रमिक बकिग विकास का अध्ययन आवश्यक है मयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिग प्रणाली विलष्ट है। सयुक्त राज्य अमेरिका के बकिग इतिहास काल का स्थूल रूप मे, तीन भागो मे बाटा जा सकता है। प्रत्येक भाग को अधिक स्पष्टीकरण के उद्देश्य से और उपविभागा म विभक्त किया जावेगा। मुख्य विभाग य हैं—

1 1781 मे पूव—भूमि बका की स्थापना,

2 1781 मे 1863 तक, जबकि नशनल बैंकिग प्रणाली स्थापित की गई,

3 1863 से 1914 तक, जबकि फैडरल रिजव प्रणाली स्थापित की गई।

स्थूलरूप म कहा जा सकता है कि सन् 1914 मे पूव तक सयुक्त राज्य अमरिका म बिना केन्द्रीय बक के बकिग प्रणाली थी।

I सन् 1781 से पूव

प्रारम्भिक वर्षों म नवीन एव साधनशील दशा की भाति, यहा साधनो का विदोहन करना था, किंतु पूजी की कमी थी। बचत एकत्रित होने की गति अति मद थी। महाजनो (money lenders) की कमी थी, अत यह स्वाभाविक था कि बैंको की स्थापना की आवश्यकता अधिक प्रतीत हो रही थी।

अठारहवीं शताब्दी के प्रथम आधे भाग म अमेरिका के उपनिवेशो (colonies) ने 'भूमि बकों' (land banks) की स्थापना की। ये भूमि-बक सबधित उपनिवेश की सरकारा द्वारा सचालित किए जाते थे, और विभिन्न प्रकार की भूमि व जायदाद की सपत्तिया के आधार पर, ऋण के रूप म, प्रातीय पत्र मुद्रा निगमित की गई। भूमि के कम मूल्य एव पत्र मुद्रा के अत्यधिक मात्रा म निगमित किए जाने के कारण, स्वण व चादी की दृष्टि से इस चलन (currency) का मूल्य पर्याप्त गिर गया।

बका को चाटर प्रदान किए जाने के पूव के दिना म भी निजी बैंका मे भूमि बकिग एव व्यापारिक बका म अतर दृष्टिगोचर होता था। सन् 1741 मे एक भूमि बक बोस्टन मे स्थापित हुआ, जिसने भूमि एव बधक के विरुद्ध नोट निगमन किए। यह बक यद्यपि जनता में पर्याप्त लोकप्रिय हुआ, किन्तु व्यापारी लोगों ने

उनका घोर विरोध किया और एक वर्ष बाद ही सन् 1742 में संसद ने एक एक्ट द्वारा इसे अवैधानिक घोषित कर दिया गया।

सन् 1733 में एवं पुनः सन् 1740 में बोस्टन नगर के कुछ व्यापारियों ने निजी बैंक स्थापित किए। ये निजी बैंक अल्पकालीन व्यापारिक विपत्रों की कटौती करते थे। इन्होंने अपने साख बिल भी निर्गमित किए। ये साख बिल अत्यन्त लोकप्रिय हो गये क्योंकि इन बिलों का स्वर्ण व चाँदी के रूप में नियत समय पर भुगतान हमेशा किया जाता रहा। वास्तव में, ये निजी बैंक बाद में स्थापित होने वाले व्यापारिक-बैंकों के अग्रगामी (foterunners) के रूप में थे।

II सन् 1781 से 1811 तक

संयुक्त राज्य अमेरिका में आधुनिक प्रकार का प्रथम बैंक[1] 'बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका' फिलाडेल्फिया में सन् 1782 में स्थापित किया गया। इस बैंक की स्थापना कॉन्टीनेन्टल कांग्रेस द्वारा स्वीकृत एक चार्टर के अंतर्गत की गई थी। जनता ने लगभग 70 हजार डालर का अभिदान किया और कांग्रेस ने 2 लाख डालर के स्टॉक खरीदे और मूल्य स्वर्ण में दिया। यद्यपि अधिकांश पूंजी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त की गई थी किंतु सरकार ने इस बैंक का प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथ में ही छोड़ दिया। कॉन्टीनेन्टल कांग्रेस को किसी बैंकिंग संस्था को चार्टर प्रदान करने का अधिकार है अथवा नहीं—यह एक विवादग्रस्त प्रश्न बन गया अतः इस बैंक ने सन् 1782 में ही पेन्सिलवेनिया राज्य से पुनः चार्टर प्राप्त कर लिया।

सन् 1784 में दो बैंक और स्थापित हुए—बैंक ऑफ मैसाचुसेट्स (Bank of Massachu etts) जिसने सन् 1784 में ही चार्टर प्राप्त कर लिया और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो सन् 1791 तक बिना चार्टर के कार्य करता रहा। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापकों में एलेग्जेन्डर हैमिल्टन का नाम उल्लेखनीय है जो कि उस समय वाशिंगटन के केबिनेट में ट्रेजरी के सेक्रेटरी थे।

फर्स्ट बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स (1791-1811)
(The First Bank of the United States)

चार्टर की प्राप्ति—यह देश में प्रथम बैंक था जो कि फेडरल सरकार द्वारा प्रदान किए गये चार्टर के अंतर्गत स्थापित हुआ। एलेग्जेन्डर हैमिल्टन जो सन् 1784 में बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के संस्थापकों में से प्रमुख थे ने संविधान (constitution) के लागू होने के पश्चात् फेडरल चार्टर के अंतर्गत एक नेशनल बैंक स्थापित करने की योजना बनाई। उन्होंने इस संस्था से होने वाले संभावित लाभों का कांग्रेस के सम्मुख सन् 1790 में प्रस्तुत रिपोर्ट में बतलाए। उन्होंने यह बतलाया कि इसकी स्थापना से सरकार को (ऋण लेने में, कोषों के स्थानान्तरण में प्राप्ति) व व्यापारियों को लाभ होगा।

उत्तर के राज्य एलेग्जेन्डर हैमिल्टन इस प्रस्तावित बैंक की स्थापना के पक्ष में थे

बकिंग क्षेत्र म एकाधिकार का विस्तार होगा अत यह जनतन्त्र के विरुद्ध है। अत इस सम्बन्ध म कांग्रेस मे वोट लिए गय एव पक्ष म अधिक मत आन के कारण प्रेसिडेंट वाशिंगटन ने इसके चाटर पर हस्ताक्षर कर दिए।

स्थापना—इस बैंक की स्थापना सन् 1791 म चाटर क अन्तगत की गइ। यह चाटर 20 वर्षों के लिए अर्थात सन् 1811 तक के लिए था। इसका प्रधान कार्यालय फिलाडेलफिया म था और इसकी 8 शाखाए थी[1] जो सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख नगरो म स्थित थी।

पूजी—इस बक की पूजी 1 करोड डालर थी जिसम से 20 लाख डालर फडरल सरकार द्वारा प्रदान किये गय और शेष 80 लाख डॉलर जनता द्वारा जिनम स कुछ दूसरे देशो के निवासी भी थे।

सरकार न अपने द्वारा प्रदान की गइ पूजी (20 लाख डालर) ऋण क रूप म वापस ले ली।

जनता को जो पूजी निर्गमित की गई थी वह भी अशो के रूप म थी। प्रत्यक अश का अकित मूल्य 400 डॉलर था और कोई भी व्यक्ति 1 हजार से अधिक अश नही ले सकता था। अशो का मूल्य 4 अद्ध वार्षिक किश्तो म चुकाना था। अशो का 25% मूल्य स्वण मे व शेष फडरल सरकार के 6% बॉन्डो के रूप म चुकाना था।

प्रबन्ध—इस बक के प्रबन्ध के लिए 24 सचालको का सचालक मडल था जिनका चुनाव स्टॉक धारक करत थे। कोई भी स्टाक धारक 30 स अधिक वोट नही द सकता था। विदेशी स्टॉक धारक को वोट देन के लिए स्वय उपस्थित होना आवश्यक था। चाटर म यह प्रावधान था कि बक का स्टॉक धारक एव सयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक ही बक का सचालक हो सकता था।

नोट निगमन व ऋण देना—इस बक को 1 करोड डालर तक की पत्र मुद्रा निकालन का अधिकार दिया गया। य नोट यद्यपि विधि ग्राह्य (legal tender) नही थे, किंतु जब तक बक इस पत्र-मुद्रा को स्वण म बदलन की सामथ्य रखता हो ये नोट फडरल गवनमट द्वारा भी मान्य थ।

बक का निक्षेप (deposits) स्वीकार करने का अधिकार था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय निक्षेप राशि का प्रयोग बैंक नोट निगमन के रूप म ही किया जाता था।

इस बक को जनसाधारण एव फडरल गवनमट को ऋण दन का भी अधिकार दिया। इन ऋणो को अधिकतम 6/ वार्षिक ब्याज की दर पर दिया जा सकता था। फडरल गवनमट को यह बक अधिकतम 1 लाख डालर तक का ऋण द सकता था किंतु कांग्रेस की विशेष अनुमति स इस राशि म वृद्धि की जा सकती थी।

1 Its branches were set up in Boston New York Baltimore Washington Norfolk Charleston Savannah and New Orleans

बैंक द्वारा की गई सेवायें—यह बैंक अपने कार्यकाल में बहुत सफल हुआ और फैडरल गवर्नमेंट व जनता की महत्वपूर्ण सेवाएं कीं।

सरकार ने बैंक के जो 20 लाख डालर के स्टॉक लिए थे, उनके बदले सरकार ने 20 लाख डॉलर का ऋण ले लिया। इसके अतिरिक्त भी यह बैंक समय समय पर सरकार को बड़ी मात्रा में ऋण देता रहा। उदाहरण के लिए सन् 1796 में फैडरल सरकार इस बैंक की 60 20 लाख डॉलर की ऋणी थी।

इस बैंक ने ऐसे समय में अच्छे नोट निर्गमित किए जब कि सोने व चांदी की कमी थी। इसने व्यापारियों आदि को ऋण दिए। इसने राज्यों द्वारा चार्टर प्रदान किए गये बैंकों द्वारा निर्गमित पत्र मुद्रा को उन्हीं बैंकों के पास स्वर्ण व चांदी में बदलने के लिए भेज दिया और ऐसे नोटों को ही स्वीकार करता था जो कि स्वर्ण व चांदी में परिवर्तित हो सकें। इसका प्रभाव यह हुआ कि देश में पत्र मुद्रा की मात्रा अनियन्त्रित रूप में नहीं बढ़ पाई।

बैंक का बन्द होना—इस बैंक का चार्टर 1811 में समाप्त हो रहा था, उसका नवीनीकरण नहीं किया गया। इस बैंक द्वारा इतनी उत्तम सेवाएं प्रदान करने के उपरान्त भी यह समझना कठिन है कि इस बैंक के चार्टर का नवीनीकरण क्यों नहीं किया गया। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है—

1 **स्टेट बैंकों द्वारा विरोध**—संयुक्त राज्य अमरिका में स्टेट बैंकों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। उनकी संख्या सन् 1811 में 88 हो गई। ये बैंक इस बैंक के चार्टर के नवीनीकरण का घोर विरोध कर रहे थे क्योंकि वे इस बैंक को अपना कट्टर प्रतिस्पर्धी मान रहे थे।

2 **विदेशियों द्वारा अधिक नियन्त्रण की सम्भावना**—इस बैंक के स्टाक विदेशियों के पास अधिक एकत्रित होते जा रहे थे अतः यह सम्भावना व्यक्त की जा रही थी कि इस बैंक पर विदेशियों का आधिपत्य हो जावेगा। यद्यपि विदेशियों के लिए यह प्रतिबन्ध था कि वे वोट स्वयं ही उपस्थित रहकर दे सकते थे और अधिकांश विदेशी-स्टॉक-धारक विदेशों में लाभांश (dividend) के रूप में जा रहा था। इस बैंक के 25 हजार अंशों में से लगभग 18 हजार अंश अंग्रेजों के पास थे।

3 **अप्रजातान्त्रिक एवं असंवैधानिक**—संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में अन्य बैंकों को चार्टर प्रदान के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख नहीं था, अतः तर्क किया गया कि इस बैंक के कारण अप्रजातान्त्रिक 'एकाधिकार' का विकास हो रहा है। अतः विरोधियों के मतानुसार यह बैंक प्रारम्भ से ही असंवैधानिक था।

4 **पत्र मुद्रा का विरोध**—यह तर्क भी दिया गया कि धातु मुद्रा ही अच्छी मुद्रा है और पत्र-मुद्रा चाहे सरकार निर्गमित अथवा बैंक बुरी है। यह बैंक पत्र मुद्रा का निर्गमन करता था।

यदि इस बैंक के चार्टर के नवीनीकरण के विपक्ष में अनेक व्यक्ति थे तो अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे जो इसके पक्ष में थे। अतः 20 फरवरी 1811 को इस बैंक के पुनः चार्टर देने से सम्बन्धित बिल पर सीनेट में बहस हुई और अन्त में वोट लिए

गय। पक्ष व विपक्ष म बराबर वाट आय तथा सीनट क वाइस प्रेसीडेन्ट का निर्णायक-मत (casting vote) क द्वारा यह बिल पराजित हो गया।

इसके फलस्वरूप इस बक का विघटन होगया और बक न 400 डालर क अकित मूल्य के अश के लिए प्रति शयर 434 डालर दिए। इस प्रकार, इस बक का अत होगया।

क्या यह एक केन्द्रीय बक था ?

द बक ऑफ द यूनाइटड स्टटस को कुछ विद्वान केन्द्रीय बक के समकक्ष मानते हैं किंतु ऐसा नहीं था। इसके सम्बन्ध म निम्नलिखित तर्क है —

1 **अन्य बको पर नियत्रण नहीं**—इस बक का देश क अन्य बको के ऊपर प्रत्यक्ष नियत्रण नहीं था वरन यह अन्य बको क साथ प्रतिस्पर्धा करता था।

2 **पत्र मुद्रा निगमन पर एकाधिकार नहीं**—इस बक को देश की पत्र मुद्रा के निगमन पर एकाधिकार नहीं था अन्य स्टेट बैंक भी पत्र मुद्रा का निगमन करते थे।

3 **जनता से व्यवहार**—केन्द्रीय बक बको का बकर होता है और जन साधारण से बकिंग व्यवहार नहीं करता। किन्तु यह बक जनसाधारण से ही मुख्यत व्यवहार करता था।

4 **लाभ का उद्देश्य था**—इस बक का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना था जबकि केन्द्रीय बक का यह उद्देश्य नहीं होता है।

निष्कर्ष—आधुनिक युग की दृष्टि से इस बक की पूजी (एक करोड़ डालर) कम थी अत इसकी गणना साधारण स्तर क बक के रूप म करनी चाहिये, किंतु उस समय की दृष्टि म यह एक बहुत बडा बैंक था। यह अपने समय का केवल सबसे बडा बक ही नहीं था वरन अमेरिका मे सबसे बडा निगम भी था। इसके अतिरिक्त यह सघ द्वारा प्रदान किये गये चार्टर के अन्तर्गत स्थापित प्रथम बक था जिसकी पूजी फडरल सरकार एव निजी व्यक्तियो ने प्रदान की थी।

सैकिंड बक ऑफ द यूनाइटड स्टेट्स
(The Second Bank of the United States)
(1816—1836)

फर्स्ट बक ऑफ द यूनाइटड स्टटस के चार्टर का नवीनीकरण न किय जाने क परिणामस्वरूप वहा सन् 1811 स 1816 की अवधि म स्टट बको की स्थापना म एव नोट निगमन की मात्रा म बहुत तीव्र गति स वृद्धि होने लगी। सन् 1811 म स्टेट बैंको की सख्या 88 थी जबकि सन् 1816 म इनकी सख्या 246 हो गई।

स्थापना की आवश्यकता—स्टेट बैंक्स अत्यधिक मात्रा म नोट निगमन करने लग थ। सन् 1811 म स्टेट बैंक्स द्वारा निगमित नोट 2 3 करोड डालर के थे जो सन् 1816 मे बढकर 11 करोड डालर के हो गये एव अपने नोटो को सोने अथवा चादी मे बदलने म असमर्थ स होने लगे। इसका कारण यह था कि लगभग 70 लाख डॉलर मूल्य का सोना विदेशो को फर्स्ट बक के अंश धारको को भुगतान करने क

निर्गमित किया गया। अतः इन बैंकों के पास सोने चाँदी के कोष बहुत ही क्षीण रह गये।

सन् 1812 में इंगलैंड से युद्ध आरम्भ हो गया। अतः सरकार को अधिक ऋण की आवश्यकता पड़ने लगी। न्यू इंगलैंड राज्य के स्टेट बैंक के अतिरिक्त देश के सभी बैंकों ने सन् 1814 में नोटों को धातु में बदलना बंद कर दिया। अतः अनेक क्षेत्रों में ज़ोरदार माँग होने लगी कि सैकिंड बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना की जाय।

चार्टर की स्वीकृति व बैंक की स्थापना—प्रेसिडेंट मैडिसन (President Madison) के शासन काल में ट्रेज़री के सेक्रेटरी एलेक्जेंडर डलस (Alexander Dallas) ने सैकिंड बैंक की स्थापना पर बहुत ज़ोर दिया। अतः इसके लिए एक बिल जनवरी 1815 में पास कर दिया गया किन्तु यह बिल सेक्रेटरी डलस को ठीक नहीं लगा अतः प्रेसीडेंट मैडिसन ने इस बिल पर अपनी वीटो (veto) शक्ति का प्रयोग किया और हस्ताक्षर नहीं किए। अतः दूसरा बिल पास किया गया जिस पर राष्ट्रपति ने 10 अप्रैल 1816 को अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस एक्ट के अनुसार सैकिंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स को 20 वर्षों के लिए (1816–1836) चार्टर प्रदान किया गया। इस बैंक ने जनवरी 1817 में कार्य प्रारम्भ कर दिया। इस बैंक ने अपनी 26 शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में स्थापित कीं।

अंशपूँजी व प्रबंध कार्य—इस बैंक की अधिकृत पूँजी 3.50 करोड़ डालर रखी गई जो कि 100–100 डालर के पूँजी-स्टॉक में विभक्त की गई। इस पूँजी में से 20% भाग (70 लाख डॉलर के पूँजी स्टॉक) फेडरल सरकार ने लिए और इसका भुगतान अपने बॉण्ड्स में किया। शेष पूँजी-स्टॉक जनता को निर्गमित किए गये। कोई भी व्यक्ति 3 हजार पूँजी स्टॉक से अधिक नहीं ले सकता था। लिए जाने वाले स्टॉक के मूल्य का 25% भाग स्वर्ण व चाँदी में देना आवश्यक था व शेष सरकारी बॉण्ड्स के रूप में लिया जा सकता था।

इस बैंक को भी नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया किन्तु इस सम्बन्ध में दो प्रतिबंध थे—प्रथम अपने पूँजी-स्टॉक के मूल्य के बराबर नोट निर्गमन कर सकता था और द्वितीय 5 डालर से कम अंकित मूल्य के नोट नहीं निकाल सकता था।

चूँकि इस बैंक को एक केन्द्रीय चार्टर के अन्तर्गत स्थापित होने की सुविधा मिल रही थी अतः बैंक को 15 लाख डॉलर चार्टर शुल्क के रूप में सरकार को देने का समान वार्षिक किश्तों में प्रावधान किया गया। यह भी प्रावधान किया गया कि यह बैंक फेडरल सरकार के फिस्कल-एजेंट के रूप में कार्य करेगा और सरकार भी अपने समस्त कोष इसी बैंक में रखेगी।

इस बैंक का प्रबंध भी फर्स्ट बैंक के लगभग समान ही था। इस बैंक में संचालक मण्डल में संचालकों की संख्या 25 रखी गई जिनमें से 5 संचालकों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा तथा 20 संचालकों का चुनाव स्टॉक धारकों द्वारा किए जाने का प्रावधान था।

प्रदान की गई सेवाएं—यह बैंक प्रथम बैंक की भांति प्रारम्भ म बढ़िया सेवाएं नहीं कर सका। इसने भी प्रथम बैंक की भांति, दोनों प्रकार के बैंको व्यापारिक बैंक और केन्द्रीय बैंक—के काय करना प्रारम्भ किए। व्यापारिक बैंक के रूप म यह व्यक्तियों व्यापारिक सस्थानों राज्यो व फेडरल सरकार को ऋण भी देता था उनमे निक्षेप स्वीकार करता था व धन का स्थानान्तरण करता था। यह नोट निगमन व विदेशी विनिमय का भी काय करता था।

बैंक का बन्द होना—इस बैंक के चाटर के नवीनीकरण न होने के परिणाम स्वरूप यह बैंक बद हो गया। चाटर के नवीनीकरण न होने का मुख्य कारण था—**बैंक का राजनीति मे भाग लेना अमेरिका के राष्ट्रपति जैकसन व बैंक के प्रेजिडेंट निकोलास बिडिल (Nicholas Biddle) के मध्य राजनीतिक व व्यक्तिगत तनाव।**

यह बैंक राजनीति के अखाड़े म उतर गया था। बैंक के सचालक मडल म कुछ सचालक एव कुछ अधिकारी, जो राजनीति म दिलचस्पी लेते थे, प्रवेश कर चुके थे। सन् 1832 म अमरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का वर्ष था। राष्ट्रपति जैक्सन (Jackson) एव हेनरी क्ले (Henry Clay) दो प्रमुख उम्मीदवार थ। इस बैंक के कुछ शाखा प्रबधक एव अधिकारी राष्ट्रपति जैक्सन का विरोध कर रहे थे और अपने ऋण देने की शक्ति को वोटो का प्रभावित करने मे लगाने लगे। इस बैंक के प्रेजिडेन्ट निकोलास बिडिल भी प्रत्यक्ष रूप म राष्ट्रपति जैक्सन का विरोध कर रहे थ। इस बैंक का यदि कोई नीतिदक्ष प्रेजिडेंट होता तो वह राष्ट्रपति जैक्सन से समझौता कर लेता। किन्तु बिडिल ऐसे व्यक्ति नही थे। व बहुत अधिक कायदक्ष व्यक्ति थे। उनका स्वभाव स्वच्छद था और अपने निर्णय म असीम विश्वास था। यदि निकोलास **बिडिल एव राष्ट्रपति जैक्सन मे सघर्ष नहीं होता तो सयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास का आज कदाचित दूसरा ही रूप होता।** हैनरी क्ले ने जो व्हिगस (Whigs) के उम्मीदवार थ अपने चुनाव-प्रचार म प्रमुख बात यह रखी कि यदि राष्ट्रपति जैक्सन पुन चुन लिए जाते है तो इस बैंक को बन्द होने के लिए बाध्य कर दिया जावेगा। चुनाव म जैक्सन की विजय हुई।

इस बैंक के अधिकारियो को अब बैंक के चाटर के नवीनीकरण की आशा नही रही। अत उन्होने ऋण देना कम कर दिए एव अन्य व्यवसाय सीमित करने लगे। जैक्सन ने बैंक के चाटर का नवीनीकरण नहीं होने दिया और अत म 3 माच सन् 1830 मे इस बैंक ने इस रूप म काय करना बद कर दिया। इसी बीच म इस बैंक ने फरवरी 1836 म पेंसिलवेनिया राज्य म चाटर प्राप्त कर लिया और कुछ समय तक काय करता रहा और सन् 1841 म अतिम रूप से बन्द होगया।

इस बैंक के कार्यों को करने के लिए दूसरी सस्था के स्थापित किए बिना इस बैंक को बन्द कर देना एक भयकर भूल (blunder) थी। इसके परिणामस्वरूप सयुक्त राज्य अमरिका की बैंकिंग-व्यवस्था ने बैंकिंग-व्याकुलता एव वित्तीय अस्त व्यस्तता के युग म प्रवेश कर लिया।

II A सन 1836 से 1863 तक

इस अवधि म कायरत तीन प्रकार की सस्थाओ का अध्ययन करेंगे—

1 स्टेट बैंकिंग (State Banking)
2 स्वतन्त्र बैंकिंग (Free Banking)
3 अनाश्रित ट्रेजरी (Independent Treasury)

1 स्टेट बैंकिंग (State Banking)—स्टेट बैंक वे कहलाते है जो कि किसी राज्य (State) से चाटर प्राप्त करके स्थापित होते है। सन् 1837 के पूर्व कोई भी बैंक किसी राज्य से विशेष लजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा ही चाटर प्राप्त कर सकता था। इस प्रणाली से चाटर प्राप्त करने म अनेक दोष उत्पन्न हो गये थे। प्रमुख दोष निम्नलिखित थे—

(i) इससे बैंक राजनीति म व्याप्त हो गये और राजनीति बैंको म व्याप्त हो गई (it injected banks into politics and politics into banks) शासक दल की पार्टी के वफादार सदस्यो को बैंक चाटर प्राप्त हो जाता था और विपक्षी दल के सदस्यो को चाटर प्राप्त होने की सभावना नही थी।

(ii) शासक दल के सदस्यो को नए चाटर स्वीकार करने के लिए रिश्वतें दी जाने लगी और विद्यमान बैंको द्वारा नये मजबूत प्रतिस्पर्धियो के आवेदन पत्रो को स्वीकार करने के लिए और भी अधिक रिश्वतें दी जाने लगी।

(iii) इस प्रणाली से चाटर प्रदान करने से कभी कभी अपने प्रिय बैंको को एकाधिकार की सुविधा प्राप्त हो जाती थी।

अत इस प्रणाली के विरुद्ध अनेक आक्षेप लगाये गये।

सयुक्त राज्य अमेरिका के गृह युद्ध (1861–1865) के पूर्व तक स्टेट बैंकिंग का इतिहास अत्यन्त निराशाजनक है। सन् 1837 के पश्चात् गृह युद्ध के आरम्भ तक स्टेट बैंको की सख्या मे पर्याप्त वृद्धि हुई जैसा कि निम्नतालिका से स्पष्ट है—

स्टेट बैंको का विकास

वर्ष	सख्या
1837	788
1840	901
1845	707
1850	824
1855	1 307
1860	1 562

इन बैंको की सख्या म तो वृद्धि हुई ही साथ ही इनके द्वारा अत्यधिक मात्रा म नोट निकाले जाने लगे। ये प्राय सकट से गुजरने लगे और अनेक गलत तरीके अपनाने लगे किंतु कुछ स्टेट बैंक बहुत अच्छे भी थे। इनमे बैंक ऑफ 'यूयार्क

बक ऑफ नोथ अमरिका और बैंक आफ यू इगलड विशेष रूप म उल्लखनीय हैं। इस सदम म 'Wildcat Banks' शब्द की समिप्त व्याख्या यहा कर देना आवश्यक है।

'वाइल्ड कट बकस' (Wild cat Banks)—इस शब्द के निमाण का मूल (root) आशय यह है कि जगल बहुत विस्तत होता है और उसमें यदि कोई बिल्ली हो तो उसे तलाश करना अयन्त कठिन काय है।

विभिन्न बैंक अपने अपने नोट निगमित करत थ। अनक बैंका के पास साधन (सोना चादी) तो बहुत हान थ किन्तु नोट बडी मात्रा म निकाल देते थे। किसी बक द्वारा निगमित नाट चलन मे रह यह उस बक की ख्याति (good will) तथा उसकी उन नाटो का धातु (सोना व चादी) म बदलने की शक्ति पर मुख्यत निभर करता था। कुछ अ शो तक नाट निगमन के स्थान एव नोट चलन के क्षेत्र की दूरी पर भी निभर करता था। अनक बक जो नोट-निगमन तो करत थ किंतु उन नोटो को धातु के अभाव म धातु म परिवतन नहीं कर सकत थ, व जान बूझ कर बहुत दूर के स्थान पर, अथवा असुविधाजनक स्थान पर जहा पर मनुष्यो का पहुचना काफी कठिन हो, स्थापित हो जात थ। अब य बक अपन दलालो व एजेंटो के माध्यम म अन्य जिला म इन नोटो को ऋण के रूप म दे दते थे। इस प्रकार ये नोट प्रचलन म आ जात थे। इन बको के सस्थापक जान बूझ कर घन वनो म अपने कार्यालय स्थापित कर लते थ जहा पर जनसाधारण अथवा अन्य बको के दलाल व एजेंट नोटो को धातु म बदलाने के लिए नही पहुच सकें। यदि कोई व्यक्ति परिश्रम करके उस बक के स्थान पर नोटो को धातु म बदलने के लिए किसी प्रकार पहुच भी जाता था तो बक उन्हें धातु म बदलने को टालने का प्रयत्न करते थे तथा कठिनाइया उत्पन्न करते थे। य बक उन नोटो के बदले प्राय छोटी रेजगारी देते थे या अधिक विलम्ब करते थ। अत ऐसे बको को **'वाइल्ड-कट बक'** तथा ऐसे बैंक स्थापित करने वालो को वाइल्ड कटर (wild-catter) कहने लगे।

2 **स्वतन्त्र बकिंग (Free Banking)**—रूट बकिंग के दोषों को दूर करने के लिए सवप्रथम मिशीगन म सन् 1837 म ततपश्चात् न्यूयाक म सन् 1838 म स्वतन्त्र बकिंग कानून' (free banking laws) का निर्माण हुआ। इसके पश्चात अधिकाश अन्य राज्यो न भी इसी प्रकार के कानूनो का निमाण किया। इन कानूनो क अतगत निम्नलिखित बातें प्रमुख थीं—

(i) विशेष लजिस्लटिव एक्ट के द्वारा अब बको का चाटर देना बद कर दिया गया

(ii) कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियो का समूह बैंक स्थापित करने के लिए चाटर प्राप्त कर सकता था यदि व निर्धारित शर्तों का पूरा करते हो। इस प्रकार बकिंग को एक स्वतन्त्र व्यापार' बना दिया गया।

अधिकाश स्वतन्त्र-बक नोट-निगमन पर मुख्यत अधिक ध्यान देते थे। आरम्भ म य बक अच्छी प्रकार काय नहीं कर पाय क्योंकि प्रारम्भिक 5 वर्षों मे 29

स्वतन्त्र बक फेल हो गय जिसक फलस्वरूप सबस अधिक हानि उनकी पत्र मुद्रा धारको को हुई क्योकि उन्हे 1 डालर क बदल म केवल 74 सेंट ही प्राप्त हो सक।

3 **अनाश्रित ट्रेजरी (The Independent Treasury)**—सन् 1837 म एव उसक पश्चात भय का वातावरण फल जान के कारण अनक बक कठिनाई म पड गये अत फडरल सरकार को भी हानि हुई क्योकि इसका धन भी इन बको म जमा था। अत सरकार ने यह उचित समझा कि अपनी आय व व्यय का प्रबन्ध स्वय ही करे।

अत सन् 1840 म 'अनाश्रित–ट्रेजरी–प्रणाली' (Independent Treasury System) स्थापित की गई। प्रशासन म परिवतन हो जान क कारण अगल वष इसक द्वारा काय नही किए गय। सन् 1846 से यह प्रणाली वास्तविक रूप से स्थापित हुई। फडरल सरकार ने स्वय अपने बकर क रूप म काय करना आरम्भ कर दिया। उस समय से यह अपन कोष वाशिंगटन म स्थित ट्रेजरी एव अन्य नगरो म स्थित सब-ट्रेजरियो म रखन लगी। सरकारी भुगतान भी सीधे इन ट्रेजरियो स किये जान लगे। यह स्थिति सन् 1863 तक चलती रही जब कि नशनल बकिंग प्रणाली चालू हुई।

इस प्रणाली स ट्रेजरी व व्यापारिक बको स पारस्परिक सम्पक बहुत ही क्षीण रह गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बको क फेल होन स ट्रेजरी को हानि नही होती थी। इसके अतिरिक्त बको की स्थिति म भी अन्तर आ गया क्योकि अब सरकारी राशिया इनम जमा नही होती थी।

सुविधा क लिए नशनल बकिंग प्रणाली का वणन आग क अध्याय म करग।

2

नैशनल बैंकिंग प्रणाली

सन् 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह-युद्ध (civil war) के समय वहाँ व्यापारिक-बैंकिंग की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक थी। उस समय 1,500 से भी अधिक बैंक अपने अपने नोट निकालते थे। अनेक बैंकों के नोट अंकित मूल्य से भी कम मूल्य पर चलते थे स्वर्ण कोषों की कमी थी कोई केन्द्रीय वित्तीय संस्था नहीं थी जो कि संकट के समय सहायता कर सके तथा साधारण समय में पथ-प्रदर्शन कर सके। इस युद्ध के पूर्व यह भलीभाँति स्पष्ट हो गया था कि देश की सम्पूर्ण व्यापारिक बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन और अधिक दिनों तक स्थगित नहीं किया जा सकता।

योजना का निर्माण—राष्ट्रपति लिंकन (Lincoln) के समय सालमन चेज (Salmon Chase) ट्रेजरी के सचिव थे। उन्होंने शीघ्र ही नैशनल बैंकिंग प्रणाली प्रारम्भ करनी चाही। यह प्रणाली उन दो बैंक आफ द यूनाइटेड स्टेट्स की भाँति एकल प्रणाली की भाँति नहीं थी। इस प्रणाली के अन्तर्गत अनेक इकाई बैंकों को राज्यों के द्वारा प्रदान किए गये चार्टर के अन्तर्गत काम नहीं करना था वरन् **फेडरल चार्टर के अन्तर्गत काम करना था।**

सालमन का विश्वास था कि इस प्रकार के बैंकों की पत्र-मुद्रा अधिक अच्छी होगी और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार की जा सकेगी और इसके फलस्वरूप स्टेट-बैंकों द्वारा निर्गमित नोट क्रमशः बंद हो जायेंगे।

नैशनल बैंकिंग एक्ट का पास होना—सालमन चेज ने काँग्रेस के समक्ष सन् 1861 में प्रस्ताव प्रस्तुत किए किंतु इन पर कोई कार्य नहीं किया गया। पुनः सन् 1862 में इस सम्बन्ध में एक बिल सदन (House) में रखा गया किंतु वह पारित नहीं हो सका। यद्यपि राष्ट्रपति लिंकन ने दिसम्बर 1862 में काँग्रेस को दिए गये अपने सन्देश में सालमन चेज की योजना को स्वीकार कर लेने की सिफारिश की किंतु जनवरी 1863 में जब यह बिल सदन में फिर रखा गया तो फिर पारित नहीं हो सका।

इसके पश्चात् प्रशासन ने सीनेट से सहायता के प्रयत्न किए। सीनेट ने मतों के बहुत कम अन्तर (by a narrow margin) से इस बिल[1] को पास कर दिया। इसके पश्चात् सदन ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी। इस पर राष्ट्रपति लिंकन ने 25 फरवरी 1863 को हस्ताक्षर कर दिए।

---

1 An Act to provide a National Currency secured by a Pledge of United States Stocks and to provide for the Circulation and Redemption thereof

यह एक्ट पर्याप्त दोषपूर्ण था अत स्थापित होने वाले नेशनल बैंकों की संख्या बहुत कम थी। उन्हें कार्य करने में भी अत्यन्त कठिनाई आई। अत 3 जून 1864 को एक नया नेशनल बैंकिंग एक्ट पास किया गया जिसने 1863 वाले एक्ट को निरस्त कर दिया एवं उसके दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान नेशनल बैंकिंग प्रणाली का वैधानिक आधार सन् 1864 का एक्ट है। गृह युद्ध व प्रथम विश्व-युद्ध के पूर्व के काल (1861–1913) में लगभग आधी शताब्दी तक नेशनल बैंकिंग प्रणाली एक आधुनिक केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली के स्थानापन्न (substitute) के रूप में कार्य करती रही। इस प्रणाली ने केन्द्रीय-बैंक की स्थापना नहीं की। इन नेशनल बैंकों के सम्बन्ध में ठीक ही कहा जाता है कि वे व्यापारिक बैंक थे जो बिना नेता के थे—एक ऑरकेस्ट्रा था जो बिना निर्देशक के था (They were commercial banks without a leader—an orchestra without a conductor)

नेशनल बैंकों की स्थापना एवं नेशनल बैंकिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान

बैंकिंग एकाधिकार के दोषों के कारण इसके विरोध एवं सबको समान अधिकार के सिद्धान्त पर स्वतन्त्र-बैंकिंग के पक्ष में मजबूत विचारधारा बन गई। इसके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र बैंकिंग कानूनों का निर्माण होने लगा जिसका आरम्भ सन् 1837 में मिशीगन में हुआ। इन कानूनों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह जो न्यूनतम वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो उसे चार्टर प्राप्त करने का अधिकार था। एक निर्धारित कार्यविधि एवं औपचारिकताएं पूरी होने के पश्चात् राज्य के निश्चित अधिकारी को नए बैंक को चार्टर प्रदान करने का अधिकार था। इन अधिकारियों को इतने कम निर्णायक अधिकार थे कि यदि आवेदनकर्ता ने समस्त कानूनी प्रावधानों का पालन कर लिया है तो यह अधिकारी चार्टर देने से इन्कार नहीं कर सकता था।

बैंक की स्थापना—इस एक्ट के अन्तर्गत 5 अथवा अधिक व्यक्तियों का कोई समूह, फेडरल चार्टर के अन्तर्गत, कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने पर सिद्धान्त में (theoritically) नेशनल बैंक स्थापित करने का अधिकारी है। किन्तु वर्तमान समय में व्यवहार में नये व्यापारिक बैंक को स्थापित होने के लिए फेडरल सरकार से चार्टर प्राप्त करना बहुत कठिन कार्य है।

आवेदन-पत्र देना—जो व्यक्ति नेशनल बैंक स्थापित करना चाहते हैं उनके लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम वे बैंक संगठित करने के लिए आवेदन-पत्र दें। यह आवेदन-पत्र मुद्रित होता है और कम्पट्रोलर आफ करेन्सी के कार्यालय से प्राप्त किया जाता है। इस आवेदन पत्र पर कम से कम 5 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। ये व्यक्ति चाहें तो भावी अंशधारी हो सकते हैं। यदि प्रस्तावित अधिकारियों अथवा प्रस्तावित संचालकों के द्वारा हस्ताक्षरित हो तो अधिक उपयुक्त होता है। हस्ताक्षर-कर्ताओं द्वारा इस आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त अपने निवास

स्थान व्यापारिक हित, व्यक्तिगत सम्पत्ति, उनके बैंकिंग अनुभव और उनके द्वारा लिये जाने वाले अंशों से सम्बन्धित सूचनायें भी होनी हैं।

एक इस आशय के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं कि प्रस्तावित बैंक के स्टॉक्स से विक्रय के लिए कोई शुल्क अथवा कमीशन न तो दिया गया है और न दिया जावेगा। आवेदन-पत्र में यह भी स्पष्ट करना पड़ता है कि प्रस्तावित बैंक का भवन क्रय किया जावेगा अथवा नया बनवाया जावेगा एवं उसका मूल्य। यदि भवन किराये पर लिया जावेगा तो उसका किराया कितना दिया जावेगा।

नेशनल बैंकों को चार्टर देने का अधिकारी—सरकार के ट्रेजरी विभाग में एक नया पद '**करेंसी का नियंत्रक**' (Comptroller of Currency) नेशनल बैंकिंग एक्ट के अन्तर्गत बनाया गया। **कम्पट्रोलर की नियुक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं।** यह कम्पट्रोलर ट्रेजरी के सचिव के सामान्य निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करता है। कम्पट्रोलर के दो प्रमुख कार्य हैं–प्रथम, समस्त औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बाद नेशनल बैंकों को चार्टर प्रदान करना और द्वितीय यह देखना कि नेशनल बैंकों से सम्बन्धित कानूनों का ठीक पालन हो रहा है।

जांच एवं चार्टर प्रदान करना—नेशनल बैंकिंग एक्ट के अनुसार जब नेशनल बैंक की स्थापना के लिए आवेदन-पत्र आ जाता है तो एक निरीक्षक उस प्रस्ताव की जांच करता है। इसके लिए एक ओर तो वह प्रस्तावित बैंक के संस्थापकों एवं प्रस्तावित अधिकारियों और दूसरी ओर विद्यमान बैंकों के अधिकारियों, प्रमुख व्यापारियों व व्यापारिक संस्थाओं के अधिकारियों आदि से साक्षात्कार करके प्रस्तावित बैंक की सफलता की सम्भावनाओं पर विचार करता है। कभी कभी वह इस कार्य के लिए सार्वजनिक बैठकें भी करते हैं जिसमें प्रत्येक उपस्थित व्यक्ति को अधिकार है कि प्रस्तावित नेशनल बैंक की स्थापना के पक्ष व विपक्ष में अपने विचार प्रकट करे। इसके पश्चात् वह निरीक्षक उस बैंक की स्थापना के पक्ष अथवा विपक्ष में अपनी सिफारिश करता है।

यह उल्लेखनीय है कि निरीक्षक की रिपोर्ट पर साधारणतः निर्भर नहीं रहता है कि उस बैंक को चार्टर प्रदान किया जावे अथवा नहीं। कम्पट्रोलर और सूचनाएं एकत्रित करता है और उस क्षेत्र के फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल निक्षेप बीमा निगम (FDIC) अपने कर्मचारियों में से नियुक्त विशेषज्ञों एवं अन्य स्रोतों से परामर्श करता है। यदि कम्पट्रोलर इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि नये बैंक की आवश्यकता वास्तव में है और वह बैंक सफल हो सकेगा तो बैंक के संस्थापकों को इस सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित कर दिया जाता है ताकि वे बैंकों की स्थापना पूंजी के लिए स्टॉक्स के निर्गमन सम्बन्धी कार्य आरम्भ कर सकें।

नेशनल बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वह फेडरल रिजर्व बैंक प्रणाली का सदस्य हो अतः अपने क्षेत्र के रिजर्व बैंक को उसके स्टॉक क्रय करने के लिये आवेदन करना पड़ता है और वास्तविक रूप से कार्य करने के पूर्व स्टॉक्स क्रय करके उनका मूल्य देना पड़ता है।

अन्त में जब कम्पट्रोलर ग्राफ करंसी सन्तुष्ट हो जाता है कि समस्त वैधानिक व आवश्यक कार्यवाहियाँ पूरी हो गई हैं तो वह व्यापार आरम्भ करने का प्रमाण पत्र (certificate of authority to commence business) प्रदान कर देता है। यह आवश्यक है कि इस प्रमाण पत्र को 60 दिनों तक किसी स्थानीय समाचार पत्र में रोजाना अथवा प्रति सप्ताह प्रकाशित करना आवश्यक है। इस अवधि में बैंक अपना कार्य आरम्भ कर सकता है।

न्यूनतम पूंजी—सुदृढ़ बैंकिंग ढांचे व बैंक की सुरक्षा की दृष्टि से पूंजी के सम्बन्ध में अनेक प्रावधान किये गये हैं। जिस नगर में नेशनल बैंक को स्थापित होना है वहां की जनसंख्या को आधार मान कर इसकी न्यूनतम पूंजी निर्धारित की जाती है जो एक्ट के अनुसार निम्नलिखित है—

नगर की जनसंख्या	न्यूनतम पूंजी
6 हजार तक जनसंख्या वाले नगरों में	50 हजार डालर
6 हजार से 50 हजार तक जनसंख्या वाले नगरों में	1 लाख डालर
50 हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में	2 लाख डालर

इस सम्बन्ध में प्रमुख बातें ये हैं—

1. नेशनल बैंकों की स्टाक पूंजी 100–100 डालर के अंशों में अधिक मूल्य के नहीं होने चाहिए।
2. बैंक द्वारा व्यापार आरम्भ करने के पूर्व प्रार्थित पूंजी (subscribed capital) के कम से कम 50 भाग (अर्थात् आधी) का भुगतान नगद में हो जाना चाहिये शेष आधी पूंजी का भुगतान 5 महीनों के भीतर हो जाना चाहिए।
3. अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 10 भाग एक रिजर्व कोष में डालते रहना जबतक कि वह कोष पूंजी के 20 के बराबर न हो जावे। दूसरे शब्दों में पूंजी के कम से कम $\frac{1}{5}$ भाग के बराबर रिजर्व कोष होना चाहिए।
4. नये स्थापित होने वाले नेशनल बैंकों को अपने अंशों को इस प्रकार प्रीमियम पर विक्रय करना आवश्यक है कि व्यापार आरम्भ करने से पूर्व ही एक आधिक्य (surplus) कोष का निर्माण हो जावे जो उसकी पूंजी का कम से कम 20 हो। इसका उद्देश्य यह है कि इस कोष में से बैंक को स्थापित करने सम्बन्धी संगठन व्यय एवं प्रथम व दूसरे वर्ष यदि बैंक को हानि हो तो उसकी पूर्ति की जा सके। यह नया प्रावधान है।
5. दूसरा नया प्रावधान यह है कि समस्त नेशनल बैंक अपने शुद्ध लाभ का कम से कम 10 प्रतिशत रिजर्व कोष में उस समय तक डालते रहेंगे जब तक कि वह कोष पूंजी के बराबर न हो जावे।

सचालक मंडल—नेशनल बैंकिंग एक्ट ने नेशनल बैंक के सचालक-मण्डल में सचालकों की न्यूनतम व अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी है। सचालक मण्डल में कम से कम 5 सचालक व अधिक से अधिक 25 सचालक हो सकते हैं। सचालक

होने के लिए कम से कम 1 000 डालर के स्टॉक उस व्यक्ति के पास स्वय के नाम होना आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक ही नशनल बैंक के सचालक हो सकते हैं। कोई विदेशी बक का सचालक नहीं हो सकता। सचालकों मे कम से कम 75 ऐसे हो जो चुनाव म कम से कम एक वर्ष पूर्व से उस राज्य, क्षेत्र अथवा जिले म, जहाँ वह बैंक स्थित है रहते हो, अथवा बैंक के प्रधान कार्यालय स 50 मील के क्षेत्र म रहते हो।

ऋणों पर प्रतिबंध—सुरक्षा व तरलता को ध्यान म रखते हुए, बैंक की सम्पत्ति (assets) के सम्बंध मे अनेक प्रतिबंध लगा दिये हैं। भूमि, भवन, जायदाद एव बैंक के स्वय के स्टॉक्स (stocks) की प्रतिभूति पर नशनल बैंक द्वारा ऋण देना निषेध है। इसके अतिरिक्त नशनल बैंक की पूजी की 10 प्रतिशत राशि से अधिक मात्रा का राशि किसी एक ऋण लेने वाले को नहीं दी जा सकती

निरीक्षण—नशनल बको पर कम्पट्रोलर ऑफ करसी का नियत्रण रहता है। वह सभी नशनल बैंको के नियतकालिक प्रतिवेदन मागता है व उनका परीक्षण करता है। उसके कर्मचारी प्रत्येक नशनल बैंक का वार्षिक परीक्षण (examination) करते हैं।

पत्र मुद्रा की सुरक्षा—स्टेट बैंको द्वारा निर्गमित पत्र मुद्रा के कटु अनुभवों का ध्यान म रखते हुए नशनल बैंकिंग एक्ट के निर्माताओं ने यह दृढ निश्चय किया कि नशनल बैंको की पत्र मुद्रा पूर्ण तया सुरक्षित हो अत इस सबंध म निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किए गये—

(1) कम्पट्रोलर ऑफ करसी के पास नशनल बैंको द्वारा जमा कराए गये सयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के बॉडो के आधार पर नोट निर्गमन किए जा सकते थ। जमा कराए गये बॉडो के 90 प्रतिशत **सम मूल्य (par value) अथवा 90 प्रतिशत बाजार मूल्य**—जो भी इसम कम हो—के बराबर मूल्य की पत्र मुद्रा निर्गमित की जा सकती थी।

(2) पत्र मुद्रा निर्गमित करने वाले बैंक की जितनी राशि की पत्र मुद्रा वास्तविक चलन मे हो, उसके कम से कम 5 प्रतिशत के बराबर एक विमोचन-कोष (redumption fund) कम्पट्रोलर ऑफ करसी के पास रखना आवश्यक था।

(3) किसी नशनल बैंक द्वारा अपनी पत्र मुद्रा को धातु म बदलने से इन्कार कर देने की दशा म कम्पट्रोलर उस बैंक द्वारा रखे गये बॉन्ड का विक्रय करके पत्र-मुद्रा धारको को भुगतान कर सकता था।

(4) कोई भी नशनल बक अपनी पूजी से अधिक मात्रा म पत्र मुद्रा का निर्गमन नहीं कर सकता था।

(5) यह भी प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक नशनल बैंक एक दूसरे की पत्र मुद्रा को सम मूल्य पर स्वीकार करेगा।

इस प्रकार कहना पड़ेगा कि नशनल बैंकिंग प्रणाली ने सयुक्त राज्य अमेरिका म पत्र मुद्रा की स्थिति को पर्याप्त सुदृढ बनाया व जनसाधारण म इसके प्रति विश्वास जागृत किया। किन्तु इस प्रणाली म लोच का अभाव था क्योंकि पत्र मुद्रा निर्गमन आधार था—सरकारी बॉड-जिनका क्रय विक्रय व विमोचन, सरकार के हाथ म था।

3

व्यापारिक बैंकों के स्वरूप

[स्टेट बैंक व नेशनल बैंक]

संयुक्त राज्य अमरिका की बैंकिंग प्रणाली अन्य देशों से पृथक है। इसमें एक केन्द्रीय बैंक नहीं है, वरन् 11 केन्द्रीय बैंक (Federal Reserve Banks) हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक बैंकों को दो वर्गों में रखा जा सकता है—

1 स्टेट बैंक—(i) सदस्य बैंक और (ii) गैर सदस्य बैंक

2 नेशनल बैंक

1 स्टेट बैंक (State Banks)

संयुक्त राज्य अमरिका में 50 राज्य (states) हैं। स्टेट बैंक वे कहलाते हैं जो कि किसी राज्य (state) से चार्टर प्राप्त करके स्थापित होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र मुख्यतः वह राज्य ही होता, जहां से उनको चार्टर प्राप्त होता है। सभी स्टेट बैंकों की पूंजी प्राप्त सुविधायें व प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, रिजर्व कोष का प्रतिशत आदि समान नहीं हैं वरन् अलग अलग राज्यों में दिए गए चार्टर के अनुसार हैं।

नेशनल बैंकिंग एक्ट के सन 1865 के संशोधन के अनुसार यह प्रावधान कर दिया गया कि यदि स्टेट बैंक चाहे तो नेशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकता है और साथ ही यह सुविधा दी गई कि वह अपनी विद्यमान शाखाओं को रख सकता है, उन्हें बन्द करने की आवश्यकता नहीं। इन संशोधन के परिणामस्वरूप अनेक स्टेट बैंक नेशनल बैंकों के रूपों में बदल गये।

स्टेट बैंकों का वर्गीकरण—संयुक्त राज्य अमरिका में फैडरल रिजर्व एक्ट दिसम्बर 1913 में पास हुआ और फैडरल बैंकिंग प्रणाली सन् 1914 से क्रियाशील हुई। नेशनल बैंकों के लिए तो फैडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य होना अनिवार्य है किन्तु स्टेट बैंकों के लिए यह ऐच्छिक है कि वे इस प्रणाली के सदस्य बनें अथवा नहीं। इस दृष्टिकोण से वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक दो वर्गों में विभाजित हैं—

(1) **सदस्य बैंक (Member Banks)**—वे स्टेट बैंक जो फैडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य हैं, इस वर्ग में आते हैं। नेशनल बैंक अनिवार्य रूप से इस प्रणाली के सदस्य हैं ही। सदस्य बैंक फैडरल रिजर्व प्रणाली से शासित होते हैं।

(2) **गैर-सदस्य बैंक**—इस वर्ग में वे स्टेट बैंक हैं जो फैडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं हैं।

सदस्य बैंकों को लाभ

प्रथम युद्ध काल मे अनेक स्टेट बैंक केवल देश भक्ति के कर्त्तव्य (patriotic duty) के कारण ही फैडरल रिजर्व प्रणाली में सदस्य बन गए। देश के समस्त स्टेट बैंको को फैडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य बनने के पक्ष में प्राय निम्नलिखित तर्क दिए जाते रहे हैं—

1 **कोषों की उपलब्धता**—मौसमी अल्पकालीन अथवा आपातकालीन समय पर फैडरल रिजर्व बैंको से आवश्यक मात्रा मे राशि उपलब्ध हो सकती है। इससे स्वय उन बैंको की सुरक्षा, तरलता व उपयोगिता में वृद्धि होगी। फैडरल रिजर्व बैंक केन्द्रीय बैंक होने के कारण उस समय ऋण दे सकता है जबकि अन्य सभी स्रोत बन्द हो गये हो।

2 **बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता**—यदि समस्त स्टेट-बैंक फैडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य हो जाते हैं तो देश की बैंकिंग व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो जायगी। इस प्रकार राष्ट्रीय हित मे यह वाछनीय है कि समस्त स्टेट बैंक इसके सदस्य हो जावें।

3 **साख-नियन्त्रण मे सुविधा**—सभी स्टेट बैंको के सदस्य हो जाने पर रिजर्व रखने में सम्बंधित सभी नियमों में एकरूपता आ जावेगी। इससे फैडरल रिजर्व अधिकारियों के साख नियन्त्रण के सम्बन्ध में हाथ मजबूत होगे।

4 **अनेक नि शुल्क सेवाएं**—सदस्य-बैंको के चैकों का समाशोधन(clearing) नि शुल्क किया जाता है। प्रतिज्ञा-पत्र, विनिमय विपत्र, ड्राफ्ट व इसी प्रकार के परिपक्व होने वाले पत्रों का एकत्रिकरण प्राय नि शुल्क किया जाता है। फैडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंको के आग्रह पर उनकी इच्छानुसार पत्र मुद्रा व सिक्कों के बण्डल (packages) बना कर उनके पास नि शुल्क भेज देते हैं। पैकिंग जहाज पर लादने का व्यय व अन्य सम्बंधित व्यय स्वय फैडरल बैंक ही वहन करते हैं। यदि सदस्य बैंक धन को फैडरल बैंको के पास भेजते हैं तो उसका भी व्यय फैडरल बैंक ही वहन करते हैं।

5 **धन का शीघ्र स्थानान्तरण**—सदस्य बैंक देश के किसी भी भाग में इन फैडरल बैंकों की सहायता से अतिशीघ्रता से तार अथवा डाक द्वारा कितनी ही राशि का स्थानान्तरण सुविधापूर्वक कर सकते हैं।

6 **नीची ब्याज दर पर ऋण**—सदस्य बैंको को सामान्य परिस्थितियों में यदि ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है तो फैडरल रिजर्व बैंक उनको ऋण देते हैं। इन ऋणों पर ब्याज की दर नीची होती है।

7 **परामर्श की सुविधा**—सदस्य बैंक यदि चाहें तो अपने विनियोग एवं अन्य विषयों में फैडरल बैंकों से परामर्श ले सकते हैं। ये परामर्श चाहे बैंकिंग व्यवसाय से सम्बंधित हो, वैधानिक स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में हो अथवा बैंक की व्यावहारिक

कार्यप्रणाली से सम्बन्ध में हो—फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा अपने सदस्यों को शीघ्रता से परामर्श दिया जाता है।

8 सुरक्षित विनियोग—सदस्य बनने से पूर्व अपने क्षेत्र के फेडरल रिजर्व बैंक के स्टाक्स खरीदना आवश्यक है जिस पर 6% ब्याज दिया जाता है। यह आय का प्रतिशत पर्याप्त ऊँचा भी है और पर्याप्त सुरक्षित भी।

9 प्रतिस्पर्धा में सुविधा—सदस्य बैंकों को गैर-सदस्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने में विशेष सुविधा रहती है। बैंकों का फेडरल रिजर्व बैंक प्रणाली का सदस्य होना स्वयं में गौरव की बात है। ग्राहकों पर भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ता है कि वे प्रायः सोचते हैं कि सदस्यों से बैंकिंग व्यवहार करना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। भारत में भी लगभग यही स्थिति है। साधारणतः लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य बैंकों (scheduled banks) से ही व्यवहार करना अधिक पसन्द करते हैं।

समस्त स्टेट बैंक सदस्य क्यों नहीं हैं?—यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि स्टेट बैंकों को फेडरल बैंकिंग प्रणाली के सदस्य होने से अनेक लाभ हैं किन्तु फिर भी ये लाभ सभी स्टेट बैंकों को आकर्षित नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ आज भी अनेक स्टेट बैंक ऐसे हैं जिन्होंने पहले तो फेडरल रिजर्व प्रणाली की सहायता ले ली किन्तु बाद में अपनी सदस्यता वापिस ले ली। इन सबके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1 अधिक लाभप्रद ढंग से कार्य—समस्त स्टेट बैंकों का इस प्रणाली के सदस्य न बनना अथवा अपनी सदस्यता रद्द करने का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि ऐसे बैंक यह अनुभव करते हैं कि वे इस प्रणाली के बाहर रहकर अधिक लाभप्रद ढंग से कार्य कर सकते हैं।

2 सेवा शुल्क—गैर सदस्य बैंक अपने ऊपर खींचे गये ग्राहकों के चैकों की राशि में से एकत्रित करने का शुल्क (collection charges) काट लेते हैं। इस साधन से बैंक को अच्छी आय हो जाती है। फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्यों को यह सेवा निःशुल्क करनी होती है। अतः अनेक छोटे स्टेट बैंक अपनी आय के इस साधन को सुरक्षित रखने के लिए फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं बने।

3 पूँजी से सम्बन्धित आवश्यकताएँ—फेडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य बनने के लिए बैंक को न्यूनतम पूँजी का प्रावधान पूरा करना आवश्यक है। छोटे स्टेट बैंकों को यह शर्त पूरी करने में कठिनाई होती थी अतः उन्हें सदस्य न बनना ही अधिक सुविधाजनक था।

4 रिजर्व सबंधी आवश्यकताएँ—भिन्न भिन्न राज्यों में बैंकों के लिए रिजर्व की मात्रा भिन्न भिन्न है जो कि प्रायः फेडरल रिजर्व प्रणाली के अंतर्गत रखी जाने वाली रिजर्व राशि से कम होती है। इलिनाय (Illinois) राज्य में स्टेट बैंकों को कानूनी तौर पर रिजर्व रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः अनेक बैंक अपने धन का इस कोष में बंधा हुआ रखना नहीं चाहते।

5 रिजव का लाभप्रद विनियोग—कुछ राज्यो म स्टेट बका को यह सुविधा भी है कि यदि वे चाह तो अपने सुरक्षित कोष को ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूतियो म विनियोग कर सकते हैं एव नकद राशि रखना अनिवाय नही है। इस प्रकार ऐसे स्टेट बक अपने सुरक्षित कोष पर भी लाभ (ब्याज) कमा लेते हैं जबकि सदस्य बैंको का यह सुविधा नही है।

6 अनेक प्रतिबध—फडरल रिजव प्रणाली के सदस्य बको को काय प्रणाली पर अनेक प्रतिबधो व नियमना (regulations) का पालन करना पडता है। इन स्टेट बको को उनका अनुभव नही है अत उन बधना व नियमनो से वे मुक्त रहना पसन्द करते हैं।

7 सदस्य बकों की भाति अनेक सुविधाए उपलब्ध होना—जिस प्रकार से कि फडरल प्रणाली के सदस्य कुछ सुविधाए प्राप्त करते हैं, ऐसी अनक बकिंग सुविधाए गर सदस्य बको को भी उपलब्ध है। उदाहरण क लिए गर सदस्य बैंक फडरल रिजव बैंक के पास एक निश्चित राशि निक्षेप के रूप म रख कर, समाशोधन व चक एकत्रीकरण की सुविधाए प्राप्त कर सकते हैं।

8 ऋण की प्राप्ति—गर सदस्य बैंक, फडरल रिजव बक से सदस्य बैंको की भाति ऋण प्राप्त कर सकत है। किन्तु ऐस ऋणा पर गर सदस्य बका को सदस्य बको की अपेक्षा 1 प्रतिशत अधिक ब्याज दर देनी होती है।

9 प्रतिनिधि बको से सुविधाए—स्टेट बका का अनेक सुविधाए प्रतिनिधि-बका[1] (correspondent banks) से उपलब्ध हो जाती हैं, अत इन सुविधाओ के लिए फडरल प्रणाली का सदस्य न होना अखरता नहीं है। उदाहरण के लिए स्टेट बक इन प्रतिनिधि बका से प्राय प्रचलित सामान्य दरा पर ही ऋण प्राप्त कर लेते हैं। य स्टेट बक बकिंग सबधी ■ य सेवाओ के लिए प्रतिनिधि बको पर अधिक निभर रह सकते हैं, जस तार द्वारा धन का हस्तान्तरण सुरक्षित रखने के लिए प्रतिभूतिया को लेना तथा ■ य सेवाओ व परामश प्राप्त करना। व्यवहार मे देखा गया है कि फडरल बका की अपेक्षा य प्रतिनिधि बक अधिक व विविध प्रकार की सेवाए प्रदान करते हैं। इतना ही नही कुछ गर सदस्य बकों की तो यह धारणा है कि फडरल बैंको की अपेक्षा इन प्रतिनिधि बका की सेवाए अधिक उत्तम हैं।

फडरल रिजव प्रणाली के गवनर मण्डल न एक रिपोट प्रकाशित की थी, जिसम उन्होंने स्टेट बका क फडरल रिजव प्रणाली के सदस्य न बनने के कुछ कारण और भी बतलाए हैं, जिनम प्रमुख अग्रांकित हैं।

1 A correspondent bank is a bank which acts as a clearing agent for another which is not a member of the country s clearing system Sometimes the term is also used of a foreign agent of a bank in a town where the bank itself has no foreign branch of its own In an extensive country like the U S A where there is only a limited amount of branch banking correspondent banks play a more important role in banking than they do in Great Britain or India

1 निरीक्षण व परीक्षण पसद नहीं—यदि कोई स्टेट बैंक फैडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य हो जाता है तो उस पर दोहरा नियत्रण हो जाता है—एक ओर तो स्टेट बैंकों के चार्टर का एव दूसरी ओर फैडरल बैंक के नियमो का निरीक्षण व परीक्षण। इस दोहरे नियत्रण को अनेक स्टेट बैंक पसन्द नहीं करते।

2 अधिक कठोरता—अनेक बैंको को विश्वास है कि फैडरल रिजर्व प्रणाली के निरीक्षक निरीक्षण करने मे अपेक्षाकृत अधिक कठोर है एव आलोचना भी अधिक कठोरता से करते हैं। स्टेट बैंको को यह पसद नही है।

3 शाखा बैंकिंग को प्रोत्साहन—स्टेट बैंको का मत है कि फैडरल रिजर्व प्रणाली शाखा बैंकिंग को प्रोत्साहित करती है। स्टेट बैंक शाखा बैंकिंग विकास की नीति के विरुद्ध है।

4 असुविधा व लाल फीताशाही—स्टेट बैंको की एक धारणा यह भी है कि फैडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता स्वीकार कर लेने का प्रभाव यह होगा कि उनको असुविधाओं व लाल फीताशाही का सामना करना पडेगा क्योंकि अनेक विवरण पत्र (statements), रिपोर्ट एव अन्य औपचारिकताए पूरी करनी पडगी।

अत म कहा जा सकता है कि छोटे स्टेट-बैंको को फैडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य होने म विशेष लाभ नही है। बैंकिंग पर परामर्शदात्री समिति 1962 की रिपोर्ट (report of the Advisory Committee on Banking 1962) ने तो यहा तक सिफारिश कर दी कि नेशनल बैंको के लिए भी फैडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता ऐच्छिक कर देनी चाहिए। यह ध्यान रहे कि नेशनल बैंको के लिए फैडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता अनिवार्य है।

2 नेशनल बैंक
(National Banks)

नेशनल बैंक वे हैं जो सयुक्त राज्य अमरिका की सघीय सरकार (federal govt) से नेशनल बैंकिंग एक्ट के अन्तर्गत चार्टर प्राप्त करके स्थापित हुए हैं। यह ध्यान रहे कि स्टेट बैंक किसी राज्य (state) से चार्टर प्राप्त करके स्थापित होते हैं। सयुक्त राज्य अमरिका म 50 राज्य (states) हैं और पृथक पृथक राज्य म भिन्न भिन्न बैंकिंग नियम हैं जिनके अन्तर्गत स्टेट बैंको को चार्टर प्रदान किया जाता है। अत विभिन्न स्टेट बैंको के चार्टर भी भिन्न हैं। दूसरी ओर सयुक्त राज्य अमरिका एव सघात्मक सरकार (federal country) है अत एक सघीय-सरकार (federal govt) है। नेशनल बैंक इस सघीय सरकार से चार्टर प्राप्त करके स्थापित होते हैं अत देश के सभी [illegible] के चार्टर समान हैं।

फॉरगो बैंक ग्राफ सेन फ्रासिसको ने (Wells Fargo Bank of San Francisco) जो कि कलिफोर्निया राज्य का सबसे पुराना स्टेट बंक था, नशनल बंक के रूप में अपना स्तर बदल लिया। पहले यह स्टेट बंक था।

स्टेट बंको का विकास[1] (1837–1862) स्टेट व नशनल बंक[2]

वर्ष	संख्या	वर्ष	स्टेट बंक	नेशनल बंक
1837	788	1864	1 089	467
1840	901	1880	650	2,076
1845	707	1900	5 007	3 731
1850	824	1914	17,992	7,518
1855	1 307	1929	17 583	7 530
1860	1 562	1941	9,175	5 130
1862	1 492	1962	8,924	4 505
		1969	1,262	4 716

बंकों पर नियंत्रण
(Banking Supervision)

यहां यह स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापारिक-बंकों पर किसका अथवा किनका नियंत्रण है? यह अग्रलिखित पंक्तियों में स्पष्ट होगा—

1 नशनल बंक (i) समस्त नशनल बंकों पर कम्पट्रोलर ग्राफ करसी का मुख्य नियंत्रण रहता है। यह ध्यान रहे कि नशनल बंकों को चार्टर प्रदान करने वाला अधिकारी भी कम्पट्रोलर ऑफ करसी ही होता है।

(ii) समस्त नशनल बंकों का फडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य होना अनिवार्य है अत इस प्रणाली के गवनर मंडल के नियमों व नियमनों (rules and regulations) का पालन करना आवश्यक है।

(iii) इन बंकों को अपने निक्षेपों का बीमा फडरल निक्षेप बीमा निगम (F D I C) में कराना पड़ता है अत इस निगम के अन्तर्गत भी ये बंक आते हैं।

2 स्टेट बंक (i) समस्त स्टेट बैंक चाहे वे फडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य हों अथवा न हों सबंधित स्टेट बंकिंग अधिकारियों के नियंत्रण में रहते हैं।

1 Bureau of Census Historical Statistics of the United States (1949) p 263
2 Board of Governors of the Federal Reserve System Banking & Monetary Statistics (1943) p 16 and 56th Annual Report 1969 p 331

(ii) जो स्टेट बैंक फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य (member banks) हैं इन्हें इस प्रणाली के नियम व नियमनों का पालन भी करना पड़ता है।

(iii) जो स्टेट बैंक फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं (non-members banks) हैं वे केवल सबंधित स्टेट बैंकिंग अधिकारियों के नियन्त्रण में रहते हैं।

(iv) फेडरल रिजर्व प्रणाली के समस्त सदस्य स्टेट बैंक फेडरल निक्षेप बीमा निगम (F D I C) के भी सदस्य होते हैं अतः इस निगम के नियन्त्रण क्षेत्र में भी ये बैंक आते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे स्टेट बैंक जो फेडरल रिजर्व प्रणाली के तो सदस्य नहीं हैं किंतु यदि वे चाहें तो F D I C के सदस्य हो सकते हैं ऐसी दशा में वे F D I C के नियन्त्रण क्षेत्र में भी आ जाते हैं।

अति स्थूल रूप से कहा जा सकता है कि समस्त नेशनल बैंकों पर कम्पट्रोलर आफ करेंसी का, सदस्य स्टेट बैंकों पर स्टेट बैंकिंग अधिकारियों का प्रमुख व फेडरल रिजर्व प्रणाली का गौण और गैर सदस्य बैंकों पर स्टेट बैंकिंग अधिकारियों का नियन्त्रण रहता है।

भिन्न नियन्त्रक अधिकारियों (supervisory authorities) के नियन्त्रण का क्षेत्र क्या है ? यह निम्न तालिका से स्पष्ट है—

नियन्त्रक-अधिकारियों की शक्तियों का वितरण[1]

निम्नलिखित से सम्बन्धित शक्तियाँ (Powers Concerning)	नेशनल बैंक	स्टेट सदस्य बैंक	स्टेट गैर सदस्य (बीमित बैंक)	स्टेट गैर सदस्य (अबीमित बैंक)
1 चार्टरों का निर्गमन	C C	State	State	State
2 नेशनल बैंकों का विलय (Merger)	C C	—	—	—
3 स्टेट बैंकों का विलय	—	State FR	State FIDC	State
4 शाखाओं की स्थापना	C C	State FR	State FDIC	State
5 शाखा का स्थानान्तरण	C C	State	State FDIC	State

1 यहाँ Supervision का हिंदी अनुवाद पर्यवेक्षण न करके 'नियन्त्रण' किया है।
CC = Comptroller of Currency
FR = Board of Governors of Federal Reserve System
FDIC = Federal Deposit Insurance Corporation
State = State Supervisory Authorities

निम्नलिखित से सम्बन्धित शक्तियां (Powers Concerning)	नेशनल बैंक	स्टेट सदस्य बैंक	स्टेट गैर सदस्य (बीमित बैंक)	स्टेट गैर सदस्य (अबीमित बैंक)
6 फेडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता	C C	F R	—	—
7 निरीक्षण (Examinations)	C C F R	State F R	State FDIC	State
8 शर्तें व प्रतिवेदन	C C	State F R	State FDIC	State
9 आवश्यक रिजर्व	F R	State F R	State	State
10 ऋण नियमन	C C F R	State F R	State	State
11 विनियोग नियमन	C C F R	State C C F R	State	State
12 समय निक्षेप पर ब्याज	F R	State F R	State FDIC	State
13 सुरक्षित ऋणों पर मार्जिन	F R	F R	F R	F R

4

व्यापारिक बैंको के स्वरूप (प्रथम)

[इकाई बैंकिंग व शाखा बैंकिंग]

बडे पैमाने के उद्योगो एव व्यवसायो के समानान्तर ही बडे पमाने पर बैंकिंग विकास होता है। बडे पमाने पर बैंकिंग के निम्नलिखित स्वरूप हो सकते है—

(1) इकाई बैंकिंग (Unit Banking)

(2) शाखा बैंकिंग (Branch Banking)

(3) समूह बैंकिंग (Group Banking)

उपरोक्त बैंकिंग-स्वरूपो का सयुक्त राज्य अमेरिका के सदर्भ म अध्ययन करेंगे।

1 इकाई बैंकिंग
(Unit Banking)

इकाई बैंकिंग से आशय—केन्ट (Kent) के शब्दो मे "इकाई बैंकिंग व्यवस्था म प्रत्येक स्थानीय बैंकिंग सस्था एक पृथक निगम होती है जिसका पृथक चार्टर होता है तथा इसकी अपना पूजी सचालक मण्डल एव अशधारी होते हैं।"[1] इकाई बैंकिंग सगठन मे किसी एक बैंक का कार्यक्षेत्र साधारणतया एक ही कार्यालय तक अथवा एक सीमित क्षेत्र तक ही सीमित होता है। दूसरे शब्दो मे इकाई बैंकिंग व्यवस्था म या तो किसी बैंक का एक ही कार्यालय होता है अथवा यदि उसकी कुछ शाखाए है भी तो वे एक छोटे से सीमित क्षेत्र मे ही स्थित होती हैं।

सयुक्त राज्य अमेरिका मे विकास—सयुक्त राज्य अमेरिका की बैंकिंग व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण रूप है—**इकाई बैंकिंग**। इकाई बैंकिंग का विश्व मे सबसे अधिक विकास सयुक्त राज्य अमेरिका म ही हुआ है और यहा की बैंकिंग व्यवस्था की सबसे बडी विशेषता इकाई बैंकिंग ही है। केन्ट ने इस सम्बन्ध म कहा है कि सयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकाश व्यापारिक-बैंको का एक ही कार्यालय अथवा 'दुकान' है जिसमे उनकी समस्त व्यापारिक क्रियाए केन्द्रित होती हैं।[2]

जनवरी 1970 मे सयुक्त राज्य अमेरिका मे कुल 14,235 व्यापारिक बैंक थे, जिनमे से अधिकाश शाखाए रहित इकाई बैंक थे। इन 14,235 इकाई बैंको म स 10 000 से भी अधिक एसे इकाई बैंक थे जिनमे स किसी की एक भी शाखा

---

1 R P Kent *Money and Banking* In a unit banking system each local banking institution is a separate corporation separately chartered and having its own capital board of directors and shareholders

2 Most of the commercial banks of the United States have individually only one office or shop in which all their business operation are concentrated

नही थी। अधिकांश राज्यो ने शाखा-बैंकिंग का विरोध किया। उदाहरण के लिए शिकागो (Chicago) नगर की जनसख्या 40 लाख से भी अधिक है, किन्तु इलिनाय (Illinois) राज्य ने इस नगर मे किसी भी बैंक को शाखा स्थापित करने की अनुमति नही दी। इसी प्रकार अन्य अनेक बडे नगर हैं-जैसे सेंट लुई, मिनियापोलिस डलस आदि-जहा किसी भी बैंक को स्थापित करने की अनुमति नही दी जाती है। इलिनाय के अतिरिक्त टक्सास (Texas) अन्य राज्य है जहा किसी भी बैंक की कोई भी शाखा नही है। सन् 1970 के आरम्भ में इलिनाय राज्य मे 1,077 इकाई बैंक थे और टक्सास राज्य म 1 160 बैंक थे किन्तु उनकी शाखा एक भी नही थी। एक अन्य राज्य (Wyoming) मे यद्यपि 76 बैंक थे किन्तु कुल शाखा 1 थी।

सयुक्त राज्य अमेरिका म इकाई बैंकों के अन्तर्गत अनेक बहुत बडे बैंक भी हैं जैसे **बैंक ऑफ अमेरिका** (स्थापित सन् 1904, प्रधान कार्यालय सन फ्रांसिसको) जिसकी सम्पत्ति (assets) 10 अरब डालर से कहीं अधिक है सन् 1970 म इस बैंक म लगभग 17 50 अरब डालर के निक्षेप (deposits) थे। यह बैंक न केवल सयुक्त राज्य अमेरिका का, वरन् विश्व का सबसे बडा व्यापारिक बैंक है। दूसरी ओर छोटे इकाई बैंक भी हैं जिनकी सपत्ति 10 लाख डॉलर मे भी कम है। सयुक्त राज्य अमेरिका म लगभग 75 प्रतिशत इकाई बैंक हैं।

इकाई बैंकिंग के विकास के कारण—सयुक्त राज्य अमेरिका म इकाई बैंकिंग अपनाने के प्रमुख ये कारण हैं—प्रथम, इकाई बैंकिंग का विकास स्वतन्त्र व्यवसाय के आधार पर होता है और यह इकाई बैंकिंग एकाधिकार व्यवस्था को नहीं पनपने देती। शाखा बैंकिंग मे मुद्रा की शक्ति (money power) कुछ व्यक्तियो के हाथ म केन्द्रित हो जाने की सभावना अधिक रहती है। द्वितीय राज्य सरकारो की शक्ति की सीमितता इकाई बैंकिंग पनपाने म सहायक हुई। यद्यपि प्रत्येक राज्य को व्यापारिक-बैंक को चार्टर प्रदान करने का अधिकार है किन्तु यह दूसरे राज्य म शाखाए स्थापित करने के लिए अनुमति कम दे सकता है? तृतीय प्रत्येक राज्य की यह प्रवृत्ति रही है कि दूसरे राज्य के बैंक का कार्य-क्षेत्र उस दूसरे राज्य तक ही सीमित रहे।

2 शाखा बैंकिंग
(Branch Banking)

शाखा बैंकिंग से आशय—शाखा बैंकिंग व्यवस्था मे सभी बैंको को यह सुविधा होती है कि वह अपनी शाखाए देश के अन्य केन्द्रो म स्थापित कर सकें और इस प्रकार एक ही बैंक की अनेक शाखाए देश के विभिन्न भागो अथवा एक विशाल क्षेत्र म फैली होती हैं। इस प्रकार देश म बैंको की सख्या बहुत अधिक नहीं होती किन्तु उनकी शाखाए पर्याप्त अधिक होती हैं। शाखा बैंकिंग का सबसे अच्छा उदाहरण इगलैंड म मिलता है। इगलैंड के 'बडे चार' (Big Four) बैंकों 1 में से

1 इगलैंड म सन् 1967 तक बडे पाच बैंक थे किन्तु सन् 1968 में नेशनल प्रोविंशियल बैंक लि० तथा वेस्टमिनिस्टर बैंक लि० का एकीकरण होकर नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक बना, अत अब इगलैंड म बडे चार बैंक रह

तीन बैंक तो ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक की 3,000 से अधिक शाखाएं हैं और चौथे बड़े बैंक (लायड्स बैंक) की 2,000 से अधिक शाखाएं हैं।

एक बैंक की समस्त शाखाएं प्रत्यक्ष केन्द्रीय नियंत्रण में रहती हैं। शाखाएं तो वास्तव में ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा ऐसे क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं जो प्रधान कार्यालय के क्षेत्र की पहुंच से बाहर हों।

शाखा बैंकिंग की वैधानिक स्थिति—जिन राज्यों ने अपने यहां शाखा-बैंकिंग की अनुमति दे रखी है, उन राज्यों के स्टेट-बैंकों की शाखाएं उन्हीं राज्यों तक सीमित हैं। पहले नेशनल बैंकिंग एक्ट में नैशनल बैंकों द्वारा शाखाएं स्थापित करने का प्रावधान नहीं था किंतु सन् 1865 के संशोधन ने नेशनल बैंकों को शाखाएं स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन ये शाखाएं उन्हीं राज्यों (states) में स्थापित की जा सकती हैं जहां शाखा-बैंकिंग की स्पष्ट रूप से अनुमति है। नेशनल बैंकों पर शाखाएं स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित प्रतिबन्ध हैं—

(1) नेशनल बैंकों की क्षेत्रीय सीमाएं वही हैं जो स्टेट बैंकों की हैं।
(2) नेशनल बैंकों को शाखा स्थापित करने के लिए कम्पट्रोलर आफ करंसी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।
(3) पूंजी संबंधी वे प्रावधान ही हैं जो स्टेट बैंक के लिए हैं।

शाखा बैंकिंग का विकास—संयुक्त राज्य अमरिका में गृह युद्ध (1861–1865) के पूर्व शाखा बैंकिंग का विकास हो चुका था। फर्स्ट बैंक आफ द यूनाइटेड स्टेट्स (1791–1811) तथा सेकिंड बैंक ऑफ द यूनाइटेड स्टेटस (1816–1836) ने शाखा बैंकिंग प्रणाली अपनाई किंतु राजनीतिक तथा आर्थिक दशाओं ने उनके विकास को अवरुद्ध किया। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1863 व 1864 के नेशनल बैंक अधिनियमों में शाखा-बैंकिंग के लिए कोई प्रावधान नहीं था किंतु सन् 1865 के संशोधन ने कम्पट्रोलर आफ करंसी को यह अधिकार दिया है कि जिन स्टेट-बैंकों की शाखाएं पहले से ही हैं उन्हें भी नेशनल चार्टर दिया जा सकता है। शाखा बैंकिंग से सम्बन्धित नियम इतने कठोर हैं कि अधिकांश स्टेट बैंक जो नेशनल बैंक के रूप में बदल गये उन्होंने अपनी प्रत्येक शाखा के लिए पृथक चार्टर लेकर उसका पुनः गठन किया। संयुक्त राज्य अमरिका में सन् 1900 में केवल 87 व्यापारिक-बैंकों की ही शाखाएं थीं कुल शाखाएं 119 थीं अर्थात् औसत शाखा 1 से कुछ अधिक थी।

सन् 1909 में कैलिफोर्निया राज्य ने राज्य भर में बैंक शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दे दी और इसका अनुसरण अनेक अन्य राज्यों ने भी किया। इसके परिणामस्वरूप शाखा-बैंकिंग को प्रोत्साहन मिला और सन् 1915 में स्टेट व्यापारिक बैंकों की लगभग 760 शाखाएं हो गई किंतु उस समय तक फेडरल नियमन में कोई परिवर्तन नहीं हुए अतः नेशनल बैंकों की सन् 1915 में केवल 26 शाखाएं ही थीं।

फेडरल रिजर्व एक्ट ने यद्यपि अमरिका के बैंकों को विदेशों में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दे रखी है किंतु नेशनल बैंकों द्वारा देश में शाखा-बैंकिंग

के विकास पर प्रतिबंध सा ही है। शाखा-बैंकिंग के सम्बन्ध में फैडरल सरकार द्वारा बैंकिंग नियमों में सन् 1918 के संशोधन द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान कीं। इस संशोधन की प्रमुख बात यह थी कि स्टेट बैंक अब नशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं और अपनी विद्यमान शाखाओं को भी रख सकते हैं, किन्तु उसके बाद अन्य शाखा स्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार, यदि कोई कोई स्टेट बैंक नैशनल बैंक में विलय होता है तो उस स्टेट-बैंक की शाखाओं को चालू रखा जा सकता है।

मक फडन एक्ट, 1927 (Mc Fadden Act 1927)—सन् 1922 में कम्पट्रोलर ऑफ करंसी ने फैडरल कानून का उल्लंघन करके एक व्यवस्था (ruling) दी, जिसके मातहत नशनल बैंकों को अतिरिक्त कार्यालय-टेलर विंडो (Tellers' windows) स्थानीय नगरों में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई—यदि यह कार्य राज्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। इन अतिरिक्त कार्यालयों द्वारा मुख्यतः तीन कार्य किए जाते थे—निक्षेपों को प्राप्त करना, उनका भुगतान करना और ऋणों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना।

सन् 1922 की कम्पट्रोलर ऑफ करंसी की व्यवस्था (ruling) की वैधानिकता का प्रश्न विवादास्पद एवं संदेहजनक बन गया और नशनल बैंकों तथा फैडरल प्रणाली के सदस्य बैंकों द्वारा शाखाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार होने लगा। अब कांग्रेस ने इस विषय को मक फडन एक्ट 1927 में सम्मिलित किया। इस एक्ट ने नशनल बैंकों को उस नगर में ही शाखाएं खोलने की अनुमति दी, किंतु इसे वास्तव में शाखा बैंकिंग नहीं कह सकते। इस एक्ट में शाखा सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार किए गये—

	प्रत्येक नशनल बैंक
25 हजार से 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों में	1 शाखा
50 हजार से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों में	2 शाखाएं
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में	जितनी भी शाखाएं (कम्पट्रोलर ऑफ करंसी के अनुमोदन से)

इस सम्बन्ध में एक शर्त यह रखी गई कि उस राज्य में स्टेट बैंक को शाखा खोलने की यदि अनुमति है तब ही नशनल बैंकों को यह सुविधा होगी, अन्यथा नहीं। इस एक्ट में एक प्रावधान यह भी किया गया कि यदि किसी बैंक ने अनुमति के बिना अथवा अनुमति से केवल एक शाखा खोल ली है तो वह 25 वर्षों तक (सन् 1952 तक) कार्य करती रहेगी।

शाखा बैंकिंग सम्बन्धी वर्तमान स्थिति—शाखा बैंकिंग से सम्बन्धित समय समय पर विचार किये गये क्योंकि हजारों इकाई बैंक महान् मंदी काल में बंद हो गये। यह उल्लेखनीय है कि इस ही अवधि में इंगलैंड में शाखा बैंकिंग होने के कारण, एक भी बैंक बंद नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैंकिंग एक्ट 1933 बैंकिंग एक्ट 1935, 1952 के एक्ट व 1962 के एक्ट में नशनल बैंक व सदस्य स्टेट बैंक द्वारा शाखाएं स्थापित करने सम्बन्धी प्रावधान दिए हैं। संक्षेप में ये प्रावधान अग्रांकित हैं।

तीन बक तो ऐसे हैं जिनम से प्रत्येक की 3,000 से अधिक शाखाए हैं और चौथे बड़े बक (सायइस बक) की 2,000 से अधिक शाखाए हैं।

एक बक की समस्त शाखाए प्रत्यक्ष केन्द्रीय नियत्रण म रहती हैं। शाखाए तो वास्तव म ऐस साधन हैं जिनके द्वारा ऐसे क्षत्रो म भी बकिंग सेवाए प्रदान की जाती हैं जो प्रधान कार्यालय के क्षत्र की पहुच स बाहर हो।

शाखा बकिंग की वधानिक स्थिति—जिन राज्या न अपन यहा शाखा-बकिंग की अनुमति दे रखी है उन राज्यो के स्टेट-बको की शाखाए उन्हीं राज्यो तक सीमित हैं। पहले नशनल बकिंग एक्ट म नशनल बको द्वारा शाखाए स्थापित करने का प्रावधान नही था किन्तु सन् 1865 के सशोधन न नशनल बको को शाखाए स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी। लेकिन य शाखाए उन्ही राज्यो (states) म स्थापित की जा सकती हैं जहा शाखा-बकिंग की स्पष्ट रूप से अनुमति है। नशनल बको पर शाखाए स्थापित करने क सबध म निम्नलिखित प्रतिबन्ध हैं—

(1) नशनल बको की क्षत्रीय सीमाए वही हैं जो स्टेट बको की हैं।

(2) नशनल बको को शाखा स्थापित करन क लिए कम्पट्रोलर ऑफ करसी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

(3) पूजी सबधी व प्रावधान ही हैं जो स्टेट बक के लिए हैं।

शाखा बकिंग का विकास—सयुक्त राज्य अमरिका मे गृह युद्ध (1861–1865) के पूर्व शाखा बकिंग का विकास हो चुका था। फर्स्ट बक ऑफ द यूनाइटेड स्टेटस (1791–1811) एव सकिंड बक आफ द यूनाइटेड स्टेटस (1816–1836) ने शाखा बैंकिंग प्रणाली अपनाई किन्तु राजनीतिक तथा आर्थिक दशाओ ने उनके विकास को अवरुद्ध किया। यह उल्लेखनीय है कि सन् 1863 व 1864 के नशनल बक अधिनियमो मे शाखा बकिंग के लिए कोई प्रावधान नही था किन्तु सन् 1865 क सशोधन न कम्पट्रोलर आफ करसी को यह अधिकार दिया है कि जिन स्टेट-बको की शाखाए पहल से ही हैं उन्हें भी नशनल चार्टर दिया जा सकता है। शाखा बैंकिंग स सम्बन्धित नियम इतने कठोर है कि अधिकाश स्टेट बक जो नशनल बक के रूप में बदल गये उन्होने अपनी प्रत्येक शाखा के लिए पृथक चार्टर लकर उसका पुनर्गठन किया। सयुक्त राज्य अमरिका म सन् 1900 म कवल 87 व्यापारिक-बको की ही शाखाए थी कुल शाखाए 119 थी अर्थात् औसत शाखा 1 से कुछ अधिक थी।

सन् 1909 में कलिफोर्निया राज्य ने राज्य भर म बैंक शाखाए स्थापित करने की अनुमति द दी और इसका अनुसरण अनेक अन्य राज्यो ने भी किया। इसके परिणामस्वरूप शाखा-बैंकिंग को प्रोत्साहन मिला और सन् 1915 मे स्टेट व्यापारिक बको की लगभग 760 शाखाए हो गई किन्तु उस समय तक फडरल नियमन मे कोई परिवर्तन नही हुए अत नशनल बको की सन् 1915 मे केवल 26 शाखाए ही थीं।

फडरल रिजर्व एक्ट ने यद्यपि अमरिका क बको को विदेशो मे शाखाए स्थापित करने की अनुमति दे रखी है किन्तु नशनल बैंको द्वारा देश मे शाखा बैंकिंग

के विकास पर प्रतिबन्ध सा ही है। शाखा-बैंकिंग के सम्बन्ध में फैडरल सरकार द्वारा बैंकिंग नियमों में सन् 1918 के संशोधन द्वारा कुछ सुविधाएं प्रदान कीं। इस संशोधन की प्रमुख बात यह थी कि स्टेट बैंक अब नशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं और अपनी विद्यमान शाखाओं को भी रख सकते हैं, किन्तु उसके बाद अन्य शाखा स्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार, यदि कोई कोई स्टेट बैंक नशनल बैंक में विलय होता है तो उस स्टेट-बैंक की शाखाओं को चालू रखा जा सकता है।

मक फडन एक्ट, 1927 (Mc Fadden Act 1927)—सन् 1922 में कम्पट्रोलर ऑफ करसी ने फेडरल कानून का उल्लंघन करके एक व्यवस्था (ruling) दी जिसके अन्तर्गत नशनल बैंकों को अतिरिक्त कार्यालय-टेलर विंडो (Tellers windows) स्थानीय नगरों में स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई—यदि यह कार्य राज्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से निषिद्ध न हो। इन अतिरिक्त-कार्यालयों द्वारा मुख्यतः तीन कार्य किए जाते थे—निक्षेपों को प्राप्त करना, उनका भुगतान करना और ऋणों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना।

सन् 1922 की कम्पट्रोलर ऑफ करसी की व्यवस्था (ruling) की वैधानिकता का प्रश्न विवादास्पद एवं सन्देहजनक बन गया और नशनल बैंकों तथा फेडरल प्रणाली के सदस्य बैंको द्वारा शाखाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार होने लगा। अतः कांग्रेस ने इस विषय को मक फडन एक्ट 1927 में सम्मिलित किया। इस एक्ट ने नशनल बैंकों को उस नगर में ही शाखाएं खोलने की अनुमति दी, किंतु इन्हें वास्तव में शाखा बैंकिंग नहीं कह सकते। इस एक्ट में शाखा सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार किए गये—

	प्रत्येक नशनल बैंक
25 हजार से 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों में	1 शाखा
50 हजार से 1 लाख जनसंख्या वाले नगरों में	2 शाखाएं
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में	कितनी भी शाखाएं (कम्पट्रोलर ऑफ करसी के अनुमोदन से)

इस सम्बन्ध में एक शर्त यह रखी गई कि उस राज्य में स्टेट बैंक को शाखा खोलने की यदि अनुमति है तब ही नशनल बैंकों को यह सुविधा होगी, अन्यथा नहीं। इस एक्ट में एक प्रावधान यह भी किया गया कि यदि किसी बैंक ने अनुमति के बिना अथवा अनुमति से केवल एक शाखा खोल ली है तो वह 25 वर्षों तक (सन् 1952 तक) कार्य करती रहेगी।

शाखा बैंकिंग सम्बन्धी वर्तमान स्थिति—शाखा बैंकिंग में सम्बन्धित समय समय पर विचार किये गये क्योंकि हजारों इकाई बैंक महान् मन्दी काल में बन्द हो गये। यह उल्लेखनीय है कि इस ही अवधि में इंगलैंड में शाखा बैंकिंग होने के कारण, एक भी बैंक बन्द नहीं हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैंकिंग एक्ट 1933 बैंकिंग एक्ट 1935, 1952 के एक्ट व 1962 के एक्ट में नशनल बैंक व सम्बद्ध स्टेट बैंक द्वारा शाखाएं स्थापित करने सम्बन्धी प्रावधान किए हैं। संक्षेप में ये प्रावधान अप्रभावित हैं।

1 राज्यों को अधिकार—शाखा बैंकिंग नीति के निर्धारण का कार्य राज्यों पर छोड़ दिया गया है। यदि कोई राज्य अपने क्षेत्र में स्टेट बैंकों को नगरों अथवा सम्पूर्ण राज्य में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति देता है तो वे प्रावधान नेशनल बैंकों द्वारा शाखाएं स्थापित करने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

2 पूंजी सम्बन्धी व्यवस्था—विभिन्न नगरों में, जहां शाखा खोली जा रही है, वहां की जनसंख्या के आधार पर, बैंक की पूंजी-स्टॉक होनी चाहिए।

3 अनुमति देने के अधिकारी—शाखा स्थापित करने के लिए नेशनल बैंकों को कम्पट्रोलर आफ करेन्सी से व सदस्य-स्टेट बैंक को फेडरल रिजर्व प्रणाली के गवर्नर मंडल से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखा-बैंकिंग से सम्बन्धित प्रावधान शिथिल कर दिए गए हैं किन्तु कोई भी अमेरिकन कानून देशव्यापी आधार पर शाखा-बैंकिंग की अनुमति नहीं देता है। जिस प्रकार की शाखा बैंकिंग इंगलैंड, फ्रांस, भारत, जापान, कनाडा व अन्य देशों में है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखा-बैंकिंग के सम्बन्ध में राज्यों की स्थिति इस प्रकार है—

	राज्यों की संख्या
(a) वे राज्य जिन्होंने अपने सम्पूर्ण राज्य में शाखा बैंकिंग की अनुमति दे रखी है	16
(b) वे राज्य जिन्होंने अपने राज्य में सभी प्रकार की शाखा बैंकिंग पर प्रतिबन्ध लगा रखा है	12
(c) वे राज्य जहां शाखा-बैंकिंग से सम्बन्धित कोई कानून नहीं है	2
(d) शेष राज्यों में प्रतिबंधित क्षेत्र में ही अथवा अधिक केन्द्रों में बैंकिंग शाखाएं स्थापित की जा सकती हैं।	

नीचे की तालिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखा बैंकिंग की स्थिति बतलाई गई है—

व्यापारिक-बैंकों की शाखाएं (31 दिसम्बर 1969 को)[1]

वर्ष	कुल बैंकों की संख्या	नेशनल बैंक	स्टेट बैंक	स्टेट गैर सदस्य बीमित बैंक	स्टेट गैर सदस्य अबीमित बैंक
1964	13761	4773	1452	7262	274
1969	13679	4716	1262	7504	197
शाखाओं की संख्या					
1964	14321	7940	3275	3056	50
1969	19985	11550	3465	4923	47

1 Board of Governors of the Federal Reserve System 56th Annual Report (1969) p 351

विदेशों में शाखाएं
(Foreign Branches)

अनेक अमेरिकन बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सम्बन्धित व्यवहारों के लिए विदेशों में अपने प्रतिनिधि बैंकों (correspondent banks) पर निर्भर है। कुछ बैंकों ने अपनी शाखाएं विदेशों में भी स्थापित कर ली हैं। फेडरल रिजर्व एक्ट 1913 ने ऐसे नेशनल बैंकों को जिनकी पूंजी-स्टॉक 10 लाख डॉलर से अधिक है विदेशों में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति दे रखी है। फिर सन् 1916 के संशोधन ने यह सुविधा दी कि कोई भी नेशनल बैंक विदेशों में अपनी सहायक बैंकिंग कम्पनी अथवा कम्पनियां (subsidiary or subsidiaries) स्थापित कर सकता है किंतु उसमें अपनी पूंजी-स्टॉक का 10% से अधिक विनियोग नहीं कर सकता। सदस्य-स्टेट बैंकों के लिए भी यही प्रावधान है।

अनेक अमेरिकन बैंकों ने, मुख्यत न्यूयॉर्क के बैंकों ने विश्व के प्राय समस्त प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में अपनी शाखाएं स्थापित कर रखी है। इन बैंकों ने विशेषत यूरोप व लेटिन अमरिका में अपनी शाखाएं स्थापित की है। सन् 1960 और 1970 के दशक के मध्य अमेरिका के बैंकों द्वारा विदेशों में शाखाएं स्थापित करने के कार्य में पर्याप्त विकास हुआ। इस विकास के अनेक कारण है जैसे—(1) संयुक्त राज्य अमरिका के डॉलर का रिजर्व करेंसी के रूप में विकास (2) अमेरिकन व्यापारिक निगमों का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकास (3) यूरो डालर (Ewrodollars) का बढता हुआ उपयोग—सुविधा के कारण व देशी मौद्रिक अधिकारियों द्वारा लगाये गये मात्र नियंत्रणों से बचने के लिए।

प्रमुख अमेरिकन बैंक जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं वे ये है—फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक (न्यूयार्क) चेज मैनहैटन बैंक (न्यूयार्क), मौरगन गारन्टी ट्रस्ट के ऑफ न्यूयार्क, बैंक ऑफ अमरीका (सेन फ्रांसिसको) फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ बोस्टन कौंटीनन्टल इलिनाय नेशनल बैंक (शिकागो) आदि।

उदाहरण के लिए चेज मैनहैटन बैंक (प्रधान कार्यालय न्यूयार्क) जिसका विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक बैंकों में दूसरा स्थान है (प्रथम स्थान बैंक ऑफ अमेरिका का है), सन् 1967 में 43 नई विदेशी शाखाएं स्थापित की।

व्यापारिक बैंकों की विदेशी शाखाएं

वर्ष (प्रारम्भ में)	देशों में	नेशनल बैंक की शाखाएं	स्टेट बैंक की शाखाएं	कुल शाखाएं
1965	45	139	41	180
1967	53	230	14	244
1968	54	280	15	295
1969	57	353	20	373
1970	59	428	32	460

नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा कि कितने नेशनल बैंकों व कितने स्टेट बैंकों ने विदेशों में शाखाएं स्थापित कर रखी हैं—

बैंकों की संख्या जिनकी विदेशों में शाखाएं हैं

वर्ष (आरम्भ में)	नेशनल बैंक	स्टेट बैंक	कुल बैंक	कुल शाखाएं
1965	5	6	11	180
1967	7	6	13	244
1968	8	7	15	295
1969	14	12	26	373
1970	36	17	53	460

उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापारिक बैंकों में विदेशों में अपनी शाखाएं खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

3 समूह बैंकिंग (Group Banking)

संयुक्त राज्य अमेरिका में समूह बैंकिंग प्रणाली भी प्रचलित है जिसमें एक बैंक अन्य बैंक अथवा बैंकों की 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी-स्टाक पर अधिकार रखता है। समूह बैंकिंग में एक नियन्त्रक (holding) कम्पनी अथवा बैंक होना है। समूह बैंकों के अन्तर्गत सभी बैंकों का अस्तित्व तो पृथक रहता है किन्तु नियन्त्रक बैंक उन बैंकों के प्रबन्ध व व्यय नीति पर नियन्त्रण (control) रखता है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका में समूह बैंकिंग प्रणाली कुछ अंशों में सन् 1900 से भी पूर्व दृष्टिगोचर होती थी किन्तु इसका कुछ उल्लेखनीय विकास सन् 1920 के बाद हुआ। सन् 1931 में इस प्रणाली के अन्तर्गत बैंकों के 97 समूह थे जिनके अन्तर्गत 978 बैंक व उनकी 1219 शाखाएं थीं किन्तु सन् 1964 के आरम्भ में कुल 52 समूह ही रह गये जिनके अन्तर्गत 454 बैंक व 1278 शाखाएं थीं।

व्यापारिक बैंकों का विकास

संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई बैंकिंग प्रणाली है अतः यहां अन्य देशों की तुलना में बैंकों की संख्या अधिक है। निम्नांकित तालिका में गत 25 वर्षों में यहां इनका विकास बतलाया गया है।

वर्ष	बैंकों की संख्या (आरम्भ में)	वर्ष	बैंकों की संख्या (आरम्भ में)
1945	14 167	1965	13 569
1950	14 205	1967	13 804
1955	13 881	1968	13 721
1960	13 486	1969	13 679
1962	13 444	1970	13 662

संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक बैंक

संयुक्त राज्य अमेरिका में (सन् 1970 में) 13,650 से भी अधिक व्यापारिक बैंक हैं। नीचे वहां के सबसे बड़े बैंकों में उनका स्थान बतलाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से प्रत्येक बैंक के पास 1 करोड़ से 1½ करोड़ डॉलर के निक्षेप हैं।

	नाम	स्थापना वर्ष	प्रधान कार्यालय	विश्व के बड़े बैंकों में स्थान
1	बैंक ऑफ अमेरिका	1904	सन फ्रांसिस्को	प्रथम
2	चेज मैनहेटन बैंक	1799	न्यूयॉर्क	द्वितीय
3	फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक	1812	न्यूयॉर्क	तृतीय
4	मैन्युफैक्चरर्स हैनोवर ट्रस्ट कं	1831	न्यूयॉर्क	चतुर्थ
5	केमिकल बैंक न्यूयार्क ट्रस्ट कं	1824	न्यूयार्क	सप्तम
6	मोरगन गारंटी ट्रस्ट कं	1864	न्यूयॉर्क	नवम
7	कॉन्टीनेन्टल इलिनोय नेशनल बैंक	1857	शिकागो	तेरहवां
8	सीक्यूरिटी फर्स्ट नेशनल बैंक	1875	लॉस ऐंजलीस	पन्द्रहवां
9	बैंकर्स ट्रस्ट कं	1903	न्यूयॉर्क	उन्नीसवां
10	फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ शिकागो	1863	शिकागो	चौबीसवां
11	वेल्स फारगो बैंक	1852	सन फ्रांसिस्को	सत्ताइसवां
12	क्रोकर सिटीजन्स नेशनल बैंक	1870	सन फ्रांसिस्को	उनतीसवां
13	इर्विंग ट्रस्ट कं	1851	न्यूयार्क	चौंतीसवां
14	यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक	1903	लॉस ऐंजलीस	पैंतीसवां
15	मैलन नेशनल बैंक एण्ड ट्रस्ट कं	1902	पिट्सबर्ग	छत्तीसवां
16	नेशनल बैंक ऑफ डेट्रायट	1933	डेट्रायट	बियालीसवां
17	फर्स्ट नेशनल बैंक ऑफ बोस्टन	1784	बोस्टन	बावनवां
18	क्लीवलैंड ट्रस्ट कं	1894	क्लीवलैंड	उनसठवां
19	फर्स्ट पेन्सिलवेनिया बैंकिंग कं	1812	फिलाडेल्फिया	अठहत्तरवां
20	रिपब्लिक नेशनल बैंक ऑफ डलस	1920	डलस	चौरासीवां

5
फैडरल रिजर्व प्रणाली

सयुक्त राज्य अमरिका मे फडरल रिजव प्रणाली के उदय का अध्ययन करने के लिए सन् 189३ स आर्थिक दशाओ का अध्ययन करना होगा। सन् 1803 के वित्तीय आतक और बाद की मदी न सयुक्त राज्य अमेरिका के बकस उद्योगपति व्यापारी अथशास्त्री एव राजनीतिज्ञो को यह विचार करने क लिए बाध्य किया कि अमेरिकी ब किंग प्रणाली म दुबलताए है। वास्तविकता तो यह है कि स्थिति इस प्रकार की होगई थी कि सयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियो न अन्य देशो की ब किंग प्रणाली की श्रेष्ठता के कारण मान करने के लिए विनम्रता से देखना आरम्भ कर दिया। वे एक श्रेष्ठ एव स्थिर ब किंग प्रणाली को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे।

सवप्रथम बक नोट निगमन की व्यवस्था मे सुधार करने की दिशा मे ही ध्यान आकर्षित रहा। यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि नशनल बकों द्वारा निगमित नोटो म लोच का गुण उत्पन्न हो जाव तो देश की अधिकाश वित्तीय एव बैंकिंग समस्याए दूर हो सकती हैं। सन् 1893 मे बाल्टीमोर नगर मे अमेरिकन बकस ऐसोसियेशन न अपना एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन म एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि सयुक्त राज्य अमेरिका मे कनाडा के सदृश नोट निगमन प्रणाली अपनानी चाहिए। कनाडा मे नोट निगमन प्रणाली इस प्रकार की थी कि नोट-निगमन करने वाले समस्त बक एक दूसरे के नोटो की सुरक्षा का सम्मिलित दायित्व लते थे किन्तु यह परामश स्वीकार नही हो सका जिसका प्रमुख कारण था काय शीलता मे अव्यावहारिकता। कनाडा म तो यह प्रणाली व्यावहारिक थी क्योकि वहा नोट निगमन करन वाले बको की सख्या पर्याप्त कम थी। इसके विपरीत सयुक्त राज्य अमेरिका म सकडो बक नोट निगमन करत थे। दूसरी ओर बडे एव सुदृढ बको ने ने भी इसका विरोध किया जो कि स्वाभाविक था।

इसके बाद के वर्षों म भी ब किंग सकट उत्पन्न हुए किंतु सन् 1907 का बकिंग-सकट पुन गम्भीर था। हाउस आफ रिप्रिजन्टेटिव के समक्ष कार्टर ग्लास (Carter Class) न जोरदार शब्दो म कहा—

यूरोप म वित्तीय-पुस्तकें (financial text books) के लेखको न हमारी बैंकिंग प्रणाली को बर्बर (barbarous) बतलाया है। इस तथ्य म सत्यता है कि सकट काल म यह प्रणाली असफल रही जिसके कारण व्यापारिक अनतिकता का विस्तार हुआ और सवत्र कष्ट फला। गत तीस वर्षों म अनक महान आर्थिक सकट आये जिनके परिणामस्वरूप समाज के प्रत्येक वग को असीमित हानि हुई–विद्यमान बको को व्यापारियो को जिनकी पूजी कम हो गई उद्योगपतियो को जिनके उद्योग बद हो गये कृषको जिनकी फसल खत म ही सड गई मजदूरो को जो मजदूरी से वंचित होगये। 7 300 नशनल बैंको म सहकारिता एव समन्वय क अभाव के कारण साख की अनुमुन माग क समय सुविधाओ की कमी हुई है। इस अन्तभूत दोष के कारण विपत्ति का आगमन अनिवाय है।

ग्लास (Glass) के इस दृष्टिकोण से अनेक सहमत थे कि मूल समस्या 'रिजर्व' और लोच की कमी की थी—विशेषत संकट के काल में। अत यह विचारधारा दृढ होगई कि ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जावे जो रिजर्व एवं लोचन प्रदान कर सकें। राष्ट्र के स्वर्ण कोष का एक भाग इन नवीन संस्थाओं में केन्द्रित होजाना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय नई संस्थाए आवश्यकतानुसार करंसी का सृजन कर सकें।

स्थापित होने वाली प्रस्तावित संस्थाओं के नियंत्रण एव संगठन के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद रहे। एक वर्ग का मत था कि ऐसी संस्थाएं बैंकों द्वारा पारस्परिक सहायता संस्थाओं के रूप में स्थापित की जानी चाहिए ताकि वह अधिक सुरक्षितता से तथा अधिक प्रभावशील ढंग से कार्य कर सकें। इस विचारधारा के व्यक्तियों का यह विचार था कि स्थापित होने वाली नई संस्थाओं की पू जी ये विद्यमान बैंक प्रदान करें और इन नई संस्थाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण भी रखें। दूसरे वर्ग के व्यक्तियों का मत था कि ऐसी नई संस्थाएं स्थापित की जावें जोकि विद्यमान बैंकों के संचालक (regulators) के रूप में कार्य करें। एक अन्य वर्ग के व्यक्तियों का मत था कि बैंकों पर नियंत्रण एवं उनके संचालन का कार्य सरकार का होना चाहिये।

कुछ व्यक्तियों का मत था कि अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की भांति ही संयुक्त राज्य अमेरिका मे भी केन्द्रीय बैंक स्थापित कर देना चाहिये। इसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका मे भी एक ही केन्द्रीय बैंक होना चाहिये और वही देश के अन्य बैंकों पर प्रभावशील नियंत्रण रखे। इससे अनेक लाभ होगे। यह केन्द्रीय बैंक देश के स्वर्ण कोषों को प्रभावशील ढंग से एक ही स्थान पर एकत्रित कर सकेगा संकट के समय अथवा बहुत आवश्यकता के समय इन स्वर्ण-कोषों को राष्ट्र के हित के लिये उपयोग में लाया जा सकेगा और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये साख की एकसी नीति अपनाई जा सकेगी।

दूसरी ओर इस मत के विपक्षियों का मत था कि सम्पूर्ण देश के लिये एक ही केन्द्रीय बैंक स्थापित होने से अनेक समस्याएं उत्पन्न होंगी एवं बैंकिंग का असंतुलित विकास होने की सम्भावनाएं हैं। उनके मतानुसार इस प्रकार का बैंक देश के लिये खतरनाक सिद्ध होगा क्योंकि इस अकेले बैंक के पास बहुत अधिक वित्तीय शक्ति केन्द्रित हो जावेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आर्थिक एवं वित्तीय दशाओं का समुचित ध्यान नहीं रखा जा सकेगा। इनका मत था कि बैंकिंग प्रणाली का क्षेत्रीय आधार पर विकास होना चाहिये अत प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग ही बैंक होना चाहिये जाकि अपने क्षेत्र की आर्थिक दशाओं के अनुसार ही बैंकिंग का विकास कर सके। कांग्रेस के एक सदस्य का तो यह मत था कि कम से कम ऐसे 50 क्षेत्रीय बैंक देश मे स्थापित होने चाहिये।

उपरोक्त विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का मार्ग निकाला गया और फैडरल रिजर्व एक्ट के अंतर्गत फैडरल रिजर्व प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका को 12 जिलों में बाट दिया गया और प्रत्येक जिले (district) में एक-एक फैडरल रिजर्व बैंक स्थापित किया गया तथा इन फैडरल रिजर्व बैंकों पर निरीक्षण एवं उनकी नीतियों में समन्वय का कार्य करने के लिए वाशिंगटन में एक केन्द्रीय ऑथेरिटी (central authority), अर्थात् बोर्ड ऑफ गवर्नर्स स्थापित की गई।

फैडरल रिजर्व एक्ट 23 दिसम्बर 1913 को पास किया गया तथा प्रथम फैडरल रिजर्व बोर्ड ने 10 अगस्त 1914 को अपना कार्य-भार संभाला। फैडरल रिजर्व एक्ट में 30 धाराएं (Sections) हैं जो लगभग 103 पृष्ठों में मुद्रित हैं। सन् 1913 के इस एक्ट में अब तक अनेक बार संशोधन हो चुके हैं।

5
फैडरल रिजर्व प्रणाली

संयुक्त राज्य अमरिका म फैडरल रिजर्व प्रणाली के उदय का अध्ययन करन के लिए सन् 1893 से आर्थिक-व्यवस्था का अध्ययन करना होगा। सन् 1893 के वित्तीय आतंक और बाद की मन्दी न सयुक्त राज्य अमरिका के बकस उद्योगपति व्यापारी अर्थशास्त्री एव राजनीतिज्ञो को यह विचार करने के लिए बाध्य किया कि अमेरिकी बकिग प्रणाली म दुबलताए हैं। वास्तविकता तो यह है कि स्थिति इस प्रकार की होगई थी कि सयुक्त राज्य अमेरिका के व्यक्तियो ने अन्य देशो की बकिग प्रणाली की श्रेष्ठता के कारण ज्ञात करन के लिए विनम्रता से देखना प्रारम्भ कर दिया। वे एक श्रेष्ठ एव स्थिर बकिग प्रणाली को स्थापित करन के लिए प्रयत्नशील थे।

सवप्रथम बैंक नोट निगमन की व्यवस्था म सुधार करन की दिशा म ही ध्यान आकर्षित रहा। यह अनुभव किया जा रहा था कि यदि नशनल बकों द्वारा निगमित नोटो म लोच का गुण उत्पन्न हो जावे तो देश की अधिकाश वित्तीय एव बकिंग समस्याए दूर हो सकती हैं। सन् 1893 मे बाल्टीमोर नगर म 'अमेरिकन बक्स ऐसोसियशन' ने अपना एक सम्मेलन किया। उस सम्मेलन म एक प्रस्ताव यह भी रखा गया कि सयुक्त राज्य अमेरिका म कनाडा के सदृश नोट निगमन प्रणाली अपनानी चाहिए। कनाडा मे नोट निगमन प्रणाली इस प्रकार की थी कि नोट-निगमन करने वाले समस्त बक एक दूसरे के नोटो की सुरक्षा का सम्मिलित दायित्व लेते थे किन्तु यह परामश स्वीकार नही हो सका जिसका प्रमुख कारण था कार्य शीलता मे अव्यावहारिकता। कनाडा म तो यह प्रणाली व्यावहारिक थी क्योकि वहा नोट निगमन करन वाले बको की सख्या पर्याप्त कम थी। इसके विपरीत सयुक्त राज्य अमेरिका म सकडो बक नोट निगमन करते थे। दूसरी ओर बडे एव सुदृढ बको ने ने भी इसका विरोध किया जो कि स्वाभाविक था।

इसके बाद के वर्षों म भी बकिंग सकट उत्पन्न हुए किंतु सन् 1907 का बैंकिंग-सकट पुन गम्भीर था। हाउस आफ रिप्रिजेटटिव के समक्ष कार्टर ग्लास (Carter Glass) ने जोरदार शब्दो मे कहा—

'यूरोप म वित्तीय पुस्तकें (financial text books) के लेखको ने हमारी बैंकिंग प्रणाली को बर्बर (barbarous) बतलाया है। इस तथ्य म सत्यता है कि सकट काल म यह प्रणाली असफल रही जिसके कारण व्यापारिक अनतिकता का विस्तार हुआ और सवत्र कष्ट फला। गत तीस वर्षों म अनेक महान आर्थिक सकट आये जिनके परिणामस्वरूप समाज के प्रत्येक वग को असीमित हानि हुई–विद्यमान बको को व्यापारियो को जिनकी पूजी कम हो गई उद्योगपतियो को जिनके उद्योग बद हो गये कृषको जिनकी फसलें खेत म ही सड गई मजदूरो को जो मजदूरी से वचित होगये। 7 300 नशनल बैंको म सहकारिता एव समन्वय के अभाव के कारण साख की अनुमुत माग के समय सुविधाओ की कमी हुई है। इस अद्भुत दोष के कारण विपत्ति का आगमन अनिवाय है।

ग्लास (Glass) के इस दृष्टिकोण से अनेक महमत थे कि मूल समस्या 'रिजर्व' और लोच की कमी की थी—विशेषत संकट के काल में। अत यह विचारधारा दृढ होगई कि ऐसी संस्थाओ की स्थापना की जाय जो रिजर्व एव लोचन प्रदान कर सके। राष्ट्र के स्वर्ण कोष का एक भाग इन नवीन संस्थाओ मे केन्द्रित होजाना चाहिए ताकि आवश्यकता के समय नई संस्थाए आवश्यकतानुसार करमी का सृजन कर सकें।

स्थापित होने वाली प्रस्तावित संस्थाओ के नियन्त्रण एव संगठन के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद रहे। एक वर्ग का मत था कि ऐसी संस्थाए बैंको द्वारा पारस्परिक सहायता संस्थाओ के रूप में स्थापित की जानी चाहिए ताकि बैंक अधिक सुरक्षितता से तथा अधिक प्रभावशील ढग से कार्य कर सकें। इस विचारधारा के व्यक्तियो का यह विचार था कि स्थापित होने वाली नई संस्थाओ की पूजी ये विद्यमान बैंक प्रदान करें और इन नई संस्थाओ पर अपना पूर्ण नियन्त्रण भी रखें। दूसरे वर्ग के व्यक्तियो का मत था कि ऐसी नई संस्थाए स्थापित की जावें जोकि विद्यमान बैंको के संचालक (regulators) के रूप में कार्य करें। एक अन्य वर्ग के व्यक्तियो का मत था कि बैंको पर नियन्त्रण एव उनके संचालन का कार्य सरकार का होना चाहिये।

कुछ व्यक्तियो का मत था कि अन्य देशो के केन्द्रीय बैंको की भांति ही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी केन्द्रीय बैंक स्थापित कर देना चाहिये। इसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में भी एक ही केन्द्रीय बैंक होना चाहिये और वही देश के अन्य बैंको पर प्रभावशील नियन्त्रण रखे। इससे अनेक लाभ होगे। यह केन्द्रीय बैंक देश के स्वर्ण कोषो को प्रभावशील ढग से एक ही स्थान पर एकत्रित कर सकेगा, सकट के समय अथवा बहुत आवश्यकता के समय इन स्वर्ण-कोषो का राष्ट्र के हित के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये साख की एकसी नीति अपनाई जा सकेगी।

दूसरी ओर इस मत के विपक्षियो का मत था कि सम्पूर्ण देश के लिये एक ही केन्द्रीय बैंक स्थापित होने से अनेक समस्याए उत्पन्न होगी एव बैंकिंग के असंतुलित विकास होने की सम्भावनाए हैं। उनके मतानुसार इस प्रकार का बैंक देश के लिये खतरनाक सिद्ध होगा क्योंकि इस अकेले बैंक के पास बहुत अधिक वित्तीय शक्ति केन्द्रित हो जावेगी। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय आर्थिक एव वित्तीय दशाओ का समुचित ध्यान नहीं रखा जा सकेगा। इनका मत था कि बैंकिंग प्रणाली का क्षेत्रीय आधार पर विकास होना चाहिये अत प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग ही बैंक होना चाहिये ताकि अपने क्षेत्र की आर्थिक दशाओ के अनुसार ही बैंकिंग का विकास कर सके। कांग्रेस के एक सदस्य का तो यह मत था कि कम से कम ऐसे 50 क्षेत्रीय बैंक देश मे स्थापित होने चाहिये।

उपरोक्त विभिन्न मतों को ध्यान में रखते हुए एक बीच का मार्ग निकाला गया और फैडरल रिजर्व एक्ट के अतर्गत फैडरल रिजर्व प्रणाली अपनाई गई। इस प्रणाली के अतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका को 12 जिलो में बांट दिया गया और प्रत्येक जिले (district) मे एक-एक फैडरल रिजर्व बैंक स्थापित किया गया तथा इन फैडरल रिजर्व बैंको पर निरीक्षण एव उनकी नीतियो में समन्वय का कार्य करने के लिए वाशिंगटन में एक केन्द्रीय ऑथेरिटी (central authority), अर्थात् बोर्ड ऑफ गवर्नर्स स्थापित की गई।

फैडरल रिजर्व एक्ट 23 दिसम्बर 1913 को पास किया गया तथा प्रथम फैडरल रिजर्व बोर्ड ने 10 अगस्त 1914 को अपना कार्य-भार संभाला। फैडरल रिजर्व एक्ट में 30 धाराए (Sections) हैं जो लगभग 103 पृष्ठों में मुद्रित हैं। सन् 1913 के इस एक्ट मे अब तक अनेक बार संशोधन हो चुके हैं।

6

फैडरल रिजर्व प्रणाली का सगठन



उद्देश्य–फडरल रिजव एक्ट की भूमिका म इसके उद्देश्य[1] बतलाए गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

1 फडरल रिजव बको की स्थापना करना,
2 लोचदार करसी प्रदान करना,
3 व्यापारिक पत्रो की पुनर्कटौती के साधन उपलब्ध करना,
4 सयुक्त राज्य मे बैंकिंग पर अधिक प्रभावशाली ढग से पयवेक्षण (supervision) की व्यवस्था करना,
5 अन्य उद्देश्य।

फैडरल रिजव जिलो की स्थापना—फडरल रिजव एक्ट (धारा 2) के अतगत एक 'रिजव बक सगठन समिति' के गठन का प्रावधान किया गया जिसम तीन सदस्य थे–ट्रेजरी का सेक्रेटरी, कम्पट्रोलर आफ करसी एव कृषि का सेक्रेटरी। इस समिति के मुख्य काय दो थे—प्रथम, कम से कम आठ और अधिक से अधिक 12 फडरल रिजव नगरो का चुनाव करे, द्वितीय, सयुक्त राज्य अमेरिका को कम स कम आठ व अधिक से अधिक 12 फडरल–जिलो (federal districts) मे इस प्रकार विभाजित करे–प्रत्येक जिले मे एक फैडरल रिजव नगर हो जिसम प्रत्यक म एक एक प्रस्तावित क्षेत्रीय बक (फडरल रिजव बैंक) स्थापित किया जाय। यह आवश्यक नही था कि किसी राज्य की सीमा व फडरल जिले की सीमा एक ही हो। व्यवहार मे, किसी राज्य का एक क्षेत्र एक जिले म है और शेष भाग दूसरे जिले मे है।

इस समिति ने सयुक्त राज्य अमेरिका के प्राय प्रत्येक प्रमुख नगर मे जाकर बकस, व्यापारियो व अन्य व्यक्तियो से, फडरल रिजव बैंक की स्थापना के प्रस्तावित केन्द्र के पक्ष व विपक्ष के विचार सुन, विभिन्न क्षेत्रो के वित्तीय सगठनो का अध्ययन किया और अत म 12 रिजव जिलो की स्थापना का निश्चय किया।

इस प्रकार 12 रिजव जिला की स्थापना की गई व प्रत्येक जिले म एक-एक नगर का चुनाव किया गया जहा पर प्रत्येक फडरल रिजव बैंक की स्थापना की गई। एक्ट के अनुसार स्थापित होने वाले प्रत्येक फडरल रिजव बैंक के नाम म उस नगर का भी नाम सम्मिलित किया गया है जहा कि वह बैंक स्थित है जसे फडरल रिजव बैंक आफ शिकागो, फडरल रिजव बैंक आफ न्यूयार्क आदि। एक्ट के अनुसार प्रत्येक फडरल रिजव जिले के लिए एक एक सख्या भी निर्धारित की गई है।

1 Federal Reserve Act p 1

(1) इन प्रावधानों के अनुसार 12 जिलों की सीमाएं निर्धारित की गई और प्रत्येक जिले में एक एक नगर का भी चुनाव किया गया जहां एक-एक रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। यह निम्नलिखित तालिका[1] में स्पष्ट किया गया है–

फेडरल रिजर्व जिला संख्या	जिला बैंक	शाखाएं (संख्या)
1	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ बोस्टन	–
2	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ न्यूयॉर्क	1
3	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ फिलाडेलफिया	–
4	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ क्लीवलैंड	2
5	फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ रिशमौन्ड	2
6	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ अटलांटा	4
7	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ शिकागो	1
8	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ सेंट लुई	3
9	फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ मिनियापोलीस	1
10	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ कन्सास सिटी	3
11	फेडरल रिजर्व बैंक ग्राफ डलस	3
12	फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सन फ्रांसिसको	4
12 जिले	शाखाएं	24

कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिए कतिपय फैडरल रिजर्व बैंको ने अपने जिले में शाखाएं भी स्थापित करली हैं। इस समय (सन् 1971 में) इन बैंको की कुल शाखाएं 24 हैं जो कि विभिन्न जिलों में स्थित हैं। इन शाखाओं का समान वितरण नहीं है जैसा नीचे की तालिका से ज्ञात होगा—

जिले बैंक	शाखाओं की संख्या	कुल शाखाएं
2	0	0
3	1	3
2	2	4
3	3	9
2	4	8
12		24

यहां यह उल्लेखनीय है कि समस्त फेडरल रिजर्व बैंक आकार व साख एवं मौद्रिक दशाओं पर प्रभाव की दृष्टि से भिन्न हैं। अग्रांकित तालिका से स्पष्ट

1 The Federal Reserve System Purposes and Functions p 17
the Board of Governors of the Federal Reserve System (ed

होगा कि फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो कि समस्त बैंकों में सबसे बड़ा है के पास समस्त फेडरल बैंकों की कुल सम्पत्ति (assets) का 25 प्रतिशत से भी अधिक भाग है, और दूसरी ओर बैंक ऑफ मिनियापोलिस के पास लगभग 2% भाग ही है–

फेडरल रिजर्व बैंकों की तुलनात्मक स्थिति[1]
(31–12–1969)

फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ	सम्पत्ति (बिलियन डॉलर)
न्यूयॉर्क	19.9
शिकागो	13.[illegible]
सान फ्रांसिस्को	10.9
रिचमोंड	6.[illegible]
क्लीवलैंड	6.4
फिलाडेल्फिया	5.1
बोस्टन	4.8
कन्सास सिटी	4.4
डलास	3.7
सेंट लुई	3.6
मिनियापोलिस	3.2
	1.8
	83.5

फेडरल रिजर्व प्रणाली का सामान्य ढाँचा
(General Structure of Federal Reserve System)

फेडरल रिजर्व प्रणाली की आधार शिला है—सदस्य बैंक। समस्त नेशनल बैंकों के लिए इस प्रणाली का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए इस प्रणाली का सदस्य होना ऐच्छिक है।

संयुक्त राज्य अमरिका की केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली विशिष्ट प्रकार की है जिसमें 12 केन्द्रीय बैंक हैं जो फेडरल रिजर्व बैंक कहलाते हैं। प्रत्येक फेडरल बैंक अपने जिले (district) में केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। फेडरल बैंक अपने जिले के सदस्य बैंकों के रिजर्व कोष अपने पास रखता है और आवश्यकता के समय उन्हें ऋण भी देता है। व्यवहार में सम्पूर्ण रिजर्व प्रणाली को देश का केन्द्रीय बैंक मानना चाहिए। फेडरल रिजर्व प्रणाली का गवर्नर मण्डल एवं खुले बाजार की कमेटी इन बारह फेडरल रिजर्व बैंकों की नीतियों एवं क्रियाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। स्थूल रूप से इस प्रणाली की संचालन व्यवस्था ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि एक केन्द्रीय बैंक की बारह शाखाएँ हों।

1 Source 56th Annual Report 1969

फडरल रिजव प्रणाली का वतमान ढाचा
(एक दृष्टि मे)

गवनर मडल	सर्वोपरि स्थान, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 7 सदस्य प्रत्येक का कायकाल 14 वष कार्यालय वाशिगटन म स्थित ।
फैडरल खुले बाजार की कमेटी	कुल 12 सदस्य जिनम स गवनर मण्डल के सभी (7) सदस्य और फडरल रिजव बैंको के 5 चुने हुए सदस्य (जिनमे फडरल बैंक आफ न्यूयाक का एक सदस्य) इनके निर्देशो के अनुसार ही फडरल बैंको को खुले बाजार की क्रियाए करनी पडती हैं वष म कम से कम 4 सभाए बुलाना आवश्यक कार्यालय वाशिगटन मे स्थित ।
फडरल सलाहकार परिषद्	कुल 12 सदस्य प्रत्येक फडरल जिले म से एक प्रतिनिधि चुनाव जिले के फडरल बैंक द्वारा प्राय जिले का व्यापारिक-बैंक चुना जाता है । परिषद् केवल परामशदात्री वष म कम स कम 4 बैठकें वाशिगटन म आवश्यक ।
12 फडरल रिजव बक	प्रत्यक फैडरल जिले मे एक एक बैंक, पृथक पृथक समामलित प्रत्यक बैंक प्रमुख नगर म स्थित, प्रत्यक का 1 सदस्यीय सचालक मण्डल, जिले का प्रत्यक सदस्य बैंक इसकी पूजी म अभिदान करता है ।
फडरल रिजव बकों की 24 शाखाए	अपने जिले के फडरल बैंक के कार्यों म सहायता पहुचाना ।
सदस्य बक	नेशनल बैंको के लिए सदस्यता अनिवाय, स्टट बैंको के लिए एच्छिक ।

बोड ऑफ गवर्नर्स
(Board of Governors)

सयुक्त राज्य अमेरिका की फडरल रिजव प्रणाली म गवनर-मण्डल का सर्वोपरि स्थान है । वास्तव म फडरल रिजव प्रणाली का केन्द्रीय नियन्त्रक-अधिकारी (Central Controlling Authority) गवनर मण्डल ही है । यह उल्लेखनीय है कि बैंकिंग एक्ट 1935 क सशोधन क पूव 'फडरल रिजव बोड' था किन्तु इस सशोधन क फलस्वरूप इसका नाम बदल कर 'बोड आफ गवनस' कर दिया गया है ।

गवनर मण्डल का सगठन—फडरल रिजर्व एक्ट (1913) की धारा 10 मे गवनर मण्डल से सम्बन्धित प्रावधान दिए गए हैं। गवनर मण्डल का कार्यालय सयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी, वाशिगटन (Washington) मे है।

सख्या व नियुक्ति—गवनर मण्डल मे कुल 7 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों की नियुक्ति सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति सीनेट के परामश एव सहमति से करते हैं। प्रत्येक सदस्य को गवनर कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि गवनर मडल मे किसी भी फडरल रिजर्व जिले से एक से अधिक सदस्य नियुक्त नही किया जा सकता। राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति करते समय यह विशेष ध्यान रखना होता है कि देश के आर्थिक कृषि औद्योगिक और व्यापारिक हितो एव भौगोलिक विभागो का उचित प्रतिनिधित्व हो जावे।

कायकाल—गवनर मण्डल के सदस्य (गवनर) का कायकाल 14 वर्ष होता। किन्तु ये नियुक्तिया इस प्रकार की जाती हैं कि प्रति दो वर्ष की अवधि के पश्चात् एक गवनर अवकाश प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अवकाश प्राप्त करने वाले सदस्य की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। किन्तु यदि किसी सदस्य ने पूरे 14 वर्ष कार्य कर लिया है तो उसकी पुनर्नियुक्ति नही हो सकती है।

गवनर मण्डल का कोई भी सदस्य अपने काय काल की अवधि मे अथवा यदि उसने नियुक्ति की अवधि के पूर्व अपना स्थान रिक्त कर दिया है तो स्थान रिक्त करने के दो वर्षों के भीतर वह किसी सदस्य बक मे कोई पद स्थान व नियुक्ति (any office position or employment) नही ले सकता। किन्तु यदि उसने अपना कायकाल पूरा कर लिया है तो यह बधन लागू नही होता है। वह अपने कायकाल मे किसी भी बैंकिंग सस्था का—चाहे वह बैंकिंग सस्था का सदस्य हो चाहे गर सदस्य हो—स्टॉक धारी, सचालक अथवा अधिकारी (officer) नही रह सकता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा (remove) दे।

गवनर मण्डल के सदस्यो मे से ही राष्ट्रपति किसी को गवनर मण्डल का अध्यक्ष (chairman) एव अन्य सदस्य को उपाध्यक्ष (vice-chairman) नियुक्त करता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष प्रत्येक का कायकाल 4 वर्ष का होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। गवनर मण्डल का अध्यक्ष इसका क्रियाशील कायकारी अधिकारी (active executive officer) होता है।

सन् 1935 से पूर्व फडरल रिजर्व बोर्ड एव इसके अध्यक्ष को गवनर व उपाध्यक्ष को वाइस गवनर कहते थे किन्तु बैंकिंग एक्ट 1935 के अनुसार अब फडरल रिजर्व बोर्ड के स्थान पर बोर्ड ऑफ गवनर्स एव गवनर व वाइस-गवनर के स्थान पर चेयरमैन' व वाइस चेयरमैन' शब्दो का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक सदस्य को गवनर कहा जाता है।

प्रत्येक सदस्य को नियुक्ति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिन मे पद की शपथ (oath of office) लेनी होती है। किसी सदस्य का कायकाल समाप्त हो

जान पर, वह उस समय तक सदस्य के रूप म काय करता रहता है जब तक कि उसके स्थान पर नियुक्ति न हो जावे।

वार्षिक वेतन—गवनर-मण्डल के समस्त सदस्यो को अपना पूरा समय मडल के कार्यों म लगाना आवश्यक है। सन् 1964 के एक्ट के अनुसार बोड के चेयरमैन का वार्षिक वेतन 30 000 डालर वार्षिक है एव प्रत्येक सदस्य का वेतन 28,500 डालर वार्षिक है। इनके वेतन की राशि में समय-समय पर परिवतन होते रहे हैं—सन् 1949 के एक्ट न गवनर-मडल के सदस्यो का वार्षिक वतन 16,000 डालर निश्चित किया, सन् 1956 के एक्ट ने प्रत्येक सदस्य का वेतन 20,000 डालर व चेयरमैन का 20,500 डालर वार्षिक निश्चित किया।[1]

वेतन आदि के वित्तीय साधन—गवनर मण्डल आगामी 6 महीने के अपन सदस्यो व कमचारियो के वतन व अन्य व्यया का अनुमानित बजट बनाता है। इसके पश्चात् सचालक मण्डल प्रत्येक फडरल रिजव बैंक से उसकी पू जी-स्टॉक एव आधिक्य (surplus) के अनुपात म अद्ध-वार्षिक चन्दे (levy) की राशि प्राप्त करता है इसक अतिरिक्त यदि पिछली छमाही म यदि कोई कमी (deficit) रह गयी हो तो उसे भी प्राप्त कर लेना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गवनर मण्डल के प्रशासनिक व्यया, वेतन तथा अन्य व्यया के लिए काग्रेस राशि प्रदान नही करती वरन् फडरल रिजव बैंक प्रदान करत हैं।

सभाओं का सभापति—गवनर-मण्डल की समस्त सभाओ का सभापति, मण्डल का चेयरमैन होता है। उसकी अनुपस्थिति म वाइस चेयरमैन सभापति होता है। यदि गवनर मण्डल का चेयरमैन एव वाइस चेयरमैन दोनों ही अनुपस्थित हों तो सदस्य आपस म से ही एक सभापति चुन लेत हैं।

गवनर-मण्डल के सदस्य—गवनर मण्डल के सदस्यों के नाम आदि (1 जनवरी 1970 को) इस प्रकार थे—

Chairman	Wm Martin, JR	*of New York*	Jan 31,	1970
Vice Chairman	J L Robertson	*of Nebraska*	Jan 31	1978
Member	Sherman J Maisel	*of California*	Jan 31	1972
,,	J Dewey Danne	*of Virginia*	Jan 31,	1974
,,	George Mitchell	*of Illinois*	Jan 31,	1976
,,	Andrew Brimmer	*of Pennsylvania*	Jan 31	1980
	William Sherrill	*of Texas*	Jan 31,	1982

काय अथवा अधिकार—फडरल रिजव प्रणाली मे गवनर मण्डल सवशक्तिमान हैं। गवनर मण्डल के अनेक अधिकार (powers) हैं, जिनम से अधिकाश का उल्लेख फडरल रिजव एक्ट की धारा 11 मे किया गया है उनम से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 परीक्षण व रिपोट (examination and reports)— इस गवनर मण्डल का प्रत्येक फडरल रिजव बैंक एव प्रत्यक सदस्य बैंक के हिसाब व अन्य पुस्तकों की जाच करने का एव रिपोट मगवाने का अधिकार है।

1 Translated from the foot-note given at the end of Section 10 of the Federal Reserve Act as amended

2 रिपोर्ट का प्रकाशन—गवनर मण्डल प्रति सप्ताह एक विवरण प्रकाशित करता है जिसमे प्रत्येक फडरल बैंक की स्थिति का विवरण होता है और समस्त फडरल बंका का एक सगठित विवरण (consolidated statement) भी प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त गवनर मण्डल फडरल रिजव प्रणाली के कार्यों व नियामो की वार्षिक रिपोट स्पीकर ग्राफ द हाउस को प्रस्तुत करता है जो कि काग्रेस की सूचना के लिए मुद्रित कराता है।

3 पुनकटौती की अनुमति—गवनर मण्डल के कम स कम 5 सदस्यो के पक्ष म मत ग्राने पर यह मण्डल फडरल बका को एक दूसर के बिना की निर्धारित दर से पुनकटौती करने की अनुमति दता है। पुनकटौती की दर गवनर मण्डल ही निश्चित करता है।

4 रिजव ग्रावश्यकताग्रो का स्थगन—फडरल रिजव एक्ट द्वारा फडरल बका को रिजव रखने वाले कोषो की मात्रा को अधिक स अधिक 30 दिनो तक यह गवनर मण्डल स्थगित कर सकता है।

5 फडरल रिजव बको के नोटों का निगमन व निवत्ति (retirement)—कम्प्ट्रोलर ग्राफ करसी के अधीन ब्यूरो के द्वारा फडरल रिजव के नोटो के निगमन व निवृत्ति के कार्यों का निरीक्षण व सचालन करना।

6 रिजव नगरों का पुनवर्गीकरण—वतमान फडरल रिजव एक्ट के ग्रतगत ...इत किए गए रिजव नगरो का पुनवर्गीकरण ग्रथवा रद्द किया जा सकता है।

7 जिलो की सीमा मे परिवतन—गवनर मण्डल को यह अधिकार है कि विद्यमान 12 फडरल जिलो की सामाग्रो म परिवतन कर सके। सन् 1959 तक इस अधिकार का प्रयोग बहुत ही साधारण किया गया किन्तु अलास्का तथा हवाई को सन् 1959 मे राज्य की श्रेणी म सम्मिलित किये जाने के कारण बारहवें फडरल रिजव जिल की सीमा, जिसका मुख्य कार्यालय सन-फ्रासिसको म है इन दोनो राज्यो तक विस्तृत कर दी गई।

8 फडरल बको के अधिकारियो की बर्खास्तगी ग्रादि—फडरल रिजव बक के किसी ग्रधिकारी ग्रथवा सचालक को निलबित (suspend) ग्रथवा बर्खास्त करन का ग्रधिकार गवनर मण्डल को है। इसक सम्बन्ध म यह (गवर्नर मण्डल) लिखित रूप म उस व्यक्ति तथा फडरल बक को सूचना देता है।

9 ग्रधिकारियो की नियुक्ति—प्रत्यक फडरल बक के ग्रध्यक्ष व प्रथम उपाध्यक्ष की नियुक्ति के सम्बन्ध म ग्रपना ग्रनुमोदन (approval) ग्रथवा ग्रस्वीकृति प्रदान करता है।

10 ऋण देना—यदि गवनर-मण्डल के 5 सदस्य पक्ष म मत दें तो एक रिजव बक को दूसरे रिजव बक को ऋण देने की ग्रनुमति प्रदान करता है।

11 कटौती दर—फडरल बका द्वारा निश्चित की गई कटौती दरो (discount rates) को स्वीकार ग्रथवा ग्रस्वीकार करता है।

12 निलंबन आदि—किसी फेडरल रिजर्व बैंक के, यदि आवश्यक हो, निलंबन (suspension) पुनः गठन अथवा बन्द करने के कार्य करता है।

यद्यपि उपरोक्त सूची अपूर्ण है, किन्तु इससे गवर्नर-मण्डल की साधारण शक्तियों का अनुमान अवश्य हो जाता है।

फेडरल खुले बाजार की कमेटी
(Federal Open Market Committee)

फेडरल रिजर्व प्रणाली के पास साख नियन्त्रण करने के साधनों में सबसे शक्तिशाली है—सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिलों स्वीकृतियों आदि को खुले बाजार में क्रय विक्रय करने की शक्ति। फेडरल रिजर्व प्रणाली के ढाँचे में फेडरल खुले बाजार की कमेटी अत्यधिक महत्व की है। इसका कारण यह है कि यह कमेटी यह निर्धारित करने के लिए अधिकारी है कि बैंकों की स्वीकृतियाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी मुद्राओं आदि का किस समय और कितनी मात्रा में क्रय विक्रय किया जाय। मूल फेडरल रिजर्व एक्ट (1913) इस विषय में नितांत स्पष्ट था कि खुले बाजार की क्रियाओं को कौन नियंत्रित करे? इसका परिणाम यह हुआ कि फेडरल रिजर्व बैंक प्रायः पारस्परिक विरोधी नीति अपनाने लगे। उदाहरण के लिए यदि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने अपने सदस्य बैंकों को ऋण की कम मात्रा प्रदान करने की नीति अपनाई अतः अन्य बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय करना बन्द कर दिया अथवा बहुत सीमित कर दिया। अब अन्य रिजर्व बैंक, न्यूयॉर्क के बाजार में उन सदस्य बैंकों से प्रतिभूतियाँ क्रय करना आरम्भ कर देता है तो न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक की ऋण नीति असफल हो गई।

आरम्भिक प्रयत्न—खुले बाजार की क्रियाओं के महत्वशील होने के कारण कतिपय फेडरल रिजर्व बैंकों ने अपनी ओर से इनके नियंत्रण के प्रयत्न किए। सन् 1922 में रिजर्व बैंकों ने खुले बाजार कमेटी का निर्माण किया। इस कमेटी में आरम्भ में चार फेडरल रिजर्व बैंकों—न्यूयार्क, शिकागो बोस्टन और फिलाडेलफिया रिजर्व बैंकों के गवर्नर (उस समय प्रेजीडेन्ट) थे जो खुले बाजार की क्रियाओं की देख रेख करते थे। सन् 1923 में क्लीवलैंड के बैंक के गवर्नर को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस कमेटी का नाम 'खुले बाजार विनियोग कमेटी (Open Market Investment Committee) रखा गया। इस कमेटी में रिजर्व बैंक आफ न्यूयॉर्क का प्रमुख स्थान होने व अन्य फेडरल बैंकों का इसमें प्रतिनिधित्व न होने के कारण, अन्य बैंक इससे ईर्ष्या करने लगे। इस प्रकार की असंतोषजनक स्थिति कुछ वर्षों तक चलती रही। अंत में सन् 1930 में इस कमेटी का पुनः गठन किया गया जबकि Open Market Policy Conference की स्थापना की गई जिसमें समस्त फेडरल रिजर्व बैंक के गवर्नरों को सम्मिलित किया गया।

उपरोक्त कमेटी किसी एक्ट द्वारा शासित न होने के कारण किसी भी फेडरल रिजर्व बैंक को सहयोग देने के लिए अथवा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय में इसके परामर्श व निर्देश मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। अतः सन्

1933 के बैंकिंग एक्ट में 'फैडरल खुले बाजार की कमेटी' की स्थापना का प्रावधान किया गया। इस कमेटी में प्रत्येक फैडरल बैंक का एक-एक प्रतिनिधि सम्मिलित करने का प्रावधान था।

अब गवर्नर मण्डल ने इस बात का विरोध किया कि यद्यपि इस कमेटी के पत्र प्रदान के लिए नियम आदि निर्मित करने का अधिकार तो दिया गया किन्तु स्वयं (गवर्नर-मण्डल का) इस कमेटी में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अतः सन् 1935 के बैंकिंग एक्ट में इस कमेटी के पुनर्गठन के सम्बन्ध में प्रावधान किए गए। साथ ही इस कमेटी को रिजर्व बैंकों की खुले बाजार की क्रियाओं को निर्देश देने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए।

वर्तमान संगठन—बैंकिंग एक्ट 1933 व इसके सन् 1935 के संशोधन के परिणामस्वरूप फैडरल रिजर्व एक्ट में धारा 12-A जोड़ी गई जिसमें फैडरल खुले बाजार-कमेटी से सम्बन्धित प्रावधान किए गए हैं।

इन प्रावधानों के अनुसार फैडरल खुले-बाजार कमेटी में कुल 12 सदस्य होते हैं जिनमें गवर्नर मण्डल के सभी 7 सदस्य सम्मिलित हैं और शेष 5 सदस्य फैडरल रिजर्व बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव द्वारा आते हैं। चुने जाने वाले ये 5 प्रतिनिधि फैडरल रिजर्व बैंकों के अध्यक्ष (President) अथवा प्रथम उपाध्यक्ष ही हो सकते हैं। इन 5 प्रतिनिधियों में से भी एक प्रतिनिधि का चुनाव फैडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क करता है और शेष चार प्रतिनिधियों के लिए शेष फैडरल रिजर्व बैंकों के चार समूह बना दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक समूह एक एक प्रतिनिधि चुन कर भेजता है। प्रत्येक फैडरल बैंक के संचालक मण्डल का एक वोट होता है। ये चार समूह इस प्रकार बनाये गए हैं —

प्रथम समूह—बोस्टन फिलाडेलफिया और रिचमौंड के फैडरल रिजर्व बैंक

द्वितीय समूह—क्लीवलैंड और शिकागो के फैडरल रिजर्व बैंक

तृतीय समूह—अटलांटा डलास और सेंट लुई के फैडरल रिजर्व बैंक

चतुर्थ समूह—मिनियापोलीस कन्सास सिटी और सान-फ्रांसिस्को के फैडरल रिजर्व बैंक।

फैडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की महत्वपूर्ण स्थिति होने के कारण इसका एक प्रतिनिधि सदैव खुले बाजार की इस कमेटी में प्रतिनिधित्व करता है। इस कमेटी में फैडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क को स्थाई प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में विचार 'फैडरल रिजर्व बुलेटिन' में प्रकाशित एक लेख से स्पष्ट होते हैं जिसके एक अंश का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

"संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी फैडरल रिजर्व प्रणाली एवं देश की बैंकिंग व्यवस्था में फैडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का महत्वपूर्ण स्थान है। देश के समस्त 12 फैडरल रिजर्व बैंकों के सम्मिलित साधनों (resources) के लगभग 40 प्रतिशत साधन इस अकेले बैंक के ही हैं। यह देश के केन्द्रीय मुद्रा बाजार (अर्थात् न्यूयार्क) में स्थित है। न्यूयॉर्क सरकारी प्रतिभूतियों का प्रमुख बाजार

है। यह बैंक संयुक्त राज्य अमरिका की सरकार का वित्तीय एजेंट है इसके व्यवहार (transactions) विदेशी केन्द्रीय बैंकों व बैंकर्स एवं विदेशी सरकारों से हैं। अन्य किसी फैडरल रिजर्व बैंक की अपेक्षा विदेशी-विनिमय में इसके व्यवहार सबसे अधिक हैं। अत जनहित की दृष्टि से यह आवश्यक है कि खुले बाजार की कमेटी को सदैव इस बैंक का परामर्श मिलता रहे जिसका देशी व विदेशी मुद्रा व पूंजी बाजारों से निरंतर सम्पर्क है और जिसे इन क्षेत्रों में दीर्घ अनुभव है।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि खुले बाजार कमेटी की सदस्यता के लिए फैडरल रिजर्व बैंकों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही चुनाव लड़ सकते हैं। यदि एक बार किसी फैडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो अगले चुनाव में उपाध्यक्ष ही चुनाव में खड़े होने योग्य होगा, वह अध्यक्ष उस वर्ष चुनाव नहीं लड़ सकेगा, किंतु अगले वर्ष वह अध्यक्ष चुनाव में खड़े होने योग्य होगा वह उपाध्यक्ष नहीं।

अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव—खुले बाजार कमेटी के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव इसके सदस्यों में से किया जाता है और प्रत्येक सदस्य इन पदों के लिए योग्य है। इन पदाधिकारियों का चुनाव भी प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में प्रथम मीटिंग में किया जाता है। पिछले अनेक वर्षों से यह परिपाटी रही है कि गवर्नर मण्डल के अध्यक्ष को ही इस कमेटी का अध्यक्ष चुना जाता रहा है।

कमेटी की सभाएं—खुले बाजार कमेटी की सभाएं (meetings) सदैव वाशिंगटन में होती हैं। फैडरल रिजर्व एक्ट में इस स्थान का प्रावधान (धारा 12A) कर दिया गया है। इस कमेटी की वर्ष में कम से कम चार सभाएं होती हैं। इन सभाओं को फैडरल रिजर्व प्रणाली के गवर्नर मण्डल का अध्यक्ष बुलाता है अथवा इस कमेटी के किन्हीं तीन सदस्यों की प्रार्थना पर भी बुलाई जा सकती हैं किंतु व्यवहार में प्रायः तीन सप्ताह में एक बार इनकी सभा होती है।

फैडरल रिजर्व एक्ट में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है कि प्रत्येक फैडरल रिजर्व बैंक खुले बाजार कमेटी के द्वारा प्रतिपादित नियमों व निर्देशों के अनुसार ही खुले बाजार की क्रियाओं में संलग्न हो सकता है। यदि यह कमेटी विक्रय करने का निर्णय करती है तो प्रत्येक फैडरल रिजर्व बैंक को अपने हिस्से (अनुपात) की प्रतिभूतियों को बेचना पड़ेगा इसी प्रकार कमेटी क्रय करने का निर्णय करती है तो प्रत्येक फैडरल बैंक को अपने हिस्से की प्रतिभूति का क्रय करना पड़ेगा।

फैडरल सलाहकार परिषद
(Federal Advisory Council)

इस परिषद् का नीति निर्धारण में गौण स्थान है क्योंकि यह केवल परामर्श देने का ही काम करती है। इस परिषद् में कुल 12 सदस्य होते हैं। प्रत्येक फैडरल रिजर्व बैंक का संचालक मण्डल अपने फैडरल जिले में एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है जो कि प्रायः बड़े व्यापारिक बैंक होता है। वैसे तो इस परिषद् की

सदस्यता प्रचलित होता है किन्तु प्रत्येक जिले के फेडरल बैंकों का संचालक मंडल अपने प्रतिनिधि के लिए क्षति-पूर्ति एवं भत्ते (compensation and allowances) की राशि निश्चित करता है जिसका अनुमोदन (approval) फेडरल रिजर्व प्रणाली के गवर्नर मंडल द्वारा आवश्यक है।

यह परिषद् केवल परामर्शदात्री ही है। इसे यह अधिकार नहीं है कि फेडरल रिजर्व प्रणाली के मामलों में हस्तक्षेप करे। इस परिषद् का गठन इस उद्देश्य से किया गया था कि सम्पूर्ण देश के व्यापारिक बैंकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से इनके (व्यापारिक बैंकों के) दृष्टिकोण से गवर्नर मंडल को अवगत करा दिया जाय।

इस परिषद् को वर्ष में कम से कम 4 बैठकें (meetings) वाशिंगटन में करनी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त फेडरल रिजर्व प्रणाली का गवर्नर-मंडल भी जब आवश्यक समझे इसकी बैठक बुला सकता है। इसके अतिरिक्त यह परिषद् वाशिंगटन अथवा अन्य स्थानों पर यदि आवश्यक हो तो बैठकें बुला सकता है। बैठक के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए यह परिषद् स्वतन्त्र है। आधे से अधिक सदस्यों की संख्या बैठक का कोरम है।

फेडरल रिजर्व प्रणाली के गवर्नर-मंडल के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह इस परिषद् द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को स्वीकार ही करे, वह उन्हें अस्वीकार कर सकता है। किन्तु इस परिषद् की सिफारिशों का दैनिक समाचार पत्रों एवं आर्थिक पत्रिकाओं के माध्यम से खूब प्रचार व प्रसार किया जाता है जिससे सिफारिशों के सम्बन्ध में जनमत जानने में सुविधा होती है।

7
फैडरल रिजर्व बैंक
[सगठन]

फडरल रिजव एक्ट म यह प्रावधान (धारा–2) किया गया कि सयुक्त राज्य अमरिका को कम से कम 8 व अधिक से अधिक 12 फडरल जिला मे विभक्त किया जाय और प्रत्यक जिले के प्रमुख नगर म एक एक बक स्थापित किया जाय, जिसके नाम म उसका (उस नगर का) नाम भी सम्मिलित हो। परिणामस्वरूप आरम्भ म ही अधिकतम सख्या (12) म जिल व रिजव बैंक स्थापित कर दिए गये। इस प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका म 12 फैडरल रिजव जिल और 12 फडरल रिजव बक हैं।

फडरल बैंक पर अधिकार किसका हो ?
अर्थात
पू जी किसके द्वारा प्रदान की जाये ?

फडरल रिजव एक्ट के पास हाने के पूव यह प्रश्न विवादग्रस्त था कि फडरल रिजव बको की पू जी किसके द्वारा प्रदान की जाये ? इस विषय पर विभिन्न मत थ जिन्हें तीन वर्गों मे विभक्त किया जा सकता है। प्रथम वग इन बको पर जन साधारण के अधिकार के पक्ष म था अर्थात् इन बको के स्टॉक जनता को विक्रय किए जावें। द्वितीय वग इन बैंको पर सरकार के अधिकार के पक्ष मे था, अर्थात् सरकार ही इन बैंको की पू जी प्रदान करे। तृतीय वग इस पक्ष म था कि इन बको पर सदस्य-बैंको का अधिकार होना चाहिए और वे ही इसकी पू जी प्रदान करें।

इस विवादास्पद प्रश्न का ऐसा समाधान निकाला गया जो तीनो ही विचार धारा के पक्षकारो को स्वीकार था। इसके अनुसार फडरल रिजव ब क की पू जी क सम्बन्ध मे तीन प्रावधान किये गए हैं—

1 **सदस्य बकों द्वारा पू जी**—प्रत्येक सदस्य-बक अपनी स्वय की प्रदत्त पू जी एव आधिक्य (its own paid-up capital and surplus) का 6% भाग अपने जिले के फैडरल रिजव बक की पू जी मे अभिदान करेगा।

2 **जनसाधारण द्वारा पू जी**—यदि सदस्य बैंको द्वारा उपरोक्त ढग से प्रदान की गई पू जी अपर्याप्त हुई तो जनसाधारण को फडरल रिजव ब क स्टॉक (stocks) का विक्रय करके आवश्यक पू जी प्राप्त करेगा।

3 **सधीय सरकार द्वारा**—यदि उपरोक्त दोना स्रोतो से प्राप्त पू जी किसी फैडरल बैंक की आवश्यक पू जी स कम होगी तो, उस फडरल बैंक क स्टाक सयुक्त राज्य अमेरिका की सघीय सरकार द्वारा क्रय किए जावेंगे।

प्रत्येक फेडरल बैंक की अभिदान की गई पूंजी (subscribed capital) कम से कम 4 मिलियन डॉलर होनी चाहिए, जो 100–100 डॉलर के अंशों में विभक्त हो। अंशों का आधा मूल्य आरम्भ में व शेष आधा भाग बाद में मांग (call) पर देय है।

वास्तविक स्थिति—यद्यपि जनता व सरकार के लिये पूंजी से सम्बंधित उपरोक्त प्रावधान तो कर दिए गये किन्तु व्यवहार में अभी तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिसमें अन्तगत जनता अथवा सरकार को फेडरल बैंकों द्वारा अपनी पूंजी में अभिदान कराने के लिए प्रस्ताव किया गया हो, और न ही भविष्य में ऐसी सम्भावना है। इतना ही नहीं, सदस्य बैंकों से भी अभी उनकी पूंजी व आधिक्य (capital and surplus) का केवल 3% भाग ही लिया गया है, शेष 3% भाग और लेना शेष है।

अतः वर्तमान स्थिति यह है कि प्रत्येक फेडरल रिजर्व बैंक की एक सम्पूर्ण पूंजी उसके जिले (federal district) के सदस्य बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। सदस्य बैंकों ने अपनी प्रदत्त पूंजी व आधिक्य (paid up capital and surplus) के 3% के बराबर अपने फेडरल रिजर्व को पूंजी प्रदान की है।

कुछ फेडरल रिजर्व बैंकों की प्रदत्त पूंजी (paid up capital) का विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है—

पूंजी (पूंजी मिलियन डालर में)

फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ	1964	1969
सभी बैंकों की	824	669
न्यूयार्क	137	177
शिकागो	75	99
सैन फ्रांसिस्को	70	87
क्लीवलैंड	47	60
अटलांटा	31	43

किसी भी फेडरल रिजर्व बैंक की पूंजी में निम्नलिखित कारणों से परिवर्तन हो जाता है—

1 नया सदस्य—यदि जिले (district) का कोई बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक का सदस्य बन जाता है तो इसकी (फेडरल रिजर्व बैंक की) पूंजी में वृद्धि हो जाती है क्योंकि सदस्य बैंक को अपनी प्रदत्त पूंजी व आधिक्य का 6% भाग उस बैंक की पूंजी में लगाना पड़ता है। इस 6% भाग में से 3% भाग नकद व शेष 3% भाग मांग पर देय होता है।

2 पूंजी में वृद्धि—[illegible] बैंक अपनी [illegible] (surplus) में वृद्धि करता है त[illegible] व आ[illegible] रिजर्व बैं[illegible] में और [illegible]

3 सदस्यता त्यागन—यदि कोई स्टेट बैंक अपनी सदस्यता वापिस ले लेता है (समस्त नैशनल बैंकों को सदस्य होना अनिवार्य है) तो वह अपने द्वारा प्रदान की गई पूंजी को वापिस ले लेता है और फलस्वरूप फैडरल रिजर्व बैंक की पूंजी भी कम हो जाती है।

4 पूंजी कम करना—यदि कोई सदस्य बैंक अपनी पूंजी अथवा आधिक्य (surplus) को कम कर देता है तो वह बैंक अतिरिक्त स्टॉक्स का फैडरल रिजर्व बैंक को दे देता है और फैडरल बैंक की पूंजी कम हो जाती है।

5 बैंक का समापन—अगर किसी सदस्य बैंक का ऐच्छिक समापन (voluntary liquidation) हो जाता है तो वह बैंक फैडरल बैंक को उसके स्टॉक्स का समर्पण (surrender) कर देता है और फैडरल बैंक की पूंजी कम हो जाती है।

पूंजी पर लाभांश—फैडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों को उनके द्वारा प्रदान की गई पूंजी पर अधिकतम 6 प्रतिशत वार्षिक संचयी लाभांश (Cumulative divident) दे सकते हैं। लाभांश की इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकती।

चार्टर अब स्थाई है—फैडरल रिजर्व एक्ट 1913 के आधीन 12 फैडरल बैंक स्थापित हुए। आरम्भ में प्रत्येक फैडरल रिजर्व बैंक को 20 20 वर्ष का चार्टर प्रदान किया गया था किंतु सन् 1927 के अधिनियम के द्वारा चार्टर को असीमित काल के लिए अर्थात् स्थाई कर दिया गया है।

शाखाएं—कुछ फैडरल रिजर्व बैंकों ने कार्य का सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शाखाएं स्थापित कर ली हैं। इस समय फैडरल रिजर्व बैंकों की कुल 24 शाखाएं हैं। शाखाओं का समान वितरण नहीं है—दो फैडरल बैंकों की तो एक भी शाखा नहीं है तीन बैंकों की प्रत्येक की 1-1 शाखा है (कुल 3 शाखाएं), हैं, दो बैंकों की प्रत्येक की 2-2 शाखाएं (कुल 4 शाखाएं) हैं, तीन बैंकों की प्रत्येक की 3 3 शाखाएं (कुल 9 शाखाएं) हैं, और दो बैंकों की प्रत्येक की 4-4 शाखाएं (कुल 8 शाखाएं) हैं। इस प्रकार समस्त फैडरल रिजर्व बैंकों की कुल 24 शाखाएं हैं।

फैडरल रिजर्व बैंक की ये शाखाएं स्वतन्त्र इकाई के रूप में नहीं होतीं वरन् अपने मुख्य बैंक के एक विभाग की भांति होती हैं। इन शाखाओं की स्वयं की कोई पूंजी नहीं होती। उनके कार्य का क्षेत्र उनके मुख्य बैंक पर निर्भर होता है, जिसका अनुमोदन गवर्नर मंडल देता है। प्रत्येक शाखा के प्रबन्ध के लिए उस शाखा का स्वयं का संचालक मंडल होता है जिसमें कम से कम 3 व अधिक से अधिक 7 संचालक होते हैं। इसमें से अधिकांश संचालकों की नियुक्ति मुख्य बैंक करता है और शेष की नियुक्ति गवर्नर-मंडल करता है।

फैडरल रिजर्व बैंक, गवर्नर मंडल की अनुमति से, विदेशी शाखाएं अथवा विदेशी प्रतिनिधि (correspondents) स्थापित अथवा नियुक्त कर सकते हैं। किंतु प्रणाली का अधिकांश विदेशी-व्यापार से सम्बन्धित कार्य फैडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा ही होता है।

फडरल रिजव बैंक की किसी शाखा को बन्द करने का अधिकार उस सम्बंधित बैंक को नहीं है, किंतु यह गवनर मंडल पर निर्भर करता है। गवनर मंडल जब किसी शाखा को बन्द करने के लिए निर्देश किसी फेडरल रिजर्व बैंक को देता है तो वह बैंक उस शाखा को बन्द करने से सम्बन्धित कार्यवाही करता है।

फडरल रिजर्व बैंकों का प्रबंध—प्रत्येक फडरल रिजर्व बैंक का प्रबंध करने के लिए उसका स्वयं का पृथक संचालक मंडल होता है। इस संचालक मंडल में कुल 9 सदस्य होते हैं जिनमे से 6 सदस्यों का चुनाव सदस्य बैंक करते हैं और 3 सदस्यों की नियुक्ति गवनर मंडल करता है। इन 9 संचालकों को तीन वर्गों में बांटा गया है।–A वर्ग के संचालक, B वर्ग के संचालक और C वर्ग के संचालक। प्रत्येक वर्ग के 3 3 संचालक होते हैं।

A वर्ग के संचालक—इस वर्ग के संचालक उस फडरल जिले (federal district) के सदस्य बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं और उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। किसी एक वर्ग के ही सदस्य बैंकों के प्रभाव से रक्षा करने के लिए जिले के सदस्य बैंकों को उनकी पूंजी के अनुसार तीन भागों में बांट दिया जाता है–वृहद् आकार के बैंक, मध्यम आकार के बैंक एवं छोटे आकार के बैंक। ये बैंक अपने प्रतिनिधि चुन कर भेज देते हैं। इस प्रकार संचालक-मंडल में सभी आकार के बैंकों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है।

B वर्ग के संचालक—इस वर्ग के संचालकों की संख्या भी 3 ही है। ये व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो कि चुनाव के समय अपने जिले में व्यापार (Commerce), कृषि अथवा किसी उद्योग में क्रियाशील हों। इस वर्ग का कोई भी संचालक किसी भी अन्य बैंक का अधिकारी, संचालक अथवा कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

C वर्ग के संचालक—इस वर्ग के तीन संचालक होते हैं व उनकी नियुक्ति फडरल रिजर्व प्रणाली का गवनर मंडल करता है। ये संचालक जन हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। नियुक्त किए जाने वाले ये संचालक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि उस जिले में अपनी नियुक्ति से कम से कम दो वर्ष पूर्व से अवश्य रह रहे हों। इनमें से एक संचालक ऐसा अवश्य नियुक्त किया जाता है जिसे बैंकिंग का पर्याप्त अनुभव हो, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को ही संचालक मंडल का अध्यक्ष (Chairman) नियुक्त कर दिया जाता है और C वर्ग के दूसरे संचालक को संचालक मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि फडरल रिजर्व बैंक के संचालक मंडल का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष गवनर-मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है सदस्यों द्वारा उनका चुनाव नहीं किया जाता। संचालक-मंडल का अध्यक्ष ही फडरल रिजर्व प्रतिनिधि (Federal Reserve Agent) होता है जो कि गवर्नर मंडल का अधिकृत प्रतिनिधि (official representative) होता है और उसकी ओर से वैधानिक कार्य (legal functions) करता है। C वर्ग का कोई भी संचालक अपनी कार्यावधि में किसी भी बैंक का अधिकारी संचालक कर्मचारी अथवा स्टॉक-धारी नहीं हो सकता। फडरल रिजर्व प्रतिनिधि के रूप में वह फडरल रिजर्व बैंक के

भवन मे ही एक स्थानीय-कार्यालय (local office) भी स्थापित करता है और समय समय पर आवश्यक प्रतिवेदन (reports) गवनर मडल के पास प्रेषित करता है। उसके इस कार्य के लिए गवनर मण्डल वार्षिक एक राशि निश्चित कर देता है जिसका मासिक भुगतान सम्बन्धित फेडरल बैंक अपने पास से करता है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संचालक मंडल की सभाओं की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है और इन दोनों की अनुपस्थिति में C वर्ग का तीसरा संचालक अध्यक्षता करता है।

रिजर्व बैंकों के अध्यक्षों आदि का वेतन—समस्त फेडरल रिजर्व बैंको के संचालक मण्डलो के अध्यक्षों (Presidents) का वेतन समान नही है। सबसे अधिक वेतन (85 000 डालर वार्षिक) फेडरल बैंक ऑफ न्यूयार्क के संचालक मण्डल के अध्यक्ष का है। नीचे की तालिका में विभिन्न फेडरल बैंको के अध्यक्षों का वार्षिक वेतन कर्मचारियो की संख्या व उनका वार्षिक वेतन बतलाया है—

31 दिसम्बर 1969 को

फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ	प्रेजीडेन्ट (वार्षिक वेतन)	कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल वेतन वार्षिक (डालर में)
न्यूयार्क	85 000	4,420	372 लाख
शिकागो	67,500	2,929	200 लाख
सेन-फ्रांसिसको	60 000	1,936	132 लाख
कंसास सिटी	50 000	1 332	88 लाख
क्लीवलैंड	50 000	1,308	95 लाख
सेंट लुइ	50,000	1,295	88 लाख
फिलाडेलफिया	50 000	1,012	72 लाख
मिनियापोलास	50 000	751	56 लाख
रिशमौंड	45 000	1,688	109 लाख
अटलांटा	45,000	1 627	102 लाख
बोस्टन	45,000	1,316	95 लाख
डलस	45 000	1,936	132 लाख
कुल योग	6 42,500	20,655	14 80 करोड़

संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य उच्च पदाधिकारियों के वार्षिक-वेतन से फेडरल रिजर्व बैंको के अध्यक्षों के वार्षिक वेतन की तुलना कीजिये। तुलना के लिए निम्नलिखित तालिका देखिये—

पद	वार्षिक वेतन
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति	1 लाख डालर
संयुक्त राज्य अमेरिका के चीफ जस्टिस	35 5 हजार डालर
सं रा अमेरिका के उप राष्ट्रपति	35 0 हजार डॉलर
स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव	35 0 हजार डॉलर
सं रा अ का यू एन ओ में प्रतिनिधि	27 5 हजार डॉलर

पद	वार्षिक वेतन
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट	25 0 हजार डॉलर
सक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी	25 0 हजार डालर
अटॉर्नी जनरल	25 0 हजार डॉलर
पोस्ट मास्टर जनरल	25 0 हजार डॉलर
सक्रेटरी ऑफ कामर्स	25 0 हजार डॉलर

फेडरल रिजर्व बैंक की सदस्यता

फेडरल रिजर्व प्रणाली (बैंकों) के निम्नलिखित सदस्य हो सकते हैं—

1 नेशनल बैंक—प्रत्येक नेशनल बैंक के लिये फेडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य होना अनिवार्य है। यह उल्लेखनीय है कि यदि कोई नया नेशनल बैंक स्थापित किया जाता है तो कम्पट्रोलर ऑफ करसी द्वारा केवल चार्टर प्रदान करने मात्र से ही वह नेशनल बैंक फेडरल रिजर्व बैंक का सदस्य हो जाता है। इस सम्बन्ध में फेडरल रिजर्व अधिकारियों के अनुमोदन (approval) की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती।

2 स्टेट बैंक—स्टेट बैंकों के लिये यह ऐच्छिक है कि वे फेडरल रिजर्व प्रणाली के, यदि चाहें तो सदस्य बनें और चाहें तो सदस्य न बनें।

3 नेशनल बैंक में परिवर्तित स्टेट बैंक—यदि कोई स्टेट बैंक, एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत नेशनल बैंक के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से फेडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य बनना पड़ता है। ऐसी दशा में कम्पट्रोलर आफ करसी उसे नेशनल चार्टर प्रदान करता है और चार्टर प्राप्त होते ही वह स्वतः ही फेडरल रिजर्व प्रणाली का सदस्य हो जाता है। इस दशा में भी, फेडरल रिजर्व अधिकारियों के अनुमोदन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं पड़ती।

4 अन्य वित्तीय संस्थाएं—कतिपय अन्य वित्तीय संस्थायें जैसे—पारस्परिक बचत बैंक (mutual savings banks), ट्रस्ट कम्पनियां और औद्योगिक बैंकों के लिये फेडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता ऐच्छिक (voluntary) है। ये संस्थायें फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य, कुछ शर्तों को पूरा करने पर ही, बन सकती हैं।

5 निषिद्ध संस्थाएं—कतिपय अन्य संस्थायें जिन्होंने स्टेट से चार्टर प्राप्त कर लिया है, वे फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं बन सकती हैं। इस वर्ग में ये संस्थायें प्रमुख हैं—बचत एवं ऋण एसोसियेशन्स, विक्रय वित्त कम्पनियां, उपभोक्ता वित्त कम्पनियां एवं साख-संघ (credit unions) आदि।

सदस्यता के लिए योग्यताएं

फेडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता प्राप्त करने के लिए स्टेट-संस्थाओं को कतिपय शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इन शर्तों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 प्रवेश-परीक्षा में (entrance examination) में सफल होना,
2 पूंजी से सम्बन्धित न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना,
3 अपने जिले के फेडरल रिजर्व बैंक की पूंजी में अभिदान करना,

8

फेडरल रिजर्व बैंकों के कार्य

संयुक्त राज्य अमेरिका में 12 फेडरल रिजर्व बैंक (व उनकी कुल 24 शाखाएं) हैं। इन सभी बैंकों पर गवर्नर मंडल का नियन्त्रण है। फेडरल रिजर्व बैंकों के कार्यों का विवरण 'फेडरल रिजर्व एक्ट' की धारा 13 व 13 A में दिया गया है। संक्षेप में फेडरल रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1 निक्षेप स्वीकार करना
2 अंतिम ऋणदाता,
3 उद्योगों व व्यापार को सहायता
4 नोट निर्गमन,
5 मौद्रिक-नीति के संचालन
6 राजवित्तीय एजेंसी सम्बन्धी कार्य
7 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए सेवा,
8 अन्य कार्य।

1 निक्षेप स्वीकार करना—फेडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य-बैंकों व सरकार से चालू खाते में निक्षेप प्राप्त करते हैं। ये निक्षेप वैधानिक-मुद्रा पत्र मुद्रा एवं प्रस्तुत करने पर देय चैक व ड्राफ्ट के रूप में हो सकते हैं।

2 अन्तिम ऋणदाता (Lenders of last resort)—फेडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों को दो प्रकार से ऋण प्रदान करता है—कटौती अथवा पुनकटौती द्वारा एवं अग्रिम द्वारा (discount or re discount and advances) फेडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गये ग्राह्य (eligible) पत्रों की कटौती अथवा पुनकटौती करते हैं और ऐसे पत्रों के आधार पर अग्रिम भी प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये बैंक भी बैंक ऑफ इंगलैंड तथा अन्य केन्द्रीय बैंकों की भांति अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य करते हैं। सदस्य बैंकों के पास जब धन की कमी हो जाती है तो वे अपने जिले के फेडरल बैंक से ऋण प्राप्त कर लेते हैं। यहां इंगलैण्ड के व्यापारिक बैंकों से यह नीति भिन्न है। इंगलैंड में बैंक प्रत्यक्ष रूप (directly) में इस प्रकार ऋण लेना उचित नहीं समझते। इंगलैंड में बैंक मुद्रा बाजार को प्रदान किए गए अपने ऋणों की वापसी मांगने लगते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि बिलों के दलालों एवं बट्टा-गृहों को बैंक ऑफ इंगलैंड से ऋण लेना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी बैंक अपने फेडरल बैंक से प्रत्यक्ष रूप में अग्रिम लेना पसन्द नहीं करते हैं क्योंकि इससे साधारण जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। अतः एक सदस्य बैंक किसी अन्य बैंक से जिसके पास रिजर्व आधिक्य

(excess reserves) है, उधार ले लेता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार मे यह भी देखा गया कि यदि किसी सदस्य-बैंक को धन की आवश्यकता होती है तो अपने जिले के फडरल रिजव बक के पास जाने की अपेक्षा, बाजार मे कुछ सरकारी प्रतिभूतिया विक्रय करके धन प्राप्त करना अधिक अच्छा समझता है।

फडरल रिजव प्रणाली को आरम्भ करने का एक प्रमुख कारण यह भी था कि सदस्य बको को ऋण प्रदान करने का एक नया एव प्रभावशील स्रोत और उपलब्ध हो सके। एक सदस्य बक अपने पास रखे हुए विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र अथवा अन्य विनिमयशील प्रपत्रों या जिसके आधार पर वह अपने ग्राहक को ऋण दे चुका है, फडरल रिजव बक के पक्ष म बधान करके ऋण प्राप्त कर सकता है। सदस्य बैंक इस प्रकार न केवल स्वय के विनिमय पत्रों पर ऋण प्राप्त कर लेता है वरन् अपने ग्राहको के विनिमय-पत्रों पर भी ऋण प्राप्त कर लेता है।

आजकल सयुक्त राज्य अमेरिका म सदस्य-बैंक ट्रेजरी-बिल रखकर फडरल रिजव बक से ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण लेने का आजकल कदाचित यही एकमात्र तरीका है। किसी भी सदस्य बैंक के पास ट्रेजरी-बिल एव विपत्र पड़े हो, किंतु वह ऋण की अवधि को बढ़ाने के लिए फडरल रिजव बक से प्रार्थना नहीं कर सकता। इस विषय म सदस्य-बक व फडरल बैंक के मध्य ठीक वसे ही सम्बन्ध होते हैं जिस प्रकार के एक व्यापारी के बक के साथ होते हैं।

फडरल रिजव बक को यह निर्णय करने का पूर्ण अधिकार है कि वह आवेदन करने वाले सदस्य बैंक द्वारा मागे जाने वाले ऋण को स्वीकार करे अथवा स्वीकार न करे। फडरल रिजव बक बहुत अधिक ऋणों को प्रोत्साहन नहीं देत। यदि फडरल बैंक के विचार म सदस्य-बक अपनी शक्ति से अधिक ऋण ले रहा है तो उसके ऋण लेने के आवेदन-पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है। अत सदस्य बक अपने सामर्थ्य म अधिक ऋण नहीं लेने पाते हैं।

असदस्य बकों को ऋण—जो बक फैडरल रिजव प्रणाली के सदस्य नहीं हैं व भी फडरल रिजव बको से ऋण ले सकते हैं। सदस्य बैंक इस प्रकार की सुविधा मुख्यत दो प्रकार स प्राप्त कर सकते हैं। **प्रथम** असदस्य बक ट्रेजरी-बिलों के आधार पर फडरल रिजव बक स ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इन ऋणो की अवधि 90 दिन होती है। फडरल रिजव बक सदस्य-बकों की अपेक्षा असदस्य-बको से 1% अधिक ब्याज की दर लेते हैं। **द्वितीय** अप्रत्यक्ष तरीका है। इसके अन्तगत असदस्य-बक किसी अन्य सदस्य बक के माध्यम से अपने विनिमय विपत्र की पुनकटौती करा लेता है। ऐसा प्राय असाधारण परिस्थितियो म ही किया जाता है। इसके लिए सदस्य-बैंक को गवनर-मंडल से स्पष्ट अनुमति लेनी होती है। गवनर-मडल भी केवल उस दशा मे ही अनुमति देता है जबकि इसके 7 सदस्यों म से कम से कम 5 सदस्यो ने इसके पक्ष मे अपना मतदान किया हो। असदस्य-बैंकों को इस प्रकार ऋण केवल उसी परिस्थिति मे प्रदान किए जाते हैं जबकि वे अन्य किसी स्रोत (जैसे प्रतिनिधि बक) से ऋण प्राप्त करने म असमर्थ होते हैं।

सदस्य बैंकों से ली जाने वाली दर से 1% अधिक होती है। इस प्रकार असदस्य-बैंक भी फैडरल रिजर्व प्रणाली का लाभ उठा लेते हैं।

यदि किसी प्रतिज्ञा-पत्र अथवा व्यापारिक बिल पर किसी सदस्य-बैंक द्वारा बेचान (endorsement) किया गया हो तो फैडरल बैंक उसकी कटौती (discount) कर सकते हैं। ये प्रतिज्ञा-पत्र अथवा व्यापारिक बिल व्यापारिक औद्योगिक अथवा कृषि के उद्देश्यों से और उनमें ही प्रयोग के लिए, लिखे होने चाहिए। कोई भी ऐसा पत्र अथवा बिल कटौती के समय से अधिक से अधिक 90 दिनों में परिपक्व हो जाना चाहिए।

3 उद्योगों व व्यापार को सहायता—विशेष परिस्थितियों में जबकि अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्त नहीं होते हैं तो फैडरल रिजर्व बैंक उद्योग व व्यापार को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देता है। इसके लिए फैडरल रिजर्व बैंक एकाकी व्यापारी, साझेदारी एवं निगमों के प्रतिज्ञा पत्रों व विनिमय विपत्रों की कटौती करते हैं। फैडरल रिजर्व एक्ट (धारा 13–3) में इस सम्बन्ध में यह प्रावधान किया गया है कि इसके लिए गवर्नर-मंडल के कम से कम 5 सदस्यों के बहुमत से निश्चित अवधि के लिए फैडरल रिजर्व बैंक (अथवा उनको) को इस बात के लिए अधिकृत कर सकते हैं कि वे एक निश्चित दर से एकाकी व्यापारी, साझेदारी व निगमों के प्रतिज्ञा-पत्रों व विनिमय विपत्रों की कटौती कर सकते हैं। ये कटौतियां उन सीमाओं, प्रतिबंधों व नियमों (regulations) के अधीन की जाती हैं जिन्हें गवर्नर मंडल निश्चित करे।

4 नोट निगमन—फैडरल रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों को नोट निगमन करते हैं। अपने ग्राहकों एवं ऋण लेने वालों की आवश्यकताओं] की पूर्ति के लिए सदस्यों को पत्र-मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है।

यह पत्र-मुद्रा समस्त नेशनल बैंक, फैडरल रिजर्व बैंक व सदस्य बैंक स्वीकार करते हैं। सरकार से कर (taxes) आदि भी इनमें स्वीकार किए जाते हैं। इन नोटों को वैधानिक मुद्रा (lawful money) में वाशिंगटन में सरकारी-ट्रेजरी में अथवा किसी भी फैडरल रिजर्व बैंक में बदलवाया जा सकता है। जिन नोटों को सरकारी ट्रेजरी में बदलवाया जाता है उनका वैधानिक - मुद्रा विमोचन-कोष (redemption fund) में से ऐसा किया जाता है और बाद में उन नोटों को मूल फैडरल रिजर्व बैंक को ट्रेजरी लौटा देती है।

फैडरल रिजर्व नोटों के मुद्रण के लिए ट्रेजरी-सचिव के निर्देश पर कम्पट्रोलर ऑफ करेंसी नोटों की प्लेटें व ठप्पे (dies) बनवाता है जिससे नोटों का मुद्रण किया जाता है। ये नोट 1, 2, 5, 10 20, 50, 100, 500 1000, 5000 और 10000 डालर के अंकित-मूल्य के हो सकते हैं। इन नोटों पर उस फैडरल रिजर्व बैंक का नम्बर भी मुद्रित होता है जिसके द्वारा व मुद्रित किए जाते हैं। मुद्रित होने के पश्चात् इन नोटों को संयुक्त राज्य अमेरिका की ट्रेजरी में, अथवा फैडरल रिजर्व बैंक की निकटवर्ती सरकारी उपट्रेजरी अथवा टकसाल में जमा करा दिए जाते

हैं। बाद म बैंक की आवश्यकतानुसार कम्पट्रोलर ऑफ करसी के आदेश के अधीन, उसे दे दिए जाते हैं।

चलन म नोटों के विरुद्ध उनको रिजव रखना पडता है। नोटो की मात्रा का कम स कम 25 प्रतिशत भाग स्वण प्रमाण-पत्रा (gold certificates) में रखना पडता है और शेष सयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी प्रतिभूतियों एव अन्य तरल य प्रतिभूतियो में। कम से कम 5% स्वण प्रमाणपत्र ट्रेजरी के पास एक विमोचन-कोष म रखे जाते हैं।

5 मौद्रिक नीति का सचालक (Regulators of Monetary Policy)—प्रत्येक देश म केन्द्रीय बैंक की स्थापना मुख्यत उस देश की मौद्रिक-नीति का सफलतापूवक सचालन के लिए की जाती है, अत सयुक्त राज्य अमेरिका में भी फडरल रिजव बैंको का भी प्रमुख काय यही है। ये बैंक मौद्रिक नीति के सामान्य साधनो—खुले बाजार की क्रियाओ, बट्टा दरो (वरन् पुनर्कटौती की दरो) मे परिवतन के द्वारा देश की मौद्रिक नीति का सचालन करते हैं। जिस प्रकार इगलैंड में बैंक ऑफ इगलड देश के व्यापारिक-बैंको को समय-समय पर परामश देता है उसी प्रकार फडरल रिजव बोड अपने सदस्य बैंक को परामर्श देता है। जिस प्रकार बैंक ऑफ इगलड मौद्रिक नीति के रूढिवादी पूरक-साधन के रूप में 'नतिक-दबाव' (moral suasion) की नीति को प्रयोग मे लाता है, उसी प्रकार सयुक्त राज्य अमेरिका में नवीन साधन 'ऐच्छिक साख प्रतिरोध' (voluntary credit restraint) प्रयोग म लाया जाता है। मौद्रिक व साख नियत्रण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं—

(क) खुले बाजार की क्रियाए

इङ्गलड म मौद्रिक-नीति को निश्चित करने का दायित्व ट्रेजरी व बैंक ऑफ इङ्गलण्ड दोनों पर सम्मिलित रूप से है किंतु सयुक्त राज्य अमेरिका म ऐसा नहीं है। सयुक्त राज्य अमेरिका म मौद्रिक नीति को निश्चित करने के लिए एक विशेष सस्था (special body) फडरल खुले बाजार की कमेटी (Federal Open Market Committee) है जो कि इस विषय पर फडरल रिजव बोड को परामश देती है। फडरल रिजव बैंक को, इस खुले बाजार की कमेटी के परामर्श के आधार पर, किसी भी फडरल रिजव बैंक को निर्देश देने का अधिकार है कि वह किस सीमा तक खुले बाजार की क्रियायें करें।

खुले बाजार की क्रियाओं की विधि—फडरल रिजव खुले बाजार की क्रियाए फडरल खुले बाजार की कमेटी द्वारा निर्देशित होती हैं। इस कमेटी मे 12 सदस्य होते हैं–7 सदस्य तो गवनर मडल के, फडरल रिजव बक आफ न्यूयॉर्क का अध्यक्ष एव अन्य रिजव बको के 4 चुने हुए प्रतिनिधि किन्तु व्यवहार में प्राय समस्त फडरल बैंको के अध्यक्ष, खुले बाजार खाते का प्रबधक (जोकि फडरल बैंक आफ न्यूयाक का उपाध्यक्ष होता है), गवनर मडल के कमचारी एव अन्य रिजव बैंको के कमचारी भी परामशदाता के रूप मे उपस्थित होते हैं। इस प्रकार खुले बाजार कमेटी की बठक म 12 सदस्यो के अतिरिक्त अन्य अनेक व्यक्ति भी उपस्थित रहते हैं।

इस कमेटी की प्रायः 3 सप्ताह में एक बार बैठक होती है किन्तु इसके सदस्य प्रायः दैनिक ही टेलीफोन द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क रखते हैं। वास्तविक क्रय व विक्रय के व्यवहार खुले बाजार के खाते के प्रबंधक (manager of open market account) द्वारा किये जाते हैं। फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का उपाध्यक्ष (vice-president) ही इसका प्रबंधक होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापारियों की संख्या लगभग 20 है अतः प्रबंधक को इन्हीं व्यापारियों से सम्पर्क रखना पड़ता है। ये व्यापारी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं विश्व के अन्य देशों की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं एवं व्यक्तियों से क्रय तथा विक्रय करते हैं जिनमें फेडरल रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक, नेशनल बैंक एवं सदस्य व असदस्य स्टेट बैंक, बीमा कम्पनियाँ, म्यूचुअल बचत एवं ऋण ऐसोसियशन्स, पेंशन कोष आदि सभी सम्मिलित हैं।

खुले बाजार के खाते का प्रबन्धक खुले-बाजार की क्रियाओं को अत्यंत संयम व लोचपूर्ण ढंग से करता है। वह क्रय अथवा विक्रय अति शीघ्रता से करता है, *क्रय करने अथवा विक्रय करने की दरों में शीघ्रता से परिवर्तन कर सकता है और* यदि वह अभी क्रय कर रहा है तो आवश्यकता होने पर वह तुरन्त ही विक्रय करने लगता है इसी प्रकार यदि वह अभी विक्रय कर रहा है तो वह तुरन्त ही क्रय करने लग सकता है।

" फेडरल रिजर्व बैंकों द्वारा ट्रेजरी बिलों का प्रत्यक्ष क्रय विक्रय खुले बाजार *की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होता। जब फेडरल बैंक ट्रेजरी बिलों आदि को* अपने लिये ही खरीदें अथवा बेचें तो खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत आती हैं। इस दिशा में अन्य विनियोगकर्ताओं की भाँति वे अपने पास से अपने खाते में से भुगतान करते हैं अथवा भुगतान प्राप्त करते हैं। अतः यदि फेडरल रिजर्व बैंक ट्रेजरी बिलों का एजेंसी की हैसियत (in agency capacity) से क्रय विक्रय करते हैं तो ये *खुले बाजार की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होते जैसे जबकि ये बैंक* सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार जब ट्रेजरी इन बैंकों को बिलों का प्रत्यक्ष विक्रय (direct sale) करती है तो भी ये खुले बाजार की क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होते।

यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है। व्यक्तिगत रूप से फेडरल रिजर्व बैंक खुले *बाजार में स्वयं के लिए ट्रेजरी बिलों आदि को नहीं खरीदते। ऐसा होता है कि* फेडरल खुले बाजार की कमेटी, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयार्क को इन ट्रेजरी बिलों आदि के क्रय विक्रय की मात्रा व उद्देश्य आदि के विषय में निर्देश दे देती है और यह बैंक इस कमेटी के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब क्रय विक्रय के व्यवहार खुले बाजार खाते में, फेडरल बैंक ऑफ न्यूयार्क के उपाध्यक्ष का नाम रेख में (जो कि खुले-बाजार खाते के प्रबंधक के पद पर भी काम करता है) किए जाते हैं। खुले बाजार खाते में जो ट्रेजरी बिल आदि क्रय किए जाते हैं उनका अनुभाजन (apportioned) बारह फेडरल रिजर्व बैंकों में कर दिया जाता है और यह अनुभाजन संबंधित फेडरल बैंकों की संपत्ति हो जाती है। इसी प्रकार जब ट्रेजरी–

बिलों का फैडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयार्क इस खाते में से विक्रय करता है तो प्रत्येक फैडरल बैंक का अनुभाग भी कम हो जाता है।

जब खुले-बाजार खाते का प्रबंधक ट्रेजरी बिलों अथवा प्रतिभूतियों का क्रय खुले बाजार में किसी व्यापारी से करता है तो वह इस व्यापारी को फैडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का चैक भुगतान में देता है। वह व्यापारी, इसके पश्चात् उनका भुगतान वास्तविक विक्रेता को करता है। यदि वास्तविक विक्रेता कोई व्यापारिक-बैंक है तो वह बैंक इस चैक को फैडरल न्यूयॉर्क बैंक में, अपने खाते में जमा करावेगा। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि उस व्यापारिक-बैंक के बैंक रिजर्व कोष में वृद्धि हो जावेगी। यदि वास्तविक विक्रेता, बैंक के अतिरिक्त अन्य कोई है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव यह होगा कि जनता में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जावेगी और साथ ही बैंक रिजर्व में डालर की मात्रा भी बढ़ जावेगी, क्योंकि वास्तविक व्यापारी उस चैक को अपने बैंक के पास जमा करावेगा और वह बैंक उसे रिजर्व बैंक में जमा करावेगा।

इसी प्रकार जब खुले बाजार खाते का प्रबंधक, ट्रेजरी बिलों अथवा प्रतिभूतियों का विक्रय करता है तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस दशा में, यदि क्रेता व्यापारिक-बैंक है तो व्यापारिक बैंक के रिजर्व कोष कम हो जावेंगे क्योंकि वह बैंक भुगतान में चैक देगा। यदि क्रेता कोई बैंक नहीं है तो जनता में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है और साथ ही बैंक रिजर्व में डालर की मात्रा कम हो जावेगी।

ट्रेजरी बिलों का क्रय-विक्रय

(अरब डालर)

वर्ष	क्रय	विक्रय
1964	9 50	5 50
1966	15 20	10 30
1967	11 60	8 60
1968	27 10	22 90
1969	33 75	28 40

साख नियंत्रण के लिए खुले बाजार की क्रिया एक लोचपूर्ण साधन है। इस साधन को बिना किसी प्रचार के प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। खुले बाजार की क्रियाओं को मुद्रा-संकुचन व मुद्रा प्रसार के प्रभावों की शक्ति का आंकन के लिए भी साधारण पैमाने पर की जा सकती है। जब फैडरल रिजर्व प्रणाली के अधिकारी अनुभव करते हैं कि मुद्रा प्रसार (अथवा मुद्रा-संकुचन) के देश की अर्थ-व्यवस्था पर हानिप्रद प्रभाव पड़ रहे हैं तो इस साधन का उपयोग बहुत

शक्ति से किया जाता है। इसके उपयोग का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आवश्यकतानुसार एक सप्ताह इसको एक दिशा में तो दूसरे सप्ताह दूसरी दिशा में, प्रयोग किया जा सकता है और आर्थिक-क्षेत्र में कोई भ्रांति भी नहीं होने पाती।

खुले बाजार की क्रियाओं के प्रयोग के लिए देश के व्यापारिक-बैंकों के सहयोग व परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि खुले-बाजार-खाते का प्रबंधक ही इन व्यवहारों को सरकारी प्रतिभूतियों के मान्यता प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से करता है। इन व्यापारियों की संख्या (लगभग 20) अधिक नहीं है। ये व्यापारी सदैव बड़ी मात्रा में ट्रेजरी बिलों को अपने खाते में ही क्रय अथवा विक्रय करने के लिए तत्पर रहते हैं। इन ट्रेजरी बिलों के क्रय तथा विक्रय मूल्य ये व्यापारी ही बतलाने (quote) करते हैं। अतः जब जब ट्रेजरी बिलों का क्रय अथवा विक्रय करना होता है तो इन मान्यता प्राप्त व्यापारियों पर पूर्णतया निर्भर रहा जा सकता है।

उपरोक्त विवरण से यह आशय नहीं है कि इन व्यवहारों से केवल इन व्यापारियों अथवा व्यापारिक-बैंकों के रिजर्व-कोषों में ही परिवर्तन होते हैं। यदि केवल ऐसा ही होता है तो राष्ट्रीय मौद्रिक-नीति के रूप में खुले बाजार की क्रियाएं महत्वहीन होतीं किंतु वास्तविकता यह है कि ये व्यापारी तथा बैंक विभिन्न संस्थाओं व व्यक्तियों के लिए देश के सभी भागों में सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रस्तुत करते हैं।

(ख) कटौती दर
(Discount Rate)

फेडरल रिजर्व प्रणाली की स्थापना के पूर्व यह मान्यता थी कि केन्द्रीय बैंक के पास मौद्रिक प्रसार एवं संकुचन को नियंत्रण करने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन कटौती-दर (अर्थात् बट्टा दर) थी। बैंक ऑफ इंगलैंड तथा विश्व के अन्य केन्द्रीय बैंकों के पास सामान्य साख नियंत्रण के लिए कटौती-दर एक महत्वशील साधन रहा है। अतः फेडरल रिजर्व एक्ट के निर्माताओं ने भी संयुक्त राज्य अमरिका की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के हेतु कटौती-दर का साधन फेडरल रिजर्व अधिकारियों को देना उचित समझा।

फेडरल रिजर्व प्रणाली के संस्थापकों ने कटौती दर को दंड-दर (penalty rate) नहीं माना अर्थात् कटौती दर को इतना ऊंचा नहीं रखा कि संकट काल में मजबूर होकर ही ऋण लें और सामान्य परिस्थितियों में इसका उपयोग न कर सकें। वरन् यह आशा की गई थी कि सदस्य बैंक अपने ग्राहकों को ऋण आदि लेने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपने फेडरल रिजर्व बैंक के पास आया जावेंगे।

यह सोचा गया था कि कटौती-दर ही सदस्य-बैंकों को अपने फेडरल बैंक से ऋण लेने को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित करते हैं। यदि अधिकारी यह समझते हैं कि देश में मुद्रा का आधिक्य है तो स्थिति को ठीक करने के लिए वे कटौती दर में वृद्धि कर देंगे ताकि सदस्य-बैंकों को ऊंची दर पर ऋण मिलेंगे और वे अपने

ग्राहकों को भी ऊँची दर स ऋण देंगे। इसका सामान्य प्रभाव यह होगा कि सामान्य जनता ऋण लेने को हतोत्साहित होगी और मुद्रा का आधिक्य ठीक (correct) हो जावेगा। इसके विपरीत यदि अधिकारी मुद्रा का प्रसार करना चाहते हैं तो वे कटौती-दर को नीचा कर देंगे ताकि ब्याज की दरें भी कम हो जावेंगी और ऋण लेन को प्रोत्साहन मिलेगा।

वतमान महत्व—सयुक्त राज्य अमेरिका मे साख एव मौद्रिक नियन्त्रण के साधन के रूप मे 'कटौती दर' का महत्व बहुत ही कम हो गया है। वहा इसके लिए खुले बाजार की क्रियाए अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन हैं। वहा खुले बाजार की बडे पैमाने पर क्रियाए ब्याज-दर को प्रभावित करती हैं क्योकि जब बडे पमाने पर प्रतिभूतियां आदि का क्रय फडरल बक के द्वारा किया जाता है तो इन प्रतिभूतियों के भाव बढ जाते है (माग अधिक होन क कारण) अत उनसे आय (yield) कम हो जाती है। बडे पमाने पर इनके विक्रय करन का विलोम प्रभाव पडता है।

अत सयुक्त राज्य अमेरिका म कटौती दर अन्य ब्याज की दरों के पीछे-पीछे चलती है अर्थात् जब अन्य ब्याज की दरें ऊची हो जाती हैं तो उसके पश्चात् कटौती दर को भी ऊचा कर दिया जाता है और जब ब्याज की अन्य दरें नीची हो जाती हैं तो उसके पश्चात् कटौती दर को भी नीचा कर दिया जाता है। कटौती दर म परिवतन बाजार दरों से समन्वय बनाये रखन क लिए किए जाते हैं न कि मुद्रा व साख नियन्त्रण के लिए। जबकि इगलैंड, भारत, जापान व अन्य देशो म अन्य ब्याज की दरे कटौती दर के पीछे पीछे चलती हैं। यह तो सयुक्त राज्य अमरिका ही की प्रणाली की विशेषता है। यह उल्लखनीय है कि सयुक्त राज्य अमरिका मे कटौती का व्यवसाय, इगलड की अपेक्षा कही कम है।

फिर भी तक दिया जाता है कि सयुक्त राज्य अमरिका म कटौती-दर का भी प्रभाव है। वहा कटौती दर का 'मनोवैज्ञानिक महत्व (Psychological significance) अधिक है। यदि बाजार दर में परिवतन होने के पश्चात् कटौती दर म भी परिवतन कर दिया जाता है तो इस कार्य से बाजार-दर की प्रवृत्ति की पुष्टि हो जाती है। दूसरी ओर, यदि बाजार-दर म तो परिवतन हो जाता है किंतु कटौती-दर में परिवतन नही किया जाता तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पडता है कि बाजार दर म परिवतन केवल आकस्मिक अथवा मौसमी है।

यहा एक बात और उल्लखनीय है। सयुक्त राज्य अमेरिका के सभी (12) फडरल रिजर्व बैंक अपनी पृथक कटौती दर निर्धारण करने म स्वतन्त्र है, किंतु व्यवहार मे वे इस सम्बन्ध म फडरल बक ऑफ न्यूयार्क का अनुसरण करते हैं और इस प्रकार सभी फडरल बकों की कटौती दर समान रहती हैं।

फडरल रिजव बक कटौती दर

(31 दिसम्बर को)

वष	कटौती दर
1964	4%
1966	4½%

वर्ष	कटौती दर
1967	4½%
1968	5½%
1969	6%
1970	%

(ग) रिजर्व सम्बन्धी आवश्यकताएं
(Reserve Requirements)

मूल फैडरल रिजर्व एक्ट 1913 में बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व के सम्बन्ध में गवर्नर मंडल को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट ने रिजर्व बैंकों द्वारा रखे जाने वाले रिजर्व का अनुपात निर्धारित कर दिया था और यह भी निश्चित कर दिया था कि 'रिजर्व' की राशि में क्या-क्या सम्मिलित है। सन् 1914 से 1917 तक बैंक की तिजारियों (vaults) में रखा हुआ धन और फैडरल रिजर्व बैंकों के पास बैंक के निक्षेपों को 'रिजर्व' की राशि में सम्मिलित किया जाता रहा। सन् 1917 से 1959 तक तिजोरियों में रखे हुए धन को 'रिजर्व' की राशि में सम्मिलित नहीं माना गया, केवल फैडरल रिजर्व बैंकों के पास बैंकों के निक्षेप को ही 'रिजर्व' में सम्मिलित किया जाता रहा। सन् 1959 से गवर्नर मंडल ने रिजर्व में तिजारियों में रखे धन को भी पुन रिजर्व की राशि में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

मूल फैडरल रिजर्व एक्ट में माँग दायित्व (demand liability) का केन्द्रीय रिजर्व नगरों में 18%, रिजर्व नगरों में से 15% और कन्ट्री बैंकों के लिए 12% रखा गया था। सभी बैंकों के लिए समय-दायित्व (time liability) का 5% रिजर्व रखना अनिवार्य किया गया।

सन् 1917 में फैडरल रिजर्व एक्ट में संशोधन किया गया जिसके अनुसार सदस्य बैंकों के पास उनकी तिजोरियों की राशि व प्रतिनिधि बैंकों (correspondent banks) के पास निक्षेपों को रिजर्व की राशि में सम्मिलित नहीं किया गया और रिजर्व की राशि केवल फैडरल रिजर्व बैंक में रखी जा सकती थी। इस संशोधन से सदस्य बैंकों के पास कठिनता नहीं आई क्योंकि रिजर्व का अनुपात भी पर्याप्त कम कर दिया गया। इसके अनुसार माँग-दायित्व का केन्द्रीय रिजर्व नगरों में 13% रिजर्व नगरों में 10% और कन्ट्री बैंकों को 7% रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया। समय दायित्व का 3% रिजर्व में रखना अनिवार्य किया गया।

सन् 1935 के अक्किग एक्ट ने गवर्नर मंडल को रिजर्व अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार दिया किन्तु न्यूनतम व अधिकतम रिजर्व अनुपात की सीमाएं निर्धारित कर दी। गवर्नर मंडल, सन् 1917 के संशोधन द्वारा निश्चित किए गए रिजर्व अनुपात से कम रिजर्व अनुपात निश्चित नहीं कर सकते। यह न्यूनतम सीमा थी। इस अनुपात से दो गुने से अधिक रिजर्व अनुपात (क्रमश 26 20 14 प्रतिशत, व 6%) निश्चित नहीं कर सकते। यह अधिकतम सीमा थी। बाद में सन् 1948 1959, व अन्य कानूनों द्वारा गवर्नर-मंडल को इस सबंध में और

अधिक विस्तृत अधिकार दिए गए। 1 जनवरी 1970 म सदस्य-बैंको द्वारा अपने फडरल-बैंक के पास इस प्रकार रिजव रखना पड रहा था—

कुल माग निक्षेप		कुल समय निक्षेप
रिजव सिटी बैंक	कन्ट्री बैंक	
17½%	13%	3%

रिपोट प्रेषित करना—प्रत्येक सदस्य बक को अपने जिले (district) के फडरल बैंक का अपने माग पर दय निक्षेपों और तिजोरियो म रखी हुई राशि का प्रत्यक दिन विवरण भेजना पडता है। वृहस्पतिवार से अगले बुधवार को समाप्त होने वाले सप्ताह की मात्र दैनिक रिपोर्टों के आधार पर फडरल बक देखता है कि सबंधित बैंक ने रिजव की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी की हैं अथवा नही। यदि उस बक ने औसत रूप से (on the average) सप्ताह मे रिजव की आवश्यकताएँ पूरी की हैं तो यह माना जावेगा कि उसने ये आवश्यकताएँ पूरी की है। उदाहरण के लिए यदि माग निक्षेप का 20% रिजव मे रखना है और औसत रूप से उस बैंक के पास उस सप्ताह 100 मिलियन डालर के माग निक्षेप थे। उस बक ने अपने फडरल-बक के पास बृहस्पतिवार से बुधवार तक क्रमश रिजव रखा (मिलियन डालर 18+12+10+15+25+20+40=140÷7=20) तो माना जायगा कि उसने रिजव नियमानुसार रखा।

यदि कोई बैंक रिजव की पर्याप्त मात्रा अपने फडरल रिजव बैंक के पास नही रखता है तो जितनी राशि जितने दिन कम रहती है, उस राशि पर उतने दिनो का ब्याज कटौती दर से 2% ऊँची दर से लिया जाता है।

अत रिजव की मात्रा बको की ऋण देने की क्षमता पर प्रभाव डालत है और जिससे साख व मुद्रा पर नियत्रण मे सहायता मिलती है।

(घ) नतिक दबाव
(Moral Suasion)

साख नियत्रण के साधनो के रूप मे नतिक दबाव को भी एक साधन माना जाता है। वास्तव मे नतिक दबाव के साधन को नियत्रण का साधन नही मानना चाहिए क्योंकि इसम किसी प्रकार के दबाव अथवा जबरदस्ती का तत्व नही होता वरन् यह सदस्य बैंको द्वारा ऐच्छिक-सहयोग (Voluntary Cooperation) है।

अन्य देशो मे तो साख नियत्रण के साधन के रूप म नतिक दबाव सफल हो सकता है किन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका म यह साधारणतया सफल नहीं हो सकता। इसका प्रमुख कारण यह है कि अन्य देशो म शाखा बैंकिंग होने के कारण बैंको की सख्या पर्याप्त कम है अत उन्हे समझाना-बुझाना सरल है किन्तु समस्त

अमेरिका मे इकाई-बैंकिंग होने के कारण बैंकों की संख्या हजारो मे है जो कि सपूर्ण देश मे बिखरे हुए हैं और आधे से अधिक बैंक फेडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य भी नही है, अत नतिक दबाव का साधन साख नियन्त्रण के लिए सामान्यत सफल नही हो सकता।

व्यवहार मे यह देखा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका मे कोरिया के युद्ध के समय अथवा अन्य राष्ट्रीय सकटकालीन परिस्थिति मे यह साधन कुछ प्रभावशाली रहा है। कोरिया-युद्ध के समय, फेडरल रिजर्व प्रणाली की प्रार्थना पर सभी वित्तीय संस्थाओं ने एक 'National Voluntary Credit Restraint Committee स्थापित की जिसका उद्देश्य यह बतलाना था कि कौनसी साख का उपयोग राष्ट्र के हित मे है और कौनसी साख का उपयोग राष्ट्र के अहित मे है। यद्यपि यह सब ऐच्छिक था किन्तु इसने प्रभावशील ढग से साख पर नियन्त्रण किया।

इस अनुभव से यह निष्कर्ष नही निकाल लेना चाहिए कि नतिक-दबाव के साधन के द्वारा शान्ति के अर्थात् सामान्य समय भी सयुक्त राज्य अमेरिका मे साख पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

6 राजवित्तीय एजेंसी सबधी कार्य (Fiscal Agency Functions)—फेडरल रिजर्व बैंक राजवित्तीय एजेंसी सबधी कार्य भी करते हैं, दूसरे शब्दों मे य फेडरल रिजर्व बैंक 'सरकार के प्रमुख बैंकर' के रूप में कार्य करते हैं। इस रूप मे य निम्नलिखित प्रमुख सेवाएं प्रदान करते हैं—

1 वित्तीय परामर्शदाता
2 सरकारी आय को प्राप्त करना व भुगतान करना,
3 ट्रेजरी बिलों को सेवाएं प्रदान करना,
4 सरकार के लिए स्वर्ण व विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना
5 सरकार को ऋण देना।

1 वित्तीय परामर्शदाता (Financial Advisor)—फेडरल रिजर्व बैंक सरकार के परामर्शदाता के रूप मे भी कार्य करता है। ट्रेजरी व अन्य सरकारी विभाग फेडरल रिजर्व बैंक पर वित्तीय सूचनाओं एव परामर्श के लिए पूर्णतया निर्भर नही रहते क्योंकि इसके लिए उनके स्वय के कर्मचारी एव अन्य अनेक स्रोत हैं। फेडरल रिजर्व मुद्रा प्रतिभूतियो एव विदेशी विनिमय बाजारो के निकट सम्पर्क मे रहते हैं अत य सरकार के ऋण प्रबंध व विदेशी विनिमय व्यवहारों में सरकार के बहुत सहायक होते है।

2 सरकार के बैंकर—फेडरल रिजर्व बैंक सामूहिक रूप से सघीय-सरकार के कोषो के प्रमुख निक्षेप हैं। सरकार की देय कर (Taxes) व अन्य आय प्राय ये बैंक, सरकार की ओर से प्राप्त करते है। सरकारी प्रतिभूतियो के निर्गमन का प्रबंध करते हैं उन प्रतिभूतियो का विक्रय करते हैं समय पर ब्याज का भुगतान करते हैं और परिपक्वता पर उनका भुगतान करते है। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से अन्य भुगतान करते है।

3 ट्रेजरी को सेवाएं प्रदान करना—ट्रेजरी अपने निक्षेपों के एक भाग को फैडरल रिजर्व में रखती है। ट्रेजरी के निक्षेपों का केवल एक छोटा सा अंश ही फेडरल रिजर्व के पास रहता है, शेष निक्षेप देश के हजारों व्यापारिक-बैंकों के पास रहते हैं। जबकि ट्रेजरी प्रतिभूतियों का बड़ी मात्रा में निर्गमन करती है तो फेडरल रिजर्व विशेष रूप से सहायक होते हैं क्योंकि इन प्रतिभूतियों के मूल्य का भुगतान प्राय चैकों के द्वारा ही होता है। ट्रेजरी के निर्देश पर सरकार के कोषों को स्थानान्तरित करते है। ट्रेजरी बिलों के निर्गमन, उनके मूल्यों को प्राप्त करना, ब्याज का भुगतान करना व परिपक्वता पर उनका भुगतान करना, आदि प्रमुख काम हैं, जो फेडरल रिजर्व बैंक करते हैं। यद्यपि ट्रेजरी भी देश के हजारों बैंकों को निक्षेपक के रूप में प्रयोग करती है किन्तु भुगतान प्राय फैडरल रिजर्व बैंकों के माध्यम से ही करती है। अत जब ट्रेजरी, व्यापारिक-बैंकों में अपने कोषों का उपयोग करना चाहती है तो वह व्यापारिक-बैंकों को अपने कोष फेडरल रिजर्व बैंक में हस्तांतरित करने का आदेश देती है।

ट्रेजरी अपने कोषों में से भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों चैक लिखती है। ये चैक प्राय सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, सेना के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, पेंशन देने के लिए, विभिन्न सामग्री को क्रय करने के मूल्य का भुगतान करने के लिए व अन्य लाखों प्रकार के भुगतान करने के लिए लिखे जाते हैं। नीचे की तालिका में फेडरल रिजर्व बैंकों द्वारा, सरकारी चैकों के व्यवहारों की संख्या बतलाई गई है जो ट्रेजरी पर लिखे गये थे—¹

वर्ष	चैकों की संख्या (करोड़ों में)
1964	46 72
1965	49 20
1966	50 40
1967	54 00
1968	55 50
1969	57 50

अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की भांति, फेडरल रिजर्व बैंक भी ट्रेजरी (व सरकार) को प्राय समस्त सेवाएं नि शुल्क प्रदान करता है। ट्रेजरी केवल कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं के लिए बैंकों की क्षतिपूर्ति करती है। ये बैंक ट्रेजरी के अपने पास निक्षेपों पर ब्याज नहीं देते हैं।

4 स्वर्ण व विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय—राष्ट्र के मौद्रिक स्वर्ण का अभिरक्षक (custodian) ट्रेजरी है। ट्रेजरी मौद्रिक उद्देश्यों के लिए स्वर्ण का क्रय-विक्रय करती है। प्राय इन सभी व्यवहारों में फेडरल रिजर्व, ट्रेजरी के रूप में कार्य करते हैं। फेडरल रिजर्व, अपने लिए व ट्रेजरी की ओर से एजेंट के रूप में, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करते हैं।

6 सरकार के ऋणदाता—ट्रेजरी को फैडरल रिजर्व बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण (direct borrowing) प्राप्त करने में बड़ी सुविधा रहती है। असीमित मात्रा में ऋण लेना हानिप्रद होता है। अतः कानून द्वारा इस शक्ति को सीमित कर दिया गया है। फैडरल बैंक में प्रत्यक्ष रूप से (directly) किसी भी समय 5 बिलियन डालर से अधिक ऋण ट्रेजरी के नाम नहीं होने चाहिए।

7 अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए सेवाएं—फैडरल रिजर्व बैंक—विशेषतः फैडरल रिजर्व बैंक आफ न्यूयॉर्क अनेक विदेशी सरकारों, विदेशी केन्द्रीय बैंकों और अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं—जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) पुनर्निर्माण व विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक (I B R D) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (I F C) आदि के लिए भी वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।

8 अन्य सेवाएं अथवा कार्य—बैंक आफ इंगलैंड की भांति फैडरल रिजर्व बैंक भी निजी ग्राहकों से भी व्यवहार करते हैं किंतु ये व्यवहार अत्यंत सीमित मात्रा में होते हैं। इसका कारण यह है केन्द्रीय बैंकिंग का यह मान्य सिद्धान्त है कि केन्द्रीय बैंक को देश के अन्य व्यापारिक-बैंकों से सामान्य-व्यवहारों में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए।

फैडरल रिजर्व बैंकों का चिट्ठा

(Combined Balance Sheet of Federal Reserve Banks)

अब हम सभी फैडरल रिजर्व बैंकों का सामूहिक चिट्ठा दे रहे हैं। इसमें केवल अत्यन्त महत्वपूर्ण मदें दिखाए गये हैं—

Combined Balance Sheet of All Federal Reserve Banks
(December 31 1969)

Liabilities	मिलियन डालर
Federal Reserve Notes	60,412
Deposits—	
Member bank reserves	21,979
U S Treasurer—General A/c	1,312
Foreign	133
Other liabilities	..
Total	83 944
Assets	
Gold Certificates	10,036
F R Notes of other F R Banks	770
Other cash	110
Discount and advances	183
Acceptances	630
U S Govt Securities	57,400
Other assets	
Total	83 944

इस प्रकार स्पष्ट है कि इन फैडरल रिजर्व बैंकों का सामूहिक चिट्ठा 31 दिसम्बर 1969 को लगभग 84 अरब डालर का था।

9

फैडरल रिजर्व प्रणाली का आलोचनात्मक अध्ययन एव प्रस्तावित सुझाव

सयुक्त राज्य अमेरिका म फडरल रिजव प्रणाली को स्थापित हुए लगभग 60 वष होने जा रह हैं, अत इस अवधि में इस प्रणाली म अनेक परिवतन हुए हैं। इस प्रणाली में कतिपय दोष दृष्टिगोचर होते हैं। व्यवहार मे, जो कि मूलत एक क्षीण एव विकेंद्रित 'कागजी शेर' (paper tiger) मौद्रिक–अधिकारी (monetary authority) था, वह एक वास्तविक केन्द्रीय–बैंक के रूप म परिणत हो गया है।

1 गवनर–मडल के सदस्यों का चुनाव दोषपूर्ण

फडरल रिजव एक्ट की धारा 10 में गवनर मडल के सदस्यो की नियुक्ति व योग्यताए से सबधित प्रावधान दिए गय हैं। इसके अनुसार गवनर–मडल मे 7 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति स० रा० अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। इन सदस्यो की नियुक्ति 14 वष के लिए की जाती है। यद्यपि इन सदस्यो का पद फडरल रिजव प्रणाली मे अत्यंत महत्वशील है किंतु राष्ट्रपति को इनके चुनाव मे पूणत स्वतन्त्रता नही है। एक्ट म इनके चुनाव के लिए राष्ट्रपति के लिए दो बधन हैं–क्षेत्र सबधी और व्यवसाय सबधी। धारा 10 (1) के आवश्यक भाग का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है, मडल के सदस्यो का चुनाव करते समय किसी एक फेडरल जिले से एक से अधिक सदस्य का चुनाव नहीं किया जायेगा, राष्ट्रपति वित्तीय, कृषि, औद्योगिक और व्यापारिक हितो के उचित प्रतिनिधित्व एव देश के भौगोलिक विभागो का उचित ध्यान रखेगा।"[1]

गवनर मडल के सदस्यों के चुनाव म जो व्यावसायिक तथा भौगोलिक विभाग सबधी प्रतिबध रखे हैं ये कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं करते वरन् इन प्रतिबधों से सर्वोत्तम व्यक्तियो के चुनाव म रुकावट ही पड सकती है। अत इन प्रतिबंधो को हटा देना चाहिए।

---

1 In selecting the members of the Board not more than one of whom shall be selected from any one Federal Reserve district the President shall have due regard to a fair representation of the financial agricultural industrial and commercial interests and geographical divisions of the country

2 अध्यक्ष का कार्यकाल उचित नहीं

फैडरल रिजर्व एक्ट की धारा 10 (2) के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति गवर्नर मंडल के 7 सदस्यों का चुनाव करता है और उन सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष (chairman) व दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। इनकी नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अध्यक्ष के कार्य-काल की अवधि विवादास्पद है।

फैडरल रिजर्व प्रणाली में गवर्नर-मंडल के अध्यक्ष का स्थान सर्वोपरि होता है। राष्ट्रपति व गवर्नर मंडल के अध्यक्ष में सामंजस्य होना चाहिए अतः इसमें यह संभावना अधिक है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के सम्मुख वह गवर्नर मंडल हो जो कि उसके पूर्व के राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो।

गवर्नर मंडल के सदस्यों का कार्य काल 14 वर्ष काफी अधिक प्रतीत होता है। अतः यह परामर्श दिया गया है कि गवर्नर मंडल के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल राष्ट्रपति के कार्यकाल के अनुसार ही हो ताकि नया राष्ट्रपति अपनी टीम के व्यक्तियों को ला सके और मौद्रिक नीति सुचारु रूप से कार्यान्वित हो सके। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का तो यह मत है कि गवर्नर मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल निश्चित न होकर राष्ट्रपति की इच्छा पर होना चाहिए।

किंतु उपरोक्त आलोचना हमारे विचार से ठीक नहीं है। गवर्नर मंडल का राजनीति से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि जब इस संस्था में राजनीति का प्रवेश हो जावेगा तो उससे राष्ट्र हित की आशा नहीं करनी चाहिए। पाठकों को ध्यान होगा कि सैकिंड बैंक आफ द यूनाइटेड स्टेटस के चार्टर का नवीनीकरण सन् 1836 में केवल इसीलिए नहीं हुआ कि बैंक के अध्यक्ष निकोलास बिडिल तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जैक्सन के मध्य राजनीतिक व व्यक्तिगत तनाव था। अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि इन दोनों के मध्य संघर्ष नहीं होता तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली का आज दूसरा ही रूप होता। अतः गवर्नर मंडल का अध्यक्ष निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होना चाहिए।

सदस्यों के कार्यकाल के सम्बन्ध में जो आलोचना की जाती है वह कुछ अंशों में तो सत्य ही है। 14 वर्ष की अवधि बहुत अधिक होती है—इससे नये योग्य व्यक्तियों को प्रवेश नहीं मिल पाता और सदस्यों में सुस्ती (slackness) आने की संभावना अधिक रहती है। अतः कुछ विद्वानों का मत है कि गवर्नर मण्डल के समस्त सदस्यों के कार्य-काल की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए एवं वे पुनर्नियुक्ति के योग्य हों।

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार गवर्नर मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 14 वर्ष है एवं अपना कार्यकाल पूरा कर लेने के पश्चात वे पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं है। इससे योग्य व अनुभवी व्यक्तियों की सेवाओं से विरत रहना पड़ सकता है।

3 गवर्नर-मंडल का आकार बड़ा

गवर्नर मंडल के 7 सदस्य होते हैं जोकि आदर्श संख्या प्रतीत नहीं होती।

इस मडल मे कम सदस्य होने चाहिए। अथवा 5 सदस्या की सख्या आदश प्रतीत होती है। कम सदस्य (3 अथवा 5) होन से उसकी प्रतिष्ठा मे वृद्धि होती है और अति-योग्य व्यक्ति भी आकर्षित होत हैं। नीति निर्धारण मे भी अधिक सदस्य होन से कठिनाई पड सकती है। अधिक सदस्य होने से गवनर मडल के अध्यक्ष एव सदस्या के मध्य ताल (rhythm) बठना कठिन हा जाता है।

4 वेतन अधिक हैं

फडरल रिजव बैंको के वेतन काफी अधिक प्रतीत होते हैं, विशेषत जब सयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य उच्च अधिकारियो के वेतन से तुलना की जावे। उदाहरण के लिए, फडरल रिजव बक आफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष का वार्षिक वतन 85 हजार डॉलर है जबकि सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का वार्षिक वतन एक लाख डॉलर, चीफ जस्टिस का वार्षिक वतन 35 5 हजार डॉलर, सयुक्त राज्य अमरिका के उपराष्ट्रपति का वार्षिक वेतन 35 हजार डालर है।

5 खुले बाजार कमेटी का सगठन दोषपूर्ण

वतमान खुले बाजार की कमटी का सगठन दोषपूर्ण है। इसम वतमान व्यवस्था के अनुसार कुल 12 सदस्य हैं–7 गवनर मडल के सदस्य और 5 फडरल रिजव बैंको के प्रतिनिधि होते हैं। इन 5 प्रतिनिधियो म से एक तो फडरल रिजव बक ऑफ न्यूयॉर्क का प्रतिनिधि होता है और शेष 4 प्रतिनिधियो का चुनाव शेष 11 फडरल रिजव बको म से किया जाता है। यह प्रणाली दोषपूर्ण है। इस सबध म यह परामश दिया जाता है कि खुले बाजार की कमेटी म केवल गवनर-मडल के सदस्य ही होने चाहिए।

उपरोक्त परामश के विपक्ष मे प्राय यह तक दिया जाता है कि अन्य फडरल रिजर्व बका के प्रतिनिधि वास्तव मे देश के विभिन्न भौगोलिक विभागो के प्रतिनिधि होते हैं क्योकि वे अपने साथ अपन क्षेत्र की दशाओ की सूचना लाते हैं और गवनर-मडल के सदस्या को उनसे अवगत कराते हैं, अत मौद्रिक नीति राष्ट्र के हित मे बनाई जाती है।

किंतु उपरोक्त तक व्यथ सा प्रतीत हाता है क्योकि यदि वे इस कमटी के सदस्य न भी हा तथा मताधिकार नही भी हो तो भी कोई कारण नही कि उनसे परामश,सूचनाए अथवा सहायता न मिल सके। व्यवहार म देखा गया है कि समस्त निणया म गवनर-मण्डल की ही ध्वनि महत्वपूण होती है। इसके अतिरिक्त गवनर मण्डल के सदस्या की सख्या अन्य प्रतिनिधियो की सख्या से अधिक है अत निर्णय वे ही लिए जावेंगे जा गवनर-मण्डल चाहता है। यदि अन्य शेष समस्त प्रतिनिधि किसी विशेष निर्णय के पक्ष म एक मत हो, किन्तु गवनर मण्डल के सदस्य विरोध म हा तो वह निर्णय नही लिया जा सकेगा।

6 रिजव अनुपात का वर्गीकरण दोषपूर्ण है

नशनल बकिंग प्रणाली के अन्तगत सदस्य बको को नगर जिसमे वह स्थित है, के आकार के अनुसार तीन समूहा म विभक्त किया गया और उन्हे फडरल रिजव

प्रणाली ने भी स्वीकार किया। इसके अनुसार सेंट्रल रिजर्व सिटी बैंक, रिजर्व सिटी बैंक और कन्ट्री बैंक में वर्गीकरण किया गया। सन् 1962 में सेंट्रल रिजर्व सिटी बैंक का वर्ग हटा दिया गया। अतः अब दो वर्ग के ही सदस्य बैंक रह गये हैं—रिजर्व सिटी बैंक और कन्ट्री बैंक। इन दोनों वर्गों के लिए रिजर्व अनुपात भिन्न भिन्न हैं। वर्गों की भिन्नता के आधार पर रिजर्व अनुपात निश्चित नहीं करना चाहिए। लगभग 100 वर्ष पूर्व इस व्यवस्था में औचित्य था किंतु प्रभावशील मुद्रा नियन्त्रण के उपाय एवं तथ्य के आधार पर बैंकों के दो वर्ग आधुनिक समय में उचित नहीं हैं अतः इन दोनों वर्गों को भी हटा कर समस्त बैंकों के लिए समान रिजर्व अनुपात कर देना चाहिए।

7 कटौती दर प्रणाली दोषपूर्ण है

प्रत्येक फैडरल रिजर्व बैंक का सचालक मण्डल (गवनर मण्डल की पुष्टि पर) अपने क्षेत्र के लिए कटौती दर (discount rate) निश्चित करता है। अतः विभिन्न जिलों (districts) में भिन्न भिन्न कटौती दरें प्रचलित हो सकती हैं। यह उचित नहीं है। व्यवहार में गवनर मंडल के द्वारा निर्धारित कटौती दरें ही प्रचलित रहती हैं। अतः एक्ट में इस आशय का संशोधन कर देना चाहिए कि गवनर मंडल ही कटौती दर निश्चित करने का अधिकारी होगा।

इसके अतिरिक्त कटौती दर व ट्रेजरी बिल दर में भी समन्वय होना चाहिए।

8 शाखा बैंकिंग-नीति उचित नहीं है

नेशनल बैंकों को प्रतिबन्धित संख्या में शाखाएं स्थापित करने की अनुमति है किंतु स्टेट बैंक अपने राज्य के बाहर शाखाएँ स्थापित नहीं कर सकते। इसका आशय यह है कि अन्तर्राज्यीय शाखाएं स्थापित नहीं हो सकतीं। नेशनल बैंक तो एक राज्य में कुछ शाखाएं स्थापित कर सकता है किंतु उसी राज्य का स्टेट बैंक ऐसा नहीं कर सकता। अतः शाखा-बैंकिंग नीति में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

9 सदस्यता अनिवार्य न हो

स्टेट बैंकों के लिए फैडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता ऐच्छिक है जबकि नेशनल बैंकों के लिए यह अनिवार्य है। अतः उचित तो यह होगा कि नेशनल बैंकों के लिए भी सदस्यता ऐच्छिक कर देनी चाहिए। दूसरी ओर एक विचारधारा यह भी है कि समस्त व्यापारिक बैंकों के लिए फैडरल रिजर्व प्रणाली की सदस्यता अनिवार्य कर देनी चाहिए।

इंगलैण्ड की बैंकिंग प्रणाली

(Banking System in U. K)

10

इंगलैंड मे बैंकिंग विकास

यहूदियों का स्थान—इंगलैंड मे मुद्रा के लेन देन का कार्य (सन् 1250 से पूर्व) सर्वप्रथम यहूदी (Jews) किया करते थे। पर्याप्त लम्बी अवधि तक केवल यहूदी ही नॉरमन शासकों (Norman Kings) को आर्थिक-सहायता प्रदान करते रहे। यहूदी यह सहायता मुख्यत युद्ध अथवा विद्रोह के समय प्रदान किया करते थे। किन्तु इनके द्वारा उधार दी गई राशि अत्यत असुरक्षित रहती थी, एव कभी कभी यह डूब भी जाया करती थी। इन परिस्थितियो के अन्तर्गत, यह स्वाभाविक था कि यहूदी अपने द्वारा प्रदान किये गये ऋणों पर बहुत ऊची ब्याज की दर मागते थे। अत तत्कालीन शासक हनरी तृतीय ने ब्याज की दर के सबध मे एक चार्टर (charter) पास किया। इस चार्टर के अनुसार ब्याज की अधिकतम दर 2 पेंस प्रति पौंड प्रति सप्ताह निश्चित की गई। इस आधार पर ब्याज की दर लगभग 43% वार्षिक पड़ती थी। ये यहूदी बहुत अधिक शोषण करते थे और इनकी कार्य प्रणाली बहुत निन्दनीय एव दूषित थी अत यहूदियो के प्रति अति घृणा की भावना फल गई। इनके द्वारा अधिक शोषण से इनके प्रति घृणा इतनी अधिक हो गई थी कि तत्कालीन शासक एडवर्ड प्रथम ने एक आदेश निकाल कर यहूदियों को सन् 1290 म निष्कासित कर दिया।

लौम्बार्ड स का उदय—यहूदियों के पश्चात् लौम्बार्ड स (Lombards) का उदय हुआ। उत्तरी इटली के लौम्बार्डी (Lombardy) स्थान से, इंगलैंड म आये और बसने वाले धनी बैंकर्स और व्यापारियो को लौम्बार्ड कहा जाता था। ये लोग इटली के वेनिस, जिनोआ फ्लोरेन्स आदि नगरो से भी आये। ये लोग मुख्यत चौदहवीं शताब्दी से सत्रहवी शताब्दी तक लदन म आकर बसते रहे। इस काल मे इटली के अनेक प्रमुख बैंकर्स ने लन्दन में अपनी शाखाए[1] स्थापित कर ली।

तत्कालीन परिस्थितियो ने लौम्बार्ड स का महत्व बहुत बढा दिया क्योंकि यहूदियो का निष्कासन किया जा चुका था और शासको के खजाने प्राय खाली हो चुके थे। लौम्बार्ड स ने एडवर्ड प्रथम एव उसके उत्तराधिकारियो को वित्तीय सहायता प्रदान की। यद्यपि लौम्बार्ड स से प्राप्त सेवाए भी काफी महगी थी किन्तु अन्य कोई मार्ग न होने के कारण उन्हें अनेक सुविधाए प्रदान की गई। आने वाले अन्य विदेशियो पर लगाये जाने वाले बधन उतनी कठोरता से इन लौम्बार्डों पर नही लगाये जाते थे। इन पर केवल एक ही प्रमुख प्रतिबध था कि वे एक निश्चित गली

1 The first being the Gualterotti and the Frescobaldi, and later the Bardi the Medici the Peruzzi etc.

(street) में ही निवास करें और आज भी वह गली उनके नाम पर लोम्बार्ड-स्ट्रीट के नाम से विख्यात है। समय की शक्ति देखिए, लोम्बार्ड-स्ट्रीट जो उस समय केवल विदेशियों के निवास के लिए सुरक्षित थी, आज इंगलैंड की प्रतिष्ठा एवं वित्तीय-शक्ति का केन्द्र है। आज लंदन का मुद्रा-बाजार एवं इंगलैंड के प्रमुख व्यापारिक-बैंकों व बट्टा-गृहों के कार्यालय लोम्बार्ड-स्ट्रीट अथवा इसके निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित हैं।

ये लोम्बार्ड व्यापारी एवं बैंकर्स, लोम्बार्ड-स्ट्रीट में दिन में दो बार मिलते थे। कदाचित् यह लंदन मुद्रा-बाजार की स्थापना की ओर दूर की भूमिका थी। ये लोम्बार्ड मुख्यतः ऋण देने का काम ही करते थे किन्तु सरकार के लिए मुद्रा-परिवर्तन (money exchanging) का काम भी करते थे।

स्वर्णकारों का उदय—यह विवादास्पद है कि आरम्भ में लोम्बार्ड्स ही स्वर्णकार (goldsmiths) थे अथवा लोम्बार्ड्स और स्वर्णकार एक साथ ही अलग अलग विद्यमान थे। सन् 1392 में 'स्वर्णकारों का निगम' (Corporation of Goldsmiths) स्थापित किया गया एवं इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली गई। इस समय इंगलैंड में रिचर्ड द्वितीय का शासन था।

सन् 1556 में लंदन 107 स्वर्णकार थे जिनमें से 76 का व्यवसाय-स्थल चीपसाइड (Cheapside or in short Chepe) स्थान पर था और शेष 31 का लोम्बार्ड-स्ट्रीट में था। सन् 1677 में 44 स्वर्णकार थे।[1]

ये स्वर्णकार काफी लोकप्रिय हो गये थे। लोगों के पास हीरे-जवाहिरात, स्वर्ण-पाट, रजत-पाट एवं स्वर्ण व चांदी के सिक्कों के रूप में व्यक्तिगत चल सम्पत्ति थी अतः अपनी इस सम्पत्ति को सुरक्षा की दृष्टि से या तो इन स्वर्णकारों के पास अथवा 'रॉयल मिन्ट' में जमा करा देते थे। किंतु सन् 1640 में चार्ल्स प्रथम के पास धन का अभाव हो गया और रायल मिन्ट में जनता का जमा 1.30 लाख पौंड निकाल लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता एवं व्यापारियों में आतंक सा फैल गया एवं सरकारी टकशाला अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया। अब वे अपनी तरल सम्पत्तियाँ को स्वर्णकारों के पास अधिक से अधिक जमा कराने लगे गये। स्वर्णकारों में जनता का विश्वास अधिक बढ़ गया।

अब ये स्वर्णकार निक्षेपकर्त्ताओं को निक्षेप प्रमाणपत्र (deposit certificates) देने लग गये थे। इसमें भी उन्होंने एक सुधार किया—अब वे एक निश्चित मूल्य के अंकित मूल्यों के प्रमाणपत्र निर्गमन करने लगे। ये प्रमाणपत्र नोटों की भांति चलन में आ गये। इन नोटों को 'स्वर्णकार के नोट' (goldsmiths notes) कहा जाने लगा। ये नोट नगद-मुद्रा की भांति लोकप्रिय हो गये।

अपने निक्षेपों के आधार पर ये स्वर्णकार अल्पकालीन ऋण भी देने लग गये थे। ये ऋण विनिमय विपत्र (Bills of Exchange) के आधार पर प्रदान किए जाते थे व प्रायः नोटों के रूप में दिए जाते थे।

अब एक बार पुन सकट उत्पन्न हो गया। सन 1672 में डच युद्ध के कारण चार्ल्स द्वितीय का खजाना समाप्त हो गया। अत उसने अपने पूवजो की नीति अपनाई स्वर्णकारो का ट्रेजरी म धन जमा था। चार्ल्स द्वितीय ने उस धन में से लगभग 13 28 लाख पौंड निकाल लिए। ट्रेजरी इन स्वर्णकारों के निक्षेपो पर 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया करती थी। शासक की ओर से इस प्रकार धन ले लेन मे एक बार पुन भय का वातावरण फल गया। अनेक स्वर्णकार दिवालिया हो गये जिसके परिणामस्वरूप उनके अनेक ग्राहक भी नष्टप्राय हो गये।

सरकार एव सरकारी ट्रेजरी के प्रति लोगों का अविश्वास बढ गया एव कोई भी अब ट्रेजरी मे अपना धन जमा नही कराता था। अत कुछ वर्षों के पश्चात् शासक ने ली हुई राशि को ऋण के रूप म स्वीकार कर ली और 6% वार्षिक ब्याज देन का भी दायित्व लिया। बाद मे सन् 1683 से ब्याज का भुगतान भी बद कर दिया गया और ऋण की मान्यता वापिस ले ली। सन् 1705 मे ऋण को पुन स्वीकार कर लिया गया। इस ऋण का कभी भी भुगतान नही किया गया यद्यपि आज भी राष्ट्रीय ऋण (National Debt) म प्रथम मद, 'Goldsmith Bankers' Debt' के रूप मे यह राशि दिखलाई जाती है।

सन् 1672 के सकट ने अनेक स्वर्णकारा के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, उनमें से जो शेष रह थे उनम सर फ्रासिस चाइल्ड का नाम उल्लेखनीय है जो बैंकिंग व्यवसाय के पिता (The Father of the Banking Profession) के नाम से प्रसिद्ध थे। वह प्रथम स्वर्णकार थे जिन्होने स्वर्णकार-व्यवसाय एव मुद्रा उधार देने का काय बद करके तथाकथित बैंकर के रूप म काय करन लगे। सत्रहवीं शताब्दी के अन्त तक 70 या 80 स्वर्णकार शेष रह गये। सन् 1801 में 68 निजी बैंकर थे जो पहले स्वर्णकार थे। उनमे से कुछ का अस्तित्व आज भी है। उदाहरण के लिए सी होरे एण्ड कम्पनी (C Hore & Co) की फम आज भी विद्यमान है जो सन् 1683 में स्वर्णकार की फम के रूप मे स्थापित हुई थी।

सयुक्त पूजी वाले बैंक

सन् 1694 में बकलेज बैंक लि० (Barclays Bank Ltd) स्थापित हुआ, इस ही वष बैंक ऑफ इगलैंड की स्थापना भी की गई थी। लदन के अतिरिक्त कुछ प्रान्तीय बैंक भी स्थापित किए गये। सन् 1750 मे कुल 12 प्रान्तीय बैंक थ जब कि इनकी सख्या बढ कर सन् 1821 म 781 हो गई। य समस्त निजी बैंक थे। बैंक ऑफ इगलैंड की स्थापना के केवल एक वष बाद ही सन् 1695 मे बैंक ऑफ स्काटलैण्ड की स्थापना एडिनबरा (Edinburgh) मे की गई।

सन 1707 में एक एक्ट पास किया गया जिसके अन्तगत यह प्रतिबध लगा दिया गया कि बैंक ऑफ इगलड के अतिरिक्त निजी साझेदारी के रूप में बैंकिंग कम्पनियाँ स्थापित की जा सकती हैं किंतु साझेदारो की सख्या 6 से अधिक नहीं

हो सकेगी। व्यवहार मे केवल कुछ ही ऐसी बैंकिंग कम्पनियो मे सदस्यो की सख्या 6 थी, अन्यथा इनकी सख्या 6 स प्राय कम ही होती थी।

ये बैंक बहुत कमजोर थे क्योकि इनके द्वारा बैंकिंग व्यवसाय मे लगाई जाने वाली पू जी अपर्याप्त थी और साथ ही मे वे अन्य व्यवसाय भी करते थे। सन् 1808 के पश्चात् यह आवश्यक कर दिया गया कि यदि वे नोट निगमन करना चाहे तो लाइसस लेकर ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए वार्षिक लाइसस शुल्क 30 पौंड था और नोटो पर स्टाम्प कर देना पडता था। वे कितनी ही मात्रा म नोटो का निगमन कर सकते थे। एक पौंड स कम अंकित मूल्य क नोट निगमन पर प्रतिबन्ध था।

लगभग सौ वर्षों तक इगलड में केवल बैंक आफ इगलड' ही सयुक्त-पूजी वाला बैंक (Joint Stock Bank) था। सन् 1815 म नपोलियन युद्ध की समाप्ति के पश्चात् मदीकाल म अनेक बक फेल हुए किंतु फल होने वाले बको मे सयुक्त पूजी वाले बको की सख्या कम थी जबकि 200 से भी अधिक निजी बक फल हो गये। इसी प्रकार सन् 1825–26 के बैंकिंग सकट के समय भी लगभग 80 निजी बक बद हो गये जबकि सयुक्त पूजी वाला एक भी बक फेल नहीं हुआ। अत सयुक्त पूजी वाल बक अधिक शक्तिशाली समझे जाने लगे।

सन् 1826 के एक्ट मे यह प्रावधान किया गया कि लदन से 65 मील की परिधि के बाहर सयुक्त पूजी वाले बक स्थापित हो सकते हैं। इसका आशय यह था कि लदन म अथवा लदन से 65 मील दूर तक के क्षत्र मे कोई सयुक्त पूजी वाला बक स्थापित न हो सके। ये सयुक्त पूजी वाले बक असीमित दायित्व (unlimited liability) वाल ही स्थापित हो सकते थे। इन बको को नोट निगमन का अधिकार प्राप्त था। बक आफ इगलैंड को लदन से बाहर शाखाए खोलने का अधिकार दे दिया गया।

सन् 1832 तक लदन मे सयुक्त पूजी वाला एक भी बक नहीं था। इसका एक प्रमुख कारण था। बक आफ इगलैंड के चाटर की शर्तों म यह माना जाता था (assumed) कि इगलड क निकटवर्ती क्षत्र मे सयुक्त पूजी वाले बको की स्थापना पर निषेध था। सन् 1832 मे न्यायाधीश जौप्लिन (Joplin) ने वास्तव म व्यापारिक जगत की बडी सेवा की जबकि उन्होने बक आफ इगलड के चाटर को पुन ध्यान से पढकर (Re-reading) व्याख्या की कि सयुक्त पूजी वाले बक लदन मे स्थापित हो सकते हैं यदि वे नोट-निगमन नहीं करें। इससे लन्दन म बैंकिंग व्यवसाय पर से बक आफ इगलड का एकाधिकार टूटता था। अत इसने अपने चाटर को उच्च वधानिक परामश के लिए भेजा जहाँ जौप्लिन के दृष्टिकोण की पुष्टि की गई।

अत सन् 1833 म जब बक ऑफ इगलड क चाटर को नवीनीकरण (Renewal) के लिए भेजा गया तो उसम जौप्लिन के दृष्टिकोण को ध्यान म रखत हुए एक प्रावधान और जोड दिया गया। इस प्रकार सन 1833 मे एक अन्य एक्ट पास किया गया जिसन सयुक्त पूजी वाले बको को इगलैंड स 65 मील की

परिधि मे स्थापित होने पर से प्रतिबध हटा लिया, अर्थात् अब कोई भी सयुक्त पू जी वाला बैंक, इगलड अथवा निकटवर्ती क्षेत्र मे भी स्थापित हो सकता था। इस प्रकार, इस क्षेत्र मे बैंक ऑफ इगलड का, सयुक्त-पूजी वाले बैंक के रूप मे, एकाधिकार सन् 1833 मे समाप्त हो गया।

बैंक ऑफ इगलैंड के इस एकाधिकार की स्पष्ट समाप्ति से, आरम्भ म सयुक्त पू जी वाले बक लदन की ओर आकर्षित नही हुए किंतु फिर भी प्रातो मे इन बको की सफलता ने आकर्षण प्राप्त किया। सन् 1834 मे लदन मे केवल एक ही सयुक्त पू जी वाला बैंक था और सन् 1844 तक केवल 5 ऐसे बक ही लदन में स्थापित हो सके। सन् 1844 मे 'बैंक चार्टर एक्ट बनाया गया।

सन् 1862 से बैंकिंग विकास को और अधिक प्रोत्साहन मिला जबकि 'सीमित दायित्व' (Limited Liability) का सिद्धात बको पर भी लागू हो गया।

'बड़े चार" बैंक

(The 'Big Four" Banks)

इगलैंड मे, सन् 1967 तक, पाच सबसे बडे बक थे जिनको 'बड़े पाच' (The Big Five) कहा जाता था, उनका सक्षिप्त परिचय निम्नलिखित तालिका से ज्ञात होगा—

	नाम	प्रधान कार्यालय	स्थापना का वर्ष	शाखाएं	अंशधारी
1	बकलेज बैंक लि०	लदन	1694	2421	89,000
2	लॉयड्स बैंक लि०	लदन	1765	2110	70,000
3	नेशनल प्रौविंशियल बैंक लि०	लदन	1833	1610	70,000
4	वैस्टमिनिस्टर बैंक लि०	लदन	1834	1340	68 000
5	मिडलैंड बैंक लि०	लदन	1836	2533	92,000

सन् 1968 म नेशनल प्रौविंशियल बक लि० तथा वस्टमिनिस्टर बैंक लि० का एकीकरण 'नेशनल वस्टमिनिस्टर बक' के नाम से हो गया। इस प्रकार इगलड मे 'बडे पाच' के स्थान पर 'बड़े चार' ही रह गये हैं। ये बडे चार' स्कॉटलैंड के चार बको मे से 3 बको पर नियत्रण रखते हैं। स्कॉटलड म केवल चौथा बैंक 'बक ऑफ स्काटलैंड' स्वतत्र है।

बडे चार' बको म तीन बैंक तो ऐसे है जिनम स प्रत्येक की 3000 स अधिक शाखाएं हैं, इनमे चौथा सबसे छोटा बैंक लायडस बैंक है जिसकी 2000 से अधिक शाखाएं हैं।

11

इंगलैंड में व्यापारिक वैंक

इंगलैंड में सौ वर्षों से भी अधिक समय तक केवल 'बैंक ऑफ इंगलैंड' ही संयुक्त-पूंजी वाला बैंक था क्योंकि इस प्रकार के अन्य बैंकों की स्थापना पर प्रतिबंध सा था। सन् 1826 के चार्टर एक्ट ने संयुक्त पूंजी वाले बैंकों की स्थापना पर से प्रतिबंध हटा लिया किंतु ऐसे बैंक लन्दन से 65 मील की परिधि से बाहर ही स्थापित हो सकते थे। सन् 1833 के चार्टर ने यह प्रतिबंध भी हटा दिया।

इंगलैंड में बैंकिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं हैं—(i) शाखा-बैंकिंग (Branch Banking) और (ii) एकीकरण (Amalgamation)

इंगलैंड में शाखा-बैंकिंग का प्रसार प्रारम्भ में मंद-गति से हुआ। सन् 1865 में लंदन एण्ड काउन्टी बैंक' की 127 शाखाएं थी, और अन्य दो बैंको की लगभग 30 शाखाएं थी। सन् 1890 में नौ बैंकों में से प्रत्येक की लगभग 50–60 शाखाएं थी और देश में कुल 900 से कुछ ही अधिक शाखाएं थीं।

सन् 1913 तक शाखा-बैंकिंग पर्याप्त लोकप्रिय हो गई। उस समय 27 संयुक्त-पूंजी वाले बैंकों की 6,000 से अधिक शाखाएं थी। यद्यपि उस समय (सन् 1913 में) 60 निजी बैंक भी काम कर रहे थे जिनकी कुल शाखाएं केवल 400 थी।

प्रथम विश्व-युद्ध के तुरन्त पश्चात् एकीकरण के द्वारा इंगलैंड में 'पाँच बड़े बैंक' हो गये। ट्रेजरी-कमेटी ने यह परामर्श दिया कि बिना इसकी पूर्व अनुमति के आगे कोई भी बैंकों का एकीकरण नहीं किया जाय। इसके पश्चात् प्रथम महत्वपूर्ण एकीकरण—नेशनल प्रोविंशियल बैंक लि० और डिस्ट्रिक्ट बैंक लि०—सन् 1962 में हुआ। इसके पश्चात् सन् 1968 में नेशनल प्रोविंशियल बैंक लि० और वेस्टमिनिस्टर बैंक लि० बना और बैंकर्स बैंक लि० तथा मार्टिन्स' बैंक लि० का एकीकरण हुआ।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि इंगलैंड की बैंकिंग प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता है—बड़ा बैंक और शाखाएं, जो सम्पूर्ण देश में फैली हुई है।[1] संयुक्त राज्य अमेरिका से यह विशेषता बिल्कुल भिन्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इकाई बैंकिंग प्रणाली है जहां लगभग 4000 बैंक है जिनमें से अधिकांश की एक एक शाखा भी नहीं है। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्धों के मध्य इकाई बैंकिंग की कमजोरी

1 The most important feature of the British banking system is the large bank with branches scattered throughout the country

स्पष्ट दिखाई दी जबकि उस अवधि मे सयुक्त राज्य अमेरिका में 7000 से भी अधिक बक फेल हुए जबकि इगलड म एक भी बक फेल नहीं हुआ ।

व्यापारिक बक के कार्य

अन्य देशो के व्यापारिक बैंको के कार्यों की भाति इगलड के इन बको के भी काय हैं । अत सक्षेप म इनका विवरण यहा दिया जा रहा है—

1 निक्षेप प्राप्त करना (Acceptance of Deposits)—जनता से निक्षेप के रूप म उनका धन प्राप्त करना बको का सबसे पुराना काय है । ये निक्षेप बक की प्रमुख देनदारी (Liability) होती है । इगलड के बक भी तीनों प्रकार के खाता–चालू खाता समय निक्षेप और बचत खाते मे जनता से निक्षेप राशियो पर बक ब्याज भी देते हैं । ब्याज की न्यूनतम दर आधा प्रतिशत है व अधिकतम दर बक-दर से 2 प्रतिशत कम रहती है । नीचे की तालिका म लदन-समाशोधन-बको के कुल निक्षेपो की विभिन्न वर्षों म मात्रा बतलाई गई है—

कुल निक्षेप

वष	मिलियन पौंड	वष	मिलियन पौंड
1844	60	1961	7,350
1900	734	1963	8,337
1913	962	1965	8,782
1938	2 277	1967	9,412
1945	4,692	1968	9 899
1951	6,162	1969	10,013
1960	7 236	1970	10 117

Source —Annual Abstract of Statistics

निक्षेपों का बहुत महत्व होता है । एक अनुमान के अनुसार इगलड मे प्रयोग म आने वाली कुल मुद्रा का लगभग 80% भाग बक-निक्षेप ही होते हैं । बक इन निक्षेपों स साख-सृजन करत हैं । इगलड के वतमान व्यापारिक-बक अपने अनुभव से यह जानत हैं कि अपने ग्राहको को दिए गये ऋणो का लगभग बारहवें भाग के लिए ही नकद-मुद्रा की आवश्यकता होती है अत यदि बक के पास 100 पौंड के निक्षेप हैं तो वह 1,200 पौंड तक के ऋण दे सकता है ।[1]

2 ऋण व अग्रिम देना (Loans and Advances)—इगलड म बक अपन ग्राहको को विभिन्न अभिप्राय की पूर्ति के लिए ऋण व अग्रिम देत हैं । इनका साधारणतम रूप अधिविकष (Overdraft) है । दूसरा ढग है—व्यक्तिगत ऋण योजना जिसके अतगत प्रतिभूति रहित (unsecured) ऋण प्राय 6 महीने से 24 महीने तक की अवधि के लिए दिए जात हैं और इनका पुनर्भुगतान ऋणी द्वारा

1 Prof Edward Nevin has explained it very lucidly [illegible] Text of Economic Analysis (ed 1970) p 305

समान मासिक किश्ता म किया जाता है । इनके अतिरिक्त स्टाक एक्सचेंज प्रतिभूतियो जीवन बीमा पालिसियो अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियो के आधार पर ऋण दिए जाते हैं ।

ये बक इन ऋणा व अग्रिमो पर बक-दर से 1 या 2 प्रतिशत से अधिक ब्याज-दर लेते है । राष्ट्रीयकृत उद्योगो को दिए गये ऋणो व अग्रिमो पर 4% अथवा बक दर--जो अधिक हो--की दर से ब्याज लेते हैं क्योकि इन ऋणो व अग्रिमो की सरकार गारटी देती है ।

3 कृषि को ऋण--व्यापारिक बक कृषि को भी उधार देते है । ऋण अल्पकालीन एव मौसमी प्रवृति के होते हैं । ये बक ही कृषि को मध्यम-कालीन व दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं । मध्यम-कालीन ऋण 2 या 3 वर्ष के लिए होते है जोकि प्राय मशीनो व अन्य सबधित उपकरणो के क्रय के लिए दिए जाते है । कृषि के स्वीकृत कार्यों क लिए ये व्यापारिक बक 20 वर्ष तक की अवधि के लिए भी ऋण दे दते हैं जसे कृषि फाम अथवा भवन खरीदने के लिए । ये उल्लेखनीय है कि विकास के ऐसे अधिकाश ऋण राष्ट्रीय कृषि सलाहकार सेवा' (National Agricultural Advisory Service) के अनुमोदन पर दिए जाते हैं । एक अधिकृत स्रोत के अनुसार व्यापारिक-बको द्वारा दिए जाने वाले कुल ऋणो का लगभग 11% कृषि को दिए जात हैं 1

एक अन्य विश्लेषण के अनुसार दिए जाने वाले कुल ऋणो का लगभग 35% सावजनिक क्षत्र को--ट्रेजरी बिलो की कटौती करके सरकारी स्टॉक्स मे विनियोग करके और राष्ट्रीयकृत उद्योगो को ऋण देकर--दिया जाता है, और शेष लगभग 65% निजी क्षेत्र को दिया जाता है ।

4 विनियोग सेवायें (Investment Services)--इगलड के व्यापारिक बक अपने ग्राहको को विनियोग की सुविधाए भी प्रदान करत हैं । य बक अपने दलालो के द्वारा अपने ग्राहको के लिए स्टाक एक्सचेंज स प्रतिभूतिया व अशो का क्रय विक्रय भी करते हैं । इसी प्रकार अपने ग्राहको की ओर से ये ब क नई कम्पनियो क अश खरीदने के लिए आवेदन पत्र भी देते हैं मांगों (Calls) का भुगतान करते हैं और अत म अश प्रमाणपत्र व अन्य अधिकार पत्र भी प्राप्त करते हैं ।

निश्चित स्वीकृत शर्तों पर य ब क नई कम्पनियो के प्रविवरण (Prospectus) पर उनके बैंकर के रूप मे अपना नाम मुद्रित कर देन की अनुमति दे दत है । ये ब क ऐसी कम्पनियों की ओर से अश-आवेदनपत्र प्राप्त कर लेते हैं एव अन्य आवश्यक निर्देशो का भी पालन करत हैं ।

5 ट्रस्टी व निष्पादक का कार्य (Trustee and Executor)--इगलड के अधिकाश व्यापारिक-ब क ट्रस्टी व निष्पादक का काय करने क लिए पृथक विभाग रखत हैं और कुछ बैंक इस काय को करने के लिए यह कार्य करने वाली कम्पनियो स सम्बद्ध (Affiliated) हैं । ये बैंक बहुत कम शुल्क लेकर ट्रस्टी निष्पादक व परामर्श देन के सभी प्रकार के काय करते हैं । यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है

ग्रौर वसीयत नहीं करता है तो उसका निकटतम सम्बन्धी बैंक को उसकी सम्पत्ति (estate) का प्रशासक नियुक्त कर देता है और बैंक नियमानुसार समस्त कार्य करता रहता है अथवा यदि कोई व्यक्ति वसीयत तो कर जाता है किंतु किसी निष्पादक की नियुक्ति नहीं कर जाता अथवा बाद में वह निष्पादक कार्य करने से इकार कर देता है तो व्यापारिक-बैंक सम्बन्धित व्यक्तियों की सहमति से प्रशासक का कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। इगलैंड के कानून के अनुसार एक प्रशासक को सम्पत्ति (estate) के दोगुने मूल्य के लिए प्रोबेट अधिकारियों को एक बौंड देना पड़ता है और एक प्रतिभूति (surety) का प्रबन्ध करना पड़ता है। अत बैंकों को ये औपचारिकताएं पूरी करने में असुविधा नहीं होती है।

ट्रस्ट के अन्तर्गत एक घोषणा-पत्र देकर, व्यापारिक-बैंक विनियोगों और आय पर निगरानी रख सकते हैं। अनेक निजी कम्पनियां जो पेंशन-कोष स्थापित करना चाहती हैं वे बैंक को अभिरक्षक-ट्रस्टी (custodian trustee) एवं विनियोग परामर्शदाता नियुक्त कर देते हैं।

5 विदेशों में मुद्रा का स्थानान्तरण (Remitting Money Abroad)—अनेक व्यक्तियों को इंगलैंड से विदेश में धन भेजने की आवश्यकता पड़ती है। अत व्यापारिक बैंक से 'ड्राफ्ट' (अर्थात् बैंकर्स-चैक) खरीदा जा सकता है। ये ड्राफ्ट जिस देश में देय होते हैं प्राय उस देश की मुद्रा में खींचे (are drawn) जाते हैं और ग्राहक के खाते को प्रचलित विनिमय की दर से स्टर्लिंग में डेबिट कर दिया जाता है। यह सीधा व सस्ता साधन है। इसके अतिरिक्त ये बैंक धन का विदेशों में हस्तान्तरण डाक द्वारा अथवा तार (mail or cable) द्वारा भी करते हैं।

6 यात्रियों को सुविधाएं—इगलैंड में और विदेश में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना व्यापारिक-बैंकों की विशेषता है। इगलैंड में अथवा विदेश में बैंक की किसी भी शाखा से धन प्राप्त करने के लिए यात्री को अनेक साधन उपलब्ध हैं, अत उन्हें अपने साथ-साथ सब स्थानों पर बड़ी मात्रा में मुद्रा ले जाने की आवश्यकता नहीं होती।

यात्रियों को 2, 5, 10, 20 और कभी-कभी 50 पौंड के अंकित-मूल्य के यात्री चैक (Travellers Cheques) निर्गमित किए जाते हैं। इन चैकों की राशि न केवल बैंक की किसी भी शाखा से प्राप्त की जा सकती है वरन् प्राय ब्रिटिश रेल्वे प्रमुख जलयान कम्पनियां, वायुयान कम्पनियां और बड़े होटल भी भुगतान के रूप में स्वीकार कर लेती हैं।

इसी प्रकार, व्यापारिक-बैंक साख-पत्र (Letters of Credit) भी निर्गमित करते हैं। ये यात्री-चैक के समान ही होते हैं। यदि बड़ी मात्रा में मुद्रा ले जानी होती है तो ये साख-पत्र अधिक सुविधाजनक होते हैं।

विदेशों में जाने वाले यात्रियों को इंगलैंड के व्यापारिक-बैंक उस देश की कुछ मुद्रा भी पहले हो दे देते हैं ताकि उस देश में पहुंचने पर यात्री को असुविधा नहीं उठाना पड़े।

7 **वस्तुओं को सुरक्षित रखना**—बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुएँ जैसे प्रतिभूतियाँ, वसीयतनामे जवाहिरात, सोना महत्वपूर्ण दस्तावेज व अन्य ऐसी ही वस्तुएं अपने पास सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। इनके लिए बैंकों के पास मजबूत कमरे (strong rooms) होते हैं जिनमें विभिन्न आकार की इस्पात की तिजोरियाँ होती हैं। ग्राहक को सम्बन्धित तिजोरी की चाबी दे दी जाती है। इस प्रकार तिजोरी की सुरक्षा का भार बैंक पर रहता है और उसके संचालन का अधिकार ग्राहक को रहता है।

अनेक ग्राहक व दुकानदार जो बैंकिंग-समय के पश्चात् बड़ी मात्रा में मुद्रा का लेन-देन करते हैं उनके लिए अनेक शाखाओं पर 'रात्रि तिजोरियों' की सुविधा भी दी जाती है। बैंक की बाहरी दीवार में धातु का एक छोटा सा द्वार होता है जिसके पीछे एक नाली-सी होती है जो बैंक के मजबूत कमरे से जुड़ी हुई होती है। जो ग्राहक इस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं उन्हें चमड़े की एक थैली दे दी जाती है जिसमें मुद्रा व नोट रखने के पश्चात् ताला लगा दिया जाता है और इसके बाद उस नाली में डाल दी जाती है और वह मजबूत कमरे में पहुंच जाती है। अगले दिन ग्राहक को वह थैली दे दी जाती है और वह धन को अपने खाते में जमा करा देता है।

8 **बैंक गिरो (The Bank Giro)**—सन् 1960 से व्यापारिक बैंकों ने अपने ग्राहकों को एक नई सेवा प्रदान की है, जिसके द्वारा ग्राहक अपने लेनदारों को हस्तांतरण-विधि से भुगतान कर देते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत ग्राहक अपने सभी लेनदारों को भुगतान में अलग-अलग चैक लिख कर नहीं देता, वरन् वह अपने लेनदारों के खातों में बकाया राशि (sum due) हस्तांतरण करने का निर्देश दे देता है और कुल राशि का एक चैक लिखकर बैंक को दे देता है। साथ ही ग्राहक अपने लेनदारों की एक सूची—जिसमें स्पष्ट उल्लेख होता है कि किस लेनदार के खाते में कितनी राशि हस्तांतरित की जाय और उस लेनदार का खाता किस बैंक अथवा शाखा में है—अपने बैंक को देता है। जो व्यक्ति बैंक के ग्राहक नहीं हैं यदि वे चाहें तो एक साधारण शुल्क देकर इस सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। इस सेवा के लिए पहले बैंक कुछ शुल्क चार्ज करते थे किन्तु मार्च 1967 से अपने ग्राहकों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने लगे हैं।

9 **साख-कार्ड आदि का निर्गमन (Credit Cards etc)**—कुछ बैंक अपने विशिष्ट ग्राहकों को साख-कार्ड भी प्रदान करने लगे हैं। इस कार्ड के स्वामी को यह सुविधा हो जाती है कि वह इस योजना में भाग लेने वाली दुकानों व अन्य व्यवसाय गृहों में अपना साख-कार्ड दिखाकर माल आदि उधार खरीद सकता है और उधार लिए गए माल के बिलों पर हस्ताक्षर कर देता है। बैंक ऐसे बिलों के भुगतान की गारंटी देता है। इन बिलों को समय-समय पर दुकानदारों द्वारा बैंक में प्रस्तुत किया जाता है और बैंक उनका भुगतान कर देता है।

10 **विदेशी व्यापार को सुविधा**—इंगलैंड के कुछ बड़े व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार में भी सहयोग प्रदान करते हैं अतः उन्होंने अपने बैंक में विदेशी-व्यापार से सम्बन्धित कार्यों के लिए पृथक विभाग भी खोल दिया है। इन बैंकों ने विदेशों में भी अपनी शाखायें स्थापित कर दी हैं और जहां उनकी शाखायें नहीं हैं वहां उन्होंने अपने प्रतिनिधि (Correspondents) नियुक्त कर दिए हैं।

विदेशो मे इ गलैंड के बैंक

इगलैंड मे ऐसे ग्रनेक बक हैं जो विदेशो मे भी काय करत हैं। लदन मे लगभग 110 से 120 ऐसे बैंक हैं जिनका ग्रधिकाश व्यापार विदशो म ही है। इनमे से लगभग 33 बक ऐसे हैं जो ब्रिटिश ग्रोवरसीज एण्ड कामनवल्थ बक्स एसासिएशन (B O C B A) के सदस्य हैं। B O C B A पाच भौगोलिक क्षेत्रो म विभक्त है—ग्रास्ट्रेलिया व एशिया, सुदूर पूर्वी कनडियन, ग्रफीक्न ग्रौर ग्रन्य क्षत्र। इनमे से ग्रनक बक उन्नीसवी शताब्दी म स्थापित हुए थे।

ये बक मुख्यत विदेशी विनिमय एव इगलड व उस देश (जहा वे स्थित है) के मध्य व्यापार को वित्तीय सेवायें प्रदान करते हैं। साथ ही मे उन देशा में साधारण बैंकिंग व्यवसाय भी करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् ग्रनेक देश स्वतन्त्र हो गए ग्रौर उन देशो न ग्रपने केन्द्रीय बक स्थापित कर लिए, बकिंग ग्रधिनियम बना लिए ग्रौर स्वदेश में बका को प्रोत्साहन दिया। किंतु फिर भी य बक महत्वशील हैं ग्रौर उनके व्यवसाय म वृद्धि हुई है। ऐसे 15 बैंको की सूची निम्नाकित है—

15 Overseas British Banks

	बक का नाम	प्रधान कार्यालय	शाखाए	देश
1	बकलेज बक (डी सी ग्रो) (बकलेज बक लि० से सबद्ध)	लदन	1420	45 देशो म
2	ग्रास्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलड बक लि०	लदन	1045	ग्रास्ट्रेलिया व न्यूजीलड
3	स्टडड बक लि०	लदन	1100	दक्षिणी ग्रफीका
4	चाटड बक	लदन	111	30 देशो मे
5	बक ग्रॉफ लदन एण्ड साउथ ग्रमेरिका लि०	लदन	85	लटिन ग्रमेरिका के 22 देशो म
6	नशनल एण्ड ग्रिडलेज बक लि० (लायडस बैंक लि० से सबद्ध)	लदन	190	एशिया व ग्रफीका के 10 देश
7	इगलिश स्कॉटिश एण्ड ग्रास्ट्रेलियन बक लि०	लदन	507	ग्रास्ट्रेलिया
8	बैंक ग्रॉफ वस्ट ग्रफीका	लदन	80	साउथ ग्रफीका
9	हॉगकॉग एण्ड शघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन	लदन	78	एशिया यूरोप व स रा ग्रमेरिका के 20 देशो मे
10	मर्केन्टाइल बक लि०	लदन	41	एशिया के 9 देशा मे
11	ब्रिटिश बक ग्राफ दि मिडिल ईस्ट	लदन	33	मध्य पूव व मोरक्को के 12 देशा मे
12	ईस्टन बक लि०	लदन	22	एशिया के 11 दशो म
13	लॉयडस बैंक यूराप लि०	लदन	15	फ्रास व स्विट्जरलैंड
14	बक्लेज बक (फ्रास) लि०	लदन	13	फ्रास
15	वस्टमिनिस्टर फॉरेन बक लि०	लदन	7	फ्रास ग्रौर बेल्जियम

इ गलड मे विदेशी बक

इगलड मे ग्रनेक विदेशी बको ने भी ग्रपनी शाखायें ग्रथवा कार्यालय स्थापित कर लिए हैं। लदन न केवल इगलैंड का वरन् ग्रतर्राष्ट्रीय क्षेत्र म प्रमुख वित्तीय केन्द्र है। लदन म लगभग 75 देशो क बक हैं।

12
मर्चेन्ट बैंक्स

आशय—मर्चेंट-बैंक शब्द का प्रयोग आजकल विस्तृत रूप में हो रहा है। मर्चेंट बैंक का प्रयोग कभी उन बैंकों के लिए भी कर लिया जाता है जो 'मर्चेन्ट' नहीं हैं, और कभी उन मर्चेंट्स के लिए कर लिया जाता है जो 'बैंक' नहीं हैं और कभी उन गृहों के लिए कर लिया जाता है जो न तो 'मर्चेंट' हैं और न बैंक हैं।

रोजर ओरसिंघर (Roger Orsingher) ने मर्चेंट-बैंक्स की परिभाषा इस प्रकार दी है, "मर्चेंट बैंक्स वे फर्म्स हैं जिन्होंने विनिमय बिलों की स्वीकृति में विशिष्टता प्राप्त कर ली है।" (The merchants' banks are firms specialising in the acceptance of bills of exchange)

प्रमुख प्रकार का काम करने के कारण कुछ मर्चेंट बैंकों को 'स्वीकृति गृह' (accepting houses), कुछ को निर्गमन गृह (issuing houses), और कुछ को बट्टा गृह (discount houses) भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वीकृति गृह, निर्गमन-गृह और बट्टा-गृह—ये सभी मर्चेंट बैंक की श्रेणी में आ जाते हैं।

मर्चेंट बैंकों का उदय—कुछ मर्चेंट-बैंक निजी-व्यावसायिक रूप—साझेदारी अथवा निजी कम्पनियों में हैं और कुछ सीमित-दायित्व वाली कम्पनियों के रूप में। इनकी व्यापारिक क्रियाओं के साथ ही साथ इन्होंने बैंकिंग व वित्तीय पक्षों का भी विकास किया। व्यापारी के रूप में वे प्रायः विशेष प्रकार की वस्तुओं का ही व्यापार किया करते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उन क्षेत्रों (areas) के व्यापार की विशिष्टता प्राप्त कर ली जहाँ से वे वस्तुएँ प्राप्त की जाती थीं जैसे बंगाल क्षेत्र में जूट का व्यवसाय या आसाम क्षेत्र में चाय का व्यवसाय। अतः उन्होंने ऐसे क्षेत्रों के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में या तो अपनी शाखायें स्थापित करदीं अथवा अपने एजेंट नियुक्त कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि विश्व के जिन भागों में उनका व्यापार था उस भाग के व्यापारियों की साख व वित्तीय स्थिति के विषय में इन मर्चेन्ट्स को बहुत ही ज्ञान था।

इस ज्ञान के आधार पर वे विश्व के प्रायः सभी भागों के ऐसे प्रमुख व्यापारियों की साख-योग्यता (Credit worthiness) के विषय में बतला सकते थे

जिनके विषय में अपने सम्बन्धित देश के अतिरिक्त अन्य देशों में उनके नाम से भी व्यापारी परिचित नहीं थे।

इन व्यापारियों (merchants) ने अपनी इस स्थिति का लाभ उठाया। विदेशी-व्यापार में विदेशी-व्यापारी पर लिखे गये विनिमय विपत्रों (Bills of Exchange) को, उसकी ओर से ये मर्चेन्ट्स अपनी 'स्वीकृति' (acceptance) प्रदान करने लगे, क्योंकि ये मर्चेन्टस विदेश में उस व्यापारी की साख एवं वित्तीय साधनों से परिचित होते थे। वे अपनी इस सेवा (स्वीकृति प्रदान करने) के प्रतिफलस्वरूप कमीशन प्राप्त करते थे। इस कमीशन की गणना विनिमय विपत्र की राशि के एक निश्चित प्रतिशत की दर से की जाती थी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के साथ यह 'स्वीकृति' का कार्य भी बहुत अधिक बढ़ गया। कई मामलों में तो यह देखा गया कि इस कार्य से इतना अधिक लाभ होने लगा कि उन मर्चेन्टस का मूल-व्यापार तो गौण हो गया और स्वीकृति करने का कार्य प्रधान हो गया।

लन्दन, विश्व के व्यापार एवं वित्त का प्रमुख केन्द्र होने के कारण यहां अन्य देशों से भी व्यापारी आकर स्थापित हो गये। कुछ व्यापारी तो नेपोलियन-युद्ध के समय ही लन्दन में आकर बस गये थे और उसके पश्चात् भी क्रमशः आकर बसने लगे। दूसरी ओर, इंगलैंड से और मुख्यतः लन्दन के अनेक व्यापारियों ने विदेशों में अपनी शाखाएं स्थापित की अथवा एजेंट नियुक्त किए।

प्रमुख मर्चेन्ट बैंक—अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति एवं बहुत पुराने मर्चेन्ट बैंकों में से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(1) ब्राउन शिपले एण्ड कम्पनी	(2) एंटोनी गिब्स एण्ड सन्स लि०,
(3) बारिंग ब्रदर्स एण्ड क० लि०,	(4) हिल सेम्युल एण्ड क० लि०
(5) लेजार्ड ब्रदर्स एण्ड क० लि०	(6) एस जफेट एण्ड क० लि०
(7) गुइनेस मेहन एण्ड क० लि०,	(8) सिंगलेवट बेनसन लि०
(9) हैम्ब्रौस बैंक लि०	(10) सेम्युल मोंटेगु एण्ड क० लि०
(11) एस जी वारबर्ग एण्ड क० लि०	(12) मोरगन ग्रेनफेल एण्ड क० लि०

स्वीकृति गृह
(Accepting Houses)

कुछ मर्चेन्ट-बैंकर्स ने मिलकर अपना स्वीकृति-गृह बना लिया है। इंगलैंड में इस समय 17 स्वीकृति गृह हैं। इस प्रकार स्वीकृति गृह मर्चेन्ट-बैंक्स हैं जिन्होंने विनिमय विपत्रों के स्वीकर्त्ता (acceptor) के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित कर ली है। इनका प्रमुख कार्य विनिमय विपत्रों पर अपनी 'स्वीकृति' देना है।

वास्तव में 'स्वीकृति' (acceptance) किसी स्वीकृति गृह के नाम के उपयोग का विक्रय है क्योंकि इस दशा में स्वीकृति गृह इस बात की गारंटी देता है कि विनिमय विपत्र परिपक्वता पर (*on maturity*) अप्रतिष्ठित नहीं होगा और यदि किसी कारणवश हो भी गया तो स्वीकृति गृह उसका भुगतान करेगा। व्यवहार में यह देखा गया है कि विदेशी-व्यापारी लन्दन के किसी एक या अधिक स्वीकृति गृह

के यहा अपना स्वीकृति साख खाता खोल लेते हैं। अब यदि वह व्यापारी इगलड के किसी व्यापारी से माल खरीदता है तो विक्रेता को माल के मूल्य के विनिमय विपत्र को क्रेता के पास 'स्वीकृति के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं, वरन् लन्दन म स्वीकृति-गृह उसे स्वीकृत' कर लेगा।

इन स्वीकृति गृहो द्वारा स्वीकृत विनिमय विपत्रों की साख बहुत अधिक बढ जाती है, क्योकि जोखिम प्राय बिलकुल नही रहती। इन विनिमय विपत्रो को बिना किसी कठिनाई के बट्टे पर भुनाया जा सकता है।

बैंक आफ इगलड भी इन स्वीकृति-गृहो के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने म सहायक सिद्ध हुआ है। कुछ चुने हुए स्वीकृति गृहो द्वारा स्वीकृत विनिमय विपत्रों की बक आफ इगलड म पुनकटौती करवाई जा सकती है। अत ऐस बिलो की लन्दन म कटौती बहुत नीची दर स हो जाती है अर्थात् उस विनिमय विपत्र का मूल्य अधिक मिल जाता है।

यद्यपि विनिमय विपत्रो को स्वीकृत करना इन मर्चेंट-बकस का विशिष्ट काय है, तथापि वे अन्य बकिंग काय भी करत हैं जस निक्षेप स्वीकार करना, ऋण व अग्रिम देना आदि। यह उल्लेखनीय है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से देश के व्यापारिक बैंको ने इन स्वीकृति गृहो पर आक्रमण (have invaded) कर दिया है क्योकि व्यापारिक-बकों ने भी विनिमय विपत्रो की स्वीकृति का काय आरम्भ कर दिया है।

स्वीकृति-गृह को कितनी मात्रा मे काय मिलता है, यह इस बात पर निभर है कि लदन म अतर्राष्ट्रीय व्यापार की कितनी मात्रा आती है और विशेषत उस वस्तु का व्यापार जिसके वित्त प्रबंध म इन्होने विशिष्टता प्राप्त की है।

इन मर्चेंट बको को समाशोधन बको और दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रो स प्रतिस्पर्धा करनी पडती है अत वे अन्य प्रकार के काय भी करते हैं जसे विनिमय विपत्रो को बट्टा काटने का काय अथवा नई प्रतिभूतिया के निगमन आदि का काय।

पुष्टिकरण गृह का काय—ये स्वीकृति गृह उपरोक्त के अतिरिक्त पुष्टिकरण गृह (confirming house) का काय भी करत हैं। इगलड क निर्माता को विदेशी क्रेता की ओर से यह आश्वासन दते हैं व उत्तरदायित्व भी लेत हैं कि वह (विदेशी क्रेता) माल की सुपुदगी लेगा और उस माल के मूल्य का भुगतान भी करेगा। इसके लिए ये निर्यात साख गारटी विभाग स उस विदेशी क्रेता द्वारा माल न स्वीकार करन की दशा मे जोखिम का बीमा करा लेत हैं। य पुष्टिकरण गृह निर्माता अथवा निर्यातक को एक आदश-पत्र (order sheet) भेजता है जिसम विदशी क्रेता के द्वारा प्रेषित आदश की पुष्टि की जाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि निर्माता अथवा निर्यातक वह आदेश पुष्टिकरण गृह का मानता है और यह नही मानता है कि वह आदेश विदशी विक्रेता ने दिया था।

अपने विस्तृत अनुभवो के आधार पर स्वीकृति गृहो को सामुद्रिक जहाज से माल भेजने का व उससे सबधित समस्याओं का बहुत ज्ञान रहता है। अत स्वीकृति गृह इसस सबधित काय भी करते हैं।

निगमन गृह का कार्य—निगमन गृह (Issuing houses) एक अन्य समूह है जिसमें स्वीकृति गृह अन्य मर्चेंट बैंक व कुछ अन्य फर्म्स सम्मिलित हैं। ये निगमन गृह कम्पनियों की पूंजी से संबंधित व्यवहारों में विशिष्टीकरण प्राप्त किए होती हैं।

नई कम्पनियों के अंश निगमन में प्रायः निगमन गृह एसोसियेशन' (Issuing Houses Association) के सदस्य विशेष दिलचस्पी लेते हैं। इस एसोसियेशन की स्थापना सन् 1945 में की गई थी तथा यह विभिन्न कम्पनियों प्राप्ति के अंशों के संबंध में परामर्श देता है। इस एसोसियेशन के इस समय लगभग 50 60 निगमन गृह सदस्य हैं जिनमें से 16 स्वीकृति-गृह हैं जो इसके सदस्य हैं।

नई कम्पनी की स्थापना अथवा विद्यमान कम्पनी का विकास, अथवा निजी कम्पनी को सार्वजनिक कम्पनी में परिणित करने की दशा में, अंशों का सम्पूर्ण निगमन अथवा अधिकांश निगमन ये निगमन गृह ले लेते हैं। इससे उस कम्पनी को पूंजी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात ये निगमन गृह कुछ ऊंची दर से अंशों को जनता में बेचते हैं। ये निगमन-गृह इस प्रकार अभिगोपक (underwriter) का कार्य करते हैं।

ये निगमन-गृह कम्पनियों के एकीकरण पुनर्संगठन, रिजर्व के पूंजीकरण, अन्य व्यवसाय को लेने, सहायक कम्पनियों की स्थापना आदि के संबंध में वित्तीय परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं। वे नये निगमन के संबंध में कानूनी परामर्श भी देते हैं और स्टाक-एक्सचेंज के नियमों के विषय में जानकारी देते हैं।

इसके अतिरिक्त भूतकाल में विदेशी सरकारों म्युनिसिपल्टियों एवं अन्य संस्थाओं को दिये गये दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान करने वाले एजेंटों के रूप में भी ये मर्चेंट-बैंक कार्य कर लेते हैं। ये इंगलैंड की कम्पनियों के अंशधारियों एवं ऋण-पत्रधारियों (debenture holders) के रजिस्टर भी रखते हैं और उनको लाभांश व ब्याज आदि के भुगतान देने का भी कार्य करते हैं।

ये मर्चेन्ट बैंक इंगलैंड व बाहर के अपने ग्राहकों के धन के विनियोग का प्रबंध भी करते हैं और उनकी ओर से प्रतिभूतियों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं।

विदेशों को ऋण (Overseas Lending)—उन्नीसवीं व बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक लंदन की स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के संबंध में ऐसी थी कि विश्व के अनेक भागों में निगमन-गृहों के माध्यम से ऋण लिए जा सकते थे। इन मर्चेंट बैंकों का अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। अतः यदि उन देशों की सरकारें अथवा व्यापारिक भवन लन्दन में पूंजी प्राप्त करना चाहते थे तो वे इन मर्चेंट बैंकों से सम्पर्क स्थापित करते थे। उदाहरण के लिए बारिंग ब्रदर्स फर्म व लेटिनी अमेरिका को और हैम्ब्रोस स्कैंडेनेविया को ऋण देते थे।

किन्तु सन् 1930 में मर्चेंट बैंकों को विदेशों के लिए लन्दन में पूंजी प्राप्त करना कठिन कार्य हो गया क्योंकि इसके लिए अब सरकार से अनुमति लेना आवश्यक हो गया।

विदेशी विनिमय बाजार मे—लदन के विदेशी विनिमय बाजार म मर्चेंट बको का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बाजार म केवल 120 अधिकृत विदेशी विनिमय क व्यापारी है। कुछ ने कार्यों म विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जसे किसी न अपने यहा विदेशी विनिमय विभाग स्थापित कर लिया और साथ मे बडी मात्रा म विदेशी मुद्रा देने के काय मे विशिष्टीकरण प्राप्त कर लिया। उदाहरण के लिए यात्रिया प्रतिनिधियो आदि को जो विदेश म जा रहे हो उस देश की मुद्रा प्रदान करना जिससे वहा पहुचते ही कठिनाई न हो अथवा अन्य बको को उनकी आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्रा प्रदान करना।

विदेशों मे विस्तार—अनेक प्रमुख मर्चेंट बको की विदेशो म सहायक कम्पनिया (subsidiaries) हैं अथवा अनेक कम्पनियो स सबद्ध (affiliated) हैं। इनका विस्तार मुख्यत दक्षिणी अफ्रीका आस्ट्रेलिया व कनाडा आदि देशो म है। कनाडा म उन्होंने अनेक प्रमुख विकास परियोजनाओ के लिए वित्त की व्यवस्था करन म सहयोग प्रदान किया है। इन दिनो इसकी प्रवृत्ति यूरोप मे फलने की दखी जा रही है। अनेक मर्चेंट बक अतर्राष्ट्रीय किराया-खरीद (hire purchase) वित्त सगठनो से सबधित हो गये है।

यह कहा जा सकता है कि यूरोप के पूजी बाजार मे इनका महत्वशील स्थान हो जावेगा।

13
बैंक ऑफ इंगलैण्ड

पृष्ठभूमि

विश्व के अन्य अनेक केन्द्रीय बैंकों की भांति, बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थापना उन बैंकिंग कार्यों को करने के लिए नहीं की गई थी जिनको कि वर्तमान समय में केन्द्रीय-बैंकों के प्रमुख कार्य कहते हैं। अन्य अनेक ब्रिटिश संस्थाओं की भाँति इसका विकास भी बदलते हुए विचारों व परिस्थितियों को समन्वित एवं उनको पालन करते हुए, क्रमशः धीरे-धीरे हुआ। आरम्भ में यह केवल एक संयुक्त-पूंजी वाला बैंक (Joint Stock Bank) था और धीरे-धीरे यह एक शक्तिशाली केन्द्रीय बैंक हो गया, और देश के अन्य बैंकों की नीति पर इसका नियन्त्रण हो गया। किसी भी अर्थशास्त्री के द्वारा केन्द्रीय बैंक के सिद्धान्तों के विषय में लिखे जाने के एक सौ तियासी वर्ष (183 वर्ष) पूर्व ही बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थापना (सन् 1694 में) हो चुकी थी। वाल्टर बेजहॉट (Walter Bagehot) पहले व्यक्ति थे जिन्होंने केन्द्रीय-बैंकों के सिद्धान्तों के विषय में सर्वप्रथम सन् 1877 में 'लोम्बार्ड स्ट्रीट' (Lombard Street) के नाम से एक प्रकाशन किया।

सन् 1640 तक लंदन के व्यापारी अपने धन को सरकारी टकसाल (जिसे Mint in the Tower कहते थे) में जमा करा देते थे, किन्तु इस वर्ष (सन् 1640 में) इंगलैंड के राजा चार्ल्स प्रथम ने, टकसाल में जमा व्यापारियों के 1 30 लाख पौंड जब्त कर लिए। अतः अब व्यापारियों का टकसाल पर से विश्वास पूर्णतया हट गया और वे अपने धन को स्वर्णकारों (*goldsmiths*) के पास जमा करने लगे। इसका कारण यह था कि स्वर्णकारों के पास अपने स्वयं के व्यापार के लिए सुरक्षित-स्थानों की सुविधाएं थीं। जो व्यापारी अपने धन को स्वर्णकारों के पास जमा करते थे, स्वर्णकार उसकी रसीद प्रदान करते थे और जब व्यापारी अपने धन का जितना भाग निकालते थे, स्वर्णकार उस रसीद पर उसका उल्लेख कर देते थे।

क्रमशः स्वर्णकारों की संख्या व उनका महत्व बढ़ता गया। ये स्वर्णकार सरकार के बैंकर के रूप में भी अब कार्य करने लग गये थे और सरकार को समय समय पर ऋण भी देने लगे थे। सन् 1672 में ब्रिटिश सरकार इन स्वर्णकारों की 13 लाख पौंड से ऋणी थी। सरकार ने अपने इस ऋण को नहीं चुकाया अतः जनता का सरकार के प्रति अविश्वास बढ़ गया। अतः शाही-चार्टर (Royal Charter) के अधीन एक बैंक की स्थापना की मांग बढ़ गई और

बैंक आफ इंगलैंड की स्थापना—बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थापना 27 जुलाई 1694 को रायल-चार्टर (Royal Charter) के अधीन हुई। यह उल्लेखनीय है कि सरकार का इस बैंक की स्थापना का उद्देश्य व्यापार आदि को प्रोत्साहन देना नहीं था वरन् उस समय इंगलैंड के साथ फ्रांस में चल रहे युद्ध के लिए वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। उस समय इंगलैंड में विलियम तृतीय का शासन था।

विलियम पेटरसन (William Paterson) ने, जो कि एक स्कॉट थे, सन् 1691 में बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थापना के लिए एक योजना (scheme) प्रस्तुत की। किन्तु बैंक आफ इंगलैंड के संस्थापक के रूप में श्रेय चार्ल्स मॉंटेगु (Charles Montagu) (जो बाद में लार्ड हेलीफैक्स (Lord Halifax) हो गये) और माइकेल गॉडफ्रे (Michael Godfrey) का है। माइकेल-गाडफ्रे इस बैंक के प्रथम डिप्टी-गवर्नर थे जिनका प्रभाव नगर में बहुत अधिक था, और उनके प्रभाव के कारण ही बैंक आफ इंगलैंड की स्थापना की योजना सफल हो सकी। बैंक आफ इंगलैंड के प्रथम गवर्नर सर जान हूबलन (John Houblon) थे।

बैंक आफ इंगलैंड का समामेलन दि गवर्नर एण्ड कम्पनी आफ दि बैंक ऑफ इंगलैंड (The Governor and Company of the Bank of England) के नाम से हुआ था। यह ऊपर संकेत किया जा चुका है कि इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इंगलैंड का फ्रांस के साथ चल रहे युद्ध के लिए वित्त की व्यवस्था करना था। इस बैंक को 12 लाख पौंड की पूंजी एकत्रित करनी थी और यह समस्त पूंजी सरकार को उधार देनी थी। सरकार ने इस 12 लाख पौंड की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज और प्रबंध-व्यय के लिए 4 हजार पौंड (वार्षिक) देना स्वीकार किया। बैंक आफ इंगलैंड को इस राशि (12 लाख पौंड) तक के मूल्य के बराबर पत्र मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार दिया गया। यह बैंक इस राशि से अधिक मूल्य के नोट नहीं निर्गमित कर सकता था। सरकार द्वारा इस ऋण का भुगतान 12 वर्षों की समाप्ति पर करना था—जबकि बैंक को सन् 1694 में प्रदान किए गये प्रथम चार्टर की अवधि समाप्त होती थी।

सन् 1697 के एक अधिनियम ने बैंक की पूंजी बढ़ाने का प्रावधान किया और बैंक के चार्टर को सन् 1711 तक बढ़ा दिया। इसके पश्चात् समय-समय पर चार्टर का नवीनीकरण किया जाता रहा और प्रत्येक नवीनीकरण के समय सरकार को नया ऋण दिया जाता रहा। इस प्रकार यह बैंक सरकार को वित्त प्रदान करने में महत्वशील था। सन् 1777 में एडम-स्मिथ ने कहा था "बैंक आफ इंगलैंड केवल एक साधारण बैंक की तरह ही काम नहीं करता बल्कि राज्य के एक शक्तिशाली इंजिन के रूप में भी कार्य करता है।" (The Bank of England acts not only as an ordinary bank but as a great engine of State) सन् 1708 में बैंक ऑफ इंगलैंड को नोट निर्गमन का एकाधिकार दे दिया गया।

अत म सन् 1844 मे बैंक चाटर एक्ट (Bank Charter Act) पास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बक ऑफ इगलड मे चाटर को असीमित काल के लिए बढा दिया गया। और इस बैंक की स्थिति राष्ट्रीय–सस्था के रूप म हो गई। इस एक्ट मे यह प्रावधान पुन किया गया कि देश मे बैंक आफ इगलैंड के अतिरिक्त अन्य कोई बक नोट निगमन नहीं कर सकता।

इस प्रकार इगलड और वेल्स (Wales) म बैंक आफ इगलैंड को ही नोट निगमन का एकाधिकार था। सन् 1844 के एक्ट म नोट निगमन के सिद्धात की व्याख्या भी की गई। इस एक्ट के अनुसार अधिकतम विश्वासाश्रित नोट निगमन प्रणाली अपनाई गई। विश्वासाश्रित नोट–निगमन की अधिकतम राशि निश्चित कर दी गई, जिसके पीछे स्वर्ण स्वर्ण-पाट (Bullion) अथवा स्वर्ण के सिक्के रखने की आवश्यकता नही थी, और निश्चित राशि से अधिक मात्रा म नोट–निगमन करने की दशा म अधिक मात्रा के नोटो के पीछे 100 प्रतिशत स्वर्ण रखने का प्रावधान किया गया। उन्नीसवी शताब्दी मे इगलड मे अनेक वाणिज्य-सकट (Commercial crisis) उत्पन्न हुए और तीन अवसरो पर सन् 1847, 1857 और 1866 म यह आवश्यक समझा गया कि बक को अधिकतम–विश्वासाश्रित–नोट–निगमन की सीमा म मुक्त कर दिया जावे अर्थात् विश्वासाश्रित नोट निगमन की कोई सीमा न रखी जावे और बक बिना किसी स्वर्ण आदि के रिजर्व के नोट निगमन करता रहे।

सन् 1844 के एक्ट ने बक ऑफ इगलैंड को दो भागो—निगमन विभाग (Issue Department) और बकिंग विभाग म—विभक्त कर दिया और साथ म यह प्रावधान भी किया गया कि यह बैंक प्रति सप्ताह अपनी आर्थिक स्थिति का विवरण भी प्रकाशित किया करे। बक ऑफ इगलड मे ये दो विभाग बनाने का उद्देश्य यह था कि नोट–निर्गमन के काय को बकिंग विभाग से पृथक कर दिया जाय ताकि बैंक अपने सामान्य बकिंग काय सरलतापूवक कर सके। इस प्रकार बक ऑफ इगलड एक साथ ही दो काय कर सके—नोट निगमन की केंद्रीय-सस्था के रूप म काय और प्रतिस्पर्धी बकर के रूप म काय। किंतु अनुभव ने यह बतलाया कि यह उद्देश्य पूण नहीं हो सका क्योकि गत 100 वर्षो म यह बक क्रमश केंद्रीय-बका के करने म ही अधिक विकसित हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् इसर व्यापारिक-बका के कार्यों म निरतर कमी हुई है। आज यह निजी व्यापारिक-बक का प्राय कोई काय नहीं करता है।

सन् 1694 मे बक आफ इगलड की स्थापना और बाद म उसकी सफलता को देखकर इगलड में अन्य ऐसे ही बको की स्थापना की प्रेरणा मिली। अन्य बक स्थापित भी किए गये किंतु सफलता नहीं मिल सकी। सन् 1708 के एक्ट न छ सदस्यो से अधिक के बकों की स्थापना पर प्रतिबध लगा दिया। साथ ही अन्य बको द्वारा नोट निगमन पर भी प्रतिबध लगा दिया। इस प्रकार इस अधिनियम ने स्पष्ट रूप से तो अन्य बको की स्थापना पर प्रतिबध नही लगाया किंतु अप्रत्यक्ष रूप में यह एक प्रकार से प्रतिबध ही था क्याकि उन दिना नोट निगमन का कार्य बैंकों का एक अनिवार्य काय माना जाता था। इस प्रकार सन् 1708 के इगलड को एक विशिष्ट-स्थान प्रदान कर दिया।

बैंक ऑफ इगलड सरकारी-बैंकर के रूप में भी काय कर रहा था, लदन मुद्रा बाजार में महत्वपूर्ण स्थान था, और नोट निगमन का एकाधिकार था ही, अत इसे ही देश का केन्द्रीय-बैंक बना दिया गया।

बैंक ऑफ इगलड का राष्ट्रीयकरण—द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात, श्रमिक सरकार (Labour Government) आई। इसने बैंक ऑफ इगलड के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से बैंक ऑफ इगलड 1946' बनाया। अत इस एक्ट के अधीन लगभग 252 वर्ष पुराना बैंक ऑफ इगलड का राष्ट्रीयकरण मार्च 1, 1946 को कर दिया गया।

प्रारम्भ से ही इस बैंक का देश की बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि देश के केन्द्रीय बैंक पर पूर्ण रूप से एव प्रभावशील ढग से सरकार का नियन्त्रण हो जावे। यद्यपि राष्ट्रीयकरण के पूर्व भी सरकार का बैंक ऑफ इगलड पर कुछ नियन्त्रण था किन्तु उस समय की विश्व के अन्य प्रमुख देशों में प्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार यह आवश्यक समझा गया कि इस बैंक पर राष्ट्रीयकरण के द्वारा और अधिक प्रभावशील ढग से नियन्त्रण रखा जावे।

इगलड की परिपाटी के अनुसार राष्ट्रीयकरण कोई विशेष क्रान्तिकारी वस्तु नहीं है। यह तो एक औपचारिक परिवर्तन है। बैंक ऑफ इगलड की स्टॉक धारकों (stock holders) का पूरा भुगतान किया गया। बैंक ऑफ इगलड के स्टाक (stock i e, fully paid up shares) के बदले में सरकार द्वारा गारटी किए गये स्टाक दिए गये। एक सौ पौंड के स्टाक धारक को 400 पौंड के 3% ब्याज वाले सरकार द्वारा गारटी किए गये स्टॉक दिए गये। एक-सौ पौंड के स्टॉक के बदले 3% ब्याज वाले 400 पौंड के स्टॉक इस आधार पर दिए गये कि सन् 1924 से 1945 तक प्रतिवर्ष 12% की आय स्टॉक धारकों को होती थी। अत उसी आय के स्तर को बनाए रखने के लिए 400 पौंड के 3% ब्याज वाले स्टॉक प्रदान किए ताकि आय वही 12 पौंड प्रतिवर्ष होती रहे, जोकि पहले 100 पौंड के स्टॉक पर होती थी।

14

बैंक ऑफ इंगलैण्ड का संगठन

भूमिका

इंगलैंड का केन्द्रीय बैंक 'बैंक ऑफ इंगलैंड' है जिसकी स्थापना जुलाई 27, 1694 को हुई थी। यह विश्व के सबसे पुराने बैंकों में है। मार्च 1, 1946 को इस बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सन् 1946 से पहले यह अंशधारियों का बैंक था और सरकार का इसके प्रबन्ध में कोई स्थान नहीं था।

राष्ट्रीयकरण के पूर्व संगठन—बैंक ऑफ इंगलैंड का प्रबन्ध एक संचालक मंडल (*जिसे Court कहते हैं*) द्वारा होता था जिसमें 26 सदस्य होते थे। इन 26 सदस्यों में एक गवर्नर और एक डिप्टी गवर्नर होता था और 24 संचालक होते थे। इन सबका चुनाव प्रतिवर्ष बैंक की वार्षिक-साधारण सभा में स्टॉक धारकों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था। ये पुनः चुनाव के योग्य होते थे और इनका इस प्रकार चुनाव कितनी ही बार हो सकता था। यद्यपि यह परिपाटी चली आ रही थी कोई भी व्यक्ति बैंक के गवर्नर के पद पर दो वर्ष से अधिक अवधि तक कार्य न करे किन्तु बाद में यह दीर्घकाल से चली आ रही परिपाटी टूट गई जबकि सन् 1920 से मौंटेगु नौरमन (Montagu Norman) गवर्नर के रूप में निरन्तर चुने जाते रहे।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् संगठन वर्तमान संगठन

श्रमिक सरकार (Labour Government) के काल में 'बैंक ऑफ इंगलैंड एक्ट" 1946 में बैंक ऑफ इंगलैण्ड के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से बनाया गया। इस एक्ट के अंतर्गत मार्च 1 1946 को बैंक ऑफ इंगलैण्ड का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

बैंक ऑफ इंग्लैंड की क्रियाओं का प्रबंध एक संचालक-मंडल (Board of Directors) द्वारा किया जाता है। इस संचालक मंडल को तकनीकी रूप में 'कोर्ट (Court) कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण के पूर्व इस संचालक मंडल में 24 संचालक (गवर्नर व डिप्टी-गवर्नर के अतिरिक्त) होते थे किन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात अब 16 संचालक (गवर्नर व डिप्टी-गवर्नर के अतिरिक्त) होते हैं। इस प्रकार संचालक मंडल (अर्थात् संचालक-कोर्ट) में कुल 18 सदस्य (16 संचालक + 1 गवर्नर + 1 डिप्टी गवर्नर = 18) होते हैं।

1 कार्यावधि (Term of office)—संचालक-कोर्ट के समस्त (18) सदस्यों की नियुक्ति इंगलैंड के राजा (The Crown) के द्वारा की जाती है।

डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीयकरण के पूर्व इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती थी। इनके कार्यकाल को 5 वर्ष कर देने का उद्देश्य कार्यकुशलता तथा नीति प्रशासन पर ध्यान लागू हो सके।

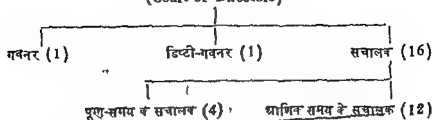
सब संचालकों की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इनमें से चार संचालकों को प्रति वर्ष बारी से अवकाश (retire) लेना पड़ता है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् बैंक के प्रथम कोर्ट में संचालकों की नियुक्ति 1 से 4 वर्षों तक के लिए की गई थी ताकि एक चौथाई संचालक प्रति वर्ष रिटायर हो सकें।

उपरोक्त 16 संचालकों में से अधिक से अधिक 4 संचालक (जिन्हें कार्यकारी संचालक (executive directors) कहा जाता है) पूर्ण समय (full time) के लिए नियुक्त किए जाते हैं। शेष 12 संचालक आंशिक-समय (part time) के लिए नियुक्त किये जाते हैं। ये 12 संचालक वाणिज्य, उद्योग, व्यापार, श्रमजीवी उद्योग व पेशों में से अनुभवी व्यक्तियों में से चुने जाते हैं और इनमें से एक संचालक प्रमुख ट्रेड-यूनियन में से चुना जाता है। आंशिक-समय के समस्त संचालकों को बैंक के बोर्ड की साप्ताहिक-सभाओं (weekly meetings) में भाग लेना होता है। प्रत्येक आंशिक-समय का संचालक (part time director) एक अथवा अधिक स्थायी-कमेटी (standing committee) का सदस्य होता है। बैंक का गवर्नर किसी भी आंशिक समय के संचालक को किसी भी समस्या अथवा विषय पर परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकता है। ये संचालक भी किसी भी विषय पर गवर्नर से बातचीत कर सकते हैं और उनको परामर्श दे सकते हैं।

संचालकों की कोर्ट (Court of Directors) को सरकारी अथवा राजनीतिक दबाव से मुक्त रखा गया है। सरकार द्वारा राजनीतिक स्वार्थ संचालकों व कोर्ट पर न डाले जा सकें इस हेतु बैंक ऑफ इंगलैंड के अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी सरकार संचालकों में कोई कोर्ट को बर्खास्त (dismiss) नहीं कर सकती है और न उसके स्थान पर नई कोर्ट स्थापित कर सकती है।

बैंक ऑफ इंगलैंड के समस्त संचालकों, गवर्नर व डिप्टी गवर्नर की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। इनके अनिवार्य अवकाश ग्रहण के लिए यद्यपि कोई प्रावधान नहीं है किन्तु फिर भी प्रायः 66 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती है। सन् 1946 के अधिनियम में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कोई भी सदस्य, देश का कोई मंत्री, कर्मचारी (civil servants) अथवा कोई विदेशी व्यक्ति उपरोक्त पदों (गवर्नर, डिप्टी गवर्नर व संचालक) पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

बैंक ऑफ इंगलैंड के संचालक मंडल अथवा संचालकों के कोर्ट का संगठन इस प्रकार है—



2 कमेटी आफ ट्रेजरी (Committee of Treasury)—उपरोक्त के अतिरिक्त एक कमेटी ऑफ ट्रेजरी भी है। यह बक ऑफ इगलड की नीति–निर्धारण (Policy-Committee) करने वाली कमेटी है। यह अन्य सभी कमटियो से रिपोर्टों को प्राप्त करती है और 'कोट' को देने के पूर्व उनका अध्ययन करती है। इस कमेटी की भी नियमित रूप से सप्ताह मे एक बार मीटिंग होती है।

इस कमेटी मे सात सदस्य होते हैं—गवनर व डिप्टी गवनर, बक के 4 कायकारी-सचालकों म से अधिक से अधिक एक सचालक एव अन्य 4 सदस्य। बैंक का गवनर इस कमेटी की सभाओ की अध्यक्षता करता है। इनका चुनाव गुप्त-मतदान द्वारा होता है।

3 स्थायी समितिया (Standing Committees)—बक ऑफ इगलड के काय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सात स्थायी–समितियो का गठन किया गया है। प्रत्यक आशिक-समय का सचालक (Part time Director) एक अथवा अधिक स्थायी-समिति का सदस्य होता है। ये समितिया हैं—

1 डबडन कमेटी (Dobden Committee)
2 निश्चित कोषो की प्रतिभूतिया पर विचार करन वाली कमेटी (The Committee to Consider the Securities of Certain Funds)
3 अकेक्षण कमटी (Audit Committee)
4 व्यय के स्थायी नियत्रण की कमटी (The Committee on Permanent Control of Expenditure)
5 चरिटेबिल अपील्स कमेटी (Charitable Appeals Committee)
6 स्टॉफ कमेटी (*Staff Committee*)
7 बैंक भवन की कमेटी (Committee on Bank Premises)

डबडन कमेटी—यह समिति बक ऑफ इगलड के, प्रशासन (administration), साज सामान (equipment) काय प्रणाली एव वित्त तथा **मुद्रण-कार्य का**

निरीक्षण करती है एव उस पर अपनी रिपोर्ट देती है। इस बैंक के मुद्रणालय इसक्स म डबडन स्थान (at Debden Essex) पर स्थित हैं।

4 आठ विभाग—बैंक मे आठ विभाग हैं। प्रत्येक विभाग (Department) के पृथक कार्यालय (offices) है। नीचे प्रमुख विभागो का विवरण दिया गया है—

(i) लेखापाल का विभाग (Accountant's Department)—यह विभाग सरकार, स्थानीय सत्ता (Local authorities) राष्ट्रीय कृत सस्थाओ कुछ राष्ट्र मडलीय सरकारो (Commonwealth Govt) आदि के स्टॉक (Stock) के रजिस्टर रखता है। यह विभाग स्टाक के हस्तांतरणो (transfers) क रेकार्ड रखता है एव लाभाश वारट (Dividend Warrants) का निगमन करता है। ऋण-लाभाश वारट (Loan Divident Warrants) पर प्रधान-लेखापाल (Chief Accountant) के हस्ताक्षर होत है।

(ii) कैशियर का विभाग (Cashier s Deptt)—यह विभाग नोट निगमन का काय करता है। प्रधान कैशियर (Chief Cashier) के हस्ताक्षर नोटो पर होते हैं। *भारत म रिजव बैंक द्वारा निगमित नोटो पर बक के गवनर के हस्ताक्षर होत हैं।* इसके अतिरिक्त यह विभाग समस्त बैंकिंग क्रियाओ विनिमय समकरण खात (Exchange Equalisation Account) तथा शाखाओ का प्रबध करता है। इस विभाग म अनेक कार्यालय हैं जो कि बट्टा-बाजार प्रतिभूतियो चेक व बिलो के एकीकरण से सबधित काम करता है।

(iii) ओवर सीज विभाग (Over-seas Deptt)—इस विभाग के प्रमुख काय है—अन्य केन्द्रीय बैंको एव अन्तर्राष्ट्रीय-सस्थाओ स व्यवहार करना विनिमय *नियत्रण का काय करना विदेशो स अन्य आर्थिक सबध आदि।*

(iv) इकोनामिक इन्टलीजस विभाग (Economic Intelligence Deptt)—यह विभाग इगलड की अथ व्यवस्था एव भुगतान के सतुलन (balance of payment) क सम्ब ध म नवीनतम सूचनाए एकत्रित करता है और उनकी व्याख्या (interpretation) करता है। यही विभाग बक की वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report) और त्रिमासिक बुलेटिन का प्रकाशन करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक ऑफ इगलड क अय विभाग ये हैं—(v) प्रबक्षण विभाग (vi) मुद्रण-काय विभाग (vii) एस्टबलिशमैंट विभाग (viii) सचिव का विभाग (Secretary s Deptt)।

प्रधान कार्यालय व शाखाए—बैंक आफ इगलड का प्रधान कार्यालय सन् 1734 म लदन की थ्रेडनीडिल-स्ट्रीट (Threadneedle Street) म स्थानान्तरित कर दिया गया। उस समय स (अभी तक) इस बक का प्रधान कार्यालय वही स्थित है। यह उल्लेखनीय है कि बक (जसा कि अभी है) क भवन का डिजाइन, सर हरबट बेकर (Sir Herbert Baker) न बनाया था और यह सन् 1939 म बन कर पूरा हुआ।

सन् 1826 में सर्व प्रथम बैंक ऑफ इंगलैंड ने अपनी शाखाएं विभिन्न भागों में स्थापित की। इस समय (सन् 1971 में) बैंक ऑफ इंगलैंड की आठ शाखाएं और एक कार्यालय (office) है। ये शाखाएं इन स्थानों पर हैं—लिवरपूल, मनचेस्टर, बरमिंघम, न्यू कॉसिल, ब्रिस्टल, लीड्स, साउथेम्पटन और लंदन में लॉ कोर्ट्स (Law Courts)। ग्लासगो नगर में एक कार्यालय है जो कि केवल विनिमय नियंत्रण का कार्य करता है।

पूंजी एवं लाभ—इस बैंक की पूंजी 1967 के अंत में 1,46,53,000 पौंड थी। बैंक ऑफ इंगलैंड एक्ट 1946 के अधीन इस बैंक की पूंजी स्टॉक को सरकार की ओर से (on behalf of the Govt) ट्रेजरी सॉलिसिटर (Treasury Solicitor) रखता है। बैंक ऑफ इंगलैंड, अपने बैंकिंग विभाग के लाभ में से प्रति छठे महीने (अर्थात् वर्ष में दो बार) एक्स चेकर (Exchequer) को 8,73,180 पौंड की निश्चित (fixed) राशि देता है। सन् 1946 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् सरकार ने बैंक ऑफ इंगलैंड के तत्कालीन स्टॉक धारकों (stock holders) को क्षतिपूर्ति (compensation) के रूप में जो राशि दी थी, उसके ब्याज के रूप में यह मद वार्षिक राशि (8, 73, 180 पौंड) दी जाती है।

इसके अतिरिक्त नोट निर्गमन विभाग की समस्त शुद्ध आय, जो कि नोट निर्गमन से प्राप्त होती है भी ट्रेजरी में देय होती है।

सरकारी ट्रेजरी का स्थान—वैसे तो साधारणतया सरकारी-ट्रेजरी बैंक ऑफ इंगलैंड के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है किंतु ट्रेजरी को ऐसा करने का अधिकार है। 'बैंक ऑफ इंगलैंड' (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1946 की धारा 4 की उप धाराए (1) व (2) में इस संबंध में बतलाया गया है, जिसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है—

(1) बैंक ऑफ इंगलैंड के गवर्नर से परामर्श करके, ट्रेजरी इस बैंक को समय समय पर ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह जनहित में आवश्यक समझे।

(2) ऐसे निर्देशों के अधीन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कार्य करेंगे।

चांसलर ऑफ एक्स चैकर का स्थान—इंगलैंड का चांसलर ऑफ एक्स चैकर वहां के मंत्रिमंडल का एक मंत्री (Cabinet minister) होता है। वह देश की मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। वह संसद में बजट प्रस्तुत करता है। इंगलैंड की सरकार ने पूर्ण रोजगार को बनाए रखने का दायित्व लिया है अतः ट्रेजरी व बैंक ऑफ इंगलैंड के सहयोग से वह मौद्रिक नीति के उन समस्त पहलुओं के लिए उत्तरदायी होता है जो मुद्रा-स्फीति एवं रोजगार के स्तर को प्रभावित करते हैं।

आजकल इंगलैण्ड में बैंक दर में परिवर्तन बिना चांसलर ऑफ एक्सचैकर की पूर्व-सहमति से नहीं होता है यद्यपि इसमें परिवर्तन की घोषणा बैंक ऑफ इंगलैंड

के द्वारा ही की जाती है। उसके निर्देश पर ही बैंक ऑफ इंगलैंड विशेष निक्षेपों[1] (Special Deposits) को स्वीकार करता है अथवा भुगतान करता है। ट्रेजरी के निर्देश पर, चांसलर आफ एक्सचेकर, देश के व्यापारिक बैंकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष रूप में निर्देश दे दिया करता था किन्तु साधारणतः अब इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देश के करों (Taxation) में परिवर्तन के संबंध में है।

---

1 देश की मौद्रिक-नीति को सफल बनाने व साख पर नियन्त्रण करने के लिए सन् 1960 में इंगलैंड ने विशेष निक्षेप प्रणाली चालू की है। इसका विवरण साख नियन्त्रण के अध्याय में दिया गया है।

15

बैंक ऑफ इंगलैण्ड के कार्य

(Functions of the Bank of England)

भूमिका

बैंक ऑफ इंगलैंड विश्व के प्राचीनतम बैंकों में है। इस बैंक का स्थान न केवल इंगलैंड में वरन यूरोप व विश्व के बैंकों में महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय बैंक बाजार का संचालक होता है और इसकी स्थिति सार्वजनिक-क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के मध्य में है। बैंक ऑफ इंगलैंड अनेक कार्य करता है। अध्ययन की सुविधा के हेतु बैंक ऑफ इंगलैंड के कार्यों का विवरण विभिन्न शीर्षकों में दिया गया है।

बैंक ऑफ इंगलैंड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

1 नोट निर्गमन का कार्य,
2 सरकारी बैंकर,
3 बैंकों का बैंकर,
4 अन्य केन्द्रीय बैंकों का बैंकर,
5 निजी ग्राहकों के खाते,
6 विनिमय नियंत्रण,
7 साख नियंत्रण।

1 नोट निर्गमन

सन् 1914 से पूर्व, इंगलैंड में विधि ग्राह्य मुद्रा निर्गमन का काम दो संस्थाएं करती थीं—सरकारी टकसाल (Royal Mint) जिसका उच्चतम पदेन अधिकारी (ex-officio) चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था, और बैंक ऑफ इंगलैंड सरकारी टकसाल से स्वर्ण के एवं अन्य सहायक-मुद्राएं (Subsidiary Coins) निर्गमन करती थी। ये मुद्राएं सीमित विधि ग्राह्य (limited legal tender) होती थी। बैंक ऑफ इंगलैंड नोट निर्गमन करता था। इन नोटों के पीछे स्वर्ण-कोष होता था एवं मांग पर स्वर्ण-मुद्राओं में देय होते थे। किंतु आजकल ऐसा नहीं है। सन् 1914 तक विश्वासाश्रित नोट-निर्गमन (Fiduciary Issue) की सीमा 1 80 करोड़ (अर्थात् 18 मिलियन) पौंड थी, अर्थात् 1 80 करोड़ पौंड तक के मूल्य के नोट निर्गमन के लिए स्वर्ण-कोष रखने की आवश्यकता नहीं थी।

प्रथम विश्व-युद्ध आरम्भ होने पर सरकारी ट्रेजरी को 1 पौंड और 10 शिलिंग के मूल्यों के असीमित मात्रा में नोट निर्गमन करने का अधिकार दे दिया

गया। इस निगमन के पीछे किसी भी प्रकार के स्वर्ण कोष को रखने की आवश्यकता नहीं थी। जिस प्रकार की स्थिति भारत में आजकल 1 रुपए के नोट की है वैसी ही स्थिति उस समय इंगलैंड में 1 पौंड एवं 10 शि॰ के नोटों की थी।

सन् 1928 तक यह स्थिति चलती रही जबकि 'करंसी एण्ड बैंक नोट्स एक्ट 1928' पास किया गया जिसके परिणामस्वरूप ट्रेजरी द्वारा नोट निगमन का कार्य बैंक ऑफ इंगलैंड को हस्तान्तरित कर दिया गया। इसके साथ ही बैंक ऑफ इंगलैंड द्वारा विश्वासाश्रित–निगमन की सीमा बढ़ा दी गई।

सन् 1931 में इंगलैंड द्वारा स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऑफ इंगलैंड के नोटों की, एक निश्चित मूल्य पर स्वर्ण में परिवर्तनशीलता भी समाप्त कर दी गई। सन् 1932 में विनिमय समानीकरण-खाता (Exchange Equalisation Account) स्थापित किया गया और सन् 1939 में बैंक ऑफ इंगलैंड का प्रायः समस्त स्वर्ण इस खाते (E E A) में हस्तान्तरित कर दिया गया। अतः सन् 1939 से अब तक इंगलैण्ड में प्रायः समस्त नोट निगमन विश्वासाश्रित (Fiduciary) ही है।

'करंसी एण्ड बैंक नोट्स एक्ट 1954' ने बैंक ऑफ इंगलैंड द्वारा प्रतिभूतियों के आधार पर, निगमित किए जाने वाले नोटों की मात्रा निर्धारित कर दी है। इस अधिनियम ने बैंक को यह अधिकार भी दे दिया है कि ट्रेजरी के अनुमोदन पर बैंक ऑफ इंगलैंड किसी भी अंकित मूल्य के नोट निगमन कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार विश्वासाश्रित–नोट–निगमन की सीमा 1575 मिलियन पौंड निर्धारित की गई। साथ ही में यह प्रावधान कर दिया गया कि इस सीमा में परिवर्तन करने के लिए ट्रेजरी की सहमति आवश्यक है किन्तु अन्तिम स्वीकृति पार्लियामेन्ट की आवश्यक है। यदि विश्वासाश्रित निगमन में वृद्धि दो वर्ष से अधिक समय के लिए की जानी है तो ट्रेजरी को इस संबंध में स्टेट्यूटरी आर्डर (Statutory order) निगमन करना आवश्यक है और इस 'आर्डर' पर पार्लियामेंट में बहस की जा सकती है।

विश्वासाश्रित पत्र मुद्रा निगमन को एक वास्तविक उदाहरण द्वारा यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। सितम्बर 1967 में विश्वासाश्रित पत्र मुद्रा निगमन की अधिकतम स्वीकृत राशि 3,000 मिलियन पौंड थी। इस अधिकतम स्वीकृत मात्रा के नोट वास्तव में मुद्रित भी कर लिए गए थे। सितम्बर 20,1967 को वास्तविक चलन में नोट 2 975 मिलियन पौंड की राशि के थे और 25 मिलियन पौंड के नोट अनिर्गमित (Un issued) थे जो कि बैंक ऑफ इंगलैंड के बैंकिंग–विभाग में रखे हुए थे। अतः वास्तविक चलन में इन 25 मिलियन पौंड के नोट (बिना विश्वासाश्रित-निगमन की मात्रा में परिवर्तन किए) लाये जा सकते थे।

अग्रांकित तालिका में बैंक ऑफ इंगलैंड के विश्वासाश्रित–निगमन (The Fiduciary Issue of The Bank of England) की मात्रा प्रदर्शित की गई है।

बैंक ऑफ इंगलण्ड का विश्वासाश्रित निर्गमन

वर्ष	मिलियन पौंड	वर्ष	मिलियन पौंड
1844	14	1958	2,000
1900	$17\frac{3}{4}$	1959	2 050
1921	$19\frac{3}{4}$	1960	2 250
1928	260	1961	2 325
1939	580	1962	2 350
1944	1,250	1963	2,450
1945	1 400	1964	2 550
1946	1,450	1965	2 600
1948	1 300	1966	2,850
1950	1,355	1967	3,000
1951	1 375	1968	3,100
1952	1 525	1969	3 250
1954	1,575	1970	3 250
1956	1,900		

उपरोक्त तालिका के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं—

(i) सन् 1844 के बैंक चार्टर एक्ट का बैंक ग्राफ इंगलैंड के विश्वासाश्रित-निर्गमन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । इस निर्गमन की सीमा में साधारण वृद्धि की गई । यह ध्यान रहे कि इस एक्ट ने अन्य बैंकों द्वारा नोट निर्गमन के अधिकार को पूर्णतः बन्द कर दिया ।

(ii) प्रथम विश्व-युद्ध के फलस्वरूप विश्वासाश्रित निर्गमन की राशि में लगभग 200 मिलियन पौंड की और अधिक वृद्धि कर दी गई ।

(iii) द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण विश्वासाश्रित निर्गमन की राशि में काफी वृद्धि की गई ।

(iv) वर्ष 1944 के पश्चात् यह वृद्धि क्रमशः मंद गति से हुई ।

(v) वर्ष 1948 विशेष रूप से देखिये । तालिका देखने से ज्ञात होता है कि इतिहास में केवल इस ही वर्ष विश्वासाश्रित निर्गमन की राशि में कमी की गई अन्यथा सदैव वृद्धि ही हुई है ।

(vi) वर्ष 1948 और 1970 के मध्य न्यूनतम वृद्धि 25 मिलियन पौंड व अधिकतम वृद्धि 325 मिलियन पौंड की हुई है ।

इंगलैंड में नोट निर्गमन सबंधी प्रमुख बातें—

1 बैंक ग्राफ इंगलण्ड के निर्गमन विभाग (Issuing Deptt) के माध्यम से नोट निर्गमन पार्लियामेंट द्वारा नियन्त्रित (controlled) है ।

2 इंगलण्ड और वेल्स में नोट निर्गमन का एकाधिकार बैंक ऑफ इंगलैंड को है ।

3 इंगलैंड में विश्वासाश्रित नोट निर्गमन प्रणाली (Fiduciary System of Note Issue) है ।

4 विश्वासाश्रित नोट निर्गमन राशि से अतिरिक्त मात्रा में नोट निकालने के लिये 100 प्रतिशत स्वर्ण-कोष में रखना आवश्यक है । अतः बैंक ऑफ इंगलैंड सिद्धांत

(in theory) अतिरिक्त स्वर्ण-कोष रखकर अधिक नोट निर्गमन कर सकता है किन्तु व्यवहार में (in practice) ऐसा होना सम्भव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक बार विश्वासाश्रित नोट निर्गमन की राशि में ही वृद्धि की गई है।

5 सम्पूर्ण विश्वासाश्रित निर्गमन, बैंक रिटर्न (Bank Return) में निर्गमन विभाग (Issue Deptt.) की देनदारी (Liability) के रूप में दिखाया जाता है, किन्तु इसका कुछ भाग बैंक रिटर्न में बैंकिंग विभाग की सम्पत्ति (Assets) के रूप में पुनः दिखाया जाता है, जिसका आशय है कि वह भाग अभी चलन में नहीं डाला गया है बल्कि बैंक की तिजोरियों में है।

6 निर्गमन विभाग का समस्त स्वर्ण सन् 1939 में विनिमय समानीकरण-खाते (Exchange Equalisation Account) में हस्तान्तरित कर दिया गया अतः नोट निर्गमन से होने वाला लाभ और नोट निर्गमन विभाग में रखी हुई प्रतिभूतियों के साप्ताहिक पुनर्मूल्यन (Weekly revaluation) से उत्पन्न आधिक्य अथवा कमी (surpluses or deficiencies) को इस खाते E E A में हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

7 इस समय इंगलैंड में 10 शिलिंग, 1 पौंड, 5 पौंड और 10 पौंड के नोट प्रचलन में है जो कि सन् 1928 से बैंक ऑफ इंगलैंड द्वारा निर्गमित किये जाते हैं। बैंक ऑफ इंगलैण्ड को देश में नोट निर्गमन का (सन् 1928 से) एकाधिकार प्राप्त है। यद्यपि स्कॉटलैण्ड और उत्तरी आयरलैण्ड के बैंकों को अपने नोट निर्गमन का अधिकार है किन्तु ये बहुत कम मात्रा में अपने नोट निकालते हैं जो कि बैंक ऑफ इंगलैण्ड के नोट, स्वर्ण और चाँदी के सिक्कों के 100 प्रतिशत सुरक्षित-कोष के आधार पर निकाले जा सकते हैं।

8 ऐतिहासिक परिचय—(i) इंगलैंड में 1 पौंड व 2 पौंड के नोट सर्वप्रथम सन् 1797 में चलाये गये थे किन्तु उन्हें सन् 1821 में बंद कर दिया गया। इसके अतिरिक्त सन् 1928 तक बैंक ऑफ इंगलैंड 5 पौंड से अधिक मूल्य के नोट निर्गमित करता था। 5 पौंड के नोट सन् 1793 से व 10 पौंड के नोट 1795 से चलाये गये। 10 पौंड 20 पौंड 50 पौंड 100 पौंड 500 पौंड और 1000 पौंड के नोट राजनीतिक कारणों से सन् 1943 से बंद कर दिए गये। किन्तु 10 पौंड के नोट सन् 1964 से पुनः चलाए गये।

(ii) इंगलैंड में विभिन्न समयों पर 35 पौंड 25 पौंड, 30 पौंड 40 पौंड, 60 पौंड 70 पौंड 80 पौंड 90 पौंड 200 पौंड 300 पौंड व 400 पौंड के नोट भी चल चुके हैं। 200 पौंड के नोट उन्नीसवीं शताब्दी में भी चलन में थे तथा सन् 1928 में उनका प्रचलन बंद किया गया है।

9 इंगलैंड में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख नये नोट प्रचलन में लाये जाते हैं क्योंकि लगभग इतने ही नोट गन्दे अथवा फट जाने अथवा खराब हो जाने के कारण नष्ट कर दिए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार 7 पौंड के नोट का औसत जीवन-काल लगभग नौ माह होता है और 5 पौंड के नोट का 15 माह।

इंगलैंड में टकशाला व सिक्के

इंगलैंड में सिक्के निर्माण करने के लिए सरकारी टकसाल है जो पहले लंदन में स्थित थी और सन् 1968 में कार्डिफ नगर के निकट लन्ट्रिसेंट (Lantrisant near Cardiff) स्थानान्तरित कर दी गई है। इस टकसाल का नाम 'रॉयलमिन्ट' (Royal Mint) है। यह टकशाला एक सरकारी विभाग (Govt Deptt) है जिसका अध्यक्ष (Master) चांसलर आफ एक्सचेकर होता है। इंगलैंड में सिक्के निर्माण का एकाधिकार इसी टकशाला के पास है। यह टकशाला अन्य व्यापार गृह की तरह कार्य करती है। यह टकशाला अन्य देशों के लिए भी सिक्का का निर्माण करती है। यह आवश्यक धातु को बाजार में से क्रय करती है, सिक्के बनाती है और जिस संस्था ने आदेश दिया था, उसे विक्रय कर देती है।

यह टकशाला इंगलैंड में बैंक ऑफ इंगलैंड को सिक्के विक्रय करती है। टकशाला को इससे बहुत लाभ होता है क्योंकि सभी सिक्के सांकेतिक सिक्के (Token Coins) हैं जिनका अंकित मूल्य, अधिक होता है और वास्तविक मूल्य कम होता है। टकशाला क्योंकि एक सरकारी विभाग है अतः इसके समस्त व्ययों धातु का मूल्य, वेतन, मजदूरी आदि का भुगतान चकों द्वारा होता है जो कि बैंक ऑफ इंगलैंड में सरकारी खाते पर लिखे जाते हैं। बैंक ऑफ इंगलैंड टकशाला से जो सिक्के खरीदता है उनके लिए भुगतान (अंकित मूल्य पर) सरकारी-खाते में करता है।

बैंक ऑफ इंगलैंड लगभग 20 लाख पौंड मूल्य के सिक्के अपने पास रिजर्व में रखता है। यदि यह रिजर्व कम हो जाता है तो बैंक ऑफ इंगलैंड टकसाल से सिक्के और खरीद लेता है।

इंगलैंड ने भी फरवरी 1971 से मुद्रा की दाशमिक प्रणाली अपना ली है। इसके अन्तर्गत पौंड (Pound) मुद्रा की प्रमाणिक इकाई है जो 100 'नई पेनी' (New Pennies) में विभक्त है।

2 सरकारी बैंकर

अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों की भांति, बैंक आफ इंगलैंड भी सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह ध्यान रहे कि बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थापना तत्कालीन सरकार को ऋण देने के लिए की गई थी अतः इसके जन्म से ही यह सरकार के बैंकर के रूप में काम कर रहा है।

सरकार के बैंकर के रूप में यह एक्सचेकर के एवं अन्य सरकारी विभागों के खाते रखता है। एक्स-चेकर के खाते में सरकार की साधारणतः समस्त आय जमा होती है और इसमें से ही सरकारी भुगतान किए जाते हैं। यह बैंक सरकार के लिए ऋणों की व्यवस्था करता है, सरकारी-स्टॉक्स पर अर्द्ध वार्षिक ब्याज के वितरण की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त यह बैंक सरकार को 'Ways and Means Advances[1] द्वारा अल्पकालीन (Overnight) ऋण भी, आवश्यकता पड़ने पर

1 ये बैंक आफ इंगलैंड द्वारा ट्रेजरी (सरकार) को दिए जाने वाले प्रत्यक्ष (direct) ऋण होते हैं। ये ऋण अल्पकालीन होते हैं। सरकार द्वारा लिए गये ऋणों में व इस प्रकार के ऋणों का बहुत कम अनुपात होता है।

प्रदान करता है। यह दीर्घकालीन सरकारी बॉंडों व स्टॉक्स के नये निर्गमन का प्रबंध करता है। इस प्रकार यह सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। यह प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख लाभांश का भुगतान करता है।

3 बैंकों का बैंकर

बैंक ऑफ इंगलैंड देश के व्यापारिक बैंकों बट्टा गृहों (Discount Houses) और स्वीकृति गृहों (Acceptance Houses) के बैंकर के रूप में काम करता है। देश के प्रमुख बैंक, विशेषत लन्दन-समाशोधन-बैंक (London Clearing Banks) बैंक ऑफ इंगलैंड में अपने खाते रखते हैं। बैंक ऑफ इंगलैंड इन बैंकों को लगभग वैसी ही सुविधाएं प्रदान करता है जैसी कि व्यापारिक-बैंक अपने ग्राहकों को प्रदान करता है। सदस्य बैंक एक दूसरे को अथवा टकसाल-बैंकर को, बैंक ऑफ इंगलैंड पर अपने खातों के अन्तर्गत चैक निकालकर अथवा ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर सकते हैं। अत ये खाते समाशोधन के आधार होते हैं।

बैंक ऑफ इंगलैंड के यहां व्यापारिक-बैंक अपने खातों में जमा राशि को 'नकद राशि' (Cash) के रूप में ही मानते हैं, क्योंकि वे उपयोग किसी भी रूप में व किसी भी समय कर सकते हैं। इंगलैंड में जनता द्वारा दिसम्बर व ग्रीष्मकाल में बैंकों से अधिक मात्रा में राशि निकाली जाती है अत इस मौसमी मांग की पूर्ति करने के लिए व्यापारिक-बैंक बैंक ऑफ इंगलैंड में अपने खातों में से राशि निकाल लेते हैं।

बैंक ऑफ इंगलैंड समाशोधन-बैंकों की नीतियां अथवा कार्यकलापों का औपचारिक रूप से निरीक्षण अथवा पर्यवेक्षण नहीं करता है। यद्यपि बैंक ऑफ इंगलैंड एक्ट 1946 ने इस बैंक को यह अधिकार दिया है कि वह अन्य बैंकों से सूचना प्रदान करने के लिए प्रार्थना कर सकता है, अथवा कार्यों के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकता है। साथ ही यदि ट्रेजरी द्वारा अधिकृत हो तो ऐसी प्रार्थना अथवा सिफारिश को प्रभावशाली बनाने के लिए निर्देश भी दे सकता है। किंतु व्यवहार में, बैंक ऑफ इंगलैंड ने अभी तक किसी बैंक को ऐसे निर्देश नहीं दिये हैं। अधिनियम (1946) पास होने के पूर्व भी बैंक ऑफ इंगलैंड बैंकों को उनके खाते अपने पास खोलने से इंकार करके भी उन पर प्रभाव डाल सकता था।

व्यवहार में समाशोधन-बैंक अपने एवं सरकार के मध्य सम्पर्क के लिए बैंक ऑफ इंगलैंड को माध्यम मानते हैं। सामान्य समय में, वे बैंक नीति सम्बन्धी व अन्य कार्यकलापों के विषय में प्रमुख बैंकिंग संगठनों (जैसे लंदन क्लियरिंग ब्रिटिश बैंकर्स एसोसियेशन आदि) में सम्पर्क बनाये रखते हैं। बैंक ऑफ इंगलैंड का गवर्नर अथवा डिप्टी-गवर्नर अक्सर कमेटी ऑफ लंदन क्लियरिंग-बैंकर्स के चेयरमैन अथवा डिप्टी चेयरमैन से मिलते रहते हैं। इस प्रकार के सबंध होने कारण वे एक दूसरे पर अधिक विश्वासी व निर्भर रहते हैं इस प्रकार बैंक ऑफ इंगलैंड अन्य बैंकों के दृष्टिकोण को ट्रेजरी के सम्मुख प्रस्तुत करता है।

इस ही प्रकार, बैंक ऑफ इंगलैंड के गवर्नर के द्वारा, चांसलर ऑफ एक्सचैकर अन्य बैंकों से अग्रिमों पर प्रतिबन्ध आदि के सम्बन्ध में कहता है, जैसा कि जुलाई 1957 में निजी क्षेत्र के अग्रिमों पर एक सीमा निर्धारित कर दी गई थी ऐसा ही उदाहरण नवम्बर 1967 का दिया जा सकता है जबकि पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन किया गया था।

बैंक ऑफ इंगलैंड बट्टा गृहों एवं स्वीकृति गृहों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। यह बैंक इन संस्थाओं से औपचारिक सम्बन्ध काफी घनिष्ट रखता है। ये संस्थाएं बैंक ऑफ इंगलैंड में अपने खाते रखती हैं। यह ध्यान रहे कि लंदन के 12 बट्टा गृह का, जो कि लंदन बट्टा बाजार एसोसियेशन का निर्माण (form) करते हैं, देश की आर्थिक प्रणाली के संचालन में महत्वपूर्ण योग है। इन 12 बट्टा गृहों में से प्रत्येक बट्टा गृह का बैंक आफ इंगलैंड के बट्टा-कार्यालय में एक एक ऋण खाता है। ये बट्टा गृह अपने बिलों की पुनर्कटौती भी बैंक आफ इंगलैंड से करवा लेते हैं।

इस प्रकार, बैंक आफ इंगलैंड, देश के बैंकों, बट्टा गृह व स्वीकृति गृहों के बैंकर एवं अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है।

4 अन्य केन्द्रीय बैंकों व वित्तीय संस्थाओं का बैंकर

बैंक ऑफ इंगलैंड अन्य देशों के केन्द्रीय बैंकों एवं अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। इस समय बैंक आफ इंगलैंड में लगभग 90 विदेशी केन्द्रीय बैंकों व ऐसी संस्थाओं, जैसे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F), अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक (I B R D or The World Bank), अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसियशन (International Development Association) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सटिल्मैंट, के खाते हैं। अनेक केन्द्रीय बैंक, विशेषतः स्टर्लिंग क्षेत्र के बैंक, अपने बाह्य-कोषों (external reserves) को लंदन में रखना चाहते हैं, एवं अन्य बैंक भी पर्याप्त मात्रा में स्टर्लिंग में पर्याप्त कोष रखते हैं। बैंक ऑफ इंगलैंड संबंधित बैंकों के आदेश पर उनके कोषों के विनियोग का प्रबंध भी करते हैं।

5 निजी ग्राहकों के खाते

बैंक ऑफ इंगलैंड व्यापारिक-बैंकिंग के कार्यों को नहीं करता है, और किसी भी केन्द्रीय बैंक के लिए यह उचित भी नहीं है कि वह साधारण बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों से प्रतिस्पर्धा करे क्योंकि ऐसा करने से केन्द्रीय बैंक का अन्य बैंकों के ऊपर प्रभावशील नियंत्रण नहीं रहता है एवं उनके साथ सुन्दर संबंध भी नहीं रहने पाते हैं। बैंक डि फ्रांस (Banque de France) केन्द्रीय बैंक भी है और साथ ही प्रमुख व्यापारिक-बैंक भी है।

काफी समय पूर्व से बैंक ऑफ इंगलैंड ने नये साधारण ग्राहकों के खाते अपने यहां खोलने बंद कर दिए हैं किंतु बहुत समय पूर्व, इस बैंक में निजी व्यक्तियों, निजी व सार्वजनिक कम्पनियों के खाते थे। उनमें से अधिकांश खाते आज भी बैंक आफ इंगलैंड में चालू हैं। बैंक इन खातों में निक्षेपों पर ब्याज नहीं देता है। बैंक

ऑफ इंगलैंड ने सन् 1968 में एबे नेशनल बिल्डिंग सोसाइटी (Abbey National Building Society) को अपने यहां खाता खोलने की अनुमति दी है।

इसके अतिरिक्त यह बैंक अपने कर्मचारियों को भी बैंकिंग संबंधी सुविधाएं प्रदान करता है।

6 विनिमय नियंत्रण

बैंक ऑफ इंगलैंड ट्रेजरी के एजेंट के रूप में कार्य करते हुए विनिमय नियंत्रण के कार्य को करने के लिए उत्तरदायी है। इंगलैंड में 'विनिमय नियंत्रण एक्ट 1947 (Exchange Control Act) इस कार्य के लिए है। इस एक्ट ने ट्रेजरी को विनिमय नियंत्रण के संबंध में विस्तृत अधिकार प्रदान किए हैं।

केवल वे जो कि विनिमय नियंत्रण एक्ट के अंतर्गत अधिकृत व्यापारी (authorised dealers) नियुक्त किए जाते हैं विदेशी विनिमय का कार्य कर सकते हैं। इस कार्य के लिए बैंक ऑफ इंगलैंड उनको कुछ शक्तियां प्रदान कर देता है। यह बैंक इस एक्ट के अंतर्गत उन अधिकृत व्यापारियों का कार्य करने की आज्ञा प्रदान करता है। साथ ही विदेशी मुद्रा की सीमा भी सूचित करता है जहां तक कि वे कार्य कर सकते हैं। बैंक ऑफ इंगलैंड इस संबंध में उनको नीति संबंधी बातों से अवगत कराता रहता है।

सन् 1961 से गैर-स्टर्लिंग क्षेत्र में विनियोग के लिए विदेशी विनिमय प्रदान करने के लिए कुछ अधिक कठोर नियंत्रण कर दिया गया है। सन् 1965 में यह नियंत्रण और अधिक कठोर कर दिया गया है और केवल उन्हीं विनियोगों के लिए विदेशी विनिमय दिया जाने लगा जो भुगतान-संतुलन को विशेषरूप से पक्ष में करने में सहायक हों। सन् 1966 में बैंक ऑफ इंगलैंड को अधिकार दिया गया कि स्टर्लिंग-क्षेत्र के देशों में इंगलैंड की फर्मों (Firms) के विनियोग को सीमित कर दे। अतः आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरिश रिपब्लिक और दक्षिणी अफ्रीका गणतंत्र में इंगलैंड के विनियोग पर्याप्त सीमित हो गए।

7 साख नियंत्रण

बैंक ऑफ इंगलैंड का अन्य प्रमुख कार्य है—साख नियंत्रण। साख नियंत्रण का कार्य बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं, विशिष्ट निदेश आदि साधनों द्वारा किया जाता है। इनका विवरण आगे के अध्याय में दिया गया है।

नोट—बैंक ऑफ इंगलैंड एक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है "Bank of England Quarterly Bulletin" इसका प्रकाशन दिसंबर 1960 से प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका में इंगलैंड की आर्थिक स्थिति के साथ बैंकिंग, मौद्रिक एवं अन्य आर्थिक विषयों पर अच्छे लेख मिलते हैं। भारत में भी रिजर्व बैंक द्वारा 'Reserve Bank of India Bulletin' मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है।

16
साख नियन्त्रण

भूमिका—प्राय समस्त अर्थशास्त्रियों एवं बैंकर्स ने साख नियन्त्रण को केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य माना है। साख नियन्त्रण के कार्य के अन्तर्गत ही केन्द्रीय-बैंकिंग की नीति निहित है और इस कार्य के द्वारा ही इसके अन्य समस्त कार्य सम्बद्ध हैं। केन्द्रीय बैंक को पत्र मुद्रा निर्गमित करने का एकाधिकार अथवा प्रमुख अधिकार देकर मुद्रा का संचालन किया जाता है और इसको साख के नियन्त्रण से सम्बद्ध कर दिया गया है।

भारत के रिजर्व बैंक एक्ट में भी कहा गया है कि "यह बैंक देश के हित में मुद्रा एवं साख का संचालन करेगा।" इसी प्रकार बैंक ऑफ कनाडा एक्ट में निर्देश दिया गया है कि 'यह बैंक साख एवं मुद्रा का संचालन करेगा, राष्ट्रीय मौद्रिक इकाई का बाह्य मूल्य नियन्त्रित एवं सुरक्षित रखेगा '।" इसी प्रकार अन्य देशों के सम्बन्धित केन्द्रीय-बैंक अधिनियमों में भी केन्द्रीय-बैंक का प्रमुख कार्य देश की मुद्रा व साख पर नियन्त्रण रखना बतलाया गया है।

बैंक ऑफ इंगलैंड द्वारा साख नियन्त्रण

यद्यपि बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थापना तत्कालीन सरकार के लिए वित्तीय प्रबन्ध के मुख्य उद्देश्य से की गई थी, किंतु समय व परिस्थिति के परिवर्तन के साथ साथ इसके संगठन, स्वरूप एवं कार्य-कलापों में भी परिवर्तन आए। इंगलैंड का केन्द्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंगलैंड है, अतः इसके द्वारा प्रतिपादित कार्यों में साख नियन्त्रण का भी विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। बैंक ऑफ इंगलैंड साख का नियन्त्रण अनेक साधनों से करता है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 बैंक दर,
2 खुले बाजार की क्रियाएं
3 बैंक तरलता के नियम,
4 विशिष्ट निक्षेप
5 नैतिक दबाव
6 चयनात्मक साख नियन्त्रण।

1 बैंक दर
(Bank Rate)

आशय—बैंक-दर वह अधिकृत न्यूनतम दर है जिस पर बैंक ऑफ इंगलैंड—

अंतिम ऋणदाता (lender of last resort) के रूप में कार्य करते हुए—लंदन मुद्रा बाजार के सदस्यों द्वारा इसके पास लाए गये प्रथम श्रेणी के अथवा बैंकों के विनिमय-बिलों (Bills of Exchange) की कटौती—अथवा अधिक उपयुक्त शब्दों में—पुनर्कटौती करता है।

बैंक दर का विकास—बैंक ऑफ इंगलैंड प्रथम बैंक था जिसने साख नियंत्रण के साधन के रूप में बैंक-दर का विकास किया। इस बैंक ने साख नियंत्रण के उद्देश्य से बैंक-दर का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1839 में किया, और उसके पश्चात् सन् 1847, 1857 और 1866 के संकट काल में किया।

इसके पश्चात्, उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य में यूरोप के अन्य देशों ने बैंक ऑफ इंगलैंड में बैंक-दर-नीति के सम्बन्धित अनुभवों एवं बैंक-दर के सिद्धान्तों पर विचार किया। सन् 1857 में बैंक ऑफ फ्रांस ने भी बैंक-दर की नीति अपनाई। इसके पश्चात् यूरोप के अन्य केन्द्रीय बैंकों ने भी बैंक-दर की नीति अपनाई।

बैंक-दर का निर्धारण व प्रकाशन—सिद्धान्ततः इंगलैंड में बैंक-दर का निर्धारण केवल बैंक ऑफ इंगलैंड करता है। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। व्यवहार में बैंक-दर का निर्धारण बैंक ऑफ इंगलैंड का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक्स-चैकर के परामर्श से करता है। इंगलैंड में बैंक दर प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रकाशित की जाती है। इसका केवल एक अपवाद है जब कि इस परिपाटी को भंग करके 19 सितंबर 1931 को बैंक दर बढ़ाई गई जबकि उस दिन शनिवार था। इसका कारण यह था कि उस समय इंगलैंड में स्वर्ण मान भंग कर दिया गया।

इंगलैंड में परिपाटी यह रही है कि बैंक-दर में परिवर्तन की घोषणा स्टॉक-एक्सचेंज में की जाती है। इसके लिए, बैंक ऑफ इंगलैंड का कर्मचारी प्रत्येक बृहस्पतिवार को स्टॉक एक्सचेंज में आता है और वहां पर इस कार्य के लिए निर्धारित बोर्ड पर बैंक-दर लिख देता है। बैंक-दर में परिवर्तन की सम्भावना से स्टॉक-एक्सचेंज के सदस्य बैंक ऑफ इंगलैंड के कर्मचारी के आने पर अत्यन्त उत्सुकता से बोर्ड की ओर देखते हैं।

बैंक दर ट्रिब्यूनल (1957)—इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बैंक दर में परिवर्तन की सूचना अत्यन्त गुप्त रखी जाती है और केवल समय पर ही प्रकाशित की जाती है। सन् 1957 में इंगलैंड में बैंक दर 5½% से बढ़ाकर 7% करदी गई। किन्तु इस वृद्धि की घोषणा के पूर्व कुछ मर्चेन्ट बैंकों व बीमा-कम्पनियों ने प्रथम श्रेणी की व सरकारी प्रतिभूतियों को बहुत बड़ी मात्रा में विक्रय किया। बैंक-दर वृद्धि की घोषणा के बाद इन प्रतिभूतियों के भाव बहुत गिर गये जिसके फलस्वरूप मर्चेन्ट-बैंकों बीमा-कम्पनियों व अन्य विक्रेताओं को भारी लाभ हुआ।

इस कारण अनेक क्षेत्रों में यह संदेह प्रकट किया गया कि बैंक-दर में वृद्धि की सूचना कुछ व्यक्तियों को पहले ही किसी प्रकार ज्ञात हो गई थी। इससे सम्बन्धित चांसलर ऑफ एक्स-चैकर के अतिरिक्त चार व्यक्ति और थे जो कि उस समय बैंक ऑफ इंगलैंड के आंशिक-समय (Part-time) के डायरेक्टर्स थे तथा अन्य संस्थाओं

के व डायरेक्टर्स भी थे। अत इन पाचो व्यक्तियों पर सदेह किया गया कि इनके द्वारा सूचना समय से पूर्व, किसी अथवा किन्ही व्यक्तियो को वतला दी गई हो।

अत सन् 1957 म ब क-दर-ट्रिब्यूनल यह जाच करने के लिए स्थापित किया किया कि क्या इन आरोपो म सत्यता है। इस ट्रिब्यूनल के चेयरमन लॉर्ड जस्टिस पारकर थे, जो बाद में लॉर्ड चीफ जस्टिस हो गय। गवाहियो की सुनवाई के पश्चात ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुचा कि पाचो सबधित व्यक्ति उच्च निष्ठावान लाछनरहित प्रतिष्ठा के व्यक्ति हैं। यद्यपि दो स्थानो पर वे सचालक थे किंतु फिर भी उन्होंने अपने चरित्र को बनाए रखा और वे आरोप-मुक्त है।

बक आफ इ गलण्ड अतिम ऋणदाता के रूप मे काय करता है अत मागने पर मुद्रा-बाजार के व्यापारियो को साख के लिए मना कभी नही करता। बक से भुनाए जाने वाले विनियम बिल प्रथम श्रेणी के होने चाहिये अथवा ट्रेजरी बिल होने चाहिये। य बिल अधिक म अधिक तीन महिने की अवधि के होते है किन्तु साधारण परिस्थितियो मे बक केवल ऐसे बिलो को ही लेता है जो कुछ सप्ताहो मे परिपक्व होने वाले हो। इसके अतिरिक्त बक ऑफ इ गलैंड अल्पकालीन-बाँडो के आधार पर भी ऋण देता है।

मौद्रिक-नीति के सम्बन्ध म बक-दर, बक ऑफ इ गलण्ड का प्रमुख साधन रहा है अत बक-दर मे परिवर्तन के साथ अन्य ब्याज की दरें भा ऊची व नीची हो जाती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक बैंको द्वारा ऋणो व अधिविकर्षो (over drafts) पर ग्राहको से चार्ज की जाने वाली ब्याज दर एव निक्षेपो पर ब्याज-दर बक-दर के अनुसार ऊची नीची होती रहती है। मकान खरीदने के लिए दिए गए ऋणो पर गृह-समितियो द्वारा चार्ज की जाने वाली ब्याज-दर, बक-दर के अनुसार घटती बढ़ती नहीं है। किन्तु जब बैंक दर ऊची होती है तो उनकी बधक-दर भी ऊची होती है, और जब बैंक दर नीची होती है तो बधक-दर भी नीची होती है। अत बक-दर म वृद्धि का सामान्य प्रभाव यह पडता है कि ऋण लेना अधिक व्यय-शील (अथवा महगा) हो जाता है। यह प्रभाव न केवल व्यापारी अथवा निजी ऋणी पर पडता है वरन् सरकार एव स्थानीय अधिकारियो के लिय भी ऋण लेना महगा पडता है। जब बक दर नीची हो जाती है तो अन्य ब्याज की दरो म भी कमी होने की प्रवृत्ति पाई जाती है अत ऋण लेना सस्ता हो जाता है। जब बक दर नीची होती है तो कहा जाता है कि मुद्रा सस्ती है (money is cheap) और इसके विपरीत जब बक दर ऊची होती है तो कहा जाता है कि मुद्रा महगी है (money is dear)

उन्नीसवी शताब्दी के अतिम भाग मे, बल्कि सन् 1914 के पूर्व तक, मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने अथवा घटाने के लिये बैंक ऑफ इ गलड खुले बाजार की क्रियाओ के साथ बैंक दर के साधन को भी प्रयोग मे लाता रहा। ऊची बैंक-दर ऋणो को हतोत्साहित करते हैं और नीची बैंक दर प्रोत्साहित करते हैं। अत उस समय मौद्रिक नीति को सफल बनाने के लिये बक आफ इगलैंड बक-दर को ही प्रमुख साधन मानता था। खुले बाजार की क्रियाए तो केवल बक-दर को प्रभावित बनाने के लिय

की जाती हैं—ऐसा मत बैंक ऑफ इंगलैण्ड का था। अतः जब देश में मुद्रा की मात्रा कम करनी होती थी तो एक ओर बैंक ऑफ इंगलैंड बैंक-दर में वृद्धि कर देता था, और साथ ही दूसरी ओर खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करने लग जाता था।

सन् 1844 और सन् 1900 के मध्य बैंक ऑफ इंगलैण्ड ने अपनी बैंक-दर में 400 बार और सन् 1901 और जुलाई 1914 तक 66 बार परिवर्तन किए।[1]

सन् 1931 के पश्चात् यह विचारधारा जोर पकड़ती गई कि मौद्रिक-नीति के लिये बैंक-दर एक प्रभावशाली साधन नहीं है। मंदी के काल में यह आवश्यक नहीं है कि नीची बैंक-दर ऋणों को प्रोत्साहित करे। अतः बैंक-दर का महत्व कम होने लगा। सन् 1932 और 1951 के मध्य बैंक दर लगभग 2 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही, केवल सन् 1939 में विश्व युद्ध की घोषणा के बाद अल्प काल में बैंक-दर में परिवर्तन हुये। सन् 1951 के पश्चात् बैंक-दर में स्थायित्व समाप्त हो गया और 1964–69 के मध्य अनेक बार बैंक दर 8 प्रतिशत तक हो गई। बैंक-दर के प्रभावहीन होने के सम्बन्ध में विद्वानों में अभी भी मतभेद है। मौद्रिक-नीति के लिये बैंक दर को साधन समझने के विरोधियों का मत है कि सन् 1951 के पश्चात् मौद्रिक नीति की सफलता में अन्य नीतियों के साथ बैंक दर का प्रयोग किया गया है जैसे क्रय-कर में परिवर्तन, ट्रेजरी के निर्देश, विशिष्ट निक्षेप आदि जिन्हें Package Deal[2] कहा जाता है।

जो विद्वान बैंक-दर के प्रयोग के पक्ष में हैं वे तर्क देते हैं कि बैंक-दर का प्रभाव मन्द गति से हो सकता है जैसा कि 1930 की महान आर्थिक मंदी के काल में हुआ था किन्तु इसका (बैंक दर का) एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि इससे मौद्रिक अधिकारियों के विचार का सहज अनुमान लग जाता है। उनका मत है कि आन्तरिक स्थिति के लिये बैंक-दर प्रभावशील हो अथवा नहीं, इसका बाह्य प्रभाव अवश्य होता है। यदि भुगतान का सतुलन विपक्ष में हो तो बैंक-दर में वृद्धि से देश से विदेशी कोषों का जाना रुक सकता है अथवा विदेशों से ऐसे कोष आकर्षित हो सकते हैं।

1 *De kock* Central Banking p 149

2 Package Deal शब्द का प्रयोग रैडक्लिफ रिपोर्ट (Redcliffe Peport) (नियुक्ति 1957 रिपोर्ट 1959) में प्रथम बार प्रयोग किया गया है। इसका आशय है कि मौद्रिक-नीति के रूढ़िवादी साधनों की नीति के नवीन साधनों—जैसे घाटे का अथवा आधिक्य का बजट, कर दरों में परिवर्तन, ट्रेजरी के निर्देश और विशिष्ट निक्षेप आदि—से मिलाकर कार्य करना। यदि इन साधनों का अलग अलग प्रयोग किया जाय तो मौद्रिक नीति के सफल होने में सदेह है किन्तु यदि इनका एक साथ प्रयोग किया जाय तो मौद्रिक नीति के सफल होने की अधिक संभावना है। अतः मौद्रिक-नीति के रूढ़िवादी और नवीन साधनों को मिलाकर कार्य करना पैकेज डील कहलाता है।

रडक्लिफ-कमेटी (1957–1959) के समक्ष बैंक ऑफ इगलण्ड के चीफ कशियर ने बतलाया कि किस ढग से बैंक-दर को प्रभावित किया जाता है। उन्होंने इसे इस प्रकार बतलाया कि यदि हम अल्पकालीन दर म वृद्धि या कमी करना चाहते हैं, जबकि बैंक-दर एक निश्चित स्तर पर होती है तो प्रथम दर जो प्रभावित होती है वह है ट्रेजरी बिल दर। मान लो कि अल्पकाल की दरों को ऊंचा करना चाहते हैं तो बाजार म मुद्रा की मात्रा कम करनी पडेगी और इसके परिणामस्वरूप बट्टा बाजार को इससे बडी मात्रा म और बार बार ऋण लेने पडेंगे। इसके परिणाम स्वरूप उनके ट्रेजरी बिलो और अल्पकालीन बॉण्ड के लिये वित्तीय प्रबन्ध करने के लिये उन्हें ऊंची दर से प्राप्त करना पडेगा। केवल इस कारण से ही वे चाहेंगे कि उनके द्वारा दिये जाने वाले ट्रेजरी बिलो की दर नीची रहे ताकि उनका लाभ रहे।

व्यापारिक बैंको की प्रचलित दरो को ट्रेजरी बिलो और अल्पकालीन बैंको की दरें प्रत्यक्ष रूप म प्रभावित करती हैं क्योंकि इन बिलो व बॉण्डो के आधार पर ही व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ इगलण्ड से ऋण लेते हैं। व्यापारिक बैंक विभिन्न प्रकार के निक्षेपो (Deposits) के लिये दी जाने वाली ब्याज दरो को बैंक-दर के सदर्भ म निश्चित करते हैं। ये दरें प्रचलित बैंक दर से लगभग 2 प्रतिशत नीची होती है। अन्य दरें जसे ऋण व अग्रिम देने की दरें, भी बैंक दर से प्रभावित होती हैं।

बैंक-दर म परिवर्तन भविष्य की व्यापारिक-सभावनाओ को भी प्रभावित करता है। अत साख की माग और स्टाक बाजार के मूल्य भी प्रभावित होते हैं।

परिपाटी के अनुसार बट्टा बाजार बैंक ऑफ इगलण्ड से बैंक-दर पर ऋण लेता है। इन ऋणो की न्यूनतम अवधि सात दिन होती है। पिछले कुछ वर्षों से बैंक ऑफ इगलैण्ड ने इस सम्बन्ध म कुछ अधिक लोचदार नीति अपनाई है—रात्रि भर के लिये अथवा अधिक अवधि के लिये बैंक दर अथवा बाजार दर पर ऋण देना। किन्तु साथ ही बैंक ने यह अधिकार भी अपने पास सुरक्षित रखा है कि वह दिये जाने वाले ऋणो पर प्रचलित बैंक दर से ऊंची ब्याज दर चार्ज कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप बिलो की कटौती दर अपेक्षाकृत अधिक ऊंची रख सकता है और इसका फल यह होता है कि बिना बैंक दर ऊंची किये विदेशों से कोष आकर्षित हो सकते हैं, और कोष देश से बाहर जाने म हतोत्साहित होते हैं।

बैंक-दर के बाह्य प्रभाव—बैंक-दर म परिवर्तन के बाह्य (External) प्रभाव पडते हैं। बैंक-दर म वृद्धि होने से विदेशों से कोष आकर्षित हो सकते हैं क्योंकि ऐसी दशा मे लन्दन म कोषो को रखना अधिक लाभप्रद होता है। अन्य देशो की अपेक्षा ब्याज दर अधिक होने के कारण प्रत्यक्ष लाभ अधिक हो जाता है। बैंक-दर मे वृद्धि, इस बात का भी प्रतीक समझा जाता है कि इगलैंड के मौद्रिक अधिकारी पौंड की स्थिति मजबूत बना रहे हैं और इसका प्रभाव यह होता है कि विदेशों म स्टर्लिंग के धारकों के विश्वास म वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी पडता है कि विदेशी विनिमय-बाजारो में पौंड के विरुद्ध सट्टे के भावी सौदे, कम ही

हो जाते हैं क्योंकि यह आशा मजबूत हो जाती है कि स्टर्लिंग का अवमूल्यन नहीं होगा।

रैडक्लिफ कमेटी ने कहा था बैंक दर में परिवर्तन प्रतीकात्मक होता है क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंगलैंड मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने के लिए दृढ़ विचार में कार्य कर रहा है।

2 खुले बाजार की क्रियाएं
(Open Market Operations)

बैंक ऑफ इंगलैंड की मौद्रिक-नीति के दो परम्परागत (Traditional) साधन हैं—बैंक दर एवं खुले बाजार की क्रियाएं। बैंक ऑफ इंगलैंड द्वारा खुले बाजार की क्रियाएं अपनाने के अनेक उद्देश्य हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(i) व्यापारिक बैंकों के बैंक ऑफ इंगलैंड में शेषों (Balances) को प्रभावित करने के लिए,

(ii) बैंक दर को प्रभावशील बनाने के लिए अथवा बैंक दर में परिवर्तन करने के लिए पृष्ठभूमि बनाने के लिए,

(iii) सरकार के नये ऋणों के निर्गमन अथवा पुराने ऋणों के नवीनीकरण के लिए,

(iv) युद्ध के लिए वित्त का प्रबंध करने के लिए, आदि।

खुले बाजार की क्रियाओं के उद्देश्यों को बैंक ऑफ इंगलैंड ने रैडक्लिफ कमेटी (1957–59) के सम्मुख विस्तार से बतलाया है और इसके अपने प्रकाशन (Quarterly Bulletin) में भी इस सम्बन्ध में कुछ बतलाया है। उनका अध्ययन करने के पश्चात्, उन उद्देश्यों का संक्षेप में नीचे संकलित किया गया है[1]—

1 मुद्रा की बहुत कमी अथवा अधिकता से उत्पन्न होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभावों से मुद्रा बाजार व बैंक को सुरक्षित रखने के लिए।

2 ट्रेजरी बिलों की दर को एक निश्चित-स्तर पर रखने के लिए। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश में अन्तर्राष्ट्रीय अल्प-कालीन पूंजी के आवागमन को प्रभावित किया जा सके ताकि स्वर्ण व विदेशी विनिमय के कोषों को उचित स्तर पर रखा जा सके। यद्यपि इस उद्देश्य के लिए बैंक-दर एक प्रभावशील अस्त्र है किन्तु ट्रेजरी बिलों की दर को बैंक-दर आवश्यक सम्बन्ध में रखने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं आवश्यक हैं। बैंक दर और ट्रेजरी बिल दर का सम्बन्ध विलष्ट है क्योंकि कभी-कभी देशी परिस्थितियां बैंक-दर के स्तर को प्रभावित करती हैं जिसके परिणामस्वरूप ट्रेजरी बिल की दर आवश्यक स्तर पर प्रभावित नहीं हो पाती। अतः खुले बाजार की क्रियाएं आवश्यक हैं।

3 इनके द्वारा यह बैंक देश के बैंकों की तरलता को प्रभावित करता है।

4 बैंक ऑफ इंगलैंड को राष्ट्रीय-ऋण का प्रबन्ध करना पड़ता है। इसके लिए इस बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गमन एवं समय पर उनके भुगतान की व्यवस्था करनी पड़ती है।

---

1 *Sayers R S* Modern Banking (VII ed.) Ch V

5 देश की अर्थव्यवस्था के हित में विनियोग एवं बचत को उचित स्तर पर रखने के लिए दीर्घकालीन ब्याज-दरों को ऊंचा अथवा नीचा करना।

बिलों के प्रकार—बिल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम व्यापारिक बिल जिनकी उत्पत्ति वास्तविक व्यापारिक सौदों (माल के क्रय व विक्रय) के कारण होती है। ये देशी बिल अथवा विदेशी बिल हो सकते हैं।

इन बिलों द्वारा अल्पकालीन पूंजी को प्राप्त करने के आकर्षण से दूसरे प्रकार के बिल—वित्तीय बिल (Financial Bill) का प्रादुर्भाव हुआ। ये भी व्यापारिक बिलों की भांति ही होते हैं किन्तु अन्तर केवल यह होता है कि इनकी उत्पत्ति माल के वास्तविक क्रय विक्रय के कारण नहीं होती। वास्तव में यह अल्पकाल के लिए पूंजी प्राप्त करने वाले द्वारा एक प्रतिज्ञा (Promise) है कि वह निश्चित भावी तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान कर देगा। वित्तीय बिल का एक प्रमुख रूप ट्रेजरी बिल है।

ट्रेजरी बिल—ट्रेजरी बिल, सरकार द्वारा निर्गमित एक प्रतिज्ञा है जिसमें वह वचन देती है कि वह बिल के धारक को एक भावी तिथि पर निश्चित राशि का भुगतान करेगी। इंगलैंड में इन ट्रेजरी बिलों का सर्वप्रथम प्रयोग आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व सन् 1877 में हुआ। ये बिल साधारणतः 91 दिन की अवधि के होते हैं—अर्थात् *निर्गमन की तिथि से 91 दिन पश्चात् इनका भुगतान कर दिया* जाता है। किंतु कभी कभी मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 63 दिन की अवधि के ट्रेजरी बिल भी निर्गमित किए जाते हैं।

ट्रेजरी बिलों के प्रकार—इंगलैंड में ट्रेजरी बिल दो प्रकार के होते हैं—प्रथम टेंडर बिल और द्वितीय समानान्तर बिल (Tap bill)। टेंडर बिल उन ट्रेजरी बिलों को कहते हैं जो सरकार (अर्थात् सरकार की ओर से बैंक ऑफ इंगलैंड) बाजार में विक्रय के लिए डालती है। इन बिलों पर ब्याज दर का उल्लेख नहीं होता है वरन् केवल अंकित मूल्य लिखा होता है। समानान्तर बिल (Tap bills) वे होते हैं जिन्हें सरकार बाजार में विक्रय नहीं करती, वरन् प्रत्यक्ष रूप से सरकारी विभागों (जिनके पास कोषों का आधिक्य है) तथा बैंक ऑफ इंगलैंड के निर्गमन विभाग (Issue Deptt) को विक्रय करती है। इन बिलों पर ब्याज की दर भी लिखी होती है। ट्रेजरी बिल का रूप (Form) इस प्रकार का होता है—

Specimen

Due 14 January 1971

TREASURY BILL

Per Acts 40 Vict C 2 and 52 Vict C 6

£ 10 000 — A / 12,438

London

This Treasury Bill entitles or order to payment of Ten Thousand Pounds at the Bank of England out of the Consolidated Fund of the United Kingdom on the 14th day of January 1971

Sd

Secretary to Treasury

नोट—यदि ट्रेजरी बिल का धारक विदेश मे होता है तब तो प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम लिखने के लिए रिक्त-स्थान पर उसका नाम लिख दिया जाता है, अन्यथा यदि धारक इगलड मे ही है तो प्राय उसका नाम नहीं लिखा जाता है तथा इस दिशा मे ट्रेजरी बिल के वाहक (Bearer) को उसका भुगतान कर दिया जाता है।

ट्रेजरी बिलों का निगमन—प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को ट्रेजरी एक निश्चित् राशि के ट्रेजरी बिलों को टेंडर द्वारा विक्रय के लिए बाजार म प्रस्तुत करती है। ये बिल प्राय 91 दिन की अवधि के होते हैं। ये ट्रेजरी बिल £5 000 £10 000 £25,000 और £1 00 000 पौंड के अकित मूल्य के होते है। प्रति शुक्रवार को ट्रेजरी एक निश्चित् राशि घोषित कर देती है जिस मूल्य के ट्रेजरी बिल अगले सप्ताह ट्रेजरी विक्रय के लिए प्रस्तुत करेगी।

मुद्रा बाजार की संस्थाए जो जितने मूल्य के ट्रेजरी बिल को लेना चाहती हैं—ट्रेजरी बिलो के लिए टण्डर' (Tender) देती हैं। ट्रेजरी बिलो के टेंडर की राशि जितनी अधिक होती है सरकार को उतनी ही नीची बट्टा-दर देनी पडती है जस 5 000 पौड के ट्रेजरी बिल के लिए 4950 पौंड का टडर दिया गया तो बट्टा दर 1 (एक) प्रतिशत हुई। इसके विपरीत, टेन्डर की राशि जितनी कम होती है सरकार को उतनी ही ऊ ची बट्टा दर देनी पडती है जसे यदि 5000 पौंड के ट्रेजरी बिल के लिए 4900 पौंड का टडर दिया गया तो बट्टा-दर 2 प्रतिशत होगी।

यहा यह उल्लखनीय है कि 50 000 पौंड स कम मूल्य के ट्रेजरी बिलो के लिए टडर स्वीकार नही किये जाते हैं, अर्थात् टडर को प्रस्तुत करने वाले को कम से कम 50 हजार पौड के मूल्य के ट्रेजरी बिल खरीदने के लिए तयार रहना चाहिए। प्राय ऐसा होता है कि बट्टा गृह एसोसियेशन के सदस्य एक सम्मिलित टडर (Syndicate Tender) भर देते हैं। अन्य टडर प्रस्तुतकर्त्ता प्राय विदेशी बैंक होते हैं।

बक आफ इगलड ट्रेजरी प्रतिनिधि की उपस्थिति म टडर खोलता है आवटन (allotment) करता है और निगमित करता है। इसके अतिरिक्त इसके सम्बन्ध म राशि प्राप्त करता है और एक्स-चकर के खाते मे जमा कर देता है। बक आफ इगलड अपने ग्राहकों जसे अन्य केन्द्रीय-बको की ओर से टडर दे सकता है किंतु सबसे ऊ ची दर प्रस्तुत करने वाले को ही ट्रेजरी बिल दिए जाते है। टडर प्रस्तुत करने वाला म बट्टा गृह, विदेशी बक जिनकी शाखाए लन्दन म हैं और इगलड के बैंक प्रमुख हैं। बडी औद्योगिक कम्पनिया भी इन बिलो को खरीदती है किंतु इगलड के बैंको के माध्यम स।

भुगतान की तिथि पर बक आफ इगलड ट्रेजरी बिलो का भुगतान भी करता है। बक ऑफ इगलैंड अपनी दर को प्रभावशील बनाए रखने के लिए यदि आवश्यक हो तो स्वय के लिए भी ट्रेजरी बिलो का क्रय विक्रय करता है यहा यह उल्लेखनीय है कि बक आफ इगलड स्वय प्रत्यक्षरूप से ट्रेजरी बिलों के खुले बाजार की क्रियाए (अर्थात् ट्रेजरी बिलो का क्रय विक्रय) नहीं करता है, किन्तु ये क्रियाए

बट्टा दलालो की किसी फर्म के द्वारा करवाई जाती हैं। इस फर्म का जो प्रतिनिधि होता है उसे विशेष क्रेता (Special buyer) कहते हैं और इससे ट्रेजरी बिलो के क्रय अथवा विक्रय के सबध म बैंक ऑफ इगलैंड विशेष निर्देश प्रदान करता है। यह ऊपर बतलाया जा चुका है कि बैंक ऑफ इगलैंड स्वय प्रत्यक्ष रूप म इन क्रियाओं को नहीं करता है किंतु ट्रेजरी बिलो के क्रय विक्रय की मात्रा, स्वभाव आदि से तुरत ज्ञात हो जाता है कि ये सौदे बैंक आफ इगलैंड के लिए किए जा रहे हैं।

आर्थिक वर्ष के अतिम तीन महीनो म इगलैंड की सरकार को अपनी आय का अधिकाश भाग करो द्वारा प्राप्त हो जाता है किंतु वर्ष के शेष भाग म अपने व्ययो के लिए कुछ ऋणो की आवश्यकता होती है। ट्रेजरी बिलो के माध्यम से ऋण सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। ट्रेजरी बिलो के माध्यम से ये ऋण सस्ती दरो मे प्राप्त हो जाते हैं अत कभी कभी आवश्यकता से भी अधिक मात्रा म ऋण प्राप्त कर लिए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ट्रेजरी बिलो का प्रचलन इगलैंड म सन् 1877 से वाल्टर बजहॉट (Walter Bagehot) के परामर्श (suggestion) से आरम्भ हुआ था और कालान्तर म इसका उपयोग बढ़ता ही गया। सन् 1910 म इगलैंड म लगभग 36 मिलियन पौंड सन् 1936 म 600 मिलियन पौंड और सन् 1970 म 3250 मिलियन पौंड के मूल्य से भी अधिक ट्रेजरी बिल निर्गमित किए गये।

खुले बाजार की क्रियाएं और साख नियन्त्रण—खुले बाजार की क्रियाओं से साख का नियन्त्रण अत्यत प्रभावशील ढग से होता है। यदि बैंक आफ इगलैंड साख का सकुचन करना चाहता है तो बैंक ऑफ इगलैंड ट्रेजरी बिलो का विक्रय करना आरम्भ कर देता है। अत व्यापारिक-बैंक इस तरीके से और प्राय स्वय अपने ऊपर अथवा बैंक आफ इगलैंड पर (अपने निक्षेप के विरुद्ध) चैक लिख देते हैं। जिसके फलस्वरूप स्वय के कोष अथवा बैंक ऑफ इगलैंड म उनके निक्षेप कम हो जाते हैं। बैंक आफ इगलैंड म अब व्यापारिक बैंक अपने शेषो (balances) की पूर्ति करने के लिए और नकद राशि जमा कराते हैं जिससे व्यापारिक बैंको की साख सृजन की शक्ति कम हो जाती है।

इसके विपरीत यदि बैंक ऑफ इगलैंड साख विस्तार करना चाहता है तो वह ट्रेजरी बिलो का क्रय करना आरम्भ कर देता है। इसके फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों के निक्षेपो म वृद्धि होती है और उनकी साख-सृजन की शक्ति म वृद्धि हो जाती है।

3 बैंक तरलता के नियम
(Bank Liquidity Rules)

तरलता का प्रथम नियम—बैंक सदैव यह चाहते हैं कि एक ओर तो उनकी सम्पत्तियो (assets) में अत्यधिक तरलता और दूसरी ओर उनकी ऋण देने की शक्ति एव दिए जाने वाले ऋणो मे वृद्धि हो। ग्राहको को दिए जाने वाले ऋण, बैंक सपत्तियो का सब से कम तरल भाग होता है। ग्राहको के निक्षेपो म से बैंक

ग्राहकों को ऋण देते हैं और बैंकों का यह प्रमुख दायित्व है कि वे अपने ग्राहकों को उनके निक्षेपों में से माँग पर भुगतान अवश्य करें। अतः तरलता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा प्राप्त निक्षेपों और उनके द्वारा रखे जाने वाले नकद कोषों में एक निश्चित अनुपात रखना आवश्यक हो गया। दूसरे शब्दों में कुल निक्षेपों का एक एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष में रखना आवश्यक हो गया। अतः इंगलैंड के बैंकों का यह प्रथम तरलता का नियम था कि वे अपने कुल निक्षेपों का कम से कम 10 प्रतिशत भाग नकद कोष के रूप में रखें। सन 1946 से यह 8 प्रतिशत कर दिया गया है जो आज भी है। बैंकों को यह नकद कोष बैंक आफ इंगलैंड के पास रखना पड़ता है किंतु यदि बैंक चाहें तो इस राशि को अपनी तिजोरियों में (Till money) नोट व सिक्कों के रूप में भी रख सकते हैं।

तरलता का द्वितीय नियम—किसी भी बैंक के लिए नकद राशि की सामान्य माँग की पूर्ति करने के लिए 8 प्रतिशत का नकद कोष पर्याप्त होता है किंतु माँग होने पर निक्षेपकर्त्ताओं को जितनी राशि की अपने निक्षेप में से माँग करें भुगतान करना बैंक का दायित्व है। अतः सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बैंक ऐसी स्थिति में रहे कि वह असाधारण माँग की दशा में अपनी कुछ सम्पत्तियों (assets) को नकद राशि में शीघ्रता से बदल ले। एक ओर तरलता और दूसरी ओर लाभ इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का यत्न किया गया। यदि ब्याज के सिद्धान्त का अध्ययन किया जाय तो ज्ञात होगा कि सम्पत्ति में जितनी अधिक तरलता होगी उसके लिए ब्याज दर भी उतनी ही नीची होगी। उदाहरण के लिए व्यापार या उद्योगों को दिए गये ऋणों में तुलनात्मक कम तरलता होती है क्योंकि ऐसे ऋणों की वापसी माँगने पर तुरन्त नहीं होती है वरन् जिस अवधि के लिए ऋण दिया जाता है उस अवधि के समाप्त होने पर ही ऋण की वापसी की आशा की जा सकती है। बैंक यदि नकद राशि को अपने पास तिजोरियों में रखता है तो यह अत्यधिक तरल है किंतु इससे बैंक को कोई आय नहीं होती और राशि व्यर्थ में ही बंधी पड़ी रहती है।

अतः बैंक अनेक वर्षों तक अपने साधनों (निक्षेपों) के 30 प्रतिशत भाग को माँग एवं अल्प-सूचना पर देय ऋणों (money at call and short notice) अथवा बिना की कटौती में लगाते रहे क्योंकि इन दोनों मदों की राशि अधिक तरल (अन्य विनियोगों की अपेक्षा) होती है। इसे तरलता का द्वितीय नियम अथवा माध्यमिक तरलता का अनुपात (secondary liquidity ratio) कहते हैं। सरकार ने बैंक आफ इंगलैंड के माध्यम से देश के व्यापारिक-बैंकों से 'प्रार्थना' की। उनके कुल निक्षेपों का कम से कम 30 प्रतिशत (बाद में यह 28 प्रतिशत कर दिया गया) तरल-सम्पत्ति (liquid assets) के रूप में (माँग एवं अल्प-सूचना पर ऋण एवं बिलों की कटौती में) सदैव ही रहना चाहिए।

रैडक्लिफ कमेटी (स्थापित सन् 1957—रिपोर्ट 1959) ने इस बात पर जोर दिया कि बैंक आफ इंगलैंड यह आवश्यक कर दे कि प्रत्येक बैंक अपने कुल

निक्षेपो का कम से कम 28 प्रतिशत भाग तरल संपत्ति के रूप में रखें। अत सन् 1963 से इंगलैंड के बैंक अपने निक्षेपो के 28 प्रतिशत भाग को तरल संपत्ति के रूप में रखने लगे हैं। अत इससे भी बैंकों की साख सृजन की शक्ति नियंत्रित होती है।

4 विशिष्ट निक्षेप
(Special Deposits)

यह कहा जा सकता है कि देश के व्यापारिक बैंकों का नियंत्रण में रखने के लिए बैंक ऑफ इंगलैंड के शस्त्रागार (armoury) में सन् 1960 तक उपरोक्त केवल तीन अस्त्र ही थे, किंतु व्यापारिक बैंकों से विशिष्ट निक्षेप मांगने का अधिकार, बैंक ऑफ इंगलैंड को देकर चौथा अस्त्र भी प्रदान कर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि इस अस्त्र को प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य परिपाटीबद्ध (traditional) अस्त्रों को अधिक प्रभावशील बनाना है।

रैडक्लिफ कमेटी के परामर्श के परिणामस्वरूप ही बैंक ऑफ इंगलैंड को यह अधिकार दिया गया कि वह इंगलैंड के व्यापारिक बैंको से विशिष्ट निक्षेप (Special Deposits) की मांग कर सकें। व्यापारिक बैंको के सामान्य निक्षेपों की तुलना में विशिष्ट निक्षेप तीन प्रकार से भिन्न हैं—प्रथम, विशिष्ट निक्षेप अनिवार्य (Compulsory) होते हैं। व्यापारिक बैंको को बैंक ऑफ इंगलैंड द्वारा एक नोटिस दे दिया जाता है कि उनके कुल निक्षेपो का एक निश्चित प्रतिशत भाग बैंक ऑफ इंगलैंड के पास एक निश्चित तिथि तक जमा करा दी जावे। यह नोटिस आदेशक (Mandatory) होता है। द्वितीय बैंक ऑफ इंगलैंड के पास अन्य बैंकों के सामान्य निक्षेपो को वे किसी भी प्रकार अपनी इच्छानुसार प्रयोग में ला सकते हैं किन्तु विशिष्ट निक्षेप की राशि को वे केवल उस समय ही वापिस ले सकते हैं अथवा उपयोग कर सकते हैं जबकि बैंक ऑफ इंगलैंड उन्हें इसकी अनुमति दे। तृतीय विशिष्ट निक्षेप को तरलता अनुपात (liquidity ratio) की गणना करते समय तरल-संपत्ति (liquid asset) के रूप में नहीं स्वीकार किया जाता। यह उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंगलैंड इन विशिष्ट निक्षेपो पर प्रचलित ट्रेजरी बिल दर से ब्याज देता है।

बैंक ऑफ इंगलैंड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है यदि किसी भी व्यापारिक बैंक ने विशिष्ट निक्षेप की राशि जमा कराने के लिए दीर्घकालीन-सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय खुले बाजार में किया तो वह (बैंक ऑफ इंगलैंड) उस अत्यंत अनुपकार (extreme disfavour) की दृष्टि से देखेगा।

विशिष्ट निक्षेप का अस्त्र भी शक्तिशाली है। इस प्रकार के निक्षेप मंगाकर व्यापारिक-बैंकों की साख-सृजन की शक्ति पर तुरन्त नियंत्रण हो जाता है क्योंकि उनके पास के निक्षेपो का एक निश्चित भाग बैंक ऑफ इंगलैंड के पास आ जाता है।

इस अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग बैंक ऑफ इंगलैंड ने अप्रैल 1960 में किया जबकि बैंको से उनके कुल निक्षेपो का 1% भाग विशिष्ट निक्षेप के रूप में

(बैंक ऑफ इंगलैंड ने) मांगा। सन् 1960 से 1970 तक की अवधि में विशिष्ट निक्षेप की दर 1 से 3 प्रतिशत रही और न्यूनतम दर शून्य (Zero) रही है। आजकल यह 2% है।

यदि बैंक ऑफ इंगलैंड चाहता है कि साख का सृजन अधिक हो तो वह इन विशिष्ट निक्षेप की राशि को मुक्त (release) कर देता है जिसके परिणामस्वरूप बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि हो जाती है।

सन् 1961 में विशिष्ट निक्षेपों की राशि लगभग 174 मिलियन पौंड थी, किंतु 1962-63 में मौद्रिक अधिकारियों ने आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन देने के हेतु साख विस्तार के उद्देश्य से इन विशिष्ट निक्षेपों को वापिस कर दिया। सन् 1965 में पुनः विशिष्ट निक्षेप मांगे गये जब कि साख पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया। सन् 1969 में विशिष्ट निक्षेप की मात्रा लगभग 220 मिलियन पौंड हो गई थी।

5 नैतिक दबाव
(Moral Suasion)

साख नियन्त्रण के लिए नैतिक-दबाव भी एक अस्त्र है। बैंक ऑफ इंगलैंड की ख्याति अग्रगामी बैंकर एवं बैंकिंग प्रणाली के नियन्त्रक के रूप में होने के कारण, इसके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी परामर्श अथवा संकेत, अन्य बैंकों द्वारा अधिक सम्मान से देखा जाता है अतः अन्य किसी कठोर अस्त्र को अपनाये बिना ही आवश्यक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

व्यापारिक बैंक यह जानते हैं कि बैंक ऑफ इंगलैंड अंतिम ऋणदाता है अतः वह अपनी इच्छा को जबरदस्ती भी कार्यान्वित करवा सकता है। अतः यदि बैंक ऑफ इंगलैंड उदाहरण के लिए अन्य बैंकों को यह संकेत दे देता है कि उनके द्वारा दिये जाने वाले ऋण तथा अग्रिम बहुत तेजगति से दिए जा रहे हैं, अथवा उनके द्वारा प्रतिभूतियां इतनी अधिक मात्रा व तेजगति से विक्रय की जा रही है कि इससे प्रतिभूति बाजार को क्षति हो रही है तो देश के बैंक यही अधिक अच्छा समझते हैं कि बैंक ऑफ इंगलैंड उनको संकेत मात्र ही दे दे। वे इस बात की प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझते कि बैंक-दर अथवा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंक ऑफ इंगलैंड कोई कार्यवाही करे।

यह उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंगलैंड के पास नैतिक-दबाव का अस्त्र यद्यपि अत्यंत शक्तिशाली नहीं है किंतु फिर भी पर्याप्त प्रभावशील है। इसका कारण यह है कि देश के बैंक यह भली भांति जानते हैं कि यदि बैंक ऑफ इंगलैंड का नैतिक दबाव का अस्त्र असफल हो गया तो वह अन्य कठोर एवं शक्तिशाली साधनों का प्रयोग करके वांछित परिणाम प्राप्त कर लेगा।

6 चयनात्मक साख नियन्त्रण
(Selective Credit Control)

साधारण साख नियन्त्रण का सामान्य प्रभाव यह होता है कि सभी प्रकार के ऋण समान रूप से हतोत्साहित होते हैं—उनके उद्देश्यों के सामाजिक-मूल्य (Social

value) पर ध्यान नहीं दिया जाता। उदाहरण के लिए यदि कोई गंदी-कोठरियां (slums) को तुड़वाकर ठीक मकान बनवाने के लिए वित्तीय प्रबंध करना चाहता है, और दूसरी ओर कोई सटोरिया घुड़दौड़ का मैदान बनवाने के लिए वित्तीय प्रबंध करना चाहता है तो उन दोनों में अंतर नहीं किया जाता। अतः यह आवश्यक समझा गया कि देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक मूल्यों का ध्यान में रखते हुए चयनात्मक साख नियंत्रण नीति के अंतर्गत अधिकारीगण किसी अथवा किन्हीं विशिष्ट प्रकार की क्रियाओं के लिए साख का निषेध अथवा साख की सीमा अथवा साख को प्रोत्साहित करते हैं।

इंगलैंड में चयनात्मक साख नियंत्रण के दो प्रमुख रूप हैं: प्रथम, किराया खरीद (hire purchase) के व्यवहारों पर, और द्वितीय, नई पूंजी एकत्रित (raising of new capital) पर।

इंगलैंड में बोर्ड आफ ट्रेड[1] (Board of Trade) किराया खरीद के व्यवहारों को नियन्त्रित करने के लिए नियम आदि बनाता है। इंगलैंड में किराया खरीद की प्रणाली बहुत ही लोकप्रिय है, विशेषतः उपभोग की वस्तुओं में, जैसे मोटर-कार, विद्युत-सामग्री, फरनीचर आदि।

सन् 1969 तक 10 हजार पौंड से अधिक पूंजी निगमन करने के लिए पूंजी निगमन कमेटी (Capital Issue Committee) से अनुमति लेनी आवश्यक थी। किंतु रैडक्लिफ कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार यह नीति सन् 1959 से हटा दी गई।

रैडक्लिफ कमेटी (स्थापना 1957, रिपोर्ट 1959) ने यह संदेह प्रकट किया कि चयनात्मक-साख नियंत्रण की नीति एक स्थाई अस्त्र के रूप में काय नहीं कर सकती। हां, अल्पकाल के लिए प्रभावशील अवश्य हो सकती है।

---

1 Board of Trade की स्थापना सन् 1786 में गई थी। यह प्रिवी-कौंसिल की एक कमेटी है। यह एक सरकारी विभाग के रूप में कार्य करती है। यह इंगलैण्ड के व्यापार एवं वाणिज्य से सम्बन्धित है। इसका अध्यक्ष कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है।

17
बैंक रिटर्न

बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थिति के संबंध में आवश्यक जानकारी के हेतु इसके बैंक रिटर्न (Bank Return) का अध्ययन आवश्यक है। सन् 1844 के बैंक चार्टर एक्ट के अनुसार बैंक ऑफ इंगलैंड को अपने निर्गमन विभाग (Issue Department) और बैंकिंग विभाग के पृथक्-पृथक् रिटर्न तैयार करके तथा उन्हें प्रकाशित करना पड़ता है। यह बैंक ऑफ इंगलैंड का साप्ताहिक (weekly) चिट्ठा अथवा सन्तुलन पत्र (Balance Sheet) है जिसमें प्रत्येक बुधवार (at the close of business on each Wednesday) की स्थिति बतलाई जाती है। तुलनात्मक अध्ययन के लिए हमने साथ में 1937 के आँकड़े भी 'रिटर्न' में दिए हैं।

Bank of England-BANK RETURN (In Million Pounds)

ISSUE DEPARTMENT

Liabilities	1937	1970	Assets	1937	1970
Notes Issued			Govt Debt	11	11
In Circulation	498	3230 5	Govt Securities	185	3 230
In Banking Deptt	28	20 0	Other Securities	4	1
			Coin (other than gold)	—	2
			Fiduciary Issue	200	3 250
			Gold coin & bullion coin	326	0 5
	526	3,250 5		526	3 250 5

BANKING DEPARTMENT

Liabilities	1937	1970	Assets	1937	1970
Proprietor s Capital	14 5	14 5	Govt Securities	14 5	454
Rest	3 5	3 5	Other Securities Discounts & Advances	20 5	46
Public Deposits	11 0	15 0	Other Securities	6 5	93
Special Deposits	—	220 0	Notes	28 0	20
Other Deposits Bankers	104 0	248 0	Gold & Silver Coin	1 0	1
Other Accounts	37 0	113 0			
	170 0	614 0		170 0	614

यह उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंगलैंड अपने लाभ हानि का खाता (Profit and Loss Account) प्रकाशित नहीं करता है वरन साप्ताहिक विवरण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रकाशित करता है। इस रिटर्न में बुधवार तक (as of Wednesday night) की स्थिति का विवरण होता है। इसके अतिरिक्त यह बैंक एक वार्षिक रिटर्न भी प्रकाशित करता है जिसमें उस वर्ष की 28/29 फरवरी तक का विवरण होता है। इंगलैंड में बैंकिंग हिसाब का वर्ष 28/29 फरवरी को समाप्त होता है और प्रतिवर्ष 1 मार्च से आरम्भ होता है।

बैंक आफ इंगलैंड द्वारा प्रकाशित 'बैंक रिटर्न' दो भागों में विभाजित है—निगमन विभाग (Issue Deptt.) और बैंकिंग विभाग। प्रत्येक विभाग की मदें देनदारियाँ (Liabilities) व सम्पत्तियाँ (Assets) में पुनः विभक्त हैं।

निगमन विभाग

बैंक रिटर्न के निगमन विभाग के 'दायित्व' (Liability) पक्ष में केवल एक मद है—निर्गमित नोट (Notes issued) इस मद में, निगमन विभाग द्वारा निर्गमित कुल नोटों की राशि है। बैंक ऑफ इंगलैंड 'करेंसी एण्ड बैंक एक्ट 1954' के अधीन नोटों का निगमन करता है।

ऐतिहासिक दृष्टि से निर्गमित-नोट की राशि बैंक ऑफ इंगलैंड की लेनदारी (अथवा दायित्व) थी क्योंकि मांगने पर बैंक को इन नोटों को एक निश्चित दर से स्वर्ण में परिवर्तित करने का दायित्व था किंतु अब ऐसा नहीं है। 5 पौंड अथवा अधिक अंकित मूल्य के नोटों को परिवर्तित करने की मांग होने पर अब बैंक आफ इंगलैंड इनको 1 पौंड अथवा 10 शि. के नोटों में बदल देता है।

रिटर्न में निर्गमित नोट पुनः दो भागों में विभक्त हैं—चलन में (In circulation) और बैंकिंग विभाग में (In Banking Deptt)

चलन में' नोटों से आशय है वे नोट जो बैंक ऑफ इंगलैंड के बाहर हैं अर्थात् देश में चलन में हैं। बैंकिंग विभाग में' नोट दो स्थानों पर दिखलाए गये हैं—निगमन विभाग के दायित्व पक्ष में और बैंकिंग विभाग के 'सम्पत्ति' पक्ष में। इससे आशय यह है कि इस मूल्य के नोट-बैंकिंग विभाग में रिजर्व के रूप में हैं जिन्हें देश में मांग होने पर अन्य बैंकों व समाशोधन गृहों के द्वारा चलन में डाला जा सकता है। नीचे की तालिका में इंगलैंड में नोटों की स्थिति बतलाई गई है—

नोटों की स्थिति (In million Pounds)

वर्ष	चलन में नोट	बैंकिंग विभाग में	योग
1937	498 0	28	526 0
1953	1549 9	25	1574 9
1967	2974 5	25	2999 5
1969	3308 5	25	3333 5
1970	3230 5	20	325[illegible]

रिटर्न के निर्गमन विभाग म सम्पत्ति' (Assets) पक्ष म मदों का विवरण इस प्रकार है—

1 सरकारी ऋण (Govt Debt)—यह मद बैंक ऑफ इंगलैंड के रिटर्न म मूलकाल स चला आ रहा है—वास्तव म यह एक अवशेष स्मारक के रूप म है। यह वास्तव म पुराना ऋण है जिसे विलियम तृतीय की सरकार ने बैंक ऑफ इंगलैंड की स्थापना के समय लिया था जबकि इस बैंक ने अपनी समस्त पूंजी उस ऋण के रूप म दे दी। तब से इस राशि म कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सन् 1937 स पूर्व भी यह राशि 11 मिलियन पौंड थी और सन् 1970 म भी यह राशि 11 मिलियन पौंड थी। यह राशि सरकार द्वारा बैंक ऑफ इंगलैंड स प्रत्यक्ष रूप म ऋण (direct borrowing from the bank) की राशि है। बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् अब इस मद का बैंक रिटर्न म कोई महत्व नहीं है केवल परिपाटी का पालन हो रहा है।

2 सरकारी प्रतिभूतियां (Govt Securities)—निर्गमन विभाग द्वारा निर्गमित विश्वासाश्रित (Fiduciary) पत्र मुद्रा के पीछे प्रमुख सम्पत्ति (assets) 'सरकारी प्रतिभूतियां' हैं। वास्तव म यह सरकार को दिया गया ऋण है जो सरकारी प्रतिभूतियां, स्टाक ट्रेजरी बिल आदि के रूप म प्रदर्शित है। बैंक ऑफ इंगलैंड इन सरकारी प्रतिभूतियों को जब आवश्यक समझे एक्स-चकर से अथवा बट्टा बाजार से ट्रेजरी बिलों को खरीदने के काम मे ले सकता है।

3 अन्य प्रतिभूतियां (Other Securities)—इस शीर्षक के अन्तर्गत अन्य समस्त प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं जिनम व्यापारिक बिल भी सम्मिलित हैं। इसम विदेशी सरकारों के बिल व बोंडस भी शामिल हैं। अन्तर-युद्ध (inter war) काल म इस बैंक ने अंश व ऋण पत्र (shares and debentures) खरीदे थ जिसस देश के औद्योगिक विकास और पुनर्निर्माण मे बहुत सहायता मिली।

4 सिक्के स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त (Coin other than gold coin)—जन साधारण एव विशेष रूप स व्यापारिक बैंको द्वारा देश म प्रचलित सिक्कों की माग की पूर्ति करने के लिए बैंक आफ इंगलैंड अपने पास सिक्के (स्वर्ण सिक्कों के अतिरिक्त) भी रखता है। इसकी मात्रा सम्पत्ति (Assets) पक्ष म दिखाई जाती है।

5 स्वर्ण सिक्के एव बुलियन (Gold, Coin and Bullion)—बैंक आफ इंगलैंड थोड़ी मात्रा मे स्वर्ण सिक्के एव बुलियन भी रखता है। सन् 1970 मे लगभग 5 लाख मूल्य का स्वर्ण सिक्के व बुलियन इस बैंक के पास था। स्वर्ण का भाव 252 शिलिंग 10 पैंस प्रतिशुद्ध औंस के हिसाब से लगाया जाता है।

बैंकिंग विभाग

बैंक ऑफ इंगलैंड के बैंक रिटर्न का दूसरा भाग 'बैंकिंग विभाग' है जो फिर पुन दो पक्षो म विभक्त है देनदारी (दायित्व) तथा सम्पत्ति पक्ष। इसके प्रमुख मद इस प्रकार हैं—

1 पूजी (Capital)—सन् 1946 म बैंक के राष्ट्रीयकरण के पूव बकिंग विभाग की प्रथम देनदारी 'Proprietors' Capital के नाम से थी क्योंकि उस समय बैंक ऑफ इगलड सयुक्त पूजी वाली कम्पनी के रूप मे था, जिसकी पूजी अशधारियो की थी। यह पूजी 14 5 मिलियन पौंड (1 45 करोड पौंड) है। सन् 1946 के बक ग्राफ इगलड अधिनियम के अन्तगत इस बक का राष्ट्रीयकरण हो गया उसके पश्चात रिटन म Proprietors' Capital के स्थान पर केवल Capital लिखा जाने लगा है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त एक्ट के अनुसार बक ऑफ इगलड की पूजी सरकार की ओर स (on behalf of the Govt) ट्रेजरी सालिसिटर रखता है।

2 शेष (Rest)—शेष स आशय है बक का रिजव–जो कि राष्ट्रीयकरण के पूव के अविनरित-लाभो (Undistributed profits) के सचय स बना है।

3 जन निक्षेप (Public Deposits)—बक ऑफ इगलैंड 'सरकारी बकर' के रूप म भी काय करता है अत इस मद के अन्तगत सरकार के खाते म जो शेष (Balance) होता है वह दिखलाया जाता है। सरकार की समस्त आय बैंक ऑफ इगलैंड म जमा होती है और समस्त भुगतान भी यही करता है। ब्रिटिश सरकार के समस्त प्रमुख खाते जसे एक्सचकर, इगलैंड रेवेन्यू, पे मास्टर जनरल पोस्ट मास्टर जनरल कमिश्नस ऑफ दि नशनल डट (Debt) लाभाश खाते आदि–इसी बक म रखे जाते हैं।

4 अन्य निक्षेप (Other Deposits)—इसके अन्तगत दो मदें हैं—बैंकों के निक्षेप(Bankers Deposits) एव अन्य खाते (Other Accounts)। बकों के निक्षेप के अन्तगत वह राशि है जोकि ब्रिटिश बैंकों की बक ऑफ इगलैंड के पास जमा है। अन्य खातो के अन्तगत ब्रिटिश सरकार एव ब्रिटिश बकों के अतिरिक्त अन्य ग्राहकों, अन्य बैंकों व अन्य ग्राहकों के निक्षेप हैं। इसम मुख्यत राष्ट्रमडल सरकारो राष्ट्रमडल देशों के बकों एव अन्य कुछ केन्द्रीय बैंकों के खाते हैं। ये खाते बैंक ऑफ इगलैंड म उस समय के हैं जबकि वह बैंक ग्राफ इगलैंड निजी–बैंको से प्रतिस्पर्धा किया करता था। अब इन खातों की सख्या एव उनम राशि बहुत अधिक नही है।

5 विशेष निक्षेप (Special Deposits)—साख नियत्रण की दृष्टि स बैंक आफ इगलैंड को अधिकार दिया गया है कि इगलड के व्यापारिक बैंकों से विशेष जमा के रूप मे राशि प्राप्त कर। 'विशेष निक्षेप' का विवरण पिछले अध्याय मे दिया जा चुका है। ध्यान स देखने पर ज्ञात होगा कि बैंकिंग विभाग के दायित्व म बैंको के निक्षेप के पश्चात 'विशेष निक्षेप' ही सबसे बडा मद है।

बैंक रिटन के बैंकिंग विभाग की सपत्ति पक्ष म सरकारी प्रतिभूतियो आदि का पहले विवरण दे चुके हैं।

बट्टे एव अग्रिम (Discounts and Advances)—बैंक ऑफ इगलैंड के ग्राहकों एव बिल-बाजार द्वारा इसके पास बट्टे के लिए लाए गये बिल तथा उनको दिए गये अग्रिम (advance) की राशि है।

18

बचत बैंक

जनसाधारण की बचत एकत्रित करने के लिए इंगलैंड में दो संस्थाएं हैं—ट्रस्टी बचत बैंक और डाकघर। इन दोनों संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में दिया गया है।

1 ट्रस्टी बचत बैंक
(Trustee Savings Bank)

इस प्रकार का बैंक 150 वर्ष से भी अधिक पहले इंगलैंड में स्थापित हुआ था। ये बैंक मध्यम व निर्धन वर्ग के व्यक्तियों में बचत की भावना प्रोत्साहन करने और उनकी छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने के उद्देश्य से स्थापित हुए थे। ये बैंक बहुत छोटी राशि भी निक्षेप के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।

इंगलैंड में सर्वप्रथम ट्रस्टी बचत बैंक सन् 1810 में डमफ्राइज के निकट रथवल[1] में स्थापित किया गया था। सन् 1817 के एक्ट ने यह प्रतिबंध लगा दिया कि ये बैंक लाभ नहीं कमा सकते। सन् 1844 में यह अनिवार्य कर दिया गया कि ट्रस्टी बचत बैंकों को अपने कोषों को राष्ट्रीय ऋण कमिश्नरों (National Debt Commissioners) को ऋण के रूप में देना पड़ेगा।

सन् 1968 में ट्रस्टी बचत बैंकों की संख्या 77 थी और उनके कार्यालयों की संख्या 1464 थी। ये बैंक वास्तव में स्थानीय छोटी संस्थाएं हैं। ये केवल कुछ बैंकों की ही शाखाएं हैं और वे भी अपने ही क्षेत्र में। इनका कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत नहीं है वरन सीमित ही है। अधिकांश ऐसे बैंक स्कॉटलैंड उत्तरी इंगलैंड के नगरों व कस्बों में स्थित हैं।

ये बैंक व्यापारिक बैंकों की अपेक्षा ब्याज की ऊंची दर देते हैं अतः छोटे बचत करने वालों में ये अधिक लोकप्रिय हैं। सन् 1965 से इन बैंकों ने निक्षेपकर्ताओं को चैक द्वारा राशि निकालने की सुविधा प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त सन् 1965 में इन बैंकों ने अपना एक इकाई ट्रस्ट (Unit Trust) स्थापित कर लिया है—जिसका विनियोग प्रबंधक (investment manager) एक प्रमुख मर्चेंट-बैंक है। प्रत्येक बैंक का प्रबंध-ट्रस्टियों (Trustees) द्वारा किया जाता है जो कि प्रायः स्थानीय बैंकर, लेखापाल एवं अन्य व्यावसायिक-व्यक्ति होते हैं। ये ट्रस्टी एक मैनेजर की नियुक्ति कर देते हैं।

1 At Ruthwell near Dumfries

इस समय इन बकों में लगभग 10 मिलियन (1 करोड़) निक्षेप-कर्त्ताओं के खाते हैं एवं कुल निक्षेप लगभग 2 500 मिलियन पौंड है। ये बक मुख्यतः श्रमिक वर्ग में अधिक लोकप्रिय हैं।

ट्रस्टी बचत बकों में प्रायः तीन मुख्य विभाग होते है—साधारण विभाग (Ordinary Deptt) विशेष विनियोग विभाग (Special Investment Deptt) और स्टाक विभाग (Stock Deptt)

ट्रस्टी बक का साधारण विभाग डाकघर के बचत बक के समान काय करता है। इसमें जो निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं उन पर सबसे नीची ब्याज की दर दी जाती है जो कि प्रायः 2½% वार्षिक होती है। इन खाता में से माग पर अथवा अल्प-सूचना पर राशि निकाली जा सकती है। इस खाते में मिलने वाला ब्याज 15 पौंड तक आय कर से मुक्त रहता है। इस खाते में अधिकतम 5 हजार पौंड तक जमा किये जा सकते है।

दूसरा विभाग विशेष विनियोग विभाग है। इसमें जमा राशि को एक माह पूर्व सूचना देकर निकाला जा सकता है। साधारण विभाग की अपेक्षा इस विभाग में ब्याज की ऊंची दर दी जाती है।

किसी भी निक्षेपकर्त्ता के विशेष विनियोग विभाग और समय निक्षेप दोनों में मिलाकर 3 हजार पौंड से अधिक नहीं होने चाहिए। यह अधिकतम सीमा है। यह राशि साधारण विभाग में अधिकतम राशि 5 हजार पौंड से अतिरिक्त है। विशेष विनियोग विभाग में खाता खोलने के लिए यह आवश्यक है कि इसके साधारण विभाग के खाते में कम से कम 50 पौंड अवश्य हों। दूसरे शब्दों में केवल वे व्यक्ति ही विशेष विनियोग विभाग में खाता खोल सकते हैं जिनका साधारण विभाग में भी खाता हो और उस खाते में कम से कम 50 पौंड हों।

विशेष विनियोग विभाग अपने कोषों को सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग कर सकता है। स्थानीय अधिकारी बन्धकों (Local authority mortgages) में भी, राष्ट्रीय ऋण-कार्यालय (National Debt Office) की अनुमति से राशि विनियोग की जा सकती है, जिसमें ब्याज अधिक मिलता है।

तीसरा विभाग स्टाक विभाग है। यह विभाग सरकारी प्रतिभूतियों के विक्रय करने में दलाल (broker) के रूप में काय करता है।

यदि कोई ट्रस्टी बचत बक कठिनाई में पड़ जाता है अथवा ऐसी स्थिति में हो जाता है कि काय नहीं कर सकता है तो वह फेल नहीं होता वरन् निकट के किसी मजबूत व शक्तिशाली ट्रस्टी बचत बकों में विलीन (absorb) हो जाता है। इस परिपाटी के कारण ये ट्रस्टी-बचत बक भी डाकघर-बचत बकों की भांति ही सुरक्षित समझे जाते है और जनता का उनमें विश्वास भी डाकघर-बचत बकों के समान रहता है। अतः पिछले 20 वर्षों से विशेष विनियोग विभागों द्वारा अधिक मात्रा में निक्षेप आकर्षित हो रहे हैं। इनकी लोकप्रियता इससे भी ज्ञात होती है कि स्कॉटलैण्ड में 5 व्यक्तियों में से औसत रूप से 2 व्यक्तियों के, उत्तरी इंगलैंड में 5 व्यक्तियों में से

औसत रूप से, 1 व्यक्ति का, और सदन तथा अन्य भागों में 20 व्यक्तियों में से औसत रूप से 1 व्यक्ति का ट्रस्टी बचत बैंक में खाता है।

इन बचत बैंकों में प्राय व्यापारियों के खाते नहीं होते हैं। सन् 1965 से इन बैंकों ने चैक का प्रयोग आरम्भ कर दिया है।

मौद्रिक-नीति को कार्यान्वित करने में इन ट्रस्ट बचत बैंकों का उपयोग अधिकारी वर्ग कर पाते हैं। इसके दो कारण हैं—प्रथम, इनके कोष प्राय सरकारी कोष की ओर प्रवाहित रहते हैं और द्वितीय इन बैंकों में व्यापारी वर्ग के खाते नहीं हैं।

इन बैंकों के विकास की पर्याप्त सम्भावनाएं हैं।

2 डाकघर बचत बैंक व गिरो
(P O Savings Banks & P O Giro)

डाकघरों की स्थापना—यद्यपि इंगलैंड में डाक घर की सेवाएं काफी समय से उपलब्ध थी किन्तु सन् 1657 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें एक सरकारी अधिकारी पोस्ट मास्टर जनरल के नियन्त्रण में डाक घर स्थापित हो सकते थे। सन् 1969 में डाक घर एक सार्वजनिक निगम (public corporation) के रूप में हो गया है और डाकघर टेलीफोन एवं टेलेक्स सेवाएं करता है, पोस्टल आर्डर, मनी आर्डर आदि का निर्गमन करते हैं, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए व राष्ट्रीय गिरो के लिए एजेंसी सेवाएं प्रदान करता है।

डाकघर बचत बैंक—इंगलैंड में सबसे बड़ा बचत बैंक डाकघर बचत बैंक है। इंगलैंड में डाकघरों ने बचत बैंक का कार्य सन् 1861 में आरम्भ किया। डाकघर बचत बैंकों में एक तो सुविधा यह रहती है कि देश भर में अधिकांश डाकघर बचत बैंक का काम करते हैं और दूसरे निक्षेपों की सुरक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप में सरकार की गारंटी रहती है। अन्य बैंकों की अपेक्षा ये बचत बैंक अधिक समय तक दैनिक कार्य करते हैं। डाकघर बचत बैंकों में से 10 पौंड तक की राशि तो माँग पर देय होती है किन्तु अधिक राशि निकालने के लिए, व्यवहार में चार दिन की पूर्व सूचना देनी होती है।

इंगलैंड में डाकघर बचत बैंकों में इस समय 2 75 मिलियन (2 करोड़ 75 लाख) खाते हैं, जोकि चालू हैं। इन खातों में 20,000 मिलियन पौंड से भी अधिक राशि जमा है। इनमें से लगभग आधे खाते ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक में 10 पौंड अथवा कम जमा है, लगभग 20 प्रतिशत एसे खाते हैं जिनमें प्रत्येक में 100 पौंड से अधिक राशि जमा है।

कुछ वर्षों पूर्व डाकघरों ने साधारण बैंकों की भांति चालू खाते (current accounts) खोलने भी आरम्भ कर दिए ताकि निक्षेप अधिक आकर्षित हो सकें। इस समय डाकघरों में लगभग 5 लाख चालू खाते हैं। औसत रूप से प्रत्येक निक्षेप कर्ता वर्ष में 80 से ज्यादा व्यवहार (Transactions) करता है। जो राशि

निकाली जाती है उनमे से 75 प्रतिशत (withdrawls) बीमा कम्पनियों को प्रीमियम भुगतान करने के लिए और शेष के अधिकांश गृह-समितियां अथवा किराया क्रय कम्पनियों का भुगतान करने के लिए होते हैं।

नेशनल गिरो अथवा डाकघर गिरो—डाकघर गिरो (Post Office Giro) की योजना का विवरण अगस्त सन् 1965 में व्हाइट पेपर (White Paper) में प्रकाशित किया गया जिसके फलस्वरूप इंगलैंड में सन् 1968 में डाकघर द्वारा गिरो बैंकिंग प्रणाली चालू की गई।

गिरो से आशय—डाकघर की चैक प्रणाली को 'गिरो' कहते हैं। एक ही संस्था द्वारा जिसमें खाते केन्द्रित रहते हैं, चालू खाता की बैंकिंग सुविधा प्रदान करना गिरो का उद्देश्य है। किंतु बैंकों द्वारा इन खातों में दी जाने वाली 'अधिविकर्ष' (overdraft) की सुविधाएं गिरो प्रणाली में नहीं दी जाती हैं।

गिरो की आवश्यकता—इन दिनों ऐसा देखा गया कि इस प्रकार के व्यवसाय पर्याप्त बढ़ रहे हैं जिनमें बिना विलम्ब के राशि-हस्तान्तरण आवश्यक है। डाक द्वारा आदेश (hire order) किराया क्रय (bill purchase) किस्तों में बिलों का भुगतान उपभोक्ता के माल को उधार पर देने का उधार क्रय आदि के कार्य इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार राशि हस्तांतरण का कार्य व्यापारिक बैंक भी करते हैं जिसमें वे बैंक एक खाते में दूसरे खाते में राशि का हस्तांतरण कर देते हैं और नगद-राशि के भुगतान, की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना होते हुए भी नियतकालिक (periodical) बिलों का भुगतान आज भी मुख्यतः नकद में किया जाता है, यद्यपि बैंकों में खाते अधिकाधिक व्यक्तियों द्वारा खोले जा रहे हैं।

अतः विशेषतः ऐसे व्यक्तियों को जिनके बैंकों में खाते नहीं हैं बिलों के भुगतान अथवा राशि भेजने अथवा वेतन पाने आदि कार्यों को ठीक प्रकार से करने के लिए गिरो का प्रयोग किया जा सकता है। व्यापारिक जगत के लिए भी गिरो आकर्षक होते जा रहे हैं क्योंकि गिरो अधिक शीघ्रता से 'समाशोधन' कार्य करते हैं, व अन्य सेवाएं भी सस्ती प्रदान करते हैं। गिरो खातों, डाकघर बचत खातों और ट्रस्टी बचत बैंक खातों में (एक दूसरे खाते में) भी हस्तांतरण की सुविधा है।

गिरो की स्थापना—इंगलैंड में सन् 1968 में डाकघर द्वारा गिरो की बैंकिंग प्रणाली चालू की गई। इस संस्था का नाम 'नेशनल गिरो सेन्टर' है और इसका केन्द्रीय कार्यालय लिवरपूल के निकट Bootle में है। इस कार्यालय में आधुनिकतम गणक (Computers) आदि का प्रयोग किया जाता है व लगभग 3 हजार कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। यह आशा की जा रही है कि सन् 1973 तक लगभग 10 लाख निजी व्यक्तियों के खाते और लगभग 2 लाख व्यापारियों व व्यापारिक भवनों के खाते खुल जावेंगे।

गिरो के कार्य—किसी भी व्यक्ति जिसकी आयु 16 वर्ष या अधिक है अथवा किसी भी कम्पनी अथवा किसी भी संस्था द्वारा गिरो में खाता खोला जा सकता है।

यह खाता 20 पौंड अथवा अधिक राशि से खोला जा सकता है। गिरो खाते में निक्षेप राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है।

एक खाते से दूसरे खाते में राशि का हस्तांतरण नि शुल्क किया जाता है इस कार्य के लिए गिरो कार्यालय को लिखित निर्देश देना आवश्यक है। ये लिखित निर्देश डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं। जो व्यक्ति गिरो के सदस्य नहीं हैं अर्थात् जिनके खाते गिरो में नहीं हैं, उनको गिरो चैक द्वारा भुगतान किया जा सकता है।

गिरो खाते में राशि जमा कराई जा सकती है। यदि खातेदार स्वयं अपने खाते में राशि जमा कराता है तो यह कार्य नि शुल्क किया जाता है। किंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बैंक में खाता नहीं है किसी के खाते में राशि जमा कराता है तो प्रत्येक निक्षेप पर 9 पेंस शुल्क के रूप में लिया जाता है।

खातेदारों को उनकी मांग पर (withdrawls) उनको स्वयं को अथवा भुगतान आदेश (payment order) के द्वारा तीसरे पक्षकारों को गिरो कार्यालय के द्वारा डाकघर के काउन्टर से नगद भुगतान किया जाता है। एक बार में 20 पौंड तक की राशि निकाली जा सकती है और प्रत्येक भुगतान पर 9 पेंस शुल्क लिया जाता है। 50 पौंड अथवा अधिक राशि के भुगतान के लिए पूर्व सूचना देना पड़ती है एवं प्रत्येक ऐसे भुगतान पर दो शिलिंग शुल्क लिया जाता है। भुगतान आदेशों को बैंक भी एकत्रित करते हैं और इस भुगतान आदेशों के लिए गिरो 6 पेंस प्रति आदेश के हिसाब से चार्ज करता है।

'अधिविकर्ष' (overdraft) की सुविधाएं गिरो प्रदान नहीं करता है किंतु विदेशी गिरो में स्थानान्तरण (transfers) स्थाई आदेश (standing order), यात्री चैक व विदेशी मुद्रा आदि प्रदान करने की सेवाएं दी जाती हैं।

19
औद्योगिक वित्त

भूमिका—इंगलैण्ड में औद्योगिक वित्त प्रदान करने वाले प्रमुख ये हैं— साधारण जनता जो विनियोग के लिए बचत करती है अनेक वित्तीय संस्थाएं, बैंक आफ इंगलैंड, व्यापारिक बैंक, व अन्य वित्तीय मध्यस्थ जैसे विनियोग-ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट बीमा कम्पनियां, पेंशन कोष, भवन सोसाइटीज, औद्योगिक बैंकर्स आदि।

1 औद्योगिक बैंकर्स
(Industrial Bankers)

कुछ छोटी वित्तीय इस वर्ग में आती हैं। ये बैंकर्स व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाओं से निक्षेप प्राप्त करते हैं। ये अधिकांश किराया क्रय व्यवहार को वित्त प्रदान करते हैं। इस समय लगभग 11 औद्योगिक बैंकर्स हैं। इनमें से अधिकांश, व्यक्तियों से निक्षेप प्राप्त करते हैं एवं व्यापारिक-बैंकों की अपेक्षा ऊँची ब्याज दर देते हैं। औद्योगिक वित्त प्रदान करने में इनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है।

2 बैंकर्स औद्योगिक विकास कम्पनी
(Bankers Industrial Development Co)

1929 35 के महान आर्थिक काल में उद्योगों के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। सन् 1930 में बैंकर्स औद्योगिक विकास कम्पनी की स्थापना की गई। इसकी पूंजी 'प्रतिभूति प्रबंध ट्रस्ट' (Securities Management Trust) जो कि बैंक आफ इंगलैंड की सहायक (Subsidiary) है के द्वारा प्रदान की गई। इस कम्पनी की स्थापना उद्योगों को दीर्घकालीन वित्त प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।

3 सिक्यूरिटीज मैनेजमैंट ट्रस्ट
(Securities Management Trust)

यह भी बैंक आफ इंगलैंड ने सहायक के रूप में महान मंदी काल में स्थापित किया गया। इसने बैंकर्स औद्योगिक विकास कम्पनी को पूंजी प्रदान करके इसकी स्थापना में सहायता की। लंकाशायर कॉटन कारपोरेशन और शिपबिल्डर्स सीक्यूरिटी लि० को इसने विशेषरूप से सहायता प्रदान की।

4 औद्योगिक एवं व्यापारिक वित्त निगम लि०
(Industrial & Commercial Finance Corp Ltd)

यह निगम भी बैंक ऑफ इंगलैंड ने सहायक के रूप में है। इसकी स्थापना सन् 1945 में हुई थी। इसकी पूंजी बैंक ऑफ इंगलैंड एवं इंगलैंड और स्कॉटलैंड के व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान की गई थी। वास्तव में इसकी स्थापना मैकमिलन कमेटी

सन् 1931 की सिफारिशों के अनुसार उद्योगों को मध्यमकालीन पूजी की सुविधा देने के लिए की गई थी। इसने निजी दायित्व वाली कम्पनियां (Private Limited Companies) को विशेषरूप से सहायता प्रदान की है।

यह निगम प्रथम आवेदन पर 5 हजार पौंड से 3 लाख पौंड तक ऋण देता है और बाद में 5 लाख पौंड तक। यह सरकारी नियन्त्रण में नहीं है अत सरकार की राशि उधार नहीं देता। सन् 1959 में यह निगम पब्लिक कम्पनी के रूप में हो गया।

जिस उद्योग अथवा कम्पनी को यह ऋण देता है इसके प्रबंध में यह निगम हस्तक्षेप नहीं करता है और साधारणत उसमें अपना सचालक की नियुक्ति नहीं करता। यदि सचालक नियुक्त करता भी है तो किसी स्वतन्त्र व्यक्ति को नियुक्त करता है अपने किसी अधिकारी को नहीं।

सन 1969 में इस निगम ने लगभग 9 लाख पौंड उधार दिए। इस वर्ष (1969) तक इसके 1 25 करोड़ पौंड के ऋण बाकी थे।

5 फाइनेन्स कारपोरेशन फार इन्डस्ट्री लि०
(Finance Corporation for Industry Ltd)

इस निगम की स्थापना भी सन् 1945 में बैंक ऑफ इगलैंड द्वारा की गई थी। इस निगम की पूजी बैंक ऑफ इगलैंड विनियोग कोषों और बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदान की गई। इस निगम की स्थापना भी मैकमिलन कमेटी 1931 की सिफारिशों के अनुसार की गई। इस निगम की अधिकृत एव निर्गमित पूजी 2 5 करोड पौंड है। आवश्यकता पडने पर यह निगम अपनी निर्गमित पूजी के चार गुने तक राशि ऋण के रूप में ले सकता है।

यह निगम 5 हजार से 2½ लाख पौंड तक के ऋण प्रदान करता है। ऋण लेने वाले को यह स्पष्ट करना पडता है कि उसे और कहीं से ऋण प्राप्त नहीं हो सका एव यह ऋण राष्ट्रीय हित में लिया जा रहा है। दिए जाने वाले ऋणों की सख्या कम है किंतु राशि बडी है।

6 विनियोग ट्रस्ट
(Investment Trusts)

विनियोग-ट्रस्ट की उत्पत्ति स्काटलैंड में हुई। इस प्रकार के ट्रस्ट इगलैंड में अठाहरवीं शताब्दी में स्थापित हुए। ये ट्रस्ट अन्य कम्पनियों की भांति होते हैं और अपने अश निगमन करते हैं। इनके अशों का क्रय विक्रय स्टॉक-एक्सचेंज में भी होता है। ये ट्रस्ट अपनी पूजी से अन्य कम्पनियों के अश खरीदते हैं। ये नई कम्पनियों के अशों का अभिगोपन भी करते हैं।

प० जर्मनी की बैंकिंग प्रणाली
(Banking System in W. Germany)

20

प० जर्मनी मे केन्द्रीय बैंकिंग

बैंक ग्राफ हैम्बर्ग की स्थापना व अन्त—सन् 1619 में हैम्बर्ग में 'बैंक ग्राफ हैम्बर्ग' स्थापित किया गया। शुद्ध चाँदी व विदेशी मुद्राओं को निक्षेप के रूप में स्वीकार करने व इन निक्षेपों के खाते रखना, इस बैंक के प्रमुख कार्य थे। इस बैंक ने हिसाबी मुद्रा (money of account) का प्रचलन किया, जिसका नाम मार्क-बैंको (Mark Banco) था। जिस व्यक्ति के खाते में यह हिसाबी मुद्रा जमा कर दी जाती थी उसको निश्चित मात्रा में शुद्ध चाँदी इस बैंक से निकालने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। मार्क बैंको का प्रयोग व्यापारियों के मध्य निपटान के लिए भी किया जाने लगा। इतना ही नहीं जर्मनी व अन्य देशों के मध्य हिसाब निपटान के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। 250 वर्षों से भी अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात इस बैंक को रीश बैंक (Reichs Bank) में मिला दिया गया। इस प्रकार 'बैंक ग्राफ हैम्बर्ग' का अस्तित्व समाप्त हो गया।

रीश-बैंक की स्थापना व अन्त—सन् 1876 में रीश-बैंक (Reichs Bank) की स्थापना की गई। संकटकाल में अन्य बैंकों की सहायता के लिए एक बैंक की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी जिसके फलस्वरूप इस बैंक की स्थापना हुई। यह बैंक नोट निगमन का कार्य भी करता था। इस बैंक ने सम्पूर्ण जर्मनी देश में अपनी शाखाएं स्थापित कर दीं। सन् 1945 में नाजी शासन का पतन हो गया। विजयी मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की आर्थिक व वित्तीय शक्ति को नष्ट करना चाहा। अतः 70 वर्षों तक कार्य करने के पश्चात् सन् 1946 में रीश-बैंक को समाप्त कर दिया गया।

लैंड-सट्रल-बैंकन की स्थापना—रीश-बैंक के पतन के पश्चात, निगमन के 11 क्षेत्रीय बैंक लैंड-सन्ट्रल बैंकन (Lande szentral bankenı) स्थापित किए गये। अब जर्मनी गणसंघ (Federal Republic of Germany) 11 जिलों (Lander) में विभक्त किया जा चुका था। अतः प्रत्येक क्षेत्र (जिले) के लिए एक बैंक स्थापित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मित्र राष्ट्रों ने विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई।

ये क्षेत्रीय लैंड-सट्रल बैंक अपने क्षेत्र में, अन्य बैंकिंग-कार्यों के अतिरिक्त बैंकों के बैंकर व अपने जिले की सरकार के वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। इन बैंकों ने पूर्वकालीन रीश-बैंक (Reichs bank)[1] के कार्यालयों व भवन (फर्नीचर आदि

1 Land means State or province szentral-Central banken-banks

सहित) व कर्मचारियों को भी ले लिया। यह ध्यान रहे कि प्रत्येक लैंड-सट्रल-बैंकों का कार्यक्षेत्र उसके जिले (Land) तक ही सीमित किया गया। इन लैंड सट्रल बैंकों का आकार (पूंजी की दृष्टि से) समान नहीं है कुछ काफी बड़े हैं व कुछ छोटे भी हैं। जनवरी 1953 से 11 क्षेत्रों को कम करके 9 क्षेत्र (अथवा जिले) कर दिए गए अत 9 लैंड-सट्रल-बैंक रह गये। नीचे की तालिका में इन 9 लैंड-सट्रल-बैंकों का प्रधान-कार्यालय व पूंजी बतलाई गई है—

लैंड सट्रल-बैंकों की पूंजी

	Domicile	Capital (in Million DM)
Land Central Bank		
Of The Free und Hamburg	Hamburg	10
Of Berlin	Berlin	10
Of Holstein	Kiel	10
Of Rhein land	Mainz	20
Of Hesse	Frankfurt Main	30
Of Lower Sexony	Hannover	40
Of Bavaria	Munich	50
Of Baden Wurttemberg	Stuttgart	50
Of North Rhine	Dusseldorf	65

DM—Deutsche Mark

सन् 1948 के अधिनियम के अनुसार 4 मार्च 1948 को बैंक ड्यूशर लैंडर (Bank Deutscher Lander) की स्थापना और की गई। उस समय जर्मनी गणसंघ में केन्द्रीय बैंकिंग की स्थिति इस प्रकार थी—केन्द्रीय बैंक के कार्य बर्लिनर-सट्रल-बैंक (Berliner Central Bank) करता था। यह बैंक स्वयं के नोट निर्गमन एवं सिक्के निर्गमन कार्य नहीं करता था। बैंक ड्यूशर लैंडर नोट निर्गमन का कार्य करता था (सरकार सिक्कों के निर्गमन का कार्य करती थी)। इस प्रकार जर्मनी-गणसंघ में द्वि-पंक्ति (Two tier) केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली हो गई।

बैंक ड्यूशर लैंडर, देश के 9 लैंड-सट्रल बैंकों की केन्द्रीय संस्था सन् 1957 तक रही। यह बैंक फ्रैंकफर्ट मेन नगर में स्थित है। इस बैंक की पूंजी DM 10 करोड़ है। इसकी सम्पूर्ण पूंजी लैंड-सट्रल-बैंकों द्वारा प्रदान की गई है। इसकी पूंजी में जनता का कोई योगदान नहीं है। यद्यपि ऊपर से प्रतीत होता है कि जर्मनी

मे केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली विकेन्द्रित है किंतु वास्तव म देखा जाय तो ज्ञात होगा कि ऐसा नहीं है ।

वधानिक रूप से तो विभिन्न लड-सट्रल-बक स्वतन्त्र इकाइया हैं किंतु व्यावहारिक रूप म ये समस्त बक, बक ड्यूशर लैंडर से बधे हुए हैं ।

बक ड्यूशर लडर के सचालक मडल म सभी लड-सैंट्रल-बको के अध्यक्ष (Presidents) होते हैं । इसके अतिरिक्त बक ड्यूशर लडर का चेयरमैन, और इसके प्रबन्धक मडल (Board of Managers) का अध्यक्ष भी सचालक मडल म होते हैं । यह सचालक मडल सामान्य बैंकिंग नीति निर्धारित करता है जिसका पालन लड-सट्रल-बक करते हैं । इस सचालक मडल द्वारा निर्धारित नीति को बक ड्यूशर लडर भी पालन करती है । इस बक के प्रबन्धक मडल का यह काय है कि इस नीति को क्रियान्वित करे । इस प्रकार स्पष्ट है कि लैंड-सट्रल बैंक जिस नीति का पालन करते हैं, वह नीति वास्तव मे उनके खुद के अध्यक्षों द्वारा निर्धारित नीति होती है, क्योकि बक ड्यूशर लडर के सचालक मडल मे सभी लैंड-सट्रल बक के अध्यक्ष होते हैं ।

प्रत्येक लड-सैंट्रल बैंक के प्रबन्ध एव नियत्रण के लिए उनका स्वय का एक-एक सचालक मडल होता है ।

ड्यूश बस बक—केन्द्रीय बक
(The Deutsche Bundes Bank—The Central Bank)

इस समय जमनी गणराज्य का केन्द्रीय बैंक ड्यूश बस बक (Deutsche Bundes Bank i e German Federal Bank) है । इसका प्रधान-कार्यालय फ्रैंकफट (मेन) म है । इसके अधिनियम म यह उल्लेख है कि जब तक कि गणतन्त्र सरकार बर्लिन म स्थापित न हो जाय तब तक इसका प्रधान कार्यालय फ्रैंकफट मेन (Frank furt-Main) मे स्थापित रहेगा ।

26 जुलाई 1957 को 'ड्यूश बस बैंक कानून पास किया गया, जिसके फलस्वरूप अगस्त 1, 1957 को ड्यूश बस बैंक स्थापित किया गया । इस बैंक की स्थापना से, जमनी मे सन् 1948 म स्थापित द्वि-स्तरीय केन्द्रीय प्रणाली (Two tier central banking system) समाप्त हो गई, क्योकि उस समय (सन् 1948) मे केन्द्रीय-बकिंग, सबधी अय काय बर्लिनर सट्रल बक करता था और बैंक ड्यूशर लडर नोट निगमन का काय करता था । इस बक मे, सन् 1948 में स्थापित 11 क्षेत्रीय बक लड-सट्रल बकन, व उनकी समस्त शाखाए, विलय हो गई । लड-सट्रल बैंकन के 11 मुख्य-कार्यालय व इन्ही बैंको की कुल 200 शाखाए अब ड्यूश बैंक के कार्यालयो व शाखाओ के रूप म काय कर रही हैं ।

ड्यूश बस बक के केन्द्रीय-बकिंग काय

ड्यूश बस बैंक (Deutsche Bundes Bank) आजकल जमनी गणराज्य का केन्द्रीय बक है । अय देशो के केन्द्रीय-बैंको की भाति, यह बक भी केन्द्रीय-बैंकिंग सबधी सर्वाधिक काय करता है ।

1 नोट निगमन का कार्य

इस बैंक का मुख्य कार्य नोट-निगमन का कार्य करना है। यह विभिन्न प्रकार मूल्यों की पत्र-मुद्रा निगमन करती है। जर्मनी की मुख्य मुद्रा ड्यूश मार्क (Deutsche Mark) है, जिसे संक्षेप में केवल 'मार्क' (Mark or DM) भी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल में भी, प्रथम विश्व युद्ध की भांति मुद्रा प्रसार बहुत अधिक हो गया था और जिसके फलस्वरूप जर्मन मार्क के स्वदेशी व विदेशी मूल्य में बहुत ही अस्थिरता आ गई थी। सन् 1948 से बैंक ड्यूशर लैंडर नोट निगमन का कार्य करता था किन्तु यह बैंक वांछित परिणाम स्थापित करने में असफल रहा। अतः ड्यूश बैंक को जर्मन गणराज्य में नोट निगमन का एकाधिकार दे दिया गया।

सन् 1924 से जर्मनी में नई मुद्रा रीश मार्क (Reichs mark) प्रचलित की गई। द्वितीय विश्व युद्ध काल में भी प्रथम विश्व युद्ध की भांति जर्मनी में मुद्रा प्रसार अधिक मात्रा में हो गया जिसके फलस्वरूप रीश मार्क के स्वदेशी व विदेशी मूल्य में बहुत अस्थिरता आ गई थी। सन् 1935 और सन् 1945 के मध्य जर्मनी में रिश मार्क (मुद्रा) की मात्रा 6,400 मिलियन से 72 500 मिलियन हो गई अर्थात् 10 वर्षों में रीश मार्क की मात्रा में 66 100 मिलियन की वृद्धि हो गई। अतः सन् 1948 से ड्यूश मार्क (DM) प्रचलित किए गये।

सन् 1948 से बैंक ड्यूशर लैंडर नोट निगमन का कार्य करता था किंतु यह बैंक वांछित परिणाम स्थापित करने में असफल रहा। अतः ड्यूश बैंक को जर्मन गणराज्य में नोट निगमन का एकाधिकार दे दिया गया। यह ध्यान रहे कि यह बैंक नोट निगमन के लिए जर्मन सरकार के निर्देशों से मुक्त है अर्थात् नोट निगमन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है।

कुछ ही वर्षों की अवधि में ड्यूश मार्क (DM) में देश व विदेशों में बहुत विश्वास उत्पन्न हो गया और फलस्वरूप यह कठोर मुद्रा (hard currency) की श्रेणी में आ गया। ड्यूश मार्क की अन्तर्राष्ट्रीय माग में काफी वृद्धि हो गई है।

जर्मनी में भी मुद्रा की दाशमिक प्रणाली है। इस समय जर्मनी गणतन्त्र में धातु के ये सिक्के प्रचलित हैं—सबसे छोटा सिक्का फेनिग (pfennig) है जो ताँबे का बना हुआ होता है। यह ड्यूश मार्क का $\frac{1}{100}$ वा भाग है जैसे कि भारत में एक पैसा रुपये का $\frac{1}{100}$ वा भाग है। जर्मनी में 1 2 5, 10 और 50 फनिग के सिक्के और 1, 2 तथा 5 मार्क के सिक्के प्रचलित हैं। इसके अतिरिक्त 5, 10 20, 50 100 500 और 1 000 मार्क के नोट प्रचलन में हैं। एक ड्यूश मार्क में 100 फनिग होते हैं।

सन् 1969 में जर्मनी के ड्यूश मार्क (DM) का पुनर्मूल्यन (Revaluation) किया गया। इसका सब प्रथम प्रभाव यह हुआ कि विदेशी मुद्रा जो पश्चिमी जर्मनी में सट्टे के व्यवहारों में लगी हुई थी पुनः तेजी से देश (पश्चिमी जर्मनी) से बाहर जाने लगी।

ड्यूश बस बैंक देश के बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। यह बैंक अपने सदस्य बैंकों के निक्षेप रखता है। यह बैंक अपने सदस्यों के लिए निश्चित किये गये कोटे में से उनसे व्यापारिक बिल खरीद कर वित्त प्रदान करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह अपने सदस्य बैंकों को प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम (advances) भी देता है।

यह उल्लेखनीय है कि यह बैंक गैर-बैंकिंग संस्थाओं (अर्थात् अन्य वित्तीय-संस्थाओं) को ऋण नहीं दे सकता है। जापान का केन्द्रीय बैंक, बैंक ऑफ जापान अन्य वित्तीय संस्थाओं को भी ऋण देता है। जर्मनी का यह केन्द्रीय बैंक गैर बैंकिंग संस्थाओं से निक्षेप स्वीकार कर सकता है किन्तु इन निक्षेपों पर ब्याज नहीं देता है। इसके अतिरिक्त इनकी ओर से भुगतान करने व चैक आदि को एकत्रित करने के व्यवहार (collection transaction) भी यह बैंक करता है।

3 सरकार का बैंकर

ड्यूश बस बैंक जर्मनी की गणतन्त्र सरकार के वित्तीय एजेंट के रूप में कार्य करता है। अतः इस रूप में यह सरकार की ओर से भुगतान आदि प्राप्त करता है और उसकी ओर से भुगतान भी करता है। ये भुगतान सरकार के द्वारा लिखे गये चैकों के आधार पर किये जाते हैं। यह सरकार के विशेष खातों (Special funds) जैसे गणराज्य की रेलवे, डाक विभाग आदि को भी रखता है। कुछ अपवादों को छोड़कर इन विभागों को इस केन्द्रीय बैंक में अपने नकद कोष रखने पड़ते हैं। यह बैंक उनको (सरकार, रेलवे, डाक विभाग आदि को) अल्पकालीन ऋण भी देता है। ये ऋण दो प्रकार से दिये जा सकते हैं—प्रथम, उनके चालू खाते में अधिविकर्ष (overdraft) देकर, अथवा, द्वितीय ट्रेजरी बिलों की कटौती (discounting) करके। किंतु इस प्रकार के अल्पकालीन ऋण असीमित मात्रा में नहीं दिये जा सकते हैं। इनके लिए कानून द्वारा सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं।

सरकार द्वारा अथवा सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमन किये जाने वाले बॉंड ऋणों (bonded loans) का भी यह बैंक प्रबंध करता है। सरकार की ओर से उनके ब्याज व मूलधन के भुगतान का कार्य करता है।

4 साख नियंत्रण

ड्यूश बस बैंक (*Deutsche Bundes Bank*) की मौद्रिक व साख नीतियों को निश्चित करने के लिए 'केन्द्रीय बैंक कौंसिल' (Central Bank Council) है। यह 'कौंसिल' इसी बैंक का एक अंग है। इस कौंसिल में बस बैंक का निदेशालय (Directorate) और लैंड सेंट्रल बैंकों के अध्यक्ष (Presidents) होते हैं। जर्मन गणराज्य का प्रेसिडेंट गणराज्य सरकार की सिफारिश पर ड्यूश बस बैंक के निदेशालय के सदस्यों की नियुक्ति करता है। संसद के अपर-हाउस की सिफारिश पर लैंड-सेंट्रल-बैंकों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। ड्यूश बस बैंक का प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट केन्द्रीय बैंक कौंसिल का क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है।

इस प्रकार इस ड्यूश बुन्डेस बैंक तथा केन्द्रीय बैंक कौंसिल के सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इनकी (प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट व गवर्नरों की) कार्य अवधि 8 वर्ष होती है। साख एवं मुद्रा नियन्त्रण के लिए जर्मनी में इस बैंक द्वारा निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं—

(i) न्यूनतम रिजर्व कोष नीति—देश में बैंकों की तरलता (Liquidity) एवं उनके द्वारा साखसृजन की शक्ति पर नियन्त्रण रखने के लिए ड्यूश बुन्डेस बैंक अन्य बैंकों के समय निक्षेपों व माँग पर देय निक्षेप का निश्चित प्रतिशत अपने पास रिजर्व कोष में रखता है। ड्यूश बैंक इस कोष के निक्षेपों पर कोई ब्याज नहीं देता है। रिजर्व की दरें विभिन्न प्रकार के निक्षेपों के लिए अलग अलग हैं। ड्यूश बुन्डेस बैंक में न्यूनतम रिजर्व रखने की अधिकतम दरें इस प्रकार हैं—

न्यूनतम रिजर्व की अधिकतम दरें

निक्षेप के प्रकार	रिजर्व की अधिकतम दर
चालू निक्षेपों का	30 प्रतिशत
समय निक्षेपों का	20 प्रतिशत
बचत निक्षेपों का	10 प्रतिशत

उपरोक्त तालिका में सदस्य बैंकों द्वारा ड्यूश बुन्डेस बैंक में रखे जाने वाले निक्षेपों की अधिकतम वैधानिक सीमाएं बतलाई गई हैं। ड्यूश बुन्डेस बैंक अपने सदस्य बैंकों को उपरोक्त सीमाओं के भीतर ही रिजर्व रखने के लिये बाध्य कर सकता है। साख नियन्त्रण का यह एक प्रभावशाली साधन है।

(ii) कटौती दर नीति (Discount rate policy)—ड्यूश बुन्डेस बैंक प्रत्येक सदस्य संस्था के लिए बिलों की पुनर्कटौती करने के लिये अधिकतम राशि का कोटा (quota) निश्चित कर देता है। व्यापारिक बिलों की कटौती व पुनर्कटौती की दरें निश्चित कर दी जाती हैं। यह बैंक इन सीमाओं के भीतर तक की राशि के बिलों की कटौती व पुनर्कटौती करता है।

यहाँ पर 'लोम्बार्ड दर नीति (Lombard rate policy) का उल्लेख करना भी आवश्यक है। ड्यूश बुन्डेस बैंक ट्रेजरी बिलों व निश्चित ब्याज (fixed interest) वाली प्रतिभूतियों की जमानत पर भी सदस्य बैंकों को ऋण देता है। किन्तु ऐसे ऋण अधिक से अधिक तीन माह (अर्थात् 90 दिन) के लिए हो सकते हैं। ऐसे ऋणों पर ब्याज दर, कटौती दर से 1% ऊँची होती है।

(iii) खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations)—यह बैंक विश्व के अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा साख व मुद्रा पर नियन्त्रण रखता है। यह बैंक देश के मुद्रा बाजार को विनिमय विपत्र, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बॉन्ड्स एवं स्टॉक एक्सचेंज की सूची में सम्मिलित बॉडों का क्रय विक्रय

कर के प्रभावित कर सकता है। देश के मुद्रा बाजार में जब मुद्रा का आधिक्य होता है, तब यह बैंक बाजार में विनिमय पत्र आदि विक्रय करने लगता है और इस प्रकार बाजार में मुद्रा आधिक्य समाप्त करने का प्रयत्न करता है, इसी प्रकार मुद्रा की कमी के समय इन्हें क्रय करने लगता है।

यहा यह उल्लेखनीय है कि गणतन्त्र जर्मनी में अल्पकालीन सरकारी-पत्रों की मात्रा बहुत कम रह गई है (क्योंकि अधिकांश का भुगतान कर दिया गया है), अत सन् 1967 से प्रथम बार ड्यूश बुन्डेस बैंक ने दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूतियों को भी बैंकों द्वारा क्रय विक्रय की जाने वाली प्रतिभूतियों की सूची में सम्मिलित कर लिया है।

(iv) साख का राशनिंग—जर्मनी में साख नियन्त्रण के साधन के रूप में साख राशनिंग नीति को नहीं अपनाया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि साख राशनिंग को साख नियन्त्रण के साधन के रूप में प्रयोग किया जाय, अथवा नहीं—इस विषय पर अत्यन्त गम बहसें हुई और अन्त में निर्णय लिया गया कि इस साधन के उपयोग का निषेध कर दिया जाय क्योंकि देश में साख को नियन्त्रित करने के अन्य उपलब्ध साधन ही पर्याप्त सशक्त एवं प्रभावशील हैं।

5 विदेशी विनिमय का कार्य

यह बैंक विदेशी विनिमय का काम भी करता है। यह व्यापारिक व औद्योगिक संस्थाओं एवं निजी-व्यक्तियों से भी विदेशी विनिमय व्यवहार (विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय) करने के लिए अधिकृत है।

6 अन्य कार्य

देश के बैंकों के समाशोधन-गृह का काम भी करता है। देश के अधिकांश चैक स्थानान्तरण एवं विनिमय विपत्रों के व्यवहार ड्यूश बुन्डेस बैंक के माध्यम से ही होता है। जर्मनी में चैक एकत्रीकरण (Cheque Collection) की विशिष्ट सरल प्रणाली अपनाई गई है। बुन्डेस बैंक की जर्मनी में लगभग 200 शाखाएं हैं। ड्यूश बुन्डेस बैंक की प्रत्येक शाखा अपने क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए समाशोधन गृह (Clearing House) का काम करती हैं।

बुन्डेस-बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि अपनी स्थिति का एक रिटर्न (return) प्रत्येक माह की 7वी, 15वीं, 23वी व महीने की अंतिम तिथि को प्रकाशित करे। इस प्रकार इसे साप्ताहिक रिटर्न प्रकाशित करने पड़ते हैं।

केन्द्रीय बैंक अत्यन्त प्रभावशील है—यद्यपि ड्यूश बुन्डेस-बैंक अपना काम करने के लिए पूर्णत स्वतन्त्र है किन्तु केन्द्रीय-बैंक एवं गणराज्य सरकार के मध्य सामंजस्य के लिए देश के आधारभूत मौद्रिक नीतियों के संबंध में सरकार बुन्डेस-बैंक के प्रेसिडेंट को आमन्त्रित करता है। फैडरल सरकार के पास अधिकार है कि वह केन्द्रीय-बैंक कौंसिल की सभाओं में भाग ले सके। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह इस

बैंक के किसी प्रस्ताव पर वोट दे सके। हाँ, सरकार अपने किसी प्रस्ताव को इस कौंसिल की सभा में विचारार्थ रख सकती है। इसके अतिरिक्त, सरकार को एक और अधिकार भी प्राप्त है। यदि सरकार चाहे तो इस कौंसिल द्वारा पास किए गये किसी प्रस्ताव को अधिक से अधिक दो सप्ताह के लिए स्थगित करवा सकती है (जैसे बैंक दर में परिवर्तन का प्रस्ताव, आदि)। इस प्रकार जर्मनी का केन्द्रीय बैंक—ब्यूश बेस बैंक पूर्णतः स्वतन्त्र है, सरकारी निर्देश आदि को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः इस प्रकार जैसा कि सेयर्स ने अपनी पुस्तक सेंट्रल बैंकिंग में कहा है कि, "इसके (ब्यूश बैंक के) संविधान ने और उस भावना ने, जिसके अनुसार कार्य किया जाता है, जर्मनी के केन्द्रीय बैंक को विश्व में सबसे अधिक स्वायत्तशासी संस्था बना दिया है" (The constitution as well as the spirit in which it is worked, makes the German central bank the most autonomous in the world)

---

1 *R S Sayers* Central Banking VII ed (1967) p 78

21
व्यापारिक बैंक

वर्तमान स्थिति

पश्चिमी जर्मनी में सन् 1969 के आरम्भ में 313 निजी-व्यापारिक बैंक थे जिनकी लगभग 4 400 शाखाएं थीं। इन बैंकों में लगभग 1 08,000 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। 1967 की तुलना में पश्चिमी जर्मनी में, इन व्यापारिक बैंकों की स्थिति नीचे की तालिका से स्पष्ट होती है—

सन् 1969 में, सन् 1967 की तुलना में व्यापारिक बैंक

वर्ष	संख्या	शाखाओं की संख्या
1967	355	3 850
1969	313	4 400

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सप्त-वर्षीय युद्ध के विध्वंसक प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से जर्मनी में सन् 1770 में बड़े भू-स्वामियों ने साख संस्थाओं की स्थापना के उद्देश्य से अपने एसोसियेशन बनाने प्रारम्भ कर दिए। इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि इन साख संस्थाओं से वे अपनी भूमि व अचल-सम्पत्ति के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकें। इन साख संस्थाओं ने बंधक बौंड निर्गमन करने आरम्भ कर दिए। ये बंधक पत्र इतने अधिक लोकप्रिय हुए कि ये एक प्रकार के बैंक नोटों की भांति चलने लगे। इतना ही नहीं अनेक व्यवहारों (transactions) के भुगतानों में भी इन्हें स्वीकार किया जाने लगा। इसी समय अनेक नगरों (जिनमें फ्रैंकफर्ट, कोलोन हैम्बर्ग आदि प्रमुख हैं) में निजी बैंकिंग गृह भी स्थापित होने लगे।

उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग मध्य में अन्य देशों की भांति जर्मनी में भी रेलों का विकास होने लगा जिसके परिणामस्वरूप उद्योग व्यापार, खनिज आदि क्षेत्रों में विकास होने लगा व साख व बैंकों की अधिक आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अतः इस अवधि में निजी बैंकों की सार्वजनिक-कम्पनियों (Public Companies) के रूप में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होने लगी। उस समय (उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में) अनेक बैंकिंग संस्थाएं स्थापित हुईं जिनमें तीन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और जो आज भी अस्तित्व में हैं। इन तीनों बैंकों के नाम व स्थापना के वर्ष इस प्रकार हैं—

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में स्थापित प्रमुख बैंक

बैंक का नाम	स्थापना का वर्ष
1 ड्यूश बैंक [Deutsche Bank]	1870
2 कामर्स बैंक [Commerz Bank]	1870
3 ड्रेस्डनर बैंक [Dresdner Bank]	1872

अब सन् 1879 में बैंकों के एकीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। इस वर्ष ड्यूश बैंक में 43 बैंकों का व ड्रेस्डनर बैंक में 41 बैंकों का विलीनीकरण हो गया।

प्रथम विश्व युद्ध-काल में जर्मनी में भयंकर मुद्रा प्रसार हुआ जिसके परिणाम स्वरूप बैंकिंग-व्यवस्था हिलने लगी। युद्ध के पश्चात् बैंकिंग-स्थायित्व के लिए अनेक प्रयत्न किए गये फिर सन् 1926 के बाद की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी ने बैंकिंग व्यवस्था को पुनः ठेस लगाई, और फिर बैंकों के एकीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई जिसके फलस्वरूप जर्मनी में पांच बड़े बैंकों के स्थान पर केवल 3 बड़े बैंक ही रह गये।

इसके पश्चात् द्वितीय विश्व-युद्ध की पराजय ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पुनः झकझोर दिया और जर्मनी का—पश्चिमी जर्मनी व पूर्वी जर्मनी में—विभाजन हो गया। जर्मनी की पराजय एवं विभाजन ने जर्मनी की बैंकिंग-व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन किए।

व्यापारिक बैंकों के कार्य

1 निक्षेप स्वीकार करना

पश्चिमी-जर्मनी के व्यापारिक बैंक भी, अन्य देशों के व्यापारिक बैंकों की भांति विभिन्न प्रकार के खातों में निक्षेप स्वीकार करते हैं। ये निक्षेप मुख्यतः तीन प्रकार के खातों में स्वीकार किए जाते हैं—चालू खाते, बचत खाते और अवधि खाते। ये बैंक इन निक्षेपों पर ब्याज भी देते हैं। निक्षेपों द्वारा इन बैंकों की कार्यशील पूंजी का एक बड़ा भाग प्राप्त हो जाता है। इन दिनों इन बैंकों के निक्षेपों की मात्रा में व ग्राहकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

2 ऋण देना

अल्पकालीन ऋण देने में पश्चिमी-जर्मनी के व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण योग है। एक अधिकृत-स्रोत के अनुसार गैर-बैंकिंग संस्थाओं (व्यापार उद्यम, निजी व्यक्तियों व पब्लिक अॉथारिटीज आदि) को दिए जाने वाले कुल अल्पकालीन ऋणों का लगभग 55% भाग ये व्यापारिक बैंक ही प्रदान करते हैं। ये अल्पकालीन ऋण प्राय 12 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। व्यापारिक बैंक इन ऋणों को अपने पास जमा की गई राशियों में से अथवा केन्द्रीय बैंक से विनिमय विपत्रों की पुनर्कटौती करवा के प्राप्त राशि में से प्रदान करते हैं। पश्चिमी जर्मनी की

अर्थव्यवस्था में निजी व्यापारिक बैंकों का महत्व उनके द्वारा प्रदान किए गए ऋण की मात्रा से स्पष्ट होती है। पश्चिमी-जर्मनी में कुल अल्पकालीन ऋणों का लगभग 55% भाग इन्हीं बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इन दिनों इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों में मध्यकालीन ऋण अधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। ये मध्यकालीन ऋण प्राय 1■ महीने से अधिक व 4 वर्ष की अवधि तक के होते हैं। इनके अतिरिक्त आजकल उपभोक्ता साख का महत्व भी बढ़ रहा है। उपभोक्ता साख का प्रमुख रूप है, उपभोग की वस्तु को क्रय करने के लिए ऋण। ऐसे उपभोग ऋण प्राय *DM20 000 तक के लिए व 60 महीनों* की अवधि के लिए दिए जाते हैं। इससे अधिक मूल्य वाली उपभोग वस्तुओं को क्रय करने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत ऋण भी दिए जाते हैं जिनकी अधिकतम सीमा DM2,000 है व अवधि 24 महीने तक होती है।

इनके अतिरिक्त ये बैंक दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। व्यापारिक बैंकों में दो व्यापारिक बैंक[1] ही मुख्यतः दीर्घकालीन ऋण देते हैं। अन्य सामान्य व्यापारिक बैंकों की तुलना में, ये बैंक एक और प्रकार से भी भिन्न हैं। ये बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य तो करते ही हैं किन्तु बंधक संबंधी व्यवसाय भी करते हैं। दीर्घकालीन ऋण देने के लिए कोषों की व्यवस्था के लिए इन बैंकों को बंधक बॉण्ड निर्गमन करने का अधिकार प्राप्त है।

3 प्रतिभूतियां क्रय करना

ये बैंक अपने स्वयं के खाते में प्रतिभूतियां क्रय भी करते हैं। इस प्रकार ये बैंक देश के उद्योग व व्यापार को अप्रत्यक्ष रूप में वित्त प्रदान करते हैं। जर्मनी में ग्राहकों को प्रतिभूतियों में व्यवहार करने के लिए ये व्यापारिक-बैंक विशेष सुविधा प्रदान करते हैं। प्रत्येक नगर में जहां स्टाक-एक्सचेंज हैं, वहां एक केन्द्रीय निक्षेप बैंक (Central depository bank) भी स्थापित कर दिया गया है, जिसे तकनीकी भाषा में Kassenverein कहते हैं। इसमें ऐसे ग्राहकों के लिए प्रतिभूतियां रखी जाती हैं जिन्होंने बैंक के साथ प्रतिभूतियों को सम्मिलित रूप से सुरक्षित रखने (joint safe custody) के लिए स्वीकृति दी है। यहां प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से उत्पन्न स्वामित्व का हस्तांतरण केवल लेखे प्रविष्टि (book entry) द्वारा ही कर दिया जाता है। इस प्रणाली में वास्तविक-प्रमाण-पत्रों को हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं होती।

4 औद्योगिक बॉण्डों आदि का निगमन

ये व्यापारिक बैंक उद्योग धन्धों की सहायता भी महत्वपूर्ण ढंग से करते हैं। इन बैंकों के माध्यम से औद्योगिक बॉण्डों व अंशों का निगमन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी-संस्थाओं के ऋण भी इन्हीं बैंकों के द्वारा निर्गमन किए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि जर्मनी में निगमित होने वाले प्राय सभी औद्योगिक

1 (i) The Bayerische Hypatheken und Wechsel Bank and,
(ii) The Bayerische Vereins Bank

बौन्ड और औद्योगिक-अंश इन्हीं बैंकों के द्वारा निर्गमन किया जाता है, और सरकारी व अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित किए जाने वाले ऋणों का अधिकांश भाग इन्हीं बैंकों के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। नीचे की तालिका में इन बैंकों की सहायता द्वारा सन् 1948 और 1967 की अवधि में तथा सन् 1968 और 1969 के दो वर्षों में अंश, औद्योगिक ऋण व सार्वजनिक ऋणों की मात्रा बतलाई गई है —

	(DM मिलियन में)	
	1948–1967	1968–1969
अंश (सम मूल्य)	22 000	3 000
औद्योगिक ऋण	11,000	1,000
सार्वजनिक ऋण	30 000	5 000

इन व्यापारिक बैंकों ने 1948 और 1967 की अवधि में DM 90 हजार मिलियन और सन 1968 व सन 1969 के दो वर्षों में DM 10 हजार मिलियन बैंकों में बौन्डों विशेषत बंधक बौन्डों व कम्यूनल-बौन्डों में विनियोग किये थे।

6 अन्य काम

उपरोक्त के अतिरिक्त ये निजी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को अन्य सामान्य सेवाएं भी प्रदान करते हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों के निर्देश पर धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तान्तरण करते हैं। अपने ग्राहकों के निर्देशन पर प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक अपने ग्राहकों की प्रतिभूतियों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उन पर ब्याज व लाभांश जब देय होता है तो अपने ग्राहकों की ओर से उन्हें एकत्रित करते हैं। ये बैंक अपने ग्राहकों की ओर से अभिदान के अधिकार को भी प्रयोग करते हैं, अर्थात् अपने ग्राहकों के आदेश पर अंशों आदि का अभिदान (subscription) करते हैं। जो ग्राहक अपने अंशों को बैंक को सुरक्षित रखने के लिए सौंपते हैं अधिकांश ऐसे ग्राहक (उन अंशों के अंशधारी) उन अंशों की कम्पनियों की साधारण सभाओं में अपनी ओर से वोट (Vote) देने का अधिकार भी हस्तान्तरित कर देते हैं। यह यहां की बैंकिंग-व्यवस्था की विशेषता है।

ये बैंक व्यापार तथा पूंजीगत व्यवहारों से सम्बंधित अन्तर्राष्ट्रीय-स्थानान्तरण करने के काय में महत्वपूर्ण भाग प्रदान करते हैं। जर्मन-गणतन्त्र संघ तथा अन्य देशों के मध्य समस्त व्यापारिक-व्यवहारों का लगभग 80 प्रतिशत भाग इन्हीं बैंकों के द्वारा खातों के माध्यम से (Through accounts) तय किये जाते हैं। इस प्रकार ये बैंक विदेशों को भुगतान करना, भुगतान प्राप्त करना, विदेशी मुद्रा में व्यवहार करना आदि भी काय करते हैं।

अर्थव्यवस्था में महत्व

पश्चिमी-जर्मनी गणराज्य के आर्थिक ढांचे में इन निजी व्यापारिक बैंकों का बहुत अधिक महत्व है। देश के लगभग 55 प्रतिशत अल्पकालीन ऋण इन्हीं बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। देश के लगभग 60 प्रतिशत मांग पर देय निक्षेप में

अवधि निक्षेप इन्हीं बैंकों के पास हैं। जर्मनी गणराज्य एवं अन्य देशों के मध्य लगभग 80 प्रतिशत व्यापारिक सौदों के भुगतान इन्हीं बैंकों के द्वारा निपटाये जाते हैं। ये तथ्य इन बैंकों का महत्व प्रदर्शित करते हैं।

'बड़े तीन' बैंक
(The "Big Three" Banks)

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जर्मनी में तीन बड़े बैंक थे। ये तीनों बैंक जर्मनी के काफी पुराने बैंक थे जिनके नाम व स्थापना के वर्ष नीचे दिए हुए हैं—

प० जर्मनी के तीन बड़े बैंक

बैंकों के नाम	स्थापना का वर्ष
1 ड्यूश बैंक (Deutsche Bank)	1870
2 कॉमर्स बैंक (Commerz Bank)	1870
3 ड्रेसडनर बैंक (Dresdner Bank)	1872

इस युद्ध में जर्मनी की पराजय हुई, और युद्ध के पश्चात् मित्र राष्ट्रों ने अनेक अधिनियम आदि बनाए। इन मित्र राष्ट्रों ने एक अधिनियम बनाया जिसके अन्तर्गत उपरोक्त तीनों बैंकों—ड्यूश बैंक, कॉमर्स बैंक और ड्रेसडनर बैंक—को नई 30 उत्तरवर्ती-संस्थाओं (successor institutions) में विभाजित कर दिया गया। इनमें से प्रत्येक उत्तरवर्ती संस्था अपने ही लैण्ड ('Land' means, a province or a state) में कार्य कर सकती थी। अतः प्रत्येक उत्तरवर्ती संस्था का कार्यक्षेत्र सीमित कर दिया गया। इस व्यवस्था से 'तीन बड़े बैंकों' के अंग भंग हो गये।

सन् 1952 में 'लॉ ऑन दि रिजनल स्कोप ऑफ क्रेडिट इन्स्टीट्यूशन्स'[1] पास किया गया। इस लॉ के अनुसार उपरोक्त 30 उत्तरवर्ती संस्थाओं को पुनः तीन इकाइयों (units) में परिवर्तित कर दिया गया।

सन् 1956 में एक नया कानून फिर पास किया गया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक उपरोक्त (तीन) बैंकों की उत्तरवर्ती संस्थाओं को पुनः तीन बैंकों में परिणत कर दिया गया। अतः ड्यूश बैंक ए जी (Deutsche bank A G[2]), कॉमर्स बैंक ए जी और ड्रेसडनर बैंक ए जी पुनः स्थापित किये गये। ये बैंक अब अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कम्पनी के रूप में संगठित किए गए। अब बैंक के अंशधारी हो जाने के कारण, कुछ ही व्यक्तियों का नियन्त्रण समाप्त हो गया और इन बैंकों के संगठन में विकेन्द्रीकरण की स्थिति, पहले की भाँति बनी रही।

प्रधान कार्यालय—उपरोक्त तीनों बड़े बैंकों के पृथक्-पृथक् प्रधान-कार्यालय हैं जो कि क्रमशः ड्यूशलडर्फ (Dusseldorf), हैम्बर्ग और फ्रैंकफर्ट नगरों में स्थित हैं। आजकल यह विचार जोर पकड़ रहा है कि इन तीनों बैंकों के *अलग अलग* प्रधान कार्यालय हटा दिए जाय और उनके स्थान पर उनका एक केन्द्रीय कार्यालय

1 The Law on the Regional Scope of Credit Institutions
2. A [illegible] = Aktiengesellschaft Company Limited by shares

(Central office) फ्रैंकफर्ट में स्थापित कर दिया गया। इस समय इन तीनों बैंकों के बर्लिन में सहायक बैंक (subsidiaries) हैं जो स्वतन्त्र रूप (independent) से काम कर रहे हैं।

शाखाएं—इन तीन बड़े बैंकों की जर्मनी गणराज्य व पश्चिम बर्लिन में अनेक शाखाएं व उपशाखाएं हैं। सन 1967 में इनकी (तीनों बैंकों की) शाखाओं व उपशाखाओं की संख्या 1,866 थी। अगले दो वर्षों में इनकी लगभग 450 शाखाएं व उपशाखाएं स्थापित हुईं। इस प्रकार सन 1969 में इन बैंकों की शाखाओं व उपशाखाओं की संख्या 2 318 हो गई। इनकी शाखाओं व उपशाखाओं की संख्या देखने से इन बैंकों की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक बैंक के 10 लाख से भी अधिक नियमित ग्राहक हैं।

कार्य—ये बड़े बैंक बैंकिंग संबंधी सभी कार्य करते हैं। इन बड़े बैंकों द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं —

(i) ये बैंक तीनों प्रकार के निक्षेप—चालू खाते में, अवधि खाते में व बचत खाते में—स्वीकार करते हैं। इन दिनों बचत खातों में निक्षेप तेजी से बढ़ रहे हैं।

(ii) यह अल्पकालीन (12 माह तक के) व मध्यकालीन (12 माह से अधिक व 4 वर्ष से कम के) ऋण प्रदान करते हैं।

(iii) अपने ग्राहकों के लिए अन्य ऋणों की व्यवस्था (arrange) करते हैं। इन दिनों ये बैंक ऐसे ऋण स्वयं भी देने लगे हैं।

(iv) ये बैंक अनेक बंधक-बैंकों की पूंजी में भी योगदान करते हैं।

(v) ये बैंक प्रत्येक प्रकार के व्यापार और प्रत्येक प्रकार के नागरिक से व्यवहार करते हैं।

इन बैंकों का पश्चिमी-जर्मनी की अर्थ-व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

22

जन-नियम के अन्तर्गत समामेलित साख संस्थाएं

(Credit Institutions Incorporated under Public Law)

साख व्यवस्था में महत्व व कार्य—जर्मनी गणराज्य की साख व्यवस्था में निजी बैंकों के साथ ही जन-नियम (public law) के अंतर्गत समामेलित साख संस्थाओं का भी महत्वशील स्थान है। बचत-संस्थाओं अर्थात् बचत-बैंकों (savings bank) और उनकी केन्द्रीय गिरो संस्थाओं (central giro institutions) ने जर्मनी के बैंकिंग क्षेत्र में पिछले 50 वर्षों में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

प्रारम्भ में, बचत-बैंक केवल बचत एकत्रित करने तथा बंधक व्यापार (mortgage business) में ही कार्य करते थे किंतु वर्तमान समय में वे व्यापारिक बैंकों के समान ही कार्य करने लगे हैं। ये बचत-बैंक, व्यापारिक बैंकों की भांति, चालू खातों, बचत खातों व अवधि निक्षेप खातों में निक्षेप-स्वीकार करते हैं, अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण प्रदान करते हैं व निजी व्यापारिक-बैंकों के अनेक कार्य करते हैं। प्राय: ये बैंक विदेशी विनिमय व प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य नहीं करते हैं और यदि कुछ बैंक ये कार्य करते भी हैं तो नगण्य।

वर्तमान स्थिति

सन् 1967 में जर्मन-गणराज्य में 862 बचत बैंक थे जिनकी लगभग 13,000 शाखाएं थीं। सन् 1969 तक इनकी संख्या में कमी हुई किंतु उनकी शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई। सन् 1969 में वहां 868 बचत-बैंक थे और उनकी लगभग 14,000 शाखाएं थीं। इन बचत बैंकों की संख्या व शाखाओं की संख्या देखने से ज्ञात होता है कि जर्मन-गणराज्य में बचत-बैंकों का बैंकिंग-क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। ये बचत-बैंक अपनी सीमाओं (boundaries) में ही कार्य करते हैं।

सन् 1968 के प्रारम्भ में जर्मन गणराज्य के समस्त बचत-बैंकों के चिट्ठों (Balance Sheets) का योग लगभग DM 1 50 000 मिलियन था जिसमें DM 1,05,000 मिलियन बचत निक्षेप द्वारा प्राप्त किये गये थे। ये बैंक दीर्घ कालीन ऋण भी देते हैं, जैसे भवन निर्माण के लिए ऋण अथवा स्थानीय ऑथेरिटीज के पूंजीगत व्ययों के लिए ऋण। इन बैंकों द्वारा दीर्घकालीन व अल्पकालीन दिये गये ऋणों की मात्रा इस प्रकार थी।

ऋण के प्रकार	1967 के आरम्भ में (मिलियन DM)	1969 के आरम्भ में (मिलियन DM)
दीर्घकालीन ऋण	52,000	68 000
अल्प तथा मध्यकालीन ऋण	16,000	23 000

गिरो संस्थाएँ (Giro Institutions)

जर्मन गणराज्य में बचत बैंकों की केन्द्रीय संस्था को गिरो कहते हैं। इन गिरो के द्वारा ये बचत बैंक मुद्रा रहित (Cashless) भुगतान के व्यवहार (अर्थात् लेखा-पुस्तकों में प्रविष्टि entry द्वारा) निपटाते हैं। बचत बैंक व उनके केन्द्रीय गिरो संस्थाओं ने मुद्रा रहित धन स्थानान्तरण प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। कुछ अपवादों के अतिरिक्त ये जन नियम के अन्तर्गत समामेलित हुई हैं।

जर्मन-गणराज्य में सन् 1969 के आरम्भ में 12 केन्द्रीय गिरो संस्थाएँ थीं जो जन नियम साख संस्थाएँ (Public Law Credit Institutions) हैं। ये गिरो संस्थाएँ अपने क्षेत्र के बचत-बैंकों के लिए केन्द्रीय बिन्दु का कार्य करती हैं क्योंकि ये गिरो इन बचत बैंकों के तरल शेषों (liquid balances) का प्रबंध करते हैं और सेवा-व्यवहारों (service transactions) को व मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय हस्तान्तरण का कार्य करते हैं। ये गिरो संस्थाएँ अपने से सबद्ध (associated) बैंकों के तरल-कोषों के लिए एक भंडार (reservoir) के रूप में कार्य करती हैं, अतः जर्मनी के मुद्रा बाजार में इन गिरो का महत्वपूर्ण स्थान है, ये संस्थाएँ में मिलने जुलने हुए हैं।

ये संस्थाएँ बॉडों का निर्गमन नहीं करती हैं। इनकी एक प्रमुख संस्था[1] ने वर्ष सन् में स्थित है जिसे सन् 1956 से बॉडों के निर्गमन का अधिकार दे दिया है। यह अधिकार इन का एक प्रमुख कारण है। बॉन्ड-निर्गमन के द्वारा यह दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकता है और सहकारी क्षेत्र की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

विशिष्ट बैंक
(The Specialised Banks)

1 बंधक बैंक

उपरोक्त बैंकों के अतिरिक्त जर्मनी में कुछ विशिष्ट बैंक व विशेष संस्थाएँ भी हैं। जो बैंक विशेष प्रकार के कार्य करते हैं उन्हें विशिष्ट बैंकों की श्रेणी में माना जा सकता है।

इन विशिष्ट बैंकों में बंधक-बैंक (Mortgage banks) आते हैं। ये बंधक बैंक भी दो वर्गों में रखे जा सकते हैं—निजी बंधक बैंक और सार्वजनिक बंधक बैंक। पश्चिमी जर्मनी में इन बैंकों की संख्या इस प्रकार है।

---

1 The chief institution in the co-operative system is the Deutsche Genossenschaftskasse in Frankfurt on Main

बंधक-बैंकों की संख्या

बंधक बैंकों के प्रकार	1968	1970
सार्वजनिक बंधक बैंक	14	18
निजी बंधक बैंक	29	29

ये बैंक वास्तविक संपत्ति के अधिकार (real estate liens) अथवा स्थानीय अधिकारियों (local authorities) द्वारा प्रदत्त प्रतिभूति पर दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इनमें से 5 बैंक ऐसे हैं जो जलयान निर्माण के लिए मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋण देते हैं।

निजी व सार्वजनिक बंधक बैंक, दोनों ही मुख्यतः बंधक बॉंड अथवा व्यापारिक बॉंडों को विक्रय करके अपने वित्तीय साधन जुटाते हैं। पश्चिमी जर्मनी में समस्त प्रचलित बॉंडों में लगभग एक तिहाई बॉंड इन्हीं बैंकों के द्वारा निर्गमित बॉंड हैं। ये बैंक भवन निर्माण के अर्थ प्रबंधन और स्थानीय अधिकारियों (authorities) के ऋण की व्यवस्था भी करते हैं। पश्चिमी-जर्मनी में आवास-सम्पत्ति (Residential Property) पर बंधक करके जितने ऋण लिए गये हैं, उनमें लगभग 2/5 भाग इन्हीं बैंकों द्वारा दिए गये हैं।

47 निजी व सार्वजनिक बंधक-बैंकों की स्थिति 31 दिसम्बर 1968 को इस प्रकार थी—

दीर्घकालीन ऋण	DM 91,400	मिलियन
बॉंड प्रचलन में	DM 45 900	मिलियन
पूंजी व रिजर्व	DM 2,800	मिलियन

2 निर्माण एवं ऋण पार्षद
(Building and Loan Associations)

ये पार्षद विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं। ये व्यक्तियों को निवास-स्थानों के लिए ऋण देते हैं। पश्चिमी-जर्मनी में सन् 1966 में ऐसे पार्षदों की संख्या 30 थी, सन् 1968 में इनकी संख्या 29 रह गई। इनमें 16 निजी-पार्षद थे और 14 जन कानून के अंतर्गत स्थापित पार्षद थे, सन् 1968 में इनकी संख्या क्रमशः 15 और 14 थी।

ये पार्षद सामूहिक बचत के सिद्धान्त पर अपने निक्षेपकर्त्ताओं को ऋण देते हैं। निक्षेप-कर्त्ता अपनी बचत को पार्षद के यहां अपने खाते में एक न्यूनतम राशि एकत्र कर लेता है। एक निश्चित अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात निक्षेप-कर्त्ता को उसकी बचत की राशि और बंधक ऋण दे दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे, विशेष परिस्थितियों में अंतरिम वित्त भी प्रदान कर दिया जाता है। इन दिनों निर्माण कार्यों के लिए पश्चिमी-जर्मनी में, अन्य प्रकार की संस्थाएं भी ऋण प्रदान करने लगी हैं। सन् 1966 के अन्त में इन 30 पार्षदों ने लगभग DM 20 000 मिलियन के ऋण प्रदान किये थे जबकि सन् 1968 के अन्त में इन

29 पासदा ने भवन निर्माण के लिए लगभग DM 24,000 मिलियन के ऋण दिए थे। इन पासदा के पास भावी भवन निर्माणकर्ताओं के सन् 1966 के अंत में DM 26,000 मिलियन के निक्षेप (deposits) थे जो सन् 1968 के अंत में बढ़ कर DM 31,000 मिलियन हो गये। इससे ज्ञात होता है कि पश्चिमी जर्मनी में निर्माण एवं ऋण-पासद लोकप्रिय होते जा रहे हैं।

3 किश्त विक्रय वित्त गृह
(Instalment Sales Finance Houses)

ये पश्चिमी-जर्मनी में उपभोक्ताओं को साख प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाएं हैं। ये जर्मनी में नई संस्थाएं हैं। इनका विकास द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद ही हुआ है। इस समय (1970 में) पश्चिमी जर्मनी में लगभग 200 किश्त विक्रय वित्त गृह हैं जो उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं। इन संस्थाओं के द्वारा उपभोक्ताओं को वित्त प्रदान करने के प्राय तीन प्रमुख तरीके प्रचलित हैं—

(i) 'A'—टाइप व्यवसाय—इस प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता को प्रत्यक्ष (direct) रूप में साख प्रदान कर दी जाती है। इसमें विक्रेता अलग रहता है और उसका हस्तक्षेप नहीं होता।

(ii) B—टाइप व्यवसाय—इस प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता को ऋण तो प्रदान किया जाता है किंतु विक्रेता के सम्मिलित दायित्व पर। दूसरे शब्दों में उपभोक्ता को विक्रेता के सम्मिलित दायित्व के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता है।

(iii) "C'—टाइप व्यवसाय—मोटर-कार अथवा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ऋण प्रदान किये जाते हैं। ये ऋण विनिमय विपत्रों (bills of exchange) के आधार पर दिए जाते हैं।

कार्यशील पूंजी—ये वित्त गृह अपने कोष अन्य साख संस्थाओं से प्राप्त करते हैं। चालू खाता और अवधि खातों में ये वित्त गृह अन्य साख संस्थाओं से निक्षेप प्राप्त करते हैं। सन् 1968 के अंत में इन वित्त गृहों के पास अन्य साख संस्थाओं के लगभग DM 3,700 मिलियन जमा थे, जबकि इन वित्त गृहों की पूंजी व रिजर्व DM 500 मिलियन थी।

सन् 1950 के प्रारम्भ में किश्त विक्रय वित्त गृह, उपभोक्ताओं को अग्रिम (Advances) देने में अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। उस समय वे केवल B'—टाइप और 'C'—टाइप व्यवसाय करते थे। किन्तु बाद में, व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण एवं व्यक्तिगत क्रय ऋण देने लगे। अतः इन वित्त-गृहों ने भी 'A'—टाइप व्यवसाय करना प्रारम्भ कर दिया। आजकल इन वित्त गृहों द्वारा उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले ऋणों के लगभग 60% ऋण 'A'—टाइप के ही होते हैं।

4 विनियोग-ट्रस्ट
(Investment Trusts)

पश्चिमी-जर्मनी में विनियोग-ट्रस्टों की स्थापना युद्धोपरांत काल में हुई। इन

विनियोग ट्रस्टो की स्थापना विभिन्न बकिंग सिंडीकेटो द्वारा की गई। सन् 1966 मे वहा 25 ऐसे ट्रस्ट फ ड थ जिसका प्रब ध 9 प्रब ध-ट्रस्टो (managing trusts) द्वारा किया जाता था, सन् 1969 मे इनकी सख्या क्रमश 35 और 12 हो गई।

ये विनियोग-ट्रस्ट मिश्रित जोखिम (mixed risk) के सिद्धात पर काय करते हैं। ये ट्रस्ट जमनी की प्रथम श्रेणी की कम्पनिया मे व्यवहार करत हैं, कि तु कुछ ट्रस्ट विदेशो मे स्थित कम्पनिया के अ श और निश्चित-ब्याज वाली प्रतिभूतिया भी रखते है। इतना ही नहीं इन गिरो सस्थाओ ने अ तर्राष्ट्रीय पू जी बाजार म भी क्रियाशील होना प्रारम्भ कर दिया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ये गिरो सस्थाए स्थानीय अधिकारिया (authorities) के लिए एव गणतत्र जिस के बकर के रूप म भी काय करती हैं। वे बचत-बको की भाति काय करती हैं।

बचत बको के अ चल म एक केन्द्रीय-सस्था भी है जिसका नाम ड्यूश गिरो सैंट्रल अर्थात् ड्यूश कौम्यूनल बक ऑफ फ क्फट (Deutsche Kommunal Bank of Frankfurt) है। यह क्षेत्रीय केन्द्रीय गिरो सस्थाओ के बडे निक्षेपो का प्रब ध करता है। स्थानीय अधिकारियों क ऋणो की पूर्ति करन के लिए, यह बौंडा का निगमन भी करता है। सन् 1968 के अ त मे इस गिरो सट्रल के चिट्ठे (balance sheet) का याग DM 12,000 मिलियन था।

औद्योगिक व कृषि साख सहकारिताए

पश्चिमी जमनी गणराज्य मे औद्योगिक साख सहकारिताए छोटे एव मध्यम कालीन उद्योगा की सहायता करती हैं। वहा औद्योगिक-साख सहकारिताओ को 'वोल्क्स बकन (Volksbanken) कहते हैं, जिसका अथ है 'जन बक' (Peoples Banks)। ग्रामीण क्षेत्र मे कृषको को आर्थिक सहायता दने के लिए कृषि साख-सहकारिताए है, जिन्हे 'रफैसन-कसन' (Raiffeisen Kassen) कहत है। प्रसिद्ध रफसन नाम के व्यक्ति के नाम के आधार पर इन्ह रफैसन-कसन कहा जाता है। इन सहकारिताओ की स्थिति इस प्रकार है—

प० जमनी म साख सहकारिताए

	1967	1969
औद्योगिक साख सहकारिताए	750	745
कृषि साख सहकारिताए	8 000	9 000

काय

ये साख सहकारिताए चालू खातो म जनता एव सदस्यो स निक्षेप (deposits) प्राप्त करती हैं। इनके वित्तीय साधनो मे ये निक्षेप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सन् 1967 मे इन सहकारिताओ के पास DM 20 000 मिलियन के निक्षेप थे, जो सन् 1969 म बढकर DM 28,000 मिलियन हो गये।

इन साख सहकारिताओं के पास पूँजी व कोष मिलाकर सन् 1967 में DM 1,800 मिलियन थे जो सन् 1969 में DM 2,400 मिलियन हो गये।

ये सहकारिताएँ केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती हैं। इनके सदस्य प्राय दस्तकार (craftsmen), कारीगर, व्यापारी, छोटे उद्योगपति व कृषक होते हैं। ये सहकारिताएँ अल्पकालीन व मध्यकालीन ऋण देती हैं। दीर्घकालीन ऋण नहीं देती हैं। सन् 1967 में इन्होंने DM 12,700 मिलियन के ऋण दिए जबकि सन् 1969 में DM 28 000 मिलियन के ऋण दिये। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इन सहकारिताओं द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सन् 1967 की तुलना में सन् 1969 में ऋणों की मात्रा में दो गुने से भी अधिक वृद्धि हुई।

ये सहकारी साख समितियाँ, विशेषत कृषि-साख सहकारिताएँ अवैतनिक आधार पर कार्य करती हैं।

साख सहकारिताओं के मध्य समाशोधन (Clearing) का कार्य करने के लिए, सन् 1970 में पश्चिमी जर्मनी में 17 औद्योगिक व कृषि केन्द्रीय-संस्थाएँ थीं।

जापान की बैंकिंग प्रणाली
(Banking System in Japan)

23

जापान की वित्तीय संस्थाएं : एक दृष्टि मे

जापान म वित्तीय-सस्थाओ का विस्तृत अध्ययन करने के पूव, यहा उनकी, सवप्रथम स्थिति जान लेना आवश्यक है। अध्ययन की दृष्टि स उन्हे तीन वर्गों म बाटा गया है—केन्द्रीय बैंक, निजी वित्तीय सस्थाए और सरकारी वित्तीय सस्थाए। सामने उनकी सख्या (जनवरी, 1, 1970 को) बनलाइ गई है।

A केन्द्रीय बक
(Central Bank)

1 दि बक आफ जापान

B निजी वित्तीय सस्थाए
(Private Financial Institutions)

1 व्यापारिक बक

- a सिटी बक 14
- b लोकल बैंक 61
- c विदेशी बैंक 18

2 विशिष्ट वित्तीय सस्थाए

(i) दीघकालीन साख की वित्तीय सस्थाए—

- a दीघकालीन साख बक 3
- b ट्रस्ट बक 7

(ii) छोटे व्यापार के लिए वित्तीय सस्थाए—

- a पारस्परिक ऋण एव बचत बक
- b नशनल फडरेशन ऑफ क्रडिट ऐसासियशन (साख-ऐसोसियेशस 550)
- c नशनल फडरेशन ऑफ क्रडिट को आपरेटिव्ज (साख-सहकारिताए 543)
- d सट्रल बैंक फार कमशियल एण्ड इडस्ट्रियल को आपरटिव्ज (क्रडिट गारटी निगम 51)

(iii) कृषि आदि के लिए वित्तीय सस्थाए—

- a सट्रल को आपरेटिव बक फार एग्रीकल्चर एण्ड फारस्ट्री
- b एग्रीकल्चर क्रडिट गारटी ऐसासियशन

(iv) अन्य वित्तीय संस्थाए —

a बीमा कम्पनियां 20
b माल पर देय ऋण के व्यापारी 6
c प्रतिभूति वित्त निगम 3
d प्रतिभूति कम्पनियां 275

C सरकारी वित्तीय संस्थाए
(Govt Financial Institutions)

1 बैंक
a दि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान
b दि जापान डवलपमेंट बैंक।

2 सार्वजनिक निगम
a हाऊसिंग लोन कॉरपोरेशन
b होक्काइडो—टोहोकू कारपोरेशन
c मेडिकल केयर फसिलिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन

3 अन्य वित्तीय संस्थाए
a वित्तीय विशिष्ट खाते
(i) ट्रस्ट फंड ब्यूरो
(ii) डाकघर जीवन-बीमा और
डाकघर वार्षिकी विशेष खाता
(iii) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल एकाउन्ट।

24

जापान मे बैंकिग विकास

(एक ऐतिहासिक विवेचना)

जापान का परिचय— सुदूर पूव के देश। म जापान अत्यत महत्वपूए देश है। इसने औद्योगिक क्षेत्र म आश्चयजनक उन्नति की है, इसकी रेलें आदश हैं, जलयान उद्योग अत्यत विकसित एव बडा है। गत 20 वर्षों म जापान की औद्योगिक उत्पादन की गति विश्व म सबस तज रही है, जिसकी पृष्ठभूमि म मौद्रिक-स्थायित्व का महत्वशील योग रहा है।

जापान की अथव्यवस्था म जबत्सु' (Zaibatsu) का अत्यत महत्वशील योग रहा है। य जबत्सु परिवार-ट्रस्ट (family trusts) हात हैं। परिवार-ट्रस्ट अलग अलग विभागा म सगठित होता है और प्रत्येक विभाग विशिष्ट प्रकार का व्यवसाय करता है। य विभाग कभी-कभी सीमित दायित्व वाली कम्पनियो, जसे बक बीमा-कम्पनिया, जलयान कम्पनी, निर्माण (manufacturing) कम्पनिया या व्यापारिक कम्पनियो आदि के रूप में सगठित कर दिये जात हैं। जबत्सु के स्वय क बैंक भी होत हैं, जिनम से कुछ की गणना विश्व के सबसे बडे बैंको म की जाती है, जसे मित्सुबिशी बैंक का विश्व के सबसे बड बका मे इक्कीसवा स्थान है सुमितामा बक का तईसवा स्थान और मित्सुई बक का 43 वा स्थान है।

जापान म सवशक्तिमान ट्रस्ट तीन हैं—मित्सुबिशी, सुमितोमो व मित्सुई। ये तीना परिवार-ट्रस्ट हैं जिन्हे जबत्सु कहते हैं। इन परिवार-ट्रस्टो की विभिन्न रूप से उत्पत्ति हुई है, इनके काय के तरीके भी अलग-अलग है किंतु शक्ति की दृष्टि से लगभग समान हैं। इन ट्रस्टा की सकडो कम्पनियाँ काय कर रही हैं। इनके अतिरिक्त अनक कम महत्वशील ट्रस्ट भी है, जस असानो हत्तारी, हिताची, ओकुरा, यसुदा, यावाता आदि।

जनसख्या की दृष्टि से विश्व म जापान का पाचवा स्थान (चीन, भारत, सोवियत रूस, स रा अमेरिका और जापान) है। जापान की राजधानी टोकियो (Tokyo) है जो विश्व का सबसे बडा नगर है। ओसाका, नागोया, क्याटो, याकोहाया व काबे आदि जापान के अन्य प्रमुख नगर है। द्वितीय विश्व युद्ध मे जापान को भी बहुत क्षति हुई, सामान्य जीवन-व्यवस्था, औद्योगिक-व्यवस्था व आर्थिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, किंतु युद्धोपरात काल मे पुन द्रुत गति से

विकास किया जो आश्चर्यजनक है। इस विकास के युग में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त, जापानियों के हित शक्ति तथा देश के प्रति निष्ठा भी महत्वपूर्ण है।

अर्थ-व्यवस्था का विकास—गत 100 वर्षों के प्रारम्भिक वर्षों में जो आर्थिक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए उनमें जापान का महान शक्ति के रूप में अभ्युदय भी एक है। आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में जापान की जो उपलब्धियाँ थीं उनसे पश्चिम के अनेक लोग इतने आश्चर्यचकित थे कि उन्हें इसकी कोई बुद्धिगम्य व्याख्या नहीं मिलती थी। उनमें से कभी कुछ लोग जापानियों के इस इतिहास को नकल द्वारा निर्मित बताते कि उनकी नव अर्जित गरिमा का भेद रहस्यवाद को है जबकि कुछ लोग जापान की प्रगति को अदृश्य पश्चात्य का परिणाम मानते हैं।

शताब्दियों तक अविकसित सामन्तशाही में रहने वाली जापानी जनता के विकसित मुद्राओं की तरह से अपनी व्यावहारिक महत्वाकांक्षाओं के प्रति सहसा जागरूक हो जाने की प्रचलित धारणा सत्य से कोसों दूर है। पश्चिमी राष्ट्र जापान का जिस ऊर्जा और आर्थिक महत्वाकांक्षा से उन्मुख हुए वह जापानियों को अचानक ही प्राप्त नहीं हुई। अपने इतिहास में सदा ही उन्होंने नए विचारों और प्रणालियों को तत्परता से आत्मसात करने और बड़ी-बड़ी आयोजनाओं को कार्यान्वित करने की प्रतिभा दिखाई है। इससे भी बढ़कर उन्होंने संगठन के लिए अपनी हुई और बहुधा प्रयुक्त की गई क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त जापान को अपने विगत युग से कुछ ऐसी राजनीतिक व आर्थिक संस्थाएं विरासत में मिलीं जो सरलता से राष्ट्रीय नव निर्माण के नवीन कार्य के लिए अपनाई जा सकीं।

मेइजी पुनःस्थापन (Meiji Restoration) 1868 के परिणामस्वरूप जापान के ऐतिहासिक-युग में एक मोड़ आ गया और जापान की अर्थ-व्यवस्था के द्रुतविकास के पथ में डाल दिया। मेइजी-युग के पूर्व वहाँ की अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। मेइजी सरकार ने देश के बहुमुखी एवं दृढ़ विकास के लिए मौद्रिक-सुधार करने की आवश्यकता समझी। अतः सन् 1871 में सरकारी टकसाल की स्थापना की गई और न्यू करेन्सी एक्ट पास किया गया जिसके परिणामस्वरूप द्विधातुमान स्थापित किया गया। येन, सेन व रिन की दाशमिक-मुद्रा प्रणाली अपनाई गई।

मेइजी-सरकार की नीति आधुनिक बैंकों की स्थापना की अतः सन् 1869 में विनिमय कम्पनियाँ स्थापित की गईं जोकि बैंकिंग संस्थाएं थीं और जिन्हें पत्रमुद्रा निर्गमन का अधिकार प्राप्त था।

नेशनल बैंकों की स्थापना—जनता का उपरोक्त विनिमय-कम्पनियों के प्रति अविश्वास होने के कारण ये कम्पनियाँ फेल हो गईं। अब राजकुमार इतो (Ito) के परामर्श से *नेशनल-बैंकिंग की अमेरिकी प्रणाली* को उन व्यक्तियों के विरोध के होते हुए भी आरम्भ माना गया जो केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली के पक्ष में थे। सन् 1872 में नेशनल-बैंक एक्ट पास किया गया जिसमें सन् 1876 में संशोधन किया गया। सन् 1879 तक वहाँ 153 नेशनल बैंक स्थापित हो चुके थे। अधिकांश नेशनल बैंक

छोटे थे जिनकी पूंजी 2 लाख येन व इससे कम थी। ये बैंक जनता के निक्षेप आकर्षित नहीं कर सके।

केन्द्रीय बैंक की स्थापना—आठवीं दशक (सन् 1880) से विरासत में मिली हुई अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का विमोचन एवं स्वर्ण व रजत का एक ऐसा कोष स्थापित करना आवश्यक हो गया जो नये परिवर्तनशील पत्र मुद्रा निगमन करने के लिए आधार हो सके। सितम्बर 1881 में काउंट मत्सुकाता ने अपने एक ज्ञापन में यूरोपीय ढंग के एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना करने पर जोर दिया। अगले मास ही मत्सुकाता को वित्त मंत्री बना दिया गया, अतः उन्होंने अपने प्रस्तावों का कार्यान्वन करने के लिए प्रयत्न आरम्भ कर दिए। और मार्च 1882 में बैंक आफ जापान, की स्थापना का प्रस्ताव, प्रधान मंत्री द्वारा पास कर लिया गया और इसी वर्ष देश में केन्द्रीय-बैंक के रूप में बैंक आफ जापान की स्थापना हो गई।

व्यापारिक बैंकों का विकास—सन् 1870 के आरम्भिक वर्षों में निजी बैंकों की स्थापना की प्रवृत्ति देखी गई और बैंकिंग व्यवसाय को करने वाली अनेक कम्पनियां स्थापित होने लगीं। इन कम्पनियों को 'बैंकों के सदृश कम्पनियां' कहा जाता था, क्योंकि नेशनल बैंक एक्ट के अनुसार 'बैंक' शब्द का प्रयोग केवल नेशनल बैंक ही कर सकते थे। बाद में नाम से सम्बन्धित यह प्रतिबन्ध हटा लिया गया, जिसके फलस्वरूप बैंकों के सदृश कम्पनियों ने अपने नाम में 'बैंक' शब्द जोड़ लिया अतः निजी बैंकों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई।

सन् 1879 में नए नेशनल बैंकों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, अतः निजी बैंकों की स्थापना को और प्रोत्साहन मिला। अतः बैंक एक्ट 1889 के पास होने के ठीक पूर्व जापान में निजी बैंकों की संख्या 218 थी और बैंकों के सदृश कम्पनियों की संख्या 695 थी।

बैंक एक्ट 1889 (जो सन् 1893 से लागू हुआ) ने व्यापारिक बैंकों की स्थापना को और प्रोत्साहन दिया जिनकी संख्या सन् 1901 में 1870 हो गई। सन् 1893–1901 की अवधि में इन बैंकों में निक्षेप लगभग 9 गुने बढ़ गये।

सन् 1901 के बाद इनकी संख्या में कमी होने की प्रवृत्ति हुई जो प्रथम विश्व युद्ध तक चलती रही। सन् 1920 के पश्चात् इन बैंकों में एकीकरण की प्रवृत्ति आरम्भ हुई। सन् 1920 में बैंक-एक्ट में फिर संशोधन किए गये जिनके अनुसार बैंकों का एकीकरण का कार्य सरल हो गया। सन् 1921 से 1926 तक की अवधि में बैंकों की संख्या में काफी कमी हो गई और 1926 में बैंकिंग ढांचा पुनः लड़खड़ाने लगा।

अतः सरकार ने बैंक अधिनियम (Bank Act) 1889 को निरस्त कर दिया और उसके स्थान पर बैंक-कानून (Bank Law) 1927 पास किया गया जो जनवरी 1928 से क्रियाशील हुआ। इस कानून ने समस्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अनिवार्य कर दी। यह प्रावधान उस समय मौजूदा बैंकों पर भी लागू कर दिया गया अतः कमजोर बैंक या तो बन्द कर दिए गये अथवा अन्य बैंकों में उनका

एकीकरण हो गया। सन् 1926 में जापान में बैंकों की संख्या 1420 थी जिनकी संख्या 1931 में 683 और 1936 में 418 ही रह गई। इस कानून ने बैंकों का अन्य व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा उन पर निरीक्षण का कार्य और कड़ा कर दिया।

द्वितीय विश्व युद्ध काल में बैंकों की संख्या में और कमी हुई। सन् 1937 में इनकी संख्या 377 थी जो सन् 1945 में 61 ही रह गई। यद्यपि इनकी संख्या में कमी हुई किन्तु इनके व्यवसाय में बहुत ही वृद्धि हुई। इस अवधि में अनेक कानून आदि, बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए बनाये गये।

बचत बैंकों का विकास—जापान में व्यापारिक-बैंकों के विकास के साथ-साथ बचत बैंकों का भी विकास हुआ। सन 1874 में सरकार ने रेगुलेशन फार सेविंग्ज कानून बनाया जिसके फलस्वरूप डाकघरों में बचत निक्षेप का कार्य आरम्भ हुआ और साथ ही इस कार्य को करने के लिए निजी संस्थाएं भी स्थापित हुईं। सन् 1880 में जापान में प्रथम विशिष्ट बचत-बैंक की स्थापना हुई। ये बैंक योरोप व अमरिका के बचत-बैंकों के नमूने (model) पर स्थापित किये गये। सन् 1883 तक इनकी संख्या 21 हो गई। ये बैंक अधिकांशतः साहूकारों द्वारा स्थापित किये गये और इनका प्रबंध खराब था अतः सरकार ने इनकी स्थापना पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर सन् 1890 में सेविंग्ज बैंक एक्ट पास किया गया जिसमें सन् 1895 में संशोधन किये गये। सन् 1901 में ऐसे बैंकों की संख्या लगभग 440 थी।

सन् 1921 में सेविंग्ज बैंक लॉ बनाया गया जो जनवरी 1922 से लागू किया गया। इस प्रकार पुराना सेविंग्ज बैंक एक्ट खत्म हो गया। नये कानून में इन बैंकों की न्यूनतम पूंजी निर्धारित कर दी, उनके कार्यों को सीमित कर दिया और कोषों के उपयोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। इस नये कानून के फलस्वरूप अनेक सेविंग्ज-बैंक व्यापारिक बैंकों में परिवर्तित हो गये या आपस में एकीकरण करने लगे। उनकी संख्या 1921 में 636 थी जो घटकर सन् 1936 में 72 रह गई।

विशिष्ट बैंकों का विकास—मेइजी सरकार ने अपने आरम्भिक काल में ही विशिष्ट-बैंक (special banks) स्थापित करने पर विचार किया था। केन्द्रीय-बैंक से पृथक एक औद्योगिक बैंक की स्थापना आवश्यक समझी गई क्योंकि यह विचार था कि केन्द्रीय बैंक केवल व्यापारिक बैंकों के केन्द्रीय बिन्दु के रूप में ही कार्य करे। इसी प्रकार कृषि विदेशी विनिमय आदि के लिए भी विशिष्ट बैंक स्थापित करने पर विचार किया गया। विशिष्ट बैंकों में से कुछ का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) योकोहामा स्पीशी बैंक (Yokohama Specie Bank)—इस बैंक की स्थापना सन् 1880 में की गई जिसमें सरकार ने बैंक की पूंजी में अभिदान किया। सन 1887 में 'योकोहामा स्पीशी बैंक एक्ट' पास किया गया जिसके फलस्वरूप इन बैंकों की स्थिति और मजबूत हो गई और इसको विशिष्ट-बैंक (special banks) की श्रेणी में रख दिया। इस बैंक को विदेशी विनिमय कार्य करने का

एकाधिकार सा दे दिया गया। सन 1947 में इस बैंक को बंद घोषित कर दिया गया और इसके उत्तराधिकारी के रूप में बैंक ऑफ टोकियो एक व्यापारिक-बैंक के रूप में स्थापित किया गया।

(ii) हाइपोथेक बैंक ऑफ जापान (Hypothec Bank of Japan)—इस बैंक की स्थापना सन् 1897 में एक पृथक कानून (Hypothec Bank of Japan Law 1896) के अधीन की गई। इस बैंक की स्थापना वास्तविक संपत्तियां (real estates) की प्रतिभूति पर दीर्घकालीन ऋण देने के लिए का गई। इसको ऋण पत्र निर्गमन का भी अधिकार दिया गया। कृषि व उद्योगों के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस बैंक की स्थापना की गई थी।

सन् 1921 में एक कानून का निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत जापान के कृषि व औद्योगिक बैंकों को हाईपोथेक बैंक में एकत्रीकरण का अधिकार दे दिया गया। इसके फलस्वरूप सन् 1921 में और फिर सन् 1927 में अनेक औद्योगिक व कृषि बैंकों का उस बैंक में एकत्रीकरण हो गया।

सन् 1948 में एक कानून के द्वारा निश्चित किया गया कि ये स्पेशल बैंक्स या तो व्यापारिक बैंक अथवा ऋण-पत्र निर्गमन करने वाली संस्था के रूप में अपने आपको बदल लें। अतः सन् 1950 में हाइपोथेक बैंक ने अपने आपको व्यापारिक बैंक के रूप में बदल लिया। इस प्रकार इस बैंक का हाइपोथेक-बैंक के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया।

(iii) होकैडो कोलोनियल बैंक—(Hokkaido Colonial Bank)—सन् 1899 में होकैडो कोलोनियल बैंक ला बनाया गया जिसके अंतर्गत सन् 1900 में इस बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक वास्तविक संपत्ति पर दीर्घकालीन ऋण देता था और होकैडो द्वीप समूह के विकास के लिए विशेषरूप से ऋण देता था। सन् 1950 में यह बैंक भी व्यापारिक बैंक के रूप में परिणत हो गया।

(iv) इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान—सन् 1900 में इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान ला पास किया गया जिसके अंतर्गत सन् 1902 में यह बैंक स्थापित हुआ। यह दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण व ऋण-पत्र निर्गमन करने वाला बैंक था। यह भी आशा की गई थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति यह बैंक देश में ट्रस्ट-व्यवसाय को प्रोत्साहित करेगा और विदेशी पूंजी के आयात को आकर्षित करेगा। इस बैंक ने अनेक उद्योगों को विशेषतः रेशम उद्योग व रासायनिक उद्योग को ऋण दिए। जापान में सन् 1923 के महान् भूकम्प के पश्चात् और 1927 की आर्थिक मंदी में छोटे उद्योगों को भी सहायता दी। सन् 1950 में यह बैंक भी व्यापारिक बैंक के रूप में परिणत हो गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त जापान में उद्योग, कृषि, वन-कर्म, मछली-कर्म की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए अनेक संस्थाएं स्थापित की गईं।

युद्धोत्तरकाल की अन्य वित्तीय संस्थाएं

सन् 1947 में पुनर्निर्माण वित्त-बैंक की स्थापना की गई जिसने सन् 1949 में अपना कार्य करना स्थगित कर दिया और 1952 में इस बैंक का समापन हो गया। युद्धोत्तर काल में निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं की स्थापना उल्लेखनीय है—

(i) पीपिल्स फाइनेंस कारपोरेशन (स्थापित 1949)
(ii) हाउसिंग लोन कॉरपोरेशन (सन् 1950)
(iii) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान (1950)
(iv) जापान डवलपमेंट बैंक (1951)
(v) एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एण्ड फिशरीज फाइनेंस कारपोरेशन (1952)
(vi) स्माल बिजनस फाइनेंस कारपोरेशन (1953)
(vii) होकेडो एण्ड टोकाइ डवलपमेंट कारपोरेशन (1956)
(viii) लोकल पब्लिक एंटरप्राइज फाइनेंस कारपोरेशन (1957)
(ix) स्माल बिजनस क्रेडिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (1958)
(x) मैडिकल केयर फसिलिटीज फाइनेंस कारपोरेशन (1960)
(xi) ओवरसीज इकोनामिक को आपरेशन फंड (1960)

जापान के 20 सबसे बड़े बैंकों की सूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है—

जापान के 20 बड़े बैंक

बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय	बैंक का नाम	प्रधान कार्यालय
1 Fuji Bank Ltd	Tokyo	11 Mitsui Trust & Banking Company Ltd	Tokyo
2 Mitsubishi Bank Ltd	Tokyo	12 Yasuda Trust & Banking Company Ltd	Tokyo
3 Industrial Bank of Japan Ltd	Tokyo	13 Sanwa Bank Ltd	Osaka
4 Dai-Ichi Bank Ltd	Tokyo	14 Sumitomo Bank Ltd	Osaka
5 Mitsui Bank Ltd	Tokyo	15 Sumitomo Trust & Banking Company Ltd	Osaka
6 Nippon Kangyo Bank Ltd	Tokyo	16 Daiwa Bank Ltd	Osaka
7 Long Term Credit Bank of Japan	Tokyo	17 Tokai Bank Ltd	Nagoya
8 Kyowa Bank Ltd	Tokyo	18 Bank of Kobe Ltd	Kobe
9 The Bank of Tokyo Ltd	Tokyo	19 Saitama Bank Ltd	Urawa
10 Mitsubishi Trust & Banking Corporation	Tokyo	20 Hokkaido Takushoku Bank Ltd	Sapparo

बैंक ऑफ जापान

(केन्द्रीय बैंक)

स्थापना—बैंक ऑफ जापान (The Bank of Japan) देश का (जापान का) केन्द्रीय बैंक है। भारत के रिजर्व बैंक की भांति यह बैंक भी आरम्भ से ही केन्द्रीय बैंक रहा है।

मेइजी (Meiji) युग का आरम्भ सन् 1868 से होता है, जो जापान के इतिहास में प्रत्येक दृष्टिकोण (आर्थिक, औद्योगिक, राजनीतिक आदि) से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेइजी सरकार यह चाहती थी कि देश की करेंसी प्रणाली सुदृढ़ हो। अतः सन् 1876 में नेशनल-बैंक एक्ट में संशोधन किये गये। किंतु लगभग इसी समय सन् 1877 में सत्सुमा विद्रोह (Satsuma Insurrection) (दक्षिणी क्यूशू (S Kyushu) में) आरम्भ हुआ और उसका अन्ततः दमन करने के लिए, सैनिक-व्यय में अति वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप अपरिवर्तनशील-पत्र मुद्रा बड़ी मात्रा में निर्गमित की गई। इस प्रकार आगामी वर्षों (1877–1880) में भारी मुद्रा प्रसार की अवस्था उत्पन्न हो गई जिसके फलस्वरूप जापान की अर्थ-व्यवस्था लड़खड़ा गई और उद्योगों का विकास रुक-सा गया। अतः यह दृष्टिकोण बनने लगा कि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को वापिस ले लिया जाय और परिवर्तनशील पत्र मुद्रा प्रणाली अपनाली जाय।

सितम्बर 1881 में, मसायोशी मत्सुकाता (Masayoshi Matsukata) ने आर्थिक मामलों पर प्रस्ताव (Proposal on Financial Matters) प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को वापिस लेने एवं एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना पर बल दिया। अगले ही मास अर्थात् अक्टूबर 1881 में मत्सुकाता को वित्त मंत्री (Minister of Finance) बना दिया गया। वित्त मंत्री बनते ही उन्होंने अपने 'प्रस्ताव' में प्रस्तुत की गई नीतियों को कार्यान्वित करने में शीघ्रता की।

वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बैंक ऑफ जापान को स्थापित करने का प्रस्ताव (Proposal for the Establishment of Bank of Japan) प्रधानमंत्री द्वारा मार्च 1882 में स्वीकृत किया गया। जून 1882 में बैंक ऑफ जापान एक्ट पास किया गया और 10 अक्टूबर 1882 से बैंक ऑफ जापान ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। बैंक ऑफ जापान का प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी टोकियो (Tokyo) में स्थित है।

वैधानिक स्थिति— बैंक ऑफ जापान की स्थापना 'बैंक ऑफ जापान एक्ट 1882 के अन्तर्गत हुई थी। उस समय उसको 30 वर्ष के लिए चार्टर दिया गया था, जो (1882+30) सन् 1912 में समाप्त हो गया। सन् 1912 में इस चार्टर का और 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण कर दिया गया। सन् 1942 में यह चार्टर समाप्त हो गया और इसके स्थान पर एक नया कानून (नं० 67 फरवरी 24 1942 का) बैंक ऑफ जापान कानून (The Bank of Japan Law) बनाया गया। इस कानून में समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन सन् 1949 में हुए हैं। इस प्रकार बैंक ऑफ जापान वर्तमान समय में बैंक ऑफ जापान कानून 1942 से शासित हो रहा है। यह ध्यान रहे कि बैंक ऑफ जापान जापान का केन्द्रीय बैंक है और देश की बैंकिंग एवं मौद्रिक प्रणाली में इसका शीर्ष स्थान है।

बैंक के उद्देश्य—सन् 1881 में मत्सुकाता ने "आर्थिक मामलों पर प्रस्ताव" प्रस्तुत किया था। मार्च 1882 में बैंक ऑफ जापान को स्थापित करने का प्रस्ताव वित्त मन्त्री ने स्वीकृत किया जिसके साथ में "बैंक ऑफ जापान स्थापित करने की परियोजना की व्याख्याएं" (Explanations for the Project of Establishing the Bank of Japan) भी संलग्न थी जिसमें बैंक ऑफ जापान की स्थापना के 5 उद्देश्य बतलाए गये थे जो निम्नलिखित हैं—

(i) बैंकिंग की सुविधाएं उपलब्ध करना,
(ii) नेशनल बैंकों व कम्पनियों आदि के आर्थिक स्रोतों को मजबूत बनाना,
(iii) मुद्रा-दरों (ब्याज दरों) को नीचा करना,
(iv) बैंक को, सरकार के वित्त मन्त्रालय के ऐसे कार्य (business) सौंपना जो कि कठिनाई अथवा गड़बड़ी उत्पन्न न करें, और
(v) विदेशी बिलों की कटौती (discounting) करना।

बैंक ऑफ जापान की स्थापना करने के उद्देश्य ऊपर बतलाए गये हैं किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि अपरिवर्तनशील-पत्र मुद्रा (जो उस समय चलन में थी) को वापिस लेना, देश में बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करना और ऐसी साख प्रणाली (credit system) की स्थापना करना जो देश के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सके, आदि, इस बैंक की स्थापना के अन्य प्रमुख उद्देश्य थे।

बैंक ऑफ जापान कानून (The Bank of Japan Law) 1942 के प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में ही प्रथम धारा (Article) में इस बैंक के उद्देश्य बतलाए गये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(1) मुद्रा की व्यवस्था (regulation of the currency),
(2) साख एवं वित्त का नियमन एवं उसे सुविधाजनक बनाना,
(3) राष्ट्रीय नीति के अनुसार, साख पद्धति (credit system) को बनाये रखना तथा पोषण करना ताकि राष्ट्र की सामान्य आर्थिक क्रियाएं प्रोत्साहित हों।

धारा (Article) 2 में स्पष्ट कर दिया गया है कि बैंक का प्रबन्ध केवल राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जावेगा।

अन्य देशो के केन्द्रीय बैंक अधिनियमों में 'राष्ट्रीय हित' को इस प्रकार स्पष्ट-रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है। भारत के रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट, 1934 के आरम्भ में इस प्रकार लिखा गया है "बैंक नोटों की व्यवस्था करने (to regulate) और मौद्रिक-स्थायित्व को प्राप्त करने की दृष्टि से रिजर्व रखने के लिए और साधारणत देश के हित में (to its advantage) मौद्रिक व साख पद्धति का प्रबन्ध करने के हेतु भारत के लिए (for India) रिजर्व बैंक को स्थापित करना उचित है।'

प्रधान कार्यालय—बैंक ऑफ जापान कानून की धारा 4 के अनुसार 'बैंक ऑफ जापान' का प्रधान कार्यालय (Head Office) टोकियो (Tokyo) में होगा। उप कानून (By Laws) की धारा 5 के अनुसार इस बैंक का यह कार्यालय च्यू क्यू (Chuo-ku) टोकियो में होगा। टोकियो जापान की राजधानी है, और च्यू क्यू उनका एक क्षेत्र है। इसी धारा 5 के नीचे 31 नगरों[1] के नाम दिये हुए हैं, जहाँ पर बैंक ऑफ जापान अपनी शाखाएं स्थापित करेगा। इन नगरों में इस बैंक ने अपनी शाखाएं स्थापित कर दी है। इन नगरों में से कुछ के नाम ये हैं—नागोया, क्योटो, ओसाका, कोबे, अकियामा, हिरोशिमा नागासाकी आदि।

इस समय बैंक ऑफ जापान की 31 शाखाएं और 13 स्थानीय कार्यालय (local offices) हैं। इनके अतिरिक्त इस बैंक के प्रतिनिधि (representatives) न्यूयॉर्क तथा लन्दन में हैं जिनका प्रमुख काम उन क्षेत्रों के केन्द्रीय बैंकों के साथ बैंक ऑफ जापान का सम्पर्क बनाए रखना है। इन बैंकों के स्थानीय प्रतिनिधि (resident representatives) पेरिस (फ्रांस), फ्रैंकफर्ट (पश्चिमी जर्मनी) और हांगकांग में हैं।

राज्य के उपयुक्त मंत्री की अनुमति से बैंक ऑफ जापान, जिन स्थानों पर यह आवश्यक समझे अपनी शाखाएं व उप शाखाएं स्थापित कर सकता है। भारत में रिजर्व बैंक के चार कार्यालय हैं—बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास (R B I Act, Section 6)

पूंजी व अभिदान-पत्र—बैंक ऑफ जापान की पूंजी 10 करोड़ येन (Yen) है। यह पूंजी 100–100 येन की 10 लाख इकाइयों में विभक्त है। इसमें से 4 5 करोड़ येन की पूंजी अभिदान-प्रमाणपत्र (subscription certificates) के रूप में है और शेष 5 5 करोड़ येन पूंजी जापान सरकार द्वारा 'इम्पीरियल ऑर्डिनेंस' के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई है। भारत के रिजर्व बैंक की पूंजी 5 करोड़ रुपये हैं (R B I Act, Sec 4)

1 Art 5 This bank shall maintain branches in the following cities Kushiro Sapporo Otaru Hakodate Aomori Akita Sendai Fukushima Maebashi Niigata Kanazawa Kofu Matsumoto Shizuoka, Nagoya Kyoto Osaka Kobe Okayama Hiroshima Matsue Shimonoseki Takamatsu Matsuyama Kochi Kitakyushu Fukuoka Oita Nagasaki and

यह ध्यान रहे कि बैंक ऑफ जापान का चार्टर सन् 1942 में समाप्त हो गया था और बैंक ऑफ जापान कानून 1942 के अन्तर्गत इसका पुनः गठन किया गया और अब भी यह इसी कानून द्वारा शासित होता है। 4.5 करोड़ येन के अभिदान प्रमाण पत्र सन् 1942 में बैंक के स्टॉक (अर्थात् पूर्ण-दत्त अंश) के बदले में उन मूल अंशधारियों को निर्गमित कर दिए गए जिनके पास पहले से ही ये (स्टाक) थे।

सरकार ने सन् 1948 में अपने भाग की 5.5 करोड़ येन का पूंजी प्रदान कर दी है। उप-कानून (का धारा 10) के अनुसार सरकार सरकारी बौंण्ड के रूप में ही पूंजी का अंशदान कर सकती है।

यह बैंक 5 विभिन्न इकाइयों के अभिदान प्रमाण-पत्र निर्गमित कर सकता है—1 इकाई (अर्थात् 100 येन) का, दस इकाइयों का, एक सौ इकाइयों का, एक हजार इकाइयों का, दस हजार इकाइयों का अभिदान-प्रमाणपत्र।

अभिदान प्रमाण पत्र को हस्तांतरण करने के लिए इस बैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि अभिदान प्रमाण पत्र के धारक को इस बैंक के लाभ में भाग लेने का ही अधिकार है किन्तु बैंक के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अतः अभिदानदाताओं की कोई साधारण सभा नहीं की जाती है। इन अभिदानदाताओं को अधिकतम लाभांश 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जा सकता है। लाभ की राशि में से अभिदानदाताओं (Subscribers) को लाभांश देने व रिजर्व में राशि हस्तांतरित करने के पश्चात् जो शेष रहता है, उसे ट्रेजरी में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

बैंक ऑफ जापान का संगठन
(Organisation of the Bank of Japan)

बैंक ऑफ जापान के संगठन को अध्ययन की सुविधा से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(A) नीति मंडल (Policy Board), और, (B) कार्यकारी अंग (Executive Organ)।

(A) नीति मंडल
(Policy Board)

बैंक ऑफ जापान का सबसे महत्वशील अंग (organ) नीति बोर्ड है। यही बोर्ड मौद्रिक नीति के समस्त साधनों को नियंत्रित करता है।

1. पालिसी बोर्ड की स्थापना—बैंक ऑफ जापान कानून 1942 के अन्तर्गत बैंक ऑफ जापान का वर्तमान रूप में संगठन (सन् 1942 में) हो चुका था। इस कानून में बाद में संशोधन होते रहे। सबसे महत्वशील संशोधन सन् 1949 में किया गया जिसके अनुसार बैंक ऑफ जापान के अंतर्गत ही एक नीति मंडल (Policy Board) की स्थापना की गई।

पालिसी बोर्ड का गठन—पॉलिसी-बोर्ड मे सात सदस्य होते हैं, जिनमे से तीन सदस्य पदेन (ex-officio) होते हैं, और चार सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनका विवरण इस प्रकार है—

(a) पदेन सदस्य—

(i) बक आफ जापान का गवनर

(ii) वित्त मत्रालय का एक प्रतिनिधि,

(iii) आर्थिक-आयोजन-एजेंसी का एक प्रतिनिधि।

(b) नियुक्त किए जाने वाले सदस्य—

(iv) वित्तीय व्यवसाय म बहुत अनुभवी व योग्य दो व्यक्ति, जिनमे से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका अनुभव एव ज्ञान किसी स्थानीय बक (local bank) का हो, और दूसरे व्यक्ति का अनुभव एव ज्ञान किसी बडे सिटी बक का हो,

(v) उद्योग एवं व्यवसाय म बहुत अनुभवी व योग्य एक व्यक्ति,

(vi) कृषि म बहुत अनुभवी एव योग्य एक व्यक्ति।

नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों से सम्बन्धित प्रमुख बातें—

(1) नियुक्त किए जाने वाले उपरोक्त चार सदस्यों की नियुक्ति, दोनो 'हाउसेज ऑफ डाइट' (Houses of Diet) की सहमति से मत्रिमडल (Cabinet) करता है।

(2) इन सदस्यो की नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होती है।

(3) ये सदस्य पुर्ननियुक्ति (reappointment) के योग्य हैं।

(4) ये सदस्य जन-सेवा (public service) मे माने जाते हैं।

(5) जबकि 'डाइट' (Diet) का अधिवेशन नही हो रहा हो अथवा 'हाउस ऑफ रिप्रिजेंटेटिव' भग हो गया हो, यदि उस समय किसी सदस्य का कायकाल समाप्त हो गया हो तो वह सदस्य उस समय तक काय करता रहेगा जबतक कि उसके स्थान पर नये सदस्य की नियुक्ति 'डाइट' के प्रथम अधिवेशन मे दोनो सदनो (Houses) की सहमति से मन्त्रिमडल नहीं कर देता।

(6) यदि इन सदस्यों म से कोई सदस्य अपनी चार वर्ष की कार्य अवधि से पूर्व काय मुक्त हो जाता है तो वह सदस्य काय मुक्ति की तिथि से दो वर्ष तक, पालिसी बोर्ड से सम्बन्धित एव नियन्त्रित किसी भी आर्थिक सस्था म किसी भी पद पर नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

(7) यदि कोई सदस्य—(i) न्यायालय द्वारा दिवालिया अथवा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, (ii) कारावास के दड से दडित किया जाता है, (iii) शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यताओ के कारण मन्त्रिमडल उसे काय करने के

यह ध्यान रहे कि बैंक ऑफ जापान का चार्टर सन् 1942 में समाप्त हो गया था और बैंक ऑफ जापान कानून 1942 के अन्तर्गत इसका पुनर्गठन किया गया और अब भी यह इसी कानून द्वारा शासित होता है। 4.5 करोड़ येन के अभिदान प्रमाण पत्र सन् 1942 में बैंक के स्टॉक (अर्थात् पूर्ण-दत्त अंश) के बदले में उन मूल अंशधारियों को निर्गमित कर दिए गए जिनके पास पहले से ही ये (स्टॉक) थे।

सरकार ने सन् 1948 में अपने भाग की 5.5 करोड़ येन की पूंजी प्रदान कर दी है। उप-कानून (की धारा 10) के अनुसार सरकार, सरकारी बाँडों के रूप में ही पूंजी का अंशदान कर सकती है।

यह बैंक 5 विभिन्न इकाइयों के अभिदान प्रमाण-पत्र निर्गमित कर सकता है—1 इकाई (अर्थात् 100 येन) का, दस इकाइयों का, एक सौ इकाइयों का, एक हजार इकाइयों का, दस हजार इकाइयों का अभिदान-प्रमाणपत्र।

अभिदान प्रमाण पत्र को हस्तांतरण करने के लिए इस बैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि अभिदान प्रमाण पत्र के धारक को इस बैंक के लाभ में भाग लेने का ही अधिकार है किन्तु बैंक के प्रबन्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इन अभिदानदाताओं की कोई साधारण सभा नहीं की जाती है। इन अभिदानदाताओं को अधिकतम लाभांश 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जा सकता है। लाभ की राशि में से अभिदानदाताओं (Subscribers) को लाभांश देने व रिजर्व में राशि हस्तांतरित करने के पश्चात् जो शेष रहता है, उसे ट्रेजरी में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

बैंक ऑफ जापान का संगठन
(Organisation of the Bank of Japan)

बैंक ऑफ जापान के संगठन की अध्ययन की सुविधा से दो भागों में विभक्त कर सकते हैं—(A) नीति मंडल (Policy Board) और (B) कार्यकारी अंग (Executive Organ)।

(A) नीति मंडल
(Policy Board)

बैंक ऑफ जापान का सबसे महत्वशील अंग (organ) नीति बोर्ड है। यही बोर्ड मौद्रिक नीति के समस्त साधनों को नियंत्रित करता है।

1. पालिसी बोर्ड की स्थापना—बैंक ऑफ जापान कानून 1942 के अन्तर्गत बैंक ऑफ जापान का वर्तमान रूप में संगठन (सन् 1942 में) हो चुका था। इस कानून में बाद में संशोधन होते रहे। सबसे महत्वशील संशोधन सन् 1949 में किया गया जिसके अनुसार बैंक ऑफ जापान के अन्तर्गत ही एक नीति मंडल (Policy Board) की स्थापना की गई।

2 पॉलिसी बोर्ड का गठन—पॉलिसी-बोर्ड में सात सदस्य होते हैं, जिनमे से तीन सदस्य पदेन (*ex-officio*) होते हैं, और चार सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जिनका विवरण इस प्रकार है—

(a) पदेन सदस्य—

(i) बैंक ऑफ जापान का गवर्नर,

(ii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि,

(iii) आर्थिक-आयोजन-एजेंसी का एक प्रतिनिधि।

(b) नियुक्त किए जाने वाले सदस्य—

(iv) वित्तीय व्यवसाय में बहुत अनुभवी व योग्य दो व्यक्ति, जिनमे से एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसका अनुभव एवं ज्ञान किसी स्थानीय बैंक (local bank) का हो, और दूसरे व्यक्ति का अनुभव एवं ज्ञान किसी बड़े सिटी बैंक का हो,

(v) उद्योग एवं व्यवसाय में बहुत अनुभवी व योग्य एक व्यक्ति,

(vi) कृषि मे बहुत अनुभवी एवं योग्य एक व्यक्ति।

नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों से सम्बन्धित प्रमुख बातें—

(1) नियुक्त किए जाने वाले उपरोक्त चार सदस्यों की नियुक्ति, दोनों 'हाउसेज ऑफ डाइट' (Houses of Diet) की सहमति से मन्त्रिमंडल (Cabinet) करता है।

(2) इन सदस्यों की नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होती है।

(3) ये सदस्य पुनर्नियुक्ति (reappointment) के योग्य हैं।

(4) ये सदस्य जन-सेवा (public service) में माने जाते हैं।

(5) जबकि 'डाइट' (Diet) का अधिवेशन नहीं हो रहा हो अथवा 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव' भंग हो गया हो, यदि उस समय किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो वह सदस्य उस समय तक कार्य करता रहेगा जबतक कि उसके स्थान पर नये सदस्य की नियुक्ति 'डाइट' के प्रथम अधिवेशन में दोनों सदनों (Houses) की सहमति से मन्त्रिमंडल नहीं कर देता।

(6) यदि इन सदस्यों में से कोई सदस्य अपनी चार वर्ष की कार्य अवधि से पूर्व कार्य मुक्त हो जाता है तो वह सदस्य कार्य मुक्ति की तिथि से दो वर्ष तक, पॉलिसी बोर्ड से सम्बन्धित एवं नियन्त्रित किसी भी आर्थिक संस्था में किसी भी पद पर नियुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।

(7) यदि कोई सदस्य—(i) न्यायालय द्वारा दिवालिया अथवा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, (ii) कारावास के दंड से दंडित किया जाता है, (iii) शारीरिक अथवा मानसिक अयोग्यताओं के कारण मन्त्रिमण्डल उसे कार्य करने के

अयोग्य समझता है, अथवा, (iv) अपने कर्तव्य (duties) न करने के कारण, मन्त्रि-मण्डल उसे सदस्यता के अयोग्य समझता है तो इन दिशाओं में ऐसे सदस्य को मन्त्रि-मण्डल पदच्युत (dismiss) कर देगा।

(8) ऐसे सदस्य अपनी कार्यावधि में 'नेशनल डाइट' अथवा किसी स्थानीय सार्वजनिक संस्था का सदस्य नहीं हो सकता अथवा किसी राजनीतिक क्रिया व क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है। मन्त्रिमंडल की स्वीकृति के बिना वह किसी वेतनिक कार्य को नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक लाभ की दृष्टि से वह किसी व्यापार या व्यवसाय को नहीं कर सकता है।

3 वोट देने का अधिकार—पालिसी-बोर्ड में सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्यों (वित्त मन्त्रालय तथा आर्थिक आयोजन एजेंसी प्रत्येक का एक एक प्रतिनिधि) को वोट देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार पालिसी बोर्ड के केवल पाँच सदस्यों को ही वोट देने का अधिकार होता है।

पॉलिसी बोर्ड समस्त मामलों (all matters) पर साधारण बहुमत से निर्णय लेता है।

4 चेयरमैन की नियुक्ति—पॉलिसी-बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव इसके सदस्यों द्वारा मतदान से होता है। सरकार द्वारा मनोनीत दो सदस्यों को, चेयरमैन के मतदान में भी भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। किन्तु व्यवहार में, बैंक आफ जापान के गवर्नर को ही पालिसी बोर्ड का चेयरमैन चुनने की परिपाटी चली आ रही है।

5 पालिसी बोर्ड के व्यय—पालिसी बोर्ड में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों (जिनकी संख्या चार है) के भत्ते अन्य सदस्यों के भत्ते एवं इस बोर्ड के अन्य व्ययों को बैंक ऑफ जापान वहन करता है।

6 पालिसी बोर्ड के कार्य—पालिसी-बोर्ड के प्रमुख कार्य ये है—"राष्ट्रीय हित में, बैंक आफ जापान के साधारण कार्यों बैंक ऑफ जापान के केन्द्रीय बैंक के रूप में कार्यों और देश की अन्य वित्तीय-संस्थाओं के साथ बैंक आफ जापान के सबंधों को ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नियमन (currency regulation) साख-नियन्त्रण एवं अन्य आधारभूत मौद्रिक नीतियों का निर्माण, निर्देशन एवं पर्यवेक्षण (supervise) करना।

अतः पॉलिसी बोर्ड को निम्नलिखित विषयों में अधिकार प्रदान किये गये हैं—

(i) बैंक आफ जापान के व्यवसाय के लिए आधारभूत नीति का निर्धारण करना,
(ii) बैंक दर को निश्चित करना एवं परिवर्तित करना,
(iii) कटौती किये जाने वाले बिलों के सम्बन्ध में नियम बनाना,
(iv) रिजर्व दरों को निश्चित करना एवं परिवर्तन करना,
(v) मौद्रिक नियमन व साख नियन्त्रण के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक कार्य करना।

B कार्यकारी अंग
(Executive Organ)

बैंक ऑफ जापान के कार्यकारी अंग में ये अधिकारी (officers) हैं—

(i) गवर्नर, (Governor) (ii) उप गवर्नर (Vice-Governor), (iii) तीन या अधिक संचालक (Directors), (iv) दो या अधिक अंकेक्षक (Auditor), (v) अनेक परामर्शदाता (Advisers)।

(i) गवर्नर—बैंक ऑफ जापान का एक गवर्नर (Governor) है। यह बैंक आफ जापान का प्रतिनिधित्व (represents) करता है। यह पालिसी बोर्ड द्वारा निश्चित नीतियों के अनुसार कार्य करता है। गवर्नर की नियुक्ति मंत्रि मंडल (Cabinet) करता है गवर्नर का कार्य काल पांच वर्ष होता है। बैंक आफ जापान के कार्यों के संबंध में यह परामर्शदाताओं से राय लेता है।

(ii) उप-गवर्नर—उप-गवर्नर (Vice-Governor) की नियुक्ति भी मंत्रि मंडल करता है। इसका कार्य-काल भी पांच वर्षों का होता है। गवर्नर की अनुपस्थिति में उप गवर्नर उसके समस्त कार्य करता है। यदि गवर्नर का स्थान रिक्त (vacant) हो जाता है तो उसके स्थान पर, जब तक कि वह स्थान रिक्त हो, उप-गवर्नर ही कार्य करता है। वह गवर्नर को कार्यों में सहायता करता है।

(iii) संचालक—संचालकों की न्यूनतम संख्या तीन है। इससे अधिक संख्या में भी संचालक नियुक्त किए जा सकते हैं, जिनकी अधिकतम-संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संचालक पद के लिए, बैंक का गवर्नर, संचालकों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश संबंधित मंत्री को करता है उसमें से, वह मंत्री संचालकों की नियुक्ति करता है। संचालकों का कार्य काल चार वर्ष होता है। संचालकों का मुख्य कार्य गवर्नर की सहायता करना एवं बैंक ऑफ जापान के कार्यों का संचालन करना होता है।

(iv) अंकेक्षक—इनकी न्यूनतम संख्या दो होनी है अधिकतम संख्या के संबंध में प्रतिबंध नहीं है। अंकेक्षकों की नियुक्ति भी संबंधित मंत्री ही करता है। इनका कार्यकाल तीन वर्ष होता है इनका कार्य बैंक आफ जापान के कार्यों का निरीक्षण (to inspect) एवं जांच करना है।

(v) परामर्शदाता (Advisers)—इनकी संख्या की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इनकी नियुक्ति भी संबंधित मंत्री करता है। परामर्शदाता ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है जो कि वित्त या उद्योग में संलग्न हो, या विद्वान हों (जैसे प्रोफेसर, अर्थशास्त्री आदि), अथवा जो बहुत अनुभवी हों। इस प्रकार, बहुत ही योग्य एवं सक्षम (competent) व्यक्तियों की नियुक्ति परामर्शदाता के रूप में की जा सकती है। परामर्शदाता का कार्य-काल दो वर्ष होता है। गवर्नर जिस विषय में इनका परामर्श मांगे उस विषय पर ये उसे परामर्श देते हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ जापान के किसी भी महत्वशील मामले या मामलों पर वे गवर्नर को अपने आप अपना दृष्टिकोण प्रकट कर सकते हैं।

अन्य प्रमुख बातें—बैंक ऑफ जापान के कार्यकारी वर्ग के अधिकारियों के संबंध में अन्य प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं—

(क) गवर्नर, उप-गवर्नर, संचालक तथा परीक्षक किसी भी अन्य व्यापार या व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं। किंतु यदि संबंधित मंत्री की पूर्व आज्ञा प्राप्त कर ली गई हो तो इसमें छूट दी जा सकती है।

(ख) बैंक ऑफ जापान के समस्त अधिकारियों को जन सेवा (public service) में लगा हुआ माना जाता है।

(ग) उपरोक्त सभी अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की जा सकती है।

सरकार के साथ संबंध—बैंक ऑफ जापान कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि जापान सरकार को बैंक ऑफ जापान के अधिकारियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का पूर्ण अधिकार है। इसके अतिरिक्त सरकार, बैंक का पर्यवेक्षण अधिकारी (supervisory authority) भी है। संबंधित-मंत्री बैंक ऑफ जापान का कम्पट्रोलर (*The Comptroller of the Bank of Japan*), इस बैंक के कार्य की देख रेख करने के लिए नियुक्त करता है। यह सरकारी अधिकारी होता है। वह किसी भी समय बैंक के कार्यों व सम्पत्ति का निरीक्षण कर सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, बैंक की सभाओं में उपस्थित रह सकता है और अपने विचार व्यक्त कर सकता है, किंतु वोट नहीं दे सकता है।

किंतु व्यवहार में, सरकार ने बैंक के पर्यवेक्षण से संबंधित अधिकार को अभी तक प्रयोग में नहीं लिया है। मौद्रिक-नीति को कार्यशील करने का काम, जहां तक संभव है, पालिसी-बोर्ड के ऊपर ही छोड़ दिया है।

'26

बैंक ऑफ जापान के कार्य

(Functions)

प्रमुख कार्य

बैंक ऑफ जापान के कार्य (functions) भी विश्व के अन्य केन्द्रीय बैंकों के कार्यों के समान हैं। प्रमुख कार्य ये हैं—(i) पत्र मुद्रा निर्गमन करना, (ii) बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना, (iii) सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, और (iv) उपरोक्त तीनों कार्यों के द्वारा मौद्रिक-नीति को कार्यान्वित करना।

बैंक ऑफ जापान जिन कार्यों (business) को कर सकता है, उनका उल्लेख 'बैंक ऑफ जापान' कानून की धारा (Article) 20 से 36 में उल्लेख किया गया है। 29-36 तक धाराएं इस बैंक द्वारा नोट निर्गमन से सम्बंधित हैं। बैंक ऑफ जापान निम्नलिखित कार्य (business) कर सकता है—

1 नोट निर्गमन करना,

2 व्यापारिक प्रपत्रों, बैंकरों की स्वीकृतियों और अन्य बिलों व नोटस (जैसे प्रॉमिजरी नोट्स आदि) की कटौती (discounting) करना,

3 ऋण देना—बिल्स नोटस सरकारी बॉंड, अन्य विनिमय साध्य प्रतिभूतियों सोना व चांदी आदि की प्रतिभूति पर,

4 निक्षेप (deposits) के लिए धन प्राप्त करना,

5 देशी विनिमय में व्यवहार (deal) करना,

6 व्यापारिक-पत्रों, बैंकरों की स्वीकृतियां, अन्य बिलों व नोटस, सरकारी बॉंड, अन्य प्रकार के बॉंड व ऋण पत्रों (debentures) का क्रय विक्रय करना,

7 सोने व चांदी का क्रय विक्रय,

8 बिल्स या नोटस को एकत्रित (collection) करना, मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित रखना और उपरोक्त व्यवहारों से सम्बंधित अन्य कार्य करना,

9 कटौती की दर (rate of discount) व अन्य ऋणों की ब्याज दरें निर्धारित करना,

10 आवश्यकता के समय बिना प्रतिभूति के सरकार को ऋण देना,

11 आवश्यकतानुसार विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना,

12 उपयुक्त मन्त्री की अनुमति से किसी वित्तीय-संस्था अथवा संस्थाओं की पूंजी में अंशदान देना अथवा ऋण देना,

13 यह बैंक, उपयुक्त मन्त्री की अनुमति से ऐसा कोई कार्य कर सकता है जो क्रेडिट पद्धति (credit system) को बनाये रखने और पोषण करने के लिए आवश्यक हो

14 कानूनों व व्यवस्थाओं के प्रावधानों के अनुसार खजाने (treasury) व कोषों (funds) का प्रबन्ध करना।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक ऑफ जापान सामान्यतः अन्य कोई कार्य करेगा, किन्तु यदि आवश्यक हो तो बैंक के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त-मन्त्री अनुमति प्राप्त करके यह अन्य कार्य भी कर सकता है।

बैंक ऑफ जापान के प्रमुख कार्यों का विवरण आगे की पंक्तियों में किया रहा है।

1. बैंक नोट निर्गमन
(Bank Note Issue)

बैंक ऑफ जापान देश में नोट निर्गमन करने का एक मात्र (sole) अधिकारी। जापान में इस बैंक के अतिरिक्त और कोई बैंक नोटों का निर्गमन नहीं करता। लैंड में भी नोटों का निर्गमन का एकाधिकार वहां के केन्द्रीय बैंक बैंक ऑफ लैंड को है। भारत में एक रुपये के नोट सरकार का वित्त मंत्रालय निकालता है। दो रुपये व अधिक मूल्य के नोट भारत का केन्द्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गमित करता है।

बैंक ऑफ जापान द्वारा पत्र मुद्रा निर्गमन के सम्बन्ध में प्रमुख बातें निम्न खित हैं—

(1) जापान में नोट निर्गमन का एकाधिकार बैंक ऑफ जापान के पास है।

(2) ये नोट सार्वजनिक व निजी समस्त व्यवहारों के भुगतान के लिए असीमित विधि ग्राह्य (Unlimited legal tender) हैं अर्थात् किसी भी राशि (चाहे जितनी बड़ी अथवा छोटी राशि) का भुगतान इन नोटों के द्वारा किया जा सकता है।

(3) जापान में इन नोटों का ही चलन currency में अधिकांश भाग होता है। सन् 1970 के अन्त में जापान में कुल चलन में लगभग 94 प्रतिशत भाग बैंक ऑफ जापान द्वारा निर्गमित नोटों का था और शेष 6 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा निर्गमित सहायक सिक्कों (subsidiary coins) का था।

(4) जापान में नोट निर्गमन की अधिकतम निर्गमन प्रणाली (Maximum Issue System) है। यह प्रणाली सन् 1942 से जबकि बैंक ऑफ जापान कानून बना था, प्रचलित है। वर्तमान में भी यही प्रणाली है। इंगलैंड में विश्वा

साथित-पत्र मुद्रा निगमन प्रणाली (Fiduciary Note Issue System) के आधार पर नोट निगमन किए जाते हैं। सन् 1967 के अन्त मे इंगलैंड मे 3 अरब पौंड (3 000 मिलियन पौंड) विश्वासाश्रित निगमन की अधिकतम सीमा थी। भारत मे सन् 1956 से न्यूनतम निधि प्रणाली (Minimum Peserve System) के आधार पर रिजर्व बैंक नोट निगमन करता है यह न्यूनतम निधि 200 करोड रुपये की है।

(5) बैंक आफ-जापान कानून, 1942 की धारा 29 में लिखा है 'बैंक आफ जापान को बैंक नोट निगमन का अधिकार है। (Art 29 The Bank of Japan is authorized to issue bank notes) इस कानून में नोटों की परिवर्तनशीलता (conversion) के संबंध मे कोई प्रावधान नही है और न ही बैंक नोटों के निगमन के पीछे स्वर्ण अथवा विदेशी विनिमय के कोष रखना अनिवार्य है।

(6) कानून (Art 30) के अनुसार जापान में नोट निगमन की अधिकतम सीमा मन्त्रिमंडल के अनुमोदन पर वित्त मंत्री निर्धारित करता है। जापान मे नोट निगमन की अधिकतम सीमाएं विभिन्न समयो पर इस प्रकार निर्धारित की गई—

लागू होने का समय	सीमा (बिलियन येन मे)
जुलाई 1962	1,250
जुलाई 1963	1 600
जुलाई 1964	1 850
जुलाई 1965	2 150
अगस्त 1966	2 450
अगस्त 1967	2,900
अगस्त 1968	3,400
अक्टूबर 1969	4,100

नोट 1 बिलियन=10 खरब

(7) यदि बैंक आफ जापान, नोट निगमन की अधिकतम निर्धारित सीमा से अधिक नोट निगमन (excess issue) करना आवश्यक समझता है तो वह ऐसा कर सकता है। यदि ऐसा अधिक निगमन 15 दिन या कम अवधि के लिए है तो बैंक आफ जापान को वित्त मंत्री आदि की अनुमति लेनी आवश्यक नही है।

यदि ऐसा अधिक निगमन लगातार 15 दिवस से अधिक समय के लिए हो तो बैंक को देश के वित्त मंत्री से अनुमति प्राप्त करनी होती है। इसके अतिरिक्त सोलहवें दिन से अधिक निगमन की राशि पर प्रति दिन बैंक द्वारा अधिक निगमन-कर (Excess Issue Tax) देना पडता है जिसकी दर वित्त मंत्री निश्चित करता है। सन् 1962 से अब तक (1970 तक) कर की दर 3% वार्षिक है।

(viii) नोट निगमन के लिए बैंक ऑफ जापान को एक रिजर्व रखना पड़ता है। इस रिजर्व के सबंध में 'बैंक ऑफ जापान कानून 1942' की धारा 32 में आवश्यक प्रावधान दिए गये हैं। बैंक ऑफ जापान को निगमन किए जाने वाले नोटों के मूल्य के बराबर रिजर्व रखना पड़ता है दूसरे शब्दों में शत प्रतिशत रिजर्व रखना पड़ता है। इस रिजर्व में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है—

(a) व्यापारिक बिल, बैंकरों की स्वीकृतियां, अन्य बिल व नोटस,

(b) सरकारी बॉडों की प्रतिभूति पर दिए गये ऋणों से सबंधित प्रपत्र,

(c) सरकारी बॉंड

(d) प्रथम श्रेणी के अन्य बॉंड, व डिबेंचर आदि,

(e) विदेशी विनिमय,

(f) सोना व चांदी, जिसमें सोने व चांदी के सिक्के भी सम्मिलित हैं।

उपरोक्त रिजर्व के सम्बन्ध में ये बातें उल्लेखनीय हैं—प्रथम, व्यापारिक बिल बैंकरों की स्वीकृतियां अन्य बिल व नोट्स तीन माह अथवा कम अवधि में परिपक्व (mature) हो जाने चाहिए। किंतु यदि उपयुक्त मंत्री की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो तो 'समय' का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। द्वितीय, स्वर्ण, चांदी और विदेशी विनिमय के अतिरिक्त प्रत्येक मद के रिजर्व की राशि का निर्धारण, जापान का वित्त मंत्री करता है जिनकी राशियां प्रकाशित नहीं की जाती। तृतीय नोट निगमन की निर्धारित अधिकतम राशि तक सोना, चांदी व इनके सिक्के रिजर्व में रखे जा सकते हैं।

जापान की वर्तमान मौद्रिक स्थिति—जापान की वर्तमान मौद्रिक स्थिति के सम्बन्ध में उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण हैं—

1 जापान में सभी पत्र मुद्रा बैंक ऑफ जापान, जो देश का केन्द्रीय बैंक है, के द्वारा निगमित की जाती है।

2 यह पत्र मुद्रा अपरिवर्तनशील (inconvertible) है।

3 पत्र मुद्रा के पीछे शत प्रतिशत रिजर्व है।

4 पत्र मुद्रा की अधिकतम मात्रा, सरकार के मंत्रिमंडल के अनुमोदन पर, वित्त मंत्री निर्धारित करता है।

5 इस समय बैंक ऑफ जापान 9 विभिन्न अंकित मूल्यों के नोट निकालता है जिनके अंकित मूल्य ये हैं—10 000 येन, 5 000 येन, 500 येन, 100 येन, 50 येन 10 येन 5 येन और 1 येन। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 24 के अनुसार रिजर्व बैंक को इन अंकित मूल्यों के नोट निगमन का अधिकार है—दो रुपये पांच रुपये दस रुपये पचास रुपये सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये पांच हजार रुपये और दस हजार रुपये। किंतु व्यवहार में दो रुपये पांच रुपये दस रुपये, सौ रुपये व एक हजार रुपये के नोट ही रिजर्व बैंक अभी निगमन कर रहा है।

6 जापान म सहायक सिक्का (subsidiary coins) का टकन (mintage) जापान-सरकार ही करती है, जिन्हें सरकार जनता को बैंक ऑफ जापान के द्वारा निगमित करती है। इस समय जापान सरकार 100 यन, 50 यन, 10 येन, 5 यन और 1 यन के सिक्के बनाती है। जापान की कुल मुद्रा मात्रा का लगभग [illegible] प्रतिशत भाग इन सिक्को का है और शेष 94 प्रतिशत भाग बैंक आफ जापान द्वारा निगमित नोटो का है।

2 बैंकों का बक

अन्य देशो के केन्द्रीय बकों की भाति, बक ऑफ जापान भी देश के बको व वित्तीय सस्थाओ के बैंकर के रूप मे काय करता है। इस रूप म यह बक निक्षप (deposits) स्वीकार करने ऋण प्रदान करने, बिलो व प्रतिज्ञा-पत्रो की कटौती करने एव प्रतिभूतियो के क्रय विक्रय आदि के काय करता है।

1 **निक्षेप स्वीकार करना**—बक आफ जापान अपनी सदस्य वित्तीय सस्थाओं से निक्षप स्वीकार करता है। यह बैंक दो प्रकार के खातो म निक्षेप स्वीकार करता है—चालू खाता और देशी विनिमय निपटारे खाते।

चालू खाता का प्रयोग समाशोधन शेषो (Clearing balances) के निपटारे, धन के स्थानान्तरण, माग पर देय ऋण-कोषो एव इसी प्रकार के व्यवहारो के लिए किया जाता है। इन खातों मे जमा राशि पर बैंक ब्याज नहीं देता है। बको का अपने निक्षेपो का एक निश्चित अनुपात भी कानूनी तौर पर बक ऑफ जापान के पास रखना पडता है जिसे चालू-खाते मे ही रखना पडता है। बकों के चैको व बिलो के समाशोधन के फलस्वरूप उत्पन्न शेषो का भी समायोजन करता है।

यह बक अपनी सदस्य वित्तीय सस्थाओ के कार्यालयो के मध्य धन के हस्तान्तरण का काय करता है। यह सेवा नि शुल्क प्रदान की जाती है।

2 **ऋण प्रदान करना**—यह बैंक सदस्य व्यापारिक बको व वित्तीय सस्थाओ को ऋण भी प्रदान करता है। ऋणों के दो रूप हो सकते हैं—बिलो आदि की कटौती (discounting) करके और प्रत्यक्ष ऋण देकर। आजकल यह बैंक मुख्यत व्यापारिक बिलो और निर्यात-व्यापार बिलो की कटौती करता है। इनकी कटौती निर्धारित-दरो से की जाती है।

केवल ऐसे विपत्रो की बैंक आफ जापान पुनकटौती करता है जो विपत्र (Bills) पुनकटौती की तिथि से तीन महीने के भीतर परिपक्व (mature) हो जावें, और जिन पर ऋण लेने वाले बक अथवा वित्तीय सस्था के अतिरिक्त कम से कम एक या दो ऐसे व्यक्तियो द्वारा पृष्ठाकन (endorsement) किया हुआ होना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ हो।

व्यापारिक बिलो की तुलना म निर्यात बिलो के लिए कटौती दरें नीची हैं। निर्यात बिल दो प्रकार के हो सकते हैं—प्रथम, निर्यात अग्रिम बिल (export advance bill) जो कि निर्यात किए जाने वाले माल को खरीदने, निर्माण करने, एकत्रित करने आदि के लिए वित्त की व्यवस्था करने के लिए लिखे जाते हैं। बिलो के लिए इर्रेवोकेबिल लटर आफ क्रेडिट प्राप्त हो जाते केवल

कटौती की जाती है। द्वितीय, सावधि (usance) निर्यात बिल जो जापान के निर्यातकर्त्ताओं के द्वारा (येन में लिखे गये हैं) निर्यात किए गये माल के मूल्य को एकत्रित करने के लिए लिखे गये हैं।

इनके अतिरिक्त यह बैंक अपनी सदस्य संस्थाओं को ऋण प्रदान भी करता है। ये ऋण सरकारी बॉडों सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉडों, स्थानीय सरकारों की प्रतिभूतियां औद्योगिक बॉडों बैंकों के ऋण पत्र एवं बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों की जमानत पर दिए जाते हैं। यद्यपि कानून के द्वारा बैंक ऑफ जापान अपने सदस्यों को अधिविकर्ष (over draft) की सुविधाएं प्रदान कर सकता है किंतु आजकल इस बैंक ने यह सुविधा बंद कर रखी है।

3 प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय—यह बैंक बॉडों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है। यह बैंक मुख्यतः सरकारी बॉडों, सरकार द्वारा गारंटी किए गये बॉडों और अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है।

4 सोने व चांदी का क्रय विक्रय—जब जापान में स्वर्ण-मान था तो बैंक ऑफ जापान सोने व चांदी का क्रय विक्रय अपने धातु कोष को मजबूत बनाने के लिये किया करता था। किंतु प्रबंधित मुद्रा प्रणाली (managed currency system) लागू करने और युद्धकालीन अर्थ व्यवस्था के कारण, समस्त स्वर्ण का नया उत्पादन अब सरकार अपने पास रखती है। अतः बैंक ऑफ जापान द्वारा स्वर्ण व चांदी का क्रय विक्रय अब महत्व नहीं रखता। सन् 1953 से निजी-व्यवहारों में ढील दे दी गई है। अब यह बैंक सरकार के एजेंट के रूप में ही सरकार के लिए सोने के क्रय विक्रय का कार्य करता है।

5 विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय—अब बैंक ऑफ जापान कानून ने इस बैंक को विदेशी विनिमय क्रय विक्रय करने का अधिकार दे दिया है। जापान की वर्तमान विनिमय नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत अब समस्त विदेशी विनिमय 'फॉरेन एक्सचेंज फंड स्पेशल अकाउंट' में जमा कर दिया है। अतः यह बैंक सरकार के एजेंट के रूप में अधिकृत विदेशी विनिमय बैंकों से विदेशी विनिमय के व्यवहार करता है।

मित्र व परामर्शदाता—बैंक ऑफ जापान देश के बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के मित्र व परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करता है। संकटकालीन व अन्य विशेष परिस्थितियों में यह बैंक इनका मार्ग प्रदर्शन करता है।

3 सरकार का बैंकर

बैंक ऑफ जापान सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। सरकार के बैंकर के रूप में बैंक ऑफ जापान के कार्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

1 बैंकर के साधारण कार्य—इन कार्यों में निक्षेप स्वीकार करना, ऋण देना सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करना व अभिदान करना।

2 विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कार्य—ट्रेजरी कोषों का प्रबंध करना राष्ट्रीय ऋण की व्यवस्था करना विदेशी विनिमय से सम्बन्धित कार्य आदि इस वर्ग में आते हैं।

1 बैंकर के साधारण कार्य

(i) सरकारी निक्षेप (Govt Deposits)—सरकार के बैंकर के रूप में, बैंक ऑफ जापान सरकार की ओर से निक्षेप प्राप्त करता है और भुगतान करता है। इस प्रकार यह बैंक ट्रेजरी-कोश में निक्षेप प्राप्त करता है और उसी में से सरकार की ओर से भुगतान करता है। इस कार्य को करने के लिए यह बैंक, सरकार के आवश्यक खाते रखता है।

कर (tax) एवं अन्य समस्त सरकारी आय को बैंक ऑफ जापान, सरकार के निक्षेप-खाते में जमा करता है। वित्तीय वर्ष में ट्रेजरी कोश की स्थिति मौसमी परिवर्तनों के कारण बदलती रहती है। यदि सरकारी खाते में बहुत अधिक राशि एकत्रित हो जाती है तो आधिक्य (surpluses) को या तो विशिष्ट खाता (special accounts) में स्थानान्तरित कर दिया जाता है अथवा बैंक ऑफ जापान से ही अल्प कालीन-सरकारी प्रतिभूतियां खरीद ली जाती हैं।

(ii) ऋण आदि देना—बैंक ऑफ जापान कानून के अनुसार यह बैंक सरकार को बिना प्रतिभूति के ऋण दे सकता है। ऐसे ऋण या ऋणों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ऋण के सम्बन्ध में यह बैंक व सरकार दोनों ही काफी सचेत रहते हैं क्योंकि द्वितीय विश्वयुद्ध काल में जापान में भयंकर मुद्रा प्रसार की स्थिति हो गई थी। जापान में एक विशेषता यह है कि सन् 1947 में वित्त कानून (Finance Law of 1947) बनाया गया जिसके अनुसार बैंक ऑफ जापान एवं जापान सरकार पर दो प्रतिबंध लगा दिए गये हैं—प्रथम, यह बैंक सरकार की दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को नहीं खरीद सकता, द्वितीय, सरकार इस बैंक से दीर्घकालीन ऋण नहीं ले सकती।

वास्तव में गत 22-23 वर्षों में (अर्थात् 1947 से अब तक) इस बैंक ने सरकार को कोई भी दीर्घकालीन ऋण नहीं दिया है। इस बैंक ने सरकार को इस अवधि में बहुत ही कम अल्पकालीन ऋण दिए हैं और जो अल्पकालीन ऋण दिये भी हैं, वे भी अस्थाई (temporarily) रूप में। ऐसे अल्पकालीन ऋणों की सरकार को वित्त वर्ष के अंत में कभी-कभी आवश्यकता पड़ती है। सरकारी अल्पकालीन प्रतिभूतियां सिद्धांत रूप में जनता को निर्गमित की जाती हैं किन्तु व्यवहार में ऐसी अधिकांश प्रतिभूतियों को यह बैंक ही खरीद लेता है। इसका कारण यह है कि जनता में ये प्रतिभूतियां अधिक लोकप्रिय नहीं हैं क्योंकि इन पर ब्याज-दर बहुत ही कम होती है। बैंक ऑफ जापान इन प्रतिभूतियों का 'ट्रस्ट फंड ब्यूरो' व अन्य सरकारी एजेंसियों से क्रय विक्रय करता रहता है।

2 विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कार्य

(i) ट्रेजरी कोष संबंधी कार्य—बैंक ऑफ जापान, कानून के अन्तर्गत सरकारी-कोषों की प्राप्तियां व भुगतान (receipts and payments) संबंधी कार्य करता है। इसके अंतर्गत सरकारी निक्षेप खाते में समस्त आय व भुगतानों को बैंक को डेबिट व क्रेडिट की प्रविष्टियां करनी पड़ती हैं। सरकारी कोषों

कार्य इस बैंक को न केवल अपने प्रधान कार्यालय व शाखाओं में करना पड़ता है बल्कि इस बैंक के ट्रेजरी एजेंटों को (जो कि केवल ट्रेजरी कोष की प्राप्ति व भुगतान के कार्य करते हैं) भी यह कार्य करना पड़ता है। ये ट्रेजरी एजेंट व्यापारिक बैंक व अन्य वित्तीय-संस्थाएं व उनकी शाखाएं हैं जिनकी नियुक्ति एजेंट के रूप में बैंक ऑफ जापान करता है।

(ii) सरकारी ऋण सबंधी कार्य—बैंक ऑफ जापान, कानून के अन्तर्गत सरकारी ऋण की सेवा भी करता है। इस कार्य के अन्तर्गत ऋण का निगमन, ब्याज का भुगतान, इन ऋणों के मूलधन का भुगतान सम्मिलित हैं साथ ही ऋण प्रमाण पत्रों का निगमन एवं उनके रजिस्ट्रेशन आदि से सबंधित कार्य भी सम्मिलित हैं। ट्रेजरी से सम्बन्धित कार्यों की भांति सरकारी ऋण से सम्बन्धित कार्य भी बैंक ऑफ जापान के प्रधान कार्यालय, इसकी शाखाओं व ट्रेजरी एजेंटस के द्वारा किए जाते हैं। इन सरकारी ऋणों के मूलधन व ब्याज के भुगतान का कार्य भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है।

(iii) विदेशी विनिमय का कार्य—जापान में विदेशी विनिमय का कोष 'फॉरेन एक्सचेंज फंड स्पेशल अकाउन्ट' में निहित है। इस अकाउन्ट में विदेशी मुद्रा एवं येन (Yen) के कोषों को रखने व प्रयोग करने की दृष्टि से, बैंक ऑफ जापान, 'फॉरेन एक्सचेंज स्पेशल अकाउन्ट्स' के अंतर्गत देश के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अधिकृत विदेशी विनिमय बैंकों से विदेशी विनिमय क्रय विक्रय के सौदे बैंक ऑफ जापान देश के वित्त मंत्री के एजेंट के रूप में करता है।

विभिन्न कानूनों[1] के अधीन सबंधित मंत्रियों से प्राप्त अधिकारों से बैंक ऑफ जापान को विदेशी विनिमय, विदेशी-व्यापार व विदेशी-पूंजी का आंशिक रूप से नियन्त्रित करने का अधिकार दिया गया है।

4 साख-नियन्त्रण

केन्द्रीय बैंक होने के कारण, बैंक ऑफ जापान का एक महत्त्वपूर्ण कार्य देश की साख को नियन्त्रित करना भी है। बैंक ऑफ जापान के पास साख नियन्त्रण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं—

(i) बैंक दर (ii) साख की अधिकतम सीमा निर्धारित करना (iii) खिड़की निर्देशन (window guidance) (iv) खुले बाजार की क्रियाएं (v) रिजर्व कोष।

बैंक दर नीति (Bank Rate Policy)—साख-नियन्त्रण का एक साधन बैंक दर है। बैंक ऑफ जापान द्वारा व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज दर अथवा जिस बट्टे दर पर व्यापारिक बिलों व प्रतिज्ञा-पत्रों की कटौती करता है, वह बैंक दर कहलाती है।

1. They are—(a) The Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law and (b) Law Concerning Foreign Investment

बैंक ऑफ जापान देश के अन्य व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के विनिमय पत्रों व प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती करता है तथा उन्हें ऋण भी देता है। आजकल यह बैंक व्यापारिक बिलो, और निर्यात-व्यापार बिलों की कटौती करता है, तथा सरकारी प्रतिभूतियों सरकार द्वारा गारंटी किए गए बॉडों, स्थानीय (local) सरकार के बॉण्डों, निगम बॉण्डों वक ऋण पत्र (debentures) विनिमय विपत्र एवं प्रतिज्ञा-पत्रों की जमानत पर व्यापारिक बैंकों व वित्तीय संस्थाओं को ऋण देता है।

सन् 1962 में जापान बैंक-दर (अर्थात् कटौती दर अथवा ब्याज-दर) को 7 विभिन्न दरों में विभक्त कर रखा था इसके पश्चात् इनको 6 विभिन्न दरों में वर्गीकृत कर दिया गया। किन्तु 1 सितम्बर 1969 से बैंक-दर को चार विभिन्न दरों में वर्गीकृत कर दिया गया है। इसी तिथि से एक महत्वपूर्ण बात और की गई। पहिले, बैंक-दर प्रतिशत में प्रतिमाह के हिसाब में बतलाई जाती थी, किन्तु इस तिथि (अर्थात् 1 सितम्बर 1969) से यह प्रतिशत में व वार्षिक हिसाब से बतलाई जाती है। विश्व के सभी देशों के केन्द्रीय-बैंक अपनी अपनी बैंक दर प्रतिशत में प्रतिवर्ष के हिसाब से बतलाते हैं, अत अनुरूपता लाने के लिए ऐसा किया गया है। अक्टूबर 28 1970 से जापान में बैंक दर घटाकर 6 प्रतिशत कर दी है।

बैंक-दर
(1 सितम्बर 1969 में प्रचलित)

		प्रतिशत वार्षिक
1	व्यापारिक-बिलो की कटौती दर और सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋणों पर ब्याज-दर	6 25
2	निर्यात व्यापारिक बिलों की कटौती दर	4 25
3	निर्यात व्यापारिक बिलों की जमानत पर ब्याज दर	4 50
4	उपरोक्त अतिरिक्त अन्य बिलों व प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण	6 75

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि निर्यात-व्यापारिक बिलों की कटौती अथवा उनकी जमानत पर दिए जाने वाले ऋणों पर क्रमश कटौती दर व ब्याज दर अन्य दरों से सबसे नीची (कम) है। जापान के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित एवं सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया है।

यहाँ एक बात उल्लेखनीय है। प्राय सभी देशों में साख नियन्त्रण के क्षेत्र में बैंक दर एक प्रभावशील अस्त्र के रूप में सिद्ध नहीं हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो बैंक-दर (कटौती दर) की यह स्थिति है कि प्राय जब बाजार की समस्त दरें बढ़ जाती हैं, उसके पश्चात् फेडरल बैंकों की कटौती दर बढ़ती है और जब बाजार की दरें घट जाती हैं तो कटौती-दर भी कम कर दी जाती है।[1] इस प्रकार कटौती-

1 Kent Raymond P —Money and Banking V ed p 540

दर बाजार दरों को प्रभावित नहीं करती वरन् बाजार-दरें, कटौती-दर को प्रभावित करती हैं, जबकि साख नियन्त्रण के प्रभावशील यन्त्र के रूप में, इसके विपरीत होना चाहिए। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को स्थापित हुए 35 वर्ष से अधिक हो चुके हैं किन्तु फिर भी साख नियन्त्रण के यन्त्र के रूप में बैंक दर को प्रभावशील यन्त्र नहीं कहा जा सकता।

किन्तु जापान में बैंक ऑफ जापान द्वारा साख नियन्त्रण के लिए बैंक-दर एक अत्यन्त महत्वशील यन्त्र के रूप में सिद्ध हुई है। इसके प्रमुख कारण ये हैं—

1 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान में उद्योग धंधे व्यापार व आर्थिक व्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास होने लगा और ये सब मुख्य रूप से व्यापारिक-बैंकों के ऋणों पर निर्भर हो गये। अतः व्यापारिक बैंकों से ऋणों की माँग बढ़ी और व्यापारिक बैंक विशेषतः बैंक ऑफ जापान के ऋणों पर निर्भर हो गये। इन परिस्थितियों में बैंक दर में परिवर्तन होने के प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापारिक-बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों पर पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जापान में बैंक-दर की प्रभावशीलता का मुख्य कारण है कि ऋणों के लिए व्यापारियों व उद्योगपतियों का व्यापारिक बैंकों पर अत्यधिक निर्भरता और व्यापारिक बैंकों आदि की बैंक ऑफ जापान पर अत्यधिक निर्भरता।

2 बैंक-दर का उपरोक्त महत्व होने के कारण, इसमें परिवर्तन होने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है।

3 जापान के व्यापारिक बैंकों में सन् 1957 में एक आपसी समझौता किया गया था जिसमें यह निश्चय किया गया कि बैंक-दर में परिवर्तन के अनुरूप वे भी ऋण देने व कटौती दरों में परिवर्तन कर लेंगे। व्यापारिक-बैंक उस समझौते का पालन भी करते रहे हैं।

बैंक-दर के महत्वशील होने के परिणामस्वरूप ही, जापान की बड़ी व छोटी वित्तीय संस्थायें प्रतिभूति कम्पनियाँ और औद्योगिक कम्पनियाँ सावधानी से बैंक-दर के परिवर्तनों को देखती रहती हैं।

(ii) साख की अधिकतम सीमा निर्धारित करना (Credit Ceiling System)—ऋणों के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा बैंक ऑफ जापान पर बहुत अधिक व सरलता से निर्भर रहने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए यह नीति अपनाई गई है। इस नीति को प्रथम बार नवम्बर 1962 से अपनाया गया है। इसके अन्तर्गत बैंक ऑफ जापान प्रत्येक वित्तीय संस्था को उधार देने की राशि को पहले ही निर्धारित कर लेता है। यह सीमा उस संस्था की सम्पत्तियों व देनदारियों के आधार पर एक फार्मूले से निर्धारित की जाती है।

साधारणतया बैंक ऑफ जापान निश्चित की गई सीमा से अधिक मात्रा में ऋण उस वित्तीय संस्था को प्रदान नहीं करता। किन्तु फिर भी विशेष परिस्थितियों में इस सीमा से अधिक राशि के ऋण दे देता है, किन्तु इसके लिए दण्डस्वरूप ऊँची ब्याज दर पर ऋण देता है जो कि आजकल बैंक-दर से 4 प्रतिशत अधिक है।

(iii) खिड़की निर्देशन (Window Guidance)—साख नियन्त्रण के विभिन्न साधनों के पूरक के रूप में बैंक ऑफ जापान 'खिड़की निर्देशन' को भी काम में लेता है। इसके अन्तर्गत बैंक अपने सदस्यों को समय समय पर उनके कोषों की स्थिति के संबंध में और अन्य आवश्यक मामलों में निर्देश (guide) देता रहता है। यह बैंक अपने सदस्यों को समाशोधन के परिणामस्वरूप उनके दैनिक कोषों की स्थिति बतलाता है जिसके फलस्वरूप सदस्यों को साख प्रसार की अपनी शक्ति ज्ञात रहती है।

(iv) खुले बाजार की क्रियाएं (Open Market Operations)—खुले बाजार की क्रियाओं से आशय है केन्द्रीय बैंक के द्वारा साख एवं मुद्रा के संचालन व नियन्त्रण के लिए, खुले बाजार में प्रतिभूतियों व बिलों का क्रय विक्रय। सर्वप्रथम ये क्रियाएं व्यापारिक-बैंकों व केन्द्रीय-बैंकों के नाम के कोषों पर प्रभाव डालते हैं, और जिसका अप्रत्यक्ष प्रभाव ब्याज की दरों के परिवर्तन पर पड़ता है।

बैंक ऑफ जापान कानून [Article 20 (5)] के अनुसार इस बैंक का एक कार्य व्यापारिक बिलों, बैंकरों की स्वीकृतियां, अन्य बिल व प्रतिज्ञा-पत्रों सरकारी व अन्य बॉंड एवं ऋण पत्रों को क्रय विक्रय करना है। जापान में पूंजी एवं मुद्रा बाजार अभी तक पूर्णरूप से विकसित नहीं हैं अतः खुले बाजार की क्रियाएं बैंक ऑफ जापान तथा व्यक्तिगत बैंकों के मध्य द्विपक्षीय व्यवहार का रूप ले लेती हैं। जब बाजार में मुद्रा की अधिकता होती है तो बैंक ऑफ जापान स्थानीय बैंकों और कृषि व वन-कर्म के केन्द्रीय सहकारी बैंक को बिपत्र आदि का विक्रय कर देता है और इस प्रकार उनके अतिरिक्त अधिक कोषों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार जब बाजार में मुद्रा की तंगी होती है तो यह बैंक पुनः क्रय समझौतों के अन्तर्गत सरकारी बॉंड व सरकार द्वारा गारंटी किए गए बॉंडों को खरीद लेता है। इन क्रियाओं को वास्तविक अर्थ में खुले बाजार की क्रियाएं नहीं कहनी चाहिए।

द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् से मौद्रिक-नीति के रूप में बैंक ऑफ जापान ने बिलों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आरम्भ किया। नवम्बर 1962 में मौद्रिक संचालन का नवीन ढंग (New Measure for Monetary Regulation) प्रचलित किया गया जिसका उद्देश्य खुले बाजार की क्रियाओं पर पहले की अपेक्षा अधिक जोर दिया गया। बॉंड-बाजार के पुनः खुलने और ब्याज-दरों की कमी होने के कारण बैंक ऑफ जापान ने सन् 1966 से सरकारी-बॉंडों और सरकार द्वारा गारंटी किए गये बॉंडों में खुले बाजार की क्रियाएं आरम्भ कर दीं और साथ ही माँग पर-देय ऋणों के व्यापारियों को अल्पकालीन प्रतिभूतियां विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया। जून 1969 से इस बैंक ने पुनः क्रय समझौता को चालू किया जिसके अन्तर्गत यह बैंक सरकारी बॉंड व अन्य प्रतिभूतियों का अल्पकालीन क्रय-विक्रय करता है।

(i) प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय—सन् 1962 से 1965 तक बैंक ऑफ जापान प्रतिभूतियों का क्रय सन्ब पुन क्रय समझौता के अन्तर्गत करता था। अप्रैल सन् 1962 में जापान में बॉंड-बाजार बंद कर दिया गया था किंतु इसको फरवरी 1966 से पुन चालू कर दिया गया।

वर्तमान समय में नई प्रणाली प्रारम्भ की जिसकी प्रमुख बातें ये थी—प्रथम क्रय सीधा ही होता है जबकि पहले प्रतिभूतियों का क्रय पुन क्रय समझौता के अंतर्गत होता था द्वितीय इन प्रतिभूतियों आदि के मूल्य बाजार मूल्यों के आधार पर निश्चित किये जाते है, तृतीय, प्रतिभूति कम्पनियों को उस सूची में सम्मिलित कर लिया गया जिनसे कि यह बैंक व्यवहार कर सकता है चतुर्थ पुरानी प्रणाली के अंतर्गत सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉंडों बैंक ऋण-पत्रों और कुछ विशिष्ट औद्योगिक बॉंडों को बैंक खरीद सकता था किंतु नई प्रणाली के अंतर्गत केवल सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉंडों में ही बैंक ऑफ जापान व्यवहार कर सकता है। फरवरी 1967 से इसमें नये सरकारी-बॉंडों को और सम्मिलित कर लिया गया है। आजकल प्रचलित प्रणाली का विवरण इस प्रकार है—

(क) किनसे खरीदा जा सकता है ?—बैंक ऑफ जापान इन संस्थाओं से खरीद सकती है—बैंक दीर्घकालीन साख बैंक विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंक, नेशनल फेडरेशन ऑफ क्रेडिट ऐसोसियेशन्स, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फॉरेस्ट्री एवं वे प्रतिभूति-कम्पनियाँ जो बैंक ऑफ जापान में अपने खाते रखती हैं।

(ख) प्रतिभूतियाँ—बैंक ऑफ जापान सरकारी-बॉंड और सरकार द्वारा गारंटी किये गये बॉंडों को खरीद सकता है।

(ग) क्रय मूल्य—क्रय किये जाने वाले बॉंडों के क्रय मूल्य निर्धारण का ढंग भी स्पष्ट कर दिया गया है। बॉंड विक्रय करने वाली संस्थाओं को बैंक ऑफ जापान अपने द्वारा इनका क्रय करने की अधिसूचना (notification) देता है। इस अधिसूचना के ठीक एक दिन पूर्व के बाजार मूल्य के आधार पर क्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है।

(ii) सरकारी बॉंडों आदि का अल्पकालीन क्रय—जून 1969 में बैंक ऑफ जापान ने सरकारी बॉंडों व अन्य प्रतिभूतियों के अल्पकालीन क्रय की योजना लागू की। कोषों की मौसमी आधिक्यता एवं कमी के समायोजन करने के हेतु इस योजना को चालू किया गया। कोषों की अल्पकालीन कमी के काल में बैंक ऑफ जापान प्रतिभूतियों को क्रय करके कोषों की कमी को दूर करता है और कोषों की अल्पकालीन आधिक्यता के समय यह बैंक प्रतिभूतियों को क्रय करके कोषों के आधिक्य को सोख (absorbs) लेता है। बैंक ऑफ जापान ये व्यवहार एक माह में पुन क्रय के समझौते के आधार पर करता है।

(क) किनसे खरीदता है—बैंक ऑफ जापान प्रतिभूतियों को बैंकों से दीर्घकालीन साख बैंकों, विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंकों, नेशनल फेडरेशन ऑफ

क्रेडिट ऐसोसियेशन, सैन्ट्रल को आपरेटिव बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फौरस्ट्री तथा उन पारस्परिक ऋण व बचत बैंकों से खरीदना है जो इसमें (बैंक आफ जापान में) अपने खाते रखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इस योजना के अंतर्गत यह बैंक प्रतिभूति कम्पनियों से क्रय विक्रय नहीं करता है।

(ख) खरीदी जाने वाली प्रतिभूतियां—निर्गमन की तिथि से एक वर्ष अथवा अधिक अवधि के सरकारी बौंड, सरकार द्वारा गारंटी किए गए बौंड और ब्याज वाले बैंक ऋण पत्रों को बैंक आफ जापान खरीद सकता है।

(ग) पुनः क्रय के समझौते—इन प्रतिभूतियों का क्रय अधिकतम एक माह की अवधि के लिए, पुनः क्रय के समझौता के अंतर्गत बैंक ऑफ जापान खरीदता है। यदि आवश्यक हो तो इस अवधि को एक माह तक आगे और बढ़ाया जा सकता है।

(घ) क्रय व पुनः क्रय मूल्य—वास्तविक रूप से क्रय करने की तिथि से एक दिन पूर्व बाजार में प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रतिभूतियों के क्रय मूल्य निश्चित किये जाते हैं। जिस मूल्य पर इन्हें क्रय किया गया था वही मूल्य पुनः क्रय मूल्य होता है। जितने समय तक बैंक आफ जापान इन प्रतिभूतियों को अपने पास रखता है। (जो कि साधारण परिस्थितियों में एक माह व विशेष परिस्थितियों में दो माह तक हो सकती है) उस अवधि के लिए यह बैंक ब्याज प्राप्त करता है। क्रय करने के दिन माग पर देय ऋण बाजार में प्रचलित ब्याज की दरों का औसत ब्याज की जाने वाली ब्याज दर होती है।

3 न्यूनतम रिजर्व निक्षेप प्रणाली
(Minimum Reserve Deposit Requirement System)

'Law Concerning Reserve Deposit Requirement System' के Article 4 के अंतर्गत जापान में रिजर्व निक्षेप प्रणाली को मई 1957 से चालू किया गया किंतु सितम्बर 1959 में इस प्रणाली को व्यवहार में लाया गया जबकि प्रथम बार रिजर्व अनुपात निश्चित किए गये। यह ध्यान रहे कि बैंक आफ जापान का नीति मंडल (Policy Board) रिजर्व अनुपातों को निर्धारित करता है।

संस्थाएं जिन्हें रिजर्व-कोष रखना अनिवार्य है—निम्नलिखित वित्तीय संस्थाओं को कानून के अधीन बैंक आफ जापान के पास रिजर्व कोष रखना पड़ता है—

1 बैंकिंग-लॉ के अधीन लाइसेंस प्राप्त बैंक अर्थात साधारण बैंक, ट्रस्ट बैंक और विदेशी बैंकों की स्वदेशी शाखाएं,
2 दीर्घकालीन साख बैंक, विशिष्ट विदेशी विनिमय बैंक, सैन्ट्रल को आपरेटिव बैंक आफ एग्रीकल्चर एण्ड फौरस्ट्री
3 व पारस्परिक ऋण और बचत बैंक और साख एसोसियेशन्स जिनके निक्षेप 20 बिलियन येन से अधिक हैं।

रिजर्व अनुपात की दरें—बैंक ऑफ जापान को रिजर्व अनुपात को निश्चित करने, परिवर्तन करने व उन्मूलन (abolish) करने का अधिकार[1] है।

रिजर्व अनुपात की अधिकतम कानूनी दर 10 प्रतिशत है, और इस अधिकतम सीमा के भीतर ही बैंक ऑफ जापान समय निक्षेप (तीन माह से अधिक अवधि के लिए निक्षेप) व चालू खाते आदि के लिए रिजर्व अनुपात निर्धारित कर सकता है। रिजर्व अनुपात को निश्चित करने, परिवर्तन करने व उन्मूलन करने का अधिकार तो बैंक ऑफ जापान को है किंतु इसके लिए जापान के वित्त मंत्री का अनुमोदन (approval) प्राप्त करना आवश्यक है। नीचे की तालिका में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने निक्षेपों का जो अनुपात कानूनी तौर पर बैंक ऑफ जापान के पास रखना पड़ता है, उसे दर्शाया गया है। ये दरें सितम्बर 16, 1969 से लागू हैं—

जापान में निक्षेप अनुपात

	समय निक्षेप (प्रतिशत में)	अन्य निक्षेप (प्रतिशत में)
समस्त बैंक जिनके निक्षेप—		
100 बिलियन येन से अधिक हैं	0 50	1 50
100 बिलियन येन अथवा उससे कम, किंतु 20 बिलियन येन से अधिक हैं	0 26	0 75
20 बिलियन येन अथवा उससे कम	0 25	0 75
पारस्परिक ऋण व बचत बैंक और क्रेडिट एसोसियेशन्स— जिनके निक्षेप 20 बिलियन येन अथवा अधिक हैं	0 25	0 75
सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक आफ एग्रीकल्चर एण्ड फौरेस्ट्री	0 25	0 05*

* यह दर मार्च 31, 1970 को थी।

विशेष टिप्पणियाँ

(i) उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जापान में निक्षेप अनुपात की दरें बैंकों व वित्तीय-संस्थाओं के निक्षेपों की मात्रा पर अलग अलग है,

(ii) व्यावहारिक निक्षेप अनुपात बहुत कम है (0 25 प्रतिशत से 1 50 प्रतिशत)

---

1 Vide Bank of Japan Law Article 13-3 (6) and the Law Concerning Reserve Deposit Requirement System Articles 3 and 4.

(iii) निक्षेप अनुपात की दरें जापान में बहुत कम (नीची) होने के दो प्रमुख कारण हैं—(क) बैंक आदि अपने पास बहुत कम रिजर्व रख पाते हैं और (ख) बैंक ऑफ जापान से ऋण अधिक मात्रा में ले रखे हैं। इनका कारण यह है कि जापान में आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही तेज गति से विकास हो रहा है और वित्तीय संस्थाओं में ऋणों की माँग बहुत ही अधिक है।

(iv) यदि अन्य विकसित देशों से तुलना की जाय तो ज्ञात होगा कि निक्षेप का अनुपात जापान में बहुत ही कम है।

, रिजर्व निक्षेप—बैंक व संस्थाएं, बैंक ऑफ जापान के पास ये निक्षेप चालू खाते के रूप में रखते हैं। निक्षेपों के औसत मासिक के आधार पर रिजर्व के लिए कोषों की गणना की जाती है। बैंकों आदि की तिजोरियों में रखे गये नकद कोषों की मात्रा को बैंक ऑफ जापान के पास रखे जाने वाले कोषों की मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता।

बैंक यदि किसी वित्तीय संस्था के रिजर्व बैंक ऑफ जापान के पास रखे जाने वाले रिजर्व से कम हो जाते हैं तो इस अन्तर की राशि[1] पर बैंक ऑफ जापान सामान्य बैंक-दर से 3.65 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करेगा। इस प्रकार प्राप्त किए गए ब्याज को बैंक ऑफ जापान स्वयं अपने पास नहीं रख सकता, बल्कि, सरकारी-ट्रेजरी में जमा करा देना पड़ता है।

4 चुने हुए साख नियन्त्रण
(Selective Credit Control)

अन्य विकसित देशों की भाँति जापान में चुने हुए साख नियन्त्रण की नीति नहीं अपनाई जाती है। जापान में उपभोक्ता-साख पर कोई वैधानिक नियन्त्रण नहीं है, क्योंकि जापान के वित्तीय चित्र में इसका कोई महत्वशील भाग नहीं है।

बैंक ऑफ जापान की स्थिति का अनुमान

नीचे की तालिका में बैंक ऑफ जापान की सम्पत्तियां व देनदारियाँ (Assets and Liabilities) का सूक्ष्म विवरण, जैसा कि मार्च 31, 1969 को था, दिया जा रहा है। इससे बैंक ऑफ जापान की स्थिति का एक अनुमान लगाया जा सकता है।

टेबिल अगले पेज पर देखिये।

1 (रिजर्व की राशि जो होनी चाहिए थी)-(वास्तविक रिजर्व की राशि)=राशि जिस पर ब्याज देना होगा।

मार्च 31, 1969 को

संपत्तियां (Assets)	यन में (In Yen)	देनदारियां (Liabilities)	यन में (In Yen)
स्वर्ण बुलियन	30 890,374 465	निर्गमित बैंक नोट	3 636 329 087 348
रोकड़ (सहायक सिक्के)	52 455 403 594	वित्तीय संस्थाओं के निक्षेप	248 213,906 262
कटौती किए गए बिल्स	341,848 887 868	सरकारी निक्षेप	573 905,819 412
ऋण	1 222,084 720 000	अन्य निक्षेप	12 237,352 797
सरकारी प्रतिभूतियां	1 601,220,801 429	अन्य देनदारियां आदि	
अन्य प्रतिभूतियां	713 251,093 066	कुल देनदारियां (योग)	4 679 234 934 425
विदेशी संपत्तियां	710 501 502,975	पूंजी	100,000,000
उपार्जित ब्याज आदि	12 363 477,945	वैधानिक रिजर्व	33 549,610 000
बैंक भवन	5 465 478,093	स्पेशल रिजर्व	112,519,500 000
अन्य		स्पेशल वैधानिक रिजर्व	13 196 482
		वर्ष की शुद्ध आय	58 671,269 189
		पूंजीगत खातों [illegible] योग	204 853 575 641
कुल जोड़	4,884 088 510 066	कुल जोड़	4 884 086 510 066

विश्लेषण

(क) सपत्ति–पक्ष

1 बैंक ऑफ जापान के वार्षिक चिट्ठे (Balance Sheet) का याग (माच 31 1961 का) लगभग 49 खरब येन है।

2 बक के शेष स्वण लगभग 30 अरब 89 कराड येन के मूल्य का है।

3 इस बैंक ने लगभग 3 खरब 41 अरब येन के मूल्य के बिल कटौती किए।

4 इसने लगभग 12 खरब यन के ऋण दिए।

5 इसके पास लगभग 16 खरब यन की सरकारी प्रतिभूतिया हैं अन्य प्रतिभूतिया लगभग 7 खरब यन के मल्य की हैं।

6 विदेशी सपत्तिया 7 खरब यन की हैं।

7 उपार्जित ब्याज प्राप्ति लगभग 12 लाख यन है।

(ख) देनदारी पक्ष

1 बैंक ऑफ जापान द्वारा (माच 31 1969 को) निर्गमित किय गये नोटों का मूल्य लगभग 36 खरब यन है।

2 सरकारी निक्षेप वित्तीय सस्थाओं के इस बैंक म निक्षेपा से दुगुने स भी अधिक हैं (क्रमश 5 73 खरब व 2 48 खरब हैं)।

3 बैंक की पूजी 10 करोड़ यन है।

27

व्यापारिक बैंक

(COMMERCIAL BANKS)

[क्रमिक विकास]

प्रारम्भिक विकास—1870 के प्रारम्भिक वर्षों में जापान में निजी बैंकों की स्थापना की बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रस्तुत हुई और बैंकिंग व्यवसाय को करने वाली कम्पनियाँ एक के बाद दूसरी स्थापित होती गईं। सन् 1875 तक बैंकिंग व्यवसाय करने वाली लगभग 100 कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी थीं। इन कम्पनियों को बैंक के समरूप कम्पनियाँ (companies similar to banks) कहा जाता था, क्योंकि तत्कालीन नेशनल बैंक एक्ट के अनुसार बैंक शब्द का प्रयोग केवल नैशनल बैंक ही कर सकते थे अन्य कोई बैंक अथवा कम्पनी नहीं।

बाद में बैंक शब्द के प्रयोग से सम्बन्धित प्रतिबन्ध हटा लिया गया और अनेक बैंक के समरूप कम्पनियों ने अपने नाम में बैंक शब्द को सम्मिलित कर लिया, और इस प्रकार निजी बैंकों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई। इसके अतिरिक्त सन् 1879 में नये नेशनल बैंकों की स्थापना पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप निजी बैंकों और बैंकों के समरूप कम्पनियों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार सन् 1889 में बैंक एक्ट (Bank Act) के निर्माण के पूर्व जापान में निजी बैंकों की संख्या 218 थी और बैंक के समरूप कम्पनियों की संख्या 695 थी।

कुछ निजी बैंकों का आकार नेशनल बैंकों के समान था और अधिकांश निजी बैंकों की पूँजी 50 हजार येन थी और बैंकों के समरूप कम्पनियों की औसत पूँजी 20 हजार येन थी। बड़े निजी बैंकों को छोड़ कर निजी बैंकों की कार्यशील पूँजी का अधिकांश भाग प्रदत्त पूँजी (paid in capital) होती थी क्योंकि ये बैंक निक्षेपों (deposits) को अधिक आकर्षित नहीं कर पाते थे। बैंकों के समरूप कम्पनियाँ आकार में निजी बैंकों से भी छोटी होती थीं और वे महाजनों (money lenders) के समान ही थीं।

इन परिस्थितियों में जापान सरकार ने बैंक सम्बन्धित उपयुक्त कानून बनाने की आवश्यकता समझी। फलतः सन् 1890 में बैंक एक्ट (Bank Act) पास किया गया जो सन् 1893 में प्रभावशील किया गया। इस एक्ट में बैंकिंग व्यवसाय को परिभाषित किया गया एवं बैंकों को लाइसेंस देने और उनके पर्यवेक्षण (supervision) सम्बन्धी प्रावधान किये गये। इस एक्ट ने एकल ग्राहकों को (single customers) बड़ी मात्रा में ऋण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। किन्तु यह प्रतिबन्ध बाद में देश

की औद्योगिक प्रक्रिया की अर्थव्यवस्था मे अव्यावहारिक एव कठोर नियम के रूप म हुआ अत इस प्रतिबध को हटा लिया गया।

बैंक एक्ट 1890 के पश्चात् विकास—सन् 1890 म जापान म बैंक एक्ट पास किया गया जो सन् 1893 से प्रभावशील हुआ। इसके पश्चात जापान मे व्यापारिक बैंको का विकास तेज गति से हुआ। बैंको के समरूप कम्पनियो को व्यापार करने से रोक दिया गया अत ऐसी अधिकांश कम्पनिया न या तो बैंक के रूप म लाइसेंस प्राप्त कर लिया अथवा बैंको म मिल (amalgamated) गयी। इसके फलस्वरूप जापान म बैंको की सख्या म बहुत वृद्धि हो गई।

इसके पश्चात बैंको की सख्या म निरतर वृद्धि होती गई। इन बैंको की सख्या बढकर सन् 1896 मे 1,000 से कुछ अधिक हो गई, अगले पाच वर्षों म इन की स्थापना और तेजी से हुई, फलस्वरूप सन् 1901 म इन बैंको की सख्या बढ कर लगभग 1870 हो गई। बैंक विकास की इस अवधि म बैंक निक्षेपो म भी बहुत वृद्धि हुई। सन् 1893 से 1901 की 9 वर्षों की अवधि म निक्षेपो म लगभग 9 गुनी वृद्धि हुई। इसी प्रकार इस काल म ऋण देने की मात्रा म भी बहुत वृद्धि हुई। सन् 1893 से 1901 की 9 वर्षों की अवधि म ऋणो की मात्रा म 14 गुना वृद्धि हुई। इस निक्षेप और ऋण देने का अनुपात लगभग 1 70 था। ये बैंक ऋण की इस अधिक राशि को देने के लिए बैंक आफ जापान से ऋण लेते थे। सन् 1900 के पश्चात् के वर्षों म इन बैंको मे निक्षेप तो अधिक तेज गति से बढे किंतु दिये जाने वाले ऋणो का अनुपात कम हो गया। इसका कारण यह था कि बैंक ऑफ जापान अब प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण को ऋण देने लगा था।

जापान म सन् 1901 तक बैंको की सख्या म बहुत वृद्धि हुई उस समय बैंको की सख्या लगभग 18 0 थी। यह प्रवृत्ति प्रथम विश्व-युद्ध के पश्चात तक रही।

सन् 1920 के पश्चात जापान म बैंक एकीकरण (amalgamation) का काय तेजी से हुआ। उस वर्ष के आतक म और उसके बाद की आर्थिक मदी काल म अनेक कमजोर बैंक फेल हो गये। यहा तक कि बडे बैंक जैसे पन्द्रहवा बैंक (The Fifteenth Bank) और बैंक आफ ताईवान भी प्रभावित हुए। इन परिस्थितियो म जापान की सरकार ने सन् 1920 म बैंक एक्ट म सशोधन किये और बैंको के एकीकरण को सरल बना दिया। इस प्रकार के प्रोत्साहन से सन् 1921 और 1926 की अवधि में बैंको की सख्या लगभग 100 कम हो गई जिन बैंको की अधिकृत पूजी 1 लाख येन या इससे कम थी उनकी सख्या भी लगभग आधी रह गई। छोटे स्थानीय बैंको का एकीकरण स्थानीय आधार पर ही किया गया क्योकि इनका एकीकरण बडे सिटी-बैंको के साथ होना कठिन था। आर्थिक मदी के समय बैंको के व्यवसाय म भी प्रगति नही हुई। इस गिरते हुए व्यवसाय का सबसे अधिक प्रभाव छोटे बैंको पर पडा। सन् 1927 के भीषण आर्थिक आतक के समय दुर्बल बैंकिंग ढाचा बुरी तरह लडखडा गया।

सन् 1927 मे सरकार ने बैंकिंग-कानून बनाया जो जनवरी 1928 से प्रभावशाल हुआ, इस कानून के बन जाने पर पुराना बैंक एक्ट निरस्त हो गया। इस

बैंक कानून की धारा 3 में बैंकों के लिए न्यूनतम-पूंजी निर्धारित की गई। यह धारा 3 केवल नये बैंकों के लिए ही लागू नहीं होती थी, वरन् पुराने बैंकों पर भी लागू होती थी। पुराने बैंकों में लगभग आधे बैंक ऐसे थे जिनकी पूंजी नये बैंक-कानून के अनुसार कम थी। केवल इस तथ्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि सरकार बैंकों के एकीकरण की नीति का जोरदार समर्थन कर रही थी। इस कानून के अनुसार जो बैंक टोकियो अथवा ओसाका नगरों में थे उनकी न्यूनतम आवश्यक पूंजी 20 लाख यन और अन्य बैंकों की न्यूनतम पूंजी 10 लाख यन कर दी गई। यह पिछले बैंकिंग एक्ट में न्यूनतम पूंजी से दो गुनी थी।

सरकार की उपरोक्त नीति का प्रभाव यह पड़ा कि जापान में सन् 1926 में 1420 बैंक थे उनकी संख्या सन् 1931 में 683 और सन् 1938 में 418 ही रह गई। सन् 1927 के बैंक कानून ने बैंकों पर यह प्रतिबंध भी लगा दिया कि वे अन्य किसी व्यापार में संलग्न नहीं हो सकते, शाखाओं के खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा सरकारी पर्यवेक्षण (supervision) को और अधिक कठोर कर दिया गया। अतः छोटे व कमजोर बैंक या तो समाप्त हो गये अथवा बड़े बैंकों में मिल गये। इस प्रकार बड़े बैंकों की स्थिति महत्वशील हो गई।

सन् 1926 और 1939 की अवधि में जापान के पांच बड़े बैंकों[1] (Big Five Banks) का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस अवधि में इन पांच बड़े बैंकों के पास देश के समस्त व्यापारिक-बैंकों के पास जितनी राशि के कुल निक्षेप (deposits) थे, जितनी राशि के ऋण दिये हुए थे व जितनी राशि प्रतिभूतियों में विनियोग की हुई थी उसका महत्वशील भाग इन बड़े-पांचों बैंकों का था, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है—

	पांच बड़े बैंकों का भाग	
समस्त व्यापारिक बैंक के कुल—	1926 में	1939 में
निक्षेप राशि का	24%	37%
ग्राहकों को ऋण	20%	30%
प्रतिभूतियों में विनियोग	26%	41%

यह उल्लेखनीय है कि इन पांच बड़े बैंकों में से चार बैंकों का नियंत्रण जैबत्सु[2]

1 पांच बड़े बैंक ये थे—मित्सुई, मित्सुबिशी, दाई ईची, सुमितोमो और यासुदा।

2 जैबत्सु शब्द का शाब्दिक अर्थ है धनवानों का गृह और इसका प्रयोग जापान की उन महान् व्यापारी संस्थाओं के लिए किया जाता है जिनके हित बहुत व्यापक हैं। मित्सुई, मित्सुबिशी, सुमितोमो और यासुदा, ये चार प्रधान जैबत्सु संस्थाएं थीं। इन संस्थाओं ने जापान के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भाग लिया।

(Zaibatsu) के हाथों में था, जिनकी शक्ति एकीकरण की इस प्रक्रिया से बहुत अधिक बढ़ गई थी।

अब जापान में युद्ध की अर्थ-व्यवस्था हो गई और सरकार की यह नीति रही कि प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र में एक बैंक हो। इस नीति को अपनाने के कई उद्देश्य थे, जैसे सरकार का साख पर अधिक मजबूत नियन्त्रण हो, बैंकों द्वारा सरकारी बौंड अधिक मात्रा में लें एवं युद्ध-सामग्री निर्माताओं को सरलता से वित्तीय प्रबंध हो सके। इस समय सरकार का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक-बैंकों के प्रबंध में सुधार करना नहीं था। इन सबका परिणाम यह हुआ कि व्यापारिक-बैंकों की संख्या सन् 1945 में घटकर केवल 61 ही रह गई,[1] किंतु इन बैंकों के व्यापार में काफी वृद्धि हुई।

द्वितीय विश्व युद्ध में जापान को बहुत क्षति उठानी पड़ी अतः जापान के पुनर्निर्माण पर ही विशेष ध्यान दिया गया। सन् 1951 में जापान में 78 व्यापारिक बैंक थे, जबकि सन् 1945 में 61 व्यापारिक बैंक ही थे। यह वृद्धि नये व्यापारिक बैंकों की स्थापना से ही नहीं हुई क्योंकि इस अवधि में केवल 4 नये व्यापारिक-बैंक, स्थापित हुए किंतु पूर्वकालीन 3 विशिष्ट-बैंकों (Special Banks) 6 पूर्वकालीन ट्रस्ट कम्पनियों और 4 पूर्वकालीन बचत-बैंकों को व्यापारिक-बैंक की श्रेणी में सम्मिलित कर लिया गया। इस प्रकार, व्यापारिक बैंकों की संख्या 78 हो गई। इनके अतिरिक्त 14 विदेशी-बैंकों ने युद्ध के पश्चात अपनी शाखाएं जापान में खोली हैं।

सन् 1970 में जापान में 75 व्यापारिक-बैंक थे (जिनमें 14 सिटी बैंक और 61 स्थानीय बैंक)। इनके अतिरिक्त 18 विदेशी बैंकों ने जापान में अपनी शाखाएं स्थापित की हैं।

व्यापारिक बैंकों की प्रवृत्ति—जहां तक जापान में व्यापारिक बैंकों की संख्या का सम्बन्ध है उससे ज्ञात होता है कि इसमें घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	व्यापारिक बैंकों की संख्या
1901	1870
1930	872
1940	351
1945	61
1951	78
1970	75

1 8 सिटी बैंक व 53 स्थानीय बैंक=61

28

व्यापारिक बैंक

(क्रमश)

व्यापारिक बैंक से आशय—व्यापारिक बैंक अल्पकालीन साख वित्तीय संस्थाएं हैं जिनके स्रोत निक्षेप हैं, जिन्हें या तो साधारण जनता से एकत्रित किया जाता है अथवा उनके स्वयं के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं।[1] व्यापारिक बैंकों को जापान में प्राय निक्षेप बैंक (deposit bank) अथवा साधारण बैंक (ordinary bank) भी कहते हैं।

व्यापारिक बैंकों का महत्व—मेइजी-युग (Meiji era 1868–1912) से ही व्यापारिक बैंकों ने जापान की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योग दिया है। जापान के द्रुत आर्थिक विकास को सदैव ही पूंजी संचय की आवश्यकता रही है और इस दिशा में व्यापारिक बैंक बहुत ही सक्रिय रहे हैं। जापान की समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा जितनी राशि सम्मिलित रूप से एकत्रित की जाती है उससे कहीं अधिक राशि व्यापारिक बैंक अपने यहां निक्षेपों में एकत्रित कर लेते हैं। ये व्यापारिक बैंक औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थाओं के लिए धन की व्यवस्था करते हैं। साथ ही साथ ये बैंक साख-सृजन (credit create) भी करते हैं। जो संस्थाएं देश के आर्थिक विकास के लिए चालक शक्ति का निर्माण एवं पूर्ति करती हैं उन्हें ये बैंक विनियोग के लिए और राशि देते हैं। एक अनुमान के अनुसार इन वर्षों में जितने औद्योगिक कोषों की आवश्यकता हुई है उसके लगभग 30 प्रतिशत भाग की पूर्ति व्यापारिक बैंकों ने ही की है।

व्यापारिक बैंकों के प्रकार—बिना एक भी अपवाद के जापान में समस्त व्यापारिक-बैंकों का सम्मेलन निजी आर्थिक संस्थाओं के रूप में हुआ है। जापान के व्यापारिक बैंकों को स्थूल रूप से दो वर्गों में रख सकते हैं—सिटी बैंक और स्थानीय बैंक (local banks)। इनके अतिरिक्त विशिष्ट-विदेशी-विनिमय बैंकों एवं विदेशी बैंकों की जापान में शाखाओं को भी व्यापारिक बैंकों के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया है क्योंकि ये भी व्यापारिक-बैंकों के अनेक कार्य करते हैं।

1 **सिटी बैंक (City Banks)**—वे व्यापारिक बैंक जिनका प्रधान कार्यालय किसी बड़े नगर में हो और अपनी शाखाओं के द्वारा समस्त देश में कार्य करें उन्हें जापान में सिटी-बैंक कहते हैं। ऐसे बैंकों की शाखाएं प्राय समस्त बड़े नगरों

1 Commercial banks are short term credit financial institutions whose resources are deposits either collected from the general public or created by themselves.

म होती हैं। जसे टोकियो, ग्रोसाका, नागोया कोबे ग्रादि। सन् 1970 मे जापान मे केवल 14 सिटी बक थे जबकि इनकी सख्या सन् 1962 म 12 थी। इन सिटी बको की जापान म लगभग 2 हजार शाखाए थी।

निजी वित्तीय सस्थाग्रा म सिटी बैंकों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जापान म समस्त वित्तीय सस्थाग्रा के ग्राथिक स्रोतो के लगभग एक तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व ये सिटी बैंक ही करत हैं एव समस्त व्यापारिक बैंको के लगभग 60% ग्राथिक स्रोत इन सिटी बको क पास ही हैं। विनियोग एव ऋण दने की दृष्टि से, निजी व्यापार को जितनी राशि की ग्रावश्यकता पडती है, उसका लगभग 20% भाग सिटी बक ही प्रदान करत हैं।

बडे उद्यमो उद्योगा व्यापार ग्रादि स सिटी बको का घनिक सबध रहता है। जितन भी सिटी बैंको ने ऋण दिए हैं उनम से ग्राधे एसे हैं जा 10 करोड येन का ऋण प्रत्येक ग्राहक को दिया है। सिटी बको मे 60 प्रतिशत से भी ग्रधिक निक्षेप निगमो (Corporations) क हैं, जिनम से 90 प्रतिशत निक्षेप ऐसे हैं कि प्रत्येक निक्षेप 10 लाख येन से भी ग्रधिक का है। सिटी बक ग्रापस म बहुत ग्रधिक प्रतिस्पर्द्धा करत हैं ग्रौर बडे व्यापारिक गहो द्वारा बडी मात्रा म एव बडी राशिया म ऋणो की माग की जाती है जिसकी पूर्ति ये सिटी बक ग्रपन निजी साधना एव साख सृजन करके भी नही कर पात। ग्रत ये सिटी बक स्वय भी सदव ऋणी रहते हैं। ये सिटी बक बैंक ग्राफ जापान से मुख्यत ऋण लेते हैं।

2 स्थानीय बक (Local Banks)—स्थानीय बको का प्रधान कायालय प्रातीय नगरों (provincial cities) म होता है ग्रौर उनका काय क्षेत्र, प्रधान कार्यालय के निकटवर्ती क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। सन् 1970 म स्थानीय बको की सख्या 61 थी जिनके लगभग 3 हजार कायालय (offices) थे।

स्थानीय बको म कुछ ही इतने बडे हैं जिनकी तुलना ग्राकार की दृष्टि से सिटी बको से की जा सकती है किन्तु ग्रधिकाश स्थानीय बक छोटे ग्रथवा मध्यम ग्राकार के हैं। इन बको क ग्राहक भी मुख्यत स्थानीय छोटे व्यापारी व व्यवसायी होते हैं। इन बको म निक्षेप व्यक्तिगत खातो म कराए जात हैं ग्रौर ग्रधिकाश खाते सावधि खाता (Time Deposit Accounts) के रूप म होते हैं। इस प्रकार इन बको के पास कोष पर्याप्त रहत हैं ग्रत इन बको द्वारा बक ग्राफ जापान से ऋण या तो लिए ही नही जात है, ग्रौर यदि लिए भी जाते हैं तो साधारण भाग मे।

3 विशिष्ट विदेशी विनिमय बक (Specialised Foreign Exchange Bank)—जापान म केवल एक ही विशिष्ट विदेशी विनिमय बक है जिसकी स्थापना विदेशी विनिमय बक कानून 1954 के ग्रन्तगत की गई थी। इस बक का नाम है 'बक ग्राफ टोकियो'। इस बक की स्थापना मुख्यत विदेशी विनिमय के व्यवहार (transactions) करने के लिए ग्रौर विदेशी व्यापार के लिए वित्त प्रबध करन के लिए की गई है। यह बक 'याकोहामा स्पेशी बक' का उत्तराधिकारी है।

बैंक ऑफ टोकियो का प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी टोकियो (Tokio) में है। इसकी शाखाएं आदि इस प्रकार हैं—

बैंक ऑफ टोकियो का प्रधान कार्यालय	1 (टोकियो)
जापान में इसकी शाखाएं	25
विदेशों में इसकी शाखाएं	18
विभिन्न देशों में इसकी एजेन्सियां	20
सबद्ध (affiliated) बैंक—	2
1 बैंक आफ टोकियो आफ कैलीफोर्निया [प्रधान कार्यालय सन फ्रांसिसको (U S A) और लास ए जिल्स व गार्डेना (U S A)]	
2 बैंक ऑफ टोकियो ट्रस्ट कम्पनी (प्रधान कार्यालय न्यूयार्क)	
सहयोगी बैंक (associate bank)—इंटरनेशनल बैंक ऑफ ईरान एण्ड जापान (प्रधान कार्यालय तेहरान में है)	1

इस बैंक में विदेशी-मुद्रा के प्राय सरकारी निक्षेप रखे जाते हैं। इसको विदेशों में भी कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है। इस बैंक को जापान में ऐसे स्थानों पर स्थानीय-कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है जो विदेशी व्यापार और विनिमय कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं।

यह बैंक येन (Yen) के ऐसे ऋण नहीं दे सकता है जो विदेशी-व्यापार तथा विनिमय कार्य से सम्बन्धित न हो।

4 जापान में विदेशी बैंक—जापान में सन् 1970 में 18 विदेशी बैंक कार्य कर रहे थे। इन बैंकों के प्रधान-कार्यालय तो विदेशों में होते हैं किन्तु इनके कार्यालय व शाखाएं जापान में हैं। इन विदेशी बैंकों को जापान में बैंक-कानून (The Bank Law) के अंतर्गत लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बैंक जापान के अन्य बैंकों की भांति येन में निक्षेप प्राप्त करते हैं और येन में ऋण भी देते हैं, किन्तु इनका प्रमुख कार्य विदेशी विनिमय के क्षेत्र में है।

जापान में विदेशी विनिमय व्यवसाय में इन बैंकों का कोई महत्वशील स्थान नहीं है और देशी वित्त प्रबन्ध में भी इनका विशेष महत्व नहीं है।

जापान में निम्नलिखित विदेशी-बैंक हैं—

जापान में स्थित विदेशी बैंक	विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालय	देश जहां के हैं	स्थान जहां जापान में स्थित हैं
1 Bank of America N T and S A	सन फ्रांसिसको	यू एस ए	टोकियो ओसाका कोबे योकोहामा
2 Wells Fargo Bank	सन फ्रांसिसको	यू एस ए	टोकियो प्रतिनिधि कार्यालय

जापान मे स्थित विदेशी बैंक	विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालय	देश जहा के हैं	स्थान जहा जापान म स्थित हैं
3 The American Express Copmany Inc	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो
4 The Chase Manhattan Bank	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो और ओसाका
5 The First National City Bank	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो, ओसाका, कोबे और योकोहामा
6 Margan Guaranty Trust Company	न्यूयार्क	यू एस ए	टोकियो, प्रतिनिधि कार्यालय
7 Continental Illinois National Bank & Trust Company of Chicago	शिकागो	यू एस ए	टोकियो और ओसाका
8 The Merchantile Bank Ltd	लदन	इगलैड	टोकियो और ओसाका
9 The Chartered Bank	लदन	इगलैड	टोकियो ओसाका कोबे और योकोहामा
10 Bank of India	बबई	भारत	टोकियो और ओसाका
11 The Hongkong & Shanghai Banking Corporation	हागकाग		टोकियो ओसाका कोबे और योकोहामा
12 Banque de l' indochine	पेरिस	फ्रास	टोकियो
13 Deutsche Bank	फ्रैंकफर्ट मेन	प जर्मनी	टोकियो प्रतिनिधि कार्यालय
14 Commerz Bank	ड्यूसलडर्फ	प जर्मनी	टोकियो प्रतिनिधि कार्यालय
15 Algemene Bank Niderland	एम्सटडम	नीदरलैंड	टोकियो ओसका कोबे
16 Bank of Korea	सिओल	कोरिया	टोकियो ओसाका
17 Bankok Bank	बगकाक	थाइलड	टोकियो
18 Bank of China	पीकिंग	चीन	टोकियो, ओसाका

जापान के व्यापारिक बैंको की विशेषताए
(Characteristics of Japanese Commercial Banks)

जापान के व्यापारिक बैंको की अपनी कुछ विशेषताए है, जिनके कारण वे कुछ अन्य देशों के व्यापारिक-बैंको से भिन्न हैं। इनकी प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित हैं—

1 शाखा बैंकिंग प्रणाली—योरोप के देशों की भाति जापान म भी व्यापारिक बैंको की शाखा प्रणाली (Branch Banking System) अपनाई गई है ।

संयुक्त राज्य अमरिका में बैंकों की इकाई प्रणाली (Unit Banking) अपनाई गई है।

जापान में बैंकों की शाखा प्रणाली काफी समय पूर्व से अपना ली गई है। प्रत्येक सिटी बैंक की राष्ट्रव्यापी शाखाएँ हैं। स्थानीय बैंकों की भी अपने क्षेत्र में अनेक शाखाएँ हैं। द्वितीय विश्व युद्ध काल में "एक क्षेत्र में एक बैंक" की नीति अपनाई गई थी, किन्तु अब ये बड़े नगरों की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

2 केन्द्रीय बैंक की सदस्यता—देश के समस्त व्यापारिक-बैंक, जापान के केन्द्रीय बैंक, बैंक ऑफ जापान के सदस्य हैं। अतः पूरे देश में व्यापारिक-बैंकों की एक समान नीति है और उन पर नियन्त्रण करना सरल है। इसके फलस्वरूप जनता को उपयुक्त बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। बैंकों में जमा करने की प्रवृत्ति अधिक लोकप्रिय हो गई है और कोषों का अधिक उपयुक्त ढंग से उपयोग होता है। संयुक्त राज्य अमरिका में समस्त बैंक फैडरल रिजर्व प्रणाली के सदस्य नहीं हैं। भारत में भी सूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks) और असूचीबद्ध बैंक हैं।

3 मिश्रित बैंकिंग (Mixed Banking)—विश्व के सभी देशों में व्यापारिक बैंक अल्पकालीन ऋण ही देते हैं। किन्तु जापान में व्यापारिक बैंकों द्वारा अन्य बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त, दीर्घकालीन ऋण देने की परम्परा रही है। द्वितीय विश्व युद्ध काल से पूर्व ही जापान में यह विचारधारा जोर पकड़ने लगी कि सामान्य व्यापारिक बैंकों को केवल अल्पकालीन ऋण ही देने चाहिए और दीर्घ-कालीन ऋणों को बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। अतः अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण देने वाली संस्थाओं में अन्तर की एक स्पष्ट रेखा खींचने के अनेक प्रयत्न किये गए।

वर्तमान समय (सन् 1970) में, जापान में व्यापारिक-बैंकों द्वारा प्रदान किए गये कुल ऋणों का लगभग 10% भाग एक वर्ष अथवा अधिक समय के लिए होते हैं। यदि व्यापारिक-बैंकों के उन ऋणों को भी जोड़ दिया जाय जो औपचारिक रूप में तो अल्पकालीन ऋण हैं किन्तु जिनका नवीनीकरण कर दिया गया है अथवा जिनके भुगतान के समय में वृद्धि कर दी गई है तो यह प्रतिशत और भी अधिक ऊँचा हो जावेगा।

इसके अतिरिक्त जापान में व्यापारिक बैंक दीर्घकालीन-साख बैंकों के ऋण पत्रों (debentures) का अभिगोपन (underwriting) भी करते हैं जो कि स्पष्टतः व्यापारिक बैंकों का कार्य नहीं है। सन् 1970 में जापान के व्यापारिक बैंकों के पास दीर्घकालीन-साख बैंकों के लगभग 30 प्रतिशत ऋण-पत्र थे और लगभग 50 प्रतिशत औद्योगिक-संस्थाओं के बॉण्ड्स थे। इस प्रकार यहाँ के व्यापारिक बैंक जापान के शेयर बाजारों में बॉण्ड के एक शक्तिशाली अभिदान दाता (subscriber) के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

औद्योगिक एवं व्यापारिक संस्थान जो कि अपनी पूँजी में वृद्धि करते हैं उनके लिए भी व्यापारिक बैंक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बैंक उनकी पूँजी और स्टॉक में हो

न केवल प्रभिन्न करते हैं वरन ऐसे सस्थाना के लगभग 10 प्रतिशत ग्रश भी लेमत हैं ।

इस प्रकार जापान मे व्यापारिक बैंका का देश के दीर्घकालीन वित्तीय प्रचल से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रभावशील सपक रहता है । इसका प्रमुख कारण यह है कि जापान म पूजी बाजार अभी तक पर्याप्त विकसित नहीं है तथा व्यक्तिगत बचत विशेषत व्यापारिक बैंका के पास ही जमा कराई जाती है । इन जमाओ म आधी से भी अधिक राशि समय निक्षेप (Time Deposits) म जमा की जाती है जिसम लगभग 80% समय निक्षेप एक वष अथवा अधिक अवधि क लिए होत हैं, अत व्यापारिक-बक-दीर्घकालीन ऋण देने म समथ है ।

4 व्यापारिक बक अधिक ऋणी हैं—जापान के सिटी बक (व्यापारिक बक) बक ग्राफ जापान के बहुत अधिक ऋणी हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि जापान म प्रत्येक नगर का औद्योगिक व व्यापारिक विकास बहुत हुआ है और हो रहा है । अत उद्योगपतियो व व्यापारियों द्वारा ऋणो की भारी माग सदव रहती है । अत, य व्यापारिक बक अपनी शक्ति स अधिक साख सृजन करने के पश्चात भी कोषो (funds) की कमी महसूस करत हैं । इसी को पूरा करन के लिए य बक अपने नकद कोषो की कमी पूरी करने के लिए बक ग्राफ जापान के ऋणो पर अधिक निभर रहत हैं । वतमान समय म भी यही स्थिति है कि जापान के सभी व्यापारिक बक बैंक ऑफ जापान के बहुत ऋणी हैं ।

इन परिस्थितियो म जापान के सिटी बका के नकद कोष अन्य देशो के नकद कोषो की तुलना मे बहुत कम होते हैं ।

5 ग्राहक-उद्यमियों से निकट का सपर्क—जापान के व्यापारिक बकों विशेषत सिटी बकों, की एक विशेषता यह भी है कि वे अपने ग्राहक-उद्यमियो (client enterprises) से बहुत निकट का सम्पक रखत है जबकि प्राय अन्य दशो म ऐसा नहीं है । बडे उद्यमी अपने खाते अनेक बका में रखत हैं किन्तु परिपाटी के अनुसार व किसी एक विशेष सिटी बक स बहुत अधिक निकट का सम्पक रखत है । द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जबत्सु (Zaibatsu) नियत्रक-कम्पनियो (holding companies) का पतन हो गया, अत प्रमुख सिटी बक जो बडे उद्यमियो के बैंकर के रूप में काय करत हैं अब बड उद्यमिया के व्यक्तिगत समहो में महत्वशील स्थान रखत है ।

व्यापारिक बको के प्रमुख काय

जापान मे व्यापारिक बक बकिंग कानून 1927 स शासित होते हैं । इस कानून म व्यापारिक बको द्वारा किय जान वाल कार्यों का भी विवरण है । इसके अनुसार इन व्यापारिक बैंको के प्रमुख काय य हैं—

1 निक्षेप स्वीकार करना
2 ऋण देना
3 प्रतिभूतियो मे विनियोग करना,

4 हुण्डी विनिमय का कार्य करना
5 विदेशी विनिमय का कार्य करना और
6 अन्य सम्बन्धित कार्य करना।

1 निक्षेप स्वीकार करना
(Deposits)

जापान के व्यापारिक बैंकों के कार्यशील कोषों में निक्षेप अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत है। निक्षेप-खातों को न केवल नकद राशि से क्रेडिट किया जाता है वरन् चेक, बिल, बॉंड-कूपन, डिविडेंट वारंट अथवा डाकघर के मनीआर्डरों जिनको तुरन्त रोकड़ में बदला जा सकता है से भी क्रेडिट किया जाता है।

जापान मे चालू खाते (Current Account) के अतिरिक्त सभी निक्षेप खातो पर ब्याज दिया जाता है। जापान म अस्थाई ब्याज दर समायोजन कानून' (The Temporary Interest Rates Adjustment Law) है जिसम विभिन्न अधिकतम ब्याज की दरें निर्धारित की गई हैं। व्यवहार म इस कानून म निर्धारित अधिकतम ब्याज दरें ही जापानी बैंक देते हैं। जापान म व्यापारिक बैंक निम्न प्रकार के खातो म अपने ग्राहकों से निक्षेप प्राप्त करते हैं—

1 **चालू निक्षेप खाते**—जापान मे चालू निक्षेप खाते (Current Deposit-Account) व्यापारिक बैंको के आधारभूत खाते हैं। समस्त व्यापारिक बैंकिंग व्यवहार (ऋण बिलो की कटौती राशि का हस्तान्तरण चैक बिलो का भुगतान आदि) ग्राहक के चालू खाते के माध्यम से ही किए जाते हैं। चालू निक्षेप माँग पर देय होते हैं और इन पर सन् 1944 से ब्याज नही दिया जाता है। इनमे से केवल चेको द्वारा ही राशि निकाली जा सकती है अन्य किसी प्रकार से नही।

2 **साधारण निक्षेप (Ordinary Deposits)**—चालू निक्षेपो की भाँति साधारण निक्षेप भी माँग पर देय होते हैं। राशि निकालने के लिए चैक का प्रयोग नही किया जाता है वरन् पास बुक प्रस्तुत की जाती है और व्यक्तिगत सील (Personal Seal) जिस के छाप की रजिस्ट्री बैंक मे की जाती है के आधार पर राशि निकाली जा सकती है। साधारण निक्षेप पर ब्याज दिया जाता है। सन् 1970 मे इन खातो पर ब्याज दर 2 25 प्रतिशत वार्षिक थी।

कोई भी व्यक्ति बैंक म साधारण निक्षेप खाता खोल सकता है धन की राशि कितनी भी छोटी हो सकती है। इस प्रकार के खाते व्यक्तियो की अल्पबचत को आकर्षित करते हैं। व्यापारिक बैंको म व्यक्तिगत नामो के सन् 1970 मे लगभग 3 करोड खाते थे।

छोटे उद्योगपति व व्यापारी जो चालू खाते नही खोलते हैं साधारण निक्षेप खाते खोलते हैं। बडे उद्योगपति एव व्यापारी भी जिनके चालू खाते होते हैं ब्याज के आकर्षण से साधारण निक्षेप खाते खोल लेते हैं। निगम (Corporation) भी इस प्रकार के खाते खोल लेते हैं। समस्त साधारण निक्षेप खाता म कुल जमा राशि का लगभग एक तिहाई भाग निगमो के निक्षेप होते हैं।

3 सूचना पर देय निक्षेप (Deposits at Notice)—जिन व्यापारियों व उद्योगपतियों के पास अल्पकाल के लिए अतिरिक्त राशि होती है, उसको आकर्षित करने के लिए सूचना पर देय निक्षेप खातों की सुविधा दी गई है। इस खाते में निक्षेप स्वीकार करने के लिए व्यापारिक बैंकों ने निक्षेप की न्यूनतम राशि निश्चित कर दी है। इस निक्षेप खाते में से निक्षेप की तिथि से 7 दिन तक राशि नहीं निकाली जा सकती है। सात दिवस के बाद राशि निकालने के लिए कम से कम दो दिन की पूर्व-सूचना देनी होती है।

4 समय निक्षेप (Time Deposit)—जो निक्षेप पूर्व निश्चित समय के लिए कराए जाते हैं, वे समय निक्षेप कहलाते हैं। निश्चित समय से पूर्व, राशि को नहीं निकाला जा सकता है। इन निक्षेपों पर अन्य प्रकार के निक्षेपों की तुलना में अधिक ब्याज-दर दी जाती है। जापान में अधिकांश बचत निक्षेप इसी वर्ग के है। इस खाते में 3 माह से कम के लिए निक्षेप स्वीकार नहीं किए जाते हैं। अधिकांश निक्षेप एक वर्ष की अवधि के होते हैं। तीन महीने के निक्षेपों पर 4 प्रतिशत 6 महीने के निक्षेपों पर 5 प्रतिशत और एक वर्ष के निक्षेपों पर 5 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर दी जाती है।

जापान में साधारण निक्षेप के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के समय निक्षेप भी व्यापारिक-बैंक द्वारा स्वीकार किये जाते हैं—

(i) प्रीमियम समय निक्षेप—ये शृंखलाओं (series) में निर्गमित किए जाते हैं और ब्याज के एक भाग को एकत्रित (pool) कर लिया जाता है, जिसका वितरण निक्षेपकों को कर दिया जाता है।

(ii) नामरहित समय निक्षेप—नामरहित (anonymous) समय निक्षेपों में यह विशेषता होती है कि निक्षेप प्रमाण-पत्र अथवा बैंक के रिकार्ड में कहीं भी जमाकर्त्ता का नाम अथवा पता नहीं लिखा होता है। जमा कर्त्ता को पहिचानने के लिए, उसकी एक व्यक्तिगत सील (personal seal) होती है जिसकी छाप (impression) की रजिस्ट्री बैंक में करा दी जाती है।

(iii) किश्त समय निक्षेप—किश्त-समय निक्षेप (instalment time deposits) या तो नियमित किश्तों में अथवा पूर्व निश्चित राशि तक किश्तों में जमा कराए जाते हैं।

भारत में साधारण समय निक्षेप के अतिरिक्त उपरोक्त में से किसी भी प्रकार के समय निक्षेप स्वीकार नहीं किए जाते हैं।

5 किश्त बचत खाता (Instalment Savings A/c)—किश्त बचत खाते में या तो एक निश्चित राशि को एक निश्चित समय के लिए जमा कर दी जाती है [यह अवधि कितनी भी हो सकती है जैसे एक महीना आदि] अथवा एक निश्चित समय में पूर्व निश्चित अनेक किश्तें जमा कराई जा सकती हैं। इस प्रकार के खाते लोकप्रिय नहीं हैं।

6 कर भुगतान के लिए निक्षेप (Deposits for Tax Payments)—कर भुगतान के उद्देश्य से इस प्रकार के निक्षेप किए जाते हैं, और सिद्धांत-

रूप में, इनमें से केवल इस उद्देश्य के लिए ही राशियाँ निकाली जा सकती हैं। इन खातों में भी ब्याज दिया जाता है। वर्तमान ब्याज दर लगभग 3 प्रतिशत वार्षिक है। इस खाते में कमाया गया ब्याज आय-कर से मुक्त रहता है।

7 विशिष्ट निक्षेप (Special Deposits)—इनको विविध निक्षेप (Miscellaneous Deposits) भी कहा जा सकता है। इस वर्ग में वे समस्त निक्षेप आते हैं जो कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए होते हैं। वे बैंक जिन्हें स्टाक भुगतान एजेंट नियुक्त कर दिया जाता है, उनके पास लाभांश भुगतान कोष जमा करा दिए जाते हैं और ये बैंक आदेश के अनुसार लाभांश भुगतान करते हैं। इसके अतिरिक्त इन बैंकों के पास बॉण्ड सर्विस कोष एवं सरकारी आय जमा के लिए बैंक ऑफ जापान के एजेंट के रूप में भी कोष रहते हैं।

2 ऋण देना
(Lendings)

यदि बैंकों द्वारा साख प्राप्ति के पक्ष में निक्षेप प्राप्त करना प्रमुख व्यवसाय है तो साख विस्तार के पक्ष में ऋण देना भी प्रमुख कार्य है। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत ऋणों से ब्याज प्राप्त करना है। जापान की अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन व विनियोगों पर बैंकों के ऋणों का महत्वशील योग है। बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के 4 प्रमुख स्वरूप होते हैं—(i) बिलों की कटौती, (ii) बिलों पर ऋण, (iii) प्रपत्रों पर ऋण, और (iv) अधिविकर्ष (over-drafts)

व्यापारिक बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज-दरें सम्बन्धित बैंक और ग्राहक के मध्य आपसी समझौते से निश्चित की जाती है। किन्तु ये दरें The Temporary Money Rates Adjustment Law द्वारा निर्धारित दरों से कम होती हैं। ये ब्याज दरें बैंक-दर से बहुत प्रभावित होती हैं।

(i) बिलों की कटौती (Bill Discount)—परिपक्वता (maturity) की तिथि तक के लिए बिल को बट्टे (discount) पर क्रय करना बिलों की कटौती कहलाता है। इन बैंकों द्वारा मुख्यतः व्यापारिक-बैंकों की कटौती की जाती है। व्यापारियों द्वारा किये गये माल के मूल्य के निपटारे के लिए निगमन किये गये विनिमय बिल (Bills of Exchange) अथवा प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Notes) को व्यापारिक बिल (Commercial Bills) कहते हैं। इन बिलों का अल्प अवधि में ही निपटारा कर दिया जाता है अतः व्यापारिक बैंकों द्वारा ऋण देने के लिए सर्वोत्तम साधन समझे जाते हैं। तैयार माल को (फुटकर व्यापारियों व अन्य व्यापारियों को पुनः विक्रय के उद्देश्य से) खरीदने के लिए ये बिल निर्गमित किये जाते हैं। ऐसे बिलों को व्यापारिक बैंक बैंक ऑफ जापान से पुनर्कटौती करा सकते हैं अथवा ऋण प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति के रूप में जमा करा सकते हैं।

बैंकों द्वारा स्वीकृत बिल प्रपत्र बिल (documentary bills) जो जहाजी बिल्टी (Bill of Lading) अथवा गोदाम की रसीदों द्वारा सुरक्षित रहते हैं अन्य प्रकार के बिल हैं जिनकी व्यापारिक बैंक कटौती करते हैं।

(ii) बिलों पर ऋण (Loans on Bills)—ऋण लेने वाला व्यक्ति प्रतिज्ञा पत्र लिखता है जिसमें बैंक भुगतान को पाने वाला (Payee) होता है। ऐसे बिलों

(P/notes) की कटौती करके बैंक ऋण देते हैं। आजकल जापान में इस प्रकार के ऋण अत्यन्त प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। ऐसे ऋण निर्माताओं को प्राय कार्यशील कोष प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। ये बिल प्राय 2 या 3 महीने की अवधि के लिए होते हैं। किन्तु इन बिलों के नवीनीकरण के द्वारा अथवा अवधि को बढ़ाकर, दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर दिया जाता है।

(iii) प्रपत्रों पर ऋण (Loans on Deeds)—ऋण के बॉन्डों (bonds of debt) के विरुद्ध भी व्यापारिक-बैंक ऋण देते हैं। किंतु इनका प्रचलन जापान में बहुत ही कम है क्योंकि बिलों पर ऋण प्राप्त करने में सरलता होती है और वे हस्ताक्षरों द्वारा हस्तांतरित भी हो सकते हैं।

(iv) अधिविकर्ष (Overdrafts)—अधिविकर्ष समझौते के अन्तर्गत, ग्राहक के चालू-खाते के शेष से परे (beyond) एवं निश्चित अवधि में तय की गई राशि तक बैंक उसके (ग्राहक के) चैकों का भुगतान करना स्वीकार करता है। यह बैंक-साख का लाभपूर्ण रूप है। यह उन ग्राहकों के लिए अधिक उपयुक्त है जिन्हें सक्रिय नक़द सौदे अधिक करने पड़ते हैं।

यद्यपि योरोप के देशों तथा भारत में बैंक-साख का प्रमुख रूप अधिविकर्ष है किंतु जापान के बैंकों में यह अधिक लोकप्रिय नहीं है। इसका कारण यह है कि बैंकों द्वारा बिलों के आधार पर जो ऋण दिए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में इन बैंकों को यह सुविधा रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन बिलों पर बैंक ऑफ जापान से ऋण प्राप्त कर सकते हैं अथवा पुनकटौती करवा कर धन प्राप्त कर सकते हैं किंतु अधिविकर्ष देने की अवस्था में बैंक इस आधार पर धन की व्यवस्था नहीं कर सकते।

बिलों के आधार पर जो ऋण दिए जाते हैं उनकी अपेक्षा अधिविकर्षों पर ब्याज दर अधिक होती है।

समपार्श्विक प्रतिभूति (Collateral Security)—बिल-कटौती के अतिरिक्त दिये जाने वाले ऋणों के लिए बैंक प्राय समपार्श्विक प्रतिभूति मांगते हैं जो कि प्राय व्यक्तिगत प्रतिभूति अथवा बंधक अथवा वास्तविक प्रतिभूति का कोई रूप हो सकती है। वास्तविक सम्पत्ति (real estate) जलयान अथवा फैक्ट्री की सम्पत्ति (estate), वास्तविक-समपार्श्विक के अधिक प्रचलित स्वरूप हैं। यदि ऋणी की साख अनुपयुक्त होती है तो अधिकारियों (officers) की व्यक्तिगत जमानत, अथवा एसोसियेटेड कम्पनियों की जमानत अथवा साख-गारंटी करने वाले पार्षद (association) द्वारा गारंटी आवश्यक होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से व्यापारिक-माल अथवा विनिमय-साध्य प्रतिभूतियों को समपार्श्विक के रूप में बहुत कम उपयोग में लाते हैं। जापान में यह एक प्रचलित रीति है कि बैंक से ऋण लेने वाले के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने ऋण के एक भाग को उसी बैंक में अवधि निक्षेप अथवा सूचना पर देय निक्षेप (Time or notice deposits) के रूप में रखें।

ऋणों की बनावट (Composition of Lendings)—जापान में व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का प्राय सम्पूर्ण भाग व्यापारियों व उद्योगपतियों

को दिया जाता है। इन निजी व्यापारिक-बैंकों द्वारा व्यक्तियों (Individuals), उपयोग ऋण और गृह ऋणों का लगभग 2 प्रतिशत भाग है। जापान के व्यापारिक-बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की बनावट निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होती है

ऋण जिन्हें दिए जाते हैं	व्यापारिक-बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कुल ऋणों का प्रतिशत
निर्माणी उद्योगों (Mfg. Industries) ..	50
थोक व्यापारी	28
यातायात विद्युत शक्ति जन-उपयोग उद्योग	5
मकान पुल आदि का निर्माण (Construction)	3
फुटकर व्यापारी	3
सेवा (Services)	3
खनिज पदार्थ (Mining)	2
अन्य	6

निर्माणी उद्योगों (manufacturing industries) में भी व्यापारिक बैंकों के कुल ऋणों का वस्त्र उद्योग (textiles) को 8 प्रतिशत रसायन उद्योग को 6 प्रतिशत लोहा एवं इस्पात उद्योग को 5 प्रतिशत विद्युत-मशीन उद्योग को 5 प्रतिशत खाद्य उद्योग को 4 प्रतिशत भाग ऋण होता है।

जापान में व्यापारिक-बैंकों द्वारा उद्यमों (enterprises) को दिए जाने वाले ऋणों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—प्रथम कार्य-सचालन (operation) के लिए ऋण और द्वितीय उपकरणों (equipment) के लिए ऋण। उपकरणों के लिए दिए जाने वाले ऋण लगभग 10 प्रतिशत होते हैं। व्यवहार में कार्य-सचालन के लिए दिए गये ऋणों का अधिकांश भाग उपकरणों के लिए उपयोग में लिया जाता है। यदि इस तथ्य पर ध्यान दिया जाय तो स्पष्ट होगा कि उपकरणों के लिए दिये जाने वाले ऋणों का या तो नई मशीनों के लगाने के लिए अथवा नई फैक्टरियों के लगाने के लिए उपयोग किया जाता है।

जापान में व्यापारिक माल अथवा कच्चे माल को खरीदने के अधिकांश सौदे बिलों (bills) द्वारा निबटाये जाते है और ऐसे अधिकांश बिल विक्रेता द्वारा बैंक के पास नकद राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से लाये जाते हैं। उत्पादन के लिए भी बैंकों से ऋण लिए जाते है। कार्य-सचालन के लिए बैंक से ऋणों की माग में मौसमी वृद्धि होती है क्योंकि जापान में व्यापारिक सौदों के निबटाने के काल (periods) मार्च सितम्बर व दिसम्बर के माह होते हैं और निगमों द्वारा भुगतान निबटारे के जून और दिसम्बर माह हैं। इन महीनों में बैंकों से ऋणों की माग में विशेष वृद्धि होती है।

जापान के व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान किए गये ऋणों के ऋणांश के सबंध मे भी एक उल्लेखनीय बात है। व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान किये गये ऋणों का लगभग 65 प्रतिशत भाग ऐसे उद्यमों (enterprises) को दिया जाता है जिनकी पूंजी 1 करोड़ येन व इससे अधिक है और शेष भाग छोटे उद्यमों को दिया जाता है। बड़े उद्यमी मुख्यत सिटी बैंकों से ऋण लेते हैं और छोटे उद्यमी स्थानीय-बैंकों (local banks) से।

3 प्रतिभूतियों मे विनियोग
(Securities Investment)

जापान के व्यापारिक-बैंक प्रतिभूतियों म भी विनियोग का काय करते है किंतु इनकी ओर से बैंक अधिक आकर्षित नहीं होते हैं। इन व्यापारिक बैंकों की कुल सपत्तिया (Total Assets) का लगभग 10 प्रतिशत भाग जोकि बहुत कम है इन प्रतिभूतियों म विनियोग है। व्यापारिक बैंको द्वारा प्रतिभूतियो मे कम विनियोग के प्रमुख कारण ये हैं—

(i) द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् सरकार ने इन प्रतिभूतियों (बौंड डिबैंचर आदि) पर ब्याज दरें निश्चित कर दी है जो कि बहुत कम हैं।

(ii) इन प्रतिभूतियो म लोच का अभाव है।

(iii) जापान मे प्रतिभूतियों का बाजार अभी तक पूर्ण विकसित नही है अत इनको बहुत सुगमता से बेचा नही जा सकता है।

किंतु व्यापारिक बैंक प्रतिभूतियों मे भी विनियोग करते हैं जिसके कारण निम्नलिखित हैं—

(i) निर्गमन करने वाली कम्पनी से जिस व्यापारिक-बैंक के सबध अधिक घनिष्ट व निकट के होते हैं, वह उसके या उनके ऋण-पत्र बौंडो व अंश आदि क्रय कर लेता है।

(ii) सरकार द्वारा प्रार्थना करने पर सरकार द्वारा गारंटी किये गये बौंडों को, व्यापारिक-बैंक खरीदने म कुछ उत्साह दिखाते हैं।

(iii) व्यापारिक-बैंकों द्वारा बैंक ऑफ जापान से ऋण लेने के लिए सरकारी प्रतिभूतियो, सरकार द्वारा गारंटी किये गये बौंडो, बैंकों के ऋण-पत्रों स्थानीय सरकार व औद्योगिक बौंडों आदि को बैंक ऑफ जापान ऋण देने के लिए उपयुक्त जमानत मानता है।

(iv) बैंक आफ जापान अपनी खुले बाजार की क्रियाओं के अन्तर्गत उपरोक्त म से कुछ को खरीद लेता है।

(v) सरकारी प्रतिभूतिया स्थानीय प्रतिभूतिया एव सरकार द्वारा गारंटी किए गए बौंडो के अभिगोपन (underwriting) के लिए व्यापारिक बैंक अधिकृत हैं। यह उल्लेखनीय है कि जापान म व्यापारिक-बैंक साधारणतया किसी कम्पनी के पूंजी अंशों अथवा व्यापारिक बौंडो का अभिगोपन नही कर

हैं किंतु इसका एक अपवाद है। यदि व्यापारिक बैंक दो शर्तों को पूरा करें तो इनको भी अभिगोपन कर सकते हैं—प्रथम, व्यापारिक बैंक कम्पनी के सम्पूर्ण निर्गमन (entire issue) अर्थात सभी अंशों को ले लें, और द्वितीय, इस दशा में व्यापारिक बैंक इन अंशों का पुन विक्रय जनता को नहीं कर सकता।

4 देशी विनिमय का काम
(Domestic Exchange Business)

देशी विनिमय के काम (Domestic Exchange Business) से आशय है विभिन्न क्षेत्रों (localities) में कोषों का स्थानान्तरण (धन को भेजने और एकत्रित करने) के काम में व्यापारिक बैंकों द्वारा मध्यस्थ के रूप में काम करना। इस बैंकिंग के काम के द्वारा ग्राहक विलम्ब से बच जाते हैं और धन को भौतिक रूप में हस्तांतरण करने में जो जोखिम व्यय और असुविधाएं होती हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है।

जापान में भी व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के धन को उनकी प्रार्थना के अनुसार चार प्रकार से स्थानांतरित करता है—(i) ग्राहकों को बैंक ड्राफ्ट देकर (ii) तार द्वारा भुगतान कराना, (iii) पाने वाले व्यक्ति के खाते को क्रेडिट करके। इसके लिए धन भेजने वाला बैंक पाने-वाले व्यक्ति के क्षेत्र में जिस बैंक में उस व्यक्ति का खाता है उसे उस व्यक्ति का खाता उस राशि से क्रेडिट करने का निर्देश दे देता है, और (iv) पाने वाले व्यक्ति के खाते में राशि क्रेडिट करने का तार द्वारा निर्देश देकर।

इसके अतिरिक्त व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों के विनिमय बिलों चैकों, लाभांश वारंट और अन्य अनेक प्रकार के अपत्रों की धन राशि एकत्र (collect) करके उनके खातों में जमा कर देता है।

5 विदेशी विनिमय का काम
(Foreign Exchange Business)

जापान में विदेशी विनिमय का काम करने के लिए व्यापारिक-बैंक को (विदेशी विनिमय नियंत्रण कानून के अधीन) वित्त मंत्रालय से अधिकृत विदेशी विनिमय-बैंक के रूप में लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। व्यापारिक बैंकों के अतिरिक्त लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात दीर्घ-कालीन-साख बैंक व विदेशी बैंक भी विदेशी विनिमय का काम करते हैं।

ये अधिकृत विदेशी बैंक, उनके द्वारा किए जाने वाले विनिमय के किये जाने वाले कार्यों के स्वभाव के अनुसार दो वर्गों–A वर्ग और B वर्ग में विभक्त हैं। इन विदेशी विनिमय बैंकों में राष्ट्रीयता के आधार पर भी अंतर किया जाता है—जापान देश के विदेशी विनिमय बैंक और अन्य देशों के बैंकों की जापान में शाखाएं।

इस समय जापान में जापान देश के A वर्ग के 12 विदेशी बैंक काम कर रहे हैं, जिनमें 1 तो बैंक आफ टोकियो है (जो कि विशिष्ट विनिमय बैंक है), 10 सिटी

बैंक और एक दीर्घकालीन साख बैंक है। जापान में अन्य देशों के बैंकों की 14 शाखाएं हैं जो सभी A वर्ग के विदेशी विनिमय बैंक हैं। B वर्ग के लगभग 50 विदेशी विनिमय बैंक हैं जिनमें सिटी बैंक और दीर्घकालीन साख बैंक सम्मिलित हैं।

6 अन्य कार्य

अन्य देशों के व्यापारिक बैंकों की भांति जापान के व्यापारिक बैंक भी अन्य प्रकार के कार्य भी करते हैं, जैसे लैटर ऑफ क्रेडिट निर्गमन करना, ग्राहकों की वस्तुयें सुरक्षित रखना, गारंटी देना अपने ग्राहकों को सलाह देना आदि।

विशेष टिप्पणियां

1 जापान में व्यापारिक बैंक 'बैंक लॉ 1927' से शासित होते हैं।
2 व्यापारिक बैंक, बैंक से संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं कर सकते हैं।
3 व्यापारिक बैंक ट्रस्ट सम्बन्धी कार्य कर सकते हैं। अन्य देशों के व्यापारिक बैंकों का यह कार्य करने की अनुमति नहीं है। जापान में व्यापारिक बैंकों को ट्रस्ट सम्बन्धी कार्य करने की अनुमति सन् 1943 से दी गई है किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात से उन्होंने यह कार्य करना क्रमशः बन्द कर दिया है। जापान में सन् 1970 में केवल एक ही व्यापारिक बैंक था जो ट्रस्ट सम्बन्धित कार्य कर रहा था। अन्य बैंक यह कार्य नहीं करते हैं।
4 जापान में व्यापारिक बैंक साधारण बचत खाते नहीं रखते हैं। हां वे किश्त-बचत खाते (Instalment Savings Account) रख सकते हैं।
5 जापान में लगभग 80 समाशोधन-गृह (Clearing houses) हैं, जिनमें से कुछ स्वतन्त्र संस्थाएं हैं कुछ बैंकर्स-एसोसिएशन के अङ्ग के रूप में कार्य करते हैं।
6 जापान में व्यापारिक बैंक अपने कार्यों में राष्ट्रीय हित को प्रधानता देते हैं।
7 जापान के आर्थिक विकास में वहां के व्यापारिक बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है।

बैंक ऑफ जापान से सम्बन्ध
(Relations with the Bank of Japan)

बैंक ऑफ जापान देश का केन्द्रीय बैंक है। अतः व्यापारिक बैंकों का बैंक ऑफ जापान से बहुत निकट का सम्बन्ध है। बैंक ऑफ जापान देश के 'बैंकों का बैंकर' है।

व्यापारिक-बैंकों का बैंक ऑफ जापान के साथ आधारभूत व्यापारिक सम्बन्ध हैं। व्यापारिक-बैंकों के बैंक ऑफ जापान के साथ निक्षेप ऋण बिलों की कटौती एवं प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से संबंधित व्यवहार मुख्यतः होते हैं। चेकों के समाशोधन और देशी विनिमय से सम्बन्धित व्यवहार भी किए जाते हैं।

उपरोक्त व्यापारिक-व्यवहारों के माध्यम से बैंक ऑफ जापान अपनी मौद्रिक नीति का संचालन करता है। इसके लिए बैंक दर नीति (जो कि ऋण

के सौदों पर आधारित है), मुक्त बाजार की क्रियाएं (जो कि प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के सौदों पर आधारित है) और रिजर्व निक्षेप (जो नियम व्यवहारों पर आधारित हैं) साधन काम में लाता है। इन साधनों के पूरक के रूप में बैंक ऑफ जापान द्वारा, व्यापारिक बैंकों को खिड़की निर्देशन (window guidance) भी दिया जाता है। अन्य देशों की तुलना में यहां के व्यापारिक बैंक अपने केन्द्रीय बैंक बैंक ऑफ जापान के काफी अधिक मात्रा में ऋणी रहते हैं।

व्यापारिक-बैंकों के प्रशासन अधिकारियों का भी बैंक ऑफ जापान से निकट का सम्बन्ध रहता है। व्यापारिक-बैंकों के अध्यक्ष (President) बैंक ऑफ जापान के गवर्नर के प्रायः परामर्शदाता नियुक्त कर लिए जाते हैं। व्यापारिक बैंकों के अधिवेशनों को प्रायः बैंक ऑफ जापान का गवर्नर सम्बोधित (address) करता है।

सम्बन्धित व्यापारिक-बैंक के साथ समझौते के अनुसार बैंक ऑफ जापान प्रत्येक व्यापारिक के सम्बन्ध में जांच करता है जिसका उद्देश्य बैंक के व्यवसाय का निरीक्षण मात्र ही नहीं होता किंतु बैंक के व्यवसाय के विकास की दृष्टि से निर्देशन देना भी होता है।

इस प्रकार व्यापारिक-बैंकों का बैंक ऑफ जापान से केन्द्रीय बैंक के रूप से बहुत महत्वशील सम्बन्ध है।

सरकार का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन
(Govt Supervision and Guidance)

जापान के व्यापारिक बैंकों पर सरकार का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन बैंक-लॉ के अधीन है। सरकार यह कार्य वित्त मन्त्रालय के माध्यम से करती है। इस कानून में बैंकों की स्थापना एवं संगठन के सम्बन्ध में विस्तृत प्रावधान हैं किंतु इन बैंकों की व्यापारिक क्रियाओं के सम्बन्ध में सरकार मार्ग प्रदर्शन करती है। वित्त-मन्त्रालय व्यापारिक बैंकों का निम्नलिखित प्रमुख बातों में पर्यवेक्षण व निर्देशन करती है—

1 **कार्यालय सम्बन्धी**—जापान के बैंक लॉ के अनुसार किसी नये व्यापारिक बैंक की स्थापना अथवा बैंक कार्यालय की स्थापना के लिए वित्त मन्त्रालय का अनुमोदन (approval) आवश्यक है। बैंक के निक्षेप एवं अन्य व्यापारिक क्रियाएं बहुत कुछ सीमा तक इसके कार्यालयों की संख्या एवं उनके वितरण पर निर्भर हैं, अतः बैंक कार्यालयों की स्थापना पर सरकार का नियन्त्रण होने से व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं पर नियन्त्रण करना अधिक सरल है। व्यापारिक बैंकों में पारस्परिक अनार्थिक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सरकार प्रायः इस अधिकार का प्रयोग करती है।

2 **अन्य अधिकार**—बैंकों की स्थापना के अतिरिक्त, बैंकों के एकीकरण अथवा समापन (amalgamation or dissolution) बैंकिंग व्यवसाय के बन्द करने (discontinuation) बैंक के अधिकारियों द्वारा बैंकिंग क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य कार्य करने आदि के लिए भी, बैंक लॉ के अधीन वित्त मंत्री का अनुमोदन आवश्यक है। वित्त मंत्री को यह अधिकार है कि वह व्यापारिक-बैंकों से उनके व्यापार

से सम्बन्धित एव वित्तीय दशाओ के विषय म रिपोट माग और उनका निरीक्षण किसी भी समय कर सके।

इनके अतिरिक्त वित्त मत्री यदि उचित समझे तो वह किसी भी व्यापारिक बक को कुछ समय तक काय करने से रोक सकता है। यदि बैंक ने कोइ अवधानिक काय किया है तो उसके सम्बन्ध म आदेश दे सकता है। यदि बक सम्पत्तिया (assets) निरतर कम होती जा रही हो तो जमा-कर्ताओ के हित की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है।

3 व्यय व आय का अनुपात निश्चित करना—अच्छे बैंकिंग प्रबन्ध के लिए सन् 1949 स यह प्रणाली अपनाइ गई है। चालू-व्यया (जसे निक्षेपो पर ब्याज व्यक्तिगत व्यय, कार्यालय व्यय आदि) और चालू आय म एक निश्चित अनुपात निर्धारित कर दिया जाता है। वतमान समय मे चालू आय और चालू व्यय का 100 78 का अनुपात निर्धारित किया गया है।

4 निक्षप व ऋणों का अनुपात निश्चित करना—बको की तरलता मे वृद्धि करने की दृष्टि म सरकार बैंको को उनके द्वारा दिए जान वाल ऋणो के अनुपात को निश्चित कर देती है।

5 अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में—व्यापारिक-बको को अपने व्यापार के लिए अचल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए भी वित्त मत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना होता है। इसका उद्देश्य यह है कि बक अपने वित्तीय-साधना को अचल सपत्ति की ओर अधिक न मोड सकें। कोई भी व्यापारिक-बैंक अपनी पूजी के 50 प्रतिशत से अधिक भाग को व्यापार के लिए अचल सपत्ति म नहीं लगा सकता है।

6 लाभाश एव वेतन शृ खला—इस समय कोई भी व्यापारिक बैंक प्रतिवप 10 प्रतिशत स अधिक और मिटा बैंक 9 प्रतिशत से अधिक लाभाश नहीं दे सकते। ये अधिकतम सीमाए हैं। इसी प्रकार बक के कमचारियो को निश्चित वेतन शृ खलाओ म वतन दिया जाता है।

इस प्रकार सरकार के प्रभावशाली नियत्रण स जापान के व्यापारिक बक मुक्त नहीं रह सके हैं।

29

कृषि, वन-कर्म एव मछुआ-कर्म के लिये वित्तीय सस्थाए

(FINANCIAL INSTITUTIONS FOR AGRICULTURE, FORESTRY & FISHERY)

कृषि वन-कर्म एव मछुआ कर्म के वित्त की विशेषताए

जापान मे कृषि वन कर्म एव मछुआ कर्म प्राथमिक उद्योग (primary industries) है। जापान की अर्थ व्यवस्था मे इन प्राथमिक उद्योगो का महत्व कम होता जा रहा है क्योकि अन्य उद्योगो के आधुनीकरण एव विकास की ओर जापानी अर्थ-व्यवस्था अग्रसर हो रही है। कार्यशील जनसख्या का लगभग 20 प्रतिशत भाग इन्ही प्राथमिक उद्योगो मे अभी भी लगा हुआ है और ये उद्योग राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत भाग प्रदान करते है। कृषि जो कि प्रमुख प्राथमिक उद्योग है छोटे-छोटे फार्मों मे की जाती है और उनकी उत्पादकता एव आय का स्तर आधुनिक औद्योगिक अचल से कही कम है। अत कृषि के आधुनीकरण की ओर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। सरकार कृषि उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने एव प्रोत्साहित करने की नीति अपना रही है।

अतीत काल से जापान मे कृषि छिपी हुई बेरोजगारी को दूर करने मे काफी सहायक सिद्ध हुई है। देश मे औद्योगीकरण के साथ ही कृषि फार्मों मे जन शक्ति कम होती गई। सन् 1957 और 1962 की अवधि मे कृषि एव वन-कर्म मे काम मे करने वाले व्यक्तियो की सख्या मे लगभग 20 25 लाख व्यक्तियो की कमी हुई है। इस उद्योग मे जन शक्ति की कमी एक चेतावनी सिद्ध हुई अत कृषि फार्मों के आधुनीकरण की ओर ध्यान देने के लिए बाध्य होना पड़ा।

जापान का प्रमुख कृषि-पदार्थ चावल है। जापान के कुल कृषि-पदार्थों के उत्पादन मे चावल के मूल्य का भाग लगभग 50 प्रतिशत है। यद्यपि पिछले 20 वर्षों मे जापान मे खाद्य-पदार्थों मे विभिन्नता आई है किन्तु फिर भी चावल आज भी यहा प्रमुख खाद्यान्न है। अत जापान मे अनिवार्य क्रय प्रणाली के अन्तर्गत चावल का क्रय

'खाद्य पदार्थ नियंत्रण विशेष खाता (Foodstuff Control Special Account) के माध्यम से किया जाता है।

कृषि की इन विशेषताओं (अथवा लक्षणों) का प्रभाव इसके वित्त पर पड़ा है। कृषकों की साख क्षमता क्षीण होने के कारण, व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से कृषि को ऋण प्राप्त करने में कठिनाई प्रतीत होती है। कृषि के आधुनीकरण के कारण, इस क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋणों की मांग में वृद्धि हुई है। जापानी कृषि की चावल पर निर्भरता के कारण मुद्रा की मांग का स्वभाव मौसमी (seasonal) है। बसंत एवं ग्रीष्म काल के मध्य, चावल बोने के समय फार्मों की प्राय बहुत कम हो जाती है और वित्त की मांग बहुत बढ़ जाती है। इन विशेष दशाओं के कारण जापान में कृषि (वन-कर्म व मछुआ कर्म जिनमें लगभग ऐसी ही समान दशाएं हैं) के लिए विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार ने संगठित की हैं अथवा सरकार द्वारा पोषित संस्थाएं स्थापित हुई हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जापान में इन उद्योगों के वित्त प्रबंध के लिए विशेष वित्तीय-संस्थाएं स्थापित की गईं। इस समय, इस क्षेत्र में वित्त प्रबंध के लिए सहकारिता से मिलती जुलती विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं और सरकारी-संस्थाएं कार्य कर रही हैं।

जापान में इन सहकारी वित्तीय संस्थाओं के तीन समूह हैं—कृषि, वन-कर्म व मछुआ कर्म प्रत्येक के लिए एक समूह। प्रत्येक समूह तीन श्रेणी प्रणाली (three tier system) में संगठित है। गांव अथवा कस्बे के स्तर पर सहकारी समिति, उनके ऊपर इन सहकारी समितियों का फेडरेशन और उनके ऊपर कृषि एवं वन कर्म का केंद्रीय सरकारी समिति बैंक (Central Cooperative Bank of Agriculture and Forestry)। यह केंद्रीय बैंक सम्पूर्ण देश के लिए केंद्रीय संस्था है।

उपरोक्त संगठनों के पूरक के रूप में सरकार एवं स्थानीय निकाय (local public bodies) कृषि वन-कर्म व मछुआ-कर्म को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सन् 1956 से सरकार ने इनको आर्थिक सहायता प्रदान करना कम कर दिया और इसके स्थान पर ऋणों की मात्रा में वृद्धि कर दी। इन प्राथमिक उद्योगों को सरकारी सहायता प्रदान करने में 'कृषि वन-कर्म और मछली कर्म वित्त निगम (Agriculture, Forestry and Fisheries Corporation) का महत्वपूर्ण योग है।

व्यापारिक बैंक व अन्य वित्तीय-संस्थाएं भी बड़े पैमाने में उद्योगों को थोड़ी बहुत मात्रा में वित्त प्रदान करते हैं। कृषि क्षेत्र में सहकारी वित्तीय संस्थाओं का वित्त प्रदान करने में लगभग 70 प्रतिशत भाग है और 20 प्रतिशत सरकारी वित्तीय संस्थाओं का। वन कर्म व मछली कर्म की संस्थाओं को वित्तीय-संस्थाएं लगभग 50 प्रतिशत भाग वित्त प्रदान करती हैं।

सन् 1960 से 1970 के दस वर्षों में कृषि, वन-कर्म व मछली-कर्म की संस्थाओं को समस्त वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गये ऋणों की मात्रा में पांच गुनी से

भी अधिक वृद्धि हुई है। सरकारी वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षा सहकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार अन्य वित्तीय संस्थाएं जो कृषि को ऋण देती हैं उनके ऋण में भी कमी आई है।

1 कृषि सहकारिताएं
(Agricultural Co-operatives)

कृषि के लिए वित्तीय संस्थाओं में कृषि-सहकारिताएं आधार हैं। यद्यपि कृषि क्षेत्र में सहकारी आंदोलन का इतिहास पुराना है किंतु वर्तमान कृषि-सहकारिताओं की स्थापना कृषि सहकारिता कानून 1947 (Agricultural Co-operatives Law) के अंतर्गत हुई है।

कृषि सहकारी समिति सिद्धांतत अपने सदस्यों से ही व्यवहार करती है। ये समितियां मुख्यत ये कार्य करती हैं—

(i) **ऋण प्रदान करना**—अन्य देशों की भांति जापान में भी कृषकों को अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। खाद व कृषि से संबंधित रासायनिकों अच्छे बीज आदि के क्रय के लिए जापानी कृषकों को विशेषत अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता होती है। भूमि में स्थायी सुधार अच्छे पशुओं को खरीदने और आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए प्राय दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। ये कृषि सहकारितायें इन कृषकों की अल्पकालीन व दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करती है।

(ii) **क्रय एवं विक्रय**—अनेक समितियां अपने सदस्यों की कृषि उपज का क्रय करती हैं तथा उनका विक्रय करती हैं। इससे कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है एवं उनका शोषण (जैसा कि भारत में होता है) नहीं हो पाता।

(iii) **फसल का बीमा**—कुछ समितियां अपने सदस्यों की फसलों का प्राकृतिक आपदाओं व फसल का कीड़ों से नष्ट होने के विरुद्ध बीमा भी करती है।

(iv) **निक्षेप प्राप्त करना**—कृषि सहकारी नियम (1947) ने इन सहकारी समितियों को अपने सदस्य कृषकों से निक्षेप प्राप्त करने का अधिकार दिया है। इस कानून के अंतर्गत ये समितियां निक्षेप प्राप्त करती हैं। ये समितियां अपने सदस्य वर्ग की बचतों को आकर्षित करते हैं। अन्य बैंकों की अपेक्षा ये समितियां निक्षेपों पर 0 25 प्रतिशत अधिक ब्याज देती हैं। जापान में सरकार चावल का क्रय अनिवार्य क्रय-योजना (compulsory purchasing system) के अंतर्गत करती है और चावल व जौ का क्रय असीमित क्रय योजना (unlimited purchasing system) के अंतर्गत करती है। इन योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा क्रय किये गये अनाजों के मूल्यों के अधिकांश भाग का भुगतान इन समितियों के माध्यम से होता है अत यह राशि भी इन समितियों की कार्यशील पूंजी का महत्वपूर्ण

इन समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों पर अलग अलग-समिति अलग अलग ब्याज दरें चार्ज करती हैं किंतु साधारणतः ऐसी ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक है।

इन दिनों इन समितियों द्वारा दिए जाने वाले अल्प-कालीन ऋणों का महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि इन आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकांशतः कृषक अपने साधनों से ही पूर्ति करते हैं। अतः इन दिनों अधिकांश दीर्घकालीन ऋणों की माग है।

सन् 1962 में जापान में कृषि सहकारिताओं की संख्या लगभग 11 हजार थी, और सन् 1970 में इनकी संख्या लगभग 6,500 थी। सन् 1970 में संख्या की दृष्टि से इनकी कमी हुई है किंतु क्रिया-क्षेत्र की दृष्टि से वृद्धि हुई है क्योंकि इस अवधि में अनेक कृषि-सहकारिताओं का एकीकरण (amalgamation) हुआ है। इन समितियों की कुल सदस्य संख्या लगभग 60 लाख है जिसके अन्तर्गत जापान के लगभग 90 प्रतिशत कृषि-परिवार सम्मिलित हैं। जापान में कृषि-सहकारिताओं का विकास इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि जापान के प्रत्येक गांव व कस्बे में एक या अधिक सहकारी-कृषि समिति है।

2 कृषि सहकारिताओं के साख संघ
(Credit Federations of Agricultural Co-operatives)

सन् 1970 में जापान में कृषि-सहकारिताओं के 46 साख-संघ (Credit Federations) थे। इनमें से टोकियो और होक्कैडो प्रत्येक के लिए एक एक है। शेष 44 साख-संघ प्रत्येक प्रशासकीय क्षेत्र के लिए है।

इन साख-संघों का गठन क्षेत्र की कृषि-सहकारिताओं द्वारा जापान के कृषि सहकारिता कानून 1947 के अन्तर्गत किया जाता है। अतः समस्त कृषि सहकारिताएं अपने अपने क्षेत्र के साख-संघ के सदस्य हैं।

ये साख संघ साख व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं कर सकते। अतः इन संघों का प्रमुख कार्य सदस्य कृषि सहकारिताओं व अन्य सदस्यों से निक्षेप प्राप्त करना एवं उन्हें ऋण प्रदान करना है। इनके कुल निक्षेपों का लगभग 80 प्रतिशत भाग सदस्य-सहकारिताओं से प्राप्त होता है और शेष अन्य सदस्यों से। ये संघ समय निक्षेप (Time Deposits) व माग-पर-देय निक्षेप स्वीकार करते हैं। इन निक्षेपों में अधिकांश निश्चित समय निक्षेप होते हैं। अनुमान है कि इन संघों के कुल निक्षेपों के 80 प्रतिशत निक्षेप समय निक्षेप ही हैं।

ये साख संघ अपनी सदस्य सहकारिताओं व अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बिलों की कटौती व प्रतिभूतियों का क्रय भी कर सकते हैं।

3 वन कर्म के लिए सहकारी वित्तीय संस्थाएं
(Co operative Financial Institutions for Forestry)

जापान में कुल राष्ट्रीय वन सम्पदा का लगभग 40 प्रतिशत भाग सरकार व स्थानीय निकायों (local bodies) के अधिकार में है। कुछ वन-क्षेत्र व्यक्तिगत

अधिकार म हैं। जापान के वन-कानून के अन्तर्गत इस समय वहा लगभग 4 हजार वन सहकारिताए है और इन वन सहकारिताओ के 46 सघ (federations) हैं। कृषि एव मछली सहकारिताओ एव उनके सघो की तुलना मे वन सहकारिताए व उनके सघ-सदस्य-सख्या कार्यशील पूजी आदि की दृष्टि से काफी कमजोर हैं। साख से सम्बन्धित कार्यों मे इनका काय कवल ऋण देने तक ही सीमित है ये अपने सदस्यो की बचत को एकत्रित नही कर सकते। इनके सघो द्वारा अपनी सदस्य सहकारिताओ को ऋण दिए जाने की माग बहुत कम है।। ये सहकारिताए व सघ मुख्यत कृषि व वन कर्म का केन्द्रीय सहकारी बक' से ऋण प्राप्त करते है।

4 कृषि व वन कम का केन्द्रीय सहकारी बक
(The Central Co operative Bank of Agriculture & Forestry)

स्थापना व पूजी—जापान म सन् 1923 म औद्योगिक सहकारिताओ की केन्द्रीय बकिंग सस्था के रूप म सट्रल बक ऑफ इडस्ट्रीयल को आपरेटिव्स की स्थापना हुई थी। किन्तु 20 वर्षों के बाद सन 1943 मे इस बक का पुन नामकरण 'सट्रल को-आपरेटिव बक ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड फौरस्टी' कर दिया गया और कृषि, वन कम व मछली कम की सहकारी वित्त की केन्द्रीय सस्था के रूप म कार्य करन के लिए इसके कार्यों म भी परिवतन कर दिया गया। इस प्रकार इस रूप मे यह बक 1943 स काय कर रहा है। इस सहकारी बैंक की स्थापना सट्रल को ऑपरेटिव बक आफ एग्रीकल्चर एण्ड फौरस्ट्री ला के अन्तगत की गई है।

इस समय इस बक की प्रदत्त पूजी 3 2 बिलियन येन है। यह पूजी कृषि वन-कम व मछली कम म लगे हुए निजी निकायो (private bodies) द्वारा प्रदान की गई है। इसका दायित्व सीमित है।

शाखाए—इस समय इस केन्द्रीय सहकारी बक की कुल 26 शाखाए हैं जो कि समस्त देश म फैली हुई हैं। काय के आकार की दृष्टि स इस केन्द्रीय सहकारी बैंक की तुलना सिटी बको स की जा सकती है।

काय—इस केन्द्रीय सहकारी बक क प्रमुख काय निक्षेप स्वीकार करना (समय निक्षेप व माग पर देय निक्षेप) इसके ऋण पत्रो का निगमन करना ऋण प्रदान करना अन्तर बैंक मुद्रा हस्तानरण करना आदि है। इनक अतिरिक्त यह बक एजसी सबधित काय भी करता है।

1 निक्षेप स्वीकार करना—यह केन्द्रीय बक मान्यता प्राप्त सगठनो (चाहे व सदस्य हो अथवा न हों) अगर पालिकाओ और अन्य सस्थाओ म निक्षेप प्राप्त करता है। सदस्य सस्थाए जिनम स अधिकाश कृषि स सम्बन्धित है इस बक म कुल निक्षेपो का लगभग 80 प्रतिशत निक्षेप प्रदान करती हैं। अधिकांश निक्षेप समय निक्षेप (time deposit) होत है। इन सहान क निक्षेपो पर प्राय 5 75 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज दर जापान म काफी आकषक है।

2 ऋण-पत्रों का निगमन—मध्य-कालीन एव दीर्घ-कालीन ऋण प्रदान करने क लिए कोष प्राप्त करने क उद्देश्य स यह बक अपने ऋण-पत्र का निगमन

करता है। ये ऋण-पत्र भी दो प्रकार के होते हैं—ब्याज वाले ऋण-पत्र और डिस्काउन्ट वाले ऋण पत्र। ये ऋण-पत्र प्राय ग्राहक (bearer) स्वभाव के होते हैं। इस बैंक की पूंजी-खाते में जितनी राशि की पूंजी व रिजर्व है, उसकी बीस गुनी राशि तक के ही ऋण-पत्र यह बैंक निर्गमन कर सकता है। इन ऋण पत्रों के प्रमुख क्रेता जन-साधारण, व्यापारिक-बैंक और ट्रस्ट-फण्ड-ब्यूरो हैं। डिस्काउन्ट ऋण पत्रों का लगभग 90 प्रतिशत भाग जन-साधारण क्रय कर लेता है।

3 ऋण देना—यह बैंक मुख्यतः अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करता है। किन्तु कोष आधिक्य होने की दशा में वित्त मंडी की अनुमति से अ सदस्य निकायों (bodies) को भी ऋण दे सकता है। यह बैंक कृषि, वन-कर्म और मछली-कर्म वित्त निगम को भी ऋण देता है। ऋण देने की ब्याज दरें ऋण की अवधि और ऋणी की श्रेणी के अनुसार अलग अलग हैं। सदस्यों को ऋण कम ब्याज-दर पर व गैर सदस्यों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्रदान किए जाते हैं।

इन ऋणों के संबंध में आधुनिक प्रवृत्ति यह देखी जा रही है कि सदस्यों को कम ऋण दिये जा रहे हैं (दिए जाने वाले ऋणों का लगभग 30 प्रतिशत भाग) और अ सदस्यों को अधिक मात्रा में ऋण दिए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछले वर्षों में लगातार जापान में अच्छी फसलें होने के कारण कृषि सहकारिताओं के पास कोषों की निरन्तर वृद्धि हुई है, और कृषि सहकारिताएं व कृषि-संघ (federation) इस बैंक के पास ऋण प्राप्त करने के लिए बहुत कम जाते हैं।

अ-सदस्यों को दिए जाने वाले ऋणों (दीर्घकालीन व अल्पकालीन) को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—प्रथम, कृषि वन-कर्म व मछली-कर्म से संबंधित उद्योगों को और द्वितीय वित्तीय-संस्थाओं को विशेषतः सिटी-बैंकों का ऋण। इस प्रकार जापान के मुद्रा-बाजार में इस केन्द्रीय सहकारी बैंक का ऋण-दाता (lender) के रूप में महत्वशील स्थान है।

4 एजेंसी कार्य—यह बैंक एजेंसी सम्बन्धी कार्य भी करता है जिनमें सरकार द्वारा खरीदी गई कृषि-उपज के मूल्य का कृषकों को सहकारी संगठनों के माध्यम से भुगतान करना एवं कृषि, वन कर्म व मछली-कर्म के निगम की ओर से कार्य करना सरकार के पेशगी निक्षेप (advance deposits) स्वीकार करना आदि। सरकार द्वारा क्रय किए गए खाद्य पदार्थों के मूल्य का लगभग 90 प्रतिशत भाग इसी केन्द्रीय बैंक के माध्यम से होता है और शेष का भुगतान अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से होता है।

यह बैंक ग्राहकों के कार्यों को आकर्षित करने के लिए अपने ग्राहकों को अपने लाभ में से बोनस भी देता है।

5 कृषि वन कर्म व मछली कर्म निगम
(The Agriculture Forestry Fisheries Financial Corporation)

स्थापना—द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात जापान सरकार की चहुंमुखी आर्थिक विकास की नीति के अन्तर्गत कृषि, वन कर्म व मछली-कर्म को

कालीन ऋण कम ब्याज-दर पर प्रथम बार पुनर्निर्माण वित्त बैंक' (Reconstruction Finance Bank) के माध्यम से प्रदान किए गए। इस पुनर्निर्माण-बैंक की स्थापना सन् 1948 में की गई थी किंतु सन् 1949 के पश्चात् इस बैंक ने काम करना बन्द कर दिया। इस बैंक के बन्द हो जाने पर सरकार कृषि वन-कर्म व मछली-कर्म को Special Account for U S Aid Counterpart Fund के माध्यम से ऋण देती रही फिर यह काम कृषि वन-कर्म व मछली-कर्म के वित्त के लिए विशेष खाते (Special Account for Agriculture Forestry and Fishery Finance) के माध्यम से सन् 1953 तक होता रहा।

सन् 1953 में कृषि वन-कर्म व मछली-कर्म वित्त निगम कानून' के अन्तर्गत उपरोक्त विशेष-खाते (Special Account) की क्रियाओं को करने के लिए 'कृषि, वन-कर्म व मछली-कर्म वित्त निगम की स्थापना की गई। यह निगम सरकार की वित्तीय संस्था है।

निगम की पूंजी—यह निगम सरकार की वित्तीय संस्था होने के कारण इसकी सम्पूर्ण पूंजी जापान सरकार ने विभिन्न खाता (सामान्य खाता औद्योगिक विनियोग का विशेष खाता आदि) में से प्रदान की है। इस निगम की पूंजी 109 3 बिलियन येन है। यह निगम ट्रस्ट फंड-ब्यूरो, डाकघर जीवन बीमा डाकघर वार्षिकी (Postal Annuity) और औद्योगिक विनियोग के विशेष खातो से अतिरिक्त कार्यशील राशि प्राप्त करता है।

निगम के काम—इस निगम का मुख्य काम कम ब्याज-दर पर कृषि वन-कर्म व मछली-कर्म को ऋण देना है। उदाहरण के लिए भूमि विकास मछली पकडने के लिए जहाजो में यन्त्रो के लिए, कृषि फार्मों के रख रखाव के लिए ऋण आदि। यह निगम पशु-पालन उद्योग रेशम उद्योग व नमक उद्योगो को भी ऋण देता है। ये ऋण प्राय 10 वर्ष से 25 वर्ष के लिए होते हैं जिनका किश्तो में पुनर्भुगतान 2 से 5 वर्षों के बाद प्रारम्भ होता है।

इन ऋणो पर 3 5 प्रतिशत से 7 5 प्रतिवर्ष ब्याज की दर से ब्याज लिया जाता है। इन दरो को देखने से स्पष्ट होता है कि ये ब्याज दरें वास्तव में बहुत ही नीची दर है विशेषत जबकि ऋण 10 से 25 वर्ष की अवधि के होते हैं।

~~~~~~~~
~~~~~~~~

30
दीर्घकालीन साख बैंक
(Long-Term Credit Banks)

जापान में दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था

जापान में व्यापार-गृहों के आंतरिक कोषों के अतिरिक्त, दीर्घकालीन कोषों को प्राप्त करने के तीन प्रमुख साधन प्रचलित हैं—स्टाक्स (पूर्णदत्त अंशों) को निगमन करके, बाँड्स का निगमन करके और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करके। उपरोक्त तीन साधनों में से दीर्घकालीन ऋणों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की 50 प्रतिशत से भी अधिक भाग की पूर्ति की जाती है, अतः यह साधन ही सबसे अधिक महत्वशील है।

जापान में प्रायः समस्त प्रकार की वित्तीय संस्थाएं दीर्घकालीन एवं अल्प-कालीन वित्त का प्रबन्ध करती हैं अतः ऐसी संस्थाओं के विभिन्न रूप हैं। इस क्षेत्र में निजी संस्थाओं का, विशेषतः दीर्घकालीन साख बैंकों का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इनका प्रमुख कार्य ही दीर्घकालीन वित्तीय प्रबन्ध करना होता है। इन दिनों जापान में छोटे एवं मध्यम वर्ग के उद्यमों को दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में वित्तीय-संस्थाओं विशेषतः 'पारस्परिक ऋण एवं बचत बैंकों और साख एसोसियेशनों का महत्व बढ़ गया है।

युद्धोत्तर-काल में औद्योगिक-पुनर्निर्माण में, निजी वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त ट्रेजरी कोषों का भी दीर्घकालीन वित्त-व्यवस्था में महत्वपूर्ण योग रहा है। पुनर्निर्माण का क्रमिक पूरा होने पर ट्रेजरी कोषों का महत्व कम हो गया और अब वे निजी वित्त के पूरक के रूप में काम करते हैं वरन् दूसरी ओर स्टॉक और औद्योगिक बौंड द्वारा बाजार में धन की प्राप्ति का महत्व बढ़ता जा रहा है। दीर्घ-*कालीन कोषों का उपयोग मशीनों व प्लांट के उपयोग में अधिक होता है।* युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण में विद्युत शक्ति उत्पादन लोहा व इस्पात जलयान व खनिज के आधारभूत औद्योगिक अंचल में विनियोग को वरिष्ठता प्रदान की गई।

दीर्घकालीन साख बैंकों की स्थापना

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् विशिष्ट-बैंक (special banks) जिन्होंने दीर्घकालीन वित्त व्यवस्था करने में महत्वशील भाग प्रदान किया था, समाप्त कर दिए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि वित्तीय ढांचे में एक रिक्तता (vacuum)

उत्पन्न हो गया जिसको कि पूंजी बाजार पूरा नहीं कर पाया। अतः 1950 में बैंकों द्वारा ऋण-पत्रों के निगमन का कानून बनाया गया जिससे दीर्घकालीन कोषों की पूर्ति सरलता से हो सके। इस कानून ने सभी प्रकार के बैंकों को निश्चित दशाओं में ऋण-पत्र निगमन करने का अधिकार दिया। इस कानून के अन्तर्गत निम्नलिखित बैंकों—दि इण्डस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान, होकेडो बैंक, कृषि व वन के केन्द्रीय सहकारी बैंक, व्यापारिक तथा औद्योगिक बैंक तथा बैंक ऑफ टोकियो—इन बैंकों ने ऋण-पत्रों का निगमन किया।

शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि इससे दीर्घकालीन व अल्पकालीन बाजारों में सम्भ्रान्ति (confusion) उत्पन्न होती है अतः दीर्घकालीन वित्त प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन किया जाय। अतः सन 1952 में दीर्घकालीन साख बैंक कानून (Long term Credit Bank Law) पास किया गया और सन् 1950 का कानून रद्द कर दिया गया।

दीर्घकालीन साख बैंकों और युद्ध से पूर्व के विशिष्ट बैंकों में यह अन्तर है कि दीर्घकालीन साख बैंक केवल निजी संस्थाएं हैं। ये दीर्घकालीन ऋण देने के उद्देश्य से स्थापित किए गये हैं।

वर्तमान स्थिति

जापान में इस समय इस वर्ग के केवल तीन बैंक हैं। इन बैंकों के नाम ये हैं—दि इण्डस्ट्रियल बैंक ऑफ जापान, दि लौंग-टर्म क्रेडिट बैंक ऑफ जापान और दि हाईपोथेक बैंक ऑफ जापान। यद्यपि व्यापारिक बैंकों की तुलना में इन बैंकों की कम शाखायें हैं किंतु ये सम्पूर्ण देश में कार्य करते हैं। उपरोक्त में से प्रथम दो बैंक बड़े व्यापारियों व उद्योगों की सेवा विशेष रूप से करते हैं और तीसरा बैंक (हाइपोथेक बैंक ऑफ जापान) छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों व उद्योगों की सेवा करता है।

प्रमुख कार्य
(Principal Business)

इन बैंकों की स्थापना मुख्यतः दीर्घकालीन कोषों की व्यवस्था करने के लिए की गई है। ये दीर्घकालीन साख बैंक निम्नलिखित प्रमुख कार्य करते हैं—

1 ऋण-पत्रों का निगमन,
2 निक्षेप प्राप्त करना
3 ऋण देना
4 प्रतिभूतियों का व्यवसाय और
5 अन्य कार्य।

1 ऋण-पत्रों का निगमन
(Issue of Debentures)

दीर्घकालीन साख बैंक, ऋण पत्रों के निगमन से अपने कार्यशील कोष एकत्रित करते हैं, जैसे कि व्यापारिक बैंक स्वीकार करके करते हैं। ये बैंक अपनी पूंजी तथा

रिजव की सम्मिलित राशि की 20 गुने राशि तक के मूल्य के ऋण पत्र निगमन करन क लिए अधिकृत हैं ।

ये बैंक दो प्रकार के ऋण पत्र निगमित करते हैं—ब्याज वाले बैंक के ऋण पत्र, और बट्टे वाल बक के ऋण-पत्र । ब्याज वाले ऋण-पत्र प्राय 5 वष की अवधि के होत हैं । इनको मुख्यत व्यापारिक बैंक ले लेते हैं । बट्टे वाले बकों के ऋण-पत्र प्राय 1 वष की अवधि के होत हैं और जिन्हें प्रतिभूति-व्यापारियो के माध्यम म साधारण जनता को बेचा जाता है ।

2 निक्षेप प्राप्त करना

दीर्घकालीन साख बक जनसाधारण से निक्षेप प्राप्त नही कर सकते हैं । ये बक, सरकार, स्थानीय सावजनिक सस्थाओं और उन कम्पनियो से जो अपने ऋण-पत्रों का निगमन इन बकों को सौंपती हैं तथा इस बक से उधार लेने वाली सस्थाओं से निक्षप प्राप्त करते है । इन बैंको के पास निक्षेप के रूप म बडे कोष नही हैं, क्योंकि ये निक्षपो को अधिक आकर्षित नही कर सके हैं ।

जनसाधारण से निक्षप स्वीकार करने पर प्रतिबध लगाने के मुख्य उद्देश्य ये हैं—(i) दीर्घकालीन साख बकों और व्यापारिक बैंकों के मध्य निक्षेपो को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्द्धा न रहे, (ii) जमा कर्त्ताओं का हित सुरक्षित रहे ।

3 ऋण देना

इन बकों का प्रमुख काय मशीनो व प्लाट और दीर्घकालीन कायशील पूजी के लिए ऋण प्रदान करना बिलो की कटौती और गारटी व स्वीकृति देना है । ये बक कभी कभी अल्पकालीन कायशील पूजी भी प्रदान करते हैं किंतु इसकी मात्रा इनके पास निक्षेपो की राशि पर निभर होती है ।

ऋण लेने वाले उद्योगो का यदि वर्गीकरण किया जाय तो ज्ञात होगा कि इन बकों के अधिकांश ऋण निर्माण उद्योगो (manufacturing industries) को प्रदान किए जाते हैं जिनमे लोहा व इस्पात उद्योग, विद्युत शक्ति उद्योग, यातायात उद्योग और रासायनिक उद्योग प्रमुख हैं ।

इन बकों द्वारा चार्ज की जाने वाली ब्याज दरो पर कोई प्रतिबन्ध नही है किंतु ये दरें दीर्घकालीन साख बकों और फेडरेशन आफ बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ जापान के आपसी समझौते द्वारा निश्चित की जाती हैं । उदाहरण के लिए विद्युत शक्ति उद्योगो के लिए ब्याज दर 8 75 प्रतिशत वार्षिक है और जलयान उद्योग के लिए यह 9 प्रतिशत वार्षिक है ।

4 प्रतिभूतियों का व्यवसाय

दीर्घकालीन साख बक कानून' के अन्तगत ये बक प्रतिभूतियों के सौदे भी कर सकते हैं । किंतु ये बैंक ऐसे सौदे केवल उस सीमा तक ही कर सकते हैं जहा तक कि वे प्रतिभूति कम्पनियों के व्यवसाय में हस्तक्षेप नही करते । इन बकों द्वारा प्रतिभूतियों से सम्बन्धित निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं—

(i) म्यूनिसिपल बौंड, निगम बौंड और अन्य प्रतिभूतियों के चालू करने के लिए (floatation) ट्रस्टी के रूप में कार्य करना,

(ii) बंधक ऋण पत्र ट्रस्ट कानून (Mortgage Debentures Trust Law) के अन्तर्गत ट्रस्टी के रूप में कार्य करना,

(iii) स्टाक के अभिदान (Subscriptions) प्राप्त करना और स्टाक्स पर लाभांश के भुगतान में एजेंट के रूप में कार्य करना तथा प्रतिभूतियों के एजेंट के रूप में कार्य करना,

(iv) ऋण-पत्रों के रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्य करना,

(v) प्रतिभूतियों के निर्गमन को खरीदना एवं अभिगोपन करना।

बौंडस व प्रतिभूतियों को चालू करने (float) की दशा में ये बैंक ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं। ट्रस्टी की हैसियत से वे रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करते हैं।

5 अन्य कार्य

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त दीर्घकालीन साख बैंक व्यापारिक बैंकों की भांति विनिमय एवं ग्राहकों की वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कार्य भी करते हैं। विनिमय के कार्यों में देशी व विदेशी विनिमय के कार्य सम्मिलित हैं। विदेशी विनिमय के कार्य में एक बैंक A वर्ग का है और दूसरा बैंक B वर्ग का है।

31

ट्रस्ट बैंक

(TRUST BANKS)

ट्रस्ट बैंकों का विकास

जापान में ट्रस्ट बैंकों का उद्भव ट्रस्ट कम्पनियों से हुआ है। सन् 1945 में जापान में 7 ट्रस्ट कम्पनियां थीं, जिनमें एक विनियोग ट्रस्ट कम्पनी थी और 11 एसे व्यापारिक बैंक थे जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम काल में ट्रस्ट कम्पनियों का एकीकरण हो गया था और ये व्यापारिक बैंक ट्रस्ट का व्यापारिक काय भी करते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् जापान में मुद्रा प्रसार काफी अधिक हो गया था और जिसके फलस्वरूप मुद्रा का मूल्य बहुत कम हो गया था। ट्रस्ट कम्पनियों के पास धन की कमी हो गई और ट्रस्ट का व्यवसाय अलाभकर हो गया। इन परिस्थितियों में सन् 1948 में छः ट्रस्ट कम्पनियों ने अपने आपको बैंकिंग लॉ के अधीन बैंकों में बदल लिया और वे बैंकिंग व्यवसाय के साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय भी करने लगे। उनके नये निक्षेप व्यवसाय से उनके साधन शीघ्रता से बढ़ने लगे। कुछ ही वर्षों में उनके ट्रस्ट की राशि से उनके निक्षेप में राशि काफी अधिक हो गई।

बाद में मुद्रा में स्थायित्व आ गया और ट्रस्ट का व्यापार अधिक होने लगा और इसके काय का क्षेत्र बढ़ गया। सन् 1951 में ट्रस्ट बैंक, ट्रस्ट में विनियोग की गई प्रतिभूतियों के ट्रस्टी बन गये। जापान में सन् 1952 से ट्रस्ट ऋण प्रारम्भ हुए जो कि ट्रस्ट बैंकों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस प्रकार ट्रस्ट ऋण के माध्यम से ट्रस्ट बैंक पुनः जापान में दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाएं बन गईं।

इसी अवधि में वित्तीय विशिष्टिकरण की दृष्टि से जापान सरकार ने बैंकिंग और ट्रस्ट व्यवसायों में अंतर स्पष्ट करने की नीति दिसम्बर 1954 से अपनाई। पृथक्करण और एकीकरण (separations and amalgamation) की क्रियाओं के पश्चात् इस समय जापान में 7 ट्रस्ट बैंक[1] हैं। केवल एक सिटी बैंक[2] ऐसा है जो कि साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय भी करता है। 7 स्थानीय बैंक (local banks) जो कि ट्रस्ट व्यवसाय भी करते थे, उन्होंने सन् 1956 से ट्रस्ट का नया व्यवसाय करना बंद

---

1 These are the seven trust banks—Mitsubishi Trust Bank Mitsui Trust Bank Sumitomo Trust Bank Yasuda Trust Bank Toyo Trust Bank Chuo Trust Bank Nippon Trust Bank

2. Daiwa Bank.

कर लिया है। इन 7 स्थानीय बैंकों में से चार बैंकों ने अपने ट्रस्ट व्यवसाय को पूर्णत बंद कर दिया है। इस प्रकार 3 स्थानीय बैंकों की गणना भी ट्रस्ट का काय करने वाले बैंकों में की जाती है। अत इस समय जापान में कुल 11 बैंक[1] (ट्रस्ट बैंक और व्यापारिक बैंक) जो ट्रस्ट का काय करते हैं।

ट्रस्ट बैंकों की विशेषताएं

1 ट्रस्ट बैंक दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं की तरह काय करते हैं। दीर्घकालीन ऋणों में इनका भाग काफी अधिक है।

2 ट्रस्ट (ट्रस्ट बैंक और व्यापारिक बैंक जो ट्रस्ट का काय करते हैं) वित्त में केवल मध्यस्थता का काय करते हैं।

3 व्यापारिक बैंकों की भांति ट्रस्ट बैंक साख का सृजन नहीं करते हैं।

4 द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व ये ट्रस्ट कम्पनियां केवल धनी वर्ग के लिए विनियोग की संस्थाएं थीं किंतु इस युद्ध के पश्चात इनमें जन साधारण का अनुपात बहुत अधिक बढ़ गया।

ट्रस्ट बैंकों के प्रमुख काय
(Principal Business of Trust Banks)

जैसा कि बतलाया जा चुका है ट्रस्ट बैंक एक साथ ही ट्रस्ट का व्यवसाय और बैंकिंग व्यवसाय दोनों करते हैं। इन दोनों प्रकार के व्यवसायों के स्वभाव में अंतर होने के कारण ये बैंक ट्रस्ट खाते और बैंकिंग के खाते पृथक पृथक रखते हैं।

ट्रस्ट बैंकों के बैंकिंग व्यवसाय के अंतर्गत व्यापारिक-बैंकों के समस्त काय आते हैं। बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त ये ट्रस्ट के काय भी करते हैं। जापान में ट्रस्ट व्यवसाय के अंतर्गत ये बैंक निम्नलिखित काय करते हैं—

1 धन ट्रस्ट का काय

धन ट्रस्ट वह ट्रस्ट होता है जहां ट्रस्ट की सम्पत्ति धन होता है। इसके अनेक रूप हो सकते हैं जैसे ट्रस्ट में धन ऋण ट्रस्ट प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट और अन्य धन ट्रस्ट।

1 ट्रस्ट में धन (Money in Trust)—ट्रस्ट में धन, एक ट्रस्ट होता है जिसमें सौंपे हुए धन का ट्रस्ट की अवधि में उपयोग करने से लाभ हिताधिकारी (beneficiary) को मिलता है और अवधि के समाप्त होने पर मूलधन भी प्राप्त हो जाता है। इनके काय करने की प्रणाली के अनुसार ट्रस्ट में धन तीन प्रकार का होता है—नामित (designated) निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट।

(1) ट्रस्ट में नामित धन (Designated Money in Trust)—ट्रस्ट में अधिकांश धन इसी प्रकार का है। इसके अंतर्गत धनदाता ट्रस्ट को साधारण निर्देश दे देता है किंतु शेष बातें ट्रस्ट बैंक पर छोड़ देता है। ट्रस्ट अपनी योजना के अनुसार उनका विनियोग करता है।

1 7 Trust banks +1 city bank +3 local banks =11 banks now engaging in trust.

(ii) ट्रस्ट मे निर्दिष्ट धन (Specified Money in Trust)—इसमें धनदाता धन के उपयोग के विषय मे विस्तृत निर्देश दे देता है। इसमे मूलधन व उसकी आय के विषय मे ट्रस्ट गारटी नही देता है। ट्रस्ट की अवधि निश्चित नही होती है।

(iii) ट्रस्ट मे अनिर्दिष्ट धन (Non specified Money in Trust)—इसम धनदाता सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर छोड देता है। इसका अधिक प्रचलन नही है।

2 पशन ट्रस्ट—ट्रस्ट धन का एक नया रूप पशन ट्रस्ट है। इसका प्रचलन सन् 1962 से है इसमे धनदाता प्राय उद्यमी (enterprise) होता है जो कि चन्दा (contributions) को (खुद के द्वारा दिया जाता है अथवा खुद-के द्वारा और कमचारी के द्वारा दिया जाता है) ट्रस्ट बैंक म जमा करा देता है। ट्रस्ट बैंक इस राशि का विनियोग करता है और सबधित कमचारियो को उद्यम के पेंशन नियमा के अनुसार, पशन का भुगतान करता रहता है।

3 ऋण ट्रस्ट (Loan Trust)—जापान मे यह पद्धति सन् 1952 से चालू है। इस समय 7 ट्रस्ट-बक ऋण-ट्रस्ट का काय करते हैं। ट्रस्ट के इस धन का उपयोग ऋण देने मे किया जाता है। धनदाताओ को ट्रस्ट प्रमाण पत्र देता है। ये प्रमाण-पत्र जनता को बेचे जाते है। इन प्रमाण पत्रो के विक्रय से जो धन प्राप्त होता है, उसे य ट्रस्ट प्रमुख उद्योगो का दीघकालीन ऋण के रूप मे देते हैं। य ऋण पत्र दो वष अथवा पाच वष के होते हैं। ऋण पत्र 10 हजार यन 1 लाख येन, 5 लाख येन व 10 लाख येन के अकित मूल्य के होते हैं। ऋण पत्रो का हस्तातरण किया किया जा सकता है और निगमन की तिथि के एक वष बाद ट्रस्ट-बक द्वारा पुन खरीदे जा सकते हैं। इन ऋण-पत्रो पर दो वष के लिए 6 5% तथा पाच वर्षों के लिए 7 4% वार्षिक लाभाश की अधिकतम दर हैं।

ट्रस्ट बक ऋण-ट्रस्ट के लिए विशेष रिजव कोष बनाते हैं और मूलधन की गारटी देते हैं। पहले ये ट्रस्ट-बक चार आधारभूत उद्योगो (जलयान विद्युत शक्ति कोयला व इस्पात उद्योगो) को ही ऋण देते थे, किंतु अब इन्होने अपना क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। दीघकालीन ऋण देने के लिए जापान मे ट्रस्ट-बैंक महत्वशील वित्तीय सस्थाए हैं।

4 प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट (Securities Investment Trusts)—अनेक कम्पनिया विनियोगकर्ताओ से धन एकत्रित कर लेती हैं और इस एकत्रित धन को ट्रस्ट-सपत्ति के रूप म ट्रस्ट-बको को सौंप देती हैं। ये ट्रस्ट-बक धन को प्रतिभूतियो में विनियोग कर देते हैं।

जापान म इस प्रकार के ट्रस्ट सवप्रथम सन् 1941 मे आरम्भ हुए किन्तु लोकप्रिय सन् 1950 से हुए। इस समय जापान म ऐसे 6 ट्रस्ट बक हैं और 1 व्यापारिक-बैंक इस प्रकार का काय भी करता है।

5 अन्य प्रकार के ट्रस्ट—इस प्रकार के ट्रस्ट धन को ट्रस्ट की सपत्ति (Trust property) को रूप मे प्राप्त करते हैं। जब ट्रस्ट पूरा हो जाता है तो ट्रस्ट-बैंक ट्रस्ट-सपत्ति को लौटा देता है। उदाहरण के लिए धन-दाता किसी भूमि

को (स्थिति क्षेत्रफल व अनुमानित मूल्य पहले बतला देता है) खरीदने के लिए धन जमा कराता है तो भूमि के क्रय कर लेने पर धनदाता को भूमि (सपत्ति) दे दी जाती है।

2 ऋण देना

ये ट्रस्ट बक उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करते हैं। इनके द्वारा दिये गये ऋणों का लगभग 80 प्रतिशत भाग निर्माण-उद्योगों जन-उपयोगी (Public utilities) और यातायात व संदेशवाहन उद्योगों को दिया गया होता है थोक व फुटकर व्यापार को 10% ऋण होते हैं। लगभग 90 प्रतिशत ऋण एक करोड़ अथवा अधिक येन के होते हैं।

3 प्रतिभूतियों में विनियोग

ट्रस्ट-बक अपने कोषों का विनियोग प्रतिभूतियों में भी करते हैं। कम्पनियों के स्टाक (stocks) व निगमों के बॉण्डों में ये ट्रस्ट विनियोग करते हैं। ये बक सरकारी (राष्ट्रीय व स्थानीय) प्रतिभूतियों में बहुत कम विनियोग करते हैं।

4 बकिंग कार्य

ट्रस्ट बक अपने बकिंग के खाते व ट्रस्ट के खाते अलग अलग रखते हैं। जहां तक बकिंग क्रियाओं का सबध है ये ट्रस्ट बक उन क्रियाओं को ठीक वैसे ही करते हैं जैसे कि व्यापारिक बक।

ट्रस्ट-बकों के पास कोषों की कमी रहती है और उनमें से कुछ बक बैंक ऑफ जापान के ऋणों पर बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। बिना किसी अपवाद के सभी ट्रस्ट बक, बड़े नगरों में ही स्थित है (जैसे कि सिटी बक बड़े नगरों में ही स्थित हैं)। इनके प्रमुख ग्राहक बड़े-बड़े उद्योगपति एवं व्यापारी हैं और अधिकांश निक्षेप भी इसी वर्ग के हैं।

32

छोटे-व्यापार के लिये वित्तीय-संस्थाए

(FINANCIAL INSTITUTIONS FOR SMALL BUSINESS)

छोटे व्यापार से आशय

जापान म छोटे-व्यवसाय (small business) से आशय उन उद्यमा (enterprises) से है जिनकी पू जी 5 करोड यन (50 मिलियन यन) से कम है अथवा जिस उद्यम म 300 कमचारियो (employees) से कम हो। वाणिज्य व सेवा उद्योगों (commerce and service industries) म छोटे उद्यम व हैं जिनकी पू जी 1 करोड यन से कम हो अथवा 50 कमचारियो से कम काय करते हो।

छोटे व्यापार (उद्यमों) की विशेषताए

जापान के छोटे व्यवसायो की प्रमुख विशेषताए निम्नलिखित हैं—

(i) कम उत्पादकता व कम मजदूरी—छोटे उद्यमों म श्रमिक की उत्पादकता कम होती है। एक अनुमान के अनुसार बडे उद्यमो की तुलना म छोटे उद्यमो म श्रमिक उत्पादकता लगभग 40 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार छोटे उद्यमो म मजदूरी का स्तर भी बडे उद्यमो की तुलना म कम है। बडे उद्यमो की तुलना म छोटे उद्यमा म मजदूरी 50 से 60 प्रतिशत होती है।

(ii) प्रबध आदि मे पीछे—छोटे उद्यमा म व्यक्तिगत प्रबध (Personal managem nt) के अनेक पहलू अपनाए जाते हैं। बडे उद्यमा की तुलना म कम विवेकीकरण प्रयोग म लाया जाता है। बाजार सर्वेक्षण और अन्य प्रबध टक्नीक की दृष्टि स छोटे उद्यम बडे उद्यमा की तुलना म काफी पीछे हैं।

(iii) कोष प्रबध करने मे पीछे—वित्तीय दृष्टिकोण स, छोटे उद्यमा म, बडे उद्यमा की तुलना म अधिक जोखिम रहता है। इन अपेक्षाकृत कम राशि की आवश्यकता होती है, अत उन्हे दिये जाने वाले साख का मूल्य अधिक होता है अर्थात् उन्ह महगा साख उपलब्ध होता है। पू जी बाजार म कोष प्राप्त करने म इन छोटे उद्यमा को अधिक कठिनाई उठानी पडती है।

(iv) बडे उद्यमों पर निभरता—छोटे उद्यमा की स्थिति ऐसी है कि अधिकाश छोटे उद्यम, बडे उद्यमा अथवा थोक-व्यापारियो पर निभर रहते हैं

वर्तमान स्थिति

जापान की अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उदाहरण के लिए निर्माण उद्योगों (mfg Industries) में 99 प्रतिशत कार्यरत छोटे उद्यमियों के हैं। इसी प्रकार जापान में कुल कार्यशील श्रमिकों का लगभग 70 प्रतिशत भाग छोटे-उद्यमों में ही लगा हुआ है।

1 पारस्परिक ऋण एवं बचत बैंक
(Mutual Loans and Savings Banks)

वर्तमान पारस्परिक ऋण एवं बचत बैंकों की स्थापना Mutual Loan and Saving Law of 1951 के अन्तर्गत की गई है। इनके कार्य इस प्रकार हैं—

1 इन बैंकों में छोटे व्यवसायों व निगम जिनकी पूंजी 5 करोड़ रुपये से कम है अथवा जहाँ 300 कर्मचारियों से कम कार्य करते हैं ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

2 ये बैंक क्षेत्रीय आधार पर ही स्थापित हो सकते हैं ताकि एकत्रित किये गये कोष उसी क्षेत्र में काम आ सकें।

3 ये लोकप्रिय वित्तीय संस्थाएं हैं अतः इनके द्वारा एक ही ग्राहक को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। ये बैंक अपनी पूंजी रिजर्व के 10% अथवा 3 करोड़ येन इनमें से जो भी कम हो, से अधिक किसी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते।

4 इन बैंकों को अपने समय निक्षेपों का 10% और अन्य निक्षेपों का 30% रिजर्व में रखना पड़ता है। ये रिजर्व अन्य बैंकों में निक्षेप, अन्य बैंकों को ऋण, सरकारी ऋण एवं अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में विनियोग के रूप में रखा जा सकता है।

5 मुजीन व्यवसाय (Mujin business)—मुजीन व्यवसाय जापान में केवल ये बैंक ही करते हैं। मुजीन-व्यवसाय के अन्तर्गत, ग्राहक एक निश्चित-काल तक एक निश्चित राशि नियमित रूप से जमा कराना स्वीकार करता है और इसके बदले में या तो निश्चित काल के पश्चात् अथवा समझौते की अवधि में ही एक निश्चित राशि प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्राप्त की गई राशि पर ब्याज देना पड़ता है किंतु किश्तों की राशि भी देनी पड़ती है।

6 ये बैंक निक्षेप प्राप्त करते हैं और किश्तों में बचत की राशियाँ प्राप्त करते हैं।

7 ये बैंक ऋण देते हैं बिलों की कटौती करते हैं द्रव्य का देशी स्थानान्तरण करते हैं और प्रतिभूतियाँ आदि को उनकी ओर से सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ये समस्त कार्य व्यापारिक बैंकों के हैं, जिन्हें ये बैंक भी करते हैं।

8 ये बैंक विदेशी विनिमय का कार्य नहीं करते हैं।

9 इन बैंकों की ब्याज दरें 'नेशनल म्यूचल लोन एण्ड सेविंग्स बैंक एसोसियेशन' के साथ समझौते द्वारा निश्चित की जाती हैं।

जापान मे लगभग 72 ऐसे बैंक काय कर रहे हैं जिसकी 2,570 शाखाए हैं। ऐसे कुछ बैंक काफी बडे हैं और उनकी तुलना सिटी बैंकों से की जा सकती है।

2 साख पापद
(Credit Associations)

साख पापद सहकारिता के ढग की वित्तीय सस्थाए हैं। इन सस्थाओ का प्रशासनिक व्यय बहुत कम होता है। सन् 1951 मे साख-पापद कानून पास किया गया जिसके अतगत अनेक सहकारी-सस्थाए साख पापदो के रूप मे परिणत हो गये। ये पापद छोटे उद्यमो के लिए वित्तीय सस्थाए हैं।

इन साख-पापदो का व्यवसाय व्यापारिक-बैंको के समान है। ये पापद सदस्यो व गैर-सदस्यो से जमा प्राप्त करते हैं। व्यापारिक बैंको की अपेक्षा ये पापद निक्षेपो पर ऊची ब्याज की दर देते हैं। कानून मे इन पापदो का यह उद्देश्य बतलाया गया है, 'जनसाधारण को वित्तीय सुविधाए प्रदान करना और उनकी बचतो को प्रोत्साहित करना।' इनका काय-क्षेत्र उनके क्षेत्र तक ही सीमित होता है जिसमे कि वे स्थित हैं। जमा कर्त्ताओ की सुरक्षा की दृष्टि से इन पापदो को अपने कुल निक्षेपो के 10% का 1 8 गुना और (Plus) अन्य निक्षेपो का 20% मिला कर जो राशि आती है उस राशि को नकद के रूप मे, अन्य वित्तीय सस्थाओ मे जमा, सरकार द्वारा गारटी किये गये बौडो, बैंक ऋण पत्रो और अन्य आर्थिक सम्पत्तियो के रूप मे रखना पडता है।

ये पापद केवल अपने सदस्यो को ऋण देते हैं। असदस्यो को भी ये ऋण सीमित मात्रा मे ऋण देते हैं। सदस्यो को दिए गये ऋणो की कुल राशि के 20 से अधिक राशि के ऋण अ-सदस्यो को नही दे सकते।

इन पापदो के सदस्य पापद के क्षेत्र के छोटे उद्यम एव व्यक्ति हो सकते हैं। ये पापद अलाभकारी (non profit) सहकारी सगठन होते हैं।

जापान मे इस पापदो की सख्या लगभग 550 है।

फेडरेशन ऑफ क्रेडिट एसोसियेशन्स (Federation of Credit Association)—सन् 1951 के क्रेडिट एसोसियेशन ला के अन्तगत साख-पापदो के फेडरेशन भी स्थापित किये जा सकते हैं। ये क्षेत्रीय साख-परिषदो की केन्द्रीय सस्थाए होती हैं।

इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है और साख-पापदो तक ही सीमित है। कोई व्यक्ति अथवा अन्य सस्था इसका सदस्य नही बन सकता।

जापान मे इस समय ऐसा केवल एक ही फेडरेशन 'दि नेशनल फेडरेशन ऑफ क्रेडिट एसोसियेशन्स' है जिसकी स्थापना नवबर सन् 1951 में की गई थी। यह फेडरेशन सदस्य पापदो, सरकार आदि से निक्षेप प्राप्त करता है।

यह फेडरेशन केवल सदस्यों को ही ऋण दे सकता है, किन्तु वित्त मत्री के अनुमोदन पर, अ-सदस्यो को भी ऋण दे सकता है।

इस निगम का प्रधान कार्यालय टोकियो म है व 20 शाखायें प्रय बड़े नगरो म स्थित हैं।

यह निगम छोटे उद्यमो को आधुनीकरण के लिए ऋण देता है। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणो का अधिक से अधिक उद्यमो द्वारा लाभ उठाया जा सके इस उद्देश्य से इस निगम ने ऋण की अधिकतम सीमा बाध दी है। किसी एक ही उद्यम को अधिकतम ऋण 1 करोड़ येन तक का व किसी एक पायद अथवा कारपोरेशन को अधिकतम 3 करोड़ येन तक का ऋण दिया जा सकता है। यह निगम सावधि ऋण (term loans) देता है। इन ऋणों की अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है। इन ऋणो पर 9 प्रतिशत ब्याज दर निश्चित है।

6 दि पीपिल्स फाइनेंस कारपोरेशन (The People's Finance Corporation)

इस निगम की स्थापना सन् 1949 म जापान सरकार ने की थी। यह भी एक सरकारी संस्था है। यह निजी व्यापारियों को ऋण देता है जिन्हें साधारण वित्तीय संस्थाओ से ऋण उपलब्ध नही होता।

इस निगम की सम्पूर्ण पूंजी भी सरकारी है। इसकी मूल-पूंजी 1 300 मिलियन येन थी जिसमे समय-समय पर वृद्धि की गई। सन् 1962 म इसकी पूंजी 20 हजार मिलियन येन हो गई थी।

इस निगम की यह विशेषता है कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक पीपिल्स फाइनेंस काऊंसिल है जिसमे कुल 10 सदस्य हैं—8 निजी क्षेत्र के व 2 सरकारी। यह कौंसिल निगम के प्रमुख कार्यों के संबंध मे निर्णय देती है और निगम की क्रियाओं के संबंध म वित्त मंत्री को परामर्श देती है।

यह निगम युद्ध म अपाहिज हुए व्यक्तियो विधवा स्त्रियो और युद्ध व अन्य आपत्तियों म विस्थापित व्यक्तियो के पुनर्वास के लिए व अन्य व्यक्तियों को जिन्हें ऋण की आवश्यकता होती है ऋण देता है। साधारण ऋणो पर ब्याज दर 9 प्रतिशत वार्षिक व अन्य ऋणो पर 6 प्रतिशत वार्षिक है। एक ऋण 5 लाख येन से अधिक का नही होता है किन्तु विशेष परिस्थितियो म यह राशि 10 लाख येन तक की हो सकती है।

ऋण प्राय 3 वर्षों के लिए दिए जाते है और इनका भुगतान मासिक किश्तो म होता है। बडी राशियो के ऋणो का भुगतान 5 वर्ष म हो सकता है। ऋणो पर प्राय किसी तीसरे व्यक्ति की जमानत ली जाती है।

7 ऋण गारंटी करने वाली सस्थाए

1 साख गारंटी पायद (Credit Guarantee Associations)

साख गारंटी पायदो की वस तो जापान म स्थापना द्वितीय विश्व-युद्ध के पूर्व हो चुकी था किन्तु सन् 1953 म साख गारंटी पायद कानून' बनाया गया, जिसके

अनगत इन पापदो को वैधानिक स्वरूप मिला और इनके कार्यों का वैधानिक विश्लेषण किया गया।

उपरोक्त कानून के आधीन सम्पूर्ण देश म गारटी-पापद् स्थापित किए गए। इस समय इनकी सख्या लगभग 60 है। इन पापदो की स्थापना मुख्यत सार्वजनिक निकायो (public bodies) द्वारा की गई है जिनमे व्यापारिक बैंक, पारस्परिक ऋण एव बचत बैंक, साख-पापदो, साख सहकारिताओ आदि वित्तीय-सस्थाओ द्वारा भाग लिया गया है।

ये पापद् उन छोटे उद्यमो की गारटी करते हैं जिन्होंने बैंक अथवा अन्य वित्तीय-सस्थाओ से ऋण लिए हैं। इसके अतिरिक्त ये ऐसे ऋणो की पुनर्गारटी करते हैं जिन ऋणो की गारटी बैंक अथवा अन्य वित्तीय-सस्थाए दे चुकी हैं।

इन पापदो को कार्यशील-पूजी प्राप्त करने के सीमित साधन ही उपलब्ध है। सार्वजनिक निकायो द्वारा निक्षेप एव स्माल बिजनस फाइनेन्स-कॉरपोरेशन म ऋण लेकर ही य अपनी पूजी एकत्रित करते हैं। य अधिकांश निकाय अपनी मूल सम्पत्तिया (basic assets) के 25 गुना तक के ऋणो की राशि की गारटी दे देते हैं।

यदि कोई छोटा उद्यम, जिसने किसी वित्तीय सस्था से ऋण लिया है और इस पापद ने उस ऋण की गारटी की है अपने ऋण का भुगतान नहीं करता है तो यह पापद् उसके ऋण का भुगतान उस वित्तीय सस्था को कर देता है, और प्रत्यासन (subrogation) द्वारा उस, भुगतान न करने वाले, उद्यम का ऋणदाता हो जाता है अर्थात उस वित्तीय सस्था को भुगतान कर देने के पश्चात् पापद् को उस उद्यम के विरुद्ध वे सब अधिकार प्राप्त हो जाते है जो मूल ऋणदाता (वित्तीय सस्था) को थे। ये पापद प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख ऋणो की गारटी दे रहे हैं।

2 दि स्माल बिजनस क्रेडिट इश्योरेंस कारपोरेशन
(The Small Business Credit Insurance Corporation)

सन् 1958 म जापान सरकार ने इस बीमा निगम की स्थापना की। यह सरकारी निगम है और इसकी सम्पूर्ण पूजी सरकार ने ही प्रदान की है।

इस निगम का मुख्य कार्य उन ऋणो का बीमा करना है जिनकी गारटी साख गारटी पापदो ने की है। इसके अतिरिक्त य इन पापदो को ऋण भी प्रदान करता है। यदि किसी छोटे उद्यमो ने अपने ऋण का भुगतान नहीं किया है तो साख-गारटी-पापद उस ऋण का भुगतान करता है, और यह बीमा निगम उस ऋण का 70 प्रतिशत भाग उस पापद को क्षति-पूर्ति के रूप म दे देता है।

33

निजी क्षेत्र की अन्य वित्तीय संस्थाएं

जापान की अर्थ व्यवस्था में निजी-क्षेत्र की कुछ अन्य वित्तीय संस्थाएं भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इस वर्ग की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं—

1 बीमा कम्पनियां
2 मांग पर देय ऋण के व्यापारी,
3 प्रतिभूति बिल कम्पनियां
4 प्रतिभूति कम्पनियां
5 प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट।

उपरोक्त वित्तीय संस्थाओं का परिचयात्मक विवरण अग्रलिखित पंक्तियों में दिया जा रहा है।

1 बीमा कम्पनियां
(Insurance Companies)

अन्य देशों की भांति जापान के मुद्रा बाजार में बीमा कम्पनियों का प्रभावशील ऋणदाता तथा प्रतिभूतियों में विनियोग कर्त्ता के रूप में महत्वशील स्थान है। जापान में बीमे का प्रचलन पश्चिमी देशों से मेइजी युग (Meiji era) में हुआ। जापान में प्रथम सामान्य-बीमा-कम्पनी और प्रथम जीवन-बीमा-कम्पनी क्रमश सन् 1879 व सन् 1881 में स्थापित हुई। इसके पश्चात् जापान में बीमा कम्पनियों की स्थापना तेजी से होने लगी और सन् 1900 तक वहां 68 बीमा कम्पनियां स्थापित हो गईं। सन् 1900 में बीमा-व्यवसाय कानून (Insurance Business Law) बनाया गया।

बीमा कम्पनियों की विशेषताएं

जापान में बीमा दो भागों में बटा हुआ है—जीवन बीमा एवं अन्य बीमा अर्थात् सामान्य बीमा। कोई भी बीमा कम्पनी दोनों प्रकार के बीमे का एक साथ व्यवसाय नहीं कर सकती है अर्थात् जीवन बीमा कम्पनी अन्य प्रकार के बीमे का कार्य नहीं कर सकती तथा अन्य बीमा कम्पनी जीवन बीमे का कार्य नहीं कर सकती। जापान में जीवन बीमा कम्पनियां तथा सामान्य बीमा कम्पनियां निजी क्षेत्र (Private Sector) में हैं। भारत में जीवन बीमे का कार्य जीवन बीमा निगम करता है जिसकी स्थापना जीवन बीमा-व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के परिणाम स्वरूप हुई। अत भारत

में जीवन बीमा व्यवसाय सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में है जबकि सामान्य-बीमा व्यवसाय निजी-क्षेत्र में है। आशा है कि निकट भविष्य में भारत में सामान्य-बीमा का भी राष्ट्रीयकरण हो जावेगा।

जीवन-बीमा अनुबंध काफी लंबी अवधि के लिए होता है और मृत्यु-दरें अपेक्षाकृत अधिक विशुद्धता से अनुमानित की जा सकती हैं, अतः जीवन बीमा कम्पनियां दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं का भाग अदा करती हैं क्योंकि उनके पास स्थायी एवं दीर्घकालीन कोष रहते हैं। दूसरी ओर, सामान्य बीमा कम्पनियां जिन जोखिमों का बीमा करती हैं उनका उतनी विशुद्धता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता एवं अनुबंध की अवधि भी प्रायः एक वर्ष या उससे भी कम होती है, अतः सामान्य बीमा कम्पनियां अल्पकालीन वित्त के क्षेत्र में महत्व रखती हैं।

जीवन-बीमा कम्पनियों के अतिरिक्त जापान में जीवन बीमे का कार्य कृषि सहकारी समितियां भी करती हैं। जापान सरकार स्वयं भी अनेक प्रकार की योजनाओं के अंतर्गत बीमे का कार्य करती है। इनमें डाकघर जीवन बीमा योजना अधिक महत्वपूर्ण है। यह योजना सन् 1916 से प्रारम्भ की गई थी। यह योजना कम आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। इसमें बीमे की राशि कम होती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय पेंशन बीमा, बेरोजगारी बीमा, नाविक बीमा (Seamen's Insurance), निर्यात बीमा, वन अग्नि बीमा, छोटे उद्यमों की साख का बीमा आदि अनेक प्रकार के बीमे करती है। सरकार की विभिन्न बीमा योजनाओं की अधिक राशियां व रिजर्व की राशियां सरकार के 'ट्रस्ट फंड ब्यूरो' के पास जमा करा दी जाती हैं।

जापान में इस समय (सन् 1970 में) कुल 20 जीवन बीमा कम्पनियां हैं जिनमें से 16 पारस्परिक कम्पनियां व 4 संयुक्त स्कंध वाली कम्पनियां (joint stock companies) हैं। जापान में बीमा कम्पनी की स्थापना के लिए 'बीमा व्यवसाय कानून' के अंतर्गत वित्त मंत्री की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। जीवन बीमा कम्पनी की न्यूनतम पूंजी 3 करोड़ येन होनी चाहिए, और पारस्परिक कम्पनियां (mutual companies) में 100 से अधिक सदस्य भी होने चाहिए। यहां प्रीमियम की दरें भी वित्त मंत्री के अनुमोदन से निश्चित की जाती हैं। बीमित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए कानून में इन कम्पनियों के कोषों की सुरक्षा एवं तरलता के लिए अनेक प्रावधान कर दिए गए हैं। जापान में लगभग 5.5 लाख जीवन बीमा एजेंट कार्य कर रहे हैं।

द्वितीय विश्व-युद्ध में भारी विध्वंस के कारण सामान्य बीमा कम्पनियों को बहुत हानि उठानी पड़ी क्योंकि युद्ध के कारण क्षति, जलयानों के नष्ट होने आदि में इन्हें बहुत बड़ी मात्रा में दावों का भुगतान करना पड़ा। इस समय (सन् 1970 में) जापान में 21 सामान्य बीमा कम्पनियां कार्य कर रही हैं जिनमें 19 संयुक्त-स्कंध वाली कम्पनियां हैं और 2 पारस्परिक कम्पनियां हैं। जीवन बीमा कम्पनियों की तुलना में सामान्य बीमा कम्पनियों को अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये

सामान्य बीमा कम्पनियाँ सामुद्रिक, अग्नि और यातायात और अन्य जोखिमों का बीमा करती हैं। इनमें लगभग 58 प्रतिशत पालिसियाँ अग्नि बीमा की व 14 प्रतिशत पालिसियाँ अग्नि बीमा की होती हैं। इनके अतिरिक्त दुर्घटना, मोटर, भारी वायुयान सम्बन्धी, सागर तूफान व बाढ़, घुड़दौड़, पशु शक्ति आदि के विरुद्ध बीमा का प्रचलन भी आजकल बढ़ रहा है।

सामान्य बीमा कम्पनियाँ अल्पकालीन मुद्रा-बाजार में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन कम्पनियों के अनुबन्ध (एक वर्ष या कम अवधि) जीवन बीमा कम्पनियों की तुलना में बहुत कम अवधि के होते हैं, और जोखिम अधिक होते हैं।

2 मांग पर देय ऋणों के व्यापारी
(Call Loan Dealers)

अपने दैनिक कार्य संचालन में कुछ वित्तीय संस्थाओं के पास अस्थायी कोषों का आधिक्य (temporary fund surplus) हो जाता है व कुछ को थोड़े समय के लिए कोषों की आवश्यकता होती है। अतः इन कोषों के उचित प्रवाह की आवश्यकता है। अतः इस प्रकार के व्यवहारों के लिए जापान में विशिष्ट संस्थाएँ हैं जो कि इन व्यवहारों में मध्यस्थों का कार्य करती हैं। कभी कभी आधिक्य कोष वाली संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से कम कोष वाली संस्थाओं से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर लेती हैं।

जापान में इस समय (सन् 1970 में) मांग पर देय ऋणों में व्यवहार करने वाली केवल 6 संस्थाएँ हैं जिनको कार्य करने की अनुमति वित्त मंत्री से लेनी पड़ती है। ऐसी संस्थाएं जापान के वित्त मंत्री के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण (supervision) व नियन्त्रण में रहती हैं।

जापान में मांग पर देय बाजार मुद्रा बाजार का सबसे अधिक संगठित बाजार है। ये संस्थाएँ वित्तीय संस्थाओं के मांग पर देय ऋणों की व्यवस्था करती हैं, व्यापारिक बिलों की कटौती करती हैं, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती हैं और विदेशी विनिमय में दलाली का काम करती हैं।

ये संस्थाएँ बैंक ऑफ जापान (केन्द्रीय बैंक) में अपने चालू खाते रखती हैं और बैंक ऑफ जापान के चैकों के द्वारा अपने सौदों को निबटाते हैं। ये संस्थाएँ बैंक ऑफ जापान से अल्पकालीन ऋण भी प्राप्त करती हैं।

3 प्रतिभूति वित्त-कम्पनियाँ
(Securities Finance Companies)

द्वितीय युद्ध के पूर्व जापान में स्टाक एक्सचेंज वास्तव में सट्टे के बाजार थे किन्तु युद्ध के पश्चात ये एक्सचेंज रोकड़ के आधार पर कार्य करने लगे। आजकल अनुबन्ध की तिथि को सम्मिलित करते हुए चौथे दिन स्टाक की सुपुर्दगी करना व उनका भुगतान करना आवश्यक है। यद्यपि प्रतिभूति कम्पनियों व उनके ग्राहकों में मार्जिन के सौदे (margin transactions) भी होते हैं जिनके अन्तर्गत ग्राहक अनुबन्ध की तिथि के तीन दिन के भीतर कम्पनी में एक निश्चित राशि (मार्जिन राशि) जमा कर देता है और स्टॉक की सुपुर्दगी व भुगतान अधिक से अधिक 90

न्ति तक स्थगित कर सकता है। जापान म यह प्रणाली मई 1951 से प्रचलित है। वास्तव म यह प्रणाली अमेरिकन प्रणाली के अनुरूप है।

जापान म बंक अथवा अन्य वित्तीय-संस्थाएं खरीदे जाने वाले स्टाक की जमानत पर स्टॉक खरीदने के लिए ऋण नहीं देती है। य कम्पनिया ऐसा करती हैं।

युद्धोपरान्त जापान के स्टाक बाजार म बहुत मदी आई अत इस मन्दी क प्रभाव को रोकने के लिए प्रत्येक स्टाक बाजार क निकट एक एक प्रतिभूति वित्त कम्पनी स्थापित हो गई। जो कि अपने ग्राहकों को ऋण एव प्रतिभूतिया प्रदान करती थी।

सन् 1951 म जापान म 9 प्रतिभूति वित्त कम्पनिया थी, किन्तु आजकल (सन् 1970 म) केवल 3 ऐसी कम्पनिया हैं जो टोकियो आसाका व नागोया नगरा म स्थित हैं। शेष छ कम्पनियाँ अब इन तीन कम्पनिया की शाखाओं क रूप म काम करती हैं।

4 प्रतिभूति कम्पनिया
(Securities Companies)

द्वितीय विश्व-युद्ध के पश्चात् जापान मे प्रतिभूतियो का महत्व बढ़ा। प्रतिभूति व्यवहार कानून' (The Securities Transaction Law) सन् 1948 म बना जिसने बकों व ट्रस्ट बकों पर सरकारी बॉण्ड स्थानीय बॉण्ड और सरकार द्वारा गारन्टी किए हुए बॉण्डों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के अभिगोपन (underwriting) पर प्रतिबन्ध लगा दिया और यह काय प्रतिभूति कम्पनियो को सौंप दिया।

उपरोक्त कानून के अधीन एक प्रतिभूति कम्पनी सयुक्त पूजी वाला निगम (joint stock corporations) होना चाहिए और निर्धारित न्यूनतम पूजी होनी चाहिए। इन कानूनी आवश्यकताओं के पश्चात् कम्पनी को एक और औपचारिकता पूरी करनी होती है। वह औपचारिकता है—वित्त मत्री से कम्पनी का रजिस्ट्रेशन करवाना।

काय—इन प्रतिभूति कम्पनियो का प्रमुख काय सभी प्रकार के बॉड व स्टाक (bonds and stocks) म व्यवहार करना है। इस काय म नये निगमनो (new issues) का निगमन व अभिगोपन करना, ग्राहकों स प्रतिभूतियो का क्रय विक्रय करना और स्टॉक एक्सचेंजो में व्यवहार करना आदि काय सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त य प्रतिभूतियो की दलाली का काय भी करती हैं। आधी स अधिक प्रतिभूति कम्पनिया अपने लिए ही सौदे करती हैं किन्तु शेष ऐसी कम्पनिया दलाल के रूप मे काय करती हैं। स्टॉक एक्सचेंज म क्रय विक्रय की गई प्रतिभूतियो के लिए दलाली की दरें एक्सचेंज के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

ये कम्पनिया औद्योगिक बॉडो का अभिगोपन भी करती हैं और इस काय के लिए प्राय 1 6 प्रतिशत दलाली प्राप्त करती हैं। इस प्रकार, य निगमन करने

वाली कम्पनियो और क्रेताओ के मध्य मध्यस्थ (intermediatory) का काय करती हैं।

ये कम्पनिया अ शो का अभिगोपन भी करती हैं। जितने अ श नही बिक पाते है उन अ शो को ये कम्पनिया ल लेती हैं। य कम्पनिया अ शो के अभिगोपन व जनता म उनके वितरण की सवाओ क लिए विक्रय मूल्य (अ कित मूल्य नही) का 5 प्रतिशत स 6 प्रतिशत तक कमीशन प्राप्त करता है।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त य प्रतिभूति कम्पनिया प्रतिभूतिया को सुरक्षित रखने प्रतिभूतियो के हस्तातरण मे एजट क रूप म काय करन व प्रतिभूतियो स सबधित अन्य सवाए प्रदान करती हैं।

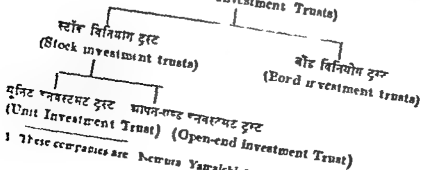
स्थिति व महत्त्व—जापान के प्रतिभूति बाजार में इन कम्पनियो का आजकल बहुत महत्त्वशील भाग है। जापान म सन् 1962 के अत मे लगभग 600 प्रतिभूति कम्पनिया थी। इनम से 190 कम्पनिया 9 स्टाक एक्सचजों की सदस्य थी। यहा एक महत्त्वशील बात उल्लेखनीय कि इनमे केवल चार प्रतिभूति कम्पनिया ही सबसे बडी हैं। जापान की समस्त प्रतिभूति कम्पनिया की कुल पू जी कार्यालय व कमचारिया का 30 स 40 प्रतिशत भाग स्टाक एक्सचजो के 60 प्रतिशत व्यवहार और निगम बोडो के 80 प्रतिशत अभिगोपन काय म इ ही चार कम्पनियो का भाग है।

5 प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट (Securities Investment Trusts)

इगलड क यूनिट ट्रस्ट क नमूने पर ही जापान में प्रतिभूतियो का विनियोग ट्रस्ट प्रणाली आधारित है। जापान म यह प्रणाली सन् 1937 म प्रारम्भ की गई। इस प्रणाली ने युद्ध काल म बहुत प्रगति की किंतु युद्धोत्तर काल म यह प्रणाली बद हो गई। वहा सन् 1951 म सिक्यूरिटीज ट्रस्ट लॉ पास किया गया। इस कानून क अतगत जापान म प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट स्थापित किय गये हैं।

विनियोग क उद्देश्य से जापान म प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट दो प्रकार के हैं—स्टॉक विनियोग ट्रस्ट और बॉड विनियोग ट्रस्ट। स्टॉक विनियोग ट्रस्ट पुन दो प्रकार के हैं—यूनिट इनवस्टमेंट ट्रस्ट और ओपन एण्ड इनवस्टमट (Open-end investment trusts)

प्रतिभूति विनियोग ट्रस्ट
(Securities Investment Trusts)



1 These companies are Nomura Yamaichi Nikko and Daiwa

(क) स्टॉक विनियोग टस्ट (Stock Investment Trust)

(i) यूनिट ट्रस्ट (Unit Trusts)—य ट्रस्ट सामान्य जनता को हिताधिकारी प्रमाण-पत्र (Beneficiary Certificates) सम मूल्य (at par) पर विक्रय करत है। इन ट्रस्टोद्वारा यह विक्रय महीने म प्राय एक बार किया जाता है और विक्रय स प्राप्त राशि से ट्रस्ट सम्पत्ति उत्पन्न (is created) करली जाती है। इस प्रकार प्रति माह एक ट्रस्ट इकाइ बन जाती है। यह ध्यान रहे कि इस प्रकार प्रत्यक महीने म बनाइ गई ट्रस्ट इकाई अलग अलग ही रहती है। ट्रस्ट सम्पत्तिया क हिसाब वप म एक बार निपटाए जात हैं और लाभ वितरण किया जाता है।

ट्रस्ट की अवधि प्राय 5 की वप होती है, और प्रत्यक प्रमाण पत्र 5 000 येन क मूल्य का होता है। यह आशा की जाती है कि हिताधिकारी (beneficiary) अर्थात् प्रमाण-पत्र का क्रेता अपन प्रमाण पत्र को 5 वप की पूरी अवधि तक रखेगा। किंतु यदि हिताधिकारी चाह तो इस अवधि स पूव ही चालू मूल्य पर ट्रस्ट स (अथवा निश्चित प्रतिभूति कम्पना से) प्रमाण पत्र को पुन क्रय (repurchase) करन के लिए प्राथना कर सकता है।

(ii) ओपन एण्ड ट्रस्ट (Open-end Trusts)—प्रत्येक एसे ट्रस्ट के लिए टस्ट सपत्ति की सीमा निधारित करदी जाती है और समय-समय पर प्रमाण-पत्र विक्रय किय जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र उस समय तक विक्रय किये जात रहत हैं जब तक कि निर्धारित सीमा नही पहुच जाती है। ट्रस्ट के हिसाब वप म दो बार निपटाय जाते हैं। इसम टस्ट की अवधि असीमित होती है। जो प्रमाण-पत्र प्रतिभूति-कम्पनिया द्वारा क्रय किय जाते है उन्ह प्राय पुन विक्रय कर दिया जाता है। ये प्रमाण-पत्र प्राय 10 अशा की इकाई मे बचे जाते हैं और प्रत्यक अ श का अंकित मूल्य 1 000 येन होता है।

भारत म यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया एक्ट 1963 के अधीन यूनिट टम्ट की स्थापना हो चुकी है जिसने सन् 1964 स काय करना आरम्भ कर दिया है। इसम प्रत्यक इकाई (Unit) 10 रुपय की है। कम से कम 10 यूनिट (100 रुपये के) खरीदन पडते हैं अधिकतम सीमा नही है। यदि यूनिटो का कोई धारक अपने यूनिटो का बचना चाहे तो यूनिट ट्रस्ट उन यूनिटो को घोषित मूल्य पर पुन क्रय कर लेता है। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य वग की छोटी छोटी बचतो का उत्पादन-कार्यो म लगाना है। यूनिट धारको को प्रति वप लाभाश भी दिया जाता है।

(ख) बौंड विनियोग टस्ट (Bond Investment Trust)

जापान मे इस प्रकार ट्रस्टो का स्थापना जनवरी सन् 1961 से प्रारम्भ हुई। हिताधिकारी प्रमाण पत्र (beneficiary certificate) अर्थात् अश प्रमाण-पत्र का मूल्य 10 हजार यन है।

य ट्रस्ट सावजनिक एव निजी बौंडा म मुख्यत अपन धन को विनियाग करत है। य ट्रस्ट प्रतिभूतियो अथवा अशो के निगमन का अभिगोपन नही कर सकते है।

ये ट्रस्ट केवल उन्ही कम्पनिया के बौंड खरीद सकते हैं, जिन कम्पनिया की पू जा 10 बिलियन येन या अधिक हो और जिनके नाम ट्रस्ट अनुबध की सूची म हा। इसके अतिरिक्त किसी एक ही कम्पनी के बौंड म यह ट्रस्ट अपनी पू जी के 20 प्रतिशत से अधिक भाग नहा लगा सकता। इन बौंडा विनियोग ट्रस्टा म विनियोग किए गय मूलधन की सुरक्षा की गारटी नही दी जाती है अत विनियाग कत्तामा की सुरक्षा क लिए कवल व कम्पनिया ही काय कर सकती हैं जिन्ह जापान के वित्त मन्त्री न इस काय का करन की स्वीकृति दी है। इनकी क्रियाओ पर सुरक्षा के उद्देश्य से, कठोर सरकारी निरीक्षण रहता है।

34

सरकारी वित्तीय सस्थाए

(Government Financial Institutions)

सरकार क विनियोग एव ऋण क्रियाओं की विशेषताए

जापान म सरकार वित्तीय क्रियाओ म भी भाग लेती है और राष्ट्रीय बचत एव विनियोग के प्रवाह म महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। जापान म डाकघर बचतो एव सरकार द्वारा सचालित विभिन्न बीमा योजनाओ के द्वारा बडी मात्रा म धन सरकार प्राप्त करती है। सरकार इस धन को पू जी व अभिदानो (subscriptions) ऋण देने व बॉडो क क्रय आदि म लगाती है। निजी क्षेत्र क विभिन्न उद्योगों एव विभिन्न सरकारी सस्थाए भी सरकार का विनियोग क लिए धन देती हैं।

मात्रा की दृष्टि म सरकार द्वारा दिए गये ऋणो व विनियोगो का अधिक महत्वशील स्थान नही है किंतु सम्पूर्ण अथ व्यवस्था म महत्वशील स्थान है। आधारभूत उद्योगो क आधुनिकरण, विदेशी-व्यापार क विकास छोटे पमाने के उद्योगो कृषि, वन कम व मछली कम, भवन निर्माण आदि के लिए वित्त प्रदान करना आदि महत्वपूर्ण हैं।

यद्यपि जापान की आर्थिक क्रियाओ का एक लम्बा इतिहास है किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था म महत्वपूर्ण योग रहा। युद्धोपरान्त पुनर्निर्माण क काल (1946 से 1953 जबकि उत्पादन व उपभोग युद्धपूव स्तर पर आ गया) म पुनर्निर्माण वित्त बक (Reconstruction Finance Bank 1946-1948) और सयुक्त राज्य सहायता प्रतिरूप कोष (U S Aid Counterpart Fund 1949-1953) क माध्यम स निजी क्षेत्र को बहुत बडी मात्रा म धन दिया गया जिसक परिणामस्वरूप लोहा व इस्पात कोयला खनन विद्युत शक्ति व जलयान आदि जस आधारभूत उद्योगो के पुनर्निर्माण म बहुत सहायता मिली। निजी क्षेत्र म साज सज्जा (equipment) क लिए आवश्यक धन का लगभग 30 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा (1951 28 प्रतिशत 1952 31 प्रतिशत 1953 24 प्रतिशत 1954 30 प्रतिशत) प्रदान किया गया। इस अवधि म सरकार ने निजी कोषो की माग सबधी कमी को काफी सीमा तक दूर किया।

पुनर्निमाण की प्रगति के साथ अनेक उद्योग अपनी वित्तीय आवश्यकताओ की पूर्ति पू जी-बाजार और निजी वित्तीय सस्थाओ के माध्यम स करने मे समथ हो गय।

इसका परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक-कोष प्रदान करने से सरकार का भार कम हो गया, जैसा कि नीचे की तुलनात्मक तालिका से स्पष्ट है—

वर्ष	सरकार का योग (प्रतिशत में)	वर्ष	सरकार का योग (प्रतिशत में)
1951	28	1957	16
1952	31	1958	18
1953	24	1959	17
1954	30	1960	13
1955	33	1961	9
1956	17		

अब इन दिनों सरकारी वित्त की नई प्रवृत्ति देखी जा रही है। आजकल छोटे उद्यमों, कृषि, वन कर्म, मछली-कर्म आदि के क्षेत्र में सरकारी वित्त का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिकांश सरकारी ऋण ऐसी परियोजनाओं (projects) को दिए जाते हैं जिनको कि साधारणतः निजी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं हो पाते। निजी वित्तीय संस्थाएं प्रायः तीन कारणों से इनको ऋण प्रदान नहीं कर पाती हैं—प्रथम, मांगे जाने वाले ऋणों की राशि प्रायः छोटी होती है अथवा द्वितीय, ऋण काफी लम्बी अवधि के लिए मांगे जाते हैं, अथवा तृतीय ऋणों के लिए जमानत की अनुपयुक्तता।

इसके अतिरिक्त जापान में उद्योगों के तेज विकास के कारण सड़कों, बन्दरगाहों व यातायात व सन्देशवाहन के साधनों आदि के विकास की बहुत आवश्यकता है। इन कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी दीर्घकाल तक बंधी रहती है, पूंजी की वापसी में समय बहुत लगता है और पूंजी की उत्पादकता-दर कम होती है। अतः इन कार्यों के लिए सरकारी वित्त द्वारा ही व्यवस्था हो सकती है क्योंकि निजी वित्त इन कार्यों के लिए अनुपयुक्त एवं असमर्थ होता है।

सरकारी विनियोग एवं ऋण योजनाओं का ढांचा

सरकारी विनियोग एवं ऋण की क्रियाएं सरकार की विनियोग एवं ऋण योजनाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाती हैं जिनका निर्धारण प्रत्येक वर्ष के सरकारी बजट के समानान्तर किया जाता है। जो प्रणाली सरकारी बजट में अपनाई जाती है लगभग उसी प्रणाली के अनुसार इसका निर्धारण भी मन्त्रि-मण्डल करता है। बजट और इसमें एक प्रमुख अन्तर यह है कि बजट की भांति इसके लिए प्रारम्भिक अनुमोदन (preliminary approval) की आवश्यकता नहीं होती। किंतु इसके क्षेत्र की दृष्टि से यह बजट की तुलना में कम महत्वशील नहीं होता। यह योजना (Programme) वास्तव में बजट का ही एक महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि बजट के कार्यान्वयन में ही इसको क्रियान्वित करने की नीति का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता है, और इसके ढांचे का विवरण 'बजट की व्याख्या' (Explanation of the Budget) शीर्षक के अन्तर्गत दे दिया जाता है।

इन योजनाओं के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था (70 से 80 प्रतिशत

खर्च) मुख्यतः ट्रेजरी खातों से की जाती है। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट फण्ड ब्यूरो के कोषों डाकघर जीवन-बीमा व डाकघर वार्षिकी (annuity) कोषों एवं औद्योगिक विनियोग विशेष खाते के कोषों से भी वित्त की व्यवस्था की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनता द्वारा अभिदान (subscription) के लिए सरकार बॉण्डों का निगमन भी करती है। ये बॉण्ड प्रायः दो प्रकार के होते हैं—प्रथम स्थानीय बॉण्ड (local bonds) जिनका निजी क्षेत्र में अभिदान के लिए निगमन वित्त मन्त्री के अनुमोदन पर किया जाता है और द्वितीय सरकार द्वारा गारंटी किए गए बॉण्ड जिनका निगमन राष्ट्रीय रेलवेज, तार एवं टेलीफोन का पब्लिक कारपोरेशन, भवन कॉरपोरेशन, हाईवे कॉरपोरेशन, अन्य सार्वजनिक कॉरपोरेशन एवं सरकारी संस्थाएं करती हैं।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि जापान सरकार का विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विनियोग एवं वित्त में महत्वशील भाग है, जिनके लिए बचत, बीमा, नोट निगमन आदि अनेक साधनों से कोष एकत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि जापान में सरकार स्वयं एक बड़ी वित्तीय संस्था है।

वित्तीय विशिष्ट खातों एवं सरकारी वित्तीय संस्थाओं की रूपरेखा
(Outline of Financial Special Accounts and Govt Financial Institutions)

जापान में सरकार द्वारा वित्तीय क्रियाएं वित्तीय विशिष्ट-खातों के द्वारा एवं सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(a) विशिष्ट खाते—
- (i) ट्रस्ट फण्ड ब्यूरो,
- (ii) डाकघर जीवन-बीमा और डाकघर वार्षिकी विशिष्ट खाता,
- (iii) औद्योगिक विनियोग विशिष्ट खाता,
- (iv) अन्य विशिष्ट खाते।

(b) बैंक व सार्वजनिक निगम—
- (i) जापान डवलपमेंट बैंक
- (ii) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान
- (iii) ओवरसीज इकोनौमिक कोआपरेशन फण्ड
- (iv) पीपिल्स फाइनेंस कारपोरेशन
- (v) हाउसिंग लोन कारपोरेशन
- (vi) स्माल बिजनेस फाइनेन्स कारपोरेशन
- (vii) एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एण्ड फिशरीज फाइनेन्स कारपोरेशन
- (viii) हाकेडो-तोहोकू डवलपमेंट कारपोरेशन
- (ix) लोकल पब्लिक एंटरप्राइज फाइनेन्स कारपोरेशन
- (x) स्माल बिजनेस क्रेडिट इंश्योरेंस कारपोरेशन
- (xi) मैडिकल केयर फैसिलिटीज फाइनेन्स कारपोरेशन।

उपरोक्त में से विशिष्ट-खाते (special accounts) सरकारी संस्थाओं व विशिष्ट निगमों में धन विनियोग एवं ऋण प्रदान करते हैं और स्थानीय-सरकारी बॉडों व बैंकों के ऋण पत्र क्रय करते हैं।

दूसरे वर्ग में, सरकारी बैंकों व वित्त निगमों की पूंजी पूर्णतः सरकारी होती है। वे निजी औद्योगिक व अन्य उद्यमों में विनियोग करते हैं व ऋण प्रदान करते हैं। इनके आय व व्यय के 'बजटों' का अनुमोदन संसद द्वारा आवश्यक है और उनके शुद्ध लाभ ट्रेजरी में हस्तांतरित कर दिए जाते हैं।

संगठन एवं क्रियाओं की दृष्टि से सरकारी निगम स्वतन्त्र होते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी बैंकों में सरकार केवल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अंकेक्षणों की नियुक्ति करती है और बैंक के संचालकों की नियुक्ति बैंक का अध्यक्ष करता है, जबकि सरकारी निगमों के संचालकों की नियुक्ति के लिए सरकार का अनुमोदन (approval) आवश्यक है। कार्य के क्षेत्र में बैंकों को अपने व्यापार की क्रियाओं, कोषों व अन्य क्रियाओं की योजनाएं (plans) बनाने की स्वतन्त्रता है। किन्तु सरकारी निगमों के लिए यह आवश्यक है कि अपनी योजनाओं को संबंधित मंत्री के पास अनुमोदन के लिए नमामिक भेजें।

सरकारी बैंक मुख्यतः आधुनिक बड़े उद्योगों को साख प्रदान करते हैं अतः उनकी प्रकृति निजी वित्तीय संस्थाओं के समान होती है, जबकि सरकारी निगम छोटे व्यवसायों, कृषि, भवन निर्माण, और छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को साख प्रदान करते हैं।

सरकारी बैंकों द्वारा निजी वित्तीय संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा की अधिक संभावना होने के कारण उनकी क्रियाओं को कानून द्वारा सीमित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए, उनके संबंधित कानूनों में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि वे (सरकारी बैंक) निजी बैंकों व निजी वित्तीय संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे।

(A) वित्तीय विशिष्ट खाते
(Financial Special Accounts)

1 ट्रस्ट फंड ब्यूरो
(Trust Fund Bureau)

इस ट्रस्ट फंड ब्यूरो की स्थापना सन् 1951 के कानून के अंतर्गत की गई। सरकारी विनियोग एवं ऋण-योजनाओं में इस ब्यूरो का महत्वशील स्थान है। यह सरकार द्वारा प्रबंधित वित्तीय संस्था है।

आर्थिक साधन—डाकघर के बचत निक्षेप एवं विशिष्ट खातों के आधिक्य (surpluses), इस ब्यूरो के प्रमुख आर्थिक स्रोत हैं। जापान में इस समय (सन् 1970 में) लगभग 20 हजार डाकघर हैं। डाकघर में बचत खातों की समस्त राशि (दैनिक भुगतान के लिए आवश्यक कोष को छोड़कर) और समस्त रिजर्व (पिछले वर्षों के लाभ) इस ब्यूरो में स्थानान्तरित कर दिये जाते हैं। ट्रेजरी के आधिक्य कोषों को भी यह ब्यूरो प्राप्त कर सकता है। डाकघर बचत व बीमा योजनाओं से इस

ब्यूरो को अपने उपलब्ध साधनों का आधे से अधिक भाग प्राप्त हो जाता है। यह ध्यान रहे कि डाकघर की बचतों की सुरक्षा की गारन्टी सरकार द्वारा की जाती है।

इस ब्यूरो में उपरोक्त कोष निश्चित अवधि के लिए जमा कराए जाते हैं। यह अवधि प्रायः एक महीने से 7 वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए होते हैं। इन कोषों पर यह ब्यूरो ब्याज भी देता है, जिसकी दरें कानून द्वारा निश्चित की जाती है। एक से 6 महिने तक के निक्षेपों पर 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर है और 7 वर्ष या अधिक अवधि के लिए 6% तक वार्षिक ब्याज-दर है। यदि इस ब्यूरो के निक्षेपों का विश्लेषण किया जाय तो विदित होगा कि इसके पास कुल निक्षेपों का लगभग 85 प्रतिशत भाग 7 वर्ष या अधिक अवधि के लिए होता है और शेष निक्षेप 1 माह से अधिक अवधि के लिए होते है।

कोषों के उपयोग—इस ब्यूरो के कोषों का उपयोग इस प्रकार किया जाता है जिससे विनियोग सुरक्षित भी रहे और लाभप्रद भी रहे। कानून द्वारा ब्यूरो का उपयोग केवल निम्नलिखित संस्थाओं को ऋण देने में अथवा निम्नलिखित प्रपत्रों में विनियोग करने के लिये ही किया जा सकता है—

(1) सरकारी प्रतिभूतियां व सरकारी बॉड,
(2) सरकार को व स्थानीय निकायों (public bodies) को ऋण व उनके बॉड,
(3) बिजली कम्पनी के बॉड व उनके ऋण
(4) बैंकों द्वारा निगमित प्रतिभूतियां,
(5) बैंकों के ऋण-पत्र आदि

यह ब्यूरो उद्योगों को सीधे ही वित्त प्रदान नहीं करता है वरन् सरकारी बैंकों, सरकारी निगमों व निजी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से बैंकों के ऋण-पत्रों को क्रय करके वित्त प्रदान करता है। यह ब्यूरो बैंकों के ऋण-पत्र असीमित मात्रा में नहीं खरीद सकता है, वरन् उसकी सीमाएं निश्चित है, जो ये हैं—(i) यह ब्यूरो अपने कुल वित्तीय साधनों के एक तिहाई भाग अथवा, (ii) किसी एक ही बैंक के 50 प्रतिशत से अधिक के ऋण पत्र, अथवा (iii) किसी भी एक निगमन (issue) के 60 प्रतिशत से अधिक के ऋण-पत्र—यह ब्यूरो नहीं खरीद सकता।

यह ब्यूरो 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ऋणों पर ब्याज प्राप्त करता है।

2 डाकघर, जीवन बीमा और डाकघर वार्षिकी विशेष खाता
(Post Office Life Insurance and Postal Annuity Special Account)

यह विशिष्ट-खाता डाकघर जीवन-बीमा व्यवस्था व डाकघर-वार्षिकी व्यवसाय के हिसाब के लिए (accounting) स्थापित किया गया था।

डाकघर जीवन-बीमा प्रणाली सरकार द्वारा संचालित है। यह प्रणाली कम आय वाले व्यक्तियों को जीवन-बीमा की सुविधाएं प्रदान करती है। बीमे की राशि व प्रीमियम की राशि कम ही होती है। इस प्रणाली के अन्तर्गत बीमा तीन प्रकार का होता है—जीवन-बीमा, वृद्धावस्था बीमा और परिवार बीमा।

डाकघर-वार्षिकी (Annuity) का उद्देश्य मध्य व निम्न वर्गों के वृद्ध व युवा व्यक्तियों के जीवन की दशाओं का स्थाईकरण (stabilization) व कल्याण (welfare) म वृद्धि करना है। प्रीमियम की दरें, जितनी सम्भव हो सकती हैं, नीची रखी जाती हैं इसका कारण यह है कि सरकार डाकघर वार्षिकी योजना को लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं चलाती है।

इनके कोषों को प्राय स्थानीय बकों, सावजनिक सगठनो और सरकारी वित्तीय सस्थाओं को ऋण देने के प्रयोग मे लाया जाता है। इनकी ब्याज की दर प्राय ट्रस्ट फड ब्यूरो के समान ही होती हैं।

3 औद्योगिक विनियोग विशिष्ट खाता
(Industrial Investment Special Account)

इस विशिष्ट खाते की स्थापना सन् 1953 मे की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य आर्थिक पुनर्निर्माण, औद्योगिक विकास एव विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये विनियोग करना और ऋण प्रदान करना है। आजकल यह प्राय सरकारी वित्तीय सस्थाओं की पूजी में अपने कोषों को विनियोग करता है।

अपनी स्थापना के वर्ष 1953 से 1965 तक की अवधि मे इस खाते मे से जापान विकास बैंक, जापान के आयात निर्यात बैंक और विद्युत शक्ति विकास कम्पनी के अश पूजी म अभिदान किया गया है और ऋण दिए गये हैं जिनके फलस्वरूप आधारभूत उद्योग व विदेशी-व्यापार की वित्तीय आवश्यकताए बहुत अशों तक पूरी हुई।

आजकल यह खाता (account) कोषों की कमी महसूस कर रहा है। इसका कारण यह है आयात निर्यात बैंक व अन्य सरकारी वित्तीय सस्थाओं की पूजीगत आवश्यकताए बढ़ रही हैं जिनके कारण धन की अधिक मांग हो रही है और दूसरी ओर आय के साधनों म बहुत वृद्धि नहीं हो सकी।

(B) सरकारी बक व निगम
(Govt Banks and Corporations)

1 जापान विकास बक
(The Japan Development Bank)

इस बक की स्थापना सन् 1951 मे की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य जापान के आर्थिक-पुनर्निर्माण और औद्योगिक विकास के हेतु निजी वित्तीय सस्थाओं दीर्घकालीन कोष प्रदान करके उनको प्रोत्साहित करने व उनके पूरक के रूप म कार्य करना है। जापान विकास बक तमाम सरकारी वित्तीय सस्थाओं म सबसे बडा है। इस बक का प्रधान कार्यालय जापान की राजधानी टोकियो म है। इस बैंक की सात शाखाए है जो बडे नगरों में स्थित हैं।

इस बक की पूजी 235 बिलियन येन है, जिसको 'इडस्ट्रियल इन्वेस्टमट स्पेशल अकाउट' म से प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस बैंक ने 333

बिलियन येन सरकार से ऋण ले रखे हैं और 101 बिलियन येन पुनर्निर्माण व विकास व अंतर्राष्ट्रीय बैंक (I B R D) से उधार ले रखे हैं।

जापान विकास बैंक का प्रमुख कार्य, विकास कार्यों के लिए ऋण देना है। देश के पुनर्निर्माण और औद्योगिक विकास के जिन कार्यों के लिए निजी वित्तीय संस्थाओं से वित्त मिलना कठिन होता है उनको यह बैंक वित्त प्रदान करता है। यह बैंक मुख्यत जलयान, विद्युत शक्ति, कोयला रासायनिक व मशीन उद्योगों को विशेषत ऋण देता है।

यह बैंक विभिन्न उद्योगों को अलग अलग अवधियों के लिए ऋण देता है। विद्युत शक्ति उद्यमों को 25 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दे दिये जाते हैं। सभी ऋण कम से कम 1 वर्ष की अवधि के तो होते ही हैं। इस प्रकार ऋणों की अवधि 1 वर्ष से 25 वर्ष तक की होती है। ब्याज की दर प्राय 6 5 प्रतिशत वार्षिक होती है।

2 जापान का निर्यात आयात बैंक (The Export Import Bank of Japan)

इस बैंक की स्थापना सन् 1950 में की गई थी। इसकी स्थापना मुख्यत तीन उद्देश्यों से की गई थी। प्रथम देश के आयातों व निर्यातों के वित्त को प्रोत्साहित करना एवं उसके पूरक रूप में कार्य करना और द्वितीय, साधारण वित्तीय संस्थाओं के द्वारा विदेशों में विनियोग को प्रोत्साहित करना व उसके पूरक के रूप में कार्य करना। इनके अतिरिक्त तृतीय विदेशी व्यापार के क्षेत्र में जापान व अन्य देशों के मध्य आर्थिक सुविधाओं को बढ़ाना। प्लांट व मशीनों के निर्यात और विदेशों में विनियोगों के लिए मध्यम-कालीन व दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था करने में इस बैंक का महत्वपूर्ण भाग है।

इस बैंक की इस समय पूंजी 98 बिलियन येन है, जिसे जापान डवलपमेंट बैंक की भांति इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्पेशल अकाउंट में से प्रदान किया गया है। यह बैंक अपनी पूंजी की तीन गुनी राशि तक जापान सरकार से ऋण प्राप्त कर सकता है एवं विदेशी बैंकों से विदेशी पूंजी में उधार ले सकता है। इस बैंक ने अभी तक ट्रस्ट फण्ड ब्यूरो से ही ऋण लिए है विदेशी बैंकों से ऋण नहीं लिए हैं।

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ जापान के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(i) माल व तकनीकी सहायता के निर्यात के लिए वित्त—जापान में निर्मित माल के निर्यात व विदेशों को टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए जिन कार्यों की आवश्यकता पड़ती है उनकी यह बैंक व्यवस्था करता है। अद्ध विकसित व अन्य विकसित देशों में औद्योगिक विकास हो रहा है सामान्य-प्लांट्स मशीनें इस्पात व अन्य उत्पादनों के निर्यात में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त तकनीकी ज्ञान का भी निर्यात हो रहा है।

(ii) आयात के लिए वित्त—प्रमुख माल विशेषत कच्चे माल के आयात कर्ताओं अथवा ऐसे माल के वास्तविक-उपयोगकर्ताओं (actual users) को यह

बक आयात के अग्रिम भुगतान करने के लिए अथवा जिन बको ने एसे अग्रिम भुगतानो के लिए बिलो की कटौनी की है उन बिलो की पुनर्कटौती द्वारा वित्त प्रदान करता है।

(iii) विदेशों मे विनियोग के लिए वित्त—जो जापानी उद्यम विदेशो म व्यापार म विनियोग करते हैं अथवा उन्हे विदेशो म साज-सज्जा (equipment) के लिए वित्त की आवश्यकता पडती है तो यह बैंक उन्हे वित्त प्रदान करता है। जापान का विदेशो म विनियोग बढ रहा है एव जापान का विदेशो मे वहा की औद्योगिक इकाइयो के सह प्रबंध के आधार पर कार्य बढ रहा है। जापान अनेक अविकसित व विकासशील देशो को तकनीकी ज्ञान का निर्यात कर रहा है अत इस बक द्वारा वित्तीय क्षेत्र म अत्यत महत्वपूर्ण भाग है।

(iv) विदेशी सरकारों को ऋण आदि—विदेशी सरकारा विदेशी सरकार की सस्थाओ अथवा कम्पनियो को जापान से तकनीकी ज्ञान (technical know ledge) व साज-सज्जा आयात करने क लिए ऋण दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त जापान विदेशी-सरकारो को विकास ऋण भी देता है। जापान सरकार व विदेशी सरकार के मध्य समझौत के आधार पर विदेशी विकास परियोजनाओ म सहयोग देने के उद्देश्य से भी यह बक विदेशी-सरकारो को ऋण देता है।

स्थानीय उद्यमो द्वारा आयात व निर्यात के लिए यह एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक, व्यापारिक बको से मिलकर सम्मिलित रूप से वित्त प्रदान करता है। ऋण का प्राय 70 प्रतिशत भाग यह बक देता है व शेष व्यापारिक-बक।

यह बक ऋण पर स्थानीय निर्यातको स 7 प्रतिशत, आयात-कर्त्ताओ स 6 5 प्रतिशत और विदेशो मे वित्त विनियोग पर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त करता है।

निर्यात व आयात के ऋणो की अवधि साधारणत 5 वर्ष या कम होती है किंतु अपवाद के मामलो मे यह अवधि 15 वर्ष तक की हो सकती है। विदेशो मे विनियोग अथवा विदेशो म उद्यमो के लिए ऋणो की अवधि 10 वर्ष या कम होती है किन्तु अपवाद के मामलो म यह अवधि 20 वर्ष तक की हो सकती है। इन दिनो दीर्घकालीन ऋणो की प्रवृत्ति है।

रिजर्व के निर्माण के पश्चात बैंक के लाभ का इडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट स्पेशल अकाउट म स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

सरकारी निगम
(Govt Corporations)

1 हाउसिंग लोन कारपोरेशन—इस निगम की स्थापना सन् 1950 म की गई थी। इसका उद्देश्य भवन निर्माण के लिए कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है। इसकी पूजी (2 6 बिलियन यन) के अतिरिक्त यह ट्रस्ट-फण्ड-ब्यूरो व डाकघर-जीवन-बीमा से ऋण भी प्राप्त करता है।

यह निगम साधारण निवास के लिए भवन, औद्योगिक-श्रमिकों के निवास गृह एवं विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। इसके द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को 10 वर्गों में विभक्त किया गया है और उनकी शर्तें भी अलग अलग हैं। साधारणतः ब्याज की दर 5.5 प्रतिशत वार्षिक है और ऋण 10 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवधि के लिए दिये जा सकते हैं। भवन निर्माण के कुल व्यय के 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की राशि के यह निगम ऋण दे सकता है किन्तु अपवाद के मामलों में 100 प्रतिशत तक की राशि के ऋण भी दे दिए जाते हैं।

2. हाक्काइडो-टोहाकू डेवलपमेंट कारपोरेशन—इस निगम की स्थापना जापान के हाक्काइडो व टोहाकू जिलों के विकास में सहायता देने के लिए सन् 1956 में की गई थी। इसकी पूंजी 2.5 बिलियन येन है। यह इस क्षेत्र में कृषि, खनन, वन-कर्म, पशु-कर्म व डेयरी, जल जीव उत्पादन, यातायात आदि के विकास के लिए निजी उद्यमों को ऋण देता है। जिन कम्पनियों की पूंजी 1 करोड़ येन या अधिक होती है इन्हीं को यह निगम ऋण देता है। ब्याज-दर प्रायः 8 प्रतिशत वार्षिक होती है और ऋण की अवधि 1 से 10 वर्ष तक होती है।

3. मेडिकल केयर फैसिलिटीज फाइनेन्स कॉरपोरेशन—इस निगम की स्थापना सन् 1960 में की गई थी। इसका उद्देश्य निजी अस्पतालों की स्थापना व विकास के लिए कम ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है विशेषतः उन दशाओं में जबकि निजी क्षेत्र से वित्त का प्रबन्ध कठिन होता है। नये अस्पताल के निर्माण के लिए 20 वर्ष तक की अवधि के लिए, विकास के लिए 18 वर्ष तक की अवधि के लिए, उपकरण क्रय करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण दिये जा सकते हैं।

आस्ट्रेलिया की बैंकिंग प्रणाली

(Banking System in Australia)

35

आस्ट्रेलिया की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं

भूमिका—आस्ट्रेलिया विश्व के कदाचित सबसे नवीन देशों (youngest) में से है। आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल (लगभग 85 11 लाख वर्ग किलोमीटर) संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल (93 63 लाख वर्ग किलोमीटर) के लगभग समान है किंतु जनसंख्या मे पर्याप्त अंतर है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या (सन् 1968) लगभग 20 11 करोड़ है जबकि आस्ट्रेलिया की जनसंख्या (सन् 1970) लगभग 1 2 करोड़ है। आस्ट्रेलिया के निवासी अधिकांश अंग्रेज हैं। अत इनका जीवन-स्तर ऊंचा है जिसकी तुलना इंगलैंड अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका से भलीभांति की जा सकती है।

आस्ट्रेलिया का सबसे प्राचीन उद्योग पशुपालन उद्योग (pastoral industry) है। यह उद्योग आज भी वहां सबसे बड़ा उद्योग है। इनकी प्रमुख उपज ऊन है व मांस की प्राप्ति भी की जाती है। गेहूं उत्पादन व दुग्ध पदार्थ उत्पादन भी अन्य प्रमुख उत्पादन हैं। फलों का उत्पादन भी महत्वपूर्ण है। खनिज पदार्थों में स्वर्ण, कोयला लोहा टिन, तांबा आदि प्रमुख हैं।

साख की आवश्यकताएं—आस्ट्रेलिया में गौण उद्योगों (secondary industries) के साथ साथ पूंजी की भी मांग में वृद्धि हो रही है। भूमि, भवन, मशीनों आदि के लिए स्थिर पूंजी तो अंशों आदि के विक्रय से प्राप्त करली जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् से बड़ी मात्रा में पूंजी विदेशों से आकर्षित हुई। युद्ध काल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पूंजी के निगमन पर नियन्त्रण किया गया। इस अधिनियम को सन् 1951 में पुन लागू किया गया। इस एक्ट का प्रमुख प्रावधान यह था कि कोई भी कम्पनी जो 25 हजार पौंड से अधिक की अधिकृत पूंजी निगमित करती है उसे निगमन से पूर्व ट्रेजरी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया। अल्पकालीन ऋणों की आवश्यकता भी पड़ती है। अल्पकालीन साख की आवश्यकता की पूर्ति व्यापारिक बैंक करते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय बैंकों को अधिकार है कि वह देश के व्यापारिक बैंकों को निर्देश दे सके। सन् 1970 में केन्द्रीय बैंक ने व्यापारिक बैंकों की ऋण देने की शक्ति पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए।

द्वितीय युद्ध के पश्चात् निर्माण उद्योग भी अधिक क्रियाशील दिखाई दिया है। इस उद्योग को सरकारी वित्तीय संस्थाओं, बीमा कम्पनियों आदि से ऋण प्राप्त

हो जाते हैं किंतु एक अनुमान के अनुसार इस उद्योग को प्राप्त होने वाले कुल ऋणों का 15 से 20 प्रतिशत भाग व्यापारिक बैंकों से प्राप्त होता है।

विदेशी व्यापार के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए ऊन के निर्यातकों को विक्रय एवं जहाज पर लादने अथवा विदेशों में ऊन पहुंचने की अवधि में वित्त की आवश्यकता पड़ती है इसी प्रकार अन्य प्राथमिक उपजों को विदेशी बाजार तक पहुंचने में पर्याप्त समय लग जाता है। अधिकांश विदेशी व्यापार इंगलैंड के साथ होता है और प्राथमिक उत्पादन अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों को भी भेजे जाने लगे हैं। यह उल्लेखनीय है कि गेहूं मांस मक्खन व अन्य दुग्ध पदार्थ सूखे हुए फल व चीनी आदि का अधिकांश निर्यात मुख्यतः इंगलैंड को किया जाता है और निर्यात मुख्यतः सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार आयात व्यापार में भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी वित्त की आवश्यकता पड़ती है।

आस्ट्रेलिया के बैंकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त प्रदान करना भी पर्याप्त महत्वशील है। कृषकों व पशुपालकों को भी ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। कृषकों व पशुपालकों के विकास के लिए पशुओं को पीने के जल की व्यवस्था (तालाब आदि बना कर) व अन्य कार्यों के लिए ऋणों की आवश्यकता पड़ती है। एक अनुमान के अनुसार प्राथमिक उद्योगों को प्रदान किए गए कुल ऋणों का लगभग 25% भाग व्यापारिक बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

साख की प्रमुख संस्थाएं

1 **रिजर्व बैंक आफ आस्ट्रेलिया**—यह आस्ट्रेलिया का केन्द्रीय बैंक है। पहले इसका नाम कामनवेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया था। किंतु सन् 1960 से इसका नाम रिजर्व बैंक आफ आस्ट्रेलिया कर दिया गया है।

2 **व्यापारिक बैंक**—आस्ट्रेलिया में इस समय 11 व्यापारिक बैंक हैं, जिनमें 7 बैंक तो काफी बड़े हैं व 4 बैंक छोटे हैं।

3 **स्टेट ग्रामीण बैंक**—आस्ट्रेलिया में 5 ग्रामीण बैंक (Rural Banks) हैं जिनकी स्थापना संबंधित राज्यों ने की है।

4 **मर्चेंट बैंक**—ये नवीन बैंक हैं। ये मुख्यतः विनियोग गृहों की भांति कार्य करते हैं।

5 **बचत बैंक**—आस्ट्रेलिया में 4 प्रमुख बचत बैंक हैं जिनमें से 2 सरकार के बचत बैंक हैं और दो ट्रस्टी बचत बैंक हैं।

6 **पशुपालन एवं भूमि वित्त कम्पनियां**—आस्ट्रेलिया में ऐसी अनेक वित्तीय कम्पनियां हैं। ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशील हैं।

7 **विदेशी बैंक**—कुछ विदेशी बैंकों ने अपनी शाखाएं आस्ट्रेलिया में स्थापित कर ली हैं। ये बैंक मुख्यतः विदेशी व्यापार से संबंधित कार्य करते हैं।

36
व्यापारिक बैंक

भूमिका—आस्ट्रेलिया में भी अन्य देशों, जैसे इंगलैंड, फ्रांस, जापान, भारत आदि देशों की भांति शाखा बैंकिंग प्रणाली (branch banking system) है, संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति इकाई बैंकिंग प्रणाली (unit banking system) नहीं है।

आस्ट्रेलिया एवं इंगलैंड के व्यापारिक बैंकों में अनेक समानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। दोनों ही देशों में व्यापारिक बैंकों की संख्या पर्याप्त कम है किंतु प्रत्येक बैंक की शाखाओं का जाल सम्पूर्ण देश में फैला हुआ है। पिछली अर्द्ध शताब्दी में दोनों ही देशों में समान प्रवृत्ति दिखाई दी—बैंकों का एकीकरण। इस एकीकरण के फलस्वरूप बैंकों की संख्या में कमी हुई है। यह उल्लेखनीय है कि व्यापारिक बैंकों (commercial banks) को आस्ट्रेलिया 'ट्रेडिंग बैंक' (trading banks) कहते हैं।

क्रमिक विकास—वास्तविक अर्थ में आस्ट्रेलिया में बैंकिंग विकास का इतिहास सन् 1817 से प्रारम्भ होता है जबकि वहां 'बैंक आफ साउथ वेल्स' स्थापित किया गया। यह बैंक आज भी विद्यमान है और आस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैंक है। यह बैंक 20 हजार पौंड की पूंजी से आरम्भ किया गया था। इस बैंक के आरम्भ में तीन प्रमुख कार्य थे—अपनी पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, भूमि की प्रतिभूति पर ऋण देना एवं व्यापारिक विनिमय विपत्रों की कटौती करना।

सन् 1826 के पश्चात देश में बैंकिंग विकास पर्याप्त हुआ। इसके पश्चात् सन् 1850 के लगभग वहां स्वर्ण की नई खानों का पता लगने के कारण इंगलैंड का विनियोग आस्ट्रेलिया में काफी बढ़ गया और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग को भी प्रोत्साहन मिला। जब स्वर्ण की खानों का पता चला तो अनेक और अंग्रेज भी यहां आकर बसने लगे और इन लोगों को सामान्य मूल्य पर भूमि विक्रय अथवा लीज पर दी जाने लगी। इन बसने वालों को भूमि सुधार व अन्य कार्यों के लिए ऋणों की आवश्यकता होने लगी। इसके साथ ही पशुपालक एवं भूमि कम्पनियां भी स्थापित हो गई जो अपने ग्राहकों की वित्तीय-आवश्यकताएं पूरा करती थी। व्यापारिक-बैंक भी अपना योग प्रदान करते थे। इस प्रकार सन् 1880 व उसके पश्चात् कुछ वर्षों तक आस्ट्रेलिया में व्यापारिक बैंकों का द्रुतगति से विकास हुआ

किंतु 1893 मे आर्थिक सकट उत्पन्न हुआ। इसका प्रभाव व्यापारिक बको पर भी पडा। केवल पाच महिनो की अल्प अवधि म 15 बक (जिनकी लगभग 100 शाखाए थी) फेल हो गए। इसक पश्चात् मजबूत बकिंग प्रणाली की नीति अपनाई जिसके परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया म बक फेल नही हुए यहाँ तक कि सन् 1930 म अ तर्राष्ट्रीय आर्थिक मदी के समय जब अन्य अनेक देशो म अनेक बक फेल हुये, आस्ट्रेलिया मे कोई बक फेल नही हुआ। हा सन् 1914 म आस्ट्रेलिया म 20 बक थे और सन् 1925 तक इनम से 5 बक फल हो गये थे। इसके पश्चात् वहा बक फेल नही हुए।

बको क फेल होने की प्रवृत्ति तो समाप्त हो गई किंतु बको के एकीकरण (amalgamation) की प्रवृत्ति बढ गई। आस्ट्रेलिया के इतिहास म बको का सबस बडा एकीकरण सन् 1951 म हुआ जबकि बक आफ आस्ट्रेलिया एव यूनियन बक आफ आस्ट्रेलिया का एकीकरण हो गया और इसके फलस्वरूप 'आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलड बक लिमिटेड अस्तित्व म आया।

वतमान स्थिति—आस्ट्रेलिया म इस समय 7 बडे व्यापारिक बक व 4 छोटे व्यापारिक बक है। प्रमुख बको के नाम महत्व क अनुसार य है—

कामनवल्थ ट्रेडिंग बक (पहल केन्द्रीय बक का एक विभाग था)
आस्ट्रेलिया व न्यूजीलड बक
बक आफ न्यू साउथ वल्स
नशनल बक आफ आस्ट्रेलिया
कमर्शियल बकिंग कम्पनी आफ सिडनी
कमर्शियल बक आफ आस्ट्रलिया
इगलिश स्काटिश एण्ड आस्ट्रेलियन बक

उपरोक्त बैंको म से आस्ट्रलिया एण्ड न्यूजीलड बैंक और इगलिश स्काटिश एण्ड आस्ट्रेलियन बक के प्रधान कार्यालय (head offices) लन्दन म हैं और शेष सबक आस्ट्रेलिया म ह। इनम बक आफ न्यू साउथ वेल्स सबस प्राचीन है जो सन् 1817 म 20 हजार पौंड की पूजी स स्थापित किया गया था। यह बक आज भी आस्ट्रेलिया मे सबस बडा व्यापारिक बक है। अधिकाश बको के प्रधान-कार्यालय सिडनी (न्यू साउथ वेल्स की राजधानी एव दक्षिणी-पूर्वी तट का प्रमुख बदरगाह) म स्थित हैं।

बक ऑफ आस्ट्रेलिया और यूनियन बक आफ आस्ट्रलिया का 1 अक्टूबर 1951 को एकीकरण हो गया जिसक परिणामस्वरूप आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलड बक अस्तित्व म आया। एकीकरण क अतगत य दोनो बक लदन स नियन्त्रित होते थे।

शाखा बकिंग—प्रारम्भ म बतलाया जा चुका है कि अन्य देशो की भाति आस्ट्रेलिया म शाखा बकिंग प्रणाली अपनाई गई है सयुक्त राज्य अमरिका की भाति इकाई बैंकिंग प्रणाली नही। अत यहां व्यापारिक-बको की सख्या तो कम है व उनकी

शाखाओ की सख्या काफी हैं। प्रत्येक व्यापारिक बक की अनेक शाखाए सम्पूर्ण देश म तो हैं ही किंतु प्रत्येक राज्य म भी कम स कम एक शाखा तो है ही। सयुक्त राज्य अमेरिका मे स्टेट-बक की अपन राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य म शाखा नही है बल्कि अधिकाश बको की तो शाखाए हा नही हैं।

सबसे अधिक शाखाए बक ऑफ न्यूसाउथ वेल्स (लगभग 660 शाखाए) की हैं दूसरा स्थान आस्ट्रेलिया एण्ड न्यूजीलैंड बक का है जिसकी लगभग 560 शाखाए हैं। आस्ट्रेलिया के सात बडे बको म प्रत्यक बक की 250 से अधिक शाखाए हैं।

बेलट बकिंग कम्पनी लि० और ब्रिस्बन पर्मानेन्ट बिल्डिंग एण्ड बकिंग कम्पनी लि० दो अन्य व्यापारिक बैंक हैं जिनका कार्यक्षेत्र वह नगर ही है जहा वे स्थित हैं। बलट नगर विक्टोरिया राज्य म स्थित है और ब्रिस्बन नगर क्वीसलैंड की राजधानी है।

बक ग्राफ न्यूसाउथ वेल्स की शाखाए व एजेंसिया फिजी द्वीपसमूह (न्यूजीलड के उत्तर मे) भी हैं। इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया क समस्त बक अपने कार्यालय (office) लदन म भी रखते हैं। इसका प्रमुख कारण है आस्ट्रेलिया का इगलड के साथ महत्वशील मात्रा म विदेशी-व्यापार एव पर्यटकों का आवागमन।

आस्ट्रेलिया मे निजी-बक (private banks) रायल-चार्टर ससद के विशेष एक्ट अथवा सबधित राज्य (State) क कम्पनी अधिनियम क रूप म काय स्थापित किये गय है। य तमाम सीमित दायित्ववाली कम्पनी के रूप म काय करती है और इनकी पूजी अशो (shares) मे विभाजित रहती है।

सन् 1930 की मदी ने आस्ट्रेलिया के उद्योग धधा व व्यवसाय को भी प्रभावित किया और दूसरी ओर कृषक एव पशु-पालक अत्यन्त कठिनाई मे पड गय। बको न इतनी अधिक सहायता नहीं की, जितनी करनी चाहिए थी अत उनकी कटु आलोचना की गई। जब आर्थिक-मदी और गहरी हो गई तो कॉमनवल्थ बक न सघीय सरकार एव राज्य सरकारो को और अधिक सहायता देनी बद करदी। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक-क्षेत्र से बको क राष्ट्रीयकरण की माग जोर पकडने लगी।

देश की आर्थिक व बकिंग प्रणाली की गिरती हुई स्थिति के कारण, सन् 1936 म एक 'शाही अभियोग' (Royal Commission) स्थापित किया गया ताकि वह आस्ट्रेलिया की मौद्रिक व बकिंग प्रणाली की जाच करे व सुधार के लिए परामर्श दे। सन् 1937 म इस कमीशन न अपना प्रतिवेदन दिया जिसम अनेक परामर्श दिए गय। उनम स इस सबध म सबसे महत्वशील परामर्श थे—प्रथम, व्यापारिक बको को लाइसेंस प्रदान किए जावें और द्वितीय कॉमनवल्थ बक का और कठोर नियत्रण इन बको पर हो। इन परामर्शों पर विचार विनिमय हो ही रहा था कि सन् 1939 म द्वितीय विश्व युद्ध छिड गया, अत सन् 1945 तक इस दिशा म कोई काय नहीं किया जा सका।

विभिन्न एक्ट—सन् 1945 में दो एक्ट पास किए गये—बैंकिंग एक्ट 1945 और कामनवल्थ बैंक एक्ट 1945 इन अधिनियमों (acts) में बैंकों के ऊपर विस्तृत नियन्त्रण करने के प्रावधान रखे गये। इस अधिनियम ने समस्त बैंकों को लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया। इतना ही नहीं, कामनवल्थ बैंक एक्ट ने राज्य एवं स्थानीय सरकारी संस्थाओं के लिए अपने खातों को कॉमनवल्थ बैंक में हस्तान्तरित करना अनिवार्य कर दिया। इस विषय पर अनेक राज्य प्रसन्न नहीं हुए। अतः मेलबोर्न-नगर परिषद् ने इस प्रावधान को असंवैधानिकता के आधार पर उच्च न्यायालय में चुनौती दी एवं निर्णय मेलबोर्न-नगर परिषद् के पक्ष में दिया गया।

अतः अब सरकार ने सन् 1947 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। यह बिल भी विवादास्पद था एवं अनेक तर्क वितर्क के पश्चात् पास कर दिया गया। इस एक्ट के बनते ही अनेक बैंकों ने एवं कुछ राज्यों ने (जिनमें साउथ आस्ट्रेलिया व विक्टोरिया के राज्य उल्लेखनीय हैं) आस्ट्रेलिया के उच्च-न्यायालय में इसको चुनौती दी। न्यायालय ने अन्त में, अपने निर्णय में, इस एक्ट के प्रमुख प्रावधानों को अवैधानिक (ultra vires) घोषित कर दिया। इस समय आस्ट्रेलिया में श्रमिक सरकार (Labour govt) थी। सन् 1949 में श्रमिक सरकार ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नीति के आधार पर चुनाव लड़ा और वह हार गई। इसके हारने पर उदार दल (Liberal party) शक्ति में आया। उदार दल ने सत्तारूढ़ होते ही एक बिल पास किया जिसके अनुसार इस एक्ट को निरस्त (repeal) कर दिया गया और कामनवल्थ बैंक एक्ट 1945 में कुछ संशोधन किये गये।

फिर सन् 1952 में आस्ट्रेलिया के समस्त व्यापारिक बैंक (trading banks) का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक बिल प्रस्तुत किया गया। अनेक वाद विवादों के पश्चात् इस बिल को कामनवल्थ पार्लियामेंट के दोनों सदनों ने पास कर दिया किन्तु उच्च-न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने इसे अवैधानिक (ultra vires) घोषित कर दिया। अब सरकार ने इस निर्णय की अपील प्रिवी कौंसिल की जुडीशियल कमेटी को की किन्तु इसने भी उच्च-न्यायालय के निर्णय की ही पुष्टि की।

सन् 1959 के पूर्व तक कामनवल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया व्यापारिक बैंक एवं केन्द्रीय बैंक—दोनों ही की तरह काम कर रहा था किन्तु सन् 1959 के एक्ट के निर्माण के पश्चात् केन्द्रीय बैंक के कार्य करने के लिए अलग रिजर्व बैंक आफ आस्ट्रेलिया की स्थापना कर दी गई अन्य कार्यों के लिए कामनवल्थ ट्रेडिंग बैंकिंग कारपोरेशन की स्थापना कर दी गई। यह कामनवल्थ ट्रेडिंग बैंकिंग कारपोरेशन मुख्यतः तीन बैंकों को नियन्त्रित करता है। इन तीन बैंकों के नाम इस प्रकार हैं—कामनवल्थ ट्रेडिंग बैंक आफ आस्ट्रेलिया कामनवल्थ सेविंग्स बैंक आफ आस्ट्रेलिया और कामनवल्थ डवलपमेंट बैंक आफ आस्ट्रेलिया। इन बैंकों का अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्टीकरण है—प्रथम बैंक व्यापारिक बैंक है, दूसरा बैंक बचत-बैंक है और तीसरा बैंक विनियोग बैंक है।

व्यापारिक वकों के प्रमुख कार्य

1 निक्षेप प्राप्त करना—ग्रास्ट्रेलिया मे व्यापारिक वक जनता स मुख्यत दो प्रकार के खाता मे निक्षेप प्राप्त करत हैं—चालू खात (Current A/c) म ग्रौर निश्चितकालीन खात (Fixed A/c) मे। चालू खात म से राशि माग पर देय होती है ग्रौर चका द्वारा निकाली जाती है। इस खात म जमा राशि पर साधारणतया बैंक कोई ब्याज नहीं देता है किंतु प्राय दान की सस्थाग्रो (charitable institutions) के खातो म प्राय 2 प्रतिशत की दर से ब्याज दे देत हैं, यदि निक्षेप की राशि 1 000 पौंड तक हो इससे ग्रधिक राशि यदि खात म होती है तो इस ग्रधिक राशि पर 1% की वार्षिक दर से प्राय ब्याज लिया जाता है।

निश्चित कालीन खाता म राशि प्राय 3 महीने से 2 वष की ग्रवधि के लिए स्वीकार की जाती है ग्रौर साधारणत उस निश्चित ग्रवधि की समाप्ति पर ही ब्याज सहित वापिस दी जाती है। इस खाते म न्यूनतम निक्षेप की राशि प्राय 1,000 पौंड होती है। इन पर ब्याज की साधारणत य दरें होती है—

ग्रवधि	ब्याज दर
3 महीने	½ प्रतिशत
6 महीने	¾ प्रतिशत
12 महीने	1 प्रतिशत
24 महीने	1½ प्रतिशत

ग्रास्ट्रेलिया म निश्चितकालीन निक्षप क सबध म निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

1 इन निक्षेपो पर ग्रन्य देशो की तुलना म ब्याज-दर कम है।

2 जब मन्दी का काल होता है तो इन निक्षेपो की मात्रा बढ जाती है क्योंकि लोग ग्रपनी तरल पूजी को ग्रन्य स्थान पर लगाने की ग्रपक्षा ग्रच्छे बक म जमा करना ग्रधिक सुरक्षित समझत है।

3 व्यापार विकास क समय इन निक्षेपो की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि व ग्रपनी पूजी को बको म निक्षेप के रूप म बधा रखने की ग्रपक्षा ग्रपन व्यापार म लगाना ग्रधिक उपयुक्त समझत हैं।

4 *युद्ध ग्रथवा ग्रन्य राष्ट्रीय-सकट क समय म भी य निक्षेप कम हो जाते हैं।* एस समय पर सरकार की सहायता क लिए सरकारी प्रतिभूतियो म ग्रपन धन का लगाना ग्रच्छा समझत हैं यद्यपि इन प्रतिभूतियो पर ब्याज की दर काफी कम होती है।

2 ऋण व ग्रग्रिम देना—ग्रन्य देशो के व्यापारिक बैंको की भाति यहां के व्यापारिक बक भी ऋण व ग्रग्रिम देत हैं। यहा की इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणो म एक विशेषता यह है कि ये ऋण किसी [illegible] जाते हैं।

नाम मात्र का शुल्क लेत हैं। कुछ बक आर्थिक क्षेत्र में अनुसधान का काय भी करत हैं एव मासिक-पत्रिका निकालत हैं जिसम आर्थिक प्रवृत्तिया बतलाई जाती हैं। कुछ बैंक विश्वविद्यालय के स्नातकों को बकिंग वित्तीय एव औद्योगिक समस्याओ के सबध म प्रशिक्षण भी देते हैं। इस स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कह सकत हैं।

कुछ बका न जन-सम्पक विभाग (Public Relation Deptt) भी स्थापित कर लिए हैं। आस्ट्रेलिया म मानव शक्ति की कमी हाने के कारण मट्रिक कक्षा के समकक्ष परीक्षा पास कर लेन वाला को बक म नियुक्त कर लिया जाता है। कम चारियो का उच्च शिक्षा प्राप्त करन के लिए अनक प्रकार से प्रोत्साहित करत हैं जस विश्वविद्यालय के शुल्का का भुगतान करना अथवा अध्ययन क लिए समय व सुविधा प्रदान करना आदि।

बचत बक
(Savings Bank)

आस्ट्रेलिया म आकर बसन वाल अधिकाश व्यक्ति अग्रेज थ, अत उनम बैंकिंग आदत (banking habit) पयाप्त विकसित थी। इस देश म सबसे बडा एव सबसे पुराना बचत बैंक है 'कॉमनवल्थ सेविंग्ज बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया'। इस बैंक की स्थापना सन् 1912 म हुई थी। इस बैंक म क्वीन्सलैड व तस्मानिया राज्यो के बचत बको का विलयन हो गया। सन् 1931 म 'स्टट सविंग्ज बैंक आफ न्यू-साउथ वल्स' का भी उपरोक्त कॉमनवल्थ सेविंग्ज बैंक न ले लिया। इस ही वष सविंग्ज बक ऑफ वस्टन आस्ट्रेलिया भी इसमे मिल गया।

यह उल्लखनीय है कि कॉमनवल्थ सविंग्ज बैंक की अभिदत्त पूजी (subscribed) पूजी नहा है बरन लाभ म स ही रिजव कोष का निर्माण किया गया है। यह रिजव कोष लगभग 80 लाख पौंड का हो गया है।

य बक 500 पौंड तक क निक्षेपो पर 2% वार्षिक ब्याज देत हैं, 500 स 1000 पौंड तक के निक्षेपो पर 1% ब्याज व 1000 पौंड से अधिक के निक्षेपो पर कुछ भी ब्याज नहीं देत हैं। अन्य छोट सविंग्ज बक बडे बको की तुलना म उपरोक्त ब्याज-दरो म ½% अधिक ब्याज देत हैं।

ये बचत बक सरकारी प्रतिभूतियो म पर्याप्त धन लगात हैं। कुछ बैंक व्यापारिक-बको म निश्चित-कालीन खात म विनियोग कर लेते हैं।

य बचत बक प्राय छोटे हैं एव इगलैंड के सविंग्ज-बको के सदृश हैं। सन् 1970 म आस्ट्रेलिया म जनसख्या लगभग 120 लाख थी जिसम स सविंग्ज बैंको म लगभग 70 लाख खात थ।

37
रिजर्व वैंक ऑफ आस्ट्रेलिया

[केन्द्रीय बैंक]

सन् 1960 से आस्ट्रेलिया का केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक आफ आस्ट्रेलिया है। सन् 1911 तक आस्ट्रेलिया अनेक पृथक पृथक उपनिवेशों (colonies) का एक समूह था, जो कि एक दूसरे से स्वतन्त्र थे किन्तु समस्त इंगलैंड से घनिष्ठरूप से सबंधित थे। अतः इन परिस्थितियो मे सम्पूर्ण आस्ट्रेलिया के लिए एक केन्द्रीय बैंक नही था। उस ही वर्ष (अर्थात् सन् 1911 मे) 'कामनवल्थ आफ आस्ट्रेलिया' का निर्माण हुआ। अतः नवीन संघीय सरकार (Federal govt.) ने तुरन्त ही कामनवल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया की स्थापना की। यह बैंक समस्त प्रकार के सामान्य बैंकिंग कार्यों को करने के लिए एक व्यापारिक बैंक के रूप मे और बचत बैंक के रूप मे कार्य करता था। इस बैंक के संस्थापकों का विचार इसको केन्द्रीय बैंक के रूप मे और बचत बैंक के रूप मे स्थापित करने अथवा परिणत करने का नही था।

स्थापना—श्रमिक सरकार ने सन् 1911 मे एक एक्ट पास किया जिसके सन् 1912 मे मे कामनवल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया की स्थापना की गई। इस बैंक ने बचत बैंक के रूप मे सन् 1912 मे व व्यापारिक बैंक के रूप मे सन् 1913 से कार्य किया। देश के अन्य व्यापारिक बैंको ने आरम्भ मे इस बैंक की स्थापना का घोर विरोध किया। वास्तव मे अन्य व्यापारिक बैंको का आक्रोश इस कारण नही था कि उनको इस बात की आशंका हो कि यह बैंक उनकी साख नीति मे हस्तक्षेप करेगा क्योंकि बैंक इसके लिए आरम्भ मे सक्षम भी नही था, वरन इस कारण था कि साधारण बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र मे उन्हे इस बैंक से कठोर प्रतिस्पर्द्धा का भय अधिक था क्योंकि कामनवल्थ के बैंक होने के नाते इसकी प्रतिष्ठा स्वाभावतः अधिक श्रेष्ठ थी।

पूंजी—सन् 1911 के बैंकिंग एक्ट के अनुसार इस बैंक को 0 लाख पौंड तक की पूंजी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया किंतु इस अधिकार का प्रयोग कभी नहीं किया गया। यह एक मनोरंजक तथ्य है कि यह बैंक बिना पूंजी (without capital) के स्थापित किया गया। इस बैंक ने कामनवल्थ-ट्रेजरी से 10 000 पौंड अग्रिम (advance) के रूप मे लेकर अपना कार्य आरम्भ किया। यह इस बैंक की एक विशेषता थी। इस बैंक ने व्यापार आरम्भ करने के तुरन्त बाद

ही अग्रिम ली गई राशि ट्रेजरी को लौटा दी। इसको सरकारी खातों के निक्षेप भी मिले जो कि लगभग 23 लाख पौंड के थे। अतः बैंक को कार्य करने के लिए पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूंजी प्राप्त हो गई।

मूलरूप से इस बैंक का प्रबंध एक गवर्नर करता था। इसकी नियुक्ति सरकार करती थी। इस बैंक के प्रथम गवर्नर सर डेनीजन मिलर (Sir Denison Miller) नियुक्त किए गए थे।

केन्द्रीय बैंकिंग की ओर अग्रसर—आरम्भ से ही यह बैंक सरकार के बैंकर के रूप में कार्य कर रहा था किन्तु इसे नोट निगमन का अधिकार नहीं दिया गया। नोट निगमन का कार्य कॉमनवल्थ-ट्रेजरी द्वारा किया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् यह कार्य भी इस बैंक को हस्तांतरित करने पर विचार किया गया। सन् 1920 में नोट निगमन का कार्य ट्रेजरी से इस बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया। जबकि एक पृथक नोट निगमन विभाग (इस बैंक में) स्थापित किया गया। यह विभाग बैंक ऑफ इंगलैंड के निगमन विभाग के अनुरूप स्थापित किया गया था। इस बैंक को यह अधिकार दिया गया कि नोट निगमन के लिए कम से कम 25% स्वर्ण रखना आवश्यक था। यह केन्द्रीय-बैंकिंग की ओर प्रथम कदम था।

प्रथम विश्व युद्ध काल में इस बैंक की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई क्योंकि इस बैंक ने प्रथम बार संघीय सरकार के लिए ऋण निगमन किया। इससे पूर्व संघीय सरकार के लिए ऋण का लंदन पूंजी बाजार में प्रबंध किया जाता रहा था। सन् 1924 के कॉमनवल्थ बैंक एक्ट ने इसके केन्द्रीय बैंकिंग-कार्यों के विकास की ओर और सहायता प्रदान की।

सन् 1924 के इस एक्ट ने इस बैंक के प्रबंध की और अधिक प्रभावशील व्यवस्था की। अब इस बैंक की व्यवस्था एक संचालक-मंडल पर सौंप दी गई। इस संचालक मंडल में 8 व्यक्तियों का प्रावधान किया गया। इनमें से बैंक का गवर्नर व दूसरा कॉमनवल्थ-ट्रेजरी का सचिव होता था। इन दो के अतिरिक्त 6 व्यक्ति और संचालक के रूप में नियुक्त किए जाते थे। ये छः व्यक्ति ऐसे होते थे जो कृषि व्यापार वित्त अथवा उद्योग में क्रियाशील हों। इस एक्ट ने इस बैंक को कटौती-दर व पुन-कटौती दर निश्चित करने व प्रकाशित करने का अधिकार दिया। सन् 1925 में ग्रामीण साख विभाग (Rural Credit Deptt) की स्थापना की गई।

यह बैंक सरकार के बैंकर के रूप में तो पर्याप्त अंशों में कार्य करता ही था। अब संघीय सरकार एवं राज्य सरकारें, ऋण लेने में ट्रेजरी बिलों का प्रयोग अधिक करने लगी एवं व्यापारिक बैंकों से प्रत्यक्ष ऋण लेना बहुत ही कम हो गये। यह कॉमनवल्थ-बैंक ट्रेजरी बिलों के सम्पूर्ण निगमन को ले लेता था कुछ को अपने पास रख लेता था एवं शेष को व्यापारिक बैंकों में वितरण कर देता था।

प्रथम विश्व-युद्ध काल में आस्ट्रेलिया में प्रथम बार विनिमय नियंत्रण लागू किया गया। कॉमनवल्थ बैंक विनिमय नियंत्रण का कार्य ट्रेजरी की ओर से करता था। अन्य व्यापारिक-बैंक इस कार्य के लिए कॉमनवल्थ बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करते थे।

अब यह बक 'बको के बकर' के रूप म भी काय करने लगा था । व्यापारिक बको ने समाशोधन (clearing) के उद्देश्य से इस बैंक म अपने खाते खोलने आरभ कर दिये । शन शन ये बक कामनवल्थ बैंक म अपने आप ही अपने नगद कोष निक्षेप के रूप मे रखने लग गये थे ।

यह कॉमनवल्थ बक देश के व्यापारिक बको के परामशदाता के रूप मे भी काय करने लगा था । अनेक वार ऐस अवसर आये कि ये व्यापारिक बक इस बक के पास परामश के लिए आये और इस बक ने भी उचित परामश दिये ।

अब सन् 1926 से आर्थिक मदी का काल आरम्भ हुआ । इस समय समस्त देशो का आर्थिक ढाचा चरमराने लगा था और आस्ट्रेलिया भी इसका अपवाद नही था । इगलड म बक आफ इगलड मजबूत केन्द्रीय बक के रूप म काय कर रहा था किंतु कामनवल्थ बक आफ आस्ट्रेलिया न तो परिपक्व केन्द्रीय बक था और न ही इस इस सबध म विशप अनुभव था । किन्तु देश के व्यापारिक बको ने कामनवल्थ बक को पूरण सहयोग प्रदान किया । इस समय सबस प्रमुख कठिनता यह थी कि विदेशो मे आस्ट्रेलिया के विदेशी विनिमय कोषो की डावाडोल स्थिति हो गई थी । अत इस कठिन परिस्थिति मे इस बक ने सन् 1930 म व्यापारिक बको के समस्त स्वरण कोषो ल लिये । ये स्वरण-कोष पर्याप्त मात्रा म थे ।

आस्ट्रेलिया के बक आयातकर्त्ताओ द्वारा विदेशी मुद्रा की माग पूरी करने म अपने को असमथ पा रहे थ । अभी तक आस्ट्रेलिया के 1 पौंड की विनिमय दर इगलड के 1 पौंड क बराबर थी । किन्तु अब आस्ट्रेलियन पौंड का मूल्य गिरन लगा पहले इगलड के 100 पौंड के बदले 115 आस्ट्रेलियन पौंड और बाद म बन्ते बन्ते यह 130 आस्ट्रेलियन-पौंड हो गई । अत कामनवल्थ बक के लिये चिन्ता का विषय हो गया और नवम्बर 1031 म इस बक न यह घोषणा की कि यह अब विदेशी विनिमय को अपन नियन्त्रण म ल रहा है । साथ ही इसने यह घोषणा की कि यह बक असीमित मात्रा म 100 इगलड के पौड क बदल 125 आस्ट्रेलियन-पौंड की दर स विदेशी विनिमय क्रय तथा विक्रय करने को तयार है ।

सन् 1937 म शाही-आयोग (Royal Commission) ने परामश दिया कि आस्ट्रेलिया म जनता के स्वामित्व म केन्द्रीय बक होना चाहिये जो कि व्यापारिक बको की साख-नीति को नियन्त्रित कर । इस काय को करने के लिये कमीशन ने परामश दिया कि व्यापारिक बको को अपन निक्षेपो का एक निश्चित अनुपात (प्रतिशत) केन्द्रीय बक के पास रखन के लिय कानून द्वारा बाध्य करना चाहिये । सन् 1939 तक कॉमनवल्थ-बक आस्ट्रेलिया म अत्यन्त शक्तिशाली बक हो गया था यद्यपि वधानिक दृष्टि स इस अभी भी केन्द्रीय बक क रूप म मान्यता प्रदान नही की गई थी ।

द्वितीय विश्व-युद्ध काल म ही कामनवल्थ बैंक वास्तविक रूप म केन्द्रीय-बक के रूप म विकसित हुआ । व्यापारिक बकों न सन् 1941 म एक पारस्परिक समझौता किया जिसके अनुसार उन्होने युद्ध म पूव जितना मात्रा म उनके पास निक्षप थ उस

मात्रा से जितने अधिक अब उनके पास निक्षेप थे, उन अधिक निक्षेपों को कॉमनवल्थ बैंक में निक्षेप करना स्वीकार किया। इन निक्षेपों पर कामनवेल्थ बैंक ने साधारण ब्याज भी देना स्वीकार किया। बाद में राष्ट्रीय-सुरक्षा नियमों में भी इस आशय के प्रावधान कर दिये गये। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान भी दिये गये जिनके द्वारा कॉमनवल्थ-बैंक देश के व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण कर सकता था विशेषरूप से मौद्रिक-नीति की सफलता के लिये।

सन 1945 के दो एक्ट—ग्रास्ट्रेलिया में श्रमिक सरकार ने सन् 1945 में दो एक्ट पास किये—प्रथम कामनवल्थ बैंक एक्ट, और द्वितीय बैंकिंग एक्ट 1945 कॉमनवल्थ बैंक एक्ट 1945 में इसके तीन प्रमुख उद्देश्य (objects) बतलाये गये हैं— (i) कॉमनवल्थ बैंक के केन्द्रीय बैंकिंग में सम्बन्धित कार्यों को मजबूत करना (ii) व्यापारिक बैंकों के साथ क्रियाशील (active) प्रतिस्पर्द्धा के द्वारा अपने (अर्थात् कामनवल्थ बैंक के) साधारण बैंकिंग सम्बन्धी कार्यों का विस्तार करना (iii) बैंक की वित्तीय नीति का सरकार की वित्तीय-नीति के अनुरूप बनाने के लिये, बैंक के गवर्नर को (सरकारी) ट्रेजरार के प्रति उत्तरदायी बनाना।

कामनवल्थ बैंक एक्ट 1945 की धारा–8 में इस बैंक के तीन उद्देश्य बतलाए गये हैं—(a) ग्रास्ट्रेलिया की करन्सी में स्थायित्व लाना, (b) देश में पूर्ण रोजगार को बनाये रखना, और (c) ग्रास्ट्रेलिया की जनता के कल्याण एवं आर्थिक समृद्धि की दिशा में कार्य करना।

बैंकिंग व्यवसाय में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से कामनवल्थ बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि यदि इस बात की सम्भावना हो कि कोई बैंक अपने ग्राहकों को भुगतान बन्द कर देगा तो वह (कॉमनवल्थ बैंक) उस व्यापारिक-बैंक की आर्थिक स्थिति की जाँच कर सकता है और वह उस पर अपना नियन्त्रण कर सकता है।

इस प्रकार सन् 1945 के एक्ट ने इस बैंक को औपचारिक रूप में केन्द्रीय बैंक बना दिया। इसकी पूंजी 40 लाख पौंड निर्धारित की गई जो कि इसके केन्द्रीय बैंकिंग कार्यों द्वारा बने हुए कैपिटल एण्ड रिजर्व फंड से प्राप्त करनी थी। सन् 1925 में स्थापित 'ग्रामीण साख विभाग' व सन् 1943 में स्थापित बंधक बैंक विभाग' अपने मूलरूप में चालू रहे। सन् 1945 के एक्ट के अधीन एक औद्योगिक वित्त विभाग की भी स्थापना की गई।

जब 1945 के कॉमनवल्थ बैंक के बिल पर संसद में बहस हो रही थी तो इसके अनेक प्रावधानों पर कठोर विरोध प्रकट किये गये। यह विरोध इतना अधिक था कि तत्कालीन विपक्षी नेता ने इस बात की घोषणा की कि जब कभी उनका अनुदार-दल शक्ति में आवेगा तो वह उन प्रावधानों को निरस्त कर देगा।

सन् 1949 के चुनावों में अनुदार-दल विजयी हुआ अत नये ट्रेजरार ने सन् 1045 के एक्ट के संशोधन के लिए एक बिल प्रस्तुत किया। अंत में यह बिल अन्तिम रूप में सन् 1951 में पास हो गया।

सन् 1953 में बैंकिंग एक्ट में पुनः संशोधन किये गये।

बैंकिंग एक्ट 1959—सन् 1959 में बैंकिंग एक्ट पास किया गया। यह एक्ट बहुत महत्वपूर्ण था। इस एक्ट के अनुसार—

1 नाम में परिवर्तन—कॉमनवल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया का नाम बदल कर रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया हो गया। इसका अब अपना पृथक गवर्नर मण्डल बनाया गया।

2 पुनस गठन—रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया अब पूर्णरूप केन्द्रीय बैंक बन गया। कॉमनवल्थ बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया के अन्य कार्यों को करने के लिये कॉमनवल्थ बैंकिंग कारपोरेशन स्थापित किया गया।

रिजर्व बैंक आफ आस्ट्रेलिया—सन् 1959 का एक्ट सन् 1960 में लागू किया गया और तभी से रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया वैधानिक रूप से अस्तित्व में आया। अन्य देशों की भांति यह रिजर्व बैंक भी ट्रेजरी व सरकार के निकट सहयोग से कार्य करता है। आस्ट्रेलिया में बैंकिंग-नीति का निर्धारण अब रिजर्व बैंक बोर्ड के ऊपर है।

सन् 1945 के एक्ट में यह प्रावधान था कि समस्त व्यापारिक बैंक कामनवल्थ बैंक में विशेष खातों (Special Accounts) में निक्षेप रखेंगे जिन पर नाम्मी दर से ब्याज भी दिये जाने का प्रावधान था। इन खातों में से कॉमनवल्थ बैंक की अनुमति से ही राशि निकाली जा सकती थी। सन् 1959 के बैंकिंग एक्ट ने विशेष खातों में निक्षेप प्रणाली समाप्त कर दी और इसके स्थान पर 'वैधानिक रिजर्व निक्षेप खाते' (Statutory Reserve Deposit Accounts) आरम्भ कर दिए।

रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया देश में नोट निगमन करने वाला एक मात्र बैंक *(sole bank of issue) है। इसकी नोट निगमन की शक्ति पर बंधन नहीं हैं।*

साख नियन्त्रण—यह व्यापारिक-बैंकों की साख-नीति को इस प्रकार नियन्त्रित करता है—

1 यह व्यापारिक बैंकों की तरलता को संचालित करता है। यह दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम इसके द्वारा निर्धारित व्यापारिक-बैंकों को अपने निक्षेपों का एक निश्चित अनुपात इस बैंक (रिजर्व बैंक) के पास रखना पड़ता है, और द्वितीय व्यापारिक बैंकों को तरल-सम्पत्तियों (liquid assets) का न्यूनतम अनुपात *रखना पड़ता है।*

2 यह खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। दूसरे शब्दों में यह साख नियन्त्रण में खुले बाजार की क्रियाओं को भी काम में लेता है।

3 यह बैंक अग्रिमों की मात्रा एवं उनके वितरण को विभिन्न वर्गों के ऋण लेने वालों में वितरण के संबंध में निर्देश देता है।

यह रिजर्व बैंक आस्ट्रेलिया के बचत बैंकों की विनियोग नीति पर भी नियन्त्रण रखता है।

अग्रिम पृष्ठ पर रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया के 1970 का विवरण पत्र (Statement) दिया जा रहा है जिससे इस बैंक के स्वरूप व क्रियाओं के विषय में अनुमान हो सकेगा।

रिजव बक ऑफ आस्टेलिया
विवरण-पत्र सन 1970

Liabilities	आ डालर मिलियन
Capital	49 4
Reserve funds	31 1
Australian notes on issue	1 091 5
Deposits, bills payable & other liabilities	1 582 9
Total liabilities	2 754 9
Assets	
Gold and balances held abroad	753 1
other overseas securities	430 0
Australian notes and coins	8 4
Australian Govt securities	843 3
Loans advances & bills discounted	585 8
Other assets	133 9
Total assets	2,754 9

रिजव बक आफ आस्ट्रेलिया का शाखाए प्रत्यक राज्य की राजधानी (state capitals) मे, क्षेत्रो व अधीन क्षत्रा का राजधानियो (capital of territories and dependencies) म, सघीय राजधाना कनबरा (Canberra) मे व लदन म हैं।

सन् 1959 स रिजव बक ऑफ आस्ट्रेलिया नाट नियमन का पूणत काय करता है। नोटा के पीछे अधिकाश रूप म सोना रहता है और शेष भाग म इगलड, आस्ट्रेलियन कामनवल्थ एव आस्ट्रेलिया क राज्यो की प्रतिभूतिया रहता है। सन् 1965 स आस्ट्रेलिया म सिक्क कनबरा म स्थित 'रायल आस्ट्रेलियन मिन्ट' द्वारा निकाले जाते हैं। यह उल्लखनीय है कि सन् 1966 स आस्ट्रेलिया न भी मुद्रा की दाशमिक-प्रणाली अपनाली है जिसके परिणामस्वरूप आस्ट्रेलियन पौंड के स्थान पर आस्ट्रेलियन डालर चलन मे आ गये हैं। एक डॉलर सौ सेंटा म विभक्त है।

पाकिस्तान की बैंकिग प्रणाली

(Banking System in Pakistan)

38 पाकिस्तान में बैंकिंग का प्रारम्भ[1]

सन् 1947 के पूर्व वर्तमान पाकिस्तान एवं बंगला देश भारत के ही अंग थे। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान राज्य का उदय हुआ। 6 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान का गणतंत्र बंगला देश के रूप में उदय हुआ।

सन् 1947 में देश विभाजन के पूर्व भविष्य के संबंध में भयावह स्थिति एवं अनिश्चितता थी। पाकिस्तान के क्षेत्र से अनेक गैर मुस्लिम अपनी पूंजी व धन को भारत में भेज रहे थे और भारत के क्षेत्र से अनेक मुस्लिम पूंजी व धन पाकिस्तान में भेज रहे थे। भारत के अनेक मुस्लिम अपनी संपत्ति को तरल रूप में परिवर्तित कर रहे थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे पाकिस्तान भेजा जा सके।

बैंकिंग की पृष्ठभूमि—भारतीय उप महाद्वीप में भारत व पाकिस्तान के निर्माण के लिये 3 जून 1947 को स्वतंत्रता योजना (Independence Plan) घोषित की गई। इसके साथ ही विभाजन के फलस्वरूप प्रशासनीय-व्यवस्था एवं ब्रिटिश भारत की संपत्ति एवं ऋणों (assets and liabilities) के बंटवारे के लिए अनेक विशेषज्ञ समितियां नियुक्त की गई। इन समितियों में से एक समिति *करेंसी, बैंकिंग, विदेशी विनिमय एवं संबंधित मामलों के संबंध में नियुक्त की गई।* इस समिति ने सुझाव दिया कि संक्रान्ति-काल (transitional period) में सुविधा के लिये (भारत का) रिजर्व बैंक आफ इंडिया, 30 सितंबर 1948 तक दोनों देशों—भारत व पाकिस्तान के लिए करेंसी व बैंकिंग के लिए काम करे किंतु सार्वजनिक ऋणों एवं विदेशी विनिमय नियंत्रण का कार्य 1 अप्रैल 1948 से पाकिस्तान सरकार करे। इस सुझाव को पाकिस्तान (वित्तीय प्रणाली एवं रिजर्व बैंक) अध्यादेश 1947 में सम्मिलित कर लिया गया। यह अध्यादेश 14 अगस्त 1947 को जारी किया गया था। इस अध्यादेश में *ब्रिटिश भारतीय* करेंसी को पाकिस्तान से हटा कर नई करेंसी चलाने और रिजर्व बैंक आफ इंडिया के निर्गमन विभाग (Issue Department) की संपत्तियों (assets) को भारत व पाकिस्तान के मध्य बांटने के संबंध में प्रावधान थे। स्वतंत्रता के पूर्व रिजर्व बैंक

---

1 राजकीय डूंगरपुर कालेज में स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. एच. एन. प्रोहित का लेखक आभारी है जिन्होंने इस खंड के लिये सामग्री प्रदान की।

था कोई कार्यालय ढाका में नहीं था और न कोई सार्वजनिक ऋण का ही कार्यालय पाकिस्तान में था। पाकिस्तान सरकार के बहुत बल देने पर रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की एक शाखा फरवरी 1948 में ढाका में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगला देश) में करेंसी की व्यवस्था करना था। साथ साथ ही सार्वजनिक ऋण कार्यालय ढाका, कराची व लाहौर में स्थापित किये गये।

विभाजन के समय बैंकिंग की दशा—भारत व पाकिस्तान सरकारों के मध्य उपरोक्त वित्तीय-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पाकिस्तान की वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकीं। अतः पाकिस्तान सरकार ने उस समझौते की निश्चित तिथि (30 सितम्बर 1948) से पूर्व ही अन्त करके अपने केन्द्रीय बैंक की स्थापना व करेंसी व्यवस्था के विषय में विचार किया। पाकिस्तान में बैंकिंग-संकट उत्पन्न हो जाने के कारण भी ऐसा निर्णय लिया गया। देश की विभाजन-योजना (Partition Plan) की घोषणा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना के मध्य के 13 महीनों की अवधि में पाकिस्तान में बैंकिंग व्यवस्था काफी छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि अनेक बैंकों ने काम करना बन्द कर दिया और अनेक भारतीय बैंकों ने अपने कार्यालय बंद कर दिये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व पाकिस्तान में 631 सूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks) थे किन्तु इसके पश्चात् वहाँ केवल 213 सूचीबद्ध बैंक ही रह गये। जहाँ तक पश्चिमी पाकिस्तान का सम्बन्ध है वहाँ स्वतन्त्रता से पहले 487 बैंकिंग कार्यालय थे और अब उनकी संख्या केवल 69 ही रह गई थी।

इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया पाकिस्तान में केवल 30 जून 1948 तक ही चलन अधिकारी (Currency authority) रहेगा 30 सितम्बर 1948 तक नहीं जैसा कि मूल अध्यादेश में निहित था।

प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई थी कि रिजर्व बैंक आफ इण्डिया 1 अप्रेल 1948 के पश्चात पाकिस्तान सरकार के नाम से (In the name of the Government of Pakistan) नोटों का निगमन करेगा और पाकिस्तान सरकार ही इन नोटों के पीछे रखी जाने वाली सम्पत्ति (Assets) की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार के एक रुपये के नोट जो पाकिस्तान में 30 सितम्बर 1948 से पूर्व पाकिस्तानी नोटों में बदल दिए जाय। इन एक रुपये के नोटों के अतिरिक्त शेष नोट पाकिस्तान में 31 मार्च 1949 तक पाकिस्तान में वैधानिक-पत्र-मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहेंगे और ये नोट इस तिथि (31 मार्च 1949) तक पाकिस्तानी नोटों में सम मूल्य पर परिवर्तनशील रहेंगे। जहाँ तक धात्विक सिक्कों का सबंध है भारतीय सिक्के पाकिस्तान में एक वर्ष अथवा दो वर्ष तक जैसा कि पाकिस्तानी सरकार निर्धारित करे प्रचलन में रहेंगे। जब पाकिस्तान में भारतीय सिक्कों का चलन बंद कर दिया जाय तो उन सिक्कों को इस प्रकार निपटाया जायगा—

(1) गिलट, तांबे (nickel, brass) और चवन्नियां व अठन्नियां गला दी जाय और उनको धातु के रूप में बदल दिया जाय।

(2) अन्य सिक्के को भारत सरकार को वापस दिए जावें।

स्टर्लिंग बलेंस का बटवारा—पौंड पावना (Sterling balance) से बटवारे के लिए यह निश्चित किया गया कि मार्च 1949 तक भारत सरकार 177 करोड़ रुपये के स्टर्लिंग पाकिस्तान सरकार को हस्तान्तरित कर दिये जावें।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सम्पत्तियों का बटवारा—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निगमन विभाग (Issue Department) की सम्पत्तियां (assets) को, कुल नोट निगमन और पाकिस्तान में प्रचलित नोटों के अनुपात में, पाकिस्तान को हस्तान्तरित किया जायगा।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निगमन-विभाग से 1 जुलाई 1948 को 51 57 करोड़ रुपये की सम्पत्तियां स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान को हस्तान्तरित की गई। रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग से 101 करोड़ रुपये के मूल्य के स्टर्लिंग स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान को हस्तान्तरित किये गये।

पाकिस्तान में नये नोट व सिक्के—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने अध्यादेश के अन्तर्गत पृथक पाकिस्तानी रुपयों के नोट निगमित किये। इन नोटों पर अंग्रेजी व उर्दू में गवर्नमेंट आफ पाकिस्तान मुद्रित था। ये नोट 1 अप्रेल 1948 से निगमित किये गये। ये नोट केवल पाकिस्तान में ही वैधानिक मुद्रा के रूप में थे, भारत में ये नोट स्वीकार्य नहीं थे।

का कोई कार्यालय ढाका में नहीं था और न कोई सार्वजनिक ऋण का ही कार्यालय पाकिस्तान में था। पाकिस्तान सरकार के कहने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा फरवरी 1948 में ढाका में स्थापित की गई। इसका उद्देश्य पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगला देश) में करेंसी की व्यवस्था करना था। इसके साथ ही सार्वजनिक ऋण कार्यालय ढाका, कराची व लाहौर में स्थापित किये गये।

विभाजन के समय बैंकिंग की दशा—भारत व पाकिस्तान सरकारों के मध्य उपरोक्त वित्तीय-व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पाकिस्तान की वित्तीय आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो सकीं। अतः पाकिस्तान सरकार ने उस समझौते की निश्चित तिथि (30 सितम्बर 1948) से पूर्व ही अन्त करके अपने केन्द्रीय बैंक की स्थापना व करेंसी व्यवस्था के विषय में विचार किया। पाकिस्तान में बैंकिंग-संकट उत्पन्न हो जाने के कारण भी ऐसा निर्णय लिया गया। देश की विभाजन-योजना (Partition Plan) की घोषणा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना के मध्य के 13 महीनों की अवधि में पाकिस्तान में बैंकिंग व्यवस्था काफी छिन्न भिन्न हो गई क्योंकि अनेक बैंकों ने काम करना बंद कर दिया और अनेक भारतीय बैंकों ने अपने कार्यालय बंद कर दिये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व पाकिस्तान में 631 सूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks) थे, किन्तु इसके पश्चात् वहां केवल 213 सूचीबद्ध बैंक ही रह गये। जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान का सम्बन्ध है वहाँ स्वतन्त्रता से पहले 487 बैंकिंग कार्यालय थे और अब उनकी संख्या केवल 69 ही रह गई थी। पाकिस्तान में बैंकिंग कार्यालयों की संख्या में निरंतर कमी आने लगी और 1 जुलाई 1948 को—जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हुई—पाकिस्तान में केवल 195 बैंकिंग कार्यालय थे। इनमें से भी अनेक बैंकिंग कार्यालय केवल सीमित व्यवस्था ही कर रहे थे और उन्हें पूर्णकाय (Full fledged) बैंकिंग कार्यालय नहीं कहा जा सकता था।

तत्कालीन इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने कार्यालय पाकिस्तान में बंद कर दिये। इससे सरकारी-ट्रेजरी के कार्यों में बाधा पड़ी क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एजेंट के रूप में इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी-ट्रेजरी के कार्यों को करता था। पाकिस्तान ने इस स्थिति को सुधारने के लिए अनेक आपत्कालीन कदम उठाये, किन्तु पूरी सफलता न मिल सकी। अतः यह अनुभव किया गया कि यदि पाकिस्तान की बैंकिंग-व्यवस्था को जीवित रखना है तो बिना अधिक विलम्ब किये देश के लिए एक पृथक केन्द्रीय बैंक की स्थापना आवश्यक है।

पाकिस्तान सरकार के कहने पर दोनों सरकारों एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों की वार्ता मार्च 1948 में की गई। अतः 31 मार्च 1948 को भारत के पाकिस्तान के गवर्नर जनरलों ने सम्मिलित रूप में पाकिस्तान मौद्रिक प्रणाली एवं रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश 1948 निर्गमित किया।

इस अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया कि रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया पाकिस्तान में केवल 30 जून 1948 तक ही चलन अधिकारी (Currency authority) रहेगा 30 सितंबर 1948 तक नहीं, जैसा कि मूल अध्यादेश में निहित था।

प्रावधानों में यह व्यवस्था की गई थी कि रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया 1 अप्रैल 1948 के पश्चात पाकिस्तान सरकार के नाम से (In the name of the Government of Pakistan) नोटों का निगमन करेगा और पाकिस्तान सरकार ही इन नोटों के पीछे रखी जाने वाली संपत्ति (Assets) की व्यवस्था करेगी। भारत सरकार के एक रुपये के नोट जो पाकिस्तान में थे, 30 सितंबर 1948 से पूर्व पाकिस्तानी नोटों में बदल दिए जाय। इन एक रुपये के नोटों के अतिरिक्त शेष नोट पाकिस्तान में 31 मार्च 1949 तक पाकिस्तान में वैधानिक पत्र-मुद्रा के रूप में प्रचलन में रहेंगे और ये नोट इस तिथि (31 मार्च 1949) तक पाकिस्तानी नोटों में सम मूल्य पर परिवर्तनशील रहेंगे। जहां तक धात्विक सिक्कों का संबंध है भारतीय सिक्के पाकिस्तान में एक वर्ष अथवा दो वर्ष तक, जैसा कि पाकिस्तानी सरकार निर्धारित करे प्रचलन में रहेंगे। जब पाकिस्तान में भारतीय सिक्कों का चलन बंद कर दिया जाय तो उन सिक्कों का इस प्रकार निपटाया जायगा—

(1) गिलट ताँबे (nickel, brass) और चवन्नियां व अठन्नियां गला दी जाय और उनको धातु के रूप में बदल दिया जावे।

(2) अन्य सिक्के भारत सरकार को बेच दिये जावें।

स्टर्लिंग बलेंस का बटवारा—पौंड पावने (Sterling balance) के बटवारे के लिए यह निश्चित किया गया कि मार्च 1949 तक भारत सरकार 177 करोड़ रुपये के स्टर्लिंग पाकिस्तान सरकार को हस्तांतरित कर दिये जावें।

रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया की संपत्तियों का बटवारा—रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया के निगमन विभाग (Issue Department) की संपत्तियों (assets) को कुल नोट निगमन और पाकिस्तान में प्रचलित नोटों के अनुपात में पाकिस्तान को हस्तांतरित किया जायगा।

रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया के निगमन-विभाग से 1 जुलाई 1948 को 51 57 करोड़ रुपये की संपत्तियां स्टेट बैंक ग्राफ पाकिस्तान को हस्तांतरित की गई। रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग से 101 करोड़ रुपये के मूल्य के स्टर्लिंग स्टेट बैंक ग्राफ पाकिस्तान को हस्तांतरित किये गये।

पाकिस्तान में नये नोट व सिक्के—रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया ने अध्यादेश के अंतर्गत पृथक पाकिस्तानी रुपयों के नोट निगमित किये। इन नोटों पर अंग्रेजी व उर्दू में गवर्नमेंट ग्राफ पाकिस्तान मुद्रित था। ये नोट 1 अप्रैल 1948 से निगमित किये गये। ये नोट केवल पाकिस्तान में ही वैधानिक मुद्रा के रूप में थे भारत में ये नोट स्वीकार्य नहीं थे।

इसी तिथि (अप्रैल 1, 1948) से लाहौर की टकसाल में नये पाकिस्तानी सिक्के ढाले गये और चलन में लाये गये। ये सिक्के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गमित किये गये। ये सिक्के उसी मूल्य के भारतीय सिक्कों के अंकित मूल्य व धात्विक मूल्य के अनुरूप थे किन्तु उन पर अंकित हुए चन्द्रमा व तारे का चिह्न उभरा हुआ था, साथ ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंकित था। सिक्के का मूल्य उर्दू व अंग्रेजी में अंकित था।

भारत द्वारा नकद शेष का भुगतान रोकना व बाद में भुगतान करना — वित्तीय समझौते के अन्तर्गत विभाजन के पूर्व केन्द्रीय सरकार के नकद शेष (Cash Balance) में से पाकिस्तान के दावे के रूप में भारत सरकार ने 55 करोड़ रुपये देना स्वीकार किया था। यह ध्यान रहे कि यह 55 करोड़ रुपये की राशि उस 20 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त थी जो भारत ने पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को दी थी। इस समय पाकिस्तान ने हमारे काश्मीर पर कबाइलियों की सहायता से आक्रमण किया। अतः भारत सरकार ने इस 55 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान रोक लिया क्योंकि यह सम्भावना थी कि पाकिस्तान इस राशि का उपयोग इस आक्रमण को और तेज करने में करेगा। अतः भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस 55 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि पाकिस्तान समस्त विवादों को भारत के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से हल न कर ले। किन्तु इसी समय पूज्यनीय महात्मा गांधीजी ने पाकिस्तान को भारत सरकार द्वारा 55 करोड़ रुपये दे देने के लिए कहा। भारत सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। इस पर महात्मा गांधीजी ने आमरण भूख हड़ताल कर दी। यद्यपि सम्पूर्ण केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल इस राशि का पाकिस्तान को भुगतान करने के विरुद्ध था, किन्तु महात्मा गांधीजी की भूख हड़ताल तुड़वाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया का भुगतान करना स्वीकार कर लिया और जनवरी 1948 में इस राशि का भुगतान पाकिस्तान सरकार को कर दिया गया।

केन्द्रीय-बैंक की स्थापना की ओर प्रयास—पाकिस्तान सरकार अपने देश

इस विभाग ने सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों की एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी का प्रमुख कार्य रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक्ट का अध्ययन करके पाकिस्तान के लिए केन्द्रीय बैंक की स्थापना के लिए एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत करना था। समय के अभाव के कारण यह उचित समझा गया कि आवश्यक संशोधनों के साथ रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आधार पर केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जावे। अतः "स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अध्यादेश 1948" 12 मई 1948 को लागू कर दिया गया और आवश्यक प्रबंध करने के पश्चात् 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की स्थापना देश के केन्द्रीय बैंक के रूप में कर दी गई।

39 स्टेट बेंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना एवं संगठन

स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की स्थापना—पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल ने 12 मई 1948 को स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान अध्यादेश 1948 जारी किया जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान का केन्द्रीय बैंक स्थापित किया गया। इस बैंक का नाम स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान है।

पाकिस्तान के आर्थिक एवं वित्तीय इतिहास में 1 जुलाई 1948 का दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस दिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की औपचारिक स्थापना की घोषणा की। पाकिस्तान की वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिति में सुदृढ़ता लाने के लिये यह आवश्यक था कि चलन (Currency) पर पूर्ण नियन्त्रण हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को कराची में स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान का उद्घाटन किया। उद्घाटन के समय उपस्थित लगभग 1500 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समक्ष श्री जिन्ना ने कहा "स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की स्थापना हमारे देश की सार्वभौमिकता की प्रतीक है और मैं इसका उद्घाटन करते हुए बहुत प्रसन्न हूँ।"[1]

इस अवसर पर बोलते हुए स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर श्री ज़ाहिद हुसैन (Mr Zahid Hussain) ने कहा "आज से स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान ने रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया का स्थान ले लिया है और इस प्रकार हमारा देश बैंकिंग के क्षेत्र में भी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करती है।"

बैंक का संगठन

प्रधान कार्यालय—स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का केन्द्रीय बैंक है का प्रधान कार्यालय कराची में है। प्रधान कार्यालय को केन्द्रीय निदेशालय (Central Directorate) कहते हैं।

जनता ने लिये हैं। प्रारम्भ में यह निर्धारित कर दिया गया था कि कोई व्यक्ति अपने नाम में अथवा दो या अधिक व्यक्ति सम्मिलित रूप से 500 अंशों से अधिक नहीं रख सकेंगे, किंतु बाद में यह सीमा हटा दी गई। अब कोई व्यक्ति चाहे जितने अंश अपने नाम में अथवा सम्मिलित नामों में रख सकता है।

इस बैंक के अंशधारियों को तीन क्षेत्रीय समूहों (regional groups) में विभक्त कर दिया गया है। ये क्षेत्र हैं—कराची लाहौर और ढाका। इन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र पर अलग अलग अंशधारियों के रजिस्टर रखे जाते हैं। प्रत्येक अंशधारी को इन तीनों केन्द्रों में से किसी भी एक केन्द्र पर अपने को रजिस्टर कराना पड़ता है। अंशधारी जिस क्षेत्र में साधारणतया निवास करता है अथवा जहां उसके व्यवसाय का प्रमुख स्थान है उस क्षेत्र के केन्द्र में उसे अपने आपको रजिस्टर करना होता है। अंशों का हस्तांतरण एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक केन्द्र पर यदि अंशधारी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो फिर बाद में वहां से रजिस्ट्रेशन रद्द करवा के दूसरे केन्द्र पर रजिस्ट्रेशन न करवाया जा सके। यह प्रावधान इसलिये किया गया है ताकि इन अंशों का बाद में क्रय-विक्रय सुगमता से हो सके।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि इस बैंक के केवल 49 प्रतिशत अंश ही जनता को दिये गये हैं व शेष 51 प्रतिशत अंश पाकिस्तान सरकार ने लिये हैं। कराची क्षेत्र की जनता ने 23 प्रतिशत अंश व लाहौर क्षेत्र की जनता ने 20 प्रतिशत अंश लिये और शेष 6 प्रतिशत अंश ढाका क्षेत्र की जनता ने लिये। अंशों की संख्या की दृष्टि से प्रत्येक अंशधारी के पास औसतन रूप से 28 अंश हैं।

लाभ एवं लाभांश दर—अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभांश की दर केन्द्रीय-सरकार निर्धारित करती है। किन्तु साथ ही यह प्रावधान है कि प्रतिवर्ष न्यूनतम लाभांश 4 प्रतिशत दिया जावेगा। यह संचयी लाभांश (Cumulative dividend) है अर्थात् यदि किसी वर्ष अंशधारियों को लाभांश नहीं दिया जा सके तो उस वर्ष का लाभांश भी अगले वर्ष के लाभांश के साथ दिया जावेगा। स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान ने सन् 1948 से सन् 1955 तक अपने अंशधारियों को 4 प्रतिशत की दर से लाभांश दिया। सन् 1956 में 4½ प्रतिशत का, सन् 1957 में 5 प्रतिशत का और सन् 1961 में 6 प्रतिशत का लाभांश दिया।

यह प्रावधान किया गया कि लाभांश वितरण के पश्चात लाभ की जो राशि शेष रह जावे उसे बैंक के रिजर्व फंड में उस समय तक स्थानान्तरित किया जाना रहेगा जब तक कि यह राशि 3 करोड़ रुपये न हो जावे। दूसरे शब्दों में बैंक की पूंजी के बराबर रिजर्व कोष होना चाहिये। बैंक की पूंजी 3 करोड़ रुपये है। जब रिजर्व-फंड तीन करोड़ रुपये का हो जावे उसके पश्चात शेष लाभ केन्द्रीय सरकार को स्थानांतरित कर दिया जावे। स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान का रिजर्व फंड कई वर्षों पूर्व 3 करोड़ रुपये का हो गया है अतः अब शेष लाभ केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि इस बैंक की स्थापना के समय पाकिस्तान सरकार ने स्टेट बैंक की पूंजी के भुगतान के अतिरिक्त 3 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां रिजर्व-फंड बनाने के लिये दी थीं।

विनियोग की दृष्टि से इस बैंक के अंश ट्रस्ट्स एक्ट (Trusts Act) 1882 के अधीन ट्रस्टी प्रतिभूतियां हैं। बीमा कम्पनियों एवं बैंकिंग कम्पनियों के लिए भी ये अंश विनियोग-योग्य हैं।

स्टेट बैंक की शाखाएं—स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना के समय (जुलाई 1 1948) इसकी केवल 3 शाखाएं थीं जो कि करांची लाहौर तथा ढाका में स्थित थीं। वास्तव में ये रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के कार्यालय (offices) थे जो स्टेट बैंक को प्राप्त हुए थे। बाद में इन शाखाओं का विस्तार किया गया और कुछ नई शाखाएं स्थापित की गई। ये नई शाखाएं इन स्थानों पर स्थापित की गई—रावलपिंडी पेशावर क्वेटा लायलपुर चिटगांव और खुलना। चिटगांव और खुलना अब बंगला-देश में है।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रधान कार्यालय करांची में स्थित है।

स्टेट बैंक का संगठन

1 संचालकों का केन्द्रीय मंडल—बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में निर्देशन एवं इसके कार्य संचालन। केन्द्रीय मंडल (Central Board of Directors) के अधीन है। इस केन्द्रीय मंडल में ये सदस्य होते हैं--

(a) एक गवर्नर (b) एक अथवा अधिक डिप्टी गवर्नर और (c) नौ संचालक—जिनमें से 6 संचालक केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 3 संचालकों का अंशधारियों में से चुनाव होता है। इनमें से भी एक क्षेत्रीय समूह में से एक संचालक होना चाहिये।

(a) गवर्नर (Governor)—स्टेट बैंक का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर होता है। गवर्नर की नियुक्ति केन्द्रीय-सरकार करता है। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए अथवा 5 वर्ष से कम अवधि के लिये की जा सकती है। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर इसकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है।

इसका कार्य बैंक के प्रशासन कार्य व संबंधित अन्य बातों को देखना होता है। यह केन्द्रीय मंडल तथा कार्यकारिणी कमेटी की सभाओं के सभापति के रूप में भी कार्य करता है।

(b) डिप्टी गवर्नर—डिप्टी गवर्नर एक अथवा दो हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार ही करती है। इनकी नियुक्ति भी अधिकतम 5 वर्षों के लिये की जा सकती है। कार्यकाल समाप्त हो जाने पर इनकी भी पुनर्नियुक्ति हो सकती है। बंगला देश के निर्माण के पूर्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दो डिप्टी गवर्नर थे। इनमें से एक डिप्टी-गवर्नर करांची में बैंक के केन्द्रीय निदेशालय में बैंक के गवर्नर की सहायता के लिये था। यह अभी भी वहां है। दूसरे डिप्टी-गवर्नर की नियुक्ति ढाका में की गई जिसको यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वह

पूर्वी पाकिस्तान म बकिंग का विकास करे एव साख सुविधाओं का विस्तार कर। यह ध्यान रहे कि उस क्षेत्र म बकिंग बहुत अविकसित दशा म है।

(c) नौ सचालक—सचालको के केन्द्रीय-मडल म नौ सचालक है। इनम से छ सचालको को केन्द्रीय-सरकार मनोनीत करके नियुक्त करती है और प्रत्येक क्षेत्रीय समूह म से एक एक सचालक का चुनाव करके नियुक्ति होती है। इन छ सचालको म से पाच सचालक गैर सरकारी व्यक्ति होते हैं और छठा सचालक सरकारी अधिकारी होना है। मनोनीत सचालको का कायकाल केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निभर होता है। निर्वाचित सचालको का कायकाल 3 वष होता है।

सभाए—विधान के अनुसार केन्द्रीय मडल की वष म कम से कम छ सभाए होना आवश्यक है किन्तु कम से कम तीन महीने म एक सभा अवश्य होनी चाहिए।

2 कायकारिणी कमेटी—सचालको के केन्द्रीय मडल की एक कायकारिणी कमटी (Executive Committee) होती है। इस कमटी म ये सदस्य होते है—गवनर डिप्टी गवनर (जितने भी हो), केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा चुने गये तीन सचालक। इस कमटी का काय दिन प्रतिदिन के कार्यों को देखना व सचालन करना है।

3 स्थानीय बोर्ड—तीनों क्षेत्रीय-समूहों म से प्रत्येक के लिए एक एक स्थानीय बोर्ड (Local Board) है जिनके मुख्यालय क्रमश कराची लाहौर और ढाका म हैं। प्रत्येक स्थानीय-बोर्ड म उस क्षेत्र म रजिस्टड अंशधारियों म से दो सदस्य चुने जाते है। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार अधिक से अधिक तीन सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। स्थानीय बोर्ड के दो प्रमुख काय हैं—प्रथम सचालकों के केन्द्रीय मडल को उन बातों पर परामर्श देना जिन पर उस साधारण रूप से विशेषरूप से कहा जाय द्वितीय सचालकों के केन्द्रीय मडल द्वारा बताये गये एस काय करना जो अभ्यादेश के अन्तगत हों। स्थानीय बोर्ड के चुने गये सदस्यों का कायकाल तीन वष होता है। ये उस समय तक काय करते रहते हैं जब तक कि इनके स्थान पर नये सदस्यों का चुनाव नहीं हो जाता है।

निषिद्ध व्यक्ति—सचालकों के केन्द्रीय मडल तथा स्थानीय बोर्ड म निम्न लिखित व्यक्तियों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता—

(i) केन्द्रीय और प्रान्तीय लेजिस्लेचर के सदस्य,

(ii) सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी—इनको केन्द्रीय सरकार मनोनीत कर सकती है किन्तु ये चुनाव लडकर सदस्य नहीं बन सकते है।

(iii) किसी अन्य बक के अधिकारी अथवा कर्मचारी,

(iv) किसी अन्य बक के सचालक

टिप्पणी—किसी अन्य बक वाक्यांश म सहकारी-बैंक सम्मिलित नहीं हैं, अर्थात् सहकारी बक के किसी अधिकारी कमचारी अथवा सचालक पर ये प्रावधान लागू नहीं होते हैं, वे सदस्य बन सकते हैं।

केन्द्रीय निदेशालय का सगठन
(Organization of the Central Directorate)

ऊपर बतलाया जा चुका है कि स्टेट बक ग्राफ पाकिस्तान के प्रधान कार्यालय को केन्द्रीय निदेशालय कहत ह । यह कराची म स्थित है । इस केन्द्रीय निदेशालय म मुख्य दस विभाग (departments) ह । इन विभागा के काय के नामा उल्लेख यहा किया जा रहा है ।

1 मुख्य लेखापाल का विभाग
(Chief Accountant s Department)

मुख्य लेखापाल का विभाग बक का प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय है । यही विभाग हिसाब की आवश्यक पुस्तके रखता ह स्थानीय कार्यालयो व शाखाओ का काय देखता है और बक के साप्ताहिक विवरण को तयार करने व उनके प्रकाशन का काय करता ह । बक के निर्गमन व बकिंग विभाग मुख्य लेखापाल के नियत्रण व निरीक्षण म काय करते हैं । नोटो के मुद्रण और सिक्के निर्माण का प्रबन्ध करना इस विभाग का काय ह । बक के विनियोगो का प्रबन्ध करना केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारो के खाते रखना तथा लाभ-हानि खाते एव चिट्ठा (Balance Sheets) को तयार करना भी इसके काय है । प्रारम्भ म इस विभाग म 3 सक्शन थ किन्तु इस समय इसम 20 सक्शन (Sections) है ।

2 सचिव का विभाग
(Secretary's Department)

यह भी एक महत्वशील विभाग है । केन्द्रीय बोर्ड, कार्यकारिणी कमेटी अशधारियो की वार्षिक साधारण सभा से सम्बन्धित काय करना इस विभाग का प्रमुख काय है ।

इसके अतिरिक्त बक की ओर से पाकिस्तान सरकार की प्रतिभूतियो के क्रय विक्रय ट्रेजरी बिलो के निर्गमन सार्वजनिक ऋण एव बक के अशो के सम्बन्ध म तकनीकी नीति निर्धारित करने आदि से सम्बन्धित कार्य भी इस विभाग के हैं । इस विभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है । अन्य देशो के केन्द्रीय बकों से, विदेशी बको अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I M F) पुनर्निर्माण व विकास के अतर्राष्ट्रीय बक (I B R D) आदि से सम्बन्धित मामलो के विषय म यही विभाग काय करता है ।

3 एस्टबलिशमेंट विभाग
(Establishment Department)

यह विभाग बक के कर्मचारियो से सम्बन्धित नीतियो के काय को देखता है । यह विभाग बक के कर्मचारियो के सर्विस रकार्ड रखता है, प्रशिक्षण योजनाओं के सम्बन्ध म कार्य करता है और गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर को एस्टबलिशमेंट से सम्बन्धित बातो पर परामश देता है । यह विभाग कमचारियो के कल्याण की ओर विशेषरूप से ध्यान देता है । यह विभाग कमचारियो को चिकित्सा सुविधाए भवन निर्माण एव गाडियो खरीदने के लिये अग्रिम (advances) देने जलपाहार गृह,

सहकारी भंडारों और स्टाफ कैन्टीन की व्यवस्था करने, कर्मचारियों व अधिकारियों के लिये आवास का व्यवस्था करने और कर्मचारियों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने सम्बन्धी अनेक कार्य करना है।

4 निरीक्षण विभाग
(Inspection Department)

इस विभाग में तीन उप विभाग हैं। प्रथम निरीक्षण विभाग जो इस बैंक के विभिन्न कार्यालयों और केन्द्रीय निदेशालय के विभिन्न विभागों का समय समय पर निरीक्षण करता है और देखता है कि नियम के अनुसार कार्य हो रहा है। द्वितीय, संगठन विभाग जो विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली को देखता है तथा आवश्यक परामर्श देता है और बैंक से सम्बन्धित प्रस्तावित नियमों व उप नियमों की जाँच करता है। तृतीय अंकेक्षण विभाग जो केन्द्रीय निदेशालय के द्वारा किये गये व्ययों का अंकेक्षण करता है इसके अतिरिक्त बैंक के अन्य कार्यालयों द्वारा भेजे गये मासिक रिटर्नों व आन्तरिक अंकेक्षण रिपोर्टों की जाँच करता है और विभिन्न खातों का विश्लेषण करता है।

5 बैंकिंग नियन्त्रण विभाग
(Banking Control Department)

यह विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस विभाग के प्रमुख कार्य निम्न लिखित हैं—

(i) सुदृढ़ बैंकिंग विकास की दृष्टि से देश के व्यापारिक-बैंकों पर निरीक्षण एवं नियन्त्रण,

(ii) व्यापारिक बैंकों व अन्य साख संस्थाओं द्वारा साख नियन्त्रण की नीतियों को कार्यान्वित करना

(iii) देश में बैंकिंग व साख सुविधाओं का प्रसार

(iv) बैंकों द्वारा भेजे गये ऋण के लिये आवेदन पत्रों पर विचार करना आदि।

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को निम्नलिखित अधिनियमों आदि के द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अन्तर्गत ही यह विभाग कार्य करता है—

(1) स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956
(2) बैंकिंग कम्पनीज (कन्ट्रोल) एक्ट, 1948।
(3) बैंकिंग कम्पनीज (रस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रांचेज) एक्ट, 1946।
(4) बैंकिंग कम्पनीज (इन्सपेक्शन) ऑर्डिनेन्स, 1946।
(5) कैपिटल इश्यूज एक्ट, 1947।
(6) बैंकिंग कम्पनीज (कन्ट्रोल) रूल्स, 1949।
(7) स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शिड्यूल्ड बैंक्स रेगुलेशन्स।

बैंकों द्वारा नई शाखाएँ स्थापित करने व शाखाओं के स्थान-परिवर्तन से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों पर यह विभाग ही विचार करता है। इस विभाग के

अन्तर्गत ही मई 1959 म बकिंग कट्रोल विभाग क नाम स एक उप विभाग स्थापित किया है जा दश म बकिंग क साख क विकास की ओर ध्यान दता है। पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान म बगला दश) म छोट व्यापारियो व उद्योगपतियो की सुविधा के लिय इस उप विभाग न ढाका म इस्टर्न मर्कन्टाइल बक की स्थापना की। बकिंग की आदतो क विकास क लिय एक बकिंग प्रसार-बोर्ड की स्थापना भी की गई है।

6 विनिमय नियत्रण विभाग
(Exchange Control Department)

पाकिस्तानी करसी क वाह्य मूल्य को बनाए रखन एव विदशी विनिमय-कोष को प्रबन्ध करन का उत्तरदायित्व स्टट बक आफ पाकिस्तान को दिया गया है। स्टट बक यह काय विदशी विनिमय एक्ट 1947 क अन्तर्गत करता है। इन कार्यो को करन क लिय स्टट बक न विनिमय नियत्रण विभाग स्थापित किया है। बैंको व विदशी विनिमय रखन वाल अधिकृत व्यापारियो क माध्यम स ही विदशी विनिमय क व्यवहार किय जा सकत है य व्यवहार निर्धारित दरो पर ही किय जात है और स्टट बक क निर्देशो क अधीन ही करन पडत है।

यह बैक विदशी विनिमय क अधिकृत व्यापारियो द्वारा भेज जान वाल सामयिक विवरणो (Periodical Returns) एव उनस प्राप्त अन्य सूचनाओ के द्वारा उनक कार्यो का निरीक्षण करता है। आरम्भ म विनिमय नियत्रण विभाग कवल कराची लाहौर और ढाका म थ और बाद म चटगाव खुलना पेशावर और क्वटा म भी स्थापित कर दिय गय। प्रत्यक विनिमय नियत्रण विभाग का काय क्षत्र निश्चित कर दिया गया है जस कराची क विनिमय नियत्रण विभाग का काय क्षत्र कराची हदराबाद और खरपुर क्षत्र है लाहौर क विभाग का काय क्षत्र लाहौर मुल्तान भावलपुर और रावलपिंडी क्षत्र है पेशावर क विभाग का काय क्षत्र पशावर और डरा इस्माइल खा क्षत्र है।

बगला-दश म पाकिस्तानी शासको क सनिको द्वारा अत्याचार व दमन के कारण एव फिर भारत स युद्ध छिडन क फलस्वरूप पाकिस्तान क विदशी विनिमय का कोष लगभग समाप्त हो गया।

7 कृषि साख विभाग
(Agricultural Credit Department)

यद्यपि कृषि साख का महत्व बहुत अधिक है किन्तु आरम्भ म स्टट बैक म पूर्णकाय कृषि-साख विभाग स्थापित नही किया जा सका। इसका प्रमुख कारण था योग्य कर्मचारियो का अभाव। अत कृषि-साख का काय बैकिंग-कट्रोल विभाग को सौपा गया और बाद म अनुसधान विभाग का स्थानान्तरित कर दिया गया। सन् 1953 म कृषि साख विभाग अलग स्थापित कर दिया गया।

सन् 1957 तक यह विभाग मुख्यत कृषि साख क अनुसधान काय म लगा रहा और इसक सम्बन्ध म प्रस्तावित नीतियो पर विचार करता रहा। सन् 1957 स यह वास्तविक काय करन लगा। कृषि क्षत्र म साख की सुविधाए दना इस

विभाग का प्रमुख कार्य है। स्टट बैंक कृषि को साख प्रत्यक्षरूप से प्रदान नही करती है वरन् कृषि से सम्बधित अन्य एजेसियो के माध्यम जसे कृषि विकास बैंक और सहकारी बैंको के माध्यम से साख प्रदान करता है। स्टेट बैंक इन एजेसियो को परामश भी दता है। यह विभाग एक त्रमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी करता है। इस पत्रिका का नाम क्रेडिट, करन्ट एण्ड कोआपरेटिव है।

8 सांख्यिकी विभाग

(Department of Statistics)

स्टट बैंक म एक साख्यिकी विभाग भी ह जिसकी स्थापना सन् 1949 म की गइ थी। यह विभाग निम्नलिखित प्रमुख काय करता है—

(i) विनिमय खातो को रखना,

(ii) पाकिस्तान के भुगतान शेष (Balance of Payments) के आकडे एकत्रित करना,

(iii) पाकिस्तान की अतराष्टीय मौद्रिक स्थिति ज्ञात करने के लिए सर्वे करना

(iv) बैंको तथा अन्य निगमो स सम्बन्धित आकडे एकत्रित करना,

(v) अन्य वित्तीय आकडे एकत्रित करना व उनका प्रकाशन करना,

(vi) स्टट बैंक के मासिक बुलेटिन म आकडो का प्रकाशन,

(vii) 'बैंकिंग स्टटिस्टिक्स इन पाकिस्तान' पत्रिका का प्रकाशन।

इस विभाग म अधिकाश काय मशीनो द्वारा होता है।

9 अनुसधान विभाग

(Research Department)

इस विभाग की स्थापना सन् 1951 म की गई थी। सयुक्त राष्ट्र (United Nations) के माध्यम स सयुक्त राज्य अमरिका के फडरल रिजव सिस्टम के एक विशेषज्ञ की सेवाए इस विभाग के विकास के लिए प्राप्त की गई थी। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बैंक का आर्थिक-सलाहकार (Economic Adviser to the Bank) है। इस विभाग के अधिकारी एसी सभाओं (meetings) म बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आर्थिक महत्व क हो जस अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व अन्य अतर्राष्ट्रीय सगठनो की सभाए।

इस विभाग का मुख्य कार्य है स्टट बैंक आफ पाकिस्तान को वित्तीय एव साख सम्बन्धी नीतियो क निर्धारण म सहायता करना है। यह विभाग सरकार को आर्थिक एव वित्तीय मामलो पर परामश देता है। काय-क्षमता म वृद्धि करने की दृष्टि से इस विभाग म अनेक उप विभाग स्थापित कर दिय गये हैं जिनम स प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(i) वित्तीय विभाग, (ii) बैंकिंग विभाग (iii) विदेशी निर्यात विभाग, (iv) साख वित्त विभाग, (v) इस्लामिक विभाग, (vi) भुगतान शेष,

विदेशी विनिमय एवं बजट विभाग (vii) व्यापारिक नीति एवं (GATT) स्वर्णिम क्षेत्र अध्ययन विभाग (viii) ग्रामीण आर्थिक विभाग (ix) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं विदेशी सहायता, विदेशी ऋण एवं विनिमय नियन्त्रण नीति विभाग।

इस विभाग का एक पुस्तकालय भी है जिसमें 50 हजार से भी अधिक पुस्तकें हैं। इसमें 200 से भी अधिक पत्र-पत्रिकाएं आती हैं।

10 इञ्जीनियरिंग विभाग

(Engineering Department)

इस विभाग का प्रमुख कार्य बैंक के कार्यालयों के लिए भवन निर्माण करना व कर्मचारियों के लिए मकान आदि का निर्माण करना है।



40 स्टेट बैंक के प्रमुख कार्य

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का केन्द्रीय बैंक है। यह बैंक भी अन्य केन्द्रीय बैंकों की भांति अनेक कार्य सम्पन्न करता है जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

1 नोट निर्गमन का कार्य

स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान को उस देश में नोट निर्गमन का एकाधिकार है। जुलाई 1, 1948 को जब यह बैंक अस्तित्व में आया तो इसके सम्मुख दो कार्य थे—प्रथम रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रचलित नोटों का चलन में से वापिस लेना और उनके स्थान पर नये पाकिस्तानी नोटों का निर्गमन करना। स्टेट बैंक के एक प्रकाशन के अनुसार रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने पाकिस्तान में बंटा माना में नोट-निर्गमन कर दिये जिससे उसकी अर्थ-व्यवस्था खराब होने लगी। रिजर्व बैंक ने जो नोट निर्गमन किये थे उन पर अंग्रेजी में गवर्नमेंट आफ पाकिस्तान और उर्दू में हुकूमत-ए-पाकिस्तान' मुद्रित था।

जब स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक से 1 जुलाई 1948 को करंसी का चार्ज लिया तो उस समय स्टेट बैंक ने रिजर्व बैंक के नोटों को एक वर्ष और प्रचलन में रखने का विचार किया और 1 जुलाई 1949 से अपने नये नोट चलन में लाने की योजना बनाई। दो कारणों से स्टेट बैंक ने इस तिथि से पूर्व ही अपने नोट चलन में लाने का निश्चय किया। प्रथम 'पाकिस्तान (मौद्रिक प्रणाली और रिजर्व बैंक) अध्यादेश 1947 जैसा कि सन् 1948 में संशोधन किया गया के अनुसार 30 जून 1948 को जितने नोटों पर पाकिस्तान सरकार छपा था रिजर्व बैंक की संपत्ति (assets) में से उतने मूल्य की संपत्ति पाकिस्तान को देने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त 1 जुलाई 1948 और 30 जून 1949 के मध्य 2 रुपये व अधिक अंकित मूल्य के भारतीय नोट जो पाकिस्तान में चलन में थे, उस मूल्य की रिजर्व बैंक की संपत्ति में से संपत्ति पाकिस्तान को देने की व्यवस्था थी। अतः पाकिस्तान ने अपने भाव को मजबूत करने के लिये यह निश्चय किया कि ऐसे समस्त नोटों को अति शीघ्र चलन में से निकाल लिया जाय और उनके स्थान पर नये पाकिस्तानी नोटों को चलन में लाया जाय। दूसरा कारण यह था कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से नोटों का जो स्टॉक पाकिस्तान को प्राप्त हुआ था वह उस देश की मौद्रिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था।

प्रथम पाकिस्तानी नोट सर्वप्रथम अक्टूबर 1948 में निर्गमित किये गये। ये नोट Rs 5, Rs 10 और Rs 100 के अंकित-मूल्य के थे। 1 मार्च 1949 से Rs 2 के अंकित मूल्य के नोट भी निर्गमित किये गये। ये समस्त नोट स्टेट-बैंक ग्राफ पाकिस्तान द्वारा निर्गमित किये गये। इस ही तिथि अर्थात् 1 मार्च 1949 से पाकिस्तान की सरकार ने एक एक रुपये के नोट निर्गमित किये। 1 मार्च 1950 से Rs 2 के नोटों का चलन बंद कर दिया गया।

पाकिस्तान में भारतीय नोटों को प्रचलन से बाहर करने में 15 महीने का समय लगा। यह कार्य दो चरणों में किया जा रहा था—प्रथम, भारतीय नोटों को विभिन्न खजानों व बैंकों में एकत्रित किया जाता था, द्वितीय फिर उन नोटों को भारत भेजने के लिये कराची भेजा जाता था। 1 जुलाई 1948 और 30 जून 1949 के मध्य कुल 176 59 करोड़ रुपये के नोट चलन में से एकत्रित किये जिन्हें रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया के पास भेजना था। इनमें से 125 02 करोड़ रुपये के रिजर्व बैंक के नोट थे और शेष Rs 51 57 करोड़ के ऐसे नोट थे जिनका निर्गमन तो रिजर्व बैंक ने किया था किन्तु उन पर पाकिस्तान-सरकार मुद्रित था। अतः रिजर्व बैंक के निर्गमन-विभाग की सम्पत्ति (assets) पर पाकिस्तान का 176 59 करोड़ रुपये का दावा था।

स्टेट बैंक ग्राफ पाकिस्तान ने 23 मार्च 1949 तक भारत से 127 67 करोड़ रुपये के मूल्य की सम्पत्ति प्राप्त करली। इसके बाद रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया ने पाकिस्तान को इस मद में कोई राशि अथवा सम्पत्ति हस्तांतरित नहीं की और रिजर्व बैंक ने कह दिया कि अब पाकिस्तान का कोई दावा चुकाना शेष नहीं है। और अधिक हस्तांतरण को रोकने का कारण रिजर्व बैंक ने यह बतलाया कि रिजर्व बैंक का जो नोट दिये गये थे उनमें से कुछ नोट ऐसे थे जिनका निर्गमन 30 जून 1948 के पश्चात् किया गया था और पाकिस्तान उनके लिये कोई दावा (Claim) नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और कहा समझौते के अन्तर्गत एक देश से दूसरे देश में नोटों के हस्तांतरणों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। इस संबंध में पाकिस्तान ने काफी बातचीत की किन्तु भारत ने उसे स्वीकार नहीं किया।

नोट निर्गमन के संबंध में वैधानिक प्रावधान—स्टेट बैंक ग्राफ पाकिस्तान में, भारत के रिजर्व बैंक ग्राफ इंडिया की भांति दो विभाग हैं—निर्गमन विभाग और बैंकिंग विभाग। जनता को बैंक-नोटों का वास्तविक निर्गमन बैंक के बैंकिंग विभाग के द्वारा होता है। इस ही प्रकार चलन में से नोट बैंकिंग विभाग के द्वारा ही वापिस लिये जाते हैं।

निर्गमन-विभाग नोटों का निर्गमन अथवा नोटों की वापसी अन्य नोटों के बदले अथवा एक्ट द्वारा अधिकृत सिक्का सोना-चांदी अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों के बदले करता है। दूसरे शब्दों में यदि बैंकिंग-विभाग को जनता में और नोटों का प्रचलन करना है तो बैंकिंग-विभाग नोटों की मांग निर्गमन विभाग से करेगा।

निगमन विभाग उतने मूल्य के पुराने नोट अथवा सिक्के अथवा प्रतिभूतिया व किंग-विभाग स लेकर नोट देगा। इस प्रणाली से निर्गमन-विभाग के पास पर्याप्त सपत्ति रहती है। इस बात का प्रावधान स्टेट बक आफ पाकिस्तान एक्ट 1956 की धारा 30 म किया गया है जिसके अनुसार—

निगमन विभाग की सपत्तिया (assets) किसी भी समय इसकी कुल देनदारियों (total liabilities) अर्थात् कुल निर्गमित नोटों के मूल्य से कम नहीं होनी चाहिये।"

निर्गमन-विभाग की कुल सपत्ति (assets) का कम से कम 30 प्रतिशत भाग सोने सोने के सिक्के चादी एव मान्यता प्राप्त विदेशी विनिमय के रूप म होना आवश्यक है, और शेष भाग रुपये के सिक्के, रुपया-प्रतिभूतियां एव स्टेट बक द्वारा क्रय किये जा सकने योग्य ऐसे प्रतिज्ञा पत्र तथा विनिमय पत्र (P/N and B/E) जो पाकिस्तान म देय हो के रूप म रखे जा सकते हैं। व्यवहार म अभी तक प्रतिज्ञा-पत्र अथवा विनिमय-पत्र निर्गमन-विभाग की सपत्ति म शामिल नहीं किये गये हैं।

स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान एक्ट 1956 की धारा 31 म निगमन-विभाग मे रखी जाने वाली सपत्ति के सबध म कुछ छूट देने की व्यवस्था कर दी गई है। सकट-काल म यह आवश्यक नहीं है कि निर्गमित किए जाने वाले नोटों के पीछे 30 प्रतिशत सोना सोने के सिक्के चादी आदि हो।

करसी निगमन की प्रशासनिक व्यवस्था—जनता एव सरकार की करसी की माग व आवश्यकता की पूर्ति करने का दायित्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है। निगमन विभाग द्वारा नोट व किंग-विभाग को दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्गमन-विभाग का एक काय यह भी है कि वह जनता की माग पर बक-नोटों के बदले सिक्के दे अथवा सिक्कों के बदले नोट दे।

यह उल्लेखनीय है कि एक रुपये के सिक्के व एक रुपये के नोट और छोटे सिक्के इस बक को केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किये जाते हैं। इनका निर्माण स्टेट बक नहीं करता। इस कार्य के लिये कराची लाहौर, पशावर और ढाका म निगमन के कार्यालय है और नेशनल बक आफ पाकिस्तान की शाखाओं पर तथा जहा इनकी शाखाएं नहीं है वहा सरकारी खजाना व उप-खजानों म करसी-चेस्ट (Currency chests) रखे हुए हैं।

प्रत्येक निगमन का कार्यालय एक करसी-ऑफिसर के अधीन रहता है जिसका कर्त्तव्य होता है कि वह नोटो व सिक्कों के विनिमय की पर्याप्त सुविधाए जनता को दे।

प्राय देखा गया है कि पाकिस्तान म करसी की माग म मौसमी परिवर्तन हुआ करते हैं। प्राय अगस्त म मार्च तक व्यस्त-मौसम होता है अत इस काल म मुद्रा व चलन की माग म बहुत वृद्धि होती है। दूसरी ओर प्राय अप्रेल से जुलाई तक मन्दा मौसम रहता है और मुद्रा व चलन की माग उतनी अधिक नहीं रहती।

2 सरकार के बैंकर के रूप में

स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान केन्द्रीय बैंक होने के कारण सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। स्टेट बैंक अपनी स्थापना के समय से ही केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता आ रहा है। यह सरकार की ओर से निक्षेप स्वीकार करता है तथा ऐसे चैकों व ड्राफ्टों को जो दूसरे बैंकों पर लिखे गये हैं एकत्रित करने के लिए स्वीकार करता है।

स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान एक्ट 1956 की धारा 2 में इस सम्बंध में प्रावधान दिये गये हैं। इस धारा के अनुसार केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारें पाकिस्तान में अपनी सब राशि स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान में जमा कराती हैं राशि का हस्तांतरण एवं विनिमय का काम इस बैंक के माध्यम से कराती हैं और अपने बैंकिंग व्यवहार इस ही बैंक के माध्यम से करती हैं।

केन्द्रीय एवं प्रांतीय सरकारें अपने समस्त निक्षेप स्टेट बैंक में ही रखती हैं। स्टेट बैंक इन सरकारों द्वारा निक्षेप कराई गई राशि पर ब्याज नहीं देता है। दूसरे शब्दों में स्टेट बैंक के पास सरकार की राशि ब्याज-मुक्त रहती है। भारत में भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया के पास सरकारी-राशि बिना ब्याज के रहती है।

जिन स्थानों पर स्टेट बैंक की शाखाएं हैं वहां पर वह केन्द्रीय व प्रांतीय सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त कर रखा है। जिन स्थानों पर बैंक आफ पाकिस्तान का कार्यालय नहीं है किन्तु नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की शाखा है वहां पर यह शाखा स्टेट बैंक के एजेंट के रूप में सरकार के मौद्रिक कार्य करती है।

यह उल्लेखनीय है कि सरकार के मौद्रिक कार्य करने के लिये स्टेट बैंक कोई कमीशन अथवा मौद्रिक-पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है और समस्त कार्य निःशुल्क करता है। किन्तु सार्वजनिक-ऋण (Public Debt) का प्रबंध करने के लिये स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान कमीशन प्राप्त करता है। यह ध्यान रहे कि नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान जो कि स्टेट बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है सरकारी कार्य निःशुल्क नहीं करता है। इसके लिये उसे स्टेट बैंक कमीशन देता है, सरकार नहीं देती है।

संकटकाल में केन्द्रीय सरकार व प्रांतीय सरकारें स्टेट बैंक से अग्रिम (advances) आपस में निश्चित की गई शर्तों पर प्राप्त करती हैं।

स्टेट बैंक विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से राशियां प्राप्त करता है और उनकी ओर से भुगतान करता है। इन व्यवहारों को करने के कारण स्टेट बैंक का कार्य बहुत बढ़ गया है और बैंक को इन्हें करने में काफी व्यय भी करना पड़ता है। सरकारी व्यवहारों की अधिकता के कारण स्टेट बैंक के प्रत्येक कार्यालय में एक अलग विभाग—पब्लिक एकाउन्टस डिपार्टमैंट—स्थापित कर दिया गया है। यह विभाग केवल सरकारी-व्यवहारों को ही करता है। सरकारी-व्यवहार केन्द्रीय

सरकार ट्रेजरी रल्स और प्रानीय सरकारा व ट्रेजरी रूल्स के अधीन किये जाते है।

सावजनिक ऋण एव टेजरी बिल—पाकिस्तान मे सावजनिक ऋणा का प्रबंध स्टेट बक करता है और सरकारी ऋणा का निर्गमन करता है। स्टेट बैंक के साथ निक्षेप-ऋण विभाग के द्वारा सरकारी ऋण, स्टाक-प्रमाण पत्र तथा प्रतिज्ञा पत्रा के रूप मे निर्गमित किय जाते हैं। स्टट बैंक के माध्यम स ही प्रातीय सरकार ऋणों का निर्गमन करती हैं।

सरकारी टेजरी बिला का निगमन स्टेट बक आफ पाकिस्तान करता है। ये टेजरी बिल 3 माह की अवधि के हात हैं और 15 दिन के अतर स निगमित किय जात हैं। य ट्रेजरी बिल 25 हजार रुपय अथवा उसकी गुणक राशि क निगमित किय जाते हैं। इस उद्देश्य के लिय प्रति मगलवार को टेडर आमत्रित किय जात हैं और सफल टेन्डर देने वाले को तीसर दिन अर्थात् शुक्रवार को खरीद जाने वाले टेजरी बिला की राशि का भुगतान करके य बिल लेने पडते है। यदि निगमित किये गय टेजरी बिला की राशि स अधिक क टेडर प्राप्त हो जात है तो उनका आनुपातिक वितरण कर दिया जाता है।

इन ट्रेजरी बिला का भुगतान केवल उनकी परिपक्वता (maturity) पर ही किया जाता है उसस पूव नही। इनका भुगतान स्टट बक के उस कार्यालय अथवा शाखा पर किया जाता है जहा से वे निगमित किय गय थे।

इन बिलो के निगमन से सरकार को अल्पकालीन वित्त प्राप्त हो जाता है और मुद्रा बाजार की अतिरिक्त राशि का उपयोग हो जाता है। ट्रेजरी बिला का निगमन मुख्यत सुस्त मौसम (slack season) म किया जाता है। व्यस्त मौसम मे प्राय इन बिला का निगमन नही किया जाता है।

3 बको के बकर के रूप मे

स्टेट बक अपन देश के बको के रूप म भी काय करता है। देश म स्वस्थ बैंकिंग विकास के लिये केन्द्रीय बक का यह काय आवश्यक है। भारत की भाति पाकिस्तान मे भी सूचीबद्ध बक और गर सूचीबद्ध बक (Scheduled banks and Non scheduled banks) हैं।

सूचीबद्ध बक—स्टेट बक आफ पाकिस्तान एक्ट 1956 की धारा 37 म प्रावधान किय गय हैं जिनको पूरा करन पर बक का सूचीबद्ध बक घोषित कर दिया जाता है। य प्रावधान निम्नलिखित हैं—

(1) यह एक बकिंग कम्पनी अथवा सहकारी बक अथवा निगम अथवा कम्पनी होना चाहिए। जो पाकिस्तान के अथवा पाकिस्तान के बाहर किसी कानून के अतगत स्थापित हो। इसका उद्देश्य यह है कि विदेशी-बको को भी सूचीबद्ध बक की श्रेणी म लिया जा सके। इस प्रावधान क प्रभाव से लगभग 10 भारतीय बक और 8 विदेशी बक पाकिस्तान म सूचीबद्ध हो चुके हैं।

(2) इसकी प्रदत्त पूजी और रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपये होना चाहिए। यह न्यूनतम सीमा है। किन्तु सहकारी-बैंकों को इस न्यूनतम सीमा में छूट दी जा सकती है।

(3) इसको स्टेट बैंक को सतुष्ट करना होता है। यह इस प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है जिससे निक्षेपकर्त्ताओं के हितों को हानि पहुंचे।

(4) यदि बाद में कोई बैंक इन शर्तों को पूरा नहीं करता है अथवा उसकी प्रदत्त-पूजी तथा रिजर्व कोष 5 लाख रुपया से कम हो जाती है अथवा उस बैंकिंग कम्पनी का समापन हो जाता है अथवा बैंकिंग का कार्य करना बंद कर देती है तो उसे सूची में से हटा दिया जाता है।

यदि उपरोक्त शर्तों को पूरा कर दिया जाता है तो उस बैंक को सूचीबद्ध कर दिया जाता है और इसकी घोषणा राजपत्र में कर दी जाती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने सभी कार्यालयों में सूचीबद्ध बैंकों की एक पूर्ण सूची रखता है। स्टेट बैंक इन सूचीबद्ध बैंकों को अनेक सुविधाएं प्रदान करता है।

भाग इस एक्ट की धारा 36 के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध बैंक के लिये अनिवार्य है वह अपने समय-दायित्व (time liability) का कम से कम 2 प्रतिशत भाग और माग दायित्व (demand liability) का कम से कम 5 प्रतिशत भाग स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास न्यूनतम जमा के पास रखे। यदि कोई सूचीबद्ध ऐसा नहीं करता है तो उसे शास्ति दंड देना होता है। प्रत्येक सूचीबद्ध बैंक को निर्धारित फार्म पर साप्ताहिक विवरण देना होता है। इस फार्म में गुरुवार को व्यापारिक-समय समाप्त होने के समय बैंक की स्थिति बतलाना पड़ता है। इन फार्मों को प्राप्त करने के पश्चात स्टेट बैंक सूचनाओं को एकत्रित करता है और एक्ट की धारा 39 के अनुसार साप्ताहिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

नये बैंक अथवा शाखाओं के सबंध में—भारत में किसी नये बैंक की स्थापना अथवा कोई विद्यमान बैंक बिना रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की पूर्व अनुमति के अपनी शाखा स्थापित नहीं कर सकता। इस ही प्रकार का प्रावधान पाकिस्तान

विनियोगो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की नीति अपनाई गई प्रतीत होती है। अत यह प्रावधान किया गया है कि बदरगाह के नगरा तथा आतरिक ऐसे बडे नगरा म, जहा विदेशा के साथ बडी मात्रा म व्यापार होता है विदेशी-बैकों की शाखाए स्थापित करने के लिये आवदन पत्रा पर विचार किया जायगा।

स्टेट बक के अधिकार—बकिंग कम्पनीज (कट्रोल) एक्ट 1948 तथा अय अधिनियमा म स्टट बैक आफ पाकिस्तान को दश के बैका पर नियत्रण रखन के लिए अनेक अधिकार दिय हैं जिनम म प्रमुख अधिकार निम्नलिखित है—

(1) स्टट बैक अय बैको को यह निर्देश द सकता है कि किन उद्देश्यो के लिय ऋण व अग्रिम दिय जा सकते है और किन के लिय नही।

(2) सुरक्षित अग्रिमो (secured advances) पर कितना मार्जिन रखा जाव।

(3) समस्त बैंको को प्रतिमाह स्टट बैक को एक निर्धारित फाम पर यह सूचना देनी होती है कि ऐसी कम्पनिया को कितनी मात्रा म असुरक्षित ऋण दिये गय हैं जिनम उस बैंक का अथवा उस बक के सचालका का हित है।

(4) प्रत्यक बैक को अपन पास उसके कुल माग दायित्व व समय दायित्व के 20 प्रतिशत स्वर्ण म अथवा स्वीकृत प्रतिभूतिया के रूप मे रखना आवश्यक है। यह प्रावधान धारा 8 म किया गया है।

(5) समस्त विदशी बको का अपन कुल माग-दायित्व व समय दायित्व का कम स कम 85 प्रतिशत भाग पाकिस्तान म ही रखना होगा। धारा 9 के अनुसार अब यह प्रतिशत 80 कर दिया गया है।

(6) एक्ट की धारा 11 न स्टट बैक आफ पाकिस्तान को यह अधिकार दिया है कि यह किसी भी बक को उसके व्यापार के सबध म निर्देश द सकता है जिसका पालन उस बैक को करना होगा। साथ ही इस बैक को यह अधिकार भी है कि वह किसी भी बैक स उनके सबध म कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है।

(7) स्टट बक किसी बक अथवा बैंका के आवदन पर उनके एकीकरण की व्यवस्था कर सकता है। बिना स्टट बक की अनुमति के दो अथवा अधिक बैंका का एकीकरण नहीं हो सकता है।

(8) बैंकिंग कम्पनीज (नियत्रण) एक्ट 1958 की धारा 14 II म यह नया प्रावधान कर दिया है कि किसी भी यायालय को किसी भी बैक के समापन के आवेदन पत्र पर विचार करन का तब तक अधिकार नही है जब तक कि उस आवदन-पत्र के साथ स्टट बैंक का एक लिखित प्रमाण पत्र सलग्न न हो कि स्टट बैक को एतराज नहीं है कि यायालय उस आवेदन-पत्र पर विचार करे।

(9) स्टट बैक ऑफ पाकिस्तान को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक

का निरीक्षण कर सकता है और यदि आवश्यक समझे तो अपनी निरीक्षण की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज सकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर यदि केन्द्रीय सरकार समझती है कि बैंक अपने जमाकर्ताओं के हितों के विरुद्ध काम कर रहा है तो केन्द्रीय सरकार उस बैंक को नि[illegible] कर सकता है और स्टेट बैंक को उस बैंक का नाम सूची (schedule) से हटाने के लिये कह सकता है।

(10) बैंक का निरीक्षण करने के पश्चात यदि स्टेट बैंक आवश्यक समझे तो उस बैंक के अधिकारियों और संचालकों की एक मीटिंग बुला सकता है और उस मीटिंग में उस बैंक के प्रबन्ध में आवश्यक परिवर्तन जैसा कि स्टेट बैंक उचित समझे करने के लिये कह सकता है।

सूचीबद्ध बैंकों को सुविधाएं—स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान द्वारा बैंकों को कुछ सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं—

(1) स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान देश के अन्य बैंकों के लिए अन्तिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है।

(2) स्टेट बैंक किसी भी बैंक अथवा निगम जो देश के उद्योग धन्धा अथवा कृषि को प्रोत्साहन देने के अंश या ऋण पत्रों को खरीद सकता है अथवा बेच सकता है अथवा अपने पास रख (hold) सकता है।

(3) वास्तविक व्यापारिक व्यवहारों में उत्पन्न विनिमय पत्रों और प्रतिज्ञा पत्रों, जो 90 दिन के भीतर परिपक्व हों को स्टेट बैंक क्रय अथवा विक्रय कर सकता है अथवा उनकी पुनर्कटौती कर सकता है। इन पर दो अच्छे हस्ताक्षर होने चाहिये जिनमें से एक हस्ताक्षर किसी सूचीबद्ध बैंक के होने चाहिये।

यदि उपरोक्त बिल मौसमी कृषि कार्यों अथवा फसलों के विपणन के वित्त-प्रबन्ध के लिये लिखे गये हैं तो उनकी परिपक्वता की अवधि 15 महीने तक हो सकती है।

(4) सूचीबद्ध बैंकों को स्वर्ण, चांदी अथवा माल के अधिकार पत्रों अथवा विनिमय विपत्रों के विरुद्ध अधिक से अधिक 90 दिनों के लिए ऋण व अग्रिम दिये जा सकते हैं।

(5) स्टेट बैंक, ऐसी प्रतिभूतियों के विरुद्ध जिन्हें यह उचित समझे सूचीबद्ध बैंकों को ऋण अथवा अग्रिम दे सकता है।

(6) देश में कृषि अथवा औद्योगिक विकास के उद्देश्य से यह बैंक किसी सहकारी बैंक को, जिस सीमा तक तथा जिन शर्तों पर उचित समझे ऋण दे सकता है।

(7) देश के कृषि अथवा औद्योगिक विकास, अथवा कृषि उत्पादन अथवा पशु उत्पादन के उद्देश्य से स्टेट बैंक किसी भी सूचीबद्ध-बैंक को अथवा निगम को अधिक से अधिक 5 वर्षों के लिये ऋण दे सकता है।

(8) स्टेट बैंक ने सन् 1952 से बिल कटौती योजना चालू की है जिसके अन्तगत व्यापारी 90 दिन तक की परिपक्वता के विनिमय पत्रों की कटौती सूचीबद्ध बैंकों से करवा सकते हैं और वह सूचीबद्ध बैंक यदि आवश्यक समझे तो इन बिलों की स्टेट बैंक मे पुनकटौती करवा सकता है। इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिये स्टेट बैंक ऐसे बिलो की बैंक दर मे ½ प्रतिशत कम दर से पुनकटौती करता है तथा अवधि विनिमय पत्रो का आधा स्टाम्प कर स्वय देता है।

(9) स्टेट बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकों सरकार एव जनता को मुद्रा के स्थानान्तरण की सुविधाए प्रदान करता है। ये सुविधाए तार द्वारा हस्तान्तरण (T T) अथवा डाक द्वारा हस्तान्तरण अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा प्रदान की जाती हैं। इस काय के लिये स्टेट बैंक प्राय साधारण शल्क लेता है।

(10) स्टट बैंक समाशोधन गृहो (clearing houses) की व्यवस्था भी करता है।

गैर-सूचीबद्ध बक—(i) इन बैंकों को स्टट बैंक के पास न्यूनतम नकद राशि रखनी आवश्यक नहीं है।

(ii) कुछ गैर-सूचीबद्ध बैंकों को अपने खाते (accounts) स्टट बैंक मे रखने की अनुमति दे दी जाती है यदि वे कुछ शर्तों का पालन करें।

(iii) ऐसे बैंक मुद्रा के स्थानान्तरण की सुविधाए भी रियायती दरो पर प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) ये बैंक समाशोधन गृह के उप सदस्य बन सकते है।

4 विनिमय-नियन्त्रण का काय

स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक प्रमुख काय यह भी है कि वह देश की मुद्रा का बाह्य मूल्य बनाये रखे। यह काय विनिमय प्रबन्ध से सम्बन्धित है। विनिमय नियन्त्रण का काय फौरन एक्सचेंज रगुलेशन एक्ट 1947 के अधीन किया जाता है। इस सम्बन्ध म प्रमुख विषयो पर स्टट बैंक केन्द्रीय सरकार से भी परामर्श करता रहता है।

विदेशी विनिमय के प्रमुख व्ययों का प्रावधान (allocation) समय समय पर सरकार कर देती है। वित्त मन्त्रालय विदेशी विनिमय का बजट बनाती है और इसके अनुसार ही स्टेट बैंक काय करता है।

पाकिस्तान सरकार द्वारा निश्चित की गई दरो पर निर्धारित केन्द्रो पर स्टेट बैंक के द्वारा विदेशी विनिमय का विक्रय करना पडता है।

विदेशी विनिमय को सुविधाजनक ढग से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्टट बैंक ने कुछ बैंकों को अधिकृत विक्रेता (Authorized Dealers) के रूप म लाइसेंस प्रदान किये हैं। ऐसे अधिकृत विक्रेताओं (अर्थात् बैंकों) को अपने पास

अतः स्पष्ट है पाकिस्तान में एक सुदृढ़ बैंकिंग-व्यवस्था को स्थापित करने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्रारम्भ से ही तत्पर रहा है। पाकिस्तान में बिल बाजार के विकास के लिए एक बिल रिडिस्काउंटिंग स्कीम को स्टेट बैंक ने लागू कर दिया है।

पाकिस्तान में बैंकिंग विकास का भविष्य अनिश्चित सा प्रतीत हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध छेड़ कर अपनी अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात किया है। इस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार व हानि होने से वहाँ की अर्थव्यवस्था पतन सी हो रही है। प्रस्तुत अध्याय को लिखते समय भारत व भूटान स्वतन्त्र बांगला गणराज्य को मान्यता दे चुके थे और 16 दिसम्बर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी फौजों के कमाण्डर मियां नियाजी हथियार डालकर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। स्वतन्त्र बांगला गणराज्य बन जाने के कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति का और अधिक खराब होना निश्चित है।

SELECTED READINGS

BANKING SYSTEM OF THE U S A

There is a wealth of literature on the Banking System of the U S A This selected bibliography provides source of detailed Information on selected topics

1 **Bach, G L** Federal Reserve Policy Making
2 **Beckhart B H** Banking Systems
3 Board of Governors of the Federal Reserve System
 (i) The Federal Reserve System Purposes and Functions
 (ii) The Federal Reserve Act as amended upto date
 (iii) Reports for different years
4 **Bopp Karl R** Federal Reserve Policy
5 **Bremer C S** American Bank Failures
6 **Burgess W R** The Reserve Banks & The Money Market
7 **Chandler L V** The Economics of Money & Banking
8 **Day & Beza** Money and Income
9 **Davis A M** The Origin of the National Banking System
10 **Dunbar C F** The Theory and History of Banking
11 **Englewood N J** The Commercial Banking Industry
12 **Faulkner H U** American Economic History
13 **Fenstermaker** The Development of American Commercial Banking
14 **Fforde J S** The Federal Reserve System
15 **Fousek Peter G** Foreign Central Banking
16 **Halm George N** Economics of money and Banking
17 **Harding N P G** The Formative Period of the Federal Reserve System
18 **Hardy C O** Credit Policies of the Fed Res System
19 **Hammond Bray** Banks and Politics in America
20 **James F Cyril** The Economics of Money Credit & Banking
21 **Kent R P** Money and Banking

22 Myres M G The Peculiarity of the Commercial Banking System in the United States
23 Prochnow H V The Federal Reserve System
24 Prochnow H V American Financial Institutions
25 Roger, Orsingher Banks of the World
26 Roosa R V Fed Res operations
27 Rufena Louis Money and Banking in the United States
28 Sawyer R A Federal Reserve Banking System
29 Sayer R S American Banking System
30 Sayer R S Modern Banking
31 Sprague, O M W History of Crises under the National Banking System
32 Taus E R Central Banking Functions of the U S Treasury
33 Warbury P M The Federal Reserve System
34 White, H Money and Banking
35 Willis, H Parker The Federal Reserve System

BANKING SYSTEM OF ENGLAND

1 Andereades A History of the Bank of England
2 Baster A S J The International Banks
3 Barfoot & Wilkes Universal British Directory
4 Beckhart B H Banking System
5 British Information Service The British Banking System
6 Crick & Wadsworth A Hundred Years of Joint Stock Banking
7 Clapman J The Bank of England 2 Vols
8 Chapman, J H An Economic History of Modern Banking
9 Crowther, G An outline of Money
10 Dacey W M British Banking Mechanism
11 Hilton Price Handbook of London Bankers
12 Institute of Bankers The Bank of England
13 Mc Leod H D Theory and Practice of Banking
14 Roger Orsingher Banks of the World
15 Richards, R D The Early History of Banking in India
16 Sayers R S Central Banking After Bagehot
17 Sayers R S Modern Banking
18 Thackstone H H Current Financial Problems
19 Truptil R J British Banks
20 Tyser G The Work of an Issuing House

BANKING SYSTEM OF JAPAN

1 **Bank of Japan** The Bank of Japan—its Organisation and Monetary Policies

2 **Bank of Japan** The Bank of Japan—its Functions and Organization

3 **Bank of Japan** Money & Banking in Japan

4 **Bank of Japan** The Bank of Japan Law

5 **Bank of Japan** Japanese Financial System

6 **Beckhart, B H** Banking Systems

7 **Bratter M H** Japanese Banking

8 **Otsuki, T** The Banking System of Japan

9 **Roger Orsingher** Banks of the World

10 **Sarasas P** Money and Banking in Japan

BANKING SYSTEM OF W GERMANY

1 **Adler H** The Post war Reorganisation of the German Banking System

2 **Bank Verlag GMBH** The Banking System of the Fed Republic of Germany

3 **Beckhart B H** Banking Systems

4 **Federal Asso of Private Banks** The Banking System of the Fed Rep of Germany

5 **Lanner J** Changes in the structure of the German Banking System

6 **Sayers R S** Banking in Western Europe

BANKING SYSTEM OF AUSTRALIA

1 **Arndt H W** The Australian Trading Banks

2 **Beckhart B H** Banking System

3 **Faulkner** The Common wealth Bank of Australia

4 **Gifford & Wood** Australian Banking

5 **Teare H E** History Theory and Practice of Australian Banking

BANKING SYSTEM OF PAKISTAN

1 The State Bank of Pakistan—Its Growth Functions and Organisation
2 The State Bank of Pakistan Bulletins
3 The Report of the Central Board of Directors
4 Selected Papers on Pakistan Economy
5 Pakistan Economy—A Perspective
6 Pakistan—Basic Facts
7 Special Issue of Herald Tribune Dt-18 11 1962 New York—Pakistan—Moving Forward

---